मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

कार्य आयोजना

भोपाल वनमंडल

(2021—22 से 2030—31)

आलेख भाग— 2

प्रभात कुमार वर्मा (भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल
एवं
कार्य आयोजना अधिकारी
इकाई भोपाल

आलेख
भाग–2

आलेख भाग–2
विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
13	**प्रस्तावों के आधार (Basis of proposals)**	**416-450**
13.1	प्रबंधन के उद्देश्य	416-445
13.2	अपनाई जाने वाली उपचार पद्धतिया	445
13.3	कार्यवृत्तों का गठन	445-448
13.4	कार्य आयोजना की अवधि	448
13.5	मध्यावधि समीक्षा	448-450
14	**सुधार कार्यवृत्त (Improvement Working circle)**	**451-487**
14.1	कार्यवृत्त का सामान्य गठन	451
14.2	आधार	452
14.3	कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्र	452-456
14.4	सस्य की सामान्य विशेषताएं सस्य का विश्लेषण एवं पुनरुत्पादन	457-458
14.5	उपचार पद्धति	458-460
14.6	उपचार चक्र	460
14.7	उपचार श्रेणियों का निर्धारण	460-461
14.8	उपज का नियमन	461
14.9	उपचार प्रकार	461-464
14.10	उपचारों की निष्पादन विधि	464-478
14.11	प्रबंधन के विशिष्ट उद्देश्य	478-479
14.12	उपचारों के क्रियान्वयन की विधि	479-487
14.13	उपचार की सारणी	487
15	**बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त (Rehabilitation of Degraded forest working circle)**	**488-539**
15.1	कार्यवृत्त का सामान्य गठन	488
15.2	आधार	488-489
15.3	कार्यवृत्त में सम्मिलित वनक्षेत्र	489-494
15.4	सस्य की सामान्य विशेषताएं सस्य का विश्लेषण एवं पुनरुत्पादन	494-495
15.5	उपचार पद्धति	495-497
15.6	उपचार चक्र	497
15.7	उपचार श्रेणियों का निर्धारण	498-500
15.8	उपज का नियमन	500
15.9	उपचार वर्ग	500-504
15.10	सामान्य उपचार नियम	504-508
15.11	विशिष्ट उपचार नियम	508-513
15.12	मुख्य कार्य वर्ष में किये जाने वाले कार्य	513
15.13	सहायक वन वर्धनिक कार्य	514-516
15.14	ठूँठ एवं पोलार्ड मार्किंग	516-517
15.15	कार्य निष्पादन	517

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
15.16	पुनरुत्पादन वर्धन कार्य समय–सारणी	517-522
15.17	अग्नि सुरक्षा एवं चराई नियंत्रण	522
15.18	मिश्रित प्रजातियों के बीज के संग्रहण पर प्रतिबन्ध	522
15.19	अन्य नियमन	522-523
15.20	उपचारों के क्रियान्वयन की विधि	523
15.21	कार्यवृत्त में सम्मिलित बांस क्षेत्र प्रबंधन	523-539
16	**वृक्षारोपण कार्यवृत्त (Plantation working circle)**	**540-579**
16.1	कार्यवृत्त का सामान्य गठन	540
16.2	आधार	540-541
16.3	कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्र	541-545
16.4	सस्य की सामान्य विशेषताएं सस्य का विश्लेषण एवं पुनरुत्पादन	545-547
16.5	प्रस्तावित उपचार पद्धति	548
16.6	उपचार चक्र	548
16.7	उपचार श्रेणियों का निर्धारण	548-550
16.8	उपज का नियमन	550
16.9	प्रजाति का चयन	551
16.10	उपचार वर्ग	551-553
16.11	उपचार नियम	553-557
16.12	विशिष्ट उपचार नियम	557-572
16.13	अन्य नियमन	572
16.14	उपचारों के क्रियान्वयन की विधि	573-579
17	**बाघ विचरण क्षेत्र में प्रबंधन (Management of Tiger Movement Area)**	**580-593**
17.1	भोपाल के समीपस्थ क्षेत्रों में बाघ विचरण के कारण	580-581
17.2	प्रबंध प्रस्ताव की आवश्यकता	581
17.3	जिला स्तर पर आयोजित टास्कफोर्स की बैठक का विवरण	581-583
17.4	तात्कालिक उपायो से संबंधित क्षेत्र	583-585
17.5	मध्यकालिक उपायो से संबंधित क्षेत्र	585-587
17.6	दीर्घकालिक उपायो से संबंधित क्षेत्र	588-590
17.7	ई–सर्विलेंस	590-593
18	**वन सुरक्षा (Forest protection)**	**594-642**
18.1	सीमा रेखा एवं मुनारों का रखरखाव	595-596
18.2	वन अग्नि प्रबंधन	597-607
18.3	आक्रामक एवं खरपतवार प्रजातियों का प्रबंधन	607-608
18.4	कीट एवं रोग प्रकोपों का प्रबन्धन	609-610
18.5	वन अपराधों पर नियंत्रण	610-639
18.6	मुखबिर तंत्र का सुदृढ़ीकरण	639
18.7	अधोसंरचना विकास	640-641
18.8	ईको सेंसिटिव जोन	641-642
18.9	सुरक्षा योजना	642

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
19	**संयुक्त वन प्रबंधन (Joint forest Management)**	**643-708**
19.1	सामान्य विवरण	643
19.2	उद्देश्य	644
19.3	म.प्र.शासन का संकल्प	644-648
19.4	महिला सशक्तिकरण	648-649
19.5	म.प्र. संरक्षित वन नियम–2015	649
19.6	मध्य प्रदेश ग्राम वन नियम, 2015	649-650
19.7	समितियों की भागीदारी	650-651
19.8	ग्राम वन समितियों के कार्यों का मूल्यांकन	652-654
19.9	स्वैच्छिक संस्थाएँ	655
19.10	सूक्ष्म प्रबंध योजना के संबंध में मार्गदर्शी सुझाव	655-665
19.11	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण	665-667
19.12	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण	667-669
19.13	विवाद निपटारा प्रणाली	669-672
19.14	ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम	672-673
19.15	वन विकास अभिकरण में वन समितियों की भूमिका	673-674
19.16	राष्ट्रीय वनीकरण योजना	674-677
19.17	सूक्ष्म प्रबंधन योजना	677-679
19.18	सूक्ष्म प्रबंध योजना हेतु आंकड़ो का संकलन	680
19.19	सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन	680
19.20	सूक्ष्म प्रबंध योजना का क्रियान्वयन	680-681
19.21	सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं संशोधन	681
19.22	अंतर्विभागीय समन्वय	681-682
19.23	भावी प्रबंधन	683-688
19.24	वनमण्डल अधिकारी हेतु ध्यान देने योग्य बिन्दु	688-690
19.25	संयुक्त वन प्रबंधन की कमियाँ दूर करने हेतु सुझाव	690-694
19.26	संयुक्त वन प्रबंधन के सशक्तिकरण के बिंदु एवं आकलन हेतु सूचक	694
19.27	त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं वन विभाग	695
19.28	त्रिस्तरीय पंचायतों को वन विभाग से संबंधित अधिकारों का प्रत्यायोजन	695-696
19.29	प्रस्तावित उपचार पद्धति	696-708
19.30	भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य	708
20	**जैव विविधता संरक्षण (Biodiversity Conservation)**	**709-736**
20.1	जैव विविधता (Biodiversity)	709
20.2	भारत विश्व में जैव विविधता समृद्ध देशों में से एक है	710
20.3	मध्य प्रदेश जैव विविधता सम्पन्न प्रदेश	710-711
20.4	जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र	711
20.5	जैव विविधता सूचकांक	711-715
20.6	लुप्त प्रायः व संकटापन्न वृक्ष प्रजातियाँ एवं इनका संरक्षण	715
20.7	अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय प्रजातियाँ एवं इनका संरक्षण	716-717
20.8	वन्यप्राणी	717-719

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
20.9	जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण एवं निदान	719-721
20.10	मध्य प्रदेश राज्य वन नीति, 2005	721-724
20.11	जैव विविधता अधिनियम एवं नियम के अन्य प्रमुख प्रावधान	724-725
20.12	मध्य प्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई नियम, 2005)	725
20.13	जैव विविधता प्रबंधन समिति	726-727
20.14	जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन में वन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले काय	727-728
20.15	म.प्र. जैव विविधता बोर्ड के मार्गदर्शन में विदिशा वनमण्डल में जैव विविधता संरक्षण	728
20.16	जैव विविधता विरासत स्थल (हेरिटेज साइट)	728-731
20.17	जैव विविधता अधिनियम, 2002 म.प्र. नियम, 2004 विनियम, 2014. उद्देश्य	731
20.18	जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बाँटना विनियम, 2014	731-732
20.19	जैव विविधता संरक्षण हेतु अन्य प्रस्तावित कार्य	732-735
20.20	प्रशासनिक ढाँचा सुदृढ़ीकरण (Strengthening of Adiministrative Set-up)	736
21	**वन्यप्राणी प्रबंधन (Wildlife Mangement)**	**737-839**
21.1	वन्य प्राणियों की उपलब्धता एवं उनका प्रबन्धन	737-738
21.2	प्रबंधन के लक्ष्य, उद्देश्य एवं आधार	738-839
21.3	वनमण्डल के अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र में प्रबंधन	839
22	**अकाष्ठीय वनोपज (परस्परव्यापी) प्रबंधन वृत्त। (Non- Timber Forest Produce Mangement)**	**840-866**
22.1	प्रबंधन वृत्त का सामान्य विवरण	840-841
22.2	प्रबंधन वृत्त के गठन के मुख्य उद्देश्य	841
22.3	अकाष्ठीय वनोपज के क्षेत्रों का वर्गीकरण	841
22.4	अकाष्ठीय वनोपज की उपलब्धता	842-843
22.5	प्रमुख अकाष्ठ वनोपज प्रजातियाँ	843
22.6	संग्रहण काल	843-844
22.7	प्रमुख प्रजातियों की वनों में संनिधि	844-845
22.8	अकाष्ठीय वनोपज का व्यापार	845
22.9	अकाष्ठीय वनोपज के अनियंत्रित विदोहन के कारण	845-850
22.10	अनियंत्रित विदोहन के प्रभाव	850-851
22.11	लघुवनोपज प्रबंधन की समस्याएँ	851-852
22.12	रणनीति	853
22.13	लघु वन उपज प्रबन्धन वनक्षेत्रों के उपचार	853-857
22.14	अन्य नियमन	857-858
22.15	भविष्य की संभावनायें	859
22.16	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि के अन्तर्गत लघु वनोपज प्रजातियों के अन्तःस्थलीय एवं वाहय स्थलीय संरक्षण हेतु योजना	860-863
22.17	लघुवनोपज संघ के माध्यम से विदिशा वनमण्डल में संचालित की जा रही जन उपयोगी गतिविधियों का विवरण	864-866

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
23	**वन विस्तार एवं सामाजिक वानिकी/लोक वानिकी (Forest Extension & Social Forestry/ Lok Vaniki)**	**867-895**
23.1	प्रस्तावना (Introduction)	867
23.2	कार्यक्रम का आधार एवं उद्देश्य	867-870
23.3	क्षेत्र उपलब्धता	870
23.4	प्रस्तावित उपचार	870-873
23.5	कार्यक्रम की योजना	873-875
23.6	विस्तार विधियाँ	875-877
23.7	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल की गतिविधियाँ	877-879
23.8	विस्तार शिक्षा	879-881
23.9	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	881-882
23.10	लोक वानिकीः निजी एवं सामुदायिक वन प्रबंधन	883-895
24	**इको पर्यटन (Eco-tourism)**	**896-921**
24.1	ईको–पर्यटन उद्वेश्य	896-897
24.2	मध्यप्रदेश राज्य वन नीति 2005 के महत्वपूर्ण बिन्दु	897-899
24.3	वन पर्यटन प्रबंधन	899-900
24.4	कार्य आयोजना क्षेत्र में ईको टूरिज्म के मुख्य स्थल	900-901
24.5	ईको पर्यटन केन्द्र से विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के साधन	901
24.6	आवासीय व्यवस्था	901
24.7	अधिसूचनायें	901-902
24.8	वनक्षेत्रों में ईको पर्यटन हेतु मुख्य गतिविधियॉ	902
24.9	वन पर्यटन की अपेक्षित उपयोगिता	902-903
24.10	ईको पर्यटन स्थल विकास के सामान्य दिशा निर्देश	903-904
24.11	ईको पर्यटन प्रबंधन योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	904-905
24.12	ईको कैम्पस	905-907
24.13	ईको पर्यटन रूट में संभावित गतिविधियाँ	907-909
24.14	साहसिक गतिविधियॉ	909
24.15	वन पर्यटन रूट को विकसित करने हेतु आवश्यक गतिविधियाँ	910-912
24.16	ईको पर्यटन सुविधाऐं विकसित करने हेतु दिशा–निर्देश	913-914
24.17	ईको पर्यटन हेतु आचार संहिता	914-916
24.18	स्थानीय जनता की सहभागिता	916
24.19	ईको पर्यटन हेतु उपयुक्त अवधि	917
24.20	विभिन्न विभागों से समन्वय	917-918
24.21	ईको पर्यटन विकास हेतु बजट	918
24.22	प्राकृतिक क्षेत्रों में उपयुक्तता का निर्धारण	919
24.23	आर..एफ पी. मॉडल	919-920
24.24	इको पर्यटन स्थलों में कराये गये विकास कार्य	920
24.25	संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के गैर प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में पर्यटकों के पैदल भमण हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बावत निर्देश	921

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
25	**पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं (Eco-System Services)**	**922-934**
25.1	जल संसाधन प्रबंधन	926-927
25.2	भू एवं जल संरक्षण	927-929
25.3	भू क्षरण को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय	929
25.4	जैव विविधता संरक्षण	929-930
25.5	जलवायु परिवर्तन, कार्बन संचयन, (REDD+)	930-933
25.6	सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक लाभ	934
26	**सामाजिक आर्थिक लाभ (Socio- Economic Devlopment)**	**935-948**
26.1	आजीविका सृजन	935-938
26.2	सामाजिक आर्थिक विकास	938-939
26.3	ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा	939-942
26.4	खाद्य सुरक्षा	942-943
26.5	चारा प्रंबधन	944-945
26.6	उपचार	946-948
27	**क्षमता एवं कौशल विकास (Establishment and manpower of forest division incuding technical Skills)**	**949-953**
27.1	कर्मचारियों की क्षमता तथा कौशल विकास की आवश्यकताओं का आंकलन एवं प्रशिक्षण विषयों की पहचान	949-951
27.2	प्रशिक्षण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	951-952
27.3	प्रदर्शन प्रवास	952
27.4	विषय विशेषज्ञों का चयन एवं सेवाएं प्राप्त करना	952
27.5	विशेषज्ञ संस्थानों से समन्वय	952-953
28	**अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development)**	**954-962**
28.1	कार्यालयीन एवं आवासीय भवन	954-955
28.2	कर्मचारी कल्याण	955-956
28.3	वन विश्राम गृह/निरीक्षण कुटीर	956
28.4	वन मार्ग/वन अवरोध नाका	956-957
28.5	संचार एवं सूचना तंत्र	958-959
28.6	वाहन व्यवस्था	959-960
28.7	आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था	960-962
29	**नवाचार (Navachar)**	**963-966**
29.1	हलाली नदी के तटीय क्षेत्रों में नवाचार अध्ययन	963-966
30	**विविध नियमन (Miscellaneous Regulation)**	**967-1103**
30.1	लघु पातन एवं निकासी	967
30.2	निस्तार	967-974
30.3	वनग्राम	974-977
30.4	वनों पर आधारित उद्योग	977-982
30.5	उपचारांशों का सीमांकन, चिन्हांकन एवं विदोहन	982-1007
30.6	वनखण्ड का सीमांकन	1007-1009
30.7	अग्नि सुरक्षा	1009-1022
30.8	अनियमित विदोहन	1022-1027

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
30.9	वन भूमि का हस्तांतरण	1027-1034
30.10	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	1034-1045
30.11	वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद	1045
30.12	कार्य आयोजना पुस्तकों का वितरण	1045-1046
30.13	अनुसंधान	1046-1048
30.14	वनों के बाहर वृक्ष (Tree Outside Forests)	1048-1053
30.15	लोक वानिकी	1053-1055
30.16	चराई नियंत्रण	1055-1058
30.17	रोपणी	1058-1068
30.18	रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन	1069-1071
30.19	वृक्षारोपण	1071-1079
30.20	मानक बांस कटाई नियम	1080-1084
30.21	भू–क्षरण एवं भू–संरक्षण	1084-1096
30.22	मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण के परिणाम	1097-1001
30.23	आकस्मिक विदोहन के संबन्ध में अपनाई जाने वाली एवं नियमित कूपों को स्थगित करने की प्रक्रिया का निर्धारण	1001
30.23	उपयोगी परिभाषाएँ	1001-1103
31	**अमला एवं श्रमिक आपूर्ति (Staff and Labour Suppky)**	**1104-1113**
31.1	अमला (Staff)	1104-1106
31.2	अमले का प्रशिक्षण (Staff Tranning)	1106-1110
31.3	श्रमिक पूर्ति (Labour Supply)	1110
31.4	कर्मचारी कल्याण (Staff Welfare)	1111
31.5	श्रमिक कल्याण (Labour Welfare)	1111-1112
31.6	मजदूरी (Wages)	1112
31.7	वर्तमान दैनिक मजदूरी की दरें (Current Wages Rate)	1112-1113
32	**नियंत्रण हेतु संधारणीय अभिलेख (Maintenance Of Records for control)**	**1114-1123**
32.1	प्रस्तावना (Introduction)	1114-1115
32.2	क्षेत्रफल पंजी (Area Register)	1115-1116
32.3	उपचारांश का नियंत्रण पत्रक	1116-1117
32.4	कक्ष इतिहास एवं वनखण्ड इतिहास	1117-1119
32.5	वनमण्डल पुस्तिका	1119
32.6	रोपणी एवं वृक्षारोपण पुस्तिका	1119-1120
32.7	चराई नियंत्रण पत्रक	1120
32.8	वर्षा एवं तापमान के अभिलेख	1120
32.9	जल स्तर का अभिलेख	1120
32.10	परिक्षेत्र आदेश पुस्तिका	1120-1121
32.11	कार्य आयोजना संशोधन पत्रक	1121
32.12	कार्य आयोजना से विचलन पत्रक	1121
32.13	परिसर पुस्तिका एवं परिसर मानचित्र	1121-1122

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
32.14	वन्यप्राणी गणना पुस्तिका	1122
32.15	संयुक्त वन प्रबंधन अभिलेख	1122
32.16	भवन एवं मार्ग पुस्तिका	1122
32.17	अग्नि पुस्तिका	1123
32.18	मध्यावधि समीक्षा	1123
33	**सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान एवं कार्य आयोजना पुनरीक्षण पर व्यय (General Financial Forecasting and Working Plan Expenditure on Revision)**	**1124-1141**
33.1	सामान्य	1124
33.2	वित्त को प्रभावित करने वाले कारक	1124-1125
33.3	वनमंडल के व्यय में भी निम्न कारणों से वृद्धि संभावित है	1125
33.4	आगामी 10 वर्षो में प्रतिवर्ष व्यय का अनुमान	1126-1132
33.5	अन्य विविध व्यय अनुमान	1133
33.6	कुल वार्षिक व्यय अनुमान	1134-1135
33.7	कार्य आयोजना को तैयार करने में हुये व्यय का विवरण	1135-1136
33.8	कार्य आयोजना क्षेत्र अनुमानित औसत वार्षिक व्यय	1136
33.9	राजस्व आय का अनुमान	1136-1140
33.10	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ एवं व्यय का अनुपात	1140-1141
34	**कार्य आयोजना अवधि**	**1142**
35	**मध्यावधि समीक्षा**	**1143**

भाग–2
भावी प्रबंधन
(Discussions and Prescriptions for Future Management)

अध्याय–13
प्रस्तावों के आधार
(Basis of proposals)

13.1 प्रबंधन के उद्देश्य :–

वानस्पतिक जीवन में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है एवं वन हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं। वन केवल पृथ्वी की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिये वनों का सही एवं वैज्ञानिक प्रबंधन अतिआवश्यक है। प्रबंधन के लक्ष्यों के निर्धारण के लिये वर्तमान में प्रभावशील नीतिगत ढ़ांचा वैधानिक व्यवस्थाएँ प्रशासनिक निर्देश एवं नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताएँ तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ भी वन प्रबंधन के कार्यों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करती हैं।

वनमण्डल के वन प्रबंधन हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करने के पूर्व राष्ट्रीय वन नीति, वन अधिनियम, प्रशासनिक निर्देशों के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा जारी वन नीति, संबंधित अधिनियमों, प्रशासनिक निर्देशों की विवेचना किया जाना आवश्यक होता है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी वन नीतियाँ, अधिनियम एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

A. राष्ट्रीय वन नीति, 1894 :–

भारतवर्ष की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1894 में घोषित की गई थी, जो निम्नानुसार लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी –

1. वनों के प्रबंधन का उद्देश्य स्थानीय एवं समस्त जनता को लाभ पहुँचाना था।
2. पर्यावरण सन्तुलन के लिए एवं लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भागों में वनों को बनाये रखना आवश्यक था।

B. इन उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये निम्नानुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई थीं :–

1. स्थायी कृषि को वानिकी पर प्राथमिकता दी जावेगी।
2. स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति को राजस्व प्राप्ति पर प्राथमिकता दी जावेगी।
3. इन उद्‌देश्यों की प्राप्ति के बाद ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करना।

C. भारतीय वन अधिनियम 1927 :–

वनों के प्रबंधन को वैधानिकता के दायरे में लाने के लिये केन्द्र शासन द्वारा सर्वप्रथम 1878 में वन अधिनियम पारित किया गया, जिसे समय–समय पर आवश्यक संशोधन करते हुए वर्ष 1927 में, भारतीय वन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वनों को आरक्षित एवं संरक्षित वन के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई तथा वनों के समुचित प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रतिबंधों का समावेश किया गया। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया, अधिकार एवं कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया।

D. राष्ट्रीय वन नीति, 1952 :–

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति को 1952 में भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के संकल्प (रेजोलूशन) क्रमांक एग्री 13/52 एफ– दिनांक 12/05/1952 द्वारा पुनरीक्षित किया गया। इस वन नीति के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार थे –

1. प्रत्येक भूमि को ऐसे उपयोग के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए जिससे अत्यधिक उत्पादन हो तथा भूमि की अत्यन्त कम हानि हो।
2. निर्वनीकरण पर रोक लगाना तथ भूक्षरण रोकना।
3. जलवायु की स्थिति सुधारने के लिये ट्री लेंड्स स्थापित करना।

4. जलाऊ लकड़ी की सुविधा प्रदान करना, कृषि औजार हेतु छोटी इमारती लकड़ी का प्रदाय सुनिश्चित करना तथा पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ताकि गोबर का जलाऊ के रूप में उपयोग कम हो एवं खाद के रूप में अधिक उपयोग हो सके।
5. रक्षा, संचार एवं उद्योगों के लिए आवश्यक इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपज प्रदाय करना।
6. उपरोक्त सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम वार्षिक राजस्व प्राप्त करना।

D.1 इस राष्ट्रीय वन नीति में वन भूमि का निम्नानुसार वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया–

1. **प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट (संरक्षित वन)** :– इन वनों का प्रबंधन केवल वन संरक्षण एवं जैविक सौंदर्य बनाए रखने के लिए करना था। पहाड़ी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत एवं मैदानी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत, औसतन 33 प्रतिशत क्षेत्र को वनाच्छादित रखना था।
2. **ग्रामीण वन** :– इन वनों के प्रबंधन का उद्‌देश्य चराई, छोटी इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी की पूर्ति करना था।
3. **नेशनल फॉरेस्ट (राष्ट्रीय वन)** :– नेशनल वनों के प्रबंधन का मुख्य उद्‌देश्य रक्षा, संचार एवं उद्योगों की पूर्ति करना था।

E. राज्य वन नीति, 1952 :–

वर्ष 1947 में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा राज्य की वन नीति समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्‌देश्य राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर वन नीति तैयार करना था। इस समिति ने अपनी अनुशंसा 1951 में प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन द्वारा वनों के प्रबंधन के लिए संकल्प क्रमांक 3952–2624–ग्यारह दिनांक 10/12/1952 द्वारा राज्य वन नीति को अपनाया गया। राज्य वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1952 के सिद्धान्तों पर आधारित थी। इस वन नीति के मुख्य उद्‌देश्य जनता

को लाभ पहुँचना तथा मवेशियों के लिए अधितम चराई सुविधा प्रदान करना था।

E.1 इस राज्य नीति के अनुसार वनों को प्रबंधन की दृष्टि से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया–

1. **प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट (संरक्षित वन) :–**अत्याधिक ढ़लानों में वनों को पूर्ण रूप से संरक्षण देना ताकि इन क्षेत्रों में भूमि क्षरण कम हो तथा भूमि के अन्दर पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं स्थानीय जलवायु पर अनुकूल प्रभाव रहे।
2. **ट्री फॉरेस्टः–**सुदूर क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं का दबाव नहीं है, बड़ी इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिये प्रबंध करना चाहिये।
3. **माइनर फॉरेस्ट :–**कृषि क्षेत्रों के बीचों–बीच स्थिति वनों को छोटी इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी पैदा करने के लिए एवं चराई के लिए प्रबंध करना चाहिए ताकि वनों से लगे हुए कृषि पर आश्रित जनता के लिए निस्तार की पूर्ति हो।
4. **चराई भूमि** :– कम घनत्व वाले वनक्षेत्रों तथा क्षुद्ररोह वनों (स्क्रब वनों) का चराई के लिए चरनोई भूमि के रूप में प्रबंध किया जाना चाहिए। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के बाद देश में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण कृषि भूमि हेतु वन भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। विगत 30–40 वर्षों में काफी वन भूमि कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसके साथ–साथ विगत 15–20 वर्षों में पूरे विश्व के साथ–साथ भारतवर्ष में भी पर्यावरण पर वनों के विनाश के प्रभाव के कारण जनता में वनों के प्रति जागरूकता एवं चेतना बढ़ी है। वनों से समाज को मिलने वाले आर्थिक एवं सामाजिक लाभ के संबंध में भी अधिक जानकारी प्राप्त

हुई है। सामान्य जनता भी अब वनों की प्रमुखता को समझने लगी है।

F. प्राक्कलन समिति की अनुशंसा वर्ष 1968–69 :–

चौथी लोकसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये 67 वें प्रतिवेदन में देश में विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कच्चे माल के प्रदाय में वृद्धि लाने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये तथा ग्रामीण जनता को जलाऊ एवं छोटी इमारती लकड़ी प्रदाय करने के लिये वन नीति को शीघ्र प्रस्तावित करने हेतु आवश्यकता पर बल दिया गया।

G. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 :–

इस अधिनियम के द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थापित करना, वन्य प्राणियों से संबंधित अपराधों पर कारगर कार्रवाई करते हुये इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदाय करने के दृष्टिकोण से वन्य प्राणियों का विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकरण करते हुये वन्य प्राणी अपराध हेतु सजा का प्रावधान किया गया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2001 में संशोधित करते हुये वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रावधानों को सुदृढ़ करते हुये वन्य प्राणी अपराधों के लिये सजा के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। उक्त अधिनियम को वर्ष 2006 में पुनः संशोधित करते हुये बाघों के संरक्षण हेतु प्राधिकरण की स्थापना सहित वन्य प्राणी संरक्षण हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं।

H. राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 (National Agriculture Commission 1976) का प्रतिवेदनः–

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की अनुशंसा की गई हैः–

- **संरक्षण वन (Protection Forest) :-**मृदा एवं जलवायु की स्थिति सुधारने के लिये प्रबंधित किये जाने वाले वन।
- **सामाजिक वन (Social Forest) :-**छोटी इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चराई एवं मनोरंजन इत्यादि के लिये प्रबंधित किये जाने वाले वन।
- **उत्पादन वन (Production Forest):-**वनों पर आधारित उद्योगों के लिये कच्चे माल, रक्षा एवं संचार के लिये आवश्यक वनोपज प्रदाय करने के लिये प्रबंधित किये जाने वाले वन। इन वनों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया।

I. **संविधान संशोधन**:– वर्ष 1976 में 42 वें संविधान संशोधन में वनों के महत्व को समझा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की धारा 48–। एवं 51–। के अनुसार पर्यावरण, वन्य प्राणियों एवं वनों को संरक्षण देना शासन तथा नागरिकों का कर्त्तव्य माना गया।

J. **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** :–वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार केन्द्र शासन के अनुमति के बिना किसी भी वनभूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिये हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

K. **कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत शासन के निर्देश, 1983** :– भारत शासन के कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 6–3–83 एफ. आर.वाय.एम. नई दिल्ली दिनांक 21.07.1983 द्वारा भी राज्य सरकारों को प्रबंधन आयोजना तैयार करने एवं वनों में कटाई के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिये हैं जिसके महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं–

1. प्राकृतिक वनों में पूर्ण पातन को रोका जाये।
2. पहाड़ों पर व्यापारिक कटाई नहीं की जाये। समुद्र सतह से 1000 मी. की ऊँचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में व्यापारिक कटाई नहीं की जावे।

3. गणना द्वारा निकाली गई प्राप्ति (Yield) का केवल 50 प्रतिशत ही काटा जाये।
4. मिश्रित प्रजातियों के वृक्षारोपणों को एकल प्रजातियों के वृक्षारोपण पर प्राथमिकता दी जाये।
5. बिगड़े हुए एवं रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु समयबद्ध एवं तीव्र कार्यक्रम तैयार किये जायें।

L. राज्य शासन के निर्णय :–

1. उत्तम श्रेणी के मिश्रित वनों का निःशेष पातन (Clear Felling) कर अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण वन विभाग या वन विकास निगम द्वारा नहीं किये जावेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के मिश्रित वनों को उत्तम वन माना गया है।
2. **मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्र.1295/10/02/83 दिनांक 18.04.83** :– सतत् बहने वाली (Perennial) नदियों के दोनों ओर 200 मी. तक कोई कटाई नहीं करने के निर्देश जारी किये गये हैं। म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक 1859/10/02/82 दिनांक 01.9.82 द्वारा म.प्र. की बारहमासी नदियों को परिभाषित किया गया है।
3. **मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्र. F/30/63/91/10–3 दिनांक 22.05.1992** :– वानिकी कार्यो के दौरान फलदार वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित कर दी गई है। आँवला, हर्रा, बहेड़ा, इमली, अचार, जामुन, तेंदू, बेल, मुनगा, खिरनी, लसोड़ा, कचनार, महुआ आदि विशेष महत्त्व के फलदार वृक्ष हैं जिनका पातन प्रतिबंधित है।
4. पुनरुत्पादन न होने के कारण खैर, तिन्सा, बीजा, शीशम, हल्दू, सलई, मोयन प्रजातियों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्रं./का.आ./2720 भोपाल दि. 27.12.1993)

M. राष्ट्रीय वन नीति 1988:-

पिछले कुछ दशकों में वनों की स्थिति में निरन्तर ह्रास के दुष्परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय असन्तुलन की विश्वव्यापी चेतना को देखते हुये राष्ट्रीय वन नीति 1988 घोषित की गई है। इसमें वनों में जैविक विविधता बनाये रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अतः अब वनों का प्रबन्धन राष्ट्रीय वन नीति 1988 (परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–66) के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप ही किया जाना है। इस वनमण्डल में लागू होने वाले मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं :–

- देश के वनों में गंभीर ह्रास से दुष्प्रभावित पारिस्थितिकीय असंतुलन को पुनः स्थापित करना तथा पर्यावरणीय स्थायित्व का अनुरक्षण एवं रख रखाव करना।
- विशिष्ट जैविक विविधता तथा जीव स्त्रोतों से परिपूर्ण वनस्पति एवं जीव जन्तु वाले शेष वनों के अनुरक्षण द्वारा देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना।
- प्राकृतिक जलस्त्रोतों के जलग्रहण क्षेत्र में निर्वनीकरण एवं भूक्षरण रोकना तथा जल मृदा संरक्षण कार्य करना जिससे बाढ़ तथा सूखा के प्रभाव एवं जलाशयों में मिट्टी भरने (Siltation) की गति कम की जा सके।
- निरावृत्त (Blank), अवनत (Degraded) तथा अनुत्पादक (Unproductive) भूमि पर वनीकरण तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों द्वारा वन/वृक्षाच्छदित क्षेत्र की मात्रा में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करना।

- स्थानीय ग्रामीण व आदिवासी जनसंख्या की जलाऊ लकड़ी, चारा, लघु वनोपज तथा छोटी इमारती काष्ठ की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- आवश्यक राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- काष्ठ के विकल्पों तथा वनोपज के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति करने तथा वनों के वर्तमान दबाव को न्यूनतम करने हेतु लोगों विशेषकर महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलन (Ecological balance) को बनाये रखना है क्योंकि यह जीव जन्तुओं, मानव, पशु–पक्षियों एवं पौधों सभी के लिये आवश्यक है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के उपरान्त ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य को रखा गया है।

M 1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत राज्य वनों के प्रबंध हेतु सामान्य सिद्धान्तों का सारांश निम्नानुसार है :–

- कुल भूमि के न्यूनतम एक तिहाई क्षेत्र को वन क्षेत्र या वृक्षाच्छादित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा होना चाहिए।
- समस्त अनावृत्त एवं अवनत भूमि पर, विशेषकर जलाऊ रोपण तथा चारागाह विकास हेतु आवश्यकता पर आधारित समयबद्ध प्रभावी वनीकरण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। वन भूमि के निर्वनीकरण वाली योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर कड़ाई से रोक लगाई जाना चाहिए।
- प्राकृतिक वनों को नष्ट किए बिना माँग तथा पूर्ति के अंतराल को कम करने हेतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रणाली का उपयोग कर

वनाच्छादित क्षेत्र एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जाना चाहिए। बाह्य प्रजातियों का रोपण वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह स्थापित होने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए कि वे स्थानीय प्रजातियों के लिए हानिकारक नहीं हैं। यथासंभव घरेलू प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- वन क्षेत्रों में चराई व अन्य अधिकार तथा सुविधाओं की मात्रा वनों की धारण क्षमता के अनुरूप ही निर्धारित की जानी चाहिए। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति आरक्षित वनों से बाहर सामाजिक वन व सामुदायिक वनों के विकास द्वारा की जानी चाहिए।
- वनों में तथा आसपास रहने वाले समुदायों एवं जनजातियों के वनोपज के संबद्ध अधिकार एवं सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाना चाहिए तथा वनों के अनुरक्षण तथा विकास में उनकी सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए।
- लकड़ी की आपूर्ति में कमी को देखते हुए उपयुक्त विकल्प, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोकप्रिय बनाए जाने चाहिए।
- गैर–वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग वाली योजनाओं का सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्य/लाभ विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपयुक्त प्रावधान आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।
- वन प्रबंधन योजनाओं में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रावधान सम्मिलित किए जाने चाहिए।
- उपयुक्त खनन प्रबंधन योजना, जिसमें खनन के उपरांत वनीकरण का प्रावधान आवश्यक रूप से सम्मिलित हो, के बिना उत्खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- समुचित रोजगार तथा आय के अवसर उपलब्ध कराने के साथ वनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन तथा विकास में जनजातियों की

सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर सहकारी समितियों अथवा शासकीय निगमों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।

- लघुवनोपज के रक्षण, पुनरूत्पादन, संग्रहण एवं विपणन की संस्थागत व्यवस्था हेतु समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
- राजस्व ग्रामों के अनुरूप वन ग्रामों को भी विकसित किया जाना चाहिए।
- आदिवासी हितग्राहियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु परिवार मूलक योजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए।
- वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाए जाना चाहिए तथा ऐसे अतिक्रमण व्यवस्थापित नहीं किए जाना चाहिए।
- वनों में लगने वाली आग से निपटने हेतु आधुनिक एवं विकसित अग्निरोधक प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- वनक्षेत्रों में चराई का समुचित नियमन किया जाना चाहिए। पुनरुत्पादन क्षेत्र, वृक्षारोपण क्षेत्र तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रों को चराई से पूर्ण रूपेण रक्षित किया जाना चाहिए।
- वनों को मात्र राजस्व का स्त्रोत नहीं माना जाना चाहिए। वन हमारी राष्ट्रीय विरासत हैं। वनों का संरक्षण जन–कल्याण तथा राष्ट्र–कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

N. संयुक्त वन प्रबंधन :–

वर्ष 1990 में भारत शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करते हुए राज्य शासनों को वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों एवं गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने बावत् निर्देश दिए गए। केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2000 में संयुक्त वन

प्रबंधन के कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशील बनाने बाबत् निर्देश जारी किए गए।

O. पंचायत अधिनियम 1996 (Panchayat Extension of Scheduled Area, 1996):-

केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 1996 में पंचायत राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं जिसके अनुसार पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वनों की लघु वनोपज पर पंचायत का अधिकार रहेगा।

P. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 :–

निजी वन भूमि के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु लोक वानिकी अधिनियम, 2001 लाया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–67 में दिया गया है।

Q. मध्यप्रदेश राज्य वन नीति वर्ष 2005 :–

म.प्र. राज्य वन नीति वर्ष 2005 (विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–68 में दिया गया है) के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- वन/वृक्षाच्छादित क्षेत्र का विस्तार कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई करना।
- वनों के संवहनीय प्रबंधन से पर्यावरण की स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करना।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिये हितकारी घटकों, बलों तथा तंत्रों को सुदृढ़ करना।
- इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस, चारे तथा लघु वनोपज का अधिकाधिक उत्पादन करना तथा वनाश्रित परिवारों हेतु वनाधारित वैकल्पिक रोजगार के लिये वातावरण निर्मित करना।

- काष्ठ की माँग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिये 10 प्रतिशत वन क्षेत्र काष्ठ उत्पादन हेतु सघन प्रबंधन के अधीन रखना।
- अकाष्ठीय वनोपज, विशेषकर वन औषधियों का उत्पादन बढ़ाना, इनका संवहनीय विदोहन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन बेहतर बनाना।
- कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना विस्तार वानिकी को बढ़ावा देना तथा लोक वानिकी के क्रियान्वयन से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- वनाधारित उद्योगों द्वारा कच्चे माल का स्वयं उत्पादन करने के लिये आवश्यक वैधानिक वातावरण निर्मित करना तथा सुविधायें उपलब्ध कराना।
- वनों के संवहनीय विदोहन से प्राप्त उत्पादों में स्थानीय समुदायों की सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।
- वनों से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर वनाश्रित आदिवासी समुदायों एवं महिलाओं के पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के दृष्टिगत इन समुदायों के संवहनीय विकास के लिये प्रयास करना।
- अनियंत्रित चराई एवं सिरबोझ से जलाऊ लकड़ी लाने से वनों को होने वाली क्षति को कम करना।
- शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को बढ़ावा देना।
- जैव विविधता संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना, वन्य प्राणियों के प्रबंधन एवं संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी जैव विविधता संरक्षण के उपाय करना।

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं वनाश्रित समुदायों के लाभार्थ वन क्षेत्रों में ईको टूरिज्म एवं हर्बल हैल्थ टूरिज्म का विकास करना।
- वन अनुसंधान एवं विस्तार को वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा प्रदान करना।
- वन कर्मियों एवं वन समितियों के सदस्यों को आधुनिक तकनीक एवं कौशल उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना।
- वानिकी क्षेत्र में वृहद् स्तर पर वनीकरण कार्य हेतु निजी निवेश को आकर्षित करना।

R. मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 :–

जैव विविधता (वनस्पति और जन्तु) के संरक्षण तथा सरकारी वन से उपज की पोषणीय कटाई के लिये निम्नलिखित शक्तियाँ प्रावधानित की गईं –

- सरकारी वनों से वन उपज का पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण सुनिश्चित करना।
- निषिद्ध मौसम घोषित करना।
- निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना।
- पोषणीय कटाई सीमा विहित करना।
- पोषणीय कटाई पद्धति विहित करना।

S. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (The Scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) act, 2006)।

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- वन में रह रहे अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा वन में परम्परागत रूप से रहने वाले अन्य व्यक्तियों को, जो वनों में पीढ़ियों से रह रहे है तथा वन भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, परन्तु उनके अधिकार कभी भी अभिलिखित नहीं किये गये उनके वन भूमि के अधिकारों को अभिलेखित करना।
- वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा वन भूमि को लगातार उपयोग करने का दायित्व तथा अधिकार के साथ उनकी वन जैविक विभिन्नता वाले पशु तथा पौधे तथा पर्यावरण संतुलन का संरक्षण तथा सुरक्षा का दायित्व, जो वन के संरक्षण के क्षेत्र की वृद्धि करेगा तथा वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा परम्परागत रूप से रहने वाले अन्य व्यक्तियों के रहने की तथा भोजन की सुरक्षा करेगा।
- राज्य के वनों के पुर्नगठन के समय, वन में पीढ़ियों से रह रहे अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों को उनकी पीढ़ियों से कब्जे की वन भूमि के अधिकारों को समुचित मान्यता नहीं दी गई जिससे वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ जबकि वे वन के ईको सिस्टम को बचाने तथा लगातार बने रहने का एक अंग हैं। उनको उस भूमि की क्षति तथा पहुँच के प्रति लम्बे समय से चली आ रही असुरक्षा को समाप्त करना।

S 1. उपरोक्त अधिनियम के अंर्तगत प्रदत्त मुख्य वन अधिकार निम्नानुसार हैं :–

- वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासियों को वन की भूमि को धारण करने तथा उस पर एक व्यक्ति या समुदाय के रहने या जीवन यापन के लिए उस पर स्वयं या सदस्यों द्वारा कृषि करने का अधिकार।

- सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार या जिस किसी नाम से जाना जावे, या वे अधिकार जो वे पुराने राजाओं से, जमींदारी के या अन्य अन्तरिम शासन के समय से प्राप्त कर रहे थे।
- ग्राम से या ग्राम के बाहर से वह लघु वन उपज, जो वे परम्परागत रूप से संग्रहित करते आ रहे हैं, संग्रहण करने या उस तक पहुँचने या उस पर मालिकाना अधिकार रखने एवं उसको उपयोग में लाने का अधिकार।
- जंगल के अन्दर पानी के अन्दर के पदार्थ जैसे– मछली या अन्य पदार्थ पर अधिकार तथा वहाँ के स्थापित वासियों एवं परिवहन करने वाले वन वासियों के और घुम्मकड़ तथा चरवाहा जाति के वन में चराई अधिकार।
- आदिमकाल या कृषि काल के पूर्व के आदिम जाति के समूहों को वन में रहने का अधिकार।
- किसी राज्य की विवादग्रस्त भूमि पर (जो राज्य के किसी नाम से जानी जाती हो) अधिकार।
- किसी राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त वन भूमि के पट्टे या अनुदान के द्वारा प्रदत्त अधिकार को परिवर्तन करने का अधिकार।
- सभी वनग्रामों, पुराने वन के वास स्थल, सीमा वाले गाँव या वन में बसे किसी ग्राम, चाहे रिकॉर्ड में हो या अधिसूचित हो या नहीं, का व्यवस्थापन एवं उनको राजस्व गाँव में परिवर्तन करने का अधिकार।
- किसी सामुदायिक वन क्षेत्र की रक्षा करने, उसमें पुनरुत्पादन करने, उसको सुरक्षित रखने या व्यवस्थापन करने का अधिकार।
- वे अधिकार, जो किसी राज्य के या किसी स्वायत्त क्षेत्रीय काउंसिल के कानून से या जिन्हें जनजातियों के परम्परागत या

रीतिरिवाज के रूप में किसी जनजाति के लिए, किसी राज्य द्वारा स्वीकार किये गये हैं, का उपयोग करने हेतु।

- किसी विशिष्ट पौधे या पशु के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या परम्परागत ज्ञान या सांस्कृतिक ज्ञान हो उस पर पहुँच।

उपरोक्त दिये अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कोई परम्परागत या रीति रिवाज अनुसार अधिकार जो वन में वास कर रही आदिम जनजाति या अन्य परम्परागत निवासियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हो, जिसमें वन में शिकार, वन्य पशु को पकड़ना, या किसी अन्य वन्य पशु या वन्य पौधे का कोई अंग निकालना सम्मिलित नहीं है।

T. मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 :–

इस अधिनियम के तहत संरक्षित वन या इसके भाग को जो कि शहरी क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है, को किसी ग्राम से संबद्ध किया जा सकता है। जिसके तहत संरक्षित वन के प्रबंधन, सुरक्षा तथा विकास के लिये गठित समिति के द्वारा कार्य किया जावेगा। इस अधिनियम के तहत निस्तार के अधिकार, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना, वनोपज का बंटवारा, वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना, वनोपज का परिवहन, चराई अधिकार एवं भूमि की सफाई एवं तोड़ने इत्यादि के संबंध में प्रावधानित किया गया है। मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–54 में दिया गया है।

U. मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 :–

इस अधिनियम के तहत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 के तहत प्रावधानित ग्राम वन में ग्राम वन का प्रबंधन, संरक्षण तथा विकास हेतु ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के तहत निस्तार के अधिकार, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना, वनोपज का बंटवारा, वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का

हटाया जाना, वनोपज का परिवहन, चराई अधिकार एवं भूमि की सफाई एवं तोड़ने इत्यादि के संबंध में प्रावधानित किया गया है। मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–55 में दिया गया है।

V. राज्य शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश :–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के पर्यावरण संवर्धन एवं वन संरक्षण के दृष्टिकोण से समय–समय पर प्रशासनिक निर्देश जारी किये गये हैं जिनका मुख्य विवरण निम्न है –

1) राज्य में वनों के संरक्षण के उद्देश्य से मंत्रि–परिषद् के निर्णय दिनांक 15.04.83 के परिपालन में म.प्र. शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/1295/10/3/83 दिनांक 18.04.1983 द्वारा निर्णय लिये गये हैं कि उत्तम श्रेणी के मिश्रित वनों का निःशेष पातन (Clear felling) कर अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण वन विभाग या वन विकास निगम द्वारा नहीं किये जावेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गुण श्रेणी के मिश्रित वनों को उत्तम मिश्रित वन माना गया है।
2) परिपक्वता के उपरांत भी वानिकी कार्यो के दौरान फलदार वृक्षों की कटाई प्रतिबंधित कर दी गई है (म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्र./2404/ 10–2–83 दिनाँक 03.06.1983)। आँवला, हर्रा, बहेड़ा, महुआ, इमली, अचार, जामुन, तेंदू, बेल, मुनगा, खिरनी, लसोड़ा, कचनार आदि विशेष महत्व के फलदार वृक्ष हैं जिनका पातन प्रतिबंधित है।
3) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–30/63/91/10–3 दिनांक 22.05.1992 अनुसार बारहमासी नदियों के दोनों ओर 200–200 मीटर तक कोई कटाई नहीं की जायेगी। इस तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक 1859/10/02/82 दिनांक 01.09.1982

द्वारा बारहमासी नदियों को परिभाषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक (विकास) के पत्र क्रमांक/संसाधन/12822 दिनांक 07.07.1989 द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा परिभाषित 16 नदियों को बारहमासी बड़ी नदियाँ माना गया है। वनमण्डल में सिंध, बेतवा, कूनो एव क्वारी बारहमासी बड़ी नदियाँ हैं।

4) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–30/63/91/10–3 दिनांक 22.05.1995 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये कि सतत् बहने वाले नदी नालों के किनारे 200 मीटर क्षेत्र में निम्न वृक्ष काटे जा सकेंगे :–

- समस्त सूखे, मरे हुए, गंभीर रूप से रोगग्रस्त एवं टूटे हुए वृक्ष, जिन्हें सामान्य वन वर्धनिक दृष्टि से निकाला जा सकता हो तथा जिन्हें हटाने से वितान में स्थाई जगह न बनती हो।
- वे वृक्ष जो अपनी परिपक्वता आयु प्राप्त कर चुके हों तथा जिनका पुनरुत्पादनस्थापित हो चुका हो।
- समस्त बांस भिर्रों में वन वर्धनिक नियमों के अनुसार कटाई की जावेगी।

X. अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ :–

X1. वर्ष 1974 में स्वीडन के स्टॉकहोम में अन्तर्राष्ट्रीय वानिकी सम्मेलन में यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि वन हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त विरासत नहीं है,अपितु यह हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। इसका संरक्षण एवं संवर्धन कर उन्हें आगामी पीढ़ियों को सौंपना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

X2. वर्ष 1992 में रियो डि–जेनेरो में सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैविक विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन का महत्व देखते हुए वनों के प्रबंधन में जैव विविधता संरक्षण पर बल दिया गया है।

जैव विविधता, जो इस पृथ्वी के जीवों में विविधता एवं भिन्नता का पर्याय है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिये सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसमें औषधियों, कृषि, वानिकी एवं अन्य अनेकों क्षेत्रों की प्रगति का मूलमंत्र छुपा है। तेजी से उभरती हुई नयी तकनीकों जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जैविक सामग्री के यथोचित् परिवर्तन से भविष्य की पीढ़ियों के लिये अनगिनत उपयोगी वस्तुओं के बनाये जाने की अनन्त संभावनाएँ हैं, के लिए जैविक संसाधनों का बचा रहना अति आवश्यक है। बायोटेक्नोलॉजी एवं जैविक विविधता के मजबूत अर्न्तसंबंध के कारण विकसित एवं विकासशील देशों की रूचि जैव विविधता संरक्षण में बढ़ी है क्योंकि जहाँ अधिकांश विकासशील देश जैव विविधता में समृद्ध हैं वहीं विकसित देशों के पास उन्नत तकनीक है जिसके द्वारा वे पूर्व में अपने लाभ के लिये जैविक संसाधनों का दोहन करते रहे हैं। जैविक संसाधन, जो अब तक मुफ्त संसाधन माने जाते रहे हैं, पर अब उन राष्ट्रों का अधिकार माना गया है जहाँ वे पाये जाते हैं। इसमें जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण पर भी बल दिया गया है।

13.1.1 प्रमुख नीतिगत निर्णयों को क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित आधार पर कार्य आयोजना के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है,

(I) **वनों की गतिशीलता और स्थिति** :– वन पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बढ़ाना एवं जीवन शक्ति को बनाये रखना।

(II) **वन एवं मृदा** :– वन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना, मृदा क्षरण में कमी लाना, मृदा की उर्वरता बढ़ाना।

(III) **वन एवं जल** :– जल स्त्रोतों का संरक्षण, वन पारिस्थितिकी तंत्र की जल संरक्षण क्षमता को बढ़ाना एवं उसके जलग्रहण क्षेत्र से जल के प्रवाह को विनियमित करने में सहायता करना।

(IV) **वन जैव विविधता** :–वानस्पतिक एवं जन्तु (सूक्ष्म जीवों सहित) विविधता संरक्षण एवं विकास, आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण एवं उनका सतत् उपयोग करना।

(V) **जलवायु और वन** :– कार्बन संचयन क्षमता बढ़ाना एवं जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन के तरीके खोजना।

(VI) **सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से वन आधारित रोजगार/आजोविका के अवसर पैदा करना**:– स्थानीय समुदायों की जलाऊ लकड़ी, चारा और ईमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, आजीविका एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना, लाभों की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा उनके पारम्परिक ज्ञान एवं संवहनीय प्रथाओं को सुरक्षित करना।

(VII) **एकीकृत विकास के लिए साधन** :– जिले एवं वनमण्डल के एकीकृत विकास के साधन के रूप में वनों को उपयोगी बनाना।

आयोजना क्षेत्र के लिए प्रबन्धन के उद्देश्यों के निर्धारण हेतु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्य आयोजना क्षेत्र की संरचना, संनिधि की स्थिति तथा इन्हें प्रभावित करने वाले वृहद एवं स्थानीय कारकों की है। भोपाल जिला वन क्षेत्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण जिला है जिसका 16.18 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निवासी विभिन्न रूप से वन एवं वानिकी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं। भौगोलिक रूप से भी भोपाल जिले की स्थिति अत्यन्त रोचक है, जो यह गुना, सागर, एवं रायसेन जिले के साथ सीमा बनाता है। स्वभाविक है कि इन जिलों के निवासियों व उनकी गतिविधियों का भी भोपाल वनमण्डल के वन क्षेत्रों पर प्रभाव रहेगा। इसके अलावा वनों के प्रबन्धन को निर्धारित करने में प्रचलित वन नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो

समसामयिक विचारों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी जाती हैं। कई स्थानीय कारक भी हैं जो प्रबन्धन के उद्देश्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इन विभिन्न कारकों का निम्नानुसार वर्गीकरण कर विवेचना की गई है –

अ) वनों की स्थिति

ब) जन की स्थिति

स) पशुधन की स्थिति

13.1.1.1 वनों की स्थिति :–

वर्तमान में भोपाल वनमण्डल की कार्य आयोजना में सम्मिलित डिजिटाइड क्षेत्रफल 45245.13 हे. है **इसमें से वनग्राम, डी. आर.डी.ओ. एवं एन.टी.आर.ओ. को प्रदाय क्षेत्र को प्रबंधन में शामिल नहीं किया गया है।** संनिधि का विवरण तालिका 13.1 अनुसार है –

तालिका क्र. – 13.1

संनिधि के आधार पर वनों का विवरण (डिज़िटाइज़्ड क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

संनिधि प्रकार	वनप्रकार	परिक्षेत्र/वैधानिक स्थिति/कक्ष संख्या									महायोग	प्रतिशत
		बैरसिया			नजीराबाद			समर्धा				
		आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग	आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग	आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग		
		42	42	**84**	47	29	**76**	40	31	**71**	**231**	
सघन वन (0.4 से अधिक)	सागौन	2283.455	1175.027	**3458.48**	3274.89	1305.766	**4580.66**	1557.53	0	**1557.53**	**9596.67**	**21.21%**
	मिश्रति	1479.461	127.689	**1607.15**	334.77	315.556	**650.33**	2096.52	636.62	**2733.14**	**4990.62**	**11.03%**
	योग	**3762.92**	**1302.72**	**5065.63**	**3609.66**	**1621.32**	**5230.98**	**3654.04**	**636.62**	**4290.66**	**14587.27**	**32.24%**
विरल वन (0.2 से 0.4 तक)	सागौन	1203.731	523.9	**1727.63**	2808.224	1202.718	**4010.94**	1144.18	74.97	**1219.15**	**6957.72**	**15.38%**
	मिश्रति	2038.123	1092.622	**3130.75**	124.517	155.171	**279.69**	2915.87	4629.92	**7545.79**	**10956.23**	**24.22%**
	योग	**3241.85**	**1616.52**	**4858.38**	**2932.74**	**1357.89**	**4290.63**	**4060.06**	**4704.89**	**8764.95**	**17913.96**	**39.59%**
झाड़ी वन (0.1 तक)		317.553	264.233	**581.79**	682.487	456.919	**1139.41**	251.44	249.95	**501.39**	**2222.59**	**4.91%**
DRDO क्षेत्र		0	0	**0**	0	0	**0**	597.21	0.98	**598.19**	**598.19**	**1.32%**
NTRO क्षेत्र		0	0	**0**	0	0	**0**	0	133.67	**133.67**	**133.67**	**0.30%**
डूब क्षेत्र		38.251	0.719	**38.97**	0	14.329	**14.33**	129.76	3.64	**133.40**	**186.70**	**0.41%**
वनग्राम		384.602	0	**384.6**	2213.681	0	**2213.68**	972.15	0	**972.15**	**3570.43**	**7.89%**
अतिक्रमण		1729.263	634.598	**2363.86**	1953.292	733.72	**2687.01**	652.24	329.21	**981.45**	**6032.32**	**13.33%**
महायोग		**9474.44**	**3818.79**	**13293.23**	**11391.86**	**4184.18**	**15576.04**	**10316.91**	**6058.96**	**16375.87**	**45245.14**	
प्रतिशत		**20.94%**	**8.44%**	**29.38%**	**25.18%**	**9.25%**	**34.43%**	**22.80%**	**13.39%**	**36.19%**		

तालिका क्रमांक–13.2
परिक्षेत्रवार, ढलानवार वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)

ढलान	परिक्षेत्र			महायोग	प्रतिशत
	बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा		
कक्ष संख्या	**84**	**76**	**71**	**231**	
<10°	10400.81	12289.82	14223.90	**36914.53**	**81.59%**
10° TO 30°	2395.58	2631.26	1703.30	**6730.14**	**14.87%**
30° TO 40°	324.27	374.33	282.31	**980.91**	**2.17%**
>40°	172.57	280.62	166.36	**619.55**	**1.37%**
महायोग	**13293.23**	**15576.04**	**16375.87**	**45245.13**	

नोट :– उपरोक्त क्षेत्र में वनग्राम, डी.आर.डी.ओं. एवं एन.टी.आर.ओ. को प्रदाय क्षेत्र भी सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक–13.3
परिक्षेत्रवार रिक्त वन (झाड़ीवन) क्षेत्र (हेक्टेयर में)

संनिधि प्रकार	परिक्षेत्र / वैधानिक स्थिति										प्रतिशत
	बैरसिया			नजीराबाद			समर्धा			महायोग	
	आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग	आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग	आरक्षित वन	संरक्षित वन	**योग**		
BL_1	204.68	92.89	297.56	377.71	185.80	563.52	36.04	176.38	**212.42**	**1073.50**	**48.30**
BL_2	112.88	130.73	243.61	299.52	271.11	570.63	180.86	75.06	**255.93**	**1070.17**	**48.15**
BL_3	0.00	40.62	40.62	5.26	0.00	5.26	33.04	0.00	**33.04**	**78.92**	**3.55**
BL_4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल रिक्ति क्षेत्र	**317.55**	**264.23**	**581.79**	**682.49**	**456.92**	**1139.41**	**249.95**	**251.44**	**501.39**	**2222.58**	**100.00**

तालिका क्रमांक– 13.4
म.प्र. स्थलगुण श्रेणीवार, सघन एवं विरल वनों में वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)

संनिधि प्रकार	वन प्रकार	म.प्र. स्थलगुण श्रेणी				योग	प्रतिशत
		IVa	**IVb**	**Va**	**Vb**		
सघन वन	सागौन	636.29	641.27	5471.65	2847.45	**9596.67**	**29.31%**
	मिश्रति	47.8	501.31	1970.75	2710.63	**5230.49**	**15.98%**
	योग	**684.1**	**1142.58**	**7442.41**	**5558.08**	**14827.16**	**45.29%**
सघन वन	सागौन	0	12.13	647.02	6298.58	**6957.73**	**21.25%**
	मिश्रति	0	98.7	90.24	10767.29	**10956.23**	**33.46%**
	योग	**0**	**110.83**	**737.25**	**17065.87**	**17913.95**	**54.71%**
महायोग		**684.1**	**1253.41**	**8179.66**	**22623.95**	**32741.11**	
प्रतिशत		**2.09%**	**3.83%**	**24.98%**	**69.10%**		

तालिका क्रमांक– 13.5
परिक्षेत्रवार वनक्षेत्र में अतिक्रमण (हेक्टेयर में)

परिक्षेत्र	वनक्षेत्र	अतिक्रमण	अतिक्रमण प्रतिशत
बैरसिया	13293.23	2363.86	**17.78%**
नजीराबाद	15576.04	2687.01	**17.25%**
समर्धा	16375.87	981.45	**5.99%**
महायोग	**45245.13**	**6032.32**	**13.33%**

तालिका क्रमांक– 13.6
परिक्षेत्रवार सघन वनक्षेत्र में आयुवर्गवार वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)

आयुवर्ग	वन प्रकार	बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा	योग	प्रतिशत
परिपक्व	सागौन	0	0	0	**0**	**0.00%**
	मिश्रति	0	0	0	**0**	**0.00%**
	योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
मध्यक्रम	सागौन	32.06	225.5	62.61	**320.17**	**2.19%**
	मिश्रति	0	115.78	682.53	**798.31**	**5.47%**
	योग	**32.06**	**341.28**	**745.14**	**1118.48**	**7.67%**
युवा	सागौन	3426.42	4355.16	1494.92	**9276.50**	**63.59%**
	मिश्रति	1607.15	534.54	2050.61	**4192.30**	**28.74%**
	योग	**5033.57**	**4889.7**	**3545.52**	**13468.80**	**92.33%**
महायोग		**5065.63**	**5230.98**	**4290.67**	**14587.28**	
प्रतिशत		**34.73%**	**35.86%**	**29.41%**		

तालिका क्रमांक– 13.7
परिक्षेत्रवार विरल वनक्षेत्र में वनप्रकारवार वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)

संनिधि प्रकार	वन प्रकार	बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा	महायोग
US1	सागौन	107.13	0	36.76	**143.89**
	मिश्रित	3.21	0	509.26	**512.47**
	योग :–	**110.34**	**0**	**546.02**	**656.36**
US2	सागौन	1620.5	4010.94	1182.39	**6813.83**
	मिश्रित	3127.53	279.69	6816.06	**10223.28**
	योग :–	**4748.03**	**4290.63**	**7998.45**	**17037.11**
US3	सागौन	0	0	0	**0.00**
	मिश्रित	0	0	157.93	**157.93**
	योग :–	**0**	**0**	**157.93**	**157.93**
US4	सागौन	0	0	0	**0.00**
	मिश्रित	0	0	62.55	**62.55**
	योग :–	**0**	**0**	**62.55**	**62.55**
विरल वन महायोग		**4858.38**	**4290.63**	**8764.95**	**17913.95**

a. तालिका 13.5 के अनुसार भोपाल वनमण्डल में अतिक्रमण कार्य आयोजना क्षेत्र का 13.33 प्रतिशत है।

b. भोपाल वनमण्डल में 22623.95 हैक्टेयर क्षेत्र Vb स्थल गुणवत्ता श्रेणी का है अर्थात् वनमण्डल के सघन एवं विरल वनक्षेत्रों का 69.10 प्रतिशत भाग Vb स्थल गुणवत्ता श्रेणी का है।

c. भोपाल वनमण्डल के सघन वन क्षेत्रों में 13468.80 हैक्टेयर लगभग 92.33 प्रतिशत क्षेत्र युवा आयु वर्ग के वनों का है अर्थात् वनमण्डल के सघन वन क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग के वनों की बहुलता है।

d. भोपाल वनमण्डल में प्रति हैक्टेयर औसत वृक्ष संख्या 352 एवं आयतन 13.70 घ.मी. है, जो बहुत अल्प है। वनमण्डल में प्रति हैक्टेयर पुनरुत्पादन 1407 है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वनों की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है तथा संनिधि ह्रास सतत् रूप से जारी है तथा अच्छे वनक्षेत्र विरल एवं रिक्त वनों में बदलते जा रहे हैं। वनों के इस स्थिति में पहुँचने का प्रमुख कारण वनों पर बढ़ता जैविक दबाव तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों का अनियंत्रित दोहन है। यह सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीणों की वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए तथा वनों का प्रबन्धन सतत् पोषणीय (Sustainable management) रूप में होना चाहिए जिससे स्थानीय ग्रामीणों की मांग की निरन्तर आपूर्ति वनों को क्षति पहुँचाये बिना की जा सके।

13.1.2 प्रबन्धन के मुख्य उद्देश्यः– इस प्रकार वन प्रबन्ध के उद्देश्य निर्धारित करने हेतु वन, जन, पशुधन एवं वन नीतियाँ, चार प्रमुख आधार स्तम्भ हैं। वनमण्डल के वन मुख्यतः कॉपिस देने वाली प्रजातियों के वन हैं जिस कारण अत्यधिक जैविक दबाव के कारण वनों की सघनता में कमी आने के बावजूद भी वन क्षेत्रों में जड़ भण्डार आज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस उपलब्ध जड़ भण्डार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने से बिगड़े वनों को पुनः अच्छे वनों के रूप में विकसित किया जा सकता है। वनमण्डल के वनों के इसी गुण के कारण इन वनों में वन नीतियों के उद्देश्यों की काफी सीमा तक पूर्ति करने की क्षमता है। आवश्यकता इस बात की है कि वन प्रबन्धन को प्रभावित करने वाले चारों आधार स्तम्भों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर वन प्रबन्धन की योजना तैयार की जाये तथा कुशल क्रियान्वयन के साथ वन नीतियों के उद्देश्यों को पूरा किया जाये। सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर भोपाल वनमण्डल के वन प्रबन्धन हेतु मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं–

13.1.2.1 वनमण्डल के वन क्षेत्रों के ह्रास को रोकने हेतु उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान करनाः कार्य आयोजना में प्रस्तावित प्रावधानों में इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि वनमण्डल के वनक्षेत्रों को अग्नि, अवैध कटाई, अनियंत्रित चराई एवं अवैध उत्खनन से समुचित सुरक्षा प्राप्त हो सके ताकि पर्यावरणीय स्थायित्व, संतुलन एवं जैव विविधता को बनाये रखा जा सके।

13.1.2.2 अच्छे वनों का सुधार कर उन्हें उच्च गुणवत्ता स्तर का बनाये रखना : उत्तम वन क्षेत्रों को सुधार उपचार के माध्यम से उच्च गुणवत्ता स्तर का बनाये रखने हेतु प्रयास करने से इन वनों से सततपोषणीय (ैनेजंपदंइसम) रूप से छोटी इमारती काष्ठ की पूर्ति की जा सकेगी। इन वनक्षेत्रों में ही लघुवनोपज सर्वाधिक रूप से विद्यमान रहती है जिनकी गुणवत्ता बनी रहने से लघु वनोपज की उत्पादकता भी सदैव बनी रहेगी।

13.1.2.3 बिगड़े वनों एवं रिक्त वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित कर अनुकूलतम उत्पादकता स्तर प्राप्त करना : जो वन क्षेत्र बिगड़े एवं रिक्त वनों में परिवर्तित हो गए हैं तथा जिनमें अभी भी जड़ भण्डार मौजूद है उन्हें उचित उपचार के माध्यम से अच्छे वनों के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह लक्ष्य हासिल कर स्थानीय ग्रामीणों की विभिन्न वनोपज की मांग की आपूर्ति की जा सकेगी।

13.1.2.4 स्थानीय समुदाय की इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी तथा चारे की माँग की आपूर्ति करना :भोपाल जिले में स्थानीय समुदाय की वनों पर मुख्यतः जलाऊ लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी तथा चारे हेतु निर्भरता एवं दबाव रहता हैं। वनों के विकास एवं अच्छे स्तर को बनाये रखने हेतु ग्रामीणों की इन माँगों की वैध तरीके से आपूर्ति आवश्यक है। अतः वन प्रबन्धन की व्यवस्था में इन वनोपजों की माँग की आपूर्ति सहज तरीके से सतत रूप से प्राप्त करने की प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।

13.1.2.5 वनभूमि पर अतिक्रमण को हतोत्साहित कर अतिक्रमित क्षेत्र को पुनः वनीकरण के अन्तर्गत लाना : भोपाल जिले में वनभूमि पर अतिक्रमण के

बढ़ते स्वरूप को देखते हुए इसे अतिशीघ्र हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः इस प्रकार के प्रावधान रखे जायेंगे ताकि वन भूमि पर अतिक्रमण हतोत्साहित हो तथा जो वनभूमि अतिक्रमित हुई है उसे पुनः वनीकरण के अन्तर्गत लाया जाये।

13.1.2.6 वनों में लघु वनोपज की उत्पादकता को बढ़ाना : भोपाल वनमण्डल के वन क्षेत्रों में लघु वनोपज की बहुतायत है किन्तु अज्ञानतावश तथा अधिक उपज के लालच में इनका अनियंत्रित दोहन किया जाता है। अतः वन प्रबन्धन में ऐसी व्यवस्था रखी जानी चाहिए जिसमें लघु वनोपज की उत्पादकता बढ़ने के साथ–साथ यह सतत रूप से बनी भी रहे।

13.1.2.7 वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्यप्राणी आवास संरक्षण एवं सुधार करना : भोपाल जिले के वनक्षेत्र अच्छे वनों के कारण वन्यप्राणियों हेतु सदियों से प्रसिद्ध रहे हैं। वनों के प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण अंग वन्य प्राणी प्रबन्धन होता है जो एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छे वन प्रबन्धन के लिए उतना ही अच्छा वन्य प्राणी प्रबन्धन होना नितान्त आवश्यक है। वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों की स्थिति उस वन क्षेत्र के स्वास्थ्य की स्थिति का सीधा प्रमाण एवं सूचक होता है। अतः वनों के प्रबन्धन में वन्यप्राणी प्रबन्धन के प्रावधानों को उचित प्राथमिकता दी जाना एक प्राथमिकता है।

13.1.2.8 वनमण्डल में स्थित प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने एवं जलस्त्रोतों को मिट्टी/रेत का जमाव (Siltation) से बचाने हेतु जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में भू एवं जल संरक्षण कार्य करना : भोपाल जिले के वन क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ने के कारण जलग्रहण क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रमुख नाले एवं छोटी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों का भी बहुत बड़ा भाग वन क्षेत्र है, जिनकी स्थिति बिगड़ने से भूमि कटाव बढ़ता है तथा जलस्त्रोतों में मिट्टी/रेत का जमाव (Siltation) होता है। अतः वन प्रबन्धन में इस प्रकार के उपचार रखे जायेंगे जिससे कि जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण हो सके। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता है, उनके लिए विस्तृत प्रावधान किये जायेंगे।

13.1.2.9 स्थानीय ग्रामीण जनता का वनों के संरक्षण में सहयोग प्राप्त करना : म.प्र. राज्य द्वारा वनों के प्रबन्धन में संयुक्त वन प्रबन्धन की आवश्यकता को अंगीकार किया है अतः स्वाभाविक है कि वन प्रबन्धन की व्यवस्थाओं में यह प्रतिबिम्बित भी हो जिसके लिए भोपाल जिले में वनों के प्रबन्धन में स्थानीय ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी।

13.1.3 भावी प्रबंधन के उद्देश्य :–

वन नीति के मुख्य प्रावधानों एवं वनों के स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है भावी प्रबंधन को निम्न विशेष उद्देश्य नियंत्रित करते हैं–

(1) उपलब्ध वनों का रखरखाव –

(अ) वन खंडों की सीमाओं, आंतरिक सीमांकन लाइनों एवं मुनारों का रखरखाव।

(ब) अतिक्रमण के विस्तार की रोकथाम उनका सर्वेक्षण, व्यवस्थापन तथा शासन नीति के अनुसार उन्हें हटाना।

(स) पट्टे वाली भूमि का सीमांकन एवं उसका व्यवस्थापन।

(2) वनों के विनाश को रोकने के लिए कड़े प्रावधान–

(अ) अग्नि से सुरक्षा, चराई, अवैध कटाई या अनियंत्रित कटाई एवं उनके सुधार के लिए पुनः स्थापन कार्य भू–क्षरण रोकने के कार्य एवं वनीकरण।

(ब) अति तीव्र ढाल एवं तीव्र ढालों में वन आच्छादन का संरक्षण एवं सुरक्षा।

(स) **संनिधि एवं उत्पादकता में सुधार–** इस उद्देश्य के लिए चराई, अग्नि एवं अवैध कटाई से सुरक्षा, विकृत एवं अकामी प्ररोहों की कटाई कृत्रिम साधनों द्वारा मौजूद शस्य की क्षति में सुधार।

(3) **वनोपज की स्थानीय मांग की पूर्ति–**

इसके लिए उपयुक्त स्थलों पर पर्याप्त निस्तार डिपो खोलकर एवं उनमें छोटी इमारती काष्ठ, जलाऊ एवं बांस की नजदीकी स्थलों से पूर्ति।

(4) **चारा पूर्ति–**

स्थानीय माँग की चराई पूर्ति के लिए घास एवं चारागाह, घास बीड़ द्वारा सुधार।

(5) **वनोपज पूर्ति–**

इमारती काष्ठ, जलाऊ एवं अन्य वनोपज की मात्रा को सतत् रूप से बनाये रखना।

(6) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए वार्षिक प्राप्ति/उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियों में एकरूपता लाना।

13.2 अपनाई जाने वाली उपचार पद्धतियांः–

कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों के प्रबन्धन हेतु उपचार पद्धति निर्धारित करने के पहले हितधारकों की आवश्यकताओं एवं उसकी संवहनीय पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधन एवं परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन करना आवश्यक है। वन सस्य के पोषणीय प्रबंधन के लिये पारिस्थितिकीय एवं वन वर्धनिक आवश्यकताओं के विषय में विवरण संबधित कार्यवृत्त के अध्यायों में उल्लेखित किया जा रहा है। कार्य आयोजना में प्रावधानित विभिन्न कार्यवृत्तों में कार्य करने हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट क्रमांक–69 में दिये गये हैं।

13.3 कार्यवृत्तों का गठन :–

- **कार्य आयोजना में सम्मिलित क्षेत्र –**

वनमण्डल के मान्य डिजिटाइज्ड क्षेत्रफल को प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए कार्य आयोजना में सम्मिलित किया गया है, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–13.8

वैधानिक स्थिति वार कार्य आयोजना क्षेत्र एवं प्रबंधन में सम्मिलित वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)

वैधानिक स्थिति	कुल कार्य आयोजना क्षेत्र (डिजिटाइज्ड) क्षेत्रफल हैक्टेयर	वन ग्राम में शामिल	NTRO को प्रदाय क्षेत्र	DRDO को प्रदाय क्षेत्र	प्रबंधन में शामिल क्षेत्र
आरक्षित वन	31183.21	3570.43	0.00	597.21	27015.56
संरक्षित वन	14061.92	0.00	133.67	0.98	13927.28
महायोग	**45245.13**	**3570.43**	**133.67**	**598.20**	**40942.84**

13.3.1 पूर्व कार्य आयोजना एवं प्रस्तावित कार्य आयोजना में कार्य वृत्तवार सम्मिलित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–13.9

पूर्व कार्य आयोजना एवं प्रस्तावित कार्य आयोजना में कार्य वृत्तवार सम्मिलित क्षेत्र

क्र.	कार्यवृत्त	प्रस्तावित कार्य आयोजना में				पूर्व कार्य आयोजना में				
		उपचार श्रेणियों की संख्या	कक्ष संख्या	कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र (हे.)	कुल क्षेत्रफल प्रतिशत का प्रतिशत	उपचार श्रेणियों की संख्या	कक्ष संख्या	शामिल वनक्षेत्र (हे.)	कुल क्षेत्रफल प्रतिशत का प्रतिशत	पूर्व कार्य आयोजना में यह कार्यवृत्त था या नहीं
1	सुधार कार्यवृत्त	15	82	16584.94	36.66%	9	73	16179.95	36.96%	हां
2	बिगड़े वनों का सुधार	41	105	18218.67	40.27%	36	101	19587.83	44.74%	हां
3	वृक्षारोपण	20	44	6139.23	13.57%	20	50	4225.73	9.65%	हां
	अनावंटित क्षेत्र	-	-	4302.29	9.516%	—	—	3788.95	8.65%	हां
योग		**76**	**231**	**45245.13**	**100.00%**		**224**	43782.46		

प्रबन्धन के उद्देश्यों के निर्धारण के उपरांत इनकी प्राप्ति हेतु उचित प्रबन्धन प्रणाली का निर्धारण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। भोपाल वनमण्डल में संनिधि की स्थिति को देखते हुए प्रबन्धन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित कार्यवृत्तों का विवरण उपरोक्त तालिका अनुसार है।

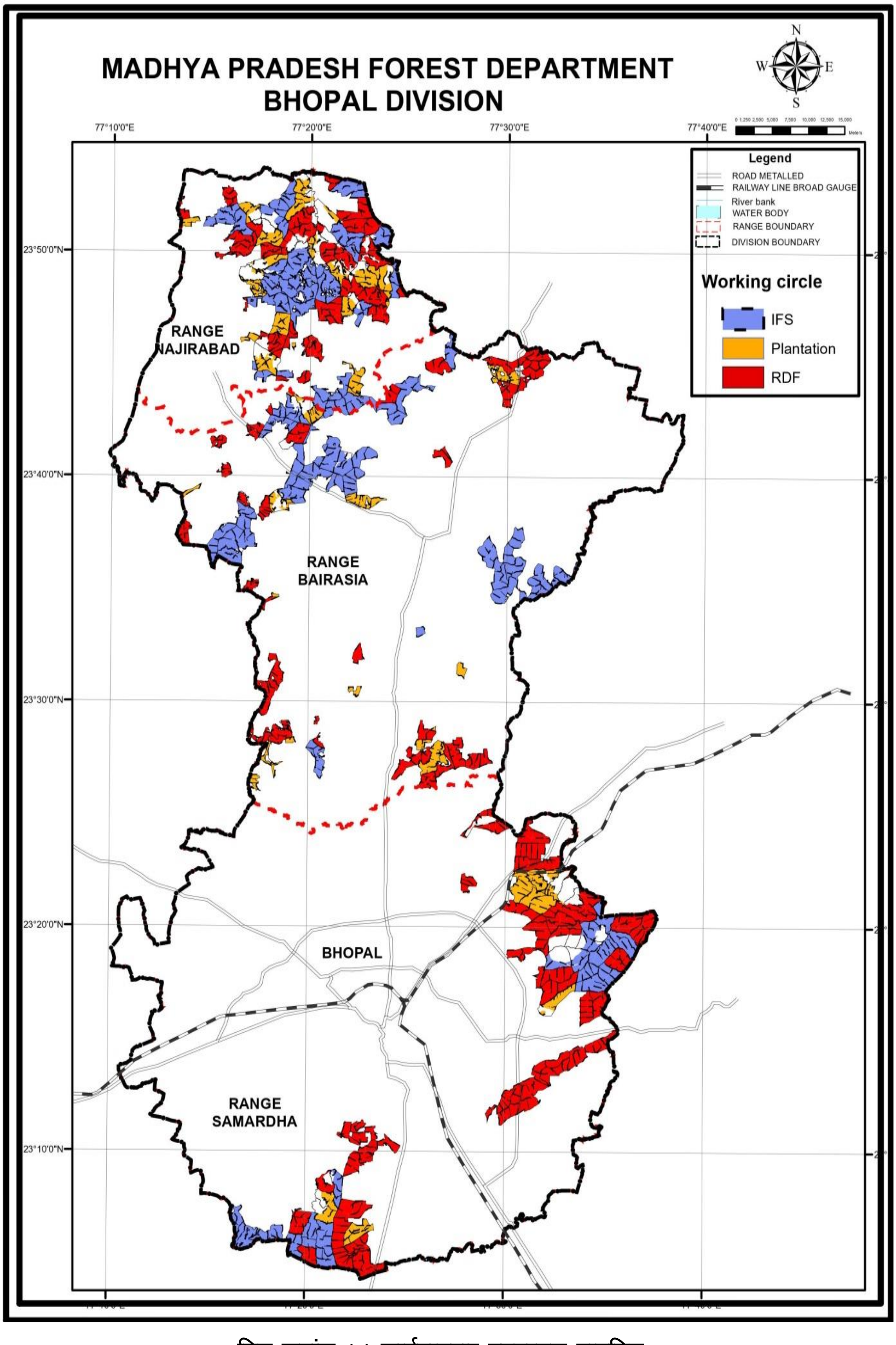

चित्र क्रमांक 1.1 कार्यवृत्तवार वनमण्डल मानचित्र

तालिका क्र. – 13.10

कार्यवृत्तों का विवरण

क्र.	प्रस्तावित कार्यवृत्त	कक्ष संख्या	उपचार श्रेणियों की संख्या	पातन या उपचार चक्र (वर्ष)	कुल कूपों की संख्या	कार्यवृत्त सम्मिलित वनक्षेत्र (हे.)	कार्यवृत्त में सम्मिलित क्षेत्रफल प्रतिशत	पूर्व कार्य आयोजना में यह कार्यवृत्त था या नहीं
1	सुधार कार्यवृत्त	82	15	20	300	16584.94	36.66%	हां
2	बिगड़े वनों का सुधार	105	41	10	410	18218.67	40.27%	हां
3	वृक्षारोपण	44	20	10	200	6139.23	13.57%	हां
अकार्य क्षेत्र (वनग्राम, डी.आर. डी. ओ. एवं एन. टी. आर. ओ. को प्रदाय क्षेत्र)		-	-	-	-	4302.29	9.51%	-
	योग	**231**	**76**		**910**	**45245.13**	**100.00%**	

13.3.2 उपरोक्त मुख्य प्रबंधन वृत्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार प्रबंधन वृत्त एवं अध्याय भी गठित किये गये हैं:–

1. बाघ विचरण क्षेत्र में प्रबंधन (परस्परव्यापी)।
2. वन सुरक्षा (परस्परव्यापी)।
3. संयुक्त वन प्रबंधन (परस्परव्यापी)।
4. जैवविविधता संरक्षण (परस्परव्यापी) प्रबंधन वृत्त।
5. वन्यप्राणी संरक्षण (परस्परव्यापी) प्रबंधन वृत्त।
6. अकाष्ठीय वनोपज (परस्परव्यापी) प्रबंधन वृत्त।
7. वन विस्तार सामाजिक वानिकी।
8. ईको पर्यटन।
9. पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं।
10. सामाजिक आर्थिक लाभ।
11. कौशल विकास कार्यक्रम।
12. अधोसंरचना विकास।
13. नवाचार।
14. विविध नियम (वन आधारित कुटीर उद्योग, आपदा प्रबंधन, मृदा इत्यादि)

13.4 कार्य आयोजना की अवधि – भोपाल वनमण्डल की पुनरीक्षित की गई इस कार्य आयोजना की प्रस्तावित अवधि 2021–22 से 2030–31 तक रहेगी।

13.5 मध्यावधि समीक्षा:–

प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में कार्य आयोजना की मध्यावधि समीक्षा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्र./प्र.मु.व.सं./का.आ./मा.चि./847 भोपाल दिनांक 28.09.2013

में दिये निर्देश एवं संलग्न प्रपत्रों के अनुसार की गई। विगत कार्य आयोजना में प्रस्तावित प्रबंधन वृत्तों का क्रियान्वयन– भोपाल वनमण्डल में तीन प्रबंधन वृत्त क्रमशः सुधार पातन प्रबंधन वृत्त, पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त एवं वृक्षारोपण प्रबंधन वृत्त प्रस्तावित किये गये थे। भोपाल से जानकारी के अनुसार कार्य आयोजना में प्रस्तावित किये गये प्रबंधन वृत्तों के निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रगति की प्रबंधन वृत्तवार जानकारी निम्नानुसार है।

- वनमण्डल की कार्य आयोजना लागू हुये 6 वर्ष पूर्ण होने तक सुधार पातन प्रबंधन वृत्त में प्रस्तावित क्षेत्र 3576.219 हे. में उपचार किया चुका है। पुनस्थापना प्रबंधन वृत्त में प्रस्तावित क्षेत्र 9615.760 हे. क्षेत्र में उपचार किया गया है एवं वृक्षारोपण प्रबंधन वृत्त में प्रस्तावित 2097.487 हे. क्षेत्र में उपचार किया गया है। कार्य आयोजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्यवृत्त में किये गये कार्य का विवरण तालिका क्रमांक–13.11 में दिया गया है।

तालिका क्रमांक–13.11
कार्य आयोजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार
कार्यवृत्त में किये गये कार्य का विवरण

प्रपत्र –1

क्र	कार्य वृत्त का नाम	वनिकी वर्ष	कार्य आयोजना अनुसार (लक्ष्य)		प्रगति/उपलब्धता	
			कूप क्रमांक	प्रस्तावित कार्य क्षेत्र का रकबा (हे.मे.)	कूप क्रमांक	किये गये कार्य क्षेत्र का रकबा (हे.में.)
1	सुधार प्रबंधन वृत्त	2009-10 2010-11	I,II	1332.435	I,II	1332.435
		20011-12	III	797.542	III	797.542
		2012-13	IV	718.289	IV	718.289
		2013-14	V	727.953	V	727.953
			योग	**3576.219**		**3576.219**
2	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	2009-10 2010-11	I,II	3849.850	I,II	3849.850
		20011-12	III	1932.590	III	1932.590
		2012-13	IV	1918.570	IV	1918.570
		2013-14	V	1914.750	V	1914.750
			योग	**9615.760**		**9615.760**
2	पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त	2009-10 2010-11	I,II	842.387	I,II	842.387
		20011-12	III	416.420	III	416.420
		2012-13	IV	417.650	IV	417.650
		2013-14	V	421.030	V	421.030
			योग	**2097.487**		**2097.487**

13.5.1 निष्कर्ष :–

1. **सुधार प्रबंधन वृत्त–** सुधार प्रबंधन वृत्त में मध्यावधि हेतु 3576.219 हे० क्षेत्र प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध 3576.219 हे० क्षेत्र में कार्य किया गया है। इस प्रबंधन वृत्त में पूरे क्षेत्र में उपचार कार्य किया गया।
2. **पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त–** पुर्नस्थापना प्रबंधन वृत्त में मध्यावधि हेतु 9615. 760 हे. क्षेत्र प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध 9615.760 हे. क्षेत्र में कार्य किया गया है। इस प्रबंधन वृत्त में पूरे क्षेत्र में उपचार कार्य किया गया।
3. **वृक्षारोपण प्रबंधन वृत्त**– इस प्रबंधन वृत्त में मध्यावधि हेतु 2097.487 हे० क्षेत्र प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध 2097.487 हे0 क्षेत्र में कार्य किया गया है। इस प्रबंधन वृत्त में पूरे क्षेत्र में उपचार कार्य किया गया।

13.5.2 मध्यावधि सुधार– कार्य आयोजना में मध्यावधि सुधार की आवश्यकता नहीं हैं। कार्य आयोजना के अनुकूल परिणाम प्राप्त हुये है।

****

अध्याय – 14
(Improvement Working Circle)
सुधार कार्यवृत्त

14.1 कार्यवृत्त का सामान्य गठन –

भोपाल वनमण्डल में वन क्षेत्र का 32.24 प्रतिशत क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित है जिसमें उपलब्ध वनस्पति के सुधार एवं विकास हेतु कुल 16584.94 हैक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित कर सुधार प्रबन्धन कार्यवृत्त का गठन किया गया है। कार्यवृत्त के अन्तर्गत वन क्षेत्र में सस्य के सुधार हेतु वन वर्द्धनिक कार्य किए जायेंगे जिससे महत्वपूर्ण प्रजातियों की युवा एवं मध्यम आयु की पौध को बढ़ावा मिल सके तथा पुनरुत्पादन को स्थापित एवं विकसित होने में सहायता प्रदान हो। वनों की स्थिति में सुधार होने से भविष्य में स्थानीय निवासियों की वनोपज की मांग की पूर्ति एवं अकाष्ठीय वनोपज की उपलब्धता से रोजगार सृजन हेतु संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

- **उद्देश्य** – सुधार कार्यवृत्त के अन्तर्गत प्रबन्धन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

1. वर्तमान सस्य को सुधारात्मक उपचार देते हुये सतत् पोषणीय उत्पादन योग्य बनाना।
2. वनों को संरक्षण दिया जाकर सस्य में विकृति को दूर किया जाकर वनों का उत्पादक बनाना।
3. स्थानीय समुदायों की जलाऊ एवं अकाष्ठीय वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
4. सस्य में समस्त गोलाई वर्ग में वृक्षों का समुचित अनुपात बनाये रखते हुये सामान्य वन में परिवर्तित करना।
5. पुनरुत्पादन की स्थिति में सुधार के लिये बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न करना।
6. जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

14.2 आधार –

1. इस कार्यवृत्त में उन कक्षों को सम्मिलित किया गया है, जिनका सस्य घनत्व 0.4 से अधिक है तथा अधिकांश वृक्ष युवा एवं मध्यम आयु वर्ग के हैं एवं जिनका संनिधियुक्त क्षेत्र 50 प्रतिशत से अधिक है।
2. ऐसे कक्षों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पुनरुत्पादन की स्थिति अच्छी है।
3. ऐसे कक्षों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन क्षेत्र को पुनर्स्थापित किया जा सके।
4. कार्यवृत्त में शामिल कक्षों में 40 प्रतिशत से कम ढलान वाला क्षेत्र 70 प्रतिशत से अधिक है।

14.3 कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्रः–

चित्र 14.1 सुधार कार्यवृत्त

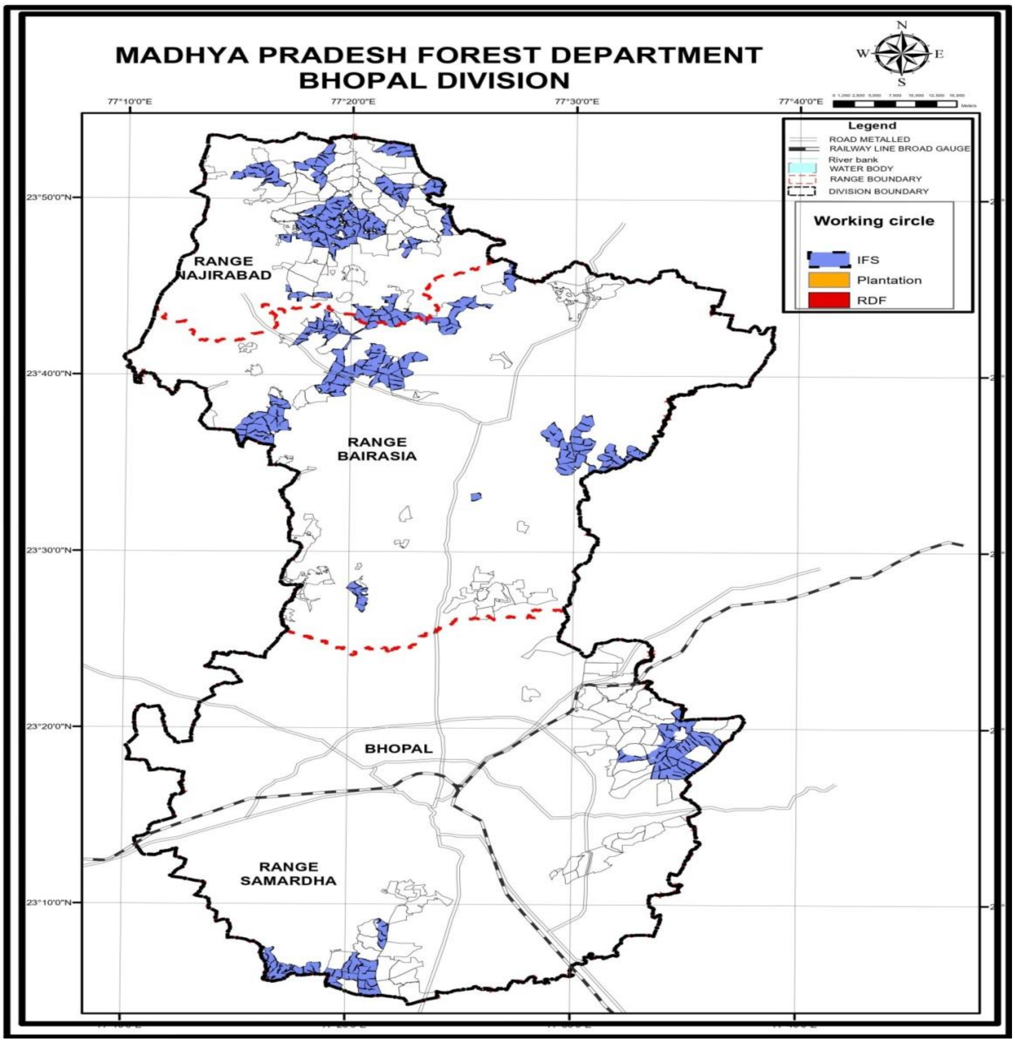

इस कार्यवृत्त में 82 कक्षों का कुल 16584.94 हैक्टेयर वनक्षेत्र सम्मिलित किया गया है, जो कार्य आयोजना में शामिल कुल क्षेत्र का 36.66 प्रतिशत है। इस कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र को संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टिकोण से 20 वर्ष के आवर्तन चक्र में 15 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

विगत कार्य आयोजना में विभिन्न कार्यवृत्तों में शामिल वनक्षेत्र को वर्तमान घनत्व, आयु, आयतन, मृदा का प्रकार/गहराई एवं ढलान आदि के आधार पर उपयुक्त पाये जाने के कारण इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत निम्नानुसार शामिल किया गया है–

तालिका क्रमांक–14.1

सुधार कार्यवृत्त में शामिल विगत कार्य योजना के विभिन्न कार्य वृत्तों का क्षेत्र (हे.)

विवरण	प्रचलित कार्य आयोजना का कार्यवृत्तवार क्षेत्र			
	सुधार	बिगड़े वनों का सुधार	वृक्षारोपण	योग
कक्ष संख्या	40	39	3	**82**
क्षेत्रफल	8962.82	7485.95	136.16	**16584.94**

14.3.1 परिक्षेत्रवार शामिल क्षेत्र :– सुधार कार्यवृत्त में कार्य आयोजना क्षेत्र का 16584.94 है. वन क्षेत्र शामिल किया गया है जिसका परिक्षेत्रवार विवरण तालिका क्रमांक 14.2 अनुसार है–

तालिका क्र. – 14.2

परिक्षेत्रवार वन क्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र	वैधानिक स्थिति	कक्ष संख्या	प्रबंधन में शामिल क्षेत्र
बैरसिया	आरक्षित वन	23	5354.46
	संरक्षित वन	13	1372.22
नजीराबाद	आरक्षित वन	18	3941.92
	संरक्षित वन	9	1878.32
समर्धा	आरक्षित वन	19	4038.02
	संरक्षित वन	-	-
Grand Total		**82**	**16584.94**

14.3.2 सस्य का सामान्य विवरण – इस कार्यवृत्त में शामिल किए गए सघन विरल रिक्त अतिक्रमण एवं अन्य वन क्षेत्र का परिक्षेत्र एवं घनत्ववार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 14.3

सुधार कार्यवृत्त में परिक्षेत्र वार, वन प्रकार वार, संनिधिवार वनक्षेत्र का विवरण (हेक्टेयर में)

संनिधि प्रकार	वन प्रकार	परिक्षेत्र / वैधानिक स्थिति/कक्ष संख्या									महायोग	प्रतिशत
		बैरसिया			नजीराबाद			समर्धा				
		आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग	आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग	आरक्षित वन	संरक्षित वन	योग		
		23	13	**36**	18	9	**27**	19	0	19	**82**	
सघन वन (0.4 से अधिक)	सागौन	2283.46	1037.04	**3320.49**	1766.44	893.00	**2659.44**	1189.04	0.00	**1189.04**	**7168.98**	43.23%
	मिश्रित	1315.06	78.65	**1393.71**	334.77	315.56	**650.33**	1733.33	0.00	**1733.33**	**3777.36**	22.78%
	योग	**3598.52**	**1115.69**	**4714.20**	**2101.21**	**1208.55**	**3309.77**	**2922.37**	**0.00**	**2922.37**	**10946.34**	**66.00%**
विरल वन(0.2 से 0.4 तक)	सागौन	565.38	12.98	**578.36**	893.31	318.22	**1211.53**	282.43	0.00	**282.43**	**2072.31**	12.50%
	मिश्रित	597.55	97.23	**694.77**	90.47	22.92	**113.39**	710.64	0.00	**710.64**	**1518.80**	9.16%
	योग	**1162.92**	**110.21**	**1273.13**	**983.78**	**341.14**	**1324.92**	**993.06**	**0.00**	**993.06**	**3591.11**	**21.65%**
झाड़ी वन (0.1 तक)		82.50	22.11	**104.61**	230.34	76.42	**306.76**	5.58	0.00	**5.58**	**416.95**	2.51%
डूब क्षेत्र		0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	11.90	0.00	**11.90**	**11.90**	0.07%
अतिक्रमण		510.52	124.22	**634.73**	626.58	252.21	**878.79**	105.10	0.00	**105.10**	**1618.63**	9.76%
महायोग		**5354.46**	**1372.22**	**6726.68**	**3941.92**	**1878.32**	**5820.24**	**4038.02**	**0.00**	**4038.02**	**16584.94**	
प्रतिशत		**32.29%**	**8.27%**	**40.56%**	**23.77%**	**11.33%**	**35.09%**	**24.35%**	**0.00%**	**24.35%**		

14.3.3 वन प्रकार –इस कार्यवृत्त में शामिल सागौन एवं मिश्रित वन क्षेत्रों का परिक्षेत्र एवं वन प्रकारवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 14.4

वन प्रकारवार वनों का विवरण

परिक्षेत्र/वैधानिक स्थिति		सागौन वन	मिश्रित वन	योग	प्रतिशत
बैरसिया	आरक्षित वन	2848.83	1912.60	4761.44	32.75%
	संरक्षित वन	1050.02	175.88	1225.90	8.43%
	योग	**3898.85**	**2088.48**	**5987.34**	**41.19%**
नजीराबाद	आरक्षित वन	2659.75	425.24	3084.99	21.22%
	संरक्षित वन	1211.22	338.47	1549.69	10.66%
	योग	**3870.97**	**763.72**	**4634.69**	**31.88%**
समर्धा	आरक्षित वन	1471.47	2443.96	3915.43	26.93%
	संरक्षित वन	0.00	0.00	0.00	0.00%
	योग	**1471.47**	**2443.96**	**3915.43**	**26.93%**
महायोग		**9241.29**	**5296.16**	**14537.46**	**100.00%**

14.3.4 स्थल गुणवत्ता – मध्य प्रदेश स्थल गुणवत्ता के आधार पर इस कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्र का वन प्रकार एवं स्थल गुणवत्तावार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 14.5

म.प्र. स्थलगुण श्रेणीवार वनों का विवरण

संनिधि प्रकार	वन प्रकार	म.प्र. स्थलगुण श्रेणी				योग	प्रतिशत
		IVa	**IVb**	**Va**	**Vb**		
सघन वन	सागौन	636.294	345.190	4366.511	1820.985	7168.98	49.31%
	मिश्रित	0.000	501.312	1806.067	1469.983	3777.36	25.98%
	योग	**636.29**	**846.50**	**6172.58**	**3290.97**	**10946.34**	**75.30%**
विरल वन	सागौन	0.000	0.000	210.471	1861.842	2072.31	14.25%
	मिश्रित	0.000	98.702	90.235	1329.865	1518.80	10.45%
	योग	**0.00**	**98.70**	**300.71**	**3191.71**	**3591.11**	**24.70%**
महायोग		**636.29**	**945.20**	**6473.28**	**6482.68**	**14537.46**	**100.00%**
प्रतिशत		**4.38%**	**6.50%**	**44.53%**	**44.59%**	**100.00%**	

14.3.5 आयु वर्ग – आयु वर्ग के आधार पर इस कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्र की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका क्र – 14.6

आयुवर्गवार वनक्षेत्र का विवरण

आयुवर्ग	वन प्रकार	बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा	योग
परिपक्व	सागौन	0.00	0.00	0.00	0.000
	मिश्रित	0.00	0.00	0.00	0.000
	योग	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
मध्यम	सागौन	0.00	186.38	62.61	248.989
	मिश्रित	0.00	115.78	536.03	651.811
	योग	**0.000**	**302.159**	**598.641**	**900.800**
युवा	सागौन	3320.49	2473.07	1126.43	6919.991
	मिश्रित	1393.71	534.54	1197.30	3125.551
	योग	**4714.204**	**3007.610**	**2323.729**	**10045.542**
महायोग		**4714.204**	**3309.769**	**2922.370**	**10946.342**

इस कार्यवृत्त में विभिन्न आयु वर्ग के वन क्षेत्र उपलब्ध हैं जिनमें अधिकांश युवा आयु वर्ग के वृक्ष हैं।

14.3.6 ढलानवार विवरण – कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्रों का ढलानवार विवरण तालिका क्रमांक 14.7 अनुसार है –

तालिका क्र. – 14.7

ढलानवार वनों का विवरण (क्षेत्रफल हे.)

ढलान	परिक्षेत्र			महायोग	प्रतिशत
	बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा		
कक्ष संख्या	**36**	**27**	**19**	**82**	
<10°	4730.33	4567.63	3836.79	**13134.75**	**75.40%**
10° TO 30°	1687.61	1168.47	562.01	**3418.09**	**19.62%**
30° TO 40°	282.94	196.69	62.35	**541.99**	**3.11%**
>40°	144.51	128.20	52.69	**325.40**	**1.87%**
महायोग	**6845.40**	**6060.99**	**4513.84**	**17420.23**	

नोटः- उपरोक्त क्षेत्र में वनग्राम एवं डी.आर.डी.ओं. को प्रदाय क्षेत्र भी सम्मिलित है।

सर्वाधिक वन क्षेत्र 10 प्रतिशत तक एवं 10 से 30 प्रतिशत तक के ढलान वर्ग का है अर्थात ज्यादातर वन क्षेत्र समतल एवं मध्यम ढाल वाली सतह का है।

14.4 सस्य की सामान्य विशेषताएं सस्य का विश्लेषण एवं पुनरुत्पादनः–

इस कार्यवृत्त के 123 ग्रिड बिन्दुओं में किये गये वन संसाधन सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पुनरुत्पादन प्रति हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया जा रहा है :–

तालिका क्रमांक–14.8
प्रजाति समूहवार पुनरुत्पादन की स्थिति का विवरण प्रति हे.

वैधानिक स्थिति	खंडक संख्या	सागौन	मिश्रित	योग
आरक्षित	98	529	755	1283
संरक्षित / असीमांकित संरक्षित वन	25	311	923	1234
औसत	**123**	**449**	**816**	**1266**

14.4.1 प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना की तुलना :–

प्रस्तावित कार्य आयोजना के कार्यवृत्तवार विभिन्न प्रजातियों के गोलाईवार प्रति हेक्टेयर वृक्ष संख्या का विवरण कार्य आयोजना की पुस्तक वन संसाधन सर्वेक्षण में परिशिष्ट क्रमांक –13 एवं कार्यवृत्तवार विभिन्न प्रजातियों के गोलाईवार प्रति हेक्टेयर आयतन (घ.मी.) का विवरण कार्य आयोजना की पुस्तक वन संसाधन सर्वेक्षण में परिशिष्ट क्रमांक –14 पर दिया गया है।

प्रचलित कार्य आयोजना में इस कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की तत्कालीन एवं वर्तमान संख्या एवं आयतन प्रति हेक्टेयर का तुलनात्मक विवरण, तथा पुनरीक्षित कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की वर्तमान संख्या एवं आयतन प्रति हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया गया है।

तालिका क्रमांक–14.9
प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना में वृक्षों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

वृक्षों की संख्या प्रति हेक्टेयर गोलाई वर्गवार (सेमी)										
वन प्रकार	**सागौन**					**मिश्रित**				
गोलाई वर्ग (सेमी)	**<60**	**61-120**	**>120**	**योग**	**प्रतिशत**	**<60**	**61-120**	**>120**	**योग**	**%**
प्रचलित कार्य आयोजना	**प्रचलित कार्य आयोजना में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।**									
पुनरीक्षित कार्य आयोजना	178	14	1	193	42.21%	241	20	3	264	57.77

तालिका क्रमांक–14.10
प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना में वृक्षों के आयतन का तुलनात्मक विवरण

वृक्षों का आयतन प्रति हेक्टेयर गोलाई वर्गवार (सेमी)										
वन प्रकार	सागौन					मिश्रित				
गोलाई वर्ग (सेमी)	<60	61-120	>120	योग	प्रतिशत	<60	61-120	>120	योग	%
प्रचलित कार्य आयोजना	प्रचलित कार्य आयोजना में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।									
पुनरीक्षित कार्य आयोजना	4.133	2.809	0.502	7.444	41.25	4.906	3.961	1.734	10.601	58.75

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में इस कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की संख्या सागौन वनों में 193 प्रति हेक्टेयर हो गई है, एवं आयतन 7.444 प्रति हेक्टेयर हो गया है। मिश्रित वनों में वृक्षों की संख्या 264 प्रति हेक्टेयर हो गई है, एवं आयतन 10.601 प्रति हेक्टेयर हो गया है। उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सागौन वनों में पुनरुत्पादन एवं वृद्धि, मिश्रित वनों की अपेक्षा कम है।

प्रजातिवार विस्तृत विवरण वन संसाधन सर्वेक्षण की पुस्तक में दिया गया है।

14.5 उपचार पद्धतिः–

इन वनों के उपचार का मुख्य लक्ष्य सस्य सघनता का संरक्षण एवं वृद्धि, सस्य की मिश्रित संरचना बनाए रखना एवं वनों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना, निम्न स्थल गुणवत्ता श्रेणी वनों के कारण वन क्षेत्रों की न्यून स्तर की उत्पादकता, बढ़ता जैविक दबाव एवं पुनरुत्पादन के अपर्याप्त स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिक पातन वाली वनवर्द्धनिक प्रणाली इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इन वनों के घनत्व, गुणवत्ता श्रेणी तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक पुनरुत्पादन को ध्यान में रखते हुए सुधार पद्यति के अन्तर्गत उपचार किया जायेगा। पातन सिर्फ सीमित मात्रा में एवं वनों के सुधार की दृष्टि से तथा सस्य की विकृति दूर करने हेतु मृत, मृतप्रायः, रोगग्रस्त एवं

विकृत वृक्षों को हटाकर किया जायेगा। जीवित वृक्ष तभी काटा जायेगा जब उसे काटने से सस्य के अन्य वृक्षों को लाभ पहुँच रहा हो। वन क्षेत्रों में जहाँ युवा सस्य आपस में गुंथ (Congestion) रही हो वहाँ प्रमुख प्रजातियों को प्रोत्साहन देने हेतु विरलन कार्य किया जायेगा ताकि प्रमुख प्रजातियों के वृक्षों को बढ़त हेतु पर्याप्त स्थान एवं पोषण प्राप्त हो सके। इस कार्यवृत्त में शामिल वन उत्तम सघन वन क्षेत्रों में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं अतः वनों का संरक्षण एवं पुनरुत्पादन को बढ़ावा देना सर्वोपरि लक्ष्य रहेगा। स्थूणक (Coppicer) प्रजातियों में से धावड़ा, सागौन तथा लेंडिया के 90 से. मी. तक गोलाई के जीवित ठूँठों की ठूँठ ड्रेसिंग की जायेगी। कार्यवृत्त में शामिल किए गए क्षेत्र में पुराने वृक्षारोपणों में विरलन एवं अन्य उपचार कार्य किए जायेंगे तथा विरल एवं रिक्त वन क्षेत्रों में कृत्रिम विधि से जैसे बीजारोपण/रूटशूट/पौधा रोपण द्वारा पुनर्स्थापना का कार्य किया जायेगा। वन्यप्राणियों के आवास स्थलों का संरक्षण किया जायेगा। कार्यवृत्त के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विगत वर्षों में कई प्रजातियों के रोपण किये गये हैं। इन रोपणों को उनकी आयु एवं प्रजाति के अनुसार उपचारित किया जाना आवश्यक है। ऐसे रोपण में मुख्य रूप से विरलन एवं अन्य रखरखाव कार्य किये जावेंगे। इस कार्यवृत्त के क्षेत्र में टुकड़ों–टुकड़ों में कई विरले वन हैं। ऐसे वन क्षेत्रों को कृत्रिम रूप से पुनरुत्पादित किया जाना आवश्यक है, जिससे वन क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जा सके। इन वनों के प्रबन्धन में वन समितियों की भागीदारी प्राप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

14.5.1 प्रजातियों की प्राथमिकता :– सुधार कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्रों में शासन आदेशानुसार पातन से प्रतिबंधित फलदार वृक्षों जैसे – आंवला, इमली, हर्रा, बहेड़ा, अचार, जामुन, बेल, कैथा, तेन्दू, खिरनी, लसोड़ा, कचनार, महुआ को रक्षित किया जायेगा। इनको पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा। धार्मिक आस्था से जुड़े वृक्ष यथा बरगद, पीपल एवं फाइकस प्रजाति आदि को पातन हेतु चिन्हांकन नहीं क यिा जायेगा। संकटापन्न प्रजातियॉ जैसे – खैर, कुल्लू, करधई, सलई, बीजा, तिन्सा, हल्दू एवं शीशम

को पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा प्ल्छ द्वारा समय–समय पर घोषित प्रजातियों का पातन नहीं किया जायेगा।

2.6 उपचार चक्र :– विगत कार्य आयोजना में सुधार कार्यवृत्त हेतु 20 वर्ष का उपचार चक्र निर्धारित था। इस कार्य आयोजना में भी निरन्तरता बनाये रखने की दृष्टि से तथा इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को यथासम्भव कम अवधि में उपचारित करने हेतु 20 वर्ष का उपचार चक्र निर्धारित किया जाता है।

2.7 उपचार श्रेणियों का निर्धारण :–

14.7.1 सुधार कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्र को 15 उपचार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 14.11

कार्यवृत्त में उपचार श्रेणियॉ

कमांक	उपचार श्रेणी	परिक्षेत्र	कक्ष संख्या	प्रबंधन में सम्मिलित क्षेत्र (हे.)
1	सिधौड़ा	नजीराबाद	5	1078.64
2	कीटगढ़–I	नजीराबाद	5	1162.54
3	कीटगढ़–II	नजीराबाद	5	1261.88
4	बम्होरी नाला	नजीराबाद	5	1170.46
5	शेषापुरा I	बैरसिया	1	188.01
		नजीराबाद	4	969.35
6	गढ़ाकला	बैरसिया	5	639.62
		नजीराबाद	3	177.38
7	बंगापुर	बैरसिया	5	1244.25
8	विक्रमपुर	बैरसिया	5	1183.10
9	शेषापुरा–II	बैरसिया	8	1379.10
10	बिनैका	बैरसिया	5	1219.35
11	लंगरपुर	बैरसिया	7	873.24
12	सतकुंडा	समर्धा	5	1136.38
13	प्रेमपुरा	समर्धा	5	1006.18
14	रसूलिया	समर्धा	5	866.84
15	समसगढ़	समर्धा	4	1028.61
		महायोग :–	**82**	**16584.94**

14.7.2 उपचार श्रेणियों में कक्षों का आवंटन –

सुधार कार्यवृत्त के अन्तर्गत उपचार श्रेणियों में कक्षों का आवंटन परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–70 में दिया गया है। इस कार्यवृत्त में

शामिल वनक्षेत्र एवं उसके उपचार विधि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका क्रमांक–14.13
कार्यवृत्त का संक्षिप्त विवरण

क्र.	विषय	विवरण
1	2	3
1	क्षेत्रफल (हे.)	16584.94
2	क्षेत्रफल प्रतिशत	36.66%
3	कक्ष संख्या	82
4	उपचार श्रेणी संख्या	15
5	उपचार श्रेणी का औसत क्षेत्रफल हे.	1105.66
6	वार्षिक उपचारांश का औसत क्षेत्रफल हे.	55.28
7	पुनरुत्पादन की विधि	प्राकृतिक, कृत्रिम
8	उपचार चक्र	20 वर्ष
9	उपज का नियमन	आकस्मिक
10	कुल वृक्षों की संख्या प्रति हे.	456
11	वृक्षों का आयतन प्रति हे. (घमी)	18.046
12	पुनरुत्पादन प्रति हे.	1485

14.7.3 वार्षिक उपचारांश – सुधार कार्यवृत्त में शामिल सभी उपचार श्रेणियों को बीस–बीस वार्षिक उपचारांश में विभाजित कर I से XX तक कूप क्रमांक दिए गए हैं। उपचार श्रेणियों में वार्षिक कूपों का आवंटन परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–70 में दिया है। वार्षिक उपचारांशों का क्षेत्रफल सामान्यतया 55.28 हैक्टेयर रखा गया है, जिससे उपचारांश सीमांकन एवं प्रबन्धन में भी सुविधा रहेगी। इन वार्षिक उपचारांशों को भी संनिधि मानचित्र एवं प्रबन्धन मानचित्र पर अंकित किया गया है।

14.8 उपज का नियमन :–

इस कार्यवृत्त का लक्ष्य उपज प्राप्त करना न होकर केवल सस्य का सुधार कार्य ही किया जाना है। मुख्य रूप से विरलन एवं कटबैक ऑपरेशन से ही आकस्मिक वनोपज प्राप्त होगी, अतः प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

14.9 उपचार प्रकार :–

इस कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्र का अधिकांश भाग सघन वन है। वार्षिक उपचारांश क्षेत्रों में सघन वन के अतिरिक्त कहीं–कहीं पर विरल वन,

रिक्त वन तथा यदा–कदा अतिक्रमित क्षेत्र भी हैं। इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को उनकी स्थिति अनुसार समुचित उपचार प्रदान करने हेतु वार्षिक उपचारांश क्षेत्र को निम्नानुसार 5 उपचार प्रकार में विभाजित किया जायेगा।

14.9.1 उपचार प्रकार – ''अ'' – रक्षित क्षेत्र :

इस उपचार वर्ग में निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे –

(i) 40 प्रतिशत से अधिक ढलान वाले क्षेत्र ।

(ii) भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र ।

(iii) बारहमासी नदी के दोनों किनारों से 200 मी. की पट्‌टी का क्षेत्र ।

(iv) समस्त राजमार्ग के दोनों ओर 20 मी. चौड़ी पट्‌टी का क्षेत्र।

(v) सभी जीवित नालों के दोनों किनारों पर 20 मी. चौडी पट्‌टी का क्षेत्र ।

(vi) चट्‌टानी एवं स्थायी रूप से रिक्त क्षेत्र (बी.एल.4 एवं यू.एस. 4)।

(vii) वनमार्गों एवं अन्य मार्गों के किनारे दोनों तरफ 6 मीटर की चौड़ी पट्टी का क्षेत्र।

(viii) वन्य प्राणियों के विशिष्ट वृहद पर्यावास स्थल। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे–

(1) वन्य प्राणियों के मुख्य वृहद पर्यावास स्थलों के चारों ओर 100 मी. की चौड़ी पट्‌टी का क्षेत्र, मुख्य पर्यावास स्थलों में जलीय क्षेत्र, दलदली/आर्द्र क्षेत्र, भू भाग, तिलस्मी स्थल, ओल्ड ग्रोथ स्टैण्ड, ग्रास लैण्ड, बायोजिकल हॉट स्पॉट आदि स्थल आते हैं।

(2) वन्य प्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावास स्थलों के चारों ओर 50 मी. चौड़ी पट्‌टी का क्षेत्र, इसमें सूक्ष्म आवास स्थल, स्नेग (Snags), डेन ट्री (Den Trees), डाउन लॉग्स (Down logs)

आदि हैं, इसके साथ प्राकृतिक गुफायें, चट्टानी कगार, चट्टान क्षेत्र तथा पत्थरों के ढेर भी सम्मिलित हैं।

14.9.2 उपचार प्रकार – ''ब'' – विरल एवं रिक्त वन क्षेत्र (0.4 घनत्व से कम)

जड़ भण्डार एवं मृदा की गहराई के आधार पर इस उपचार प्रकार को निम्नानुसार उप प्रकारों में विभाजित किया जायेगा–

(i)– स्थूणक प्रजातियों (खैर, सागौन, धावड़ा, लेण्डिया) के पर्याप्त जड़ भण्डार वाले

(ii)– स्थूणक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले अच्छी गहरी मृदा युक्त विरल (US1) एवं रिक्त (BL1) वन क्षेत्र।

(iii)– स्थूणक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डार युक्त कम गहरायी की मृदा वाले चारागाह विकास योग्य विरल (US3) एवं रिक्त (BL3) वन क्षेत्र।

तालिका क्रमांक 14.14

कार्यवृत्त के अंतर्गत उपचार वर्ग ''c'' पुर्नस्थापना योग्य क्षेत्र का विवरण (हे.में)

अ. क्र.	क्षेत्र	गहरी मृदा वाले वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	जड़भण्डार युक्त क्षेत्र	उथली मृदा वाले चारागाह योग्य विकास क्षेत्र	उबड़–खाबड़ चट्टानी क्षेत्र	योग	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	विरल	36.76	3554.35	0.00	0.00	**3591.11**	**89.60%**
2	झाड़ी	205.82	205.88	5.26	0.00	**416.95**	**10.40%**
	योग	**242.58**	**3760.23**	**5.26**	**0.00**	**4008.07**	**100.00%**
	प्रतिशत	**6.05%**	**93.82%**	**0.13%**	**0.00%**	**100.00%**	

14.9.3 उपचार प्रकार –''स'' – पुराने वन वर्द्धनिक कार्यों के क्षेत्र :–

(i) सफल वृक्षारोपण क्षेत्र

(ii) असफल वृक्षारोपण क्षेत्र

(iii) बिगड़े वनों के सफल उपचारित क्षेत्र

(vi) बिगड़े वनों के असफल उपचारित क्षेत्र

(i) **सफल वृक्षारोपण क्षेत्र –** इसके अन्तर्गत ऐसे असिंचित रोपण क्षेत्र जिसमें कि जीवित पौधों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक एवं सिंचित तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण में जीवित पौधों की संख्या 75 प्रतिशत से अधिक हो।

(ii) **असफल वृक्षारोपण क्षेत्र –** इसके अन्तर्गत ऐसे असिंचित रोपण क्षेत्र जिसमें कि जीवित पौधों की संख्या 30 प्रतिशत से कम हो या शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों में दिये गये प्रतिशत से कम हो।

(iii) **बिगड़े वनों के सफल उपचारित क्षेत्र –**इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जो कि बिगड़े वनों के सुधार योजना अंतर्गत पूर्व में उपचारित किये गये हैं तथा उपचार के फलस्वरूप ये क्षेत्र भविष्य में अच्छे युवा वन के रूप में स्थापित हो सकें।

(iv) **बिगड़े वनों के असफल उपचारित क्षेत्र –**इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जोकि बिगड़े वनों के सुधार योजना अंतर्गत पूर्व में उपचारित किये गये हैं किन्तु पूर्णतः सफल नहीं हो सके है तथा वर्तमान में सस्य में कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही है।

14.9.4 उपचार प्रकार – ''द'' – शेष क्षेत्र :

उपरोक्त उपचार वर्ग अ, ब एवं स के अतिरिक्त समस्त वनक्षेत्र को इस उपचार वर्ग में सम्मिलित किया जायेगा।

14.10 उपचारों की निष्पादन विधि :–

समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभागीय रूप से कराए जायेंगे। एक वर्ष अग्रिम में उपचारों का सीमांकन मानक प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। सीमांकन उपरान्त कूप का 1:12,500 के मापमान पर संशोधित संनिधि मानचित्र तथा उपचार मानचित्र परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा

तैयार किया जावेगा, जिसका सत्यापन उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

उपचार मानचित्र में सभी उपचार वर्गों के क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शाये जायेंगे। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए अलग उपचार वर्ग नहीं दर्शाया जायेगा। उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा इन मानचित्रों का मौके पर सत्यापन करने तथा उनमें आवश्यक सुधार करने के उपरान्त एक–एक हस्ताक्षर युक्त प्रति परिक्षेत्र तथा वनमंडल के कक्ष इतिहास की नस्ती में लगाई जावेगी। तीसरी प्रति मार्किंग बुक के प्रथम पृष्ठ पर चस्पा की जावेगी। चौथी प्रति वनसंरक्षक, कार्य आयोजना भोपाल को प्रेषित की जावेगी।

14.10.1 सामान्य नियम – समस्त उपचार वर्ग हेतु निम्न उपचार नियम लागू होंगे –

1. शासन आदेशानुसार पातन से प्रतिबंधित फलदार वृक्षों जैसे – आंवला, इमली, हर्रा, बहेड़ा, अचार, जामुन, बेल, कैथा, तेन्दू, खिरनी, लसोड़ा, कचनार, महुआ को रक्षित किया जायेगा। इनको पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।
2. धार्मिक आस्था से जुड़े वृक्ष यथा बरगद, पीपल एवं फाइकस प्रजाति आदि को पातन हेतु चिन्हांकन नहीं किया जायेगा।
3. संकटापन्न प्रजातियॉ जैसे – खैर, कुल्लू, करधई, सलई, बीजा, तिन्सा, हल्दू एवं शीशम को पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा श्रन्छ द्वारा समय–समय पर घोषित प्रजातियों का पातन नहीं किया जायेगा।
4. कुओं, पड़ावों, पशु शिविरों , तालाबों, झरनों, पिकनिक स्थलों के चारों ओर के छायादार वृक्षों के समूहों को तथा पुरातातविक महत्व के भवनों के अहाते के वृक्षों को रक्षित किया जायेगा।
5. नीड़ धारित वृक्षों, खोखले कोटर वाले वृक्षों, जो कि पक्षियों एवं वन्य प्राणियों द्वारा आवास के रूप में प्रयोग हो रहे हों, को पातन से रक्षित

किया जावेगा तथा न्यूनतम दो सूखे वृक्ष प्रति हेक्टर, विशेषकर खड़ी ढलानों पर पक्षियों के संभावित बसेरों हेतु छोड़े जायेंगे। विभिन्न वन्यप्राणी आवास स्थलों – जैसे गुफा एवं खोह के आसपास ओट देने वाले वृक्षों को रक्षित किया जायेगा।

6. समस्त मृत तथा वायुपातित वृक्ष (वन्य प्राणियों के उपयोग हेतु ऊपर बताये बिन्दु अनुसार छोड़कर) पातन हेतु चिन्हांकित किये जायेंगे।
7. वनों के बाहरी सीमा पर 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वृक्ष पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा। राजपथ के दोनों तरफ 20 मीटर एवं अन्य सड़कों/गाड़ीदान के दोनों तरफ 6–6 मीटर तक स्थित समस्त वृक्ष सुरक्षित रखे जायेंगे।
8. भू–संरक्षण के आवश्यक कार्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कराये जायेंगे।
9. मूल्यवान स्थूणक प्रजातियों के जमीन सतह पर 60 से.मी. गोलाई तक के जीवित ठूंठों का प्रतिकर्तन कर ठूंठ बनाये जायेंगे।
10. 20 से.मी. तक की गोलाई की कापिस देने वाली समस्त विकृत पौध को काटा जावेगा।
11. प्रति ठूंठ दो प्रवर स्थूण प्ररोहों को छोड़कर शेष को काट दिया जायेगा।
12. क्षेत्र में विद्यमान औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक से अनुमोदित परियोजनानुसार आवश्यक कार्य किये जावेंगे।
13. जहां–जहां सस्य में 50 प्रतिशत या इससे अधिक सागौन अधिरोही है, वहां मिश्रित प्रजातियों को पातन से रक्षित किया जायेगा।
14. वन संसाधन सर्वेक्षण के दौरान एक प्रतिशत से कम पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों के मात्र सूखे, मृत एवं मृतप्राय वृक्षों को ही पातन हेतु चिन्हांकित किया जावेगा।

15. किसी भी उपचारित क्षेत्र को उससे भिन्न उपचार/अन्य उपयोग हेतु निर्धारित उपचारण अवधि तक नहीं दिया जायेगा।
16. किसी मध्यम आयु या परिपक्व वृक्ष के 4 मीटर की परिधि में यदि 31 सेमी से अधिक छाती गोलाई के दो स्वस्थ युवा वृक्ष प्राप्त होते हैं, तो संबंधित वृक्ष को वन वर्धनिक दृष्टि से उपलब्ध मानकर चिन्हांकित किया जा सकता है, बशर्ते उस वृक्ष के पातन से क्षेत्र में कोई स्थाई रिक्तता नहीं हो।
17. इस प्रबंधन वृत्त में उपचार के पश्चात किसी भी स्थिति में सस्य का घनत्व 0.5 से कम नहीं किया जावेगा।
18. 40 प्रतिशत ढलान से नीचे के समस्त क्षेत्रों में जहां लेंटाना का व्यापक प्रकोप है, अनुमोदित परियोजना अनुसार लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा।
19. सेम्पल प्लाट एवं प्रिजर्वेशन प्लाट हेतु सुरक्षित किये गये क्षेत्र के वृक्ष नहीं काटे जायेंगें।
20. सुपरिभाषित कगारों वाली नदियों, नालों व धाराओं के दोनों ओर 20 मीटर की चौड़ी पट्‌टी का क्षेत्र, ऐसे नदी नाले जिनमें जनवरी माह तक पानी रहता है के 50 मीटर का क्षेत्र तथा बारहमासी नदियों के दोनों ओर 200 मीटर का क्षेत्र पातन से रक्षित किये जायेंगे।
21. मैंदा वृक्ष, लोध वृक्ष एवं कुल्लु वृक्षों का वनक्षेत्र में पातन प्रतिबंधित किया जायेगा एवं इनके छाल निकालना भी प्रतिबंधित किये जायेंगे।
22. वन्य प्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म वानस्पतिक पर्यावास स्थल जैसे स्नैग, डेन ट्रीज, डाउन लॉग्स आदि के चारों ओर 20 मीटर की चौड़ी पट्‌टी के क्षेत्र में नाला बंधान को छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा इन संरचनाओं को संरक्षित किया जायेगा।
23. वन्य प्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म भू–समाकृतिकीय पर्यावास स्थलों (गुफा, मांद, चट्‌टानी किनारे, लटकती चट्‌टाने तथा पत्थरों के ढेर) के 20 मीटर की चौड़ी पट्‌टी में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

24. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदाय वन अधिकार पत्र के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन जैसे– मुनारा, सी.पी.टी.,सी.पी.डब्ल्यू, सी. सी.टी., फेंसिंग से क्षेत्र को चिह्नांकित किया जाये, जिससे वन अधिकार पत्र में आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अतिक्रमण न फैले।

25. केवल मृत एव वायुपातित वृक्षों की कटाई, तथा (Congested Pole crop) में Thining का कार्य किया जावेगा। मृत/वायुपातित वृक्षों के समान आयतन की मात्रा को इस कार्यवृत्त में किये जाने वाले पातन में समायोजित किया जावेगा।

26. इस कार्यवृत्त में कोई भी चयनित पातन (Selection felling) नहीं की जायेगा।

27. 90 से.मी. तक गोलाई के स्थूणक प्रजातियों के समस्त ठूंठ एवं पोलार्ड की ठूंठ ड्रेसिंग जमीन की सतह से की जायेगी।

28. चाहे कोई भी उद्देश्य क्यों न हो 60 से.मी. गोलाई से अधिक के वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा। यद्वपि अत्यावश्यक परिस्थितियों में पातन किये गये वृक्षों के समान आयतन की मात्रा को इस कार्यवृत्त में किये जाने वाले पातन में समायोजित किया जावेगा।

29. प्रत्येक कार्य वृत्त (Every working circle) में प्रत्येक एकान्तर (Alternate) वर्ष के पश्चात परिणाम मानदण्डों (Outcome Parametrs) सहित अनुश्रवण प्रक्रिया एवं कार्य आयोजना अवधि की पूर्णता पर अपेक्षित परिणामों का विवरण दर्ज किया जावेगा।

30. संवृद्धि स्टॉक (growing stock) की सेहत को सुधारने हेतु मानक संवर्धन संक्रियाओं की अनुमति, वनमंडलाधिकारी या उसके ऊपर के पदाधिकारी के कड़े निरीक्षण के अधीन दी जाएगी। किसी विशेष प्रजाति के प्राथमिकता नहीं दी जाएगी एवं वन का स्वरूप यथावत् रखा जाएगा।

31. मृत एवं वायुपातित वृक्षों का पातन उस अधिकारी के परिवेक्षण में किया जायेगा जो सहायक वन संरक्षक के स्तर से नीचे का न हो। मृत प्राय एवं रोगग्रस्त वृक्षों का पातन सामान्यतया नहीं किया जावेगा परन्तु आवश्यकता पड़ने पर DFO(T)/CCF(T) के SIR के आधार पर PCCF(WP) की अनुमति के पश्चात किया जा सकता है।

32. **बीजारोपण** – छोटे–छोटे रिक्त क्षेत्रों में जहाँ वृक्षारोपण नहीं किया जाना है, वहाँ जुताई कार्य किया जाकर निम्न संनिधि के क्षेत्रों में एवं झाड़ियों में मृदा कार्य (Soil Working) कर स्थानीय प्रजातियाँ जैसे खैर, नीम,, अमलतास, महुआ, आँवला, उपचारित सागौन आदि का बीजरोपण किया जायेगा।

33. **पौधारोपण** – पौधारोपण हेतु ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्र की उपयुक्तता अनुसार सिंचित रोपण अथवा सामान्य रोपण का कार्य किया जायेगा। इसमें स्थानीय प्रजातियों, को प्राथमिकता दी जायेगी।

34. इन क्षेत्रों में प्र.मु.व.सं. भोपाल के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

35. केवल मृत एव वायुपातित वृक्षों की कटाई, तथा (Congested Pole crop) में Thining का कार्य किया जावेगा। मृत/वायुपातित वृक्षों के समान आयतन की मात्रा को इस कार्यवृत्त में किये जाने वाले पातन में समायोजित किया जावेगा।

36. इस कार्यवृत्त में कोई भी चयनित पातन (Selection felling) नहीं की जायेगा।

37. 90 से.मी. तक गोलाई के स्थूणक प्रजातियों के समस्त ठूंठ एवं पोलार्ड की ठूंठ ड्रेसिंग जमीन की सतह से की जायेगी।

38. अत्यावश्यक परिस्थितियों में पातन किये गये वृक्षों के समान आयतन की मात्रा को इस कार्यवृत्त में किये जाने वाले पातन में समायोजित किया जावेगा।

39. प्रत्येक कार्य वृत्त (Every working circle) में प्रत्येक एकान्तर (Alternate) वर्ष के पश्चात परिणाम मानदण्डों (Outcome Parametrs) सहित अनुश्रवण प्रक्रिया एवं कार्य आयोजना अवधि की पूर्णता पर अपेक्षित परिणामों का विवरण दर्ज किया जावेगा।

40. संवृद्धि स्टॉक (growing stock) की सेहत को सुधारने हेतु मानक संवर्धन संक्रियाओं की अनुमति, वनमंडलाधिकारी या उसके ऊपर के पदाधिकारी के कड़े निरीक्षण के अधीन दी जाएगी। किसी विशेष प्रजाति के प्राथमिकता नहीं दी जाएगी एवं वन का स्वरूप यथावत् रखा जाएगा।

41. मृत एवं वायुपातित वृक्षों का पातन उस अधिकारी के परिवेक्षण में किया जायेगा जो सहायक वन संरक्षक के स्तर से नीचे का न हो।

42. शासनादेश क्रमांक / 3014 / (2) / 82 दिनांक 31.08.1982 के पालन में पर्यटन महत्व के दस स्थानों की सुरक्षा तथा सौंदर्य के लिये इन स्थानों के इर्द–गिर्द तीन–तीन किलोमीटर की दूरी तक वृक्षों की कटाई नहीं की जाना सुनिश्चि किया जायेगा।

14.10.2 विशिष्ट उपचार नियम –

14.10.2.1 उपचार वर्ग (अ) :– इस वर्ग में मुख्य रूप से सस्य को संरक्षित रखा जायेगा। मृत तथा वायुपातित वृक्षों को निकाला जायेगा। भू–जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। चराई तथा अग्नि से क्षेत्र को सुरक्षित रखा जायेगा। प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में मृदा एवं वन क्षेत्र की आवश्यकतानुसार आच्छादन बढ़ाने एवं भू–क्षरण रोकने हेतु मृदा की उपयोगिता अनुसार समस्त वानिकी कार्य जैसे रोपण / बीजारोपण / रुटसूट रोपण / चारागाह का कार्य किया जाएगा। प्रतिशत से अधिक ढलान वाले क्षेत्र में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य नहीं किया जायेगा।

14.10.2.2 उपचार वर्ग (ब) – रिक्त एवं विरल क्षेत्र :–

(i) पर्याप्त जीवित जड़ भण्डार वाले क्षेत्र :–

(अ) इन क्षेत्रों में प्र.मु.व.सं. भोपाल के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

(ब) मूल्यवान प्रजातियों के विद्यमान प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा।

(स) अच्छे स्थूणक प्रजातियों की 20 से.मी. गोलाई तक समस्त विकृत पौध का प्रतिकर्तन किया जावेगा जिससे अच्छे व स्वस्थ पुनरुत्पादन प्राप्त हो सके।

(द) 20 से.मी. से ऊपर एवं 90 से.मी. तक के ठूठ एवं पोलार्ड्स के विकृत वृक्षों को यदि भूमि क्षरण या अन्य कारणों से रखा जाना आवश्यक न हो तो पातन हेतु चिन्हांकित किया जावेगा।

(इ) स्थूणक प्ररोहों में से उगे नये प्ररोहों में नियमानुसार दो या तीन स्वस्थ्य प्ररोहों को रख कर शेष को काटा जायेगा। यह कार्य ठूंठ कटाई के तीसरे वर्ष में किया जाएगा। एकलीकरण का कार्य नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जाएगा।

(फ) आवश्यकतानुसार भूजल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे।

(ग) स्थानीय प्रजातियों के बीज की बुआई रिक्त क्षेत्रों में की जायेगी।

(ह) जिन स्थानों में जीवित जड़ भण्डार कम है वहाँ पर झाड़ियों में स्थानीय प्रजातियों के बीज डाले जायेंगे।

(ii) अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले क्षेत्र :–

(अ) अच्छी एवं गहरी मृदा वाले क्षेत्र (BL1, US1) – इन क्षेत्रों में प्र.मु.व.सं. भोपाल के पत्र क्रं. 1333 दिनांक 25.05.2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्र की उपयुक्तता अनुसार सिंचित रोपण अथवा सामान्य रोपण का कार्य किया

जायेगा। रोपण में प्राथमिकता स्थानीय वानिकी प्रजातियों को दी जायेगी। एकल प्रजाति रोपण के स्थान पर मिश्र ति प्रजाति का रोपण किया जावेगा। छोटे–छोटे रिक्त क्षेत्रों में जहाँ वृक्षारोपण नहीं किया जाना है, वहाँ जुताई कार्य किया जाकर निम्न संनिधि के क्षेत्रों में एवं झाड़ियों में मृदा कार्य (Soil Working) कर स्थानीय प्रजातियों जैसे– खैर, नीम, चिरोल, अमलतास, महुआ, आँवला, उपचारित सागौन आदि का स्थानीय आवश्यकता अनुसार बीजारोपण किया जायेगा। वृक्षारोपण में कम से कम 5 प्रतिशत फलदार वृक्षों के पौधे रोपित किये जायेंगे। क्षेत्र में लैन्टाना होने की स्थिति में लैन्टाना उन्मूलन का कार्य कराया जायेगा।अच्छे स्थूणक प्रजाति के जमीन सतह पर 60 से.मी. गोलाई तक के समस्त जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड काटे जाने हेतु चिन्हांकित किए जावेगें। स्थल उपयुक्तता के आधार पर इस क्षेत्र को पशु अवरोधक खन्ती, पशु अवरोधक दीवार, कांटेदार तार अथवा कटीली बागड़ से घेरा जावेगा।

(ब) **उथली मिट्टी वाले क्षेत्र (BL3 एवं BL3)** – ऐसे क्षेत्रों में जलाऊ एवं चारागाह विकास के कार्य किये जावेंगे जिनसे स्थानीय ग्रामीणों की जलाऊ एवं चारे की आवश्यकता पूर्ति हो सके। इससे वन क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम होगा।

क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र को पशु अवरोधक खंती, पशु अवरोधक दीवार, कांटेदार तार अथवा कटीली बागड़ से उपचार के एक वर्ष पूर्व घेरा जावेगा।

क्षेत्र में मौजूद सभी स्थूणक प्रजातियों के जमीन सतह पर 90 से.मी. गोलाई तक के समस्त जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड काटे जाने हेतु चिन्हांकित किये जावेगें।

क्षेत्र में लेन्टाना होने की स्थिति में लैन्टाना उन्मूलन का

कार्य कराया जायेगा।

आवश्यकतानुसार क्षेत्र में भू–जल संरक्षण कार्य भू–जल संरक्षण अध्याय में दिये निर्देशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

क्षेत्र में जुताई अथवा क्यारी बनाकर स्थानीय प्रजाति की उपयुक्त घास लगाई जायेगी।

कूपों को उपचारित किये जाने वाले वर्ष में घास एवं चारागाह विकास हेतु क्षेत्र तैयारी का कार्य किया जावेगा तथा आगामी वर्षा ऋतु में पौधों एवं घास के रोपण / बीज बुआई का कार्य किया जावेगा।

रोपण पूर्व वर्षा काल में अरुचिकर एवं सूखी घास प्रजातियों को निंदाई कर निकाल दिया जावेगा।

इन क्षेत्रों में पशु की चराई प्रतिबंधित रहेगी एवं इनकी प्रथम श्रेणी क्षेत्रों की तरह अग्नि से सुरक्षा की जावेगी। प्रथम वर्ष में बीज गिरने तक घास को नहीं काटा जायेगा एवं घास बीज भी एकत्रित नहीं किये जायेंगे।

चारागाह विकास स्थलों के स्थापित हो जाने के पश्चात घासों की कटाई एवं संग्रहण की अनुमति बीजों के गिरने के पश्चात वनमंडल अधिकारी द्वारा स्थानीय ग्रामीणों/वन समिति सदस्यों को दी जावेगी। घास बीज संग्रहण एवं घांस कटाई का कार्य विभाग या ग्राम वन समितियों के माध्यम से संचालित किया जावेगा।

ऊबड़–खाबड़ पथरीले एवं चट्टानी क्षेत्र जहां मृदा का अभाव हैरू–

क्षेत्र को आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती, पशु अवरोधक दीवार, कांटेदार तार अथवा कटीली बागड़ से घेरा जावेगा।

स्थूणक प्रजाति के जमीन सतह पर 90 से.मी. गोलाई के

समस्त जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड को काटने हेतु चिन्हांकित किया जावेगा।

वर्षा ऋतु के पूर्व क्षेत्र में 3 X 3 मी. के अंतराल पर स्थानीय प्रजाति के उपचारित बीजों की बुआई की जावेगी।

आवश्यकतानुसार उपयुक्त क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य किये जावेंगें।

14.10.2.3 उपचार प्रकार "स" – पुराने वन वर्द्धनिक कार्यों के क्षेत्र –

(i) **सफल वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु** – इन क्षेत्रों में निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार विरलन एवं सफाई के कार्य अध्याय–4 वृक्षारोपण कार्यवृत्त में वर्णित विधि अनुसार किए जायेंगे। विरलन एवं विदोहन का विवरण संबंधित कक्ष इतिहास पुस्तिका में रखा जावेगा।

(ii) **असफल वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु** – ऐसे क्षेत्र जिनमें पूर्व में उपचार कार्य किया गया था किन्तु अपेक्षित सफलता नहीं मिली तथा जो क्षेत्र अभी भी वृक्षारोपण अथवा बिगड़े वनों का सुधार योजना अन्तर्गत लिए जाने हेतु उपयुक्त हैं, का राजपत्रित अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर पूर्व के उपचारों की असफलता के कारणों की पहचान कर नवीन प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट वनमण्डलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। वनमण्डलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में शासन के प्रचलित निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार इन क्षेत्रों का उपचार किया जायेगा।

(iii) विगत कार्य आयोजना अवधि में उपचारित क्षेत्र हेतु–

- बिगड़े वनों के सफल उपचारित क्षेत्र– सफल उपचारित क्षेत्रों में बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त में दर्षाये अनुसार

निर्धारित वर्ष में अध्याय–4 वृक्षारोपण कार्यवृत्त में वर्णित विधि से सफाई/विरलन कार्य किया जायेगा।

- बिगड़े वनों के असफल उपचारित क्षेत्र– असफल उपचारित क्षेत्रों में शासन के निर्देशानुसार असफलताओं के कारणों का विश्लेषण वनमंडलाधिकारी के द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग के द्वारा वर्ष 1994 में जारी किये परिपत्र में दिये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर पुनः उपचार किया जायेगा।

14.10.2.4 उपचार प्रकार ''द'' – अन्य क्षेत्र –

1. **अतिक्रमण क्षेत्र–** इस उपचार वर्ग में ग्रामीणों के वैधानिक अधिकार वाली भूमियाँ जैसे– वन अधिकार पत्र, संरक्षित वन क्षेत्रों में निजी भूमि, वर्ष 1962/1976 में दिये गये पट्टे, अन्य विभागों को हस्तांतरित भूमि, वनग्राम आदि शामिल हैं। उक्त वर्णित ये भूमियाँ प्रबन्धन में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। अतः उपचारांशों में उक्त भूमि को छोड़कर शेष अतिक्रमित क्षेत्रों में अपात्र अतिक्रमकों एवं अन्य अतिक्रमकों को शासन के निर्देशानुसार अनुसार एवं कार्य आयोजना के साथ संलग्न अतिक्रमण बेदखली योजना अनुसार बेदखल कर अतिक्रमित भूमि मुक्त कराई जानी है। अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्र को उपचारित करने की प्राथमिकता दी जानी है ताकि इनमें पुनः अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का उपचार किया जायेगा।

   (i) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत पात्र अतिक्रमण के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य किये जायेंगे।

   (ii) वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र क्षेत्र का सीमांकन मुनारे/सतत् कंटूर ट्रेंच स्थापित कर किया

जावेगा। सीमा में पौधरोपण कर हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जावेगा। इस हेतु बांस, सागौन, महुआ आदि प्रजातियों का चयन किया जावेगा।

(iii) इस अधिकार–पत्र में जारी भूमि के बीच का क्षेत्र यदि भ्वदमल.ब्वउइपदह के रूप में पाया जाता है तो उक्त क्षेत्र को समिति की मांग अनुसार रोपण कर हरित क्षेत्रों में परिवर्तित किया जावेगा।

(iv) **शेष अतिक्रमण** – शेष अतिक्रमण क्षेत्रों के प्रबंधन पुनर्स्थापना कार्यवृत्त में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपचार किया जायेगा।

2. अन्य क्षेत्र–

1. वन्यप्राणी प्रबन्धन की दृष्टि से रोके गए वृक्षों को छोड़कर शेष समस्त सूखे एवं वायुपातित गिरे पड़े वृक्ष पातन हेतु चिन्हांकित किए जायेंगे।
2. वृक्ष आच्छादित सघन एवं मध्यम क्षेत्रों में घूम फिर कर संकुल युवा सस्य के क्षेत्र का आंकलन किया जायेगा, तथा ऐसे न्यूनतम 1 हे. के युवा सस्य (21 से 60 सेमी छाती गोलाई) के क्षेत्रों में 0.1 हेक्टेयर के न्यूनतम तीन सेम्पल प्लाट डाले जाकर वृक्षों की गणना गोलाई वार की जावेगी। इस प्रकार उस क्षेत्र में सस्य की औसत गोलाई निकाली जायेगी।
3. सेम्पल प्लाट को उपवनमंडलाधिकारी जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगें।
4. उक्त युवा सस्य के क्षेत्र में यह विरलन निम्नानुसार सूत्र से किया जायेगा –

$$S = (G / 10) + 1$$

जहां S = विरलन उपरान्त दो वृक्षों के बीच की दूरी मीटर में

G = क्षेत्र में पाये जाने वाले सस्य की औसत गोलाई सेमी में

उपरोक्तानुसार रोके जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। वनवर्धनिक एवं अन्य आवश्यकतानुसार अधिक पौधे रोके जा सकेंगे।

5. वृक्षारोपण के लिये कोई पातन नहीं किया जायेगा।
6. पातन के उपरांत वन वितान की सघनता 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए तथा वितान में रिक्त स्थान निर्मित नहीं किये जायेंगे।
7. पर्यावरणीय दृष्टि से सागौन के विशुद्ध सस्य को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। सस्य में मिश्रित प्रजाति का सम्मिश्रण होना चाहिए।
8. उपचार वर्ग द के बिन्दु क्रमांक 3 में दिये निर्देश अनुरूप गणना करने के उपरांत अगर वृक्ष पातन हेतु उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें नीचे दिये प्राथमिकता क्रम में चिन्हांकित किया जायेगा–

(अ) समस्त सूखे एवं गिरे हुये वृक्ष।

(ब) अवैध कटाई के सभी जीवित ठूँठ एवं पोलार्ड़ जिनसे कि स्थूण प्राप्त होने की संभावना हो चिन्हांकित किया जायेगा।

(स) छादित वृक्ष (Suppressed Tree)

(द) गंभीर रूप से रोग ग्रस्त (75 प्रतिशत क्षतिग्रस्त) एवं मृत प्रायः वृक्ष

(इ) वकृत वृक्ष (Malformed Tree)

(ई) इसके उपरांत भी अगर वितान को बिन्दु क्रमांक 3 के अनुरूप खोले जाने हेतु वृक्ष चिन्हांकन हेतु वनवर्धनिक रूप से उपलब्ध हैं, तो अपेक्षाकृत छादित वृक्षों (Suppressed Tree) को चिन्हांकित किया जायेगा। इस चिन्हांकन में यह ध्यान रखा जावे कि चिन्हांकित किया जा रहा वृक्ष उस क्षेत्र के शस्य संरचना को विशुद्ध शस्य बनाने की ओर न ले जायें। दूसरे शब्दों में अगर चिन्हांकित किया जा रहा

वनक्षेत्र सागौन वनक्षेत्र है तो बहुमूल्य मिश्रित प्रजातियों के पक्ष में चिन्हांकन किया जायेगा एवं अगर चिन्हांकित किया जा रहा वनक्षेत्र मिश्रित वन का है तो उसमें सागौन एवं उसके उपरांत उस क्षेत्र में कम प्रतिशत में उपलब्ध बहुमूल्य मिश्रित प्रजातियों के हित में चिन्हांकन का कार्य किया जायेगा ताकि स्वस्थ मिश्रित शस्य क्षेत्र में बनी रहे जो पर्यावरणीय एवं जैव विविधता की दृष्टि से भी उपयुक्त हो।

14.10.3 **सहयोगी नियमन एवं उपाय–** उपचारांशों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन मुख्य उपचार के आगामी वर्ष में निम्नानुसार सहायक वनवर्द्धनिक कार्य किए जायेंगे–

1. मुख्य उपचार के उपरांत सागौन एवं लेंडिया के ठूंठों से प्राप्त प्ररोहों में से स्वस्थ्य दो प्ररोहों को सुरक्षित कर अन्य को काटा जावेगा।
2. ठूँठ के आस–पास एक मीटर की परिधि में सफाई यदि नहीं की गई हो तो की जावेगी।
3. मुख्य उपचार कार्य के दौरान कॉपिस देने योग्य प्रजातियों के क्षतिग्रस्त हुए वृक्षों को जमीनदोज काटकर ठूंठ ड्रेंसिंग की जायेगी।
4. मुख्य उपचार वर्ष पश्चात् रख–रखाव कार्य कराये जायेंगे।

14.11 प्रबंधन के विशिष्ट उद्देश्य :–

मुख्य उपचार वर्ष में तथा इसके पूर्व के वर्ष हेतु निर्धारित कार्य यदि कुछ अधूरे रह गये हों तो उन्हें अगले वर्ष पूर्ण कराया जायेगा।

1) वार्षिक उपचारांशों को अग्नि सुरक्षा हेतु क्लास–1 के क्षेत्र मानते हुए 7 वर्ष तक समुचित अग्नि सुरक्षा उपाय किए जावेंगे।

2) समस्त वार्षिक उपचारांशों में 5 वर्ष तक चराई प्रतिबंधित रहेगी।

3) मुख्य उपचार वर्ष के पश्चात् 4 वर्षों तक बीज संग्रहण नहीं किया जायेगा ताकि प्राकृतिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके।

4) समस्त वार्षिक उपचारांशों में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति की समीक्षा की जावेगी और पुनरुत्पादन की वृद्धि एवं सघनता बावत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार पुनरुत्पादन सर्वेक्षण कराया जावेगा एवं इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट कक्ष इतिहास में नस्ती की जावेगी।

14.12 उपचारों के क्रियान्वयन की विधि :–वार्षिक उपचारांश में उपचारों का क्रियान्वयन निम्नानुसार तीन चरणों में किया जायेगा।

14.12.1 निर्धारित उपचार वर्ष से एक वर्ष पूर्व के कार्यः–

14.12.1.1 सीमांकन एवं चिन्हांकन :– वार्षिक उपचारांश क्षेत्र का सीमांकन एवं वार्षिक उपचारांश में चिन्हांकन की विधि आलेख भाग 02 के अध्याय 18 विविध नियमन में दर्शित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

14.12.1.2 उपचार मानचित्र तैयार कर उपचार प्रकारों का सीमांकन करना :– वार्षिक उपचारांश के मौके पर सीमांकन उपरांत 1:12500 स्केल के नक्शे पर उपचार मानचित्र तैयार किए जायेंगे जिनमें सभी उपचार प्रकारों को दर्शाया जायेगा। उपचार मानचित्र परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार कर उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे। उपचार प्रकारों के सीमांकन की विधि आलेख भाग 02 के अध्याय–30 विविध नियमन में दी गई है।

14.12.1.3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना – उपचार मानचित्र में दर्शित उपचार प्रकारों के आधार पर वार्षिक उपचारांश क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसमें उपचारों का विवरण तथा उस पर सम्भावित व्यय का आकलन उल्लेखित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु अवधि भी उल्लेखित की जायेगी तथा

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का निर्धारित उपचार वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

14.12.1.4 उपचार वर्ष के कार्य – चिन्हांकन उपरांत विदोहन कार्य किया जायेगा तथा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित उपचार वर्ष के कार्य सम्पादित किए जायेंगे। कार्य सम्पादन में विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित अवधि व काल का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

14.12.1.5 उपचार वर्ष के उपरांत के वर्षों के कार्य –निर्धारित उपचार वर्ष के बाद की अवधि के कार्यों को भी अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

14.12.2 सहायक वन वर्धनिक कार्य, सफाई एवं विरलन :–

14.12.2.1 सागौन वृक्षारोपण :–

a. सफल सागौन वृक्षारोपण क्षेत्रों में 6 वे एवं 11 वे वर्षों में सफाई सह यांत्रिक विरलन तथा 21 वे, 31 वे एवं 46 वे वर्षों में वन वर्धनिक विरलन किया जावेगा।

b. विभिन्न विरलन में रोके जाने वाले वृक्षों की संख्या एवं अंतराल सागौन प्राप्ति सारणी (Yield Table) से निकाली जायेगी। इसकी तुलना निम्नांकित सगरिया सूत्र से की जायेगी –

$$S = G/10 + 1$$

जहाँ –

S = अंतराल मीटर में

G = औसत आवक्ष गोलाई से.मी. में

c. दोनों पद्धतियों से की गई तुलना में जिस विधि में ज्यादा वृक्ष रूकते हैं, उसी अनुसार प्रति हेक्टेयर वृक्ष रोके जायेंगे। स्थल गुणश्रेणी ज्ञात करने के लिए क्षेत्र में 0.25 हेक्टेयर के चैक

प्लॉट (50 x 50 मी. या अन्य सुविधानुसार) डाले जावेगे। प्लॉट में अधिरोही एवं सह–अधिरोही वृक्षों की गोलाई एवं ऊँचाई नापी जावेगी। आंकड़ों के आधार पर वृक्षारोपण की औसत गोलाई एवं औसत ऊंचाई निकालकर मध्यप्रदेश सागौन उपज सारणी की सहायता से स्थल गुणश्रेणी निकाली जावेगी। विभिन्न वर्षों में निम्नांकित सफाई/विरलन के कार्य किये जावेंगे –

अ. छठवें वर्ष में सफाई सह विरलन :–

जब सागौन वृक्षारोपण, जो कि 2 x 2 मी. अंतराल पर किया गया हो 5 वर्ष पुराना हो जाये तब उसमें निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे –

1. वृक्षों एवं पुनरुत्पादन को क्षति पहुंचा रही सभी झाड़ियां काट दी जायेंगी।
2. एक ठूंठ से निकले पीकों में से कम से कम दो स्वस्थ पीके छोड़कर शेष पीकों को काट दिया जायेगा।
3. स्थाई रिक्तता बनाये बिना 20 सेमी छाती गोलाई तक के विकृत पौध को काट दिया जायेगा।
4. स्थूणक प्रजातियों के 60 सेमी गोलाई तक के समस्त जीवित ठूंठों एवं पोलार्डों को जमीन सतह से काटकर ड्रेसिंग की जायेगी।
5. गिरे पड़े समस्त वृक्षों की गणना कर, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके अक्टूबर से फरवरी माह के बीच विदोहन किया जायेगा।
6. पुनरुत्पादन सर्वेक्षण का कार्य माह नवम्बर दिसम्बर में पूर्ण किया जायेगा।

7. एकांतर विकर्ण (Alternate Diagonal) में सागौन के तरूण वृक्षों को निकाला जायेगा। परंतु कम से कम 1250 सागौन पौधे प्रति हेक्टेयर आरक्षित किये जावेंगे।

ब. ग्यारह वर्षीय विरलन (प्रथम विरलन) :–

जब सागौन वृक्षारोपण 10 वर्ष पुराना हो जाये तब विरलन का कार्य किया जायेगा। इस विरलन में निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे –

1. सभी मृत पौधों को काटा जावेगा।
2. कतारों में खड़े एकान्तर (Alternate) सागौन वृक्षों को काटा जायेगा, परंतु कुछ अच्छे एवं स्वस्थ सागौन के वृक्षों को बीच–बीच में एवं जहाँ रोके जाने वाले सागौन के वृक्षों की बढ़त अच्छी नहीं है, रोका जावेगा। संख्या 625 प्रति हे. तक आरक्षित की जायेगी।
3. वृक्षों एवं पुनरुत्पादन को क्षति पहुंचा रही सभी झाड़ियां काट दी जायेंगी।
4. एक ठूंठ से निकले पीकों में से न्यूनतम दो स्वस्थ पीके छोड़कर शेष पीकों को काट दिया जायेगा।
5. स्थाई रिक्तता बनाये बिना 20 सेमी छाती गोलाई तक के विकृत पौध को काट दिया जायेगा।
6. स्थूणज प्रजातियों के 60 सेमी गोलाई तक के समस्त जीवित ठूंठों एवं पोलार्डों को जमीन सतह से काटकर ड्रेसिंग की जायेगी।
7. संकुलित युवा सस्य के क्षेत्रों में विरलन सागौन रोपण क्षेत्रों में अखिल भारतीय यील्ड टेबल के अनुसार एवं अन्य क्षेत्रों में सागरिया सूत्र,

$$S = (G / 10) + 1$$

जहां S = विरलन उपरान्त दो वृक्षों के बीच की दूरी मीटर में

G = क्षेत्र में पाये जाने वाले सस्य की औसत गोलाई सेमी में के अनुसार किया जायेगा।

8. गिरे पड़े समस्त वृक्षों की गणना कर, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके अक्टूबर से फरवरी माह के बीच विदोहन किया जायेगा।

स. इक्कीस वर्षीय विरलन (द्वितीय विरलन) :–

जब वृक्षारोपण 20 वर्ष पुराना हो जाये तब वन वर्धनिक विरलन किया जायेगा। निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे –

1. सभी मृत/पोले वृक्ष काटे जावेंगे।
2. वृक्षों की ऊँचाई को देखते हुए वृक्षारोपण क्षेत्र को विभिन्न खण्डों में बांट लिया जायेगा। प्रत्येक खण्ड 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का नहीं होना चाहिए।
3. स्थल गुणश्रेणी को ध्यान में रखते हुए विरलन हेतु चिन्हांकन कार्य किया जावेगा। परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अच्छे, सीधे एवं स्वस्थ वृक्षों को रोका जाये, चाहे उसके लिए वृक्षों में रखे जाने वाले अंतराल में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े।
4. निम्न अवतान में ज्यादा कटाई नहीं की जावेगी। केवल तीव्र बढ़ने वाले अनुपयोगी प्रजातियों के मृतप्रायः एवं बीमार वृक्षों को ही, जो श्रेष्ठ वृक्षों की बढ़त में बाधा डाल रहे हों, निकाला जावेगा।
5. विरलन के दौरान कटाई के समय जिन वृक्षों के शीर्ष टूट जायें, उनको चिन्हांकित कर व सक्षम अधिकारी की अनुमति से काटा जायेगा।

द. 31 वर्षीय एवं 46 वर्षीय विरलन (सी/डी ग्रेड, वन वर्धनिक विरलन) :–

जब वृक्षारोपण 30 वर्ष पुराना हो जाय तब तृतीय विरलन किया जाये एवं चतुर्थ विरलन 46 वे वर्ष में किया जावेगा।

1. वनों में विरलन की मात्रा सी/डी विरलन में गणना की गई संख्या के अनुसार होगी।
2. मुख्य अवतान की मिश्रित प्रजातियों के स्वस्थ वृक्षों को सही मिश्रण बनाये रखने के लिये रोका जायेगा।
3. सीधे उगे एवं अच्छे छत्र वाले स्वस्थ वृक्षों को रोकने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी, चाहे इसके लिए वृक्षों के अंतराल में थोड़ा बहुत परिवर्तन क्यों न करना पड़े।

14.12.2.2 मिश्रित वृक्षारोपण :–

वनमण्डल में मिश्रित प्रजातियों के वृक्षारोपण किये गये हैं। इन सभी प्रजातियों की बढ़त दरें अलग–अलग हैं एवं सभी प्रजातियों के बढ़त आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

1. 11 वे एवं 21 वे वर्ष में विरलन पूर्व में उल्लेखित सगरिया सूत्र अनुसार किया जावेगा।
2. रोपण के बीच में आये फलदार वृक्षों को नहीं काटा जायेगा।
3. अन्य प्रजातियों के सीधे एवं स्वस्थ पौधों को जो वृक्षारोपण की बढ़त में बाधा न डालें, रोका जावेगा। बीज से उगे पौधों को प्राथमिकता दी जावेगी। इन पौधों को अंगीकृत कर मिट्टी चढ़ाने एवं थाला बनाने का कार्य किया जायेगा।

14.12.2.3 बाँस वृक्षारोपण :–

सफल बाँस वृक्षारोपण क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्य किये जावेगे –

1. वृक्षारोपण के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भिर्रों में आवश्यकतानुसार सफाई एवं मृदा उपचार कार्य मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित परियोजनानुसार कराये जावेंगे।
2. बाँस वृक्षारोपण क्षेत्रों में 8 वें वर्ष में बाँस भिर्रों की स्थिति अनुसार रोपण क्षेत्र को क्रम संख्यांक (A) से (D) आवंटित कर मानक बाँस कटाई नियमों के तहत बाँस कटाई मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित परियोजनानुसार कराई जायेगी।

तत्पश्चात् ड्यू उपचारांश अनुसार इस क्षेत्र में नियमित रूप से बाँस कटाई का कार्य कराया जायेगा। प्रति वर्ष क्रम संख्या के अंतर्गत आवंटित बाँस रोपण क्षेत्र का अभिलेख रखा जायेगा एवं कक्ष–इतिहास में प्रविष्टि की जायेगी।

3. ऐसे सभी बाँस समूह जिनकी सीमाएँ स्पष्ट एवं एक दूसरे से अलग–अलग हो, को अलग–अलग भिर्रा माना जायेगा चाहे उनके बीच कितनी ही कम दूरी क्यों न हो। जहां इस प्रकार अलग–अलग भिर्रे स्पष्ट न हों वहाँ एक एक मीटर की दूरी के अंदर आने वाले दो बाँस झुण्डों को एक ही भिर्रा माना जायेगा।

4. बाँस की ऊँचाई के आधार पर इन्हें निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा –

स्थल गुणवत्ता की श्रेणी	भिर्रा की अधिकतम ऊँचाई (मीटर)
प्रथम	9 से अधिक
द्वितीय	6–9
तृतीय	6 से कम

5. स्थल गुणवत्ता श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में बाँस संरक्षित रखे जायेंगे –

स्थल गुणवत्ता श्रेणी	संरक्षित बाँस संख्या
प्रथम	20 बाँस
द्वितीय	15 बाँस
तृतीय	10 बाँस

6. प्रत्येक भिर्रे में संरक्षित किए जाने वाले बाँस में करला बाँसों की संख्या के दुगने के बराबर (महिला+पकिया) बाँस छोड़े जायेंगे।

7. ऐसे किसी बाँस भिर्रे में कटाई नहीं की जायेगी, जिसमें न्यूनतम निर्धारित संख्या या उससे कम बाँस हों। ऐसे भिर्रो में मात्र टूटे, सूखे एवं बुरी तरह क्षतिग्रस्त तथा अत्यधिक परिपक्व बाँस ही काटे जायेंगे बशर्ते ऐसा करना वन वर्धनिक दृष्टि से उचित हो।
8. संरक्षित किये जाने वाले बाँस यथासंभव भिर्रे की परिधि पर एवं समुचित दूरी पर होने चाहिए। बाँस की कटाई भिर्रे के केन्द्र से प्रारम्भ होकर परिधि की ओर अग्रसर होगी।
9. संरक्षित किए जाने वाली बाँसों की प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रखा जायेगा – करला, महिला, कम आयु के हरे बाँस, पुराने जीवित बाँस, उपलब्धता अनुसार अन्य बाँस।
10. किसी भी स्थिति में करला एवं महिला बाँस नहीं काटे जायेंगे।

- **अग्नि सुरक्षा एवं चराई नियंत्रण :** सभी उपचारित पातनांशों को अग्नि सुरक्षा के प्रथम श्रेणी में रखा जावेगा तथा उन्हें मुख्य कार्य वर्ष के बाद, कार्य वर्ष सहित छः वर्षों तक विशेष अग्नि सुरक्षा प्रदान की जावेगी। सभी उपचारित पातनांशों में छः वर्षों तक चराई प्रतिबंधित की जायेगी।

- **बीज के संग्रहण पर प्रतिबंध** : मुख्य उपचार वर्ष को शामिल करते हुए छः वर्षो तक सभी विदोहित वार्षिक कार्य इकाईयों में बीज का संग्रहण नहीं किया जावेगा, जिससे प्राकृतिक पुररूत्पादन प्राप्त करने में मदद मिल सके।

- **अन्य नियमन** : वार्षिक उपचार इकाई से संबंधित अनुमोदित प्रोजेक्ट की एक प्रति संबंधित कक्ष की कक्ष इतिहास की पत्रावली में नस्ती की जावेगी। स्वीकृत कार्यों के सम्पन्न होने के उपरान्त भौतिक एवं वित्तीय

उपलब्धियां दर्शाते हुए कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की एक प्रति भी कक्ष इतिहास की पत्रावली में लगाई जावेगी। समस्त अभियांत्रिकी कार्यों के लिये माप पुस्तिका तैयार की जावेगी और उसका सारांश कार्य पूर्णता प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावेगा। वार्षिक उपचार इकाई से संबंधित अनुमोदित प्रोजेक्ट की एक प्रति तथा कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की एक प्रति अभिलेख हेतु वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल को प्रेषित की जायेगी। यदि उपचार इकाई वन्य प्राणी संरक्षण प्रबंधन वृत्त में पड़ती है, तो वन्य प्राणी संरक्षण प्रबंधन वृत्त के उपचार भी लागू होंगे।

14.13 उपचार की सारणीः– उपचार की सारणी परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट कमांक–70 एवं 71 में संलग्न है।

...000...

अध्याय – 15
बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त
(Rehabilitation Of Degraded Forest Working Circle)

15.1 कार्यवृत्त का सामान्य गठन –

- **उद्देश्य :–**

इस कार्यवृत्त का गठन निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के अधीन किया गया है–

1. बिगड़े हुए वनों का पुनर्स्थापन कर सस्य के स्वास्थ्य में सुधार तथा वन क्षेत्रों से स्थानीय समुदायों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
2. भू–क्षरित क्षेत्रों में उपयुक्त भू–जल संरक्षण कार्य करना।
3. उपलब्ध जड़–भण्डार का संरक्षण एवं कृत्रिम पुनरुत्पादन से वन आवरण में वृद्धि करना।
4. बिगड़े हुए वन क्षेत्रों में उपलब्ध जीवित जड़ भण्डार एवं स्थूण प्ररोह के उपचारण से वनों की पुनर्स्थापना।
5. जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन।
6. स्थानीय जनता की सहभागिता से वन क्षेत्र का संरक्षण करना तथा स्थानीय जनता के लिए रोजगार सृजन करना।
7. वन्य जीवों हेतु रहवास सुधार करना।

15.2 आधार :–

इस कार्य वृत्त में –

1. ऐसे कक्षों को शामिल किया गया है जिनमें पर्याप्त जड़ भण्डार वाला क्षेत्र कक्ष के कुल विरल एवं रिक्त वन (अतिक्रमण सहित) क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक।

2. ऐसे कक्षों को शामिल किया गया है जिसमें पर्याप्त जड़ भण्डार वाला क्षेत्र कक्ष के कुल विरल एवं रिक्त वन (अतिक्रमण सहित) क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक।

15.3 कार्यवृत्त में सम्मिलित वनक्षेत्र :–

कार्य आयोजना के द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनांक 23/06/2021 एवं 24/06/2021 में लिये गये निर्णय बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार "प्रस्तावित कार्य आयोजना में शासन के पत्र क्रमांक/एफ–25–08/2015/10–3 दिनांक 04/06/2015 में निहित निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यवृत्त में निजी भूमि को पृथक से दर्शाया जायेगा। प्रत्येक कार्यवृत्त के अंतर्गत निजी भूमि को प्रबंधन से पृथक रखा जायेगा तथा कार्य अयोग्य क्षेत्र दर्शाया जायेगा। कार्यवृत्त के उपचारों में निजी भूमि पर कोई मार्किंग या अन्य विभागीय कार्य न करने का उल्लेख किया जायेगा। कार्य आयोजना में कार्यवत्त में नजी भूमि स्वामियों की सूची कक्षवार परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जायेगी।" कार्य आयोजना में निजी भूमि सम्मिलित नहीं हैं। निजी भूमि के संबन्ध में भोपाल वनमण्डलाधिकारी का पत्र परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–30 पर दर्शित है।

इस कार्यवृत्त में 105 कक्षों का कुल 18218.67 हे. वनक्षेत्र सम्मिलित किया गया है, जो कार्य आयोजना के प्रबन्धन में शामिल कुल क्षेत्र का 40.27 प्रतिशत है। इस कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र को संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टिकोण से 10 वर्ष के आवर्तन चक्र में 41 उपचारश्रेणियों में विभाजित किया गया है।

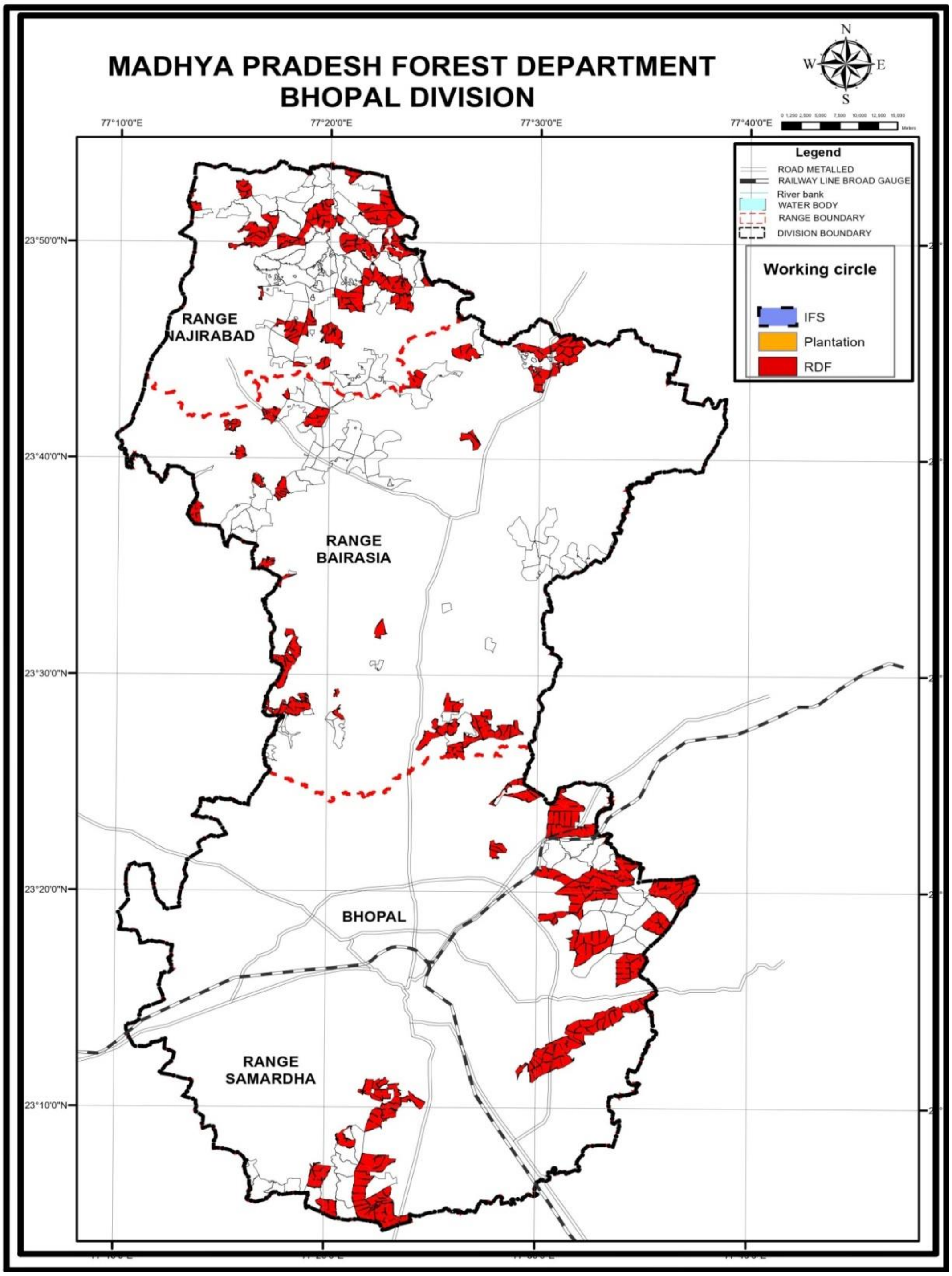

चित्र क्रमांक 3.1 बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त

विगत कार्य आयोजना में विभिन्न कार्यवृत्तों में शामिल वनक्षेत्र को वर्तमान घनत्व, आयु, आयतन, मृदा का प्रकार/गहराई एवं ढलान आदि के आधार पर उपयुक्त पाये जाने के कारण इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत निम्नानुसार शामिल किया गया है–

तालिका क्रमांक –15.1

कार्यवृत्त में विगत कार्य योजना के विभिन्न कार्य वृत्तों का क्षेत्र (हे.)

प्रचलित कार्य आयोजना के कार्यवृत्तों का क्षेत्र जो इस कार्यवृत्त में शामिल है।					
विवरण	सुधार	बिगड़े वनों का सुधार	वृक्षारोपण	नवीन कक्ष	योग
कक्ष	21	47	31	6	**105**
क्षेत्रफल	4947.09	9318.52	3231.68	721.37	**18218.67**

15.3.1 परिक्षेत्रवार शामिल क्षेत्र – सुधार कार्यवृत्त में कार्य आयोजना क्षेत्र का 18218.67 है. वन क्षेत्र शामिल किया गया है जिसका परिक्षेत्रवार विवरण तालिका क्रमांक 3.2 अनुसार है–

तालिका क्र. – 15.2

कार्यवृत्त में आबंटित परिक्षेत्रवार कक्ष संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण (हे. में)

परिक्षेत्र	वैधानिक स्थिति	कक्ष संख्या	प्रबंधन में शामिल क्षेत्र
बैरसिया	आरक्षित वन	12	2516.64
	संरक्षित वन	21	2133.03
नजीराबाद	आरक्षित वन	13	2674.42
	संरक्षित वन	16	2134.95
समर्धा	आरक्षित वन	14	3482.18
	संरक्षित वन	29	5277.46
महायोग :–		**105**	**18218.67**

15.3.2 सस्य का सामान्य विवरण :–

कार्यवृत्त में शामिल किए गए सघन विरल रिक्त अतिक्रमण एवं अन्य वन क्षेत्र का परिक्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्र. –15.3

परिक्षेत्रवार, वनक्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

अनु.क्र.	परिक्षेत्र	सघन	विरल	रिक्त	अतिक्रमण	नदी/ नाला	योग	प्रतिशत
1	बैरसिया	187.03	3192.73	283.27	977.96	8.68	4649.66	**25.52%**
2	नजीराबाद	1042.82	2370.04	421.45	960.73	14.33	4809.37	**26.40%**
3	समर्धा	1198.60	6629.11	344.96	499.79	87.18	8759.64	**48.08%**
	महायोग	**2428.45**	**12191.88**	**1049.68**	**2438.48**	**110.19**	**18218.67**	**100.00%**
	प्रतिशत	**13.33%**	**66.92%**	**5.76%**	**13.38%**	**0.60%**	**100.00%**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में शामिल किये गये क्षेत्र में सघन वन मात्र 13.33 प्रतिशत है। इस कार्य वृत्त में विरल वन 66.92 प्रतिशत है।

15.3.3 वन प्रकार –

इस कार्यवृत्त में शामिल सघन एवं विरल वन क्षेत्रों में वन प्रकार का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 15.4

परिक्षेत्रवार, वन प्रकार वार वनक्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	परिक्षेत्र	सागौन	मिश्रित	योग	प्रतिशत
1	बैरसिया	1141.91	2237.85	**3379.76**	**21.61%**
2	नजीराबाद	3270.35	142.50	**3412.86**	**21.33%**
3	समर्धा	1305.21	6522.50	**7827.71**	**57.05%**
	महायोग	**5717.48**	**8902.85**	**14620.33**	

इस कार्यवृत्त के वनों में मिश्रित प्रजातियों की बहुतायत है। मिश्रित प्रजातियों में मुख्य रूप से सलई, खैर,, धावड़ा, गुर्जन, आदि हैं। इनमें से ज्यादातर प्रजातियाँ अच्छी कॉपिस हैं, जिनमें संरक्षण प्राप्त होने पर पुनः विकसित होने की क्षमता है।

15.3.4 स्थल गुणवत्ता –मध्यप्रदेश स्थल गुणवत्ता के आधार पर इस कार्यवृत्त में परिक्षेत्रवार, गुणवत्ता श्रेणीवार वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्र.– 15.5

परिक्षेत्रवार, गुणवत्ता श्रेणीवार वन क्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

परिक्षेत्र	IVa	IVb	Va	Vb	योग	प्रतिशत
बैरसिया	0.00	0.00	111.05	3268.71	**3379.76**	**23.12%**
नजीराबाद	0.00	47.14	757.73	2607.99	**3412.86**	**23.34%**
समर्धा	0.00	97.93	434.39	7295.40	**7827.71**	**53.54%**
योग	**0.00**	**145.07**	**1303.17**	**13172.10**	**14620.33**	**100.00%**
प्रतिशत	**0.00%**	**0.99%**	**8.91%**	**90.09%**	**100.00%**	

इस कार्यवृत्त का 90.09 प्रतिशत वनक्षेत्र Vb स्थल गुणवत्ता का क्षेत्र है अर्थात् तीन चौथाई क्षेत्र औसतन 9 मीटर से कम ऊँचाई के वृक्षों का है जो इस क्षेत्र के वनों की विशेष पहचान को प्रदर्शित करता है।

15.3.5 आयु वर्ग – इस कार्यवृत्त में परिक्षेत्र, आयु वर्गवार वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र.– 15.6
परिक्षेत्रवार, आयुवर्गवार वनक्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

परिक्षेत्र	आयुवर्ग			योग	प्रतिशत
	युवा	मध्यम	परिपक्व		
बैरसिया	154.97	32.06	0.00	**187.03**	**7.70%**
नजीराबाद	1003.70	39.12	0.00	**1042.82**	**42.94%**
समर्धा	1052.10	146.50	0.00	**1198.60**	**49.36%**
योग	**2210.77**	**217.68**	**0.00**	**2428.45**	**100.00%**
प्रतिशत	**91.04%**	**8.96%**	**0.00%**	**100.00%**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्र में युवा आयु वर्ग की प्रधानता है। इस कार्यवृत्त के सघन वनों में लगभग 91.04 प्रतिशत क्षेत्र में युवा आयु के वृक्ष हैं एवं 8.96 प्रतिशत मध्यम आयु के वृक्ष हैं। इस कार्यवृत्त में परिपक्व आयुवर्ग का वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं है।

15.3.6 ढलानवार विवरण – कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्रों का ढलानवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र.– 15.7
ढलानवार वनों का विवरण (क्षेत्रफल हे.)

ढलान	परिक्षेत्र			महायोग	प्रतिशत
	बैरसिया	**नजीराबाद**	**समर्धा**		
कक्ष संख्या	**33**	**29**	**43**	**105**	
<10°	4037.47	4232.83	8046.80	16317.09	**84.02%**
10° TO 30°	625.37	929.45	976.76	2531.58	**13.04%**
30° TO 40°	33.94	120.18	198.57	352.69	**1.82%**
>40°	16.68	101.35	100.72	218.75	**1.13%**
महायोग	**4713.46**	**5383.81**	**9322.85**	**19420.11**	

नोट :- उपरोक्त क्षेत्र में वनग्राम, डी.आर.डी.ओं. एवं एन.टी.आर.ओ. को प्रदाय क्षेत्र भी सम्मिलित है। अतः परिक्षेत्रवार क्षेत्रफल का मिलान कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रफल से नहीं किया जा सकता है।

कार्यवृत्त में शामिल किए गए वनक्षेत्र का 84.02 प्रतिशत भाग 10 प्रतिशत की ढलान वाला अर्थात् समतल है। चूँकि इस कार्यवृत्त का ज्यादातर क्षेत्र समतल है इसी कारण इस पर मवेशियों की पहुँच भी आसान है तथा उसी अनुपात में जैविक दबाव भी अधिक है।

15.4 सस्य की सामान्य विशेषताएं सस्य का विश्लेषण एवं पुनरुत्पादन :–

इस कार्यवृत्त के 136 प्लाटों में किये गये वन संसाधन सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पुनरुत्पादन प्रति हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया जा रहा है–

तालिका क्र.– 15.8

प्रजाति समूहवार पुनरूत्पादन की स्थिति का विवरण

वैधानिक स्थिति	खंडक संख्या	सागौन	मिश्रित	योग
आरक्षित	68	361.52	995.72	1357.24
संरक्षित वन	68	351.31	865	1216.31
औसत	**136**	**356.42**	**930.36**	1286.78

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में बीजांकुर से पुनरुत्पादन की स्थिति अपर्याप्त है। अतः सहायक वन वर्धनिक कार्य एवं चराई तथा अग्नि पर नियंत्रण रखते हुये पुनरुत्पादन की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

15.4.1 प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना की तुलना :–

प्रस्तावित कार्य आयोजना के कार्यवृत्तवार विभिन्न प्रजातियों के गोलाईवार प्रति हेक्टेयर वृक्ष संख्या का विवरण कार्य आयोजना की पुस्तक वन संसाधन सर्वेक्षण में परिशिष्ट क्रमांक – 13 एवं कार्यवृत्तवार विभिन्न प्रजातियों के गोलाईवार प्रति हेक्टेयर आयतन (घ.मी.) का विवरण कार्य आयोजना की पुस्तक वन संसाधन सर्वेक्षण में परिशिष्ट क्रमांक –14 पर दिया गया है।

प्रचलित कार्य आयोजना में इस कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की तत्कालीन एवं वर्तमान संख्या एवं आयतन प्रति हेक्टेयर का तुलनात्मक

विवरण, तथा पुनरीक्षित कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की वर्तमान संख्या एवं आयतन प्रति हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया गया है।

तालिका क्र. – 15.9

प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना में वृक्षों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

वन प्रकार	सागौन					मिश्रित				
गोलाई वर्ग (सेमी)	<60	61-120	>120	योग	%	<60	61-120	>120	योग	%
प्रचलित कार्य आयोजना	विगत कार्य आयोजना में कार्य वृत्तवार आंकड़े अनुपलब्ध हैं।									
पुनरीक्षित कार्य आयोजना	74.338	6.618	0.515	81.471	27.97%	195.662	12.426	1.691	209.779	72.03%

तालिका क्रमांक–15.10

प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना में वृक्षों के आयतन का तुलनात्मक विवरण

वनप्रकार	सागौन					मिश्रित				
गोलाई वर्ग (सेमी)	<60	61-120	>120	योग	%	<60	61-120	>120	योग	%
प्रचलित कार्य आयोजना	विगत कार्य आयोजना में कार्य वृत्तवार आंकड़े अनुपलब्ध हैं।									
पुनरीक्षित कार्य आयोजना	1.602	1.556	0.482	3.64	33.53%	3.27	2.579	1.368	7.217	66.47%

- **निष्कर्षः** प्रचलित कार्य आयोजना में कार्यवृत्त का प्रति हेक्टेयर गोलाई वर्गवार विवरण नही दिया गया है। कार्य आयोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से खैर, सलई, मोयन, आँवला, धावड़ा, लेंडिया, तेंदू, रेंमझा, केम, पलास आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सीमित क्षेत्रों में सेमल, हल्दू, कुसुम, बीजा आदि प्रजातियाँ बिखरी हुई पायी गईं, जबकि कुल्लू के वृक्ष यदाकदा ही पाये गये। खैर संकटापन्न स्थिति में है, इनको संरक्षण प्राप्त होने पर पुनः विकसित होने की संभावना है। कार्य आयोजना क्षेत्र में अधिकतर Va एवं Vb गुणवत्ता श्रेणी के वृक्ष हैं।

15.5 उपचार पद्धति :–

कार्यवृत्त में सम्मिलित क्षेत्र को जैविक दबाव, अग्नि एवं अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाना आवश्यक है। कार्यवृत्त का मुख्य उद्देश्य बिगड़े वनों का पुनर्स्थापन करना तथा मृदा संरक्षण कर भू–क्षरण को रोकना है। इस कार्यवृत्त में वनों के प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार उपचार पद्धति अपनाई जायेगी–

1 क्षेत्र में उपलब्ध जड़ भण्डार के उपचार द्वारा पुनरुत्पादन में गुणात्मक वृद्धि, वृक्षारोपण हेतु रिक्त क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानीय प्रजातियों का रोपण, सतही मृदा वाले क्षेत्रों में जलाऊ एवं चारागाह विकास, पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उच्च तकनीकी रोपण तथा कार्य योग्य क्षेत्रों में हल्के सुधार पातन का कार्य किया जावेगा। सस्य का प्रभावी रक्षण कर, उपयुक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रूटशूट रोपण द्वारा आवरण बढ़ाकर सम्पूर्ण क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि की जावेगी। अनावृत क्षेत्र में भू–जल संरक्षण कार्य किया जावेगा।

2 गहरी मिट्टी वाले भू–भागों में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए वृक्षारोपण किया जायेगा।

3 गाँव से लगे हुए अच्छी मृदा वाले वन क्षेत्र में ग्रामीणों की माँग अनुसार ऊर्जा वन (जलाऊ रोपण) को प्राथमिकता दी जावेगी ताकि ग्रामीणों को जलाऊ की पूर्ति की जा सके।

4 वन्य प्राणियों के पर्यावास स्थलों को पूर्ण संरक्षण दिया जावेगा।

5 कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्रों में उपचारों के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इन वन क्षेत्रों से जुड़ी ग्राम वन समितियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। ग्राम वन समितियों को आवंटित कक्षों में उपचार कार्य समिति द्वारा तैयार एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अनुमोदित माइक्रो प्लान के अनुसार कराये जायेंगे। माइक्रो प्लान बनाते समय कार्यवृत्त के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जायेगा। ग्राम वन समितियों को आवंटित क्षेत्र में अनुमोदित माइक्रो प्लान नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त के प्रावधानों के अनुसार उपचार कार्य विभागीय रूप से कराये जायेंगे।

6 यदि समिति क्षेत्र में पूर्व में जिन क्षेत्रों का उपचार किया जा चुका है तो उन क्षेत्रों को फिर से उपचारित नहीं किया जावेगा, परन्तु उसमें रख–रखाव कार्य किया जावेगा। यदि पूर्व के उपचारित क्षेत्र सफल नहीं है तो उन कारणों/कारकों की जाँच कर पता लगाया जावेगा

एवं उन उपायों का प्रावधान प्रोजेक्ट में किया जाकर पुनः उपचारण कार्य विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।

7 सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाते समय संबंधित वनक्षेत्र में अवैध पातन, अतिक्रमण, अग्नि दुर्घटना, पुनरुत्पादन की स्थिति, वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत, जैव विविधता आदि से संबंधित बेसलाइन डाटा का समावेश किया जावेगा। सूक्ष्म प्रबंध योजना के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य, इस कार्यवृत्त के प्रावधानों के अनुरूप ही कराए जायेंगे। इन क्षेत्रों में रोपण एवं वन वर्धन हेतु ऐसी स्थानीय प्रजातियों एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ इत्यादि का चयन किया जावेगा, जो ग्रामीणों की लकड़ी, ईंधन, अकाष्ठीय लघु वनोपज एवं चारे जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। औषधीय वृक्ष प्रजातियों, शाकों एवं बेलाओं को भी बढ़ावा दिया जावेगा। सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार कराए जा रहे वानिकी कार्यों की पाँचवें वर्ष में मध्यावधि समीक्षा (Mid Term Review) की जावेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो कार्यों का पुनर्निर्धारण किया जावेगा। सूक्ष्म प्रबंध योजना, कार्य आयोजना संहिता–2014 में दिये गये निर्देशों एवं प्रारूपों के अनुसार तैयार की जावेगी।

8 उपचारित क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती/पशु अवरोधक दीवार/बारबेड वायर फेंसिंग आदि की व्यवस्था की जावेगी।

15.6 उपचार चक्र :–

कार्यवृत्त में कुल 41 उपचार श्रेणियाँ बनायी गयी हैं तथा प्रबन्धन की निरंतरता बनाए रखने तथा सस्य को यथासंभव अल्पावधि में उपचारित करने हेतु 10 वर्ष का उपचार चक्र रखा गया है।

15.7 उपचार श्रेणियों का निर्धारण :–

15.7.1 इस कार्यवृत्त में उपचार की सुगमता की दृष्टि से 41 उपचार श्रेणियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक उपचार श्रेणी को 10 वार्षिक उपचारांश में विभाजित किया गया है, जिससे प्रत्येक उपचारांश प्रतिवर्ष औसत लगभग 44.44 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचारित किया जायेगा। उपचार श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार वर्णित है।

तालिका क्र.– 15.11
कार्यवृत्त में उपचार श्रेणियों का विवरण

कमांक	उपचार श्रेणी	परिक्षेत्र	कक्ष संख्यी	प्रबंधन में सम्मिलित क्षेत्र (हे.)
1	कीटगढ़	नजीराबाद	3	493.742
2	रावतपुरा	नजीराबाद	2	268.411
3	कोलूखेड़ी	नजीराबाद	2	431.245
4	गौरैया	नजीराबाद	3	658.817
5	कालापाठा	नजीराबाद	2	429.114
6	मझेरा	नजीराबाद	3	330.217
7	हरिपुरा	नजीराबाद	1	295.466
8	आमझिरा	नजीराबाद	2	504.188
9	ढोकापुरा	नजीराबाद	2	240.726
10	बाबू खेड़ी	नजीराबाद	3	340.805
11	नेकली	नजीराबाद	1	387.022
12	मीनापुरा	नजीराबाद	5	429.616
13	तरावली	बैरसिया	4	471.197
14	मनपुरा	बैरसिया	2	445.551
15	जूनापानी	बैरसिया	2	310.130
16	कढ़ैयाखो	बैरसिया	2	204.423
17	घमरा	बैरसिया	3	285.600
18	गुनगा	बैरसिया	6	596.467
19	दिल्लौखद	बैरसिया	2	449.449
20	कालरा	बैरसिया	2	373.482
21	पोलासगंज	बैरसिया	2	300.152
22	कोटरा चोपड़ा	बैरसिया	2	457.758
23	कीरत नगर	समर्धा	2	408.599
24	बालमपुर	समर्धा	2	588.031
25	बालमपुर–II	समर्धा	2	386.604

कमांक	उपचार श्रेणी	परिक्षेत्र	कक्ष संख्यी	प्रबंधन में सम्मिलित क्षेत्र (हे.)
26	सुखी सेवनिया	समर्धा	2	607.712
27	सतकुंडा–II	समर्धा	2	651.908
28	पड़रिया	समर्धा	3	724.968
29	समर्धा–II	समर्धा	3	480.875
30	बिलखिरिया	समर्धा	3	509.493
31	झिरियाखेड़ी	समर्धा	3	684.757
32	बिलखरिया कला	समर्धा	2	486.333
33	सांकल	समर्धा	3	532.909
34	लहारपुर	समर्धा	4	287.395
35	केरवा	समर्धा	3	392.169
36	कालापानी ए	समर्धा	2	568.893
37	बोर्धा	समर्धा	2	643.990
38	कालापानी बी	समर्धा	2	451.433
39	चंदनपुरा	समर्धा	3	353.575
40	कोला 1	बैरसिया	2	506.891
41	विक्रमपुर II	बैरसिया	4	248.562
	महायोग		**105**	**18218.67**

15.7.2 उपचार श्रेणियों में कक्षों का आवंटन :–

इस कार्य वृत्त के अन्तर्गत निर्धारित उपचार श्रेणियों में कक्षों का आवंटन परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–72 में दिया गया है। इस कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र एवं उसके उपचार विधि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका क्रमांक –15.12
बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त का संक्षिप्त विवरण

क्र.	विषय	विवरण
1	2	3
1	क्षेत्रफल हे.	18218.67
2	क्षेत्रफल प्रतिशत	40.27%
3	कक्ष संख्या	105
4	उपचार श्रेणी संख्या	41
5	उपचार श्रेणी का औसत क्षेत्रफल हे.	444.36
6	वार्षिक उपचारांश का औसत क्षेत्रफल हे.	44.44
7	पुनरुत्पादन की विधि	प्राकृतिक, कृत्रिम
8	उपचार चक्र	10 वर्ष
9	उपज का नियमन	आकस्मिक
10	कुल वृक्षों की संख्या प्रति हे.	291
11	वृक्षों का आयतन प्रति हे. (घमी)	10.857
	पुनरुत्पादन प्रति हे.	1287

15.7.3 वार्षिक उपचारांश–

कार्यवृत्त में शामिल सभी उपचार श्रेणियों को दस–दस वार्षिक उपचारांश में विभाजित कर I से X तक क्रमांक दिए गए हैं। उपचार श्रेणियों में वार्षिक कूपों का आवंटन परिशिष्ट क्रमांक–73 में दिया है। वार्षिक उपचारांशों का क्षेत्रफल सामान्यतया 44.44 हैक्टेयर रखा गया है, जिससे उपचारांश सीमांकन एवं प्रबन्धन में भी सुविधा रहेगी। इन वार्षिक उपचारांशों को भी संनिधि मानचित्र एवं प्रबन्धन मानचित्र पर अंकित किया गया है।

15.8 उपज का नियमन :–

इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत चूँकि उपज प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, अतः प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अनुमान लगाना संभव नहीं है। कार्यवृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में अधिकतर पुनर्स्थापना के कार्य ही किये जावेंगे। अतः इस कार्यवृत्त में केवल पारिस्थितिजन्य एवं आकस्मिक प्राप्तियों की ही संभावना है। अतः परम्परागत रूप से उपज के नियमन की आवश्यकता नहीं है। उपचारित क्षेत्रों से घास वन समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।

15.9 उपचार वर्ग :–

इस कार्यवृत्त के अंतर्गत सम्मिलित वन क्षेत्र को निम्न उपचार वर्गों में विभाजित करते हुए क्षेत्र का उपचार मानचित्र तैयार किया जाएगा।

उपचारांशों का सीमांकन कार्य वन क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्यो के एक वर्ष पूर्व किया जायेगा।

- **कार्य निष्पादन का तरीका**

समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभागीय रूप से कराए जायेंगे। एक वर्ष अग्रिम में उपचारों का सीमांकन मानक प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। सीमांकन उपरान्त कूप का 1:12,500 के मापमान पर संशोधित संनिधि मानचित्र तथा उपचार मानचित्र परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा, जिसका सत्यापन उप वनमण्डल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों के समीप स्थित ग्रामीणों और आदिवासियों की वन विकास एवं प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। वन समितियों को प्रोत्साहित किया जाकर बिगड़े वनों को अच्छे वनों में परिवर्तित किया जावेगा। रोजगार मूलक कार्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा दिया जावेगा।

उपचार मानचित्र में सभी उपचार वर्गों के क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शाये जायेंगे। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए अलग उपचार वर्ग नहीं दर्शाया जायेगा। उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा इन मानचित्रों का मौके पर सत्यापन करने तथा उनमें आवश्यक सुधार करने के उपरान्त एक–एक हस्ताक्षर युक्त प्रति परिक्षेत्र तथा वनमंडल के कक्ष इतिहास की नस्ती में लगाई जावेगी। तीसरी प्रति मार्किंग बुक के प्रथम पृष्ठ पर चस्पा की जावेगी। चौथी प्रति वनसंरक्षक, कार्य आयोजना भोपाल को प्रेषित की जावेगी।

15.9.1 उपचार वर्ग (अ) – रक्षित क्षेत्र –

इस उपचार वर्ग में निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे –

(i) 40^0 से अधिक ढलान वाले क्षेत्र।

(ii) भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र।

(iii) बारहमासी नदियों के किनारे से 200 मी. की पट्‌टी का क्षेत्र।

(iv) सभी जीवित नालों के दोनों ओर 50 मी. चौड़ी पट्‌टी का क्षेत्र।

(v) पालाग्रस्त एवं स्थाई रूप से रिक्त क्षेत्र।

(vi) सुपरिभाषित कगारों वाले नदी नालों जिनमें माह जनवरी तक पानी रहता है एवं नहरों के दोनों ओर के 20 मीटर का क्षेत्र।

(vii) चट्टानी एवं स्थायी रूप से रिक्त क्षेत्र (बी.एल.4 एवं यू.एस.4) ।

(viii) वनमार्ग एवं अन्य समस्त मार्ग के दोनों ओर 6 मी. चौड़ी पट्टी का क्षेत्र ।

(ix) वन्यप्राणियों के विशिष्ट वृहद पर्यावास स्थल :–

इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे –

(1) वन्य प्राणियों के मुख्य वृहद पर्यावास स्थलों के चारों ओर 100 मी. की चौड़ी पटटी का क्षेत्र, मुख्य पर्यावास स्थलों में जलीय क्षेत्र, दलदली/आर्द्र क्षेत्र, भू भाग, तिलस्मी स्थल, ओल्ड ग्रोथ स्टैण्ड, ग्रास लैण्ड, बायोजिकल हॉट स्पॉट की साइट्स आदि आते हैं।

(2) वन्य प्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावास स्थलों के चारों ओर 50 मी. चौड़ी पट्टी का क्षेत्र, इसमें सूक्ष्य आवास स्थल, स्नेग डेन ट्रीज (Snag Den Trees), डाउन लॉग्स (Down logs) आदि हैं, इसके साथ प्राकृतिक गुफायें, चट्टानी कगार, चट्टान क्षेत्र तथा पत्थरों के ढेर भी सम्मिलित हैं।

15.9.2 उपचार वर्ग (ब) – विरल एवं रिक्त वन क्षेत्र –

इस वर्ग में 40 प्रतिशत से कम ढलान के निम्नानुसार क्षेत्रों को शामिल किया गया है,

जड़ भण्डार एवं मृदा की गहराई के आधार पर इस उपचार वर्ग को निम्नानुसार उप वर्ग में विभाजित किया जायेगा–

(i)– स्थूणक प्रजातियों (खैर, सागौन, धावड़ा, लेण्डिया आदि) के पर्याप्त जड़ भण्डार वाले विरल (US2) एवं रिक्त (BL2) वन क्षेत्र।

(ii)– स्थूणक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले अच्छी गहरी मृदायुक्त विरल (US1) एवं रिक्त (BL1) वन क्षेत्र।

(iii)– स्थूणक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डारयुक्त कम गहरायी की मृदा वाले विरल (US3) एवं रिक्त (BL3) वन क्षेत्र।

(iv)– सतही मृदा वाले घास रोपण योग्य क्षेत्र (US4) एवं (BL4)।

15.9.3 उपचार वर्ग (स) – पुराने वन वर्द्धनिक कार्यों के क्षेत्र –

(i) सफल वृक्षारोपण क्षेत्र ।

(ii) असफल वृक्षारोपण क्षेत्र ।

(iii) बिगड़े वनों के सफल उपचारित क्षेत्र

(iv) बिगड़े वनों के असफल उपचारित क्षेत्र

1. **सफल वृक्षारोपण क्षेत्र** – इसके अन्तर्गत ऐसे असिंचित रोपण क्षेत्र जिसमें कि जीवित पौधों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक एवं सिंचित तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण में जीवित पौधों की संख्या 75 प्रतिशत से अधिक हो।
2. **असफल वृक्षारोपण क्षेत्र** – इसके अन्तर्गत ऐसे असिंचित रोपण क्षेत्र जिसमें कि जीवित पौधों की संख्या 30 प्रतिशत से कम हो या शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार से कम हो।
3. **बिगड़े वनों के सफल उपचारित क्षेत्र** –इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जो कि बिगड़े वनों के सुधार योजना अंतर्गत पूर्व में उपचारित किये गये हैं तथा उपचार के फलस्वरूप ये क्षेत्र भविष्य में अच्छे युवा वन के रूप में स्थापित हो सकें।
4. **बिगड़े वनों के असफल उपचारित क्षेत्र** –इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जोकि बिगड़े वनों के सुधार योजना अंतर्गत पूर्व में उपचारित किये गये हैं किन्तु पूर्णतः सफल नहीं हो सके है तथा वर्तमान में सस्य में कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही है।

15.9.4 उपचार वर्ग (द) –शेष क्षेत्र–

1. **अतिक्रमण क्षेत्र**– इस उपचार वर्ग में निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे –

   (i) 24.10.80 के पूर्व के पात्र अतिक्रमण क्षेत्र ।

   (ii) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिनियम की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत अधिकार पत्र जारी किये गये क्षेत्र ।

(iii) अन्य अतिक्रमण क्षेत्र।

2. **अन्य क्षेत्र** –इस उपचार वर्ग में उपचारांश के मुख्यतः सघन वन क्षेत्र रहेंगे जहाँ घनत्व 0.4 से अधिक है तथा जो 25^0 (40 प्रतिशत) से कम ढलान वाले क्षेत्र हैं इसके अतिरिक्त वे सभी क्षेत्र जो किसी अन्य उपचार प्रकार में शामिल नहीं हो पाये उन्हें भी इस उपचार प्रकार में रखा जायेगा।

15.10 सामान्य उपचार नियम :–

सभी उपचार वर्गों में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :–

1. फलदार वृक्ष प्रजातियों जैसे– आँवला, महुआ, अचार, बहेडा, तेंदू, नीम, आम, बेल, बेर आदि के वृक्षों को रक्षित किया जावेगा।
2. धार्मिक आस्था से जुड़े वृक्ष जैसे– पीपल, बरगद, सलई तथा संकटापन्न प्रजातियों के वृक्ष जैसे– कुल्लू, शीशम, कुसुम, सेमल, हल्दू एवं बीजा आदि के वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।
3. कुँए, तालाब, पड़ाव, पूजा स्थल, स्थानीय देवस्थान आदि के आसपास छायादार वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।
4. 90 से.मी. गोलाई तक के सभी स्थूणक प्रजातियों के जीवित ठूँठ जमीन की सतह से काटे जायेंगे। ठूंठ ड्रेसिंग का कार्य तेज धारदार कुल्हाड़ी से किया जायेगा जिससे ठूँठ न फटे, साथ ही बने हुए ठूँठ का आकार गुम्बद जैसा हो, ताकि वर्षा का पानी उस पर न रूके।
5. प्रत्येक ठूँठ से उगे कॉपिस में से जमीन के तल के पास उगे 2 स्वस्थ प्ररोह छोड़कर समस्त प्ररोह काटे जायेंगे।
6. 20 से.मी. गोलाई तक की सागौन, धावडा एवं लेण्डिया की विकृत व क्षतिग्रस्त पौध को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन काटा जायेगा।
7. खैर, करधई, धावड़ा एवं सलई के एवं संकटापन्न प्रजातियों यथा कुल्लू, कुसुम, सेमल व बीजा के प्राकृतिक पुनरूत्पादन को

अंगीकृत किया जायेगा। अंगीकृत पुनरुत्पादन के चारों ओर थाले बनाये जायेंगे। पुनरुत्पादन अंगीकरण की विधि आलेख भाग–2 अध्याय–30 विविध नियमन में दी गई है।

8. सभी मृत खोखले अथवा ऐसे वृक्ष जो पक्षियों का बसेरा हों, उन्हें रक्षित किया जायेगा।

9. क्षेत्र में मरे, सूखे वृक्षों से औसतन 02 वृक्ष प्रति हेक्टेयर वन्यप्राणियों की दृष्टि से रोक कर शेष सभी मृत एवं हवा–आंधी से उखड़े वृक्षों को दोहन हेतु चिह्नांकित किया जायेगा। वृक्षों को रोकने में अधिकतम खोखले एवं अधिकतम गोलाई के तथा ऐसे वृक्ष जिन पर पक्षियों का बसेरा हो, उन्हें रोकने में प्राथमिकता दी जावेगी।

10. वन्यप्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म वानस्पतिक पर्यावास स्थल जैसे– स्नैग डेन ट्रीज, डाउन लॉग्स आदि के चारों ओर 20 मीटर की परिधि के क्षेत्र में नाला बंधान को छोडकर अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा इन संरचनाओं को संरक्षित किया जायेगा।

11. वन्यप्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म भू–समाकृतिकीय पर्यावास स्थलों (गुफा, मांद, चट्टानी किनारे, लटकती चट्टानें तथा पत्थरों के ढेर) के चारों ओर 20 मीटर की परिधि में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

12. उपचारांशों में जल स्रोत तथा भू एवं जल संरक्षण कार्य आवश्यकतानुसार किये जायेंगे। कार्य मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर करवाये जायेंगे।

13. 40 प्रतिशत से अधिक ढाल वाले क्षेत्र मे लेंटाना नहीं उखाड़ा जाएगा। अन्य क्षेत्र में आवश्यक होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश अनुसार लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जावेगा।

14. बारहमासी जलधाराओं के किनारे 200 मीटर की पट्टी में कोई भी वृक्ष काटा नहीं जावेगा।

15. जनवरी तक पानी धारण करने वाली नदियों में 50 मीटर तथा नालों के दोनों ओर 20 मीटर चौड़ी पट्टी मे कोई भी वृक्ष नहीं काटा जावेगा।

16 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदाय वन अधिकार पत्र के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन जैसे– मुनारा, सी.पी. टी., सी.पी.डब्ल्यू., सी.सी.टी., फेंसिंग से किया जावे जिससे वन अधिकार पत्र में आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अतिक्रमण न फैले।

17 **बीजारोपण–** छोटे–छोटे रिक्त क्षेत्रों में जहाँ वृक्षारोपण नहीं किया जाना है, वहाँ जुताई कार्य किया जाकर निम्न संनिधि के क्षेत्रों में एवं झाड़ियों में मृदा कार्य (Soil Working) कर स्थानीय प्रजातियाँ जैसे– खैर, नीम, चिरोल, प्रोसोपिस, अमलतास, महुआ, आँवला, उपचारित सागौन आदि का बीजरोपण किया जायेगा।

18 **पौधारोपण** – पौधारोपण हेतु ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्र की उपयुक्तता अनुसार सिंचित रोपण अथवा सामान्य रोपण का कार्य किया जायेगा। इसमें स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

19 इन क्षेत्रों में प्र.मु.व.सं. भोपाल के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

20 **प्रत्येक कार्य वृत्त** (Every working circle) में प्रत्येक एकान्तर (Alternate) वर्ष के पश्चात परिणामों मानदण्डों (Outcome Parametres) सहित अनुश्रवण प्रक्रिया एवं कार्य आयोजना अवधि की पूर्णता पर अपेक्षित परिणामों का विवरण दर्ज किया जावेगा।

21 कार्य प्रारंभ करने के एक वर्ष पूर्व सीमांकन उपरांत उपलब्ध 90 सेमी गोलाई तक के जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड की संख्या का आंकलन कर कार्य योजना बनाया जावेगा।

22 पुर्नस्थापना कार्यवृत्त में उपलब्ध 90 से.मी. गोलाई (Girth at Ground level) तक के समस्त स्थूणक प्रजातियों के जीवित ठूंठ एवं जीवित पोलार्ड को जमीन की सतह से काटा जावेगा एवं इसकी संख्या का गोलाईवार एवं वर्षवार रिकार्ड रखा जावेगा।

23 शासनादेश क्रमांक/3014/(2)/82 दिनांक 31.08.1982 के पालन में पर्यटन महत्व के दस स्थानों की सुरक्षा तथा सौंदर्य के लिये इन स्थानों के इर्द–गिर्द तीन–तीन किलोमीटर की दूरी तक वृक्षों की कटाई नहीं की जाना सुनिश्चि किया जायेगा।

15.10.1 कार्य निष्पादन का तरीका

1. समस्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभागीय रूप से कराए जायेंगे। एक वर्ष अग्र मि में उपचारों का सीमांकन मानक प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। सीमांकन उपरान्त कूप का 1:12,500 के मापमान पर संशोधित संनिधि मानचित्र तथा उपचार मानचित्र परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार किया जावेगा, जिसका सत्यापन उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
2. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों के समीप स्थित ग्रामीणों और आदिवासियों की वन विकास एवं प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। वन समितियों को प्रोत्साहित किया जाकर बिगड़े वनों को अच्छे वनों में परिवर्तित किया जावेगा। रोजगार मूलक कार्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा दिया जायेगा।
3. उपचार मानचित्र में सभी उपचार वर्गों के क्षेत्र स्पष्ट रूप से दर्शाये जायेंगे। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए अलग उपचार वर्ग नहीं दर्शाया जायेगा। उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा

इन मानचित्रों का मौके पर सत्यापन करने तथा उनमें आवश्यक सुधार करने के उपरान्त एक–एक हस्ताक्षर युक्त प्रति परिक्षेत्र तथा व वनमंडल के कक्ष इतिहास की नस्ती में लगाई जावेगी। तीसरी प्रति मार्किंग बुक के प्रथम पृष्ठ पर चस्पा की जावेगी। चौथी प्रति वनसंरक्षक, कार्य आयोजना भोपाल को प्रेषित की जावेगी।

15.11 विशिष्ट उपचार नियम :–

3.11.1 उपचार वर्ग "अ" :–

इस वर्ग में मुख्य रूप से सस्य को संरक्षित रखा जायेगा। मृत तथा वायुपातित वृक्षों को निकाला जायेगा। भू–जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। चराई तथा अग्नि से क्षेत्र को सुरक्षित रखा जायेगा। प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में मृदा एवं वन क्षेत्र की आवश्यकतानुसार आच्छादन बढ़ाने एवं भू–क्षरण रोकने हेतु मृदा की उपयोगिता अनुसार समस्त वानिकी कार्य जैसे– रोपण/बीजारोपण/रुटसूट रोपण/ चारागाह का कार्य किया जाएगा।

3.11.2 उपचार वर्ग ''ब'' :–

(i) पर्याप्त जीवित जड़ भण्डार वाले क्षेत्र (बी.एल.–2 एवं यू.एस–2) :–

(a) इन क्षेत्रों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल के पत्र क्रं. नि.स. /1417 दिनांक 23.12.99, पत्र क्रमांक 1114 दिनांक 30.04.2016 एवं पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 25.05.2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

(b) विद्यमान प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा।

(c) स्थूणक प्ररोहों से उगे नये प्ररोहों में नियमानुसार दो या तीन प्ररोहों को रख कर शेष को काटा जायेगा। यह कार्य ठूँठ

कटाई के तीसरे वर्ष में किया जाएगा। एकलीकरण का कार्य नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जाएगा।

(d) क्षेत्र में खैर, बबूल, सुबबूल, नीम, चिरोल, अमलतास, महुआ, उपचारित सागौन आदि के बीजों को चैक डेम, कंटूर ट्रैंच पर एवं रिक्त क्षेत्रों में बीजारोपण हेतु आवश्यकतानुसार एक–दो कूंड युक्त हल वाले ट्रेक्टर से जुताई कर बीजारोपण किया जायेगा।

(e) जिन स्थानों में जीवित जड़ भण्डार कम है वहाँ पर झाड़ियों में स्थानीय प्रजातियों जैसे–खैर, चिरोल, नीम, अमलतास, महुआ, उपचारित सागौन आदि प्रजातियों के बीज मिट्टी खोद कर डाले जाएँगे।

(ii) **अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले क्षेत्र** :–

(अ) अच्छी एवं गहरी मृदा वाले क्षेत्र (बी.एल.–1 एवं यू.एस.–1) :– इन क्षेत्रों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल के पत्र क्रं. 1333 दिनांक 25.05.2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

(ब) उथली मिट्टी वाले क्षेत्र (बी.एल.3, यू.एस.3) :– सतही मृदा वाले क्षेत्रों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. के समय–समय पर जारी निर्देशानुसार एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत घास रोपण एवं चारागाह विकास किया जावेगा।

(स) ऊर्जा वन एवं रोपण योग्य क्षेत्र :–इसके अन्तर्गत –

(1) ग्रामों से लगे हुए इन क्षेत्रों में प्राथमिकता एवं स्थानीय ग्रामीणों की मांग के अनुसार ऊर्जा वन का रोपण किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर क्षेत्र की उपयुक्तानुसार सिंचित/असिंचित सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। निम्न प्रजातियों को प्राथमिकता दी जावेगी जैसे– सागौन (Tectona grandis), आँवला (Embelica officinalis), बाँस

(Bamboo), सुबबूल (Leucaena leucocephala), खमेर (Gmelina arborea), प्रोसोपिस (Prosopis juliflora), सिस्सू (Dalbergia sissoo), यूकेलिप्टस (Eucalyptus lanceolatus), बबूल (Acacia nilotica), चिरोल (Holoptelia integrifolia), काला सिरस (Albizia lebbeck), सफेद सिरस (Albizia Procera) नीम, (Azadirachta indica) । ऊर्जा वन की स्थापना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के निर्देशानुसार ऊर्जा वन की स्थापना की जावेगी।

(2) अन्य क्षेत्रों में रोपण हेतु स्थानीय वानिकी प्रजातियों (सागौन, सिस्सू, नीम, आँवला, करंज, चिरोल, सिरस, खैर, बाँस आदि) को प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) जिन स्थानों में जीवित जड़ भण्डार कम है वहां पर झाड़ियों में स्थानीय प्रजातियों के बीज जैसे–खैर, चिरोल, नीम, अमलतास, महुआ, उपचारित सागौन आदि मृदा कार्य कर डाले जाएंगे।

15.11.3 उपचार वर्ग "स" - वृक्षारोपण क्षेत्र :–

(i) सफल वृक्षारोपण – पुराने सफल वृक्षारोपण क्षेत्रों में वृक्षारोपण प्रबंधन वृत्त में दी गई समय–सारणी के अनुसार एवं प्रस्तावित उपचार चक्र के अनुसार विरलन कार्य किया जावेगा। विरलन एवं पातन का विवरण संबंधित कक्ष इतिहास पुस्तिका में रखा जावेगा।

(ii) असफल वृक्षारोपण – सभी असफल वृक्षारोपण क्षेत्रों का निरीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जा कर असफलता के कारणों का विश्लेषण किया जायेगा। यदि विश्लेषण में क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त पाया जाता है तो इस क्षेत्र का उपचारण उपचार वर्ग ''ब'' के उपभाग ii (अ) के अनुसार किया जायेगा। क्षेत्र को रोपण के लिये अनुपयुक्त पाये जाने

पर क्षेत्र का उपचार वर्ग ''ब'' के उपभाग ii (ब) के अनुरूप किया जायेगा।

(iii) **सफल उपचारित क्षेत्र :–**बिगड़े वनों का सुधार के अन्तर्गत सफल उपचारित क्षेत्र में 6ठवें एवं 11वें वर्ष में सफाई एवं विरलनकार्यकिया जावेगा।

(iv) **असफल उपचारित क्षेत्र** : असफल उपचारित क्षेत्रों में असफलता के कारणों का विश्लेषण वनमण्डलाधिकारी द्वारा म. प्र. शासन वन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–25 /63/92/10/2 दिनांक 16 जून 1994 में दिये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर, असफलताओं के कारणों का विश्लेषण कर उपचार किया जा सकेगा, ताकि ये क्षेत्र सफल उपचारित क्षेत्र की श्रेणी में आ सकें।

15.11.4 उपचार वर्ग "द". शेष क्षेत्रः–

1. अतिक्रमण क्षेत्र :–

इस उपचार वर्ग में ग्रामीणों के वैधानिक अधिकार वाली भूमियॉ जैसे वन अधिकार पत्र, संरक्षित वन क्षेत्रों में निजी भूमि, वर्ष 1962/1976 में दिये गये पट्टे, अन्य विभागों को हस्तांतरित भूमि, वनग्राम आदि शामिल हैं। उक्त वर्णित ये भूमियाँ प्रबन्धन में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। अतः उपचारांशों में उक्त भूमि को छोड़कर शेष अतिक्रमित क्षेत्रों में अपात्र अतिक्रमकों एवं अन्य अतिक्रमकों को शासन के निर्देशानुसार अनुसार एवं कार्य आयोजना के साथ संलग्न अतिक्रमण बेदखली योजना अनुसार बेदखल कर अतिक्रमित भूमि मुक्त कराई जानी है। अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्र को उपचारित करने की प्राथमिकता दी जानी है ताकि इनमें पुनः अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का

अतिक्रमण पुनर्स्थापना कार्यवृत्त के प्रावधानों के अनुसार उपचार किया जायेगा।

(i) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत पात्र अतिक्रमण के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य किये जायेंगे।

(ii) वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र क्षेत्र का सीमांकन मुनारे/सतत् कंटूर ट्रेंच स्थापित कर किया जावेगा। सीमा में पौधरोपण कर हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जावेगा। इस हेतु बांस, सागौन, महुआ आदि प्रजातियों का चयन किया जावेगा।

(iii) इस अधिकार–पत्र में जारी भूमि के बीच का क्षेत्र यदि Honey-Combing के रूप में पाया जाता है तो उक्त क्षेत्र को समिति की मांग अनुसार रोपण कर वन आच्छादित किया जाएगा।

(iv) **शेष अतिक्रमण**– अतिक्रमण क्षेत्रों के प्रबंधन अध्याय–5 अतिक्रमण पुनर्स्थापना कार्यवृत्त में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपचार किया जायेगा।

2 अन्य क्षेत्रः–

इस उपचार वर्ग में पातन हेतु चिन्हांकन मुख्यतः वनवर्धनिक दृष्टि पर आधारित होगा। शीर्ष एवं मध्य वितान में सागौन के साथ अन्य मिश्रित प्रजातियों का पर्याप्त मिश्रण रखा जायेगा। इस उपचार वर्ग में पातन हेतु चिन्हांकन निम्नानुसार किया जावेगा,

1. समस्त सूखे, मृत, शीर्ष खण्डित वृक्षों को वितान में स्थाई रिक्तता बनाये बिना पातन हेतु चिन्हांकित किया जावेगा।
2. क्षेत्र की उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकतानुसार बांस या अन्य प्रजातियों का रोपण कार्य किया जावेगा।

3. क्षत्र में पाये गये बिगड़े बांस भिर्रों एवं बांस पुनरुत्पादन की सफाई एवं गुड़ाई आवश्यकतानुसार की जायेगी।
4. संकुलित युवा सस्य (21 से 60 सेमी छाती गोलाई तक) के क्षेत्र में सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की जाकर निम्नानुसार सागरिया सूत्र के अनुसार विरलन कार्य किया जावेगा

   D = (G/10)+1

   (जहां,D =विरलन उपरान्त अंतराल मीटर में

   एवं G = औसत गोलाई सेमी में है)

   गणना में पाया गया अन्तराल (D) अधिकतम है। विरलन के दौरान यह अन्तराल इस अन्तराल के बराबर या इससे कम रखा जावेगा। विरलन कार्य में वन वर्धनिक बिन्दु को भी ध्यान में रखा जावेगा।

15.12 मुख्य कार्य वर्ष में किये जाने वाले कार्यः–

मुख्य कार्य वर्ष में ही प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने के लिये, प्रबंधन वृत्त में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तथा मुख्य वनसंरक्षक, विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 3887 दिनांक 27/9/2003 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एवं मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय के द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट अनुसार, उपचार कार्य कराया जावेगा। प्रथम वर्ष में मुख्यतः भू–जल संरक्षण कार्य, ठूंठ एवं पोलार्ड की कटाई, 20 सेमी से कम की विकृत पौध कटाई, लैण्टाना उन्मूलन, आक्रामक खरपतवार यथा वन तुलसी आदि की सफाई, बिगड़े बांस भिर्रों एवं बांस पुनरुतपादन की सफाई एवं गुड़ाई, रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी कार्य एवं सुरक्षा आदि किया जायेगा। इस कार्यवृत्त में वृक्षों का विदोहन मुख्यतः नहीं किया जायेगा, अतः समस्त कार्य क्षेत्रीय वन मण्डल द्वारा ही सम्पादित किये जायेंगे।

15.13 सहायक वन वर्धनिक कार्य :–

मुख्य पातन के अगले वर्ष प्राकृतिक पुनरुत्पादन को सहायता देने के लिये निम्नानुसार कार्य कराये जावेंगे :–

1. छूट गये चिह्नांकित ठूँठो/पोलार्डों का पातन/ड्रेसिंग।
2. समस्त काटे गये/ड्रेसिंग किये गये ठूँठों के चारों ओर 1 मी. व्यास में सफाई।
3. समस्त उपचारित बांस भिर्रों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाना एवं भिर्रे के चारों ओर 2 मी. व्यास में सफाई।
4. कॉपिस देने वाली प्रजाति के छूटे हुए विकृत पुनरुत्पादन की कटाई।
5. प्रोह एवं प्राकृतिक पुनरुत्पादन की वृद्धि में अवरोध पैदा करने वाली झाड़ियों की कटाई।
6. बीज से उत्पन्न हुए स्वस्थ पौधों के चारों ओर निंदाई गुड़ाई कर थाले बनाने का कार्य भी किया जायेगा।
7 प्रति ठूँठ 2 या 3 स्वस्थ प्ररोहों को छोड़कर शेष को काट दिया जावेगा।
8. स्थूणक प्रजातियों के 20 से.मी. से कम छाती गोलाई के समस्त विकृत एवं क्षतिग्रस्त पुनरुत्पादन को काट दिया जावेगा।
9. 25^0 से अधिक ढलान वाले क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन कार्य नहीं किया जावेगा। शेष क्षेत्र में आवश्यक होने पर लेंटाना उन्मूलन के संबंध मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशानुसार लेंटाना उन्मूलन कार्य किया जावेगा।
11. निम्न संनिधि एवं रिक्त क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपणों में अनुमोदित परियोजना अनुसार कार्य किये जावेंगे।
12. मुख्य पातन के उपरांत इन क्षेत्रों में पाँच वर्ष तक मिश्रित प्रजातियों के बीजों का संग्रहण प्रतिबंधित रहेगा।
13. कॉपिस देने वाली प्रजातियों के 90 से.मी. गोलाई तक के ठूँठ एवं पोलार्ड को काटकर नियमानुसार ठूँठ ड्रेसिंग कार्य किया जावेगा।

- **सफल सागौन वृक्षारोपण क्षेत्रों के लिये–**

1. **पुनरुत्पादन कार्य :** मुख्य उपचार वर्ष के 6ठवें एवं 11वें वर्ष में आवश्यक सफाई एवं अन्य उपचार कार्य **विशिष्ट उपचार वर्ग ब के उपचारित क्षेत्र में** निम्नानुसार किये जायेंगे,

- **6ठवें वर्ष सफाई कार्य :–**

1. वृक्षों एवं पुनरुत्पादन को क्षति पहुंचा रही सभी झाड़ियां काट दी जायेंगी।
2. एक ठूंठ से निकले पीकों में से कम से कम दो स्वस्थ पीके छोड़कर शेष पीकों को काट दिया जायेगा।
3. स्थाई रिक्तता बनाये बिना 20 सेमी छाती गोलाई तक के विकृत पौध को काट दिया जायेगा।
4. स्थूणक प्रजातियों के 90 सेमी गोलाई तक के समस्त जीवित ठूंठों एवं पोलार्डों को जमीन सतह से काटकर ड्रेसिंग की जायेगी।
5. गिरे पड़े समस्त वृक्षों की गणना कर, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके अक्टूबर से फरवरी माह के बीच विदोहन किया जायेगा।
6. पुनरुत्पादन सर्वेक्षण का कार्य माह नवम्बर दिसम्बर में पूर्ण किया जायेगा।

- **11वें वर्ष सफाई एवं विरलन कार्य :–**

1. वृक्षों एवं पुनरुत्पादन को क्षति पहुंचा रही सभी झाड़ियां काट दी जायेंगी।
2. एक ठूंठ से निकले पीकों में से न्यूनतम दो स्वस्थ पीके छोड़कर शेष पीकों को काट दिया जायेगा।
3. स्थाई रिक्तता बनाये बिना 20 सेमी छाती गोलाई तक के विकृत पौध को काट दिया जायेगा।

4. स्थूणक प्रजातियों के 90 सेमी गोलाई तक के समस्त जीवित ठूंठों एवं पोलार्डों को जमीन सतह से काटकर ड्रेसिंग की जायेगी।
5. संकुलित युवा सस्य के क्षेत्रों में विरलन सागौन रोपण क्षेत्रों में अखिल भारतीय यील्ड टेबल के अनुसार एवं अन्य क्षेत्रों में सागरिया सूत्र,

   $$S = (G / 10) + 1$$

   जहां S =विरलन उपरान्त दो वृक्षों के बीच की दूरी मीटर में

   G = क्षेत्र में पाये जाने वाले सस्य की औसत गोलाई सेमी मे

   के अनुसार किया जायेगा।
6. गिरे पड़े समस्त वृक्षों की गणना कर, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके अक्टूबर से फरवरी माह के बीच विदोहन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त उपचारित क्षेत्रों से बीज का संग्रहण पांच वर्ष तक रोका जावेगा। उपचारित क्षेत्रों का पुनरुत्पादन सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं माप पुस्तिका, मुख्य वनसंरक्षक (विकास) के पत्र क्र. 3698 दि. 31.10.2002 से जारी किये गये निर्देशानुसार संधारित किया जावेगा।

15.14 ठूँठ एवं पोलार्ड मार्किंग :–

ठूँठ एवं पोलार्ड मार्किंग का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार किया जावेगा :–

1. कूप में उपलब्ध समस्त महत्वपूर्ण जीवित व कॉपिस देने वाले ठूँठों की मार्किग की जाकर उनकी गोलाई मार्किगं बुक में लिखी जावेगी तथा ठूठों पर हेमर लगाया जायेगा।
2. ठूँठो की पेंदी पर छोटा सा ब्लेज बनाकर मार्किग नम्बर एंव हेमर का निशान लगाया जावेगा।

3. ऐसे पोलार्ड जिनकी उँचाई साढ़े चार फीट से कम है की पेंदी पर एवं छाती ऊँचाई पर हेमर का निशान एंव मार्किंग का निशान अंकित किया जावेगा ।
4. क्षेत्र में पाये गये ठूँठों के संबंध में परिक्षेत्र सहायक गोशवारे के अंत में टीप देगें जो ठूँठ उपलब्ध हैं उनके संबध में पी.ओ.आर. जारी किया गया है या नहीं, यह ठूँठ इतनी मात्रा में क्यों उपलब्ध हैं ? एवं उनके व वनरक्षक द्वारा इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी।
5. उपरोक्त समस्त कार्य स्थानीय बीट गार्ड द्वारा माह दिसम्बर तक पूर्ण कर मार्किग रिकार्ड परिक्षेत्र सहायक को 15 दिसम्बर के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा। परिक्षेत्र सहायक मार्किग रिकॉर्ड की पुष्टि कर परिक्षेत्र अधिकारी को 15 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा।
6. प्रत्येक कूप का निरीक्षण परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जावेगा। यह कार्य 15 फरवरी तक अवश्य पूर्ण किया जावेगा।
7. परिक्षेत्र अधिकारी मार्किंग का सत्यापन करने के उपरांत क्षेत्र की उपचार योजना उप वनमंडलाधिकारी के माध्यम से वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत उपचार योजना अनुमोदन कर कार्य किया जावेगा।

15.15 कार्य निष्पादन :–

इस कार्यवृत्त के कार्य विभागीय तौर पर किये जायेंगे। पुनर्स्थापन में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनों के समीप स्थित ग्रामीणों और आदिवासियों की वन विकास एवं प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। वन समितियों को प्रोत्साहित किया जाकर बिगड़े वनों को अच्छे वनों में परिवर्तित किया जावेगा।

15.16 पुनरुत्पादन वर्धन कार्य समय–सारणी :–

1. प्रथम वर्ष

(i) **भू जल संरक्षण कार्य :–** जिन स्थलों पर आवश्यक हो वहाँ स्थल के अनुरूप भू–जल संरक्षण कार्य माह मई–जून तक कराया जावेगा।

(ii) **बीज बुआई** –रिक्त क्षेत्रों में स्थानीय वृक्ष एवं घास प्रजातियों के उपचारित बीज बोने का कार्य जून माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में किया जावेगा।

(iii) **लेंटाना उन्मूलन** –लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र में लेन्टाना उन्मूलन का कार्य केवल वृक्षारोपण एवं बीजारोपण कार्य किये जा रहे क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। उन्मूलन किये गये लेन्टाना का भू–जल संरक्षण कार्य में तथा बागड़ के रूप में उपयोग किया जावेगा।

(iv) **कट–बैक** –स्थूणक प्रजातियों के जीवित ठूँठों की कटाई की जावेगी ताकि उनसे स्वस्थ प्ररोह निकल सकें और स्वस्थ सस्य का निर्माण हो। यह कार्य माह सितम्बर से मार्च के बीच पूर्ण किया जावेगा। स्थूणक प्रजाति की 20 से.मी. से कम गोलाई के आड़े–टेढ़े, विकृत, क्षतिग्रस्त सस्य को भी काटा जावेगा।

(v) **बांस भिर्रों की सफाई** –क्षेत्र में उपलब्ध समस्त बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई कार्य माह नवम्बर से फरवरी के बीच पूर्ण किया जावेगा।

(vi) **सुरक्षा** –कूप सीमांकन होने के एक वर्ष उपरांत पहली अप्रैल से ही कूप की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

2. द्वितीय वर्ष :–

i यदि पूर्व में भू–जल संरक्षण कार्य किये गये हों तो उनका सुधार कार्य अप्रैल से मई तक पूर्ण किया जावेगा।

ii विभिन्न चयनित प्रजातियों के बीजों की बुआई माह जून के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में की जायेगी।

iii लेंटाना मॉपिंग कार्य – यदि पूर्व में लेंटाना उखाड़ा गया हो तो जुलाई से सितम्बर माह के बीच यह कार्य किया जावेगा।

iv बीज से उत्पादित पौधों/रोपित किये गये पौधों/रूट शूट से प्राप्त पौधों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। मिश्रित एवं सागौन के स्वस्थ पौधे, जिन्हें पूर्ण स्थापित होने के लिये जिस मृदीय कार्य की

आवश्यकता है, उसे किया जावेगा। आवश्यकतानुसार खाद एवं कीटनाशक भी डाला जायेगा एवं इनके चारों ओर मृदीय कार्य अर्थात् मिट्टी की गुड़ाई आदि कार्य माह सितम्बर–अक्टूबर तक किये जावेंगे। आवश्यकतानुसार क्षेत्रों में बीज बुआई की जायेगी।

v बाँस के भिर्रो को चिह्नांकित कर उनकी सफाई कर चारों ओर मिट्टी चढ़ाई जावेगी।

vi पुनरुत्पादन सर्वेक्षण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य किया जावेगा। यह कार्य नवम्बर एवं दिसम्बर में पूर्ण किया जावेगा।

3. तृतीय वर्ष :–

i भू–जल संरक्षण कार्यों का सुधार माह अप्रैल से मई तक पूर्ण किया जावेगा।

ii लेंटाना मॉपिंग व अन्य कार्य–जुलाई से सितम्बर के बीच पूर्ण किये जावेंगे।

iii रोपित किये गये पौधों की निंदाई गुड़ाई एवं थाला निर्माण किया जायेगा एवं उर्वरक तथा कीटनाशक डाले जायेंगे। आवश्यकतानुसार क्षेत्र में चयनित प्रजातियों के बीज की बुवाई की जायेगी।

iv एक ठूँठ से निकले प्ररोहों में से कम से कम दो से तीन स्वस्थ प्ररोह छोड़कर शेष विकृत एवं क्षतिग्रस्त प्ररोहों को काट दिया जावेगा।

v सुरक्षा कार्य।

4. चतुर्थ वर्ष :–

वनमंडलाधिकारी के स्वयं निरीक्षण एवं विशेष अनुमति पर –

i भू–जल संरक्षण कार्यों का सुधार माह अप्रैल से जून में पूर्ण किया जायेगा।

ii लेंटाना मॉपिंग व अन्य कार्य–जुलाई से सितम्बर के बीच पूर्ण किये जावेंगे।

iii सुरक्षा कार्य।

iv पुनरुत्पादन सर्वेक्षण किया जावेगा। यह कार्य नवम्बर, दिसम्बर में पूर्ण किया जावेगा।

5. पंचम वर्ष :–

वनमंडलाधिकारी के स्वयं निरीक्षण एवं विशेष अनुमति पर –

i भू–जल संरक्षण कार्यों का सुधार माह अप्रैल से जून में पूर्ण किया जायेगा।

ii लेंटाना मॉपिंग व अन्य कार्य–जुलाई से सितम्बर के बीच पूर्ण किये जावेंगे।

iii सुरक्षा कार्य।

6. छठवे वर्ष :–

(अ) पुनरुत्पादन सर्वेक्षण किया जावेगा। यह कार्य नवम्बर, दिसम्बर में पूर्ण किया जावेगा।

(ब) मुख्य प्रबंधन के 6 ठवें वर्ष में उपचार इकाई के क्षेत्र में निम्नलिखित सफाई कार्य कराये जावेंगे

i. वृक्षों एवं पुनरुत्पादित पौधों को क्षति पहुंचा रही झाड़ियों की सफाई पौधों के आसपास की जायेगी।

ii. एक ठूँठ से निकले प्ररोहों में से कम से कम दो से तीन स्वस्थ प्ररोह छोड़कर शेष विकृत एवं क्षतिग्रस्त प्ररोहों को काट दिया जावेगा।

iii. मुख्य प्रजातियों को दबा रही समस्त अनुपयोगी झाड़ियों के आस–पास सफाई की जायेगी। बशर्तें काटने से भू–क्षरण की गति तीव्र न हो।

iv. स्थायी रिक्त स्थान बनाये बिना स्थूणक प्रजाति की 20 से.मी. गोलाई तक के विकृत स्थापित पुनरुत्पादन को काटा जावेगा।

v. कॉपिस देने वाली प्रजातियों के 90 से.मी गोलाई तक के समस्त पोलार्ड एवं जीवित ठूँठों को काटकर नियमानुसार ठूँठ ड्रेसिंग कराई जावेगी।

7. ग्यारहवें वर्ष में साफ–सफाई एवं विरलन (11th year Cleanning and Thinning)

मुख्य उपचार के वर्ष को सम्मिलित करते हुए मुख्य उपचार के ग्यारहवें वर्ष में उपचार इकाई के क्षेत्र में साफ–सफाई कार्य कराये जायेंगे।

i- स्वस्थ वृक्षों की वृद्धि को अवरूद्ध कर रही 21 से.मी. से अधिक गोलाई की मकोर की बेलाओं की कटाई कार्य सिर्फ सघन बेला क्षेत्रों में एवं मुख्य प्रजाति की वृद्धि को अवरूद्ध करने की स्थिति में ही किया जायेगा।

ii- एक ठूँठ से निकले प्ररोहों (Coppice Shoots) में से 2 या 3 स्वस्थ्य प्ररोहों को छोड़कर शेष विकृत एवं क्षतिग्रस्त पीकों को काट दिया जावेगा।

iii- समस्त मुख्य प्रजातियों के पौधों के आसपास की झाड़ियों की सफाई की जायेगी।

iv- स्थूणक प्रजातियों की 20 से.मी. गोलाई तक की विकृत पौधों को काटा जायेगा।

v- कॉपिस देने वाली प्रजातियों के 90 से.मी. गोलाई तक के समस्त पोलार्ड एवं जीवित ठूँठों की ड्रेसिंग की जावेगी।

vi- संकुलित सस्य के क्षेत्रों में विरलन हेतु निम्नानुसार सगरिया सूत्र का उपयोग किया जायेगा :–

$$S = \frac{G}{10} + 1$$

जहाँ S = दो वृक्षों के बीच की दूरी मीटर में।

G = क्षेत्र में पाये जाने वाले सस्य की औसत गोलाई से.मी. में।

इस कार्यवृत्त मे क्षेत्रफल बहुत कम होने से एवं संनिधि को और बढ़ाने के उददेश्य से सगरिया फॉर्मूला मे +1 को हटाकर S=G/10 अनुसार

विरलन कार्य किया जायेगा जिसमें बीज से उगे पौधों को रोकने में प्राथमिकता दी जायेगी। स्वस्थ वृक्ष सामान्यतया पातन हेतु चिह्नित नहीं किये जायेंगे।

15.17 अग्नि सुरक्षा एवं चराई नियंत्रण :–

समस्त विदोहित कूपों को अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वर्ग "ए" में रखा जाएगा। उन्हें मुख्य पातन के बाद पातन वर्ष को सम्मिलित करते हुए 10 वर्षों तक विशेष अग्नि सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सभी प्रबंध इकाइयों में प्रबंधन वर्ष को सम्मिलित करते हुए पांच वर्षो तक चराईबंदी लागू की जाएगी। वनमंडलाधिकारी द्वारा चराई भार क्षमता का निर्धारण किया जाकर संबद्ध ग्राम पंचायतों से चराई व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। समीप के ग्रामवासियों को वन कर्मचारियों की देखरेख में घास काटकर ले जाने की अनुमति दी जावेगी। लेकिन संरक्षित क्षेत्रों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी।

15.18 मिश्रित प्रजातियों के बीज के संग्रहण पर प्रतिबन्ध :–

मुख्य पातन के वर्ष को शामिल करते हुए पांच वर्षों तक सभी विदोहित वार्षिक प्रबंधन इकाइयों में बीज का संग्रहण नहीं किया जावेगा, जिससे अन्य मिश्रित प्रजातियों का प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्राप्त करने में मदद मिल सके। बीज संग्रहण को रोकने हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में दिए गये प्रावधान अनुसार आदेश जारी किया जावेगा।

15.19 अन्य नियमन :–

उपचारित क्षेत्रों का रख–रखाव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजना में उल्लेखित वर्षों तक किया जावेगा। उपचार मानचित्र, वृक्षारोपण, रूट–शूट रोपण, बीजा रोपण, भू–जल संरक्षण तथा बांस रोपण एवं औषधीय प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की अनुमोदित परियोजनाएँ तथा स्वीकृत कार्यों के सम्पन्न होने के बाद कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की एक प्रति को कक्ष–इतिहास पत्रावली में नस्तीबद्ध किया जावेगा। समस्त

अभियांत्रिकीय कार्यों के लिये माप–पुस्तिका तैयार की जावेगी एवं उसका सारांश कार्य पूर्णता प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावेगा।

15.20 उपचारों के क्रियान्वयन की विधि :–

यथासंभव समस्त कार्य वन समिति के सहयोग से किये जायेंगे। इस क्षेत्र की मुख्य आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए जाने में समाविष्ट किया जावेगा–

1. उपलब्ध सस्य की चराई, अवैध कटाई और आग से सुरक्षा तथा अधिक दोहन से प्रभावित क्षेत्रों को कुछ विश्राम दिया जावेगा।
2. निम्न संनिधि क्षेत्रों का रोपण बीज बुआई द्वारा तथा युवा सस्य की सुरक्षा करके पुनर्स्थापना की जावेगी।
3. अधिक घनत्व वाले संनिधि सागौन क्षेत्र में 6 ठवें वर्ष में साफ–सफाई तथा 11 वे वर्ष में विरलन कार्य किया जावेगा।
4. चारे एवं जलाऊ की कमी दूर करने के लिए यथा संभव उथली मृदा वाले क्षेत्रों को जलाऊ एवं चारा उत्पादन तथा अच्छी गहरी मिट्टी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा वन का वृक्षारोपण करने के लिये उपयोग में लाया जावेगा।
5. खैर वन क्षेत्रों का पुनर्स्थापन किया जावेगा।

बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–74 में दर्ज हैं।

15.21 कार्यवृत्त में सम्मिलित बांस क्षेत्र का प्रबंधन :–

15.21.1 सम्मिलित वन क्षेत्रः–

कार्य आयोजना के द्वितिय प्रांरभिक प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक–7 अनुसार समेधा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक RF-170 एवं RF-171 के बांस क्षेत्र को वृक्षारोंपण कार्य वृत्त में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु कक्ष की संनिधी के आधार पर उक्त कक्षों को बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त में रखा गया हैं।कक्ष में लगभग 75 हेक्टेयर प्राकृतिक बांस वन है।प्रबंधन की दृष्टि से इन क्षेत्रों में संरक्षण एवं

संवर्धन हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कक्ष क्रमांक PF 229, PF 230, PF 231 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार बांस भिर्रो की गणना की गई। कार्यवृत्त में सम्मिलित बांस क्षेत्र का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क्रमांक –15.13
कार्यवृत्त में सम्मिलित बांस क्षेत्र

क्र.	कक्ष क्रमांक	बांस क्षेत्र हेक्टेयर में
1	RF-170	75.00
2	RF-171	
3	PF -229	3.00
4	PF -230	60.00
5	PF -231	40.00
	योग	**178.00**

15.21.2 उद्देश्य एवं आधार :–

1. प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जैविक दबाव के कारण बिगड़े बांस वनों का पुनर्वास करना है।
2. योजना क्षेत्र में बॉस वनों में हुए विनाश से बिगड़े हुए पारिस्थिकीय संतुलन में सुधार करना।
3. स्थानीय ग्रामीण जनता का बांस वनों के संरक्षण एवं विकास से संबंध स्थापित कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए बांस वनों का वैज्ञानिक विदोहन करके स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास करना।
4. खुले एवं कम घनत्व के उपयुक्त क्षेत्रों में बांस का अधिरोपण।

15.21.3 उपचार चक्र :–

समस्त क्षेत्रों को उपचारित करने के उद्वेश्य से योजना बनाकर बिगड़े बॉस वनों के जीर्णोद्धार हेतु भिर्रो में सफाई व अन्य सुधार कार्य, मिट्टी चढ़ाई एवं जल संरक्षण कार्य किये जावेंगे।

15.21.4 प्रस्तावित उपचार पद्धति :–

1:12,500 मापमान पर बॉस वन हेतु मानचित्र तैयार किया जावेगा जिसके आधार पर उपचार मानचित्र बनाया जावेगा। जिसका परीक्षण

राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से किया जावेगा। पृथक उपचार प्रकार में विभेदित करने हेतु न्यूनतम सीमा 2 हे. क्षेत्र की होगी।

15.21.5 <u>बॉस पुष्पन :–</u>

पुष्पन दो प्रकार का होता है

1. छुट–पुट पुष्पन (Sporadic Flowering)
2. सामूहिक पुष्पन (Gregarious Flowering)

1. **छुट–पुट पुष्पन** – यदा कदा क्षेत्र में पुष्पन पाये जाने को छुट–पुट पुष्पन माना जावेगा।
2. **सामूहिक पुष्पन** – प्रबंधन के दृष्टिकोण से किसी कक्ष में 5 प्रतिशत या इससे अधिक भिर्रे एक साथ पुष्पित हो एवं पुष्पित क्षेत्र का फैलाव 2 हे. या उससे अधिक क्षेत्र में एक साथ पुष्पन हो तो इसे सामूहिक पुष्पन माना जावे।

- **पुष्पन क्षेत्र का उपचार :–**

पुष्पित बॉस क्षेत्र का निरीक्षण राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की निःशेष पातन वास्तविक पुष्पित क्षेत्र में ही किया जावेगा। इस प्रकार के वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानानुसार प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त कर कार्य किया जावेगा। पुष्पित क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान निलम्बित रहेंगे। वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुसार सामूहिक बॉस पुष्पन क्षेत्रों में पुष्पन के बाद वाले वर्षों में बॉस पुनर्स्थापन संबंधी ऐसे कार्य किये जावेंगे जो बॉस नवपादपों को स्थापित होने एवं भिर्रा निर्माण में सहायक हों।

सामूहिक पुष्पन के बाद नये भिर्रे बनने में 10 से 15 वर्ष का समय लग जाता है। यह स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता

है। बॉस के बीज वजनदार होते हैं, जिससे उनका वितरण हवा के माध्यम से नहीं हो पाता है और वे भिर्रो के आस–पास ही पड़े रहते हैं। वर्षा के जल के साथ बहने के कारण बॉस बीज नालों के आस–पास एकत्र हो जाते हैं, जिसके कारण बॉस बीजों का अंकुरण भिर्रो तथा नालों के समीप घने समूहों में होता है। उगे हुए बॉस के पौधों को बढ़ने के लिये आपस में तथा खरपतवारों एवं अन्य पौधों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त चराई एवं अग्नि से बॉस के पुनरूत्पादन को भारी क्षति पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप बॉस के भिर्रे झाड़ीनुमा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं एवं छड़ीनुमा पतले बॉस प्राप्त होते हैं। अतः सामूहिक पुष्पन के क्षेत्र में परिपालन कार्य तथा सुरक्षात्मक उपाय किया जाना आवश्यक है।

- **बांस के पुष्पित क्षेत्रों में कार्य करने बावत् –**

सामूहिक बांस पुष्पन के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 661 दिनांक 17.02.1995 के द्वारा जारी किये गये निर्देश एवं राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एस0एफ0आर0आई0) जबलपुर के द्वारा प्रकाशित बुलेटिन में वर्णित एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1 जिन क्षेत्रों में बांस पुष्पित होता है, वह अधिकतर दो या तीन चरणों में पुष्पित होता है। वास्तव में पुष्पन का पता नवम्बर से ही लग जाता है, और भिर्रे फिर पुष्पन के पश्चात् अगले वर्ष से बांस का वास्तविक सूखना प्रारंभ होता है। पुष्पित बांस क्षेत्रों में निम्नानुसार चरणबद्ध ढंग से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :

2. जैसे ही यह ज्ञात हो कि क्षेत्र के 25 प्रतिशत, बांस भिर्रो में पुष्पन प्रारंभ हो गया है तत्काल ही उसके विदोहन की योजना तैयार कर ली जानी चाहिए, क्योंकि पुष्पित क्षेत्र से भारी मात्रा में बांस निकलता है, जिसके विदोहन के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होती है। साथ ही इस बांस के निवर्तन की भी योजना बना ली जानी

चाहिए, अन्यथा कटे हुए बांस पानी खाकर बरसात में खराब हो जाते हैं, और उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

3. विदोहन के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि बांस के भिर्रे कम से कम एक या दो बांस छोड़ दिये जावें, जिससे कि पुष्पन के पश्चात् पुनरूत्पादन हेतु क्षेत्र में बीज गिर सके।
4. यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है, कि बांस का पुष्पन वर्षो में एक बार होता है, और पुष्पन ज्ञात होने पर प्रदेश और यदि आवश्यक हो, तो बाहर के अधिकारियों से बांस के बीज की आवश्यकता ज्ञात कर ली जावे और उतनी ही मात्रा में बीज का संग्रहण किया जावे। अनावश्यक तौर से अधिक बीज संग्रहण से शासन को हानि ही होती है, क्योंकि बांस बीज एक वर्ष बाद नर्सरी में बहुत कम मात्रा में उगता है।
5. कटाई में चूंकि "क्लीयर फैलिंग" होती है, इसलिये इस तरह की कटाई के लिये सामान्य दरों से दस से 15 प्रतिशत तक कम दरें रखी जा सकती हैं।
6. बांस कटाई के बाद क्षेत्र में भारी मात्रा में कचरा एकत्रित हो जाता है, जो जरा सी अग्नि से पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। अतः इस क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कम से कम प्रथम 3 से 4 वर्षो तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिये :–

(क) यह आवश्यक है, कि बांस के कचरे को खरंजा बनाकर स्थान पर एकत्रित कर लिया जावे। इसके लिये वनक्षेत्र में पड़ने वाले छोटे–छोटे नाले या छोटे– छोटे खाली स्थान उपयुक्त होते हैं। इस कचरे को एकत्रित कर उसे जला देना उचित होगा।

(ख) पूरा क्षेत्र अग्नि के लिए अति संवेदनशील होता है। इसलिये क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अनेक 12 मी. चौड़ी फायर लाईन बनाई जावें। इस लाईन के वृक्ष काटना आवश्यक नहीं हैं, घास व छोटी–छोटी झाड़ियों की पूर्ण सफाई कर उसे जला दिया जावे साथ ही गर्मी के मौसम में इस लाईन की सफाई के लिए आवश्यक मात्रा में

फायरवाचर या मजदूरों, जो भी कहा जावे को लगाया जावे और उनके उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।

(ग) अग्नि दुर्घटना अधिकतर रात्रि में ही होती हैं। या यह कहा जावे कि रात्रि में अग्नि का जल्दी पता चल जाता है। इसके लिए आवश्यक है, कि प्रत्येक 2000 हैक्टर पुष्पित क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के दल गठित कर लिये जावें, जो रात्रि में आवश्यकता पड़ने पर अग्नि बुझाने का कार्य कर सके।

(घ) वन मण्डल में उपलब्ध ट्रक, मेटाडोर, जीप इत्यादि का उपयोग नियमित तौर से रात्रि भ्रमण हेतु किया जावे और उसमें रात्रि अग्नि सुरक्षा के लिए गठित दल क्षेत्र का भ्रमण करते रहें। वनक्षेत्र के आस–पास के ग्रामों को, जिनमें अब पंचायतें गठित हो गई हैं, के निवासियों को विश्वास में लिया जावे और अग्नि दुर्घटना होने पर बुझाने हेतु ग्रामीणों का सहयोग सुशिचित करने हेतु अग्नि सीजन के बाद जो भी ग्राम पंचायतें सहयोग करती हैं, उन्हें प्रमाण–पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान की जावे।

(द) अग्नि सुरक्षा में स्थानीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(छ) वनमण्डलों में वायरलेस मोबाइल की सुविधा प्राप्त हो गई हैं। इस सुविधा का उपयोग केन्द्र पर अग्नि दुर्घटना की सूचना देने के लिए सक्रिय रूप से किया जावे और इस वायरलैस सेट को अधिक से अधिक समय कार्यशील बनाया जावे।

(ज) जहां तक संभव हो, पुष्पित क्षेत्र से जलाऊ लकड़ी की फड़ी के प्रदाय पर प्रतिबंध ही रखा जावे और इन फड़ियों की कूप के बाहर विभागीय तौर पर परिवहन कर लिया जावे, क्योंकि इन फड़ियों को लेने वाले निस्तारियों के माध्यम से अग्नि लगने की संभावना रहती है। यदि यह संभव न हो तो जलाऊ की गाड़ियॉ जंगल में जाते समय कोई कर्मचारी निश्चित रूप से ग्रामीणों के साथ रहे।

(झ) क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वन मार्ग, लोक निर्माण विभाग के मार्ग, पंचायत मार्ग या जनता द्वारा उपयोग किये जा रहे मार्ग को फायर लाइन की तरह ही माना जाकर कटाई, जलाई और बाद में नियमित सफाई की व्यवस्था की जावे।

(7) बांस के पुष्पित क्षेत्रों में अगली समस्या चराई सुरक्षा की है, इसके लिए गर्मी में कार्यरत अग्नि प्रहरियों को लगातार चराई प्रहरी के रूप में कार्य पर रखा जावे।

(अ) चराई सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है कि ग्रामीणों का सहयोग मिले। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण पशुओं के चराई की समुचित व्यवस्था की जावे। इसके लिए पुष्पित क्षेत्रों से हटकर या पुष्पित क्षेत्रों के भीतर ऐसे स्थानों पर जहां कि बांस न हो, चिन्हित कर लिया जावे। गांव के पशुओं की संख्या के मान से चराई प्रहरियों को चरवाहे के रूप में नियुक्त किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि पशुओं को उनके लिए निर्धारित क्षेत्र में ही चराया जावे। यह किया जा सकता है कि पुष्पित क्षेत्र में जो बांस की बेकार टहनियां निकलती हैं, उनसे चराई के लिए आरक्षित क्षेत्र में बागड़ अथवा आवश्यक होने कंटीले तार की बागड़ की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है।

(ब) सामाजिक अवरोध को प्रोत्साहन का प्रयास किया जा सकता है।

(8) वर्षा के उपरांत पुष्पित क्षेत्र में भारी मात्रा में पुनरूत्पादन आता हैं परन्तु यह भी देखा गया है, कि पुष्पित क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में यदि सीधे बांस बीज बिखरा दिया जावे, तो उस क्षेत्र में बांस का पुनरूत्पादन प्रारंभ हो जाता है अस्तु पुष्पित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र में जहां बांस नहीं हैं, वहां बांस बीज फैलाया जाकर बांस क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

(9) बांस के पुनरूत्पादन के बाद अग्नि और चराई सुरक्षा प्रथम दो वर्षो तक यथावत जारी रखी जावे और जब दो वर्ष पश्चात् क्षेत्र में बांस का पुनरूत्पादन हो जावे तो 3 x 3 मीटर के सामान्य अन्तराल पर

जो पौधे मजबूत एवं सक्षम दिखें, उन पौधों को आगे बड़ने का मौका दिया जावे। इसके लिए आवश्यक है, कि उनके चारों ओर एक मीटर गोलाई में गेंती से खुदाई कर अन्य समस्त बांस के पौधों पर थाला बनाकर मिट्टी चढ़ा दी जावे जिससे, भिर्रा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। यहां यह बताना आवश्यक है, कि इस अवधि में भी अग्नि और चराई सुरक्षा विषयक सावधानियों को यथावत् चालू रखा जावे।

किसी भी क्षेत्र में जैसे ही सामूहिक बांस पुष्पन होने की सूचना मिलती है तत्काल राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर को सूचित किया जाकर उनके मार्गदर्शन में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये। क्षेत्र में जहां–जहां सामूहिक पुष्पन प्रारंभ हुये हैं उसका नक्शा सहित उन कक्षों का विवरण दर्शाते हुये प्रतिवेदन तैयार किया जाकर उन कक्षों का इतिहास में अभिलेखन हेतु संधारित किया जाना चाहिये। सामूहिक पुष्पन के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही बांस बीज की आवश्यकता होने के संबंध में सूचित करने हेतु समस्त वनमण्डलों को लेख किया जाना चाहिये एवं वरिष्ठ कार्यालय के अनुमति से संबंधित वनमण्डलों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये क्योंकि इसका अंकुरण क्षमता की अवधि बहुत कम रहती है। जैसे ही सामूहिक पुष्पन प्रारंभ होता है उन क्षेत्रों में बांस बीज का संग्रहण हेतु संग्रहण दर तत्काल सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाकर बांस बीज का संग्रहण की कार्यवाही कराया जाना चाहिये एवं उसको सुनिश्चित रूप से रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। बांस बीज का स्टोरेज करते समय उस बीज को चूहे एवं अन्य कीड़ों से विशेष रूप से बचाया जाना अत्यंत आवश्यक है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के द्वारा किया गया शोध में यह पाया गया है कि जो बांस बीज हस्क (Husk) सहित संग्रहण किया गया उन बांस बीजों का अंकुरण क्षमता अधिक है। एक किलोग्राम वजन के बांस बीज में लगभग 30,000 बांस बीज रहते हैं। संग्रहण के तुरंत पश्चात् उगाने पर 80–90 प्रतिशत अंकुरण प्राप्त होता है। जेसे–जेसे विलंब होता

जोयगा उसी के क्रम में अंकुरण क्षमता में गिरावट (कम) होती जावेगी।

बीज संग्रहण के पश्चात् सामूहिक बांस पुष्पन क्षेत्र हेतु एक विशेष योजना तैयार किया जाकर स्वीकृत योजना के अनुसार उस क्षेत्र को पुनः बांस युक्त वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। इस प्रकार की योजना में बीज संग्रहण बांस भिर्रो के चारों तरफ मिट्टी की खुदाई करते हुये अर्द्धचंद्राकार में थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना, चराई एवं अग्नि से बचाना आदि कार्यो के संबंध में संबंधित बांस पुष्पित स्थान के निशचित आवश्यकताओं के अनुसार वनवर्धनिक प्रावधानों को विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाकर उस क्षेत्र का उपचार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये।

पुष्पित बांस क्षेत्र का निरीक्षण राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निशेषः पातन वास्तविक पुष्पित क्षेत्र में ही किया जावे। सामूहिक पुष्पन की स्थिति में इन क्षेत्रों में निम्न प्रावधानुसार प्राधिकृत अधिकारी के आदेश प्राप्त कर कार्य किया जावेगा। इस प्रकार के वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान निलम्बित रहेंगे। वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत परियोजना के

अनुसार सामूहिक बांस पुष्पन क्षेत्रों में पुष्पन के बाद वाले वर्षो में बांस पुनर्स्थापना संबंधी ऐसे कार्य किये जावेंगे जो बांस नवपादपों को स्थापित होने एवं भिर्रे निर्माण में सहायक हों। यदि सामूहिक पुष्पन का क्षेत्र बहुत अधिक हो तथा वार्षिक उत्पादन को अत्यधिक प्रभावित करे तो वन संरक्षक की लिखित अनुमति से अन्य बांस कूपों में कार्य निलम्बित किये जा सकेंगे।जैसे ही सामूहिक पुष्पन दिखाई दे निम्न निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक आंकड़े एकत्र किये जावेंगे एवं पुष्पन पूर्ण होने तक हर छः माह के अन्तराल में प्रतिवर्ष अक्टूबर एवं अप्रैल में यह कार्य किया जावेगा।

तालिका क्रमांक 15.14
बांस वनों में सामूहिक पुष्पन का अभिलेख रखने वाला प्रपत्र

वनमण्डल का नाम----------- बांस प्रजाति

....

माह का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष में बांस का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	वास्तविक पुष्पित क्षेत्र हेक्टेयर में एवं कक्ष में उसकी स्थिति
1	2	3	4	5

2 हेक्टेयर प्लाट का अनुक्रमांक	पुष्पन की तीव्रता				रिमार्क
	प्लाट में कुल भिर्रो की संख्या	पुष्पित भिर्रों की संख्या	पुष्पित भिर्रों का प्रतिशत	क्या पुष्पित भिर्रों में गत वर्षा ऋतु में कोई नये बांस नाल उत्पन्न हुये	क्या बांस पहाड़ी शीर्ष/ढलानों पर नदी नालों के किनारे या घाटी में सागौन या मिश्रित वन के अधोवितान में है अथवा बिगड़े वनो। विगत प्रबंधन पर रिमार्क अच्छा प्रबंधन /कुप्रबंधन
6	7	8	9	10	11

15.21.6 बॉस कटाई के लिये सामान्य नियमः–

समस्त बांस क्षेत्र में समान रूप से लागू होने वाले नियम :–

1. किसी भी भिर्रे से करला (एक वर्षीय), एवं मोहिला (दो वर्षीय आयु के) बॉस नहीं काटे जाऐंगे।
2. बॉस प्रकन्द को किसी भी परिस्थिति में न तो खोदा जाएगा और ना ही कोई क्षति पहुँचाई जावेगी।
3. बांस भूमि सतह से 15 से.मी. ऊंचाई पर या प्रथम गठान के ऊपर से (जो भी बाद में हो) एवं 45 से.मी. तक की ऊंचाई से नीचे काटे जावेंगे।
4. बॉस तेजधार वाले औजार से ही काटा जाए ताकि बांस ठूंठ फटने न पायें।
5. बॉस कटाई से प्राप्त अनुपयोगी टहनियॉ एवं पत्तियॉ भिर्रे की परिधि से एक मीटर की दूरी तक हटाया जाकर सफाई कार्य किया जावेगा।
6. बॉस की कटाई 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक नहीं की जाएगी।
7 बॉस बण्डल बांधने के लिये बॉस के नेरे (बॉस का ऊपरी छिलका) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. छितराए पुष्पन (**Sporadic Flowering**) की स्थिति में बॉस कूप के अन्दर के उन सभी बॉस भिर्रो में निःशेष पातन किया जावेगा,जिसका पुष्पन पूर्ण हो चुका हो तथा बीज गिर चुके हों। ऐसे भिर्रो में कम से कम एक बॉस ध्वज के रूप में छोड़ दिया जावेगा।
9. कूप में या अन्यत्र सामूहिक पुष्पन (**Gregarious Flowering**) की स्थिति में सभी पुष्पित बॉस भिर्रो का बीज गिरने के उपरांत निःशेष पातन किया जावेगा। इस प्रकार प्राप्त बांसों के तत्काल निवर्तन की व्यवस्था की जावेगी। क्षेत्र को अग्नि एवं चराई से पूर्ण सुरक्षा करते हुए पुनर्स्थापना का कार्य योजना बनाकर किया जावेगा।
10. बॉस की अवैध छटाई (**Lopping**) पर कठोर नियंत्रण रखा जावेगा।
11. **जहां तक संभव हो –**

a. बॉस कटाई कार्य फरवरी के अंत तक पूरा किया जाएगा।

b. बॉस के वनों को आग से पूरी तरह बचाया जावेगा और बॉस क्षेत्र में दोहन के लिये निर्धारित वर्ष में और अगले वर्ष में किसी भी दशा में आग नहीं लगनी चाहिये।

c. बॉस क्षेत्रों में पातन के अगले वर्ष वर्षा ऋतु में शाखाओं की छॅटाई प्रतिबंधित की जावेगी।

12. प्रत्येक भिर्रे में रोके जाने वाले बॉसों की न्यूनतम बॉसों की संख्या गुण वर्ग के आधार पर निम्नानुसार होगी।

गुण वर्ग 1 में	–	20 बांस
गुण वर्ग 2 में	–	15 बांस
गुण वर्ग 3 में	–	10 बांस

13. बांस के भिर्रे में करला बांसों की संख्या के दोगुना के बराबर मोहिला एवं पकिया बॉस छोड़े जावेंगे। उदाहरण के लिये यदि द्वितीय श्रेणी के बांस भिर्रे में 6 करला, 5 मोहिला, 8 पकिया हों तो भिर्रे में रखे जाने वाले मोहिला बांस पूरे एवं पकिया बांसों की मिलीजुली संख्या करला बॉसों की दोगुनी अर्थात् 12 होगी। इस प्रकार भिर्रे में 6

करला, 5 मोहिला, 7 पकिया इस प्रकार कुल 18 बॉस रखे जावेंगे। भले ही द्वितीय श्रेणी के लिये रखे जाने वाले निर्धारित न्यूनतम बॉसों की संख्या 15 हो।

14. किसी भिर्रे में बॉसों की संख्या निर्धारित संख्या से कम या उसके बराबर हो तो ऐसी दशा में उससे बॉस नहीं काटे जायेंगे। केवल टूटे हुये, सूखे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त या अतिप्रौढ़ बॉस काटे जायेंगे।
15. यदि एक भिर्रा दूसरे भिर्रे से बिल्कुल अलग हो और उसकी परिधियां स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है तो अलग–अलग भिर्रे माने जावेंगे। चाहे उनके बीच का अंतर कितना ही कम क्यों न हो। जहां ऐसे विभेद संभव न हो, वहां 1 मीटर दूरी के अन्दर होने वाले 2 भिर्रो को एक माना जावेगा।
16. संकुल भिर्रो (बुरी तरह से आपस में गुथे हुए) का निःशेष पातन खण्ड बनाकर किया जावेगा। खण्डों की अधिकतम संख्या तीन होगी एवं प्रत्येक पातन वर्ष में कार्य करते हुये केवल एक खण्ड में निःशेष पातन किया जावेगा। जिन भिर्रो में तीन खण्ड बनाये जावेंगे उनमें मध्य खण्ड त्रिभुजाकार होगा, जिसका शीर्ष परिधि पर होगा और आधार परिधि के एक तिहाई भाग के बराबर होगा। मध्य खण्ड का पातन पहले किया जावेगा। पार्श्व के दो खण्ड क्रमशः एक–एक करके दूसरे और तीसरे वर्ष में एक–एक वर्ष के अन्तराल में काटे जावेंगे।
17. संरक्षित बॉस के एक बॉस से दूसरे बॉस की दूरी अधिकतम 25 से. मी. होनी चाहिए। संरक्षित किये जाने वाले बॉस यथा संभव भिर्रे की परिधि पर होने चाहिए। बॉस की कटाई भिर्रे के केन्द्र से प्रारंभ होकर परिधि की ओर अग्रसर होगी। रोके जाने वाले बॉसों की प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार रखा जावेगा–

    1. करला
    2. मोहिला
    3. नये हरे एवं युवा बॉस

4. पुराने जीवित बॉस
5. उपलब्धता के अनुसार अन्य बॉस।

18. पहाड़ी क्षेत्रों में बॉस कटाई शिखर से प्रारंभ कर, कार्य प्रगति के साथ धीरे–धीरे नीचे की ओर आनी चाहिये ताकि बॉस कटाई से कोई क्षेत्र छूट न जावे। बॉस भिर्रो में कार्य केवल सघन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, वरन् कक्ष में फैले इक्का–दुक्का विरल भिर्रो में भी बॉस कटाई का कार्य किया जावेगा।विरल भिर्रो, संकुल भिर्रो, पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में बॉस कटाई दर युक्ति संगत होनी चाहिए। बॉस कटाई का कार्य जॉब दरों के स्थान पर मस्टररोल पर दैनिक मजदूरी पर कराये जाने पर भी विचार किया जाना चाहिये। मितव्ययता की आड़ में बॉस वनों को क्षतिग्रस्त नहीं होने देना चाहिये।

15.21.7 विशिष्ट उपचार नियम :–

प्रकार : (एक)

1. किसी भी भिर्रे में व्यापारिक पातन नहीं किया जायेगा।
2. केवल वन वर्धनिक कार्य निम्नानुसार किये जावेंगे।

I. सभी मृत सूखे, अति परिपक्व, जले, टूटे एवं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त बांस की कटाई की जावेगी।

II. यदि आवश्यक हो तो भिर्रे के आकार को बनाये रखने के लिये 2.5 मी. या अधिक ऊंचाई के टूटे एवं कटे बांस रोके जा सकेंगे।

III. संकुल (कंजस्टेड) एवं गुथे हुये भिर्रो के अनुभाग बनाकर निःशेष पातन किया जावेगा। एक भिर्रे में कार्य करने हेतु अधिकतम तीन अनुभाग बनाये जावेंगे तथा एक बार में एक ही अनुभाग में कार्य किया जावेगा जहां तीन अनुभाग बनाये जायेंगे वहां बीच का अनुभाग में कार्य किया जायेगा शीर्ष परिधि पर रहेगा। प्रथम उपचार कार्य के दौरान इसी बीच वाले अनुभाग में पातन किया जावेगा। बाद के उपचार चक्रों

में क्रमशः बगल वाले अनुभागों में कार्य किया जावेगा। भिर्रो को अनुभागों में विभाजन का चित्र नीचे दिया गया है :–

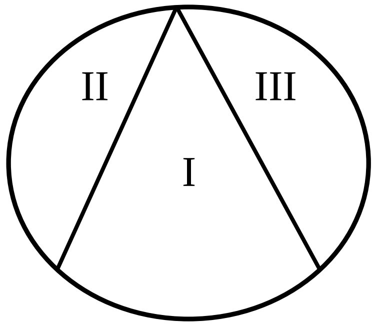

IV. बॉस भिर्रो में मिट्टी चढ़ाने का कार्य तथा भू–जल संरक्षण हेतु थाला निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

V. पूर्व के रोपण क्षेत्रों का रख–रखाव एवं वनवर्धनिक कार्य कण्डिका 3.22.9 के अन्तर्गत लेख किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

VI. जैविक दबाव कम करने के लिए वन सुरक्षा ग्राम वन समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

VII. बॉस भिर्रो की स्थिति एवं स्थल के दृष्टिगत 4 वर्षो की परियोजना मुख्य वन संरक्षक (विकास) के पत्र क्रमांक/विकास/2376, भोपाल दिनांक 01.06.2001 में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार कर वनमण्डल की स्वीकृति के उपरांत कार्य कराए जायेंगे।

VIII. बांस भिर्रो की स्थिति एवं स्थल के दृष्टिगत 4 वर्षो की परियोजना में जारी दिशा निर्देशों के उपचार के बाद पांचवे वर्ष में उपचारित क्षेत्र का निरीक्षण किया जावेगा तथा यदि बांस पातन योग्य सुगठित भिर्रो का आकार ग्रहण कर चुका होगा तो बॉस कटाई के मानक नियमों अनुसार कटाई का कार्य प्रारंभ किया जावेगा। यदि क्षेत्र विदोहन योग्य नहीं पाया जाता है तो प्रति वर्ष के अन्तराल में निरीक्षण किया

जाकर पातन हेतु अनुमति लेकर बांस कटाई नियमों के अनुसार पातन किया जावेगा तथा बांस कटाई हेतु 4 वर्ष के पातन चक्र का पालन किया जावेगा।

15.21.8 कार्य वृत्त क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त रिक्त क्षेत्रों में लगभग 1 मीटर ऊंचाई के स्वस्थ बांस पौधों का अधोरोपण 6 X 6 मीटर के अंतराल पर 45X45X45 से.मी. के गड्ढे बनाकर किया जावेगा।

15.21.9 **सहायक वन वर्धनिक कार्य :–**

1. बॉस रोपण क्षेत्रों की विशिष्ट सुरक्षा लगातार 10 वर्षो तक कराई जावेगी। बॉस रोपण क्षेत्रों में प्रथम वर्ष में 3 निंदाई, थाला बनाई एवम् स्थल के अनुरूप जल संरक्षण कार्य किये जावेंगे। रोपण वर्ष बाद आगामी तीन वर्षो तक 2–2 निंदाई कराई जावेगी।
2. भिर्रो के पास जल संरक्षण हेतु निर्मित थालों का रख–रखाव 5 वर्षो तक किया जावेगा।
3. भू एवं जल संरक्षण हेतु निर्मित संरचनाओं का 5 वर्ष तक रख–रखाव किया जावेगा।

- **परिपालन कार्य :–**

जहां पर बांस का अधिरोपण किया गया है उनमें 5 वें, 8 वें एवं 11 वें वर्ष में निम्नानुसार सफाई कार्य किया जायेगा।

पांचवें वर्ष में :–

- स्थापित हो चुके बांस के आस–पास अन्य बाधक बन रही झाड़ियों को काट दिया जायेगा।
- बांस के भिर्रा की निंदाई, गुड़ाई का कार्य स्थापित मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा।

आठवें वर्ष में :–

- बांस के स्थापित भिर्रो में उपरोक्तानुसार साफ–सफाई एवं आवश्यक पातन कार्य कराये जायेंगे।

- आवश्यकतानुसार बांस भिर्रो में विरलन कार्य कराये जायेंगे।

11 वें वर्ष में :–

रोपण के 11वें वर्ष में वनमण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय या उनके द्वारा मनोनीत सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा बांस रोपण क्षेत्र का निरीक्षण किया जायेगा। यदि निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि रोपित बांस पातन योग्य भिर्रो का आकार ग्रहण कर चुके हैं तो बांस कटाई नियमों के अनुसार बांस का विदोहन किया जायेगा।

15.21.10 अग्नि से सुरक्षा :–

उपचार इकाईयों में सतत अग्नि सुरक्षा की जावेगी। तथा इस हेतु सक्रिय जन भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

15.21.11 उपचार मानचित्र :–

पातनांशों में किये समस्त कार्यो का उपचार मानचित्र सहित कक्ष इतिहास पत्रावली में नस्तीबद्ध किया जावेगा।

15.21.12 कटाई अवधि :–

15 जून से 15 अक्टूबर के बीच बांस कटाई कार्य नहीं किया जावेगा।

15.21.13 सुरक्षा :–

बांस क्षेत्र का संरक्षण वन संरक्षण अध्याय में किये गये प्रावधान के अनुसार किया जावेगा

15.21.14 समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना :–

वनमंडल में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का विवरण निम्नानुसार है –

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का विवरण

परिक्षेत्र	ग्राम वन समिति		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
समर्धा	39	13594.79	39	13594.79
बैरसिया	50	11153.12	50	11153.12
नजीराबाद	37	10895.46	37	10895.46
योगः–	**126**	**35643.37**	**126**	**35643.37**

वन समितियों के गठन से वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के अतिरिक्त समितियों की संगठनात्मक सहभागिता, पारदर्शिता, ग्रामीण अद्योसंरचना के विकास में वृद्धि हुई है। वनमण्डल में गठित समितियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–52 पर संलग्न है।

भोपाल वनमण्डल की 126 वन समितियों में से बिगड़े वनों की 20 समितियों में से 14 समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर वनमण्डलाधिकारी द्वारा अनुमोदित है। शेष 6 समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। समितियों का वर्गीकरण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के पत्र क्रमांक/3092 दिनांक 04/08/2020 परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–74 में दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा। समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधान अनुसार वनमंडलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार लागू किये जायें।

––––**00**––––

अध्याय–16
वृक्षारोपण कार्यवृत्त
(Plantation Working Circle)

16.1 कार्यवृत्त का सामान्य गठन :–

- **उद्देश्य :–** कार्यवृत्त का गठन निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के अधीन किया गया है:–
  1. कॉपिस उत्पत्ति के वनों के स्थान पर बीज से प्राप्त पौधों के रोपण से वनों की उत्पादकता एवं स्वास्थ्य को बढ़ाना।
  2. उपयुक्त प्रजाति का वृक्षारोपण कर रिक्त एवं उजड़े विरल वन क्षेत्र को पुनः अच्छे सघन वन के रूप में पुनर्स्थापित करना।
  3. भूमि का उपयोग उसकी क्षमता के अनुरूप कर वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
  4. बहुस्तरीय असिंचित एवं सिंचित रोपण कर संनिधि की गुणवत्ता में सुधार लाना।
  5. औषधीय पौधों के रोपण हेतु प्रदर्शन प्रक्षेत्र का निर्माण करना।
  6. वृक्षारोपण में जन सहभागिता प्राप्त कर उनकी इमारती, अर्द्ध इमारती, जलाऊ, चारा इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
  7. सफल रोपण क्षेत्र का सामयिक उपचार किया जाना।
  8. वनाच्छादन में वृद्धि लाते हुये भू–क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण के साथ–साथ स्थानीय पर्यावरण में अपेक्षित सुधार लाना।

16.2 आधार :–

i **घनत्व :–** विरल एवं रिक्त वनक्षेत्र कक्ष के कुल क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

ii **ढलानः–** घनत्व के आधार पर चयन किये गये कक्षों में 30 प्रतिशत से कम ढलान वाला क्षेत्र कक्ष के कुल क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत से अधिक होना चाहिये।

iii **जड़ भण्डार :–** कंडिका (i) एवं (ii) के आधार पर चयनित कक्षों में अपर्याप्त जड़ भण्डार वाला वनक्षेत्र कक्ष के कुल क्षेत्र के 70% से अधिक होना चाहिये।

iv **मिट्टी की गहराई :–** कंडिका (i) एवं (ii) के आधार पर चयनित कक्षों में गहरी मिट्टी वाला क्षेत्र कक्ष के अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले कुल वन क्षेत्र के 70% से अधिक होना चाहिये।

16.3 कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्र :–

कार्य आयोजना के द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनांक 23/06/2021 एवं 24/06/2021 में लिये गये निर्णय बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार "प्रस्तावित कार्य आयोजना में शासन के पत्र क्रमांक/एफ–25–08/2015/10–3 दिनांक 04/06/2015 में निहित निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यवृत्त में निजी भूमि को पृथक से दर्शाया जायेगा। प्रत्येक कार्यवृत्त के अंतर्गत निजी भूमि को प्रबंधन से पृथक रखा जायेगा तथा कार्य अयोग्य क्षेत्र दर्शाया जायेगा। कार्यवृत्त के उपचारों में निजी भूमि पर कोई मार्किंग या अन्य विभागीय कार्य न करने का उल्लेख किया जायेगा। कार्य आयोजना में कार्यवत्त में नजी भूमि स्वामियों की सूची कक्षवार परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जायेगी।" कार्य आयोजना में निजी भूमि सम्मिलित नहीं हैं। निजी भूमि के संबन्ध में भोपाल वनमण्डलाधिकारी का पत्र परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–30 पर दर्शित है।

इस कार्यवृत्त में प्रचलित कार्य आयोजना क्षेत्र के झाड़ी एवं विरल वन के अच्छी मृदा गहराई एवं गुणवत्ता वाले रोपण योग्य क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यवृत्त में 44 कक्षों का कुल 6139.23 हेक्टेयर वनक्षेत्र सम्मिलित किया गया है, जो कार्य आयोजना में लिए गये कुल क्षेत्र का 13.57 प्रतिशत है। इस कार्यवृत्त के पूरे क्षेत्र को शीघ्रातिशीघ्र उपचारित किया जाना चाहिए, किन्तु वित्तीय संसाधन/मानव संसाधन की सीमित उपलब्धता एवं स्थानीय ग्रामीणों रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति को

ध्यान में रखते हुए, उपचार हेतु 10 वर्ष के आवर्तन चक्र में 20 उपचार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

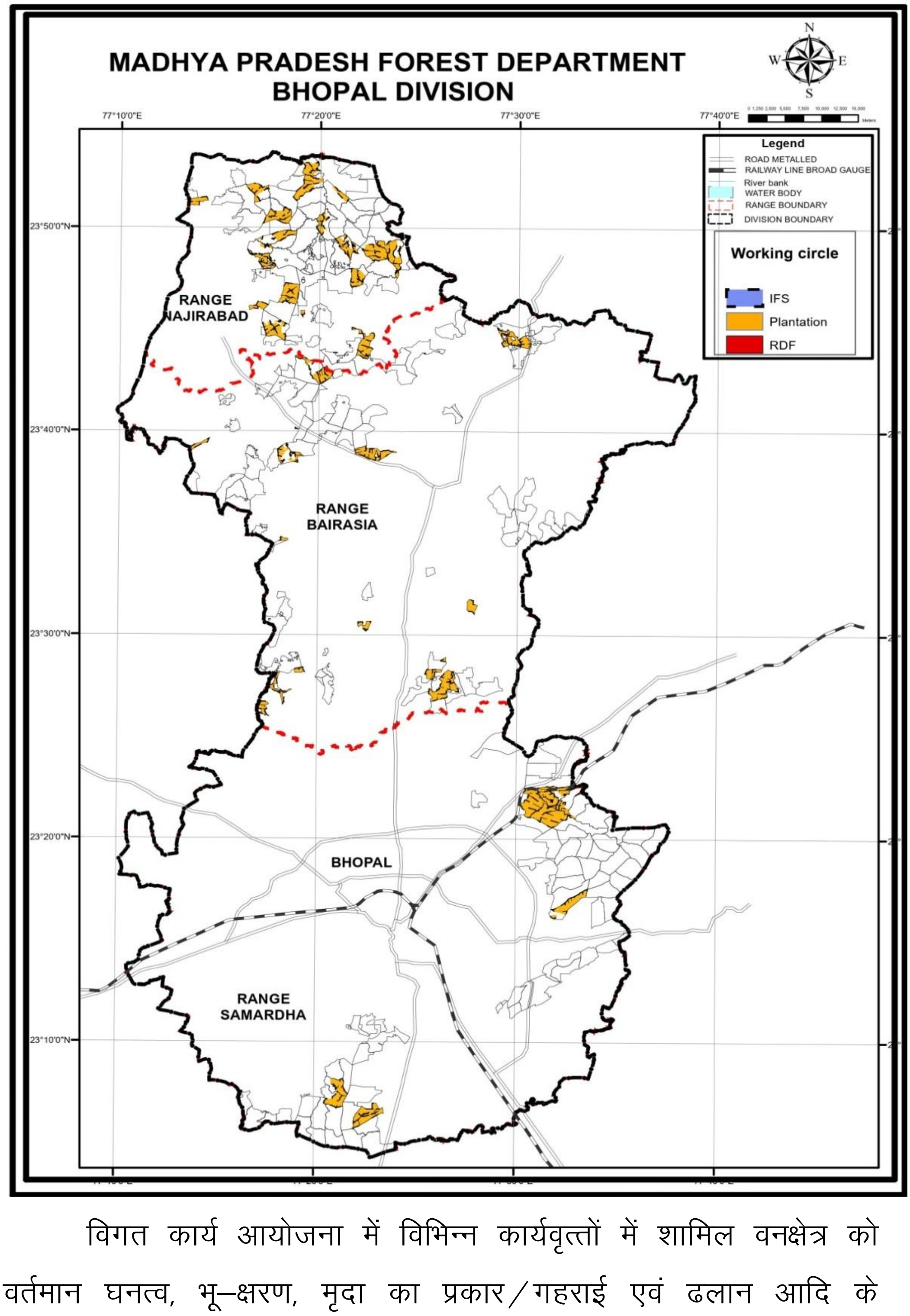

विगत कार्य आयोजना में विभिन्न कार्यवृत्तों में शामिल वनक्षेत्र को वर्तमान घनत्व, भू–क्षरण, मृदा का प्रकार/गहराई एवं ढलान आदि के आधार पर उपयुक्त पाये जाने के कारण इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत निम्नानुसार शामिल किया गया है,

तालिका क्रमांक–16.1
विगत कार्य आयोजना के विभिन्न कार्यवृत्तों के क्षेत्र का विवरण, जो वर्तमान वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल हैं (हे.)

विवरण	सुधार पातन कार्यवृत्त	बिगड़े वनों का सुधार	वृक्षारोपण	नये कक्ष	योग
कक्ष संख्या	12	15	16	1	**44**
क्षेत्रफल	2526.970	2620.132	988.912	3.214	**6139.229**

16.3.1 परिक्षेत्रवार शामिल वनक्षेत्र :–

वृक्षारोपण कार्यवृत्त में आवंटित क्षेत्र का परिक्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 16.2
वृक्षारोपण कार्यवृत्त में आवंटित क्षेत्र का परिक्षेत्रवार विवरण

परिक्षेत्र	वैधानिक स्थिति	कक्ष संख्या	प्रबंधन में शामिल क्षेत्र
बैरसिया	आरक्षित वन	7	1218.74
	संरक्षित वन	8	313.54
नजीराबाद	आरक्षित वन	16	2561.84
	संरक्षित वन	4	170.91
समर्धा	आरक्षित वन	7	1227.35
	संरक्षित वन	2	646.84
महायोग		**44**	**6139.23**

16.3.2 सस्य का सामान्य विवरण :– वृक्षारोपण कार्यवृत्त में परिक्षेत्रवार, सघन, विरल, रिक्त, अतिक्रमण एवं अन्य वनक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र.– 16.3
परिक्षेत्रवार, सघन, विरल, रिक्त, अतिक्रमण एवं अन्य वनक्षेत्र का विवरण
(क्षेत्रफल हेक्टे. में)

क्र.	परिक्षेत्र	सघन	विरल	रिक्त	अतिक्रमण	नदी / नाला व अन्य	योग	प्रतिशत
1	बैरसिया	164.40	392.51	193.91	751.17	30.29	**1532.28**	**24.96%**
2	नजीराबाद	878.39	595.67	411.20	847.49	0.00	**2732.75**	**44.51%**
3	समर्धा	169.70	1142.78	150.85	376.56	34.32	**1874.20**	**30.53%**
	महायोग	**1212.49**	**2130.96**	**755.95**	**1975.22**	**64.61**	**6139.23**	**100.00%**
	प्रतिशत	**19.75%**	**34.71%**	**12.31%**	**32.17%**	**1.05%**	**100.00%**	

16.3.3 वन प्रकार :– वृक्षारोपण कार्यवृत्त में परिक्षेत्रवार एवं प्रजातिवार वन प्रकार का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र. – 16.4

परिक्षेत्र एवं प्रजातिवार वनप्रकार का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टे. में)

परिक्षेत्र	सागौन वन	मिश्रित वन	अन्य क्षेत्र	योग
बैरसिया	145.35	411.56	975.37	**1532.28**
नजीराबाद	1450.27	23.79	1258.69	**2732.75**
समर्धा	0.00	1312.47	561.73	**1874.20**
योग	**1595.62**	**1747.83**	**2795.78**	**6139.23**
प्रतिशत	**25.99%**	**28.47%**	**45.54%**	**100.00%**

16.3.4 गुणवत्ता श्रेणी :– वृक्षारोपण कार्यवृत्त में परिक्षेत्रवार एवं गुणवत्ता श्रेणीवार वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र. – 16.5

परिक्षेत्र, गुणवत्ता श्रेणी वनक्षेत्र का विवरण

परिक्षेत्र	गुणश्रेणी (क्षेत्रफल हे.में)					
	IVa	**IVb**	**Va**	**Vb**	**अन्य**	**योग**
बैरसिया	0.00	0.00	0.00	556.91	975.37	1532.28
नजीराबाद	0.00	163.14	349.97	960.95	1258.69	2732.75
समर्धा	47.80	0.00	53.24	1211.43	561.73	1874.20
योग	**47.80**	**163.14**	**403.21**	**2729.29**	**2795.78**	**6139.23**
प्रतिशत	0.78%	2.66%	6.57%	44.46%	45.54%	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र Vb स्थलगुणवत्ता श्रेणी का है तथा कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्रों में ज्यादातर 9 मीटर से कम ऊँचाई के वृक्षों वाले क्षेत्र हैं।

16.3.5 आयु वर्गवार :– वृक्षारोपण कार्यवृत्त में परिक्षेत्र एवं आयु वर्गवार वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र. – 16.6

वैधानिक स्थिति एवं आयु वर्गवार वनक्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टे. में)

परिक्षेत्र	आयुवर्ग			महायोग
	युवा	मध्यम	परिपक्व	
बैरसिया	164.40	0.00	0.00	**164.40**
नजीराबाद	878.39	0.00	0.00	**878.39**
समर्धा	169.70	0.00	0.00	**169.70**
योग	**1212.49**	**0.00**	**0.00**	**1212.49**
प्रतिशत	**100%**	**0%**	**0%**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र मध्यम आयुवर्ग के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रिक्त अतिक्रमण नदी, नाला व अन्य वन क्षेत्र सर्वाधिक है।

16.3.6 ढलानवार :– वृक्षारोपण कार्यवृत्त में परिक्षेत्र एवं ढलानवार वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र.– 16.7

परिक्षेत्र एवं भू–समाकृतिवार वनक्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टे. में)

ढलान	परिक्षेत्र			महायोग	प्रतिशत
	बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा		
कक्ष संख्या	15	20	9	**44**	
<10°	1633.01	3489.37	2340.31	**7462.69**	**88.79%**
10° TO 30°	82.59	533.35	164.53	**780.47**	**9.29%**
30° TO 40°	7.39	57.46	21.39	**86.23**	**1.03%**
>40°	11.38	51.06	12.96	**75.39**	**0.90%**
महायोग	**1734.36**	**4131.24**	**2539.18**	**8404.79**	**100.00%**

नोट: उपरोक्त क्षेत्र में वनग्राम क्षेत्र भी सम्मिलित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में शामिल समस्त वन परिक्षेत्रों का ज्यादातर क्षेत्र 10% ढलान वाला समतल क्षेत्र है।

16.4 सस्य की सामान्य विशेषताएं सस्य का विश्लेषण एवं पुनरुत्पादनः–

इस कार्यवृत्त के 47 ग्रिड बिंदुओं में किये गये वन संसाधन सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पुनरुत्पादन प्रति हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया जा रहा है–

तालिका क्रमांक – 16.8

प्रजाति समूहवार पुनरूत्पादन की स्थिति का विवरण

वैधानिक स्थिति	खंडक संख्या	सागौन	मिश्रित	योग
आरक्षित	39	635.69	1071.95	**1707.63**
संरक्षित	8		763.9	**763.9**
औसत	**47**	**527.49**	**1019.5**	**1547**

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस कार्यवृत्त में बीजांकुर से पुनरुत्पादन की स्थिति अपर्याप्त है। अतः सहायक वन वर्धनिक कार्य एवं

चराई तथा अग्नि पर नियंत्रण रखते हुये पुनरुत्पादन की स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

16.4.1 प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना की तुलना :–

प्रस्तावित कार्य आयोजना के कार्यवृत्तवार विभिन्न प्रजातियों के गोलाईवार प्रति हेक्टेयर वृक्ष संख्या का विवरण कार्य आयोजना की पुस्तक वन संसाधन सर्वेक्षण में परिशिष्ट क्रमांक –13 एवं कार्यवृत्तवार विभिन्न प्रजातियों के गोलाईवार प्रति हेक्टेयर आयतन (घ.मी.) का विवरण कार्य आयोजना की पुस्तक वन संसाधन सर्वेक्षण में परिशिष्ट क्रमांक– 14 पर दिया गया है।

प्रचलित कार्य आयोजना में इस कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की तत्कालीन एवं वर्तमान संख्या एवं आयतन प्रति हेक्टेयर का तुलनात्मक विवरण, तथा पुनरीक्षित कार्यवृत्त के कक्षों में वृक्षों की वर्तमान संख्या एवं आयतन प्रति हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया गया है,

तालिका क्रमांक – 16.9

प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना में वृक्षों की संख्या का तुलनात्मक विवरण

वृक्षों का संख्या प्रति हेक्टेयर गोलाई वर्गवार (सेमी)										
वन प्रकार	**सागौन वन**					**मिश्रित वन**				
गोलाई वर्ग (सेमी)	<60	61-120	>120	**योग**	%	<60	61-120	>120	**योग**	%
पूर्व कार्य वृत्त	विगत कार्य आयोजना में कार्य वृत्तवार आंकड़े अनुपलब्ध हैं।									
वर्तमान कार्यवृत्त	86.383	7.872	0	**94.255**	**37.01%**	145.957	12.979	1.489	**160.426**	**62.99%**

तालिका क्रमांक–16.10

प्रचलित एवं पुनरीक्षित कार्य आयोजना में वृक्षों के आयतन का तुलनात्मक विवरण

वृक्षों का आयतन प्रति हेक्टेयर गोलाई वर्गवार (सेमी)										
वन प्रकार	**सागौन वन**					**मिश्रित वन**				
गोलाई वर्ग (सेमी)	**<60**	**61-120**	**>120**	**योग**	**%**	**<60**	**61-120**	**>120**	**योग**	**%**
पूर्व कार्य वृत्त	विगत कार्य आयोजना में कार्य वृत्तवार आंकड़े अनुपलब्ध हैं।									
वर्तमान कार्यवृत्त	1.917	1.653	0	3.57	33.73%	3.114	2.86	1.038	7.013	66.27%

नोटः– विगत कार्य आयोजना में उक्त जानकारी न होने के कारण वर्तमान से तुलना नहीं की जा सकती है। परन्तु वनक्षेत्र में जैविक दबाव से पौधों की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है।

- **कार्यवृत्त में वनस्पति का सामान्य विवरण :–**

कार्यवृत्त के वनों में औसत आयतन 10.583 घ.मी. प्रति हैक्टे. है। वनों में प्रति हैक्टे. औसत वृक्ष संख्या 254.68 है। चूंकि 80.25 प्रतिशत क्षेत्र विरल, रिक्त एवं अन्य वनों का है। अतः वन संनिधि भी बहुत कम है।

वनों में पायी जाने वाली प्रमुख प्रजातियाँ सागौन, पलास, तेन्दू, धावड़ा, साजा, लेंडिया, दूधी, अमलतास आदि हैं। इस कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्र में प्रति हैक्टे. पुनरुत्पादन 1547 है, जो कि पर्याप्त है। अधिकांश क्षेत्र झाड़ी वन की श्रेणी का है।

- **पुनरीक्षित संनिधि मानचित्र, उपचार मानचित्र एवं प्रोजेक्ट निरूपण :–**

कूपों का सीमांकन एक वर्ष अग्रिम में किया जावेगा। वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी द्वारा 1:12500 पैमाने पर पुनरीक्षित संनिधि मानचित्र तैयार किया जावेगा। स्थल विशेष के उपचारण के उद्देश्य से उपचार प्रोजेक्ट वन क्षेत्रपाल स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा बनाया जावेगा तथा वन समिति की बैठक में सहमति ली जावेगी। भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य, लेन्टाना हटाना, किस प्रजाति के रोपण किया जावेगा, इत्यादि कार्य विवरण सहित उपचार प्रकार दर्शाए जावेंगे। 2.0 हे. से कम क्षेत्रफल हेतु पृथक से उपचार निर्धारित नहीं किया जावेगा। उपचार मानचित्र का सत्यापन उप वनमण्डाधिकारी द्वारा एवं अनुमोदन क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा उपचार प्रोजेक्ट का अनुमोदन प्रशासकीय एवं तकनीकी सक्षमतानुसार किया जावेगा। उपचार मानचित्र तथा पुनरीक्षित संनिधि मानचित्र की एक–एक प्रति तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राम वन समिति के सचिव तथा अध्यक्ष को दी जावेगी तथा उपचार मानचित्र एवं पुनरीक्षित संनिधि मानचित्र की एक–एक प्रति संबंधित कक्ष की कक्ष– इतिहास नस्तियों में लगाई जावेगी।

16.5 प्रस्तावित उपचार पद्धति –

इस कार्यवृत्त का मुख्य उद्देश्य रिक्त तथा विरले वनों में वृहद पैमाने पर सिंचित तथा असिंचित वृक्षारोपण कर इन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना करना है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से स्थानीय ग्रामीणों के उपयोग की प्रजातियाँ का रोपण किया जायेगा। प्रजातियों के निर्धारण में स्थल का मृदा प्रकार, मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता (pH), जल निकास रूख, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म तत्व, जैविक दबाव, भौमिकीय बनावट, जलवायु इत्यादि वृक्षों की वृद्धि प्रभावित करने वाले कारकों एवं जनता की आवश्यकताओं तथा उपयोग का ध्यान रखा जावेगा। परिक्षेत्र में सागौन के अत्यन्त अल्प मात्रा में वन मौजूद हैं, अतः इन परिक्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पर सागौन रोपण भी किया जायेगा। उद्देश्य यह है कि इन वृक्षारोपणों के विकसित हो जाने के उपरांत इनसे वन क्षेत्र में विकास के साथ–साथ स्थानीय ग्रामीणों के उपयोग की वनोपज की निरन्तरता बनी रहे तथा ये रोपण स्थानीय ग्रामीणों के लिए स्थायी आय का साधन भी बन सकें। कार्यवृत्त के क्षेत्र में जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान कर जड़ भण्डार को विकसित होने में सहयोग दिया जायेगा। कार्यवृत्त में शामिल अतिक्रमित क्षेत्र एवं सघन वनक्षेत्रों को भी उपचार प्रदान किए जायेंगे। उपचारों के क्रियान्वयन में स्थानीय ग्राम वन समितियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

16.6 उपचार चक्र :–

इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को अल्पावधि में उपचारित करने हेतु 10 वर्ष का उपचार चक्र निर्धारित किया गया है।

16.7 उपचार श्रेणियों का निर्धारण :–

16.7.1 इस कार्यवृत्त में उपचार की सुगमता तथा क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से 20 उपचार श्रेणियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक उपचार श्रेणी को 10 उपचारांश में विभाजित किया गया है, जिससे प्रति वर्ष औसतन 306.96 हे. क्षेत्र उपचारित किया जायेगा। कार्यवृत्त के वन क्षेत्र को

रोपण किया जाकर वनाच्छादन में वृद्धि लाते हुये स्थानीय समुदायों के काष्ठ, बाँस, जलाऊ, चारा एवं अकाष्ठीय वनोपज के मांग की पूर्ति के उद्‌देश्य से 10 वर्ष का उपचार चक्र निर्धारित किया गया है। सफल रोपण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार उपचार, साफ–सफाई एवं विरलन कार्य निर्धारित समयानुसार किया जावेगा। वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल वन क्षेत्र को 20 उपचार श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

तालिका क्र. – 16.11

उपचार श्रेणियों का विवरण

कमांक	उपचार श्रेणी	परिक्षेत्र	कक्ष संख्या	प्रबंधन में सम्मिलित क्षेत्र (हे.)
1	गढ़ा ब्राह्मण	नजीराबाद	3	398.60
2	पातालपुर	नजीराबाद	2	346.78
3	मझेरा	नजीराबाद	2	250.15
4	कल्याणपुर	नजीराबाद	3	379.84
5	खंडरिया	नजीराबाद	2	492.24
6	कल्याणपुर–II	नजीराबाद	3	282.09
7	गढ़ाकला II	नजीराबाद	3	370.13
8	डंडेरी	नजीराबाद	2	212.93
9	कोला 2	बैरसिया	1	226.25
10	हिनोतिया	बैरसिया	1	195.79
11	खतवास	बैरसिया	2	240.84
12	कोटरा	बैरसिया	3	169.08
13	सुकालिया	बैरसिया	4	474.41
14	भुनग्याई	बैरसिया	4	225.91
15	समर्धा	समर्धा	2	707.54
16	अमोनी–II	समर्धा	1	304.80
17	अमोनी	समर्धा	2	118.67
18	गोड़ा पछाड़	समर्धा	1	205.18
19	भानपुरा	समर्धा	2	266.53
20	महावदिया	समर्धा	1	271.48
महायोग :–			**44**	**6139.23**

16.7.2 उपचार श्रेणियों में कक्षों का आवंटन :– इस कार्यवृत्त का उपचार श्रेणियों में विभाजन, कक्षवार आवंटित उपचारांश तथा कार्यवृत्त के अंतर्गत उपचारांशों का विभाजन परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्र–75 में दिया गया है।

इस कार्यवृत्त में शामिल वनक्षेत्र एवं उसके उपचार विधि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका क्रमांक–16.12

वृक्षारोपण कार्यवृत्त का संक्षिप्त विवरण

क्र.	विषय	विवरण
1	क्षेत्रफल (हे.)	6139.23
2	क्षेत्रफल प्रतिशत	13.57%
3	कक्ष संख्या	44
4	उपचार श्रेणी	20
5	उपचार श्रेणी का औसत क्षेत्रफल हे.	306.96
6	वार्षिक उपचारांश का औसत क्षेत्रफल हे.	30.70
7	पुनरुत्पादन की विधि	प्राकृतिक, कृत्रिम
8	उपचार चक्र	10 वर्ष
9	उपज का नियमन	आकस्मिक
10	कुल वृक्षों की संख्या प्रति हे.	255
11	वृक्षों का आयतन प्रति हे. (घ.मी.)	10.583
12	स्थापित पुनरुत्पादन प्रति हे.	1547

16.7.3 वार्षिक उपचारांश – वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल सभी उपचार श्रेणियों को दस–दस वार्षिक उपचारांश में विभाजित कर I से X तक क्रमांक दिए गए हैं। उपचार श्रेणियों में वार्षिक कूपों का आवंटन परिशिष्ट क्रमांक–76' में दिया है। वार्षिक उपचारांशों का क्षेत्रफल सामान्यतया 30.70 हैक्टेयर रखा गया है, जिससे उपचारांश सीमांकन एवं प्रबन्धन में भी सुविधा रहेगी। इन वार्षिक उपचारांशों को भी संनिधि मानचित्र एवं प्रबन्धन मानचित्र पर अंकित किया गया है।

16.8 उपज का नियमन :–

इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत सम्मिलित अधिकतर क्षेत्रों में निम्न संनिधि वन व रिक्त वनक्षेत्र है। अतः अधिक वन उपज विदोहन से प्राप्त होना संभव नहीं है। जहां कहीं भी वन वर्धनिक कार्यों से वनोपज प्राप्त होगी वहां शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार वनोपज का नियमन किया जायेगा।

16.9 प्रजाति का चयन :–

वृक्षारोपण के लिये स्थानीय रूप से उपयुक्त एवं उपयोगी प्रजाति जैसे–सिरस, सिस्सू, आँवला, जंगल जलेबी, अचार, बेल, सीताफल, खैर, चिरौल, महुआ, सागौन, नीम आदि स्थानीय प्रजातियों का चयन किया जाय उपयुक्त स्थानों पर सागौन रोपण किया जावेगा। एकल प्रजाति रोपण के स्थान पर मिश्रित प्रजाति के रोपण पर बल दिया जायेगा। मिश्रित प्रजातियों में फलदार वृक्षों, जलाऊ वृक्षों एवं चारा प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी। फलदार प्रजातियों में आँवला, अचार, महुआ, सीताफल, बेल, हर्रा, बहेड़ा आदि को प्राथमिकता दी जावेगी। ऊर्जा वन एवं चारागाह वन क्षेत्र हेतु प्रस्तावित प्रजातियों को भी आवश्यकतानुसार रोपण मे शामिल किया जावेगा। विभिन्न उद्देश्य पर आधारित रोपण हेतु अनुशंसित प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट–77 पर दिया गया है।

16.10 उपचार वर्ग :–

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्रों को निम्नलिखित उपचार वर्ग में विभाजित किया जाकर उपचार कार्य किये जायेंगे –

16.10.1 उपचार वर्ग *"अ"* – रक्षित क्षेत्र–

इस उपचार वर्ग में निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे–

1. 40^0 से अधिक ढलान वाले क्षेत्र।
2. भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र।
3. बेतवा एवं सिंध नदियों के दोनों ओर नदी के किनारे से 200 मी. की पट्टी का क्षेत्र।
4. सभी जीवित नालों के दोनों ओर 20 मी. चौड़ी पट्टी का क्षेत्र।
5.. चट्टानी एवं स्थायी रूप से रिक्त क्षेत्र।
6. समस्त राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 20 मी. चौड़ी पट्टी का क्षेत्र।
7. वन्यप्राणियों के विशिष्ट वृहद पर्यावास स्थल। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे –

(i) वन्य प्राणियों के मुख्य वृहद पर्यावास स्थलों के चारों ओर 100 मी. की चौड़ी पटटी का क्षेत्र, मुख्य पर्यावास स्थलों में जलीय क्षेत्र, दलदली/आर्द्र क्षेत्र, भू भाग, तिलस्मी स्थल, ओल्ड ग्रोथ स्टैण्ड, ग्रास लैण्ड, बायोजिकल हॉट स्पॉट आदि स्थल आते हैं।

(ii) वन्य प्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावास स्थलों के चारों ओर 20 मी. चौड़ी पट्टी का क्षेत्र, इसमें सूक्ष्य आवास स्थल, स्नेग (Snags), डेन ट्री (Den Trees), डाउन लॉग्स (Down logs) आदि हैं, इसके साथ प्राकृतिक गुफायें, चट्टानी कगार, चट्टान क्षेत्र तथा पत्थरों के ढेर भी सम्मिलित हैं।

16.10.2 उपचार प्रकार – ''ब'' – विरल एवं रिक्त वन क्षेत्र – जड़ भण्डार एवं मृदा की गहराई के आधार पर इस उपचार प्रकार को निम्नानुसार उप प्रकारों में विभाजित किया जायेगा।

(i) स्थूणक प्रजातियों (खैर, सागौन, धावड़ा, लेण्डिया के पर्याप्त जड़ भण्डार वाले विरल (US2) एवं रिक्त (BL2) वन क्षेत्र।

(ii) स्थूणक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले अच्छी गहरी मृदायुक्त विरल (US1) एवं रिक्त (BL1) वन क्षेत्र।

(iii) स्थूणक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डारयुक्त कम गहरायी की मृदा वाले चारागाह विकास योग्य विरल (US3) एवं रिक्त (BL3) वन क्षेत्र।

16.10.3 उपचार प्रकार – ''स'' – पुराने वन वर्द्धनिक कार्यों के क्षेत्र :

(i) सफल वृक्षारोपण क्षेत्र

(ii) असफल वृक्षारोपण क्षेत्र

(iii) विगत कार्य आयोजना अवधि में उपचारित क्षेत्र

16.10.4 उपचार प्रकार – ''द'' – अतिक्रमण क्षेत्र – उपचारांश के जिन क्षेत्रों में कृषि अथवा आबादी हेतु अतिक्रमण हुआ है, उन्हें इस उपचार प्रकार में रखा जायेगा।

16.10.5 उपचार प्रकार – ''इ'' – उपरोक्त प्रकारों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र –इस उपचार प्रकार में उपचारांश के मुख्यतः सघन वन क्षेत्र रहेंगे, जहाँ घनत्व 0.4 से अधिक है तथा जो 25^0 से कम ढलान वाले क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी क्षेत्र जो किसी अन्य उपचार प्रकार में शामिल नहीं हो पाये हैं,उन्हें भी इस उपचार प्रकार में रखा जायेगा।

16.11 उपचार नियम –

16.11.1 समस्त प्रकार के उपचार क्षेत्रों में –

1 फलदार वृक्ष प्रजातियों जैसे – आँवला, महुआ, अचार, बहेड़ा, तेंदू, नीम, आम, बेल, बेर आदि के वृक्षों को रक्षित किया जावेगा।

2. धार्मिक आस्था से जुड़े वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, सलई तथा संकटापन्न प्रजातियों के वृक्ष जैसे कुल्लू, शीशम आदि के वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।

3. कुआँ, तालाब, पूजास्थल, स्थानीय देवस्थान आदि के आसपास छायादार वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।

4. बारहमासी जल स्त्रोंतों के दोनों ओर किनारे से 20 मीटर की पट्टी तथा बेतवा एवं सिंध नदी के दोनों किनारों से 200 मीटर की पट्टी में किसी प्रकार का पातन नहीं किया जायेगा।

5. पक्षियों के घोंसले धारित करने वाले जीवित तथा खोखले वृक्ष जिनमें कुछ विशेष किस्म के पक्षियों के प्राकृतिक आवास हो, चिन्हांकित नहीं किये जावेगे।

6. वन्यप्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म वानस्पतिक पर्यावास स्थल जैसे स्नैग, डेनट्रीज, डाउनलॉग्स आदि के 20 मीटर की परिधि के क्षेत्र

में नाला बंधान को छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा इन संरचनाओं को संरक्षित किया जायेगा।

7. वन्यप्राणियों के विशिष्ट सूक्ष्म भू–समाकृतिकीय पर्यावास स्थलों (गुफा, मांद, चट्टानी किनारे, लटकती चट्टाने तथा पत्थरों के ढेर) के 20 मीटर की परिधि में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
8. खोखले अथवा ऐसे वृक्ष जो पक्षियों का बसेरा हो उन्हें रक्षित किया जायेगा।
9. प्रति हेक्टेयर 02 मृत वृक्ष को छोड़कर सभी मृत एवं हवा आंधी से उखड़े वृक्षों को दोहन हेतु चिन्हांकित किया जायेगा।
10. 90 से.मी. तक गोलाई के करधई, धावड़ा, खैर, सागौन, लेण्डिया प्रजातियों के जीवित ठूंठों की ड्रेसिंग की जायेगी तथा सागौन एवं लेण्डिया प्रजातियों के 90 से.मी. गोलाई तक के पोलार्डों की भी ड्रेसिंग की जायेगी। ठूँठ एवं पोलार्ड की परिभाषा आलेख भाग II के अध्याय–18 ''विविध नियमन'' के पैरा क्र. 18.23 में दी गई है।
11. 20 से.मी. गोलाई तक की सागौन, करधई, धावड़ा एवं लेण्डिया की विकृत व क्षतिग्रस्त पौध को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन काटा जायेगा।
12. प्रति ठूँठ 2 प्रवर स्थूण प्ररोहों (Healthy And Vigorously Growing Coppice Shoots) को छोड़कर शेष को काट दिया जायेगा।
13. खैर, धावड़ा, सलई एवं संकटापन्न प्रजातियों यथा–कुल्लू, कुसुम, सेमल व बीजा के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा।
14. उपचारांशों में भू एवं जल संरक्षण कार्य मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर करवाये जायेंगे।
15. रोपण क्षेत्र में प्रत्येक 05 हेक्टेयर पर एक बरगद अथवा पीपल के कम से कम 02 मीटर ऊँचे पौधे का रोपण किया जायेगा।
16. संकटापन्न प्रजातियाँ को 10 प्रतिशत तक रोपित किया जावेगा।

17. वनों की बाहरी सीमा पर 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वृक्ष पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किया जायेगा। राजपथ के दोनों ओर 20 मीटर एवं अन्य सड़कों/गाड़ीदान के दोनों ओर 10–10 मीटर तक स्थित समस्त वृक्ष सुरक्षित रखे जायेंगे।
18. क्षेत्र में विद्यमान औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वनमण्डलाधिकारी से अनुमोदित परियोजनानुसार आवश्यक कार्य किये जावेंगे।
19. किसी भी उपचारित क्षेत्र को उससे भिन्न उपयोग हेतु निर्धारित उपचारण अवधि तक नहीं दिया जावेगा।
20. क्षेत्र में स्थित/चिन्हित प्राकृतिक जल स्त्रोतों तथा वहाँ की जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन किया जावेगा।
21. बेला कटाई नहीं की जावेगी।
22. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदाय वन अधिकार पत्र के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन जैसे– मुनारा, सी.पी.टी., सी.पी.डब्ल्यू, सी.सी.टी., फेंसिंग से क्षेत्र को चिह्नांकित किया जावे, जिससे वन अधिकार पत्र में आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अतिक्रमण न फैले।
23. वृक्षारोंपण कार्यवृत्त एवं अन्य कार्यवृत्तों में किसी भी योजना से करायें जा रहे वृक्षारोंपण कार्य हेतु स्थल विशिष्ट उपयुक्तता वृक्षारोंपण योजना तैयार की जावेगी। 0.4 घनत्व से अधिक घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वृक्षारोंपण नहीं किया जावे। इसके लिए FSI की DSS Analysis का उपयोग किया जा सकता है। इसमें स्थल विशिष्ट उपयुक्तता योजना में निम्नांकित बिन्दुओं का विवरण भी भाामिल किया जावेः–

(क) रोपित किये जाने वाले बालवृक्ष/पौधे (Saplings) PCCF & HoFF द्वारा निर्धारित न्यूनतम ऊँचाई, न्यूनतम कॉलर

गर्थ से कम नहीं होना चाहिए एवं अधिकतम Sturdiness Quotient से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) रोपित की जाने वाली बालवृक्ष की संख्या (प्रजातिवार पौधों की संख्या)।

(ग) उपयुक्त स्थानीय चारा–घास प्रजातियों (PCCF & HoFF द्वारा अनुमोदित) का रोपण किया जायेगा।घास प्रजातियों की पैदावार बढ़ाने की विधि परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–78 में दी गई है।

(घ) पुनरूत्पादन सफाई,वन संवर्धन एवं अन्य गतिविधियां।

(ड़) मृदा एवं आद्रता संरक्षण कार्य।

(च) अनुश्रवण प्रक्रिया (Monitoring Process)

(छ) प्रत्येक वर्ष के पश्चात एवं परियोजना की समाप्ति पर प्रत्याशित उत्तरजीविता प्रतिशत (Expected Survival Percentage) एवं अन्य परिणाम मापदंड (Outcome Parameters)

(ज) रोपित किये जाने वाले बालवृक्ष (Saplings) का Sturdiness Quotient 7 से अधिक नहीं होना चाहिये। <u>The height of plant (cm)</u> Sturdiness Quotient = The Collar diameter (mm)

(झ) समस्त 90 से.मी. तक के जीवित ठूंठ एवं जीवित पोलार्ड की जमीन की सतह से Dressing की जावेगी। एवं Plantaion Journal में Girthwise एवं Species Wise इंद्राज किया जावेगा।

24. प्रत्येक कार्य वृत्त (Every working circle) में प्रत्येक एकान्तर (Alternate) वर्श के पश्चात परिणाम मानदण्डों (Outcome Parameters) सहित अनुश्रवण प्रक्रिया एवं कार्य आयोजना अवधि में पूर्णता पर अपेक्षित परिणामों का विवरण दर्ज किया जावेगा।

25. वृक्षारोंपण वन को छोड़कर चाहे कोई भी उद्देश्य क्यों न हो किसी भी वन, जिसमें प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्ष है में निःशेष पातन नहीं किया जावेगा।

26. शासनादेश क्रमांक/3014/(2)/82 दिनांक 31.08.1982 के पालन में पर्यटन महत्व के दस स्थानों की सुरक्षा तथा सौंदर्य के लिये इन स्थानों के इर्द–गिर्द तीन–तीन किलोमीटर की दूरी तक वृक्षों की कटाई नहीं की जाना सुनिश्चि किया जायेगा।

16.12 विशिष्ट उपचार नियम :–

16.12.1 उपचार वर्ग "अ" :–

इस वर्ग में मुख्य रूप से सस्य को संरक्षित रखा जायेगा। मृत तथा वायुपातित वृक्षों को निकाला जायेगा। भू–जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। चराई तथा अग्नि से क्षेत्र को सुरक्षित रखा जायेगा। प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में मृदा एवं वन क्षेत्र की आवश्यकतानुसार आच्छादन बढ़ाने एवं भू–क्षरण रोकने हेतु मृदा की उपयोगिता अनुसार समस्त वानिकी कार्य जैसे– वृक्षारोपण/बीजारोपण/रूटशूट रोपण/चारागाह विकास कार्य किया जाएगा। रोपण हेतु गड्ढे नहीं खोदे जाये, बल्कि क्रोबार (Crowbar) रोपण या बीज बुआई से स्थानीय प्रजातियों का पुनरुत्पादन बढ़ाया जाये।

16.12.2 उपचार वर्ग "ब" :–

16.12.2.1 (i) पर्याप्त जीवित जड़ भण्डार वाले क्षेत्र (BL2 एवं US–2):–

(a) इन क्षेत्रों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल के पत्र क्रं. नि.स./1417 दिनांक 23.12.99, पत्र क्रमांक 1114 दिनांक 20.04.2016 एवं पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 25.05.2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

(b) विद्यमान प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत किया जायेगा।

(c) स्थूणक प्ररोहों से उगे नये प्ररोहों में नियमानुसार दो या तीन प्ररोहों को रख कर शेष को काटा जायेगा। यह कार्य ठूँठ कटाई के तीसरे वर्ष में किया जाएगा। एकलीकरण का कार्य नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जाएगा।

(d) क्षेत्र में खैर, बबूल, सुबबूल, प्रोसोपिस, नीम, चिरोल, अमलतास, महुआ, उपचारित सागौन आदि के बीजों को चैक डेम, कंटूर ट्रैंच पर एवं रिक्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार जुताई कर बीजारोपण किया जायेगा।

(e) जिन स्थानों में जीवित जड़ भण्डार कम है वहाँ पर झाड़ियों में स्थानीय प्रजातियों जैसे–खैर, चिरोल, नीम, अमलतास, महुआ, उपचारित सागौन आदि प्रजातियों के बीज मिट्टी खोद कर डाले जाएँगे।

16.12.2.2 (ii) अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले क्षेत्र :

16.12.2.2.1 (अ) अच्छी एवं गहरी मृदा वाले क्षेत्र (BL1 एवं US–1):–

16.12.2.2.1.1 वृक्षारोपण उपचार निर्देश :–

इस उपचार वर्ग में सम्मिलित क्षेत्रों में उच्च तकनीकी सिंचित/ असिंचित वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट बनाकर वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

16.12.2.2.1.2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट :–

वृक्षारोपण का क्षेत्र चयन उप वनमण्डलाधिकारी/ वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। चयनित क्षेत्र का राजपत्रित अधिकारी द्वारा

गहन निरीक्षण करने के उपरांत क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने पर स्थल की उपयुक्ततानुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जावेगी। ग्राम वन समिति के सदस्यों से चर्चा कर रोपित की जाने वाली प्रजातियों का निर्धारण किया जावेगा। प्रजातियों के निर्धारण में स्थल की मृदा की pH, जल निकास–रूख, मृदा प्रकार, जैविक दबाव, भौमकीय बनावट, जलवायु इत्यादि वृक्षों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों एवं जनता की आवश्यकताओं तथा उपयोग का ध्यान रखा जावेगा तथा गत वर्षों में किये रोपण क्षेत्रों में प्रजाति की सफलता को भी ध्यान में रखा जावेगा। मृदा का रासायनिक परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्थल की उपयुक्तता के अनुसार सुरक्षा हेतु चेनलिंक फेन्सिंग को प्राथमिकता दी जायेगी। भू–जल संरक्षण कार्य, भूमि तैयारी, गड्ढे खोदना, रोपण कार्य, निंदाई–गुड़ाई तथा रखरखाव, सफाई, अग्निसुरक्षा तथा चराई नियंत्रण आदि का विस्तृत विवरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

शासन के संशोधित संकल्प के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों से होने वाली आय से शासन के हुये व्यय को घटाकर समस्त शुद्ध आय समिति सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित की जावेगी। अतः प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि लाभांश का वितरण किस प्रकार होगा। वृक्षारोपण की सफलता के लिए विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा किया जाना अनिवार्य है। परियोजना अवधि में सभी

कार्य समयबद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। वृक्षारोपण परियोजना के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरांत ही रोपण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

16.12.2.2.1.3 वृक्षारोपण तकनीक :–

वृक्षारोपण प्रक्रिया को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है –

(i) रोपणी

(ii) स्थल चयन एवं भूमि तैयारी।

(iii) रोपण कार्य।

(iv) रोपण पश्चात्वर्ती कार्य जैसे निंदाई–गुड़ाई, मृत पौधों को बदलना, सफाई सह विरलन, रखरखाव इत्यादि।

1. **(i) रोपणी :–** रोपण हेतु पौधे अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र से प्राप्त करने के निर्देश हैं। अतः पौधों की आवश्यकता का वार्षिक आकलन कर 2 वर्ष पूर्व से ही पौधों की तैयारी की जानी चाहिए। वन विस्तार एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं। उच्च कोटि के पौधे प्राप्त करने में मुख्यतया बीज का अत्यधिक योगदान होता है। अतएव Genetically Superior Plus Tree अथवा Seed Production Area अथवा Seedling/Clonal Seed Orchard के वृक्षों से प्राप्त बीज का उपयोग पौधे तैयार करने हेतु किया जावेगा। पौधारोपण हेतु पौधों का चयन गुणवत्ता का मानकीकरण के संबंध मे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र. भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार होगी। स्थल की उपयुक्तता ध्यान में रखकर प्रजाति का चयन किया जावेगा। यह क्षेत्र सागौन, बाँस, आँवला, नीम, खैर, साजा, शीशम, खमेर, सिरस आदि प्रजातियों के रोपण के लिए उपयुक्त

है। रोपणी से प्रदाय किये जाने वाले पौधों का मानकीकरण एवं बीज संग्रहण का मानकीकरण के संबन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी के द्वारा पत्र क्रमांक/अनु.वि./रोपणी/2857 दिनांक 06/11/2018 (परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–79) का पूर्ण पालन किया जावे।

तालिका क्रमांक–4.13
भोपाल जिले के अंतर्गत रोपणियाँ

अ. क्र.	रोपणी	परिक्षेत्र	जी.पी.एस. लोकेशन	
			अक्षांश	देशान्तर
1	अहमदपुर	समर्धा	N 23º 11' 42.4"	E 77 º 27' 03.8"
2	भदभदा	समर्धा	N 23 º 12' 26.46"	E77 º 22' 35.70"
3	इमलिया	बैरसिया	N 23 º 38' 00.9"	E 77 º 24' 19.3"
4	गरेठिया	बैरसिया	N 23 º 34' 46.1"	E 77 º 26'18.3"

वृक्ष प्रजातियों के लिये पौध शालाओं की तैयारी एवं उनका प्रबंधन श्री एम एल खर्चे मु.व.सं. सामाजिक वानिकी परियोजना भोपाल के द्वारा वर्ष 1987 में तैयार नर्सरी मैन्युअल के पृष्ठ क्रमांक 8 से 77 एवं 113 से 136 तक दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा। उपरोक्त पौधशाला मेन्युअल की प्रति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–80 में दी गई है।

(ii) **स्थल चयन एवं भूमि तैयारी :–** उपयुक्त स्थल चयन उपरांत उपचार प्रकार के आधार पर स्वीकृत प्रोजेक्ट के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन, फेंसिंग, क्षेत्र सफाई एवं गड्ढे खोदने हेतु स्टेकिंग, गड्ढा खुदाई कार्य कराया जायेगा।

अ. फेंन्सिग :– जैविक दबाव से क्षेत्र की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये 2.0 मीटर ऊँचे तथा 2.4 मीटर दूरी पर स्थित सीमेन्ट के खम्बों के मध्य

चेनलिंक/बारवेड वायर एवं जहाँ पत्थर उपलब्ध है वहाँ पत्थर की दीवार से फेंन्सिग की जावेगी।

ब. **क्षेत्र सफाई :–** किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जावेगा, केवल गड्ढा खोदने के लिए झाड़ियों को साफ किया जावेगा। उपलब्ध पुनरुत्पादन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जावेगा। रोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र में स्थित समस्त खरपतवार तथा कचरे को जगह–जगह पर एकत्रित कर सावधानीपूर्वक जलाया जावेगा।

स. **समोच्च खाई का निर्माण :–** चूँकि क्षेत्र में कई भागों में वर्षा सामान्य से कम होती है, अतः क्षेत्र में नमी को संरक्षित करने के उद्देश्य से ढलान के अनुसार कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जावेगा।

द. **गड्ढों खुदाई, जैविक खाद तथा कीटनाशक का उपचार :–** सागौन, मिश्रित प्रजाति और बाँस के रोपण के लिए क्रमशः 2मीX2मी., 3मी.X3मी. और 4मीX4मी अंतराल पर उपयुक्त स्थल पर गड्ढे खोदे जावेंगे। गड्ढे वृक्षों के छत्र के नीचे तथा स्थापित पुनरुत्पादन के 2 मीटर की त्रिज्या (Radius) में नहीं खोदे जायेंगे। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अल्प है एवं मृदा ठोस होने से रोपण हेतु गड्ढों का आकार तालिका क्रमांक 5.13 अनुसार रखा जावेगा। उचित मात्रा में जैविक खाद या गोबर खाद तथा कीटनाशक को गड्ढों से निकाली गई मिट्टी में मिश्रित किया जावेगा। पौध रोपण के समय इससे गड्ढों को भर दिया जायेगा।

इ. **पौधे का अंतराल :–**रोपण हेतु पौधों के बीच अंतराल चयनित प्रजाति पर निर्भर करेगा। सामान्य स्थिति में

मुख्य प्रजातियों के रोपण के लिए निम्न तालिका अनुसार अंतराल मान्य किये गए हैं।

तालिका क्र. – 16.14
पौधा रोपण हेतु प्रजातिवार अंतराल का विवरण

प्रजाति का नाम	अंतराल	गड्ढों का आकार
सागौन	2x2 मी.	30x30x30 सेमी.3
मिश्रित	3x3 मी.	45x45x45 सेमी.3
बाँस	4x4 मी.	45x45x45 सेमी.3
फलदार वृक्ष (छोटे छत्र वाले)	5x5 मी.	60x60x60 सेमी.3

फ. जुताई कार्य :– यदि क्षेत्र समतल हो तो क्षेत्र में गहरी जुताई कर रोपण का कार्य किया जायेगा।

(iii) रोपण कार्य :– द्वितीय वर्ष में रोपण कार्य मानसून की पहली झड़ी के साथ प्रांरभ किया जावेगा। जिले में मानसून जून के अंतिम सप्ताह में आरंभ होता है, अतः रोपण कार्य जुलाई प्रथम सप्ताह से तथा मूलमुण्ड (रूट शूट) रोपण का कार्य 25 जून से 10 जुलाई के मध्य किया जावेगा। रोपण में औषधीय पौधों का सहरोपण समिति सदस्यों के सहयोग से किया जावेगा। रोपण कार्य विभिन्न प्रजातियों के लिए मानक रोपण तकनीक के अनुसार किया जावेगा। उच्च तकनीक रोपण हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–81 में दर्ज हैं।

(iv) रोपण पश्चात्वर्ती रख–रखाव :– रोपण वर्ष को छोड़कर आगामी पांच वर्षों तक रोपण में तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप रख–रखाव के कार्य होंगे। पांच वर्ष बीतने के उपरांत भी वृक्षारोपण के सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जायेगी। निंदाई का कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप समय से किया जायेगा। प्रथम वर्ष में दो निंदाई का प्रावधान रखा गया है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर मुख्य वन संरक्षक से स्वीकृति प्राप्त कर तृतीय निंदाई भी की जा सकती है। प्रथम निंदाई जुलाई के अंतिम सप्ताह तथा द्वितीय निंदाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तथा

तृतीय निदांई–गुड़ाई सितम्बर के अंतिम सप्ताह में की जावेगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में भी दो अथवा एक निंदाई का प्रावधान रखा गया है। रोपण क्षेत्र में निंदाई के समय आवश्यकतानुसार रासायनिक एवं जैविक खाद का उपयोग किया जावेगा। क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा एवं चराई से सुरक्षा की जावेगी। 6 वें वर्ष सफाई कार्य किया जावेगा। इसके उपरांत वृक्षारोपण के रख–रखाव के प्रावधानों अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों में कार्य किया जावेगा। रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष में मृत पौधों को पुनर्रोपित किया जा सकेगा। पुनर्रोपण हेतु चयनित पौधे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और विषम परिस्थिति को झेलने वाले होने चाहिए क्योंकि इन पौधों का रोपण वर्षा ऋतु की कुछ अवधि निकल जाने के बाद होगा। मृत पौधों का पुनर्रोपण यथासंभव जुलाई के तृतीय सप्ताह में Tall Seedling से किया जायेगा।

16.12.2.2.1.4 समय चक्रः– वृक्षारोपण क्षेत्र की तैयारी, रोपण एवं रखरखाव के लिए विभिन्न कार्यों की समय–सारणी निम्नलिखित तालिका में दी गई है। यह कार्य वर्षा की अनुकूलता पर निर्भर रहेगा।

तालिका क्रमांक 16.15

वृक्षारोपण तैयारी का समय–चक्र का विवरण

क्र.	कार्य	अवधि
1	नर्सरी में पौधे निर्माण	रोपण के 2 वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष में।
2	स्थल चयन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	रोपण के पूर्ववर्ती वर्ष में सितम्बर माह में।
3	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करना	अक्टूबर
4	रोपण मानचित्र के अनुसार सर्वेक्षण	अक्टूबर
5	क्षेत्र तैयारी :– 1. चेनलिंक फेंसिंग का कार्य, 2. स्टेकिंग एवं गड्ढा खोदना 3. भू–जल संरक्षण कार्य	 अक्टूबर से दिसम्बर अक्टूबर से फरवरी अक्टूबर से फरवरी

क्र.	कार्य	अवधि
6	रोपण कार्य :– 1. हरी बागड़ हेतु पशु अवरोधक खंती पर बीज बुआई / कंटूर ट्रेंच पर एवं अन्य क्षेत्र में बीज बुआई 2. रोपण स्थल पर पौधा ढुलाई 3. पौधा रोपण (वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुये) 4. घास बीज / स्लिप रोपण 5. औषधीय पौधों, शाकों, कंदों का रोपण	जून का द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह 15 जून से 30 जून 1 जुलाई से 15 जुलाई जुलाई के प्रथम सप्ताह रोपित की जाने वाली प्रजाति की आवश्यकता अनुसार।
7	रोपण उपरांत रखरखाव :– (अ) रोपण वर्ष में :– 1. मृत पौधों का बदलना 2. प्रथम निंदाई 3. द्वितीय निंदाई 4. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 5. वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त पशु अवरोधक दीवार का सुधार कार्य	 जुलाई तृतीय सप्ताह से जुलाई अंतिम सप्ताह जुलाई के अंतिम सप्ताह अगस्त के अंतिम सप्ताह सितम्बर के अंतिम सप्ताह यह कार्य क्षेत्र के चौकीदार द्वारा लगातार किया जाता रहेगा।

16.12.2.2.1.5 पौधा रोपण हेतु महत्वपूर्ण सावधानियाँ :–

1. पौधा रोपण हेतु सर्वप्रथम मानक आकार की स्वस्थ पौध का रोपणी में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) / अनुसंधान एवं विस्तार के निर्देश अनुरूप चयन किया जावे ।
2. रोपण पूर्व रोपण मानचित्र उप वनमण्डलाधिकारी एवं वन क्षेत्रपाल द्वारा तैयार किया जावे वनमंडलाधिकारी द्वारा पुष्टि की जावे तथा इसकी प्रति वनपाल एवं वनरक्षक को दी जावे।
3. प्रत्येक रोपण क्षेत्र हेतु रोपण कार्य समयबद्ध तरीके से किया जावे, तथा इस हेतु प्रत्येक कार्य हेतु समय निर्धारित करना चाहिये। इस हेतु प्रत्येक रोपण की रोपण प्रजाति, रोपणी मे पौधों के चयन हेतु अधिकारी एवं रोपण नियंत्रण अधिकारी की ड्यूटी का आदेश जारी किया जावेगा।
4. वृक्षारोपण तैयारी हेतु समय पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी परिक्षेत्राधिकारी की होगी। इस हेतु रोपण क्षेत्र को रोपणी से संबद्ध करना, पौधा रोपण मानचित्रीकरण तथा पौधा परिवहन की

विस्तृत योजना वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक तथा वनरक्षक से चर्चा कर तैयार की जावेगी। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग किया जावेगा ।

5. उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के समस्त रोपणों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से रोपण अवधि में पूर्ण किया जाये।
6. रोपण कार्य हेतु समयबद्धता अर्थात् 5 से 7 दिवस में वर्षा को ध्यान में रखकर रोपण कार्य पूर्ण किया जावे। इस हेतु पौध परिवहन व्यवस्था, श्रमिकों का प्रबंधन एवम् प्रशिक्षण, कर्मचारियों का चयन एवम् प्रशिक्षण, रोपण हेतु सामग्री आदि की व्यवस्था की जावेगी।
7. वर्षा प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व पौध परिवहन की स्थिति में रोपण स्थल के समीप जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो पर पौध का संग्रहण कर परिवहन के बाद पौधों में पानी का छिड़काव किया जाए ताकि परिवहित पौधे न सूखें।
8. ढालदार पहाड़ी भूमि पर गड्ढों में पौधा जमीन के लेवल से 3–4 इंच गहरा लगायें व समतल भूमि पर जमीन के लेवल से लगाये जावे।
9. पौधे के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाते हुए थाले का निर्माण कार्य द्वितीय निंदाई के साथ किया जावे, ताकि पौधों को अधिक पानी थालों से मिल सके।
10. पौधा गड्ढे में इतनी गहराई में लगाना चाहिये, जितनी गहराई तक वह पॉलीथिन की थैली में था, अधिक गहराई में लगाने से तने को हानि पहुंचती है, कम गहराई में लगाने से जड़ें मिट्टी के बाहर आ जाती हैं, जिससे उनको क्षति पहुँचती है।
11. पौधे का कलम किया हुआ स्थान अर्थात् (Rootstock) और सांकुर डाली (Bud) का मिलन बिंदु (Graft union) भूमि से

ऊपर रहना चाहिये, इसके मिट्टी में दब जाने से वह स्थान पानी के संपर्क में आ जाने से सड़ जाता है और पौधा मर सकता है।

12. पौधा लगाने के पश्चात् उसके आस–पास की मिट्टी अच्छी तरह से दबा दी जाए, जिससे सिंचाई करने में पौधा टेढ़ा न हो जाए, साथ ही मिट्टी जड़ों से चिपक जाये।
13. पौधा लगाने के तुरंत बाद ही सिंचाई करनी चाहिए, ताकि जड़ों के पास की हवा बाहर निकलकर मिट्टी जड़ों से भलीभांति चिपक जाये।
14. मृत पौध (गैप फिलिंग) बदलाव हेतु पौधे न्यूनतम 2 वर्ष अवधि के, ऊँचाई 90 से.मी. तथा मोटाई 4–5 से.मी. की रखी जाये।
15. सड़कों के किनारे पर 1 मीटर से ज्यादा ऊँचाई तथा 5–10 से. मी. कॉलर गोलाई के पौधों का रोपण उपयुक्त रहेगा।
16. सामान्य क्षेत्र में 3 कि.ग्रा. 45X45X45 से.मी.^{3} एवं 01 कि.ग्रा. 30X30X30 से.मी.^{3} प्रति गड्ढा गोबर खाद या क्रमशः 1.5 कि. ग्रा. एवं 0.5 कि.ग्रा. वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता होगी।
17. कीड़े मकोड़ों से बचाव हेतु 50 से 100 ग्राम नीम खली/करंज खली पृथक या मिलाकर गड्ढों में डाली जावे दीमक से प्रभावित क्षेत्र में 30–50 मिली. गौ–मूत्र पौधे के पास डालने से दीमक का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। रसायन के रूप में इन्डो सल्फान प्रभावी है।
18. पुरानी कन्टूर ट्रेन्च के दोनों किनारों पर पौध रोपण करना चाहिए ताकि कन्टूर ट्रेन्च सुरक्षित रहे तथा पौधे एवं हरियाली सुरक्षित बनी रहे।
19. जिन स्थलों पर चेक डेम, गली–प्लगिंग आदि अन्य संरचनाओं के कारण मिट्टी भर गई हो वहाँ पर अन्य प्रजाति का रोपण स्थल अनुरूप किया जावे।

20. प्रत्येक रोपण क्षेत्र में बरगद/पीपल प्रजाति के पौधे अवश्य रोपित किये जाने चाहिये, जिन पर पक्षियों का निर्वाह होता है।
21. गड्ढों के अंदर की मिट्टी का उपयोग गड्ढे भरने में प्रारंभ में ही किया जाये।
22. रोपण क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार गोल अथवा अर्द्ध चंद्राकार थालों का निर्माण किया जावे जो कि एक मीटर से छोटे न हों।
23. निंदाई के दौरान रसायनिक खाद का प्रयोग किया जा सकता है। रसायनिक खाद पौधों के चारों ओर पौधे के तने से लगभग 10–20 से.मी. दूर, एक 3 से 5 से.मी. गहरी रिंग बनाकर डालना चाहिये तथा मिट्टी में दबाया जाना चाहिये। डी.ए.पी. 20 ग्राम प्रति पौधा तथा एस.एस.पी. 10 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 5 ग्राम प्रति पौधे के साथ–साथ जिंक एवं सल्फर भी 5–5 ग्राम प्रयोग किया जा सकता है। यूरिया खाद 10–20 ग्राम वर्षा पश्चात दिया जाये। रोपण पूर्व 2 से 5 ग्राम यूरिया पर्याप्त है। यूरिया की कुछ मात्रा दो से तीन हिस्सों में दिया जाना उपयुक्त है।
24. वृक्षारोपण .क्षेत्र के चयन के दौरान समस्त गतिविधियों का छायांकन निश्चित स्थान से लिया जावेगा एवं प्रत्येक वर्ष इन्हीं स्थलों से फोटो लिया जावेगा।
25. पौधारोपण की सफलता केवल पौधों के जीवित आधार पर न की जाये। इस हेतु प्रत्येक वर्ष पौधों की ऊँचाई, कॉलर गोलाई, छत्र विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। रोपण का मूल्यांकन प्रचलित निर्देशानुसार वर्ष में दो बार किया जावेगा एवं मूल्यांकन की जानकारी रोपण पंजी में संधारित की जावेगी।
26. मृत पौधा बदलाव नये रोपण के साथ–साथ पूर्ण किया जावे।
27. रोपण योजना निर्माण, क्रियान्वयन में वनरक्षक, वनपाल की भागीदारी रखी जावे ।

28. स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी अनिवार्य रूप से रखी जावे।

16.12.2.2.1.6 अग्नि सुरक्षा :–

अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र के चारों ओर 3 मीटर की पट्टी में स्थित समस्त घास तथा झाड़ियों की सफाई की जावेगी। अग्नि सुरक्षा कार्य 15 फरवरी से पूर्व पूर्ण करना होगा। समस्त वृक्षारोपण ''वर्ग 1 – प्रथम श्रेणी का अग्नि सुरक्षित क्षेत्र'' माना जायेगा।

16.12.2.2.1.7 चराई नियंत्रण :–

वृक्षारोपण क्षेत्र रोपण वर्ष को छोड़कर आगामी 10 वर्ष तक चराई के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। रोपण के स्थापित होने के पश्चात् क्षेत्र से चारा काटकर सिरबोझ से लाया जा सकता है। इस बाबत् वनमण्डलाधिकारी रोपण की बढ़त और स्थिति को देखकर उचित निर्णय लेंगे। समय–समय पर क्षतिग्रस्त फेन्सिंग, पशु अवरोधक खंती तथा दीवार का सुधार किया जावेगा।

16.12.2.2.1.8 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

समय–समय पर प्रसारित मानक निर्देशों के अधीन वृक्षारोपण का नियमित अनुश्रवण व मूल्यांकन किया जावेगा। नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का उल्लेख वृक्षारोपण जर्नल में किया जावेगा। वृक्षारोपण के लिए वृक्षारोपण जर्नल अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसका संधारण अत्यन्त सावधानीपूर्वक परिक्षेत्र सहायक द्वारा किया जायेगा तथा उपचारित क्षेत्र का 1:12500 के माप पर मानचित्र बनाकर जर्नल में लगाया जायेगा।

अनुश्रवण से प्राप्त विश्लेषणों का उपयोग भविष्य में वृक्षारोपण प्रबंधन में सुधार हेतु किया जावेगा।

16.12.2.2.2(ब)उथली मिट्टी वाले क्षेत्र (BL3, US3) :–

ऐसे क्षेत्रों में चारागाह विकास के कार्य किये जावेगे, जिनसे स्थानीय ग्रामीणों की जलाऊ एवं चारे की आवश्यकता पूर्ति हो सके। इस उपचार वर्ग के अंतर्गत चारागाह विकास कार्य हेतु जलाऊ एवं चारागाह कार्यवृत्त अध्याय क्र. 04 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपचार किया जावेगा। साथ ही आवश्यकतानुसार मृदा कार्य कर स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण/वृक्षारोपण एवं रूटशूट रोपण भी किया जायेगा।

4.12.2.2.3 उपचार वर्ग "स"-वृक्षारोपण क्षेत्र :–

(i) सफल वृक्षारोपण –पुराने सफल वृक्षारोपण क्षेत्रों में पूरक वन वर्द्धनिक कार्य में प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार सफाई, विरलन एवं रख–रखाव का कार्य निर्धारित समय पर किया जावेगा सफल उपचारित क्षेत्रों में 6ठवें, 11वें एवं 21वें वर्ष में आवश्यक सफाई एवं विरलन कार्य किया जायेगा। विगत कार्य आयोजना के सफल वृक्षारोपणों में 6ठवें, 11वें एवं 21वें वर्ष में आवश्यक सफाई एवं विरलन कार्य हेतु प्रस्तावित कार्य वर्ष परिशिष्ट क्रमांक–82 में दिया गया है।

(ii) असफल वृक्षारोपण – सभी असफल वृक्षारोपण क्षेत्रों का निरीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर असफलता के कारणों का विश्लेषण किया जायेगा। यदि विश्लेषण में क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त पाया जाता है तो इस क्षेत्र का उपचारण उपचार वर्ग ''ब'' के उपभाग ii (अ) के अनुसार किया जायेगा। क्षेत्र को रोपण के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर क्षेत्र का उपचार वर्ग ''ब'' के उपभाग ii (ब) के अनुरूप किया जायेगा।

16.12.2.2.4 उपचार वर्ग "द"- अतिक्रमण क्षेत्र :–

इस उपचार वर्ग में ग्रामीणों के वैधानिक अधिकार वाली भूमियॉ जैसे वन अधिकार पत्र, संरक्षित वन क्षेत्रों में निजी भूमि, वर्ष 1962/1976 में दिये गये पट्टे, अन्य विभागों को हस्तांतरित भूमि आदि शामिल हैं। उक्त वर्णित ये भूमियाँ प्रबन्धन में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। अतः उपचारांशों में उक्त भूमि को छोड़कर शेष अतिक्रमित क्षेत्रों में अपात्र अतिक्रमकों एवं अन्य अतिक्रमकों को शासन के निर्देशानुसार एवं कार्य आयोजना के साथ संलग्न अतिक्रमण बेदखली योजना अनुसार बेदखल कर अतिक्रमित भूमि मुक्त कराई जानी है। अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्र को उपचारित करने की प्राथमिकता दी जानी है ताकि इनमें पुनः अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का अतिक्रमण पुनर्स्थापना कार्यवृत्त के प्रावधानों के अनुसार उपचार किया जायेगा।

(i) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत पात्र अतिक्रमण के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य किये जायेंगे।

(ii) वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र क्षेत्र का सीमांकन मुनारे/सतत् कंटूर ट्रेंच स्थापित कर किया जावेगा। सीमा में पौधरोपण कर हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जावेगा। इस हेतु बाँस, सागौन, महुआ आदि प्रजातियों का चयन किया जावेगा।

(iii) इस अधिकार–पत्र में जारी भूमि के बीच का क्षेत्र यदि Honey-Combing के रूप में पाया जाता है तो उक्त क्षेत्र को समिति की मांग अनुसार रोपण कर हरित क्षेत्रों में परिवर्तित किया जावेगा।

(iv) शेष अतिक्रमण – अतिक्रमण क्षेत्रों के प्रबंधन अतिक्रमण पुनर्स्थापना कार्यवृत्त में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपचार किया जायेगा।

16.12.2.2.5 उपचार प्रकार ''इ'' – अन्य क्षेत्र

60 से.मी. छाती गोलाई तक की घनी युवा सस्य में विरलन कार्य किया जायेगा, जिसमें बीज से उगे पौधों को रोकने में प्राथमिकता दी जायेगी। स्वस्थ वृक्ष पातन हेतु चिन्हांकित नहीं किए जायेंगे। विरलन कार्य निम्न सूत्र अनुसार किया जायेगा।

अन्तराल (मीटर में) = गोलाई (से.मी.) / 10

स्वस्थ वृक्षों की वृद्धि को अवरूद्ध कर रही 21 से.मी. से अधिक गोलाई की मकोर की बेलाओं की कटाई कार्य सिर्फ सघन बेला वाले क्षेत्रों में एवं मुख्य प्रजाति की वृद्धि को अवरूद्ध करने की स्थिति में ही किया जायेगा।

16.13 अन्य नियमन :–

16.13.1 रोपण क्षेत्र को 5 वर्षों तक चराई से प्रतिबंधित रखा जायेगा तथा 7 वर्षों तक क्लास–1 की अग्नि सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

16.13.2 प्रचलित निर्देशों के अनुरूप प्रतिवर्ष वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर वृक्षारोपण पंजी में उल्लेख किया जायेगा।

16.13.3 वृक्षारोपण कार्य में स्थानीय वनसमिति का सहयोग लिया जायेगा।

16.13.4 वृक्षारोपण कार्य हेतु परिक्षेत्र स्तर पर कर्मचारियों को सामयिक प्रशिक्षण सतत् रूप से प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

16.14 उपचारों के क्रियान्वयन की विधि :–

16.14.1 उपचार वर्ष के कार्य – वार्षिक उपचारांश में निर्धारित वर्ष में निम्नानुसार कार्य सम्पादित किए जायेगें–

16.14.1.1 उपचारांश का सीमांकन – वार्षिक उपचारांश क्षेत्र का सीमांकन आलेख भाग–2 अध्याय–30 विविध नियमन की कण्डिका 30.5 में दर्शित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

16.14.1.2 उपचार मानचित्र तैयार कर उपचार प्रकारों का सीमांकन करना – वार्षिक उपचारांश के सीमांकन उपरांत 1:12500 स्केल के नक्शे पर पुनरीक्षित संनिधि के अनुसार उपचार मानचित्र तैयार किए जायेंगे जिनमें सभी उपचार प्रकारों को दर्शाया जायेगा। उपचार मानचित्र परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार कर उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित कराये जायेंगे। उपचार मानचित्र के अनुसार उपचार प्रकारों को मौके पर सीमांकित किया जायेगा।

16.14.1.3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना – उपचार मानचित्र में दर्शित उपचार प्रकारों के आधार पर वार्षिक उपचारांश क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसमें उपचारों का विवरण तथा उस पर सम्भावित व्यय का आंकलन उल्लेखित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु अवधि भी उल्लेखित की जायेगी तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

16.14.1.4 उपचारों का क्रियान्वयन – वार्षिक उपचारांश की सक्षम अधिकारी से अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार उपचार कार्य सम्पादित किए जायेंगे। कार्य सम्पादन में विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निर्धारित अवधि व काल

का विशेष ध्यान रखा जायेगा। उपचारांश में चिन्हांकन की विधि पैरा 16.24 में दी गई है।

16.14.1.5 उपचार वर्ष के उपरांत के वर्षों के कार्य –निर्धारित उपचार वर्ष के बाद की अवधि के कार्यों को भी अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।

16.14.2 वृक्षारोपण क्षेत्रों का विरलन :–

16.14.2.1 सागौन वृक्षारोपण :–

सफल सागौन वृक्षारोपण क्षेत्रों में 6 ठवे एवं 11 वे वर्षों में सफाई सह यांत्रिक विरलन तथा 21 वे, 31 वे एवं 46 वे वर्षों में वन वर्धनिक विरलन किया जावेगा। विगत कार्य आयोजना के सफल वृक्षारोपणों में 6ठवें, 11वें एवं 21वें वर्ष में आवश्यक सफाई एवं विरलन कार्य हेतु प्रस्तावित कार्यवर्ष परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–82 में दिया गया है। विभिन्न विरलन में रोके जाने वाले वृक्षों की संख्या एवं अंतराल सागौन प्राप्ति सारणी (Yield Table) से निकाली जायेगी। इसकी तुलना निम्नांकित सगरिया सूत्र से की जायेगी –

$$S = G/10 + 1$$

जहाँ – S = अंतराल मीटर में

G = औसत आवक्ष गोलाई से.मी. में

दोनों पद्धतियों से की गई तुलना में जिस विधि में ज्यादा वृक्ष रूकते हैं, उसी अनुसार प्रति हेक्टेयर वृक्ष रोके जायेंगे। स्थल गुणश्रेणी ज्ञात करने के लिए क्षेत्र में 0.25 हेक्टेयर के चैक प्लॉट (50 ग 50 मी. या अन्य सुविधानुसार) डाले जावेगे। प्लॉट में अधिरोही एवं सह–अधिरोही वृक्षों की गोलाई एवं ऊँचाई नापी जावेगी। आंकड़ों के आधार पर वृक्षारोपण की औसत गोलाई एवं औसत ऊंचाई निकालकर

मध्यप्रदेश सागौन उपज सारणी की सहायता से स्थल गुणश्रेणी निकाली जावेगी।

विभिन्न वर्षों में निम्नांकित सफाई/विरलन के कार्य किये जावेंगे –

16.14.2.2 छठवें वर्ष में सफाई सह विरलन :–

जब सागौन वृक्षारोपण, जो कि 2X2 मी. अंतराल पर किया गया हो 5 वर्ष पुराना हो जाये तब उसमें निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे –

1. सभी मृत पौध/वृक्षों को काटा जावेगा।
2. सागौन एवं अन्य उपयोगी वृक्षों की बढ़त में बाधा डालने वाली समस्त निम्न श्रेणी की पौध को काटा जावेगा।
3. उपयोगी प्रजातियों जैसे – शीशम, खमेर, बीजा, तिन्सा, साजा, हल्दू, सेमल, धावड़ा एवं लेण्डिया इत्यादि के स्वस्थ एवं अच्छे पौधों को रोका जावेगा ताकि सही प्रकार से मिश्रण बना रहे।
4. एकांतर विकर्ण (Alternate Diagonal) में सागौन के तरूण वृक्षों को निकाला जायेगा। परंतु कम से कम 1250 सागौन पौधे प्रति हेक्टेयर आरक्षित किये जावेंगे।

16.14.2.3 ग्यारह वर्षीय विरलन (प्रथम विरलन) :–

जब सागौन वृक्षारोपण 10 वर्ष पुराना हो जाये तब विरलन का कार्य किया जायेगा। इस विरलन में निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे –

1. सभी मृत पौधों को काटा जावेगा।
2. कतारों में खड़े एकान्तर (Alternate) सागौन वृक्षों को काटा जायेगा, परंतु कुछ अच्छे एवं स्वस्थ

सागौन के वृक्षों को बीच–बीच में एवं जहाँ रोके जाने वाले सागौन के वृक्षों की बढ़त अच्छी नहीं है, रोका जावेगा। संख्या 625 प्रति हे. तक आरक्षित की जायेगी।

3. साजा, बीजा, खमेर, शीशम, तिन्सा, धावड़ा, तेन्दू इत्यादि की सीधी एवं स्वस्थ पौध जो निम्न अवतान में उपलब्ध हो, को रोका जावेगा।
4. निम्न श्रेणी के पौधों को जो सागौन एवं अन्य उपयोगी वृक्षों की बढ़त में बाधा डाल रहे हैं, उनको काटा जावेगा।

16.14.2.4 इक्कीस वर्षीय विरलन (द्वितीय विरलन) :–

जब वृक्षारोपण 20 वर्ष पुराना हो जाये तब वन वर्धनिक विरलन किया जायेगा। निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे –

1. सभी मृत/पोले वृक्ष काटे जावेंगे।
2. वृक्षों की ऊँचाई को देखते हुए वृक्षारोपण क्षेत्र को विभिन्न खण्डों में बांट लिया जायेगा। प्रत्येक खण्ड 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का नहीं होना चाहिए।
3. स्थल गुणश्रेणी को ध्यान में रखते हुए विरलन हेतु चिन्हांकन कार्य किया जावेगा। परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अच्छे, सीधे एवं स्वस्थ वृक्षों को रोका जाये, चाहे उसके लिए वृक्षों में रखे जाने वाले अंतराल में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े।
4. निम्न अवतान में ज्यादा कटाई नहीं की जावेगी। केवल तीव्र बढ़ने वाले अनुपयोगी प्रजातियों के मृतप्रायः एवं बीमार वृक्षों को ही, जो श्रेष्ठ वृक्षों की बढ़त में बाधा डाल रहे हों, निकाला जावेगा।

5. विरलन के दौरान कटाई के समय जिन वृक्षों के शीर्ष टूट जायें, उनको चिन्हांकित कर व सक्षम अधिकारी की अनुमति से काटा जायेगा।

16.14.2.5 31 वर्षीय एवं 46 वर्षीय विरलन (सी/डी ग्रेड, वन वर्धनिक विरलन) :–

जब वृक्षारोपण 30 वर्ष पुराना हो जाय तब तृतीय विरलन किया जाये एवं चतुर्थ विरलन 46 वे वर्ष में किया जावेगा।

1. वनों में विरलन की मात्रा सी/डी विरलन में गणना की गई संख्या के अनुसार होगी।
2. मुख्य अवतान की मिश्रित प्रजातियों के स्वस्थ वृक्षों को सही मिश्रण बनाये रखने के लिये रोका जायेगा।
3. सीधे उगे एवं अच्छे छत्र वाले स्वस्थ वृक्षों को रोकने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी, चाहे इसके लिए वृक्षों के अंतराल में थोड़ा बहुत परिवर्तन क्यों न करना पड़े।

16.14.2.6 मिश्रित वृक्षारोपण :–

वनमण्डल में मिश्रित प्रजातियों के वृक्षारोपण किये गये हैं। इन सभी प्रजातियों की बढ़त दरें अलग–अलग हैं एवं सभी प्रजातियों के बढ़त आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। विगत कार्य आयोजना के सफल वृक्षारोपणों में 11वें एवं 21वें वर्ष में आवश्यक सफाई एवं विरलन कार्य हेतु प्रस्तावित कार्यवर्ष परिशिष्ट क्रमांक–82 में दिया गया है।

1. 11 वे एवं 21 वे वर्ष में विरलन पूर्व में उल्लेखित सगरिया सूत्र अनुसार किया जावेगा।

2. रोपण के बीच में आये फलदार वृक्षों को नहीं काटा जायेगा।
3. अन्य प्रजातियों के सीधे एवं स्वस्थ पौधों को जो वृक्षारोपण की बढ़त में बाधा न डालें, रोका जावेगा। बीज से उगे पौधों को प्राथमिकता दी जावेगी। इन पौधों को अंगीकृत कर मिट्टी चढ़ाने एवं थाला बनाने का कार्य किया जायेगा।

16.14.2.7 बाँस वृक्षारोपण :–

सफल बाँस वृक्षारोपण क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्य किये जावेगे –

1. वृक्षारोपण के 4 वर्ष पूर्ण होने पर भिर्रों में आवश्यकतानुसार सफाई एवं मृदा उपचार कार्य वन संरक्षक से अनुमोदित परियोजनानुसार कराये जावेंगे।
2. बाँस वृक्षारोपण क्षेत्रों में 8 वें वर्ष में बाँस भिर्रों की स्थिति अनुसार रोपण क्षेत्र को क्रम संख्यांक (A) से (D) आवंटित कर मानक बाँस कटाई नियमों के तहत बाँस कटाई मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित परियोजनानुसार कराई जायेगी। तत्पश्चात् ड्यू उपचारांश अनुसार इस क्षेत्र में नियमित रूप से बाँस कटाई का कार्य कराया जायेगा। प्रति वर्ष क्रम संख्या के अंतर्गत आवंटित बाँस रोपण क्षेत्र का अभिलेख रखा जायेगा एवं कक्ष–इतिहास में प्रविष्टि की जायेगी।
3. ऐसे सभी बाँस समूह जिनकी सीमाएँ स्पष्ट एवं एक दूसरे से अलग–अलग हो, को अलग–अलग भिर्रा माना जायेगा चाहे उनके बीच कितनी ही कम दूरी क्यों न हो। जहां इस प्रकार अलग–अलग भिर्रे स्पष्ट न हों वहाँ एक एक मीटर की दूरी के अंदर आने वाले दो बाँस झुण्डों को एक ही भिर्रा माना जायेगा।

4. बाँस की ऊँचाई के आधार पर इन्हें निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा –

स्थल गुणवत्ता की श्रेणी	भिर्रा की अधिकतम ऊँचाई (मीटर)
प्रथम	9 से अधिक
द्वितीय	6–9
तृतीय	6 से कम

5. स्थल गुणवत्ता श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में बाँस संरक्षित रखे जायेंगे –

स्थल गुणवत्ता श्रेणी	संरक्षित बाँस संख्या
प्रथम	20 बाँस
द्वितीय	15 बाँस
तृतीय	10 बाँस

6. प्रत्येक भिर्रे में संरक्षित किए जाने वाले बाँस में करला बाँसों की संख्या के दुगने के बराबर (महिला + पकिया) बाँस छोड़े जायेंगे।
7. ऐसे किसी बाँस भिर्रे में कटाई नहीं की जायेगी, जिसमें न्यूनतम निर्धारित संख्या या उससे कम बाँस हों। ऐसे भिर्रो में मात्र टूटे, सूखे एवं बुरी तरह क्षतिग्रस्त तथा अत्यधिक परिपक्व बाँस ही काटे जायेंगे बशर्ते ऐसा करना वन वर्धनिक दृष्टि से उचित हो।
8. संरक्षित किये जाने वाले बाँस यथासंभव भिर्रे की परिधि पर एवं समुचित दूरी पर होने चाहिए। बाँस की कटाई भिर्रे के केन्द्र से प्रारम्भ होकर परिधि की ओर अग्रसर होगी।
9. संरक्षित किए जाने वाली बाँसों की प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रखा जायेगा– करला, महिला, कम आयु के हरे बाँस, पुराने जीवित बाँस, उपलब्धता अनुसार अन्य बाँस।
10. किसी भी स्थिति में करला एवं महिला बाँस नहीं काटे जायेंगे।

———00———

अध्याय–17
बाघ विचरण क्षेत्र में प्रबंधन
(Management of Tiger Movement Area)

भोपाल शहर मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी है। आधुनिक रूप में विकसित इस शहर का क्षेत्रफल 28590 हेक्टेयर है, शहर के समीप ही कलियासोत डेम एवं केरवा डेम स्थित है, जिनमें पूरे वर्ष भर प्रचुर मात्रा में पानी को संचित कर संग्रह करने की क्षमता विकसित की गई है। भोपाल शहर की बाह्य सीमा से लगभग 4 कि.मी. की दूरी पर भोपाल सामान्य वनमण्डल की सीमा समाप्त हो जाती है। इस सीमा के दूसरी ओर रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज सामान्य वनमण्डल के रातापानी अभ्यारण क्षेत्र की सीमा प्रारंभ हो जाती है। इस अभ्यारण में वर्ष 2004 की गणना के अनुसार 22 बाघ, 26 तेन्दुआ, 90 लकडबग्गा, 450 नीलगाय, 25 चिंकारा, 250 सांभर, 450 चीतल, 140 भालू, 15 सेही, 50 जंगली कुत्ते तथा 425 भेडकी थे। रातापानी अभ्यारण के सामीप्य के कारण भोपाल शहर के आसपास के वनक्षेत्र में बाघ एवं तेन्दुआ आदि जंगली जानवरो की आवाजाही पूर्व काल से ही बनी रही है। वर्ष 2006 की में सेन्सस में 6 से 9 बाघ, वर्ष 2013 की में सेन्सस में 15 से 19 बाघ एवं वर्तमान समय में सेन्सस में 24 से 28 बाघ पाए गए। भोपाल शहर के काफी समीप बाघों का विचरण है। बाघ विचरण क्षेत्र का मानचित्र परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–152 पर संलग्न है।

वर्तमान परिस्थिति में शहरी क्षेत्र का कालांतर के शहर के समीप के वनक्षेत्रो में विस्तार कर दिये जाने तथा इस क्षेत्र में वनावरण का तेजी से ह्रास हो जाने के कारण बाघ एवं तेन्दुआ जैसे हिंसक प्राणियो का आबादी के क्षेत्र में जाने की घटनाऐ बड़ी तेजी से बढी है।

17.1 भोपाल के समीपस्थ क्षेत्रों में बाघ विचरण के कारण :–

1. केरवा एवं कलियासोत जलाषय में संम्पूर्ण वर्ष जल की उपलब्धता ।
2. रातापानी अभ्यारण्य से केरवा तक लगातार वनआच्छादित क्षेत्र ।
3. आदिकाल से पारम्परिक वास स्थल एवं झाड़ियों की उपलब्धता ।

4. प्रजनन हेतु उपयुक्त वास स्थल एवं गुफाओं की उपलब्धता ।
5. पर्याप्त प्रे–बेस एवं गौशालाऐं ।

17.2 प्रबंध प्रस्ताव की आवश्यकता :–

नवावी दौर के समय के भोपाल शहर की तुलना में वर्तमान भोपाल शहर आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत हो गया है। नवावी दौर के भोपाल शहर के समीप का वनक्षेत्र उस दौर के शहर से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर हुआ करता था। प्रदेश की राजधानी घोषित होने के बाद आबादी क्षेत्रफल की दृष्टि से भोपाल शहर के विस्तार में नवावी दौर के शहर की तुलना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई है। शहर की आबादी व क्षेत्रफल में गुणोत्तर श्रेणी में हुई इस वृद्धि के कारण शहर के आसपास का जंगल क्षेत्र इसी अनुपात में कम होता चला गया, जो कि वर्तमान में अपने न्यूनतम संभव स्तर पर आ पहुंचा है। उत्तरोत्तर विकास के कारण भोपाल शहर के आसपास के जंगल के क्षेत्र के समीप के गॉवों का विस्तार भी क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से इसी प्रकार से विस्तृत हुआ है, जिसके कारण से भी भोपाल शहर के आसपास के जंगल क्षेत्र में जंगली जानवरो का प्राकृतिक आवास वर्तमान भयावह स्थिति तक संकुचित हो चुका है। ऐसी स्थिति में वर्तमान भोपाल शहर में बाघ एवं तेन्दुओं जैसे वन्यप्राणियों की भोपाल शहर की आबादी में प्रवेश करने की घटनाऐं आम हो गयी है। हिंसक जंगली जानवरों का आबादी के क्षेत्र में इस प्रकार घुस आने से स्थानीय वन एवं पुलिस प्रशासन के समक्ष कई बार बचाव कार्य की आपात चुनौतियॉ उपस्थित हुई है।

17.3 जिला स्तर पर आयोजित टास्कफोर्स की बैठक का विवरण :–

दिनांक 04.02.2017 को कलेक्टर भोपाल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की मीटिंग में बाघ विचरण क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार उपायों को अमल में लाए जाने का निर्णय लिया गया।

1. बाघ विचरण क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को शनैः शनैः हटाया जाकर एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

2. बाघ विचरण क्षेत्र के कलियासोत डेम, मेंडोरा एवं केरवा डेम क्षेत्रों में भारी वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाए।
3. बाघ विचरण क्षेत्र एवं आसपास के क्षे़त्रों में वन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त गश्ती दल की सहायता से सतत गश्ती कराई जाए।
4. दिनांक 04.02.2017 को कलेक्टर भोपाल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की मीटिंग में बाघ विचरण क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार उपायों को अमल में लाए जाने का निर्णय लिया गया।
    1. बाघ विचरण क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को शनैः शनैः हटाया जाकर एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
    2. बाघ विचरण क्षेत्र के कलियासोत डेम, मेंडोरा एवं केरवा डेम क्षेत्रों में भारी वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाए।
    3. बाघ विचरण क्षेत्र एवं आसपास के क्षे़त्रों में वन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त गश्ती दल की सहायता से सतत गश्ती कराई जाए।
    4. बाघ विचरण क्षेत्र में समस्त व्यापारिक गतिविधियों के संचालन को रोकने हेतु आवश्यक उपाय किए जाए।
    5. बाघ विचरण क्षेत्र में अस्थाई प्रकृति के व्यापारिक संस्थानों को हटाया जाकर अन्यत्र पुनर्वासित किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाए ।
    6. बाघ विचरण क्षेत्र में आने वाले राजस्व क्षेत्र में उत्खनन सहित अन्य प्रकार की किसी भी भूमि लीज़ का नवीनीकरण न किया जाए।
    7. बाघ विचरण क्षेत्र में घटित वन अपराध प्रकरणों के न्यायालयों में कुशल संचालन हेतु अतिरिक्त विशेष अभियोजन अधिकारियों की व्यवस्था की जाए।

8. बाघ विचरण क्षेत्र के आसपास के राजस्व क्षेत्र को वृक्षारोपण के अंतर्गत लाने के निमित्त ऐसे राजस्व क्षेत्र को वन विभाग के नियंत्रणाधीन लाने की कार्यवाही की जाए।

17.4 तात्कालिक उपायो से संबंधित क्षेत्र –

तात्कालिक उपायो के अंतर्गत सम्पूर्ण बाघ विचरण क्षेत्र के 4266.370 हैक्टेयर क्षेत्र में से 673.845 हेक्टेयर क्षेत्र चयनित किया गया है, जिसके 357. 813 हेक्टेयर भू–भाग को राजस्व विभाग के द्वारा पूर्व में ही प्रबंधन की दृष्टि से सामान्य वनमण्डल भोपाल को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से विद्यमान जंगल काफी विविधता लिये हुये है, जिसमें यंग एवं मिडिल आयु वर्ग की मिश्र ति वन निधि मौजूद है। यह वनक्षेत्र बाघ के प्राकृतिक रहवास हेतु एक आर्दश स्थल के रूप में स्थिापित होना पाया गया है। यह स्थल कलियासोत डेम से बिलकुल सटा हुआ है। इसी क्षेत्र में बुलमदर डेरी फार्म है जिसके पीछे की ओर की पहाडियों में प्राकृतिक गुफाऐं बनी हुई है जिनमें शिकार के पश्चात बाघ आमतौर पर विश्राम किया करता है। शिकार एवं पानी की तलाश में बाघ मदरबुल डेरी फार्म के पास के रोड पर आकर पानी पीने के लिए कलियासोत डेम में चला जाता है।

वनमण्डल भोपाल के आधिपत्य में सौंपे गये इस क्षेत्र से सटा हुआ 278 हेक्टेयर छोटे–बडे झाड मद का राजस्व वनक्षेत्र राजधानी परियोजना भोपाल के आधिपत्य में है। तात्कालिक उपायों के संदर्भ में इस क्षेत्र का प्रबंधन भी इन प्रस्तावों में शामिल है। इस क्षेत्र का इस प्रकार विस्तार कुल 395–845 + 278 = 673–845 हेक्टेयर है।

17.4.1 इस क्षेत्र में निम्न तात्कालिक उपाय प्रस्तावित है:–

1. रूपये 3,13,25000 की लागत से 12 कि.मी. एवं 4 मीटर ऊँची वायर मैश चैनलिंक फैसिंग का निर्माण करना। FOR ALIENATION OF TIGER MOVEMENT AREAS FROM HUMAN LOCALITIES OF BHOPAL
2. बाघ विचरण क्षेत्र में मौजूद समस्त नालों में 560700.00 रू की लागत से 1000 घमी मिट्टी एवं 1500 घमी पत्थर के चैक डैम बनाया जाना।

3. क्षेत्र में 7100000/– रूपये की लागत से एक ऐडीशनल इलेक्ट्रानिक आई उपकरण की सुसज्जा करना।
4. क्षेत्र में 300000/– रूपये की लागत से 6 कि.मी. लम्बाई एवं 3 मी चौडाई. के कच्चे मार्ग को मुरम बिछाकर फेयर IN TIGER MOVEMENT AREA MENDORA वेदर वनमार्ग के रूप में विकसित करना।
5. 300000/– रूपये की लागत से एक रैपिडऐक्शन क्रेक टीम का गठन करना जिसमें एक उप वनक्षेत्रपाल एक वनपाल, एक वनरक्षक तथा तीन स्थाई सुरक्षा सहायक रहेगे। त्वरित गत्यात्मक कार्यवाही हेतु इस टीम को एक उपयुक्त वाहन प्रदाय किया जावेगा। टीम को वाहन सहित जिन उपकरणों से सुसज्जित कर रखा जावेगा ।
6. 900000/– रूपये की लागत से क्षेत्र के समीप की आबादी के स्थलों के मार्गी में लोक आवाजाही को नियंत्रित करने के निमित तीन विभिन्न स्थलों पर तीन नवीन बेरियर्स का निर्माण करना ।
7. 2275000/– रूपये की लागत से पानी की उपलब्धता के समुचित स्थान पर एक नलकूप खोद कर 12750 लीटर जल धारण क्षमता के 4 नग सौसर प ट्सि का निर्माण कर क्षेत्र में मानव निर्मित जल आपूर्ति की व्यवस्था का प्रावधान करना। IN TIGER MOVEMENT AREA MENDORA
8. बुलमदर फार्म से वाल्मी पहाडी एवं 13 शटर क्षेत्र में 160000/– रूपये की लागत से पगण्डीयों एवं सडकों के दोनों ओर 50–50 मीटर की दूरी तक सी.आर.बाबू तकनीक से लेन्टाना हटाना।
9. क्षेत्र में सभी नालों में उपयुक्त स्थलों पर लगभग 2.5 लाख की लागत के बोरी बंधान कार्य कराना।
10. वाकी–टाकी के माध्यम से प्रतिदिन क्षेत्र के समीप की आबादी के मार्गी पर गश्ती वाहन के जरिये बाघ से अचानक सामना हो जाने पर आम व्यक्ति क्या करें तथा क्या नही करे की जानकारी प्रदाय करना।

11. बाघ विचरण क्षेत्र में पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त गश्ती दल की सहायता से क्षेत्र की अतिक्ति निगरानी सुनिश्चित करना
12. बाघ विचरण क्षेत्र में घटित वन अपराध प्रकरणों के न्यायालयों में कुशल संचालन हेतु अतिरिक्त शेष अभियोजन अधिकारियों की व्यवस्था प्रावधानित करवाना।

प्रस्तावित तात्कालिक उपायों का विवरण मानचित्र पर अंकित कर सूची संलग्न है। जोकि परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–151 पर दर्ज है।

17.5 मध्यकालिक उपायो से संबंधित क्षेत्र :–

इस क्षेत्र में भोपाल वनमण्डल की समर्धा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी. 215 ए, 216 ए, 217 ए, 218 ए, 219 ए, 220 एवं 221 को शामिल किया गया हैं। मध्यकालिक उपायो से संबंधित इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1569 हेक्टेयर हैं।

17.5.1 इस क्षेत्र में निम्न उपायों का प्रावधान प्रस्तावित हैः–

1. कक्ष क्रमांक पी. 215, 216, 217, ए 218ए, 219ए, 220 एवं 221 के कुल 1569 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2018–19 से प्रारंभ करते हुये वर्ष 2027–28 तक आगामी 10 वर्षो तक प्रत्येक वर्ष 150 हेक्टेयर नवीन क्षेत्र लेते हुये ऐसे क्षेत्र में 12 मी. 12 मी. के अंतराल पर 10000 नग फलदार वृक्षों का रोपण एवं उपलब्ध अंतरवर्ती क्षेत्र में न्यूनतम 50 हेक्टेयर के विस्तार की सीमा तक खाद्य, प्रजातियों के घॉस, चारागाह का निर्माण सुनिश्चित करना।
2. बाघ विचरण क्षेत्र में दिनांक 04.02.2017 की टास्क फोर्स की बैठक के निर्णय के अनुक्रम में राजस्व एवं वनक्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों के संबंध में एक दस वर्षीय चरण बद्ध योजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये क्षेत्र को अतिक्रमण रहित बनाना।
3. बाघ विचरण क्षेत्र में दिनांक 04.02.2017 की टास्क फोर्स बैठक के निर्णय के अनुक्रम में राजस्व एवं वनक्षेत्र में संचालित सभी व्यापारिक प्रकृति की गतिविधियों को रोकना।

4. अस्थाई प्रकृति के व्यापारिक संस्थानों को बाघ विचरण क्षेत्र से हटा कर अन्य उपलब्ध स्थानों पर पुनर्वासित करना।
5. बाघ विचरण क्षेत्र में उत्खनन या अन्य किसी कार्य के निमित्त शासकीय/ निजी भूमि में लीज के सभी प्रस्तावों के नवीनीकरण पर रोक लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाते रहना।
6. प्रत्येक वर्ष के चारागाह रोपण हेतु प्रस्तावित 150 हेक्टेयर रोपण क्षेत्र को उचित आकार की सी.पी.डब्लू की सहायता से घेरना तथा घेराव किए गए क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वाटर होल्स का विकास एवं पुनरूद्धार करना तथा ऐसे चारागाह रोपण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दो हेण्ड पम्पस स्थापित करनाएवं उनसे लगभग 50–60 मीटर की दूरी पर उचित आकार के 2 नग ढालू/ समतल सौंसर्स का निर्माण करना तथा रोपण के सुरक्षा श्रमिको की मदद से निर्मित सौसर्स मे प्रतिदिन हैण्ड पम्प का पानी भरना ताकि वन्य जीवों को गर्मी के सीजन में पानी की आवश्यकता के निमित्त भटक कर आबादी की ओर पलायन न करना पडे।
7. वन स्टाफ के कार्यपालिक अमले की सतत गश्ती के जरिये यह सुनिश्चित करना कि 150 हेक्टेयर के उत्तरोत्तर रोपण की योजनाओं में प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में जंगली जानवरों के लिये पानी की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या तो पैदा नही हुई है।
8. वन स्टाफ के कार्यपालिक अमले की सतत गश्ती के जरिये यह सुनिश्चित करना कि रोपण क्षेत्र में कोई भी वन अपराध तो नही हुआ है तथा अपराध हो जाने की स्थिति में कोई प्रकरण असंज्ञानित बना हुआ तो नही रह गया है।
9. अप्रैल 2020 से प्रारंभ करते हुये पूर्व के रोपण क्षेत्रों में हर्बीवोरस वाइल्डस ऐनीमल्स का समुचित संख्या में ट्रान्सलोकेशन करना।
10. चिन्हांकित किये गये स्थलों पर ट्रेप कैमरो को स्थापित करना।

11. रैपिडेक्शन क्रेक टीम के उपयोग में आ रहे वाहनों एवं उपकरणों की मरम्मत व रखरखाव की व्यवस्था प्रावधानित करना।
12. क्षेत्र में लगाई गई इलेक्ट्रानिक आईज का सुचार संचालन सुनिश्चित करना। किसी भी व्यवधान की स्थिति में त्वरित कार्यवाही कर इन उपकरणों की तत्काल मरम्मत की व्यवस्था करना।
13. 21 किमी की 12 मी ऊँची चेंनलिंग फेंसिंग करना।
14. 36 किमी वनमार्ग उन्नयन करना। जिसका विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–147 पर दर्ज है।

17.5.2 मध्य कालिक उपायों के अंतर्गत प्रावधानित राशि का विवरण–

तालिका क्रमांक–17.1

क्र.	वर्ष	तात्कालिक उपायो के अंतर्गत प्रावधानित कार्यो के रख रखाव पर व्यय	मध्यकालिक उपायो के अंतर्गत चारागाह विकास के प्रथम वर्ष पर व्यय	मध्यकालिक उपायो के अंतर्गत चारागाह विकास के द्वितीय वर्ष पर व्यय	मध्यकालिक उपायो के अंतर्गत चारागाह विकास के तृतीय वर्ष पर व्यय	मध्यकालिक उपायो के अंतर्गत चारागाह विकास के चतुर्थ वर्ष पर व्यय	मध्यकालिक उपायो के अंतर्गत चारागाह विकास के पंचम वर्ष पर व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वनमण्डल द्वारा कराये गये कार्यों का वर्षवार व्यय								
1	2018-19	1610000	7545000	2225000	1540000	1600000	1450000	**15970000**
2	2019-20	1805000	8299500	2447500	1694000	1760000	1595000	**17601000**
3	2020-21	2045000	9129450	2692250	1863400	1936000	1754500	**19420600**
4	2021-22	2275000	10042395	2961475	2049740	2129600	1929950	**21388160**
प्रस्तावित कार्यों हेतु वर्षवार व्यय								
1	2022-23	2490000	11047000	3258000	2255000	2343000	2123000	**23516000**
2	2023-24	2715000	12152000	3583000	2480000	2577000	2335000	**25842000**
3	2024-25	2445000	13367000	3942000	2728000	2835000	2569000	**27886000**
4	2025-26	2595000	14703000	4336000	3001000	3118000	2826000	**30579000**
5	2026-27	1400000	16174000	4770000	3302000	3429000	3108000	**32183000**
6	2027-28	0	17790000	5246000	3631000	3773000	3420000	**33860000**
7	2028-29	0	17790000	5246000	3632000	3772000	3419000	**33859000**
8	2029-30	0	17790000	5246000	3632000	3773000	3419000	**33860000**
9	2030-31	0	17790000	5246000	3632000	3773000	3419000	**33860000**
10	2031-32	0	17790000	5246000	3632000	3773000	3419000	**33860000**

17.6 दीर्घकालिक उपायो से संबंधित क्षेत्र–

इस वर्ग में भोपाल वनमण्डल की समर्धा परिक्षेत्र के कक्ष कमांक पी. 214, 222, 223, एवं 224 शामिल है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1143.525 हेक्टेयर है। इसके अलावा इस क्षेत्र में टाईगर गेट के उत्तर व दक्षिण की ओर स्थित छोटे व बड़े झाड के जंगल मद का 500 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है, जो वर्तमान में वन विभाग के आधिपत्य में नही है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक/एफ–25– 31–2016–दस–3 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा ग्राम बोरदा में छोटे एवं बड़े झाड़ के मद की 360 हेक्टेयर भूमि भी संरक्षित वन के रूप में घोषित की जाकर वन विभाग को हस्तान्तरित की गई है। यह क्षेत्र भी इस वर्ग के वनक्षेत्र में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार दीर्घकालिक प्रस्तावित कुल क्षेत्र 2003.525 हेक्टेयर है।

17.6.1 इस क्षेत्र में निम्न उपायों का प्रावधान प्रस्तावित है:–

1. तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक उपायो के अंतर्गत उपरोक्तानुसार वर्गीकृत की गई 4266.370 हेक्टेयर भू–भाग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 । के अंतर्गत कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित कराया जाना ताकि इस भू–भाग का विकास वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में समुचित प्रकार से हो सके।
2. 4266.370 हेक्टेयर क्षेत्र की एकीकृत प्रबंध योजना का निर्माण करते हुये बाघ एवं अन्य वन्यजीवों के संरक्षण एवं परस्पर सहअस्तित्व की एक विस्तीर्ण व्यवस्था प्रावधानित कर अमल में जाना जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कालान्तर में यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोपाल शहर के समीपवर्ती इस क्षेत्र में बाघों का प्राकृतिक आवरण सुरक्षित बना हुआ है तथा साथ ही साथ शहरी विकास भी इस प्रकार विनियमित हो गया है जिसके अनुसार दोनों इकाईयों में कोई भी अंतर द्वन्द नही है। इस संबंध में जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर तात्कालिक उपायो के संदर्भ में

वर्गीकृत भूमि के न्यूनतम 50 मीटर के दायरे में किये गये सभी प्रकार के निर्माण कार्यो को एक दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत शनैः शनैः हटाना।

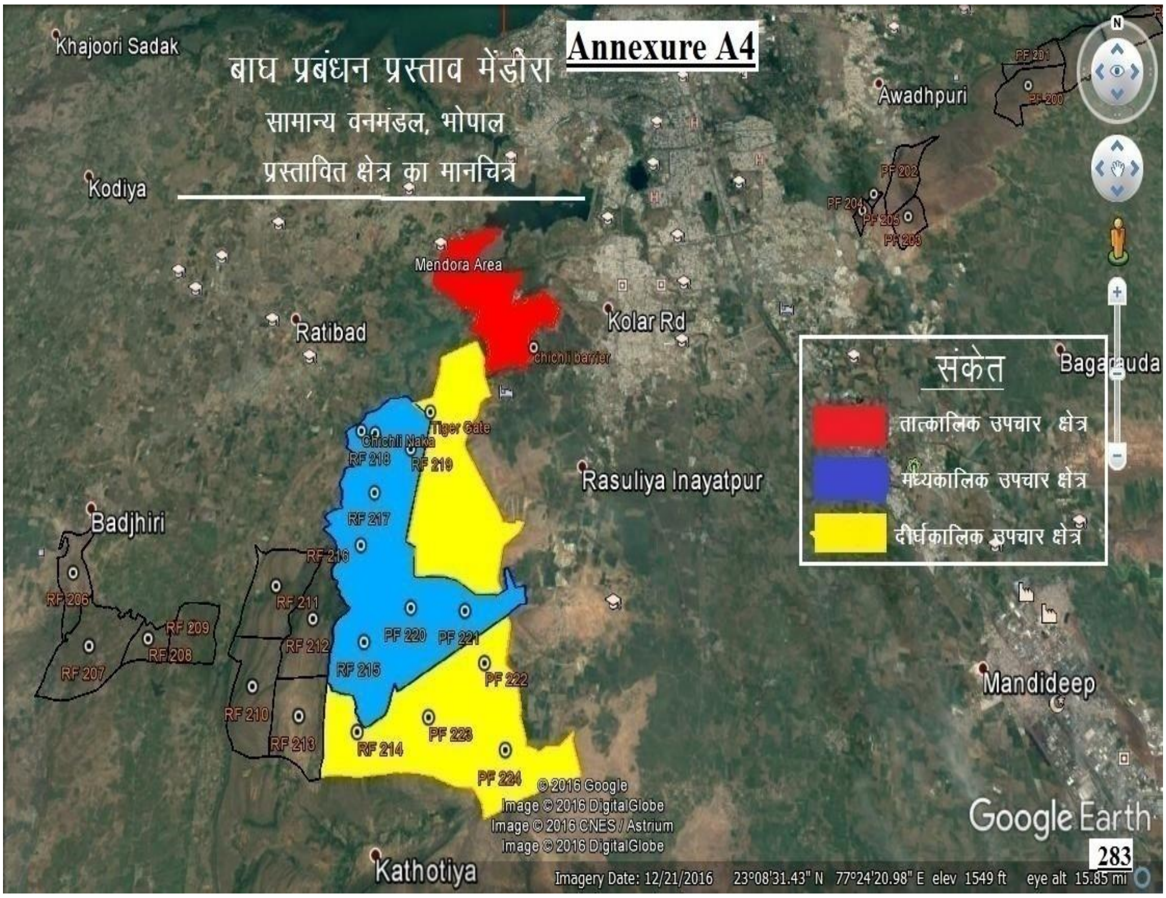

3. दीर्घकालिक उपायो के अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र में इस प्रबंध योजना के अनुसार प्रत्येक 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कम से कम एक प्राकृतिक या मानव निर्मित वाटर होल का विकसित प्रावधानित करना।
4. टाईगर गेट के उत्तर व दक्षिण में स्थित 860 हेक्टेयर के राजस्व वनक्षेत्र में वर्ष 2026–27 की समाप्ति के पश्चात प्रतिवर्ष 150 हेक्टेयर क्षेत्र में औसत 10 मी.X10मी. के अंतराल पर उचित संख्या में फलदार वृक्षों का रोपण करते हुये अंतरवर्ती उपलब्ध क्षेत्र में समुचित विस्तार में उचित प्रजातियों के खाद्य, घॉस, चारागाह, का विकास सुनिश्चित करना।

5. प्रस्तावित प्रबंध योजना में ऐसे समस्त उपायों का प्रावधान सुनिश्चित करना जो रातापानी अभ्यारण की प्रबंध योजना के अनुसार इस निमित्त आवश्यक बनाये गये है।
6. प्रत्येक तीन वर्ष में बाघ सहित समस्त वन्यजीवों की गणना का अभिलेख तैयार करना जिससे कि वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में किये जा रहे प्रस्तावित कार्यो का मूल्यांकन सुनिश्चित हो।
7. संपूर्ण इकाई को भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के पृथक प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाना।
8. **भोपाल – सीहोर – देवास, भोपाल – रायसेन – औबेदुल्लागंज** तथा **भोपाल – रातापानी – सिंगोरी कॉरिडोर** को अधिसूचित करना।
9. सभी स्टेक होल्डर्स से सामान्जस्य सुनिश्चित करना।
10. भोपाल डवलपमेंट अथार्टी के साथ सामन्जस्य स्थापित करना।
11. सीहोर औबेदुल्लागंज जिले के साथ बाघ विचरण क्षेत्र का डाटा साझा करना।
12. जनमानस में जनजागरूकता विकसित करना।
13. कैमरा ट्रेपिंग से बाघ मॉनिटरिंग करना।
14. समस्त बाघों के विचरण की मॉनिटरिंग के लिये बाघों को रेडियो कॉलरिंग करना।

17.7 ई–सर्विलेंसः–

(अ) इन क्षेत्रों की सतत निगरानी किए जाने हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कक्ष क्रमांक P225, P229, P230 एवं P231 में उच्च मास्ट कैमरे स्थापित किये गये हैं जिस हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ब) इन सर्विलिएंस केन्द्रों के कैमरों में 1 टैरा बाइट की स्टोरेज डिवाइस दी गई है जिससे कम से कम 15 दिवस की संपूर्ण रिकार्डिंग परीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जा रही है।

(स) रिकार्डेड डाटा सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत ही अपलेखित किया जाता है।

(द) रिकार्डेड डाटा में बाघ आवगमन की रिकार्डिंग पृथक रूप से तिथिवार संकलित की जा रही है जिन्हें एक वर्ष/गणना अवधि तक सुरक्षित रखा जा रहा है।

(इ) रिकार्डेड डाटा में बाघ आवागमन होने पर उन मार्गों का रिकार्डिंग तिथी के दूसरे दिवस स्थानीय वन रक्षक द्वारा निरीक्षण कर पग मार्क का प्लास्टर कास्ट तैयार कर अपने बीट मुख्यालय पर रखा जा रहा है। तथा वरिष्ठ अधिकारियों के प्रवास के समय परीक्षण कराया जावेगा। यदि पग मार्ग में किसी प्रकार के चिन्ह जैसे कट घाव खून के निशान पाए जावें तो इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।

(फ) प्लास्टर कास्ट तैयार करते समय अन्य साक्ष्य जैसे विष्ठा,किल के अवशेष यदि पाए जायें तो उसे एक सप्ताह तक संग्रहित रखे जात हैं ताकि यदि अपने प्रवास में बाघ आगे कहीं बीमार परिलक्षित हो तो विष्ठा परीक्षण कर उचित उपचार प्रदान करने में वन्यप्राणी चिकित्सक को सहयोग मिल सके।

(ज) इन क्षेत्रों की सतत निगरानी किए जाने हेतु गस्ती दल का गठन किया गया है जिसमें एक वनपाल दो वनरक्षक एवं दो श्रमिक उपलब्धता के आधार पर रखे जा रहे हैं ये प्रातः एवं सायं काल (Dusk and Dawn) में चंदनपुरा–कलियासौत डैम–मेण्डोरा–मैण्डोरी मुख्य मार्ग एवं समीप वन क्षेत्र पर गस्त लगाने का कार्य करते हैं।

(ह) गस्ती दल यह सुनिश्चित करता है कि इन मार्गों के आसपास अथवा समीपस्थ वन में बाघ अथवा तेंदुआ (शिकारी पशु) द्वारा किसी प्राणी का शिकार तो नहीं किया गया है। यदि कोई ताजा शिकार पाया जावे तो उसकी सुरक्षित अंतर से अथवा वृक्ष पर बैठकर तब तक निगरानी की जाती है जब तक शिकारी पशु द्वारा आहार पूर्ण न कर

लिया जावे (तेंदुआ के शिकार में सुरक्षित अंतर रखा जावे) ताकि उक्त शव में जहर आदि डाले जाने की संभावना न रहे। यदि शिकारी पशु शिकार के पास निगरानी के 4 घंटे में उपस्थित न हो तो इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को दी जाती है एवं आसपास के क्षेत्र में तलाशी की जाती है।

(आ) शिकारी पशु के पाए जाने पर, स्वस्थ होने पर शिकार को सुरक्षित रखा जाता है तथा शिकारी पशु में अस्वस्थता के लक्षण पाए जाने पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ऐसी स्थिति में शिकार किए गए प्राणी के अवशेष तत्काल वनमण्डल अधिकारी अथवा सहायक वन संरक्षक से अनुमति ले कर जला दिया जाता है यदि पालतू पशु का शिकार हुआ हो तो अधिक तत्परता से शीघ्र कार्यवाही संपादित की जाती है। इस कार्यवाही के साथ शिकार के अवशेष में से सैंपल सिलिका जेल के पैकेट के साथ संरक्षित किया जा कर विष परीक्षण हेतु उचित लैब में भेजे जाता है।

(झ) गस्ती दल को मैटल डिटेक्टर उपलब्ध कराया जाता है जिसे वे गस्ती के दौरान साथ रखें एवं पत्तों के ढेर तथा खुदी हुई पाई गई जमीन का प्रतिदिन परीक्षण करें, जिससे ट्रैप का प्रयोग रोका जा जाता है।

(क) गस्ती दल को बीपिंग इलेक्ट्रिक टेस्टर विथ आर्म उपलब्ध कराया गया है जिसे गस्ती दल अपने साथ रख कर जलस्त्रोतों एवं मार्गों पर पड़ी विद्युत तारों में विद्युत प्रवाह का परीक्षण करता है। इसका निर्माण स्थानीय तौर पर वन कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रिक टेस्टर ले कर किया जा जाता है।

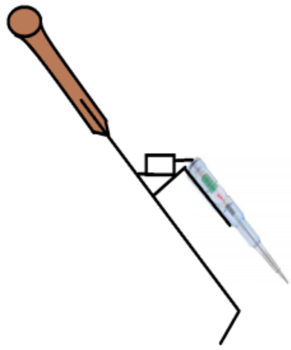

(ल) गस्ती दल को वायरलेस सैट उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। जैव विविधता बाहुल्य क्षेत्र में मोबाइल फोन के उपयोग एवं इसके आसपास मोबाइल टावर की स्थापना को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इससे उत्पादित होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्षेत्र की पक्षी प्रजातियों पर विपरीत असर डालती हैं। शहरी क्षेत्रों में किए गए अध्ययन के परिणाम यह परिलक्षित करते हैं कि शहरों में गौरैया प्रजाति की विलुप्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगों कर आधिक्य है।

अध्याय–18
वन सुरक्षा
(Forest Protection)

उद्‌देश्य :–

वन सुरक्षा में प्रावधानित कार्यो का मुख्य उद्‌देश्य अवैध कटाई, अवैध अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, अवैध शिकार, अग्नि घटनाओं एवं अवैध चराई पर नियंत्रण करना है। इसके साथ ही वनों पर जैविक दबाव को कम करने, विभिन्न लघुवनोपज के विनाश विहीन विदोहन पद्धति का पालन करने के फलस्वरूप पुर्नउत्पादन की स्थिति में सुधार करना भी उद्‌देश्य में निहित है।

प्रबंधन क्षेत्र :–

वन मण्डल का 45245.13 हे. वनक्षेत्र कार्य आयोजना में सम्मिलित किया गया है। यह वनक्षेत्र जो कि 75 वनखण्डों के अंतर्गत 231 कक्षों, 45, बीटों, 12 उप परिक्षेत्रों एवं 3 परिक्षेत्रों तथा 2 उपवनमण्डलों में विभक्त है।

वनमण्डल में सघन वन 14587.28 हेक्टेयर एवं विरल वन 17913.95 हेक्टेयर हैं, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 18.1 अनुसार है –

तालिका क्र. –18.1
वनमण्डल में वनों का क्षेत्रफल

संनिधि प्रकार	वन प्रकार	परिक्षेत्रवार कक्ष संख्या			महायोग	प्रतिशत
		बैरसिया	नजीराबाद	समर्धा		
		84	76	71	231	
सघन वन (0.4 से अधिक)	सागौन	3458.48	4580.66	1557.53	**9596.67**	**21.21%**
	मिश्रित	1607.15	650.33	2733.14	**4990.62**	**11.03%**
	योग	**5065.63**	**5230.98**	**4290.67**	**14587.28**	**32.24%**
विरल वन (0.2 से 0.4 तक)	सागौन	1727.63	4010.94	1219.15	**6957.72**	**15.38%**
	मिश्रित	3130.75	279.69	7545.79	**10956.23**	**24.22%**
	योग	**4858.38**	**4290.63**	**8764.94**	**17913.95**	**39.59%**
झाड़ी वन (0.1 तक)		581.79	1139.41	501.39	**2222.59**	**4.91%**
DRDO क्षेत्र		0	0	598.2	**598.2**	**1.32%**
NTRO क्षेत्र		0	0	133.67	**133.67**	**0.30%**
डूब क्षेत्र		38.97	14.33	133.4	**186.7**	**0.41%**
वनग्राम		384.6	2213.68	972.15	**3570.43**	**7.89%**
अतिक्रमण		2363.86	2687.01	981.45	**6032.32**	**13.33%**
	महायोग	**13293.23**	**15576.04**	**16375.87**	**45245.13**	
	प्रतिशत	**29.38%**	**34.43%**	**36.19%**		

भोपाल जिले की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2371061 है जो वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 1843510 थी अर्थात 10 वर्षों

में जनसंख्या में 28.62 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि से बढ़ने वाले जैविक दबाव का प्रभाव वनों पर भी अवश्य परिलक्षित होता है। 1901 से लेकर 2011 तक क्षेत्रफल जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व के आंकड़े तालिका में निम्नानुसार हैः–

तालिका क्र. –18.2

भोपाल जिले का क्षेत्रफल जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व

जनगणना वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	जनसंख्या	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)
1901	2772	143,958	52
1911	2772	156,354	56
1921	2772	140,300	51
1931	2772	163,747	59
1941	2772	188,608	68
1951	2772	235,665	85
1961	2772	371,715	134
1971	2772	572,169	206
1981	2772	894,739	323
1991	2772	13,51,479	488
2001	2772	18,43,510	655
2011	2772	23,71,061	855

18.1 सीमा रेखा एवं मुनारों का रखरखाव :–

वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनखण्डों की सीमा पर स्पष्ट लाईनों को मौके पर बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि वनक्षेत्र की सीमा राजस्व क्षेत्र की सीमा से अलग स्पष्ट हो सके एवं वनक्षेत्र को अतिक्रमण एवं अन्य विवादों से सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए आरक्षित, संरक्षित वनों की सीमा रेखाओं एवं मुनारों का रखरखाव प्रत्येक वर्ष समुचित ढंग से किया जाये। वन क्षेत्रों की सीमाओं, मुनारों के रखरखाव अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी विगत कार्य आयोजना अवधि में इसे प्राथमिकता से नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप वनक्षेत्र में कई स्थानों पर मुनारे उपलब्ध नहीं हैं एवं कई जगह क्षतिग्रस्त हैं। वनमंडल में आरक्षित वनसीमा के मुनारों की स्थिति संरक्षित वन सीमा के मुनारों से बेहतर है। अधिकांश नारंगी वनखण्डों की सीमाओं पर मुनारे अभी बनाये ही नहीं गये हैं। वनग्रामों के अंतर्गत सम्मिलित वनक्षेत्रों की सीमाओं की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं है। कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वन सीमा का विवरण तथा

मुनारों की संख्या एवं कार्य आयोजना अवधि में उनके निर्माण एवं मरम्मत का विवरण तालिका 18.3 में दिया गया है।

तालिका क्र. –18.3
मुनारों की संख्या व उनकी स्थिति

परिक्षेत्र	वैधानिक स्थिति	वनखण्ड संख्या	मुनारों की संख्या (वर्तमान स्थिति)				
			पक्के	कच्चे	क्षतिग्रस्त	अनुपस्थित	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
बैरसिया / नजीराबाद	आरक्षित वन	15	1222	0	260	587	2069
	संरक्षित वन	40	1013	0	217	344	1574
समर्धा	आरक्षित वन	3	350	0	82	110	542
	संरक्षित वन	17	344	0	119	31	494
	योग	**75**	**2929**	**0**	**678**	**1072**	**4679**

कार्य आयोजना क्षेत्र में वनखण्डों की सीमा रेखाओं की देख–रेख किये जाने हेतु समस्त वनखंडों की बाहरी सीमा के मुनारों को तत्काल पक्का किया जाना चाहिए, जिसके लिए समयबद्ध योजना तैयार किया जाकर वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाये, एवं तदनुसार बजट उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्राथमिकता से किया जाये। वनमण्डल में सीमाओं की प्राकृतिक एवं कृत्रिम लम्बाई का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है–

तालिका क्रमांक–18.4
सीमा की लम्बाई एंव मुनारों की संख्या

वैधानिक स्थिति	वनखण्ड संख्या	सीमा की लम्बाई			मुनारो की संख्या	प्रति कि0मी0 कृत्रिम सीमा पर मुनारो की संख्या
		कृत्रिम सीमा (कि.मी. में)	प्राकृतिक सीमा (कि.मी. में)	वनखण्ड सीमा (कि.मी. में)		
आरक्षित वन	18	382.00	45.03	427.03	2611	6
संरक्षित वन	57	464.48	23.41	487.89	2068	4
योग	**75**	**846.49**	**68.43**	**914.92**	**4679**	5
प्रतिशत		**92.52%**	**7.48%**			

समस्त वनखण्डों की सीमारेखा के रखरखाव हेतु पांचसाला सीमांकन योजना के अनुसार सीमा लाइन कटाई एवं सफाई किया जाना चाहिए। इसकी विस्तृत योजना परिशिष्ट क्रमांक–12 में दी गई है।

18.2 वन अग्नि प्रबंधन :–

वन मंडल के समस्त तकनीक एवं संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जाकर एकीकृत को कारगर रूप से अग्नि सुरक्षा प्रबंधन किया जा सकता है। समन्वित एवं एकीकृत अग्नि सुरक्षा प्रबन्ध को आधार मानते हुये अग्नि सुरक्षा हेतु आधुनिक तरीके अपनाये जायें। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाये,

1. मानव द्वारा लगने वाले आग को शिक्षा एवं जागृति द्वारा रोकना।
2. वन भ्रमण, संचार एवं अन्य तरीकों से वनों में लगने वाली आग का तत्काल पता लगाना।
3. आग को बुझाने हेतु तत्काल उपाय करना।
4. संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखना।

उपरोक्त सभी घटकों का अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है।

18.2.1 अग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों (कक्षों) की जानकारी निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 18.5

अग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

अ. क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक		
		अति संवेदनशील	संवेदनशील	सामान्य
1	2	3	4	5
1.	बैरसिया	P 150, P151, P 152, P 154, P 153, P 156, P 157, 126, 127, 128, 129, P 90, P 91	P 123, P 124, P 125, P 117, P 118, P 119, 77, 78, 79, 80, 81, P 95, P96, P 97, P 98, P 99, P 100, P 114, 138, 139, 140, 141	130, 131, 132, 133, 88, 89, P 73, 75, 76, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 101, 102, 103, P115, P113, 110, 111, 112, 116, 82, 83, 84, P93, P94, P92, 120, 121, 122, P136, P137, P135, P134, P155, P158, 159, P143, P144, P145, P146, P147, P148, P149, 142,
2.	नजीराबाद	P45, P 46, P 47, P 15, P 59, P61, P 60, P 70, P 71, P 72, 85, 86, 87, 39, 41, 30, 31, 74,	1, 4, 5, 6, 7, 8, P 25, P 26, P 35, 55, 32, 33, 34, 38, 40, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68, 69,	28, 29, 16, 17, 18, 13, 14, P 42, P43, P44, 9, 10, 19, 20, 2, 3, 11, 12 P 56, P57, 27, 21, 22, 23, 24, 36, 37, P53, P54, P58, P48, P49, P50, P51, P52,

अ. क्र.	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक		
		अति संवेदनशील	संवेदनशील	सामान्य
1	2	3	4	5
3.	समर्धा	178, 179, 180, 181, 168, P 195, RF 186, 187, 185, P 190, P 191, P 197, P 198, P 193, 183, 206, 207, 208, 209, P 199, P 200, P 201, P 202, P 203, P 204, P 205, P 160, P 161, P 162, P 163, P 196	P 221, P 222, P 223, P224, 214, 215, 216, 217, 218, 210, 211, 212, 213, 173, 174, 175, 169, 170, 171, 177, 182	166, 167, 184, 188, 189, P 192, P 220, 219, 164, 165, 172, P 194, 176,

18.2.2 अग्नि रेखायं – विगत कार्य आयोजना में भोपाल वन मण्डल में अग्नि रेखाओं का विवरण दर्शित नही है। वनमण्डल में भी अग्नि रेखाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अग्नि सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से फायर वाचरों पर निर्भर रहता है। अग्नि रेखाओं के अभाव में अग्नि सुरक्षा के रोधात्मक उपाय अग्रिम रूप से नही हो पातें। अतः वन मण्डल अधिकारी भोपाल को चाहिये कि वह आवश्यकता अनुसार मुख्य वन संरक्षक भोपाल से अग्नि रेखाओं का अनुमोदन प्राप्त कर उपरोक्त अनुच्छेदों में दर्शाए अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रभावी रोधात्मक उपाय करना सुनिश्चित करें। वनमण्डलाधिकारी आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार अग्नि रेखाओं का निर्माण करावें एवं कार्यालय में इनका विवरण निम्नानुसार प्रपत्र में संधारित किया जावे, जिससे कि इन्हे भावी कार्य आयोजनाओं में सम्मिलित किया जा सके।

तालिका क्र. – 18.6

रखरखाव की जाने वाली महत्वपूर्ण अग्नि रेखाओं हेतु प्रपत्र

क्रमांक	परिक्षेत्र	वनखंड	अग्निरोधक का नाम	अग्नि रेखा की लम्बाई (कि.मी.)	प्रारम्भिक बिन्दु		अंतिम बिन्दु	
					अक्षांश	देशांतर	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18.2.1.1 अग्नि सुरक्षा हेतु उपचार – अग्नि सुरक्षा की रणनीति तीन चरणों में तैयार की जायेगी –

(अ) संस्थागत उपचार ।

(ब) एहतियाती (च्तमबंनजपवदंतल) उपचार।

(स) अग्नि घटना घटित होने पर उपचार।

(अ) संस्थागत उपचार –

(क) वनों का प्राथमिकता श्रेणियों में विभाजन – अग्नि सुरक्षा के लिये वनों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में बाँटा जायेगा –

(i) **प्रथम श्रेणी वन –** पूरी तरह सुरक्षित वन ।

इस श्रेणी में निम्न क्षेत्र शामिल किए जायेंगे –

1. सभी वृक्षारोपण क्षेत्रों को 10 वर्षों तक प्रथम श्रेणी का क्षेत्र माना जायेगा।
2. कार्य आयोजना अन्तर्गत उपचारित इकाईयों में, मुख्य उपचार वर्ष पश्चात कार्य वृत्त में दी गई अवधि के लिये प्रथम श्रेणी के क्षेत्र मानते हुए, अग्नि से पूर्ण सुरक्षा की जायेगी।
3. सभी रोपणियां, बीज उद्यान, न्यादर्श खण्डक, परिरक्षण खण्डक एवं प्रायोगिक खण्डक ।
4. विशेष परिस्थितियों में वन संरक्षक, क्षेत्रीय द्वारा घोषित अन्य कोई विशेष महत्व का क्षेत्र जिसे आग से बचाया जाना हो, उसमें पूर्ण अग्नि सुरक्षा की जावेगी।

- इन श्रेणी के वनों को अग्नि रेखाओं एवं गाइड लाइन के माध्यम से बांटा जायेगा एवं अग्नि वाचरों द्वारा इसकी गश्त की जायेगी। इन क्षेत्रों में आग लगने की घटना को एक संकट (ब्संंउपजल) माना जायेगा और उसकी रिपोर्ट की जायेगी, चाहे जितना क्षेत्र जला हो और जो भी आग लगने की तिथि हो।

(ii) **द्वितीय श्रेणी वन –** सामान्य रूप से अग्नि सुरक्षा किये जाने वाले क्षेत्र।

1. प्रथम श्रेणी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर कार्य आयोजना के समस्त आरक्षित, संरक्षित वन क्षेत्र, जिनमें नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है।
2. वन संरक्षक क्षेत्रीय द्वारा घोषित कोई अन्य विशेष महत्व का क्षेत्र ।

- इन क्षेत्रों को बाह्य अग्नि रेखाओं की मदद से अन्य क्षेत्रों से अलग किया जायेगा एवं आंतरिक रेखाओं की मदद से उपयुक्त आकार के भागों में बांटा जायेगा। लाइन्स नहीं काटी जायेंगी लेकिन सभी अग्नि रेखाओं, सड़क रास्ते आदि की पट्टी को ऐसे समय जलाया जायेगा जब घास अच्छी तरह सूख चुका हो।
- इन क्षेत्रों में अग्नि वाचर वन संरक्षक की विशेष स्वीकृति उपरांत ही लगाया जायेगा।
- अग्नि सुरक्षा कार्य में ग्राम वन/वन सुरक्षा समितियों की सहायता प्राप्त की जायेगी।

(iii) तृतीय श्रेणी वन – वैधानिक तौर पर सुरक्षित वन – इस क्षेत्र में ऐसे वन रखे जायेंगे जो ऊपर की दोनों श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए हैं।

- इन क्षेत्रों में आग लगाना मना है किन्तु इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाये जाते हैं।

(ब) **एहतियाती (Precautionary) उपचार –** वनों को अग्नि से सुरक्षित रखने में निम्नानुसार एहतियाती उपचारों का बहुत महत्व है, जिन्हें अपनाकर अग्नि की घटनाओं पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है –

(i) अग्नि सुरक्षा योजना – प्रतिवर्ष माह अक्टूबर तक वनमण्डल हेतु अग्नि सुरक्षा योजना तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(ii) अग्निरोधी रेखाओं का रख–रखाव – अग्निरोधी रेखाओं को प्रतिवर्ष 15 फरवरी से पहले साफ किया जाकर जला दिया जाना चाहिये। अग्नि रोधी रेखाओं को समय–समय पर झाड़कर साफ करना चाहिये। इन अग्नि रोधी रेखाओं की चौड़ाई तालिका क्रमांक 18.7 में दर्शायी गयी है।

तालिका क्र.– 18.7
अग्नि रोधी रेखाओं की चौड़ाई का विवरण
अग्नि रोधी रेखाओं का विवरण

क्र.	अग्निरोधी रेखा का प्रकार	अग्निरोधी रेखा की चौड़ाई
1	वन खण्डों की बाहरी सीमा रेखा	6 मीटर
2	वन खण्डों की अन्दरूनी सीमा रेखा	5 मीटर
3	लोक निर्माण विभाग की सड़कें एवं अन्य मार्ग	3 से 5 मीटर
4	वन मार्ग एवं सीमा रेखाएं	3 से 5 मीटर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र	12 मीटर
6	पुरानी अग्नि रेखाएं	30 मीटर

उपरोक्त क्षेत्रों के साथ–साथ मुख्य कार्यवृत्त की उपचार इकाइयों की सीमाओं को भी साफ किया जाकर तब तक जलाना चाहिये जब तक उन इकाईयों में अग्नि प्रतिबन्धित है। कार्य योजना क्षेत्र की सभी वनखण्ड सीमा रेखाओं, कार्य आयोजना क्षेत्र में गुजरने वाली सड़कों एवं रास्तों का अग्नि सुरक्षा रेखाओं के रूप में रख–रखाव करना चाहिए।

(iii) उपकरणों की व्यवस्था – वनों में अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्नि शमन उपकरणों की उपलब्धता आग पर काबू पाने में सहायक होती है। इन उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iv) रसायनों की व्यवस्था – वनों में लगने वाली आग का फैलाव अधिक होता है, अतः इन पर रसायनों का उपयोग बहुत खर्चीला होगा, परन्तु डिपो आदि में लगने वाली आग में निम्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जा सकता है :–

1. अग्नि का दमन करने वाले ।
2. अग्नि की गति धीमी करने वाले ।

दमन करने वाले रसायनों का इस्तेमाल सीधे तौर पर ही आग को बुझाने में किया जाता है एवं गति धीमी करने वाले रसायनों को आग के आगे वाले क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आग को बढ़ने से रोका जा सके । अग्नि दमन करने वाले रसायनों को तरल, गैस या पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि आग की गति धीमी करने वाले रसायन आमतौर पर तरल अवस्था में होते हैं। आवश्यकतानुसार इन रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(v) वाच टावर – प्रत्येक परिक्षेत्र सहायक वृत्त के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को चयन किया जायेगा जहाँ से अधिकतर क्षेत्र का एक ही स्थल पर बैठकर निरीक्षण किया जा सके ताकि यदि कहीं अग्नि लगी पाई जाती है तो उसकी सूचना तत्काल भेजी जा सके। उक्त क्षेत्र का चयन कर मानचित्र पर दर्शाया जायेगा एवं यह भी दर्शाया जायेगा कि निर्दिष्ट वाच टावर से कितनी बीटें सम्बद्ध होंगी।

(vi) अग्नि शमन दल – संवेदनशील क्षेत्रों की प्रत्येक बीट हेतु अग्नि शमन दल बनाया जायेगा जो क्षेत्र की गश्ती एवं आग बुझाने का कार्य करेगा। आग बुझाने वाले दल में सामान्यता ऐसे ग्रामों के लोगों को रखा जायेगा जो वनों के प्रति लगाव रखते हैं। इस दल में शामिल अग्नि सुरक्षा श्रमिकों के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होंगे।

- अपने क्षेत्र की अग्नि रेखाओं की गश्ती करना एवं उन्हें ज्वलनशील पदार्थों से पूरी तरह मुक्त रखना।
- वनक्षेत्रों या उसके आस–पास आग जलाने वालों को जाने से रोकना।
- आग लगने की सूचना तुरंत बीट रक्षक को देना।
- आग लगने पर आग बुझाने में सहायता करना एवं स्वतः आग बुझाना।

(vii) **पूर्व दाहन** (Early Burning)**–** अग्नि से प्रभावित संवेदनशील स्थलों की पहचान कर ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होने से पहले ही इन स्थलों पर अनुपयोगी घास, झाड़ियों आदि को नियंत्रित रूप से जला देना चाहिए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि व्यापक रूप न ले सके। यह आग की संभावनाओं को या उससे होने वाले नुकसान को कम करने का एक उपाय है।

(viii) **महुआ के वृक्षों के नीचे सफाई –** महुआ के फूल बीनने वाले व्यक्ति अधिकांशतः वृक्ष के नीचे आग लगाने का कार्य करते हैं, जो जंगलों में फैल जाती है। अतः महुआ वृक्षों के नीचे वृक्ष के छत्र से एक मीटर अतिरिक्त परिधि के क्षेत्र में सफाई एवं जलाई का कार्य स्थानीय वन समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

(ix) **वन समितियों को जागरूक करना –** वन क्षेत्रों में ज्यादातर वानिकी कार्य वन समितियों के माध्यम से कराये जाते हैं। इन वन समितियों को अग्नि सुरक्षा में वृहद भूमिका दी गई है तथा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को वनों को अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्ध में समझाईश दी जायेगी तथा यह स्पष्ट किया जाये कि उन्हें जिस कार्य हेतु सुरक्षा राशि दी गई है उसमें वनों की आग से सुरक्षा कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(x) **भ्रमण एवं गश्त –** अग्नि सीजन में संवेदनशील क्षेत्रों का सतत् भ्रमण एवं गश्त की जायेगी तथा अग्नि सुरक्षा कार्यों में लगे कर्मचारियों तथा अग्नि रक्षक दल की कार्य क्षेत्र में मुस्तैदी सुनिश्चित की जायेगी।

(xi) **शिक्षा एवं जन जागरण –** वनों में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए इस सम्बन्ध में ग्रामीणों में शिक्षा एवं जागरूकता का कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। स्थानीय समाचार पत्र ग्रामीणों तक संदेश पहुँचाने का सबसे उत्तम साधन हैं। अग्नि के मौसम के दौरान वनों की आग से सुरक्षा से संबंधित लेख, संपादकीय एवं अन्य छोटी–छोटी टिप्पणियों को स्थानीय पत्रों में प्रकाशित करना चाहिये। इन लेखों में वन अग्नि से होने वाले नुकसान एवं वन अग्नि से ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिये। वनों में आग लगाना एक अपराध है एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त

कार्यवाही की जा सकती है, इसका विवरण भी संदेश के रूप में समाचार पत्रों में दिया जाना चाहिये।

प्रचार–प्रसार काफी सोच–विचार कर एवं सही ढंग से तथा संगठित रूप से किया जाना चाहिये। प्रचार–प्रसार लोगों से मिलकर, फिल्मों एवं अन्य माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। वन अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के स्कूलों में एवं अन्य स्थानीय संस्थानों में "वन अग्नि सुरक्षा" से संबंधित प्रशिक्षण देना चाहिये, जिससे बच्चों एवं लोगों में आग से वनों को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। संवेदनशील स्थानों पर ऐसे बोर्ड होने चाहिये, जिन पर वनों को आग से बचाने संबंधी विभिन्न प्रकार की सूचनायें लिखी हों। वनक्षेत्र में निर्मित पक्के मुनारों पर भी वनों को अग्नि से बचाने का संदेश लिखा जाना चाहिए। स्थानीय लोगों का आग को बुझाने एवं नियंत्रण करने में सहयोग प्राप्त करना अति आवश्यक है। अतः अग्नि सुरक्षा के संबंध में वन कर्मचारियों को स्थानीय लोगों का आवश्यक सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

(स) **अग्नि घटना घटित होने पर उपचार –** संस्थागत एवं एहतियाती उपचार करने के बाद भी यदि वनों में अग्नि घटना घटित होती है तो उसके लिए निम्नानुसार उपचार किए जाने चाहिए –

(i) **वन अग्नि का पता लगाना –** आग को बुझाने एवं नियंत्रित करने के लिए वनों में लगी आग का पता लगाना एवं समय पर आग की सूचना भेजना अति आवश्यक है। यदि आग को समय पर नहीं बुझाया गया तो यह काफी बड़े क्षेत्र में फैल सकती है तथा इससे काफी अधिक नुकसान हो सकता है। अतः वनों में अग्नि के मौसम में इस प्रकार की व्यवस्था एवं प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे आग का शीघ्र पता लग सके एवं उसे

शीघ्रातिशीघ्र बुझाया जा सके। वनों में आग का पता लगाने के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है–

– स्थानीय जनता द्वारा तथा वन कर्मचारियों द्वारा वनों में लगातार भ्रमण से आग का पता शीघ्र लगाया जा सकता है।

– वनों में संवेदनशील स्थलों पर वाच टावर (Watch Tower) स्थापित किये जाकर उनसे आग का पता लगाने में सहायता मिल सकती है। वॉच टावर के कॉर्डिनेटस लेकर मानचित्र पर अंकित किया जायेगा।

– सुदूर संवेदन तकनीक (Remote Sensing Techniques) के उपयोग द्वारा भी शीघ्र ही आग का पता लगाया जा सकता है। इससे आग के वन क्षेत्रों में अधिक फैलने के पूर्व ही कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

(ii) **वन अग्नि की सूचना भेजना** – वनों में लगी आग का पता लगाकर, उसकी तत्काल सूचना संबंधितों को भेजना अति आवश्यक है ताकि समय पर आग पर नियंत्रण किया जाकर उसे तुरंत बुझाया जा सके। यदि आग अधिक दूरी पर नहीं लगी है तो इसकी सूचना सायरन या ड्रम बजाकर भी दी जा सकती है। पैदल, साइकिल या मोटर साइकिल द्वारा भी आग का संदेश भेजा जा सकता है। दूरभाष या वायरलेस का भी उपयोग आग की सूचना देने के लिए किया जा सकता है।

(iii) **वन अग्नि पर नियंत्रण** – वनों में सामान्यता अग्नि बड़े क्षेत्र में फैलती है जिस पर नियंत्रण हेतु निम्नानुसार विधियाँ अपनाई जाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है –

– समोच्च रेखा सफाई – इस तरीके में एक समोच्च रेखा बनाई जाती है जो आग को फैलने से रोकती है।

– क्षेत्र नियंत्रण – इस विधि में कन्ट्रोल लाइन बनाने के स्थान पर जलते हुए क्षेत्र में पानी, मिट्टी, रसायन, बीटिंग अप (Beating up) क्रिया द्वारा आग को बुझाया जाता है।

– काउन्टर फायर – इस क्रिया में आग लगने के स्थान से कुछ दूरी पर क्षेत्र की सफाई करते हुए उल्टी आग लगाई जाती है जिससे दोनों ओर की आग मिलकर बुझ जाती है।

– मॉप–अप आपरेशन (Mop-up operation) . सभी प्रकार की आग, जब तक पूर्ण रूप से नहीं बुझ जाती, तब तक खतरनाक होती है। आग के नियंत्रण के बाद मॉप–अप आपरेशन किया जाता है। मॉप–अप आपरेशन में बची हुई आग को बुझाना, जल रही सामग्री को अलग करना एवं बुझाना इत्यादि शामिल रहता है। मॉप–अप आपरेशन में निम्नानुसार बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये :–

- आग के नियंत्रण के उपरान्त जल रही समस्त सामग्री को बुझाया जाये।
- अग्नि रेखाओं के अन्दर एवं बाहर की समस्त ज्वलनशील लकड़ियों जैसे सूखी लकड़ी, जले–सड़े टुकड़े, पेड़ों से नीचे की ओर लटकी हुई सूखी टहनियों को निकाल देना चाहिये।
- बड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक ज्वलित सामग्री को बुझा देना चाहिये ताकि यह आस–पास के क्षेत्रों में और न फैल सके ।
- आग के पास की सभी नीचे लटकी हुई टहनियों को काट देना चाहिये।
- यदि पास ही पानी उपलब्ध हो, तो उसका इस्तेमाल भी मॉप–अप आपरेशन में किया जा सकता है।

(iv) **वन अग्नि का प्रतिवेदन भेजना** – वनों में अग्नि की घटना का परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी को तत्काल प्रेषित किया जायेगा।

18.3 आक्रामक एवं खरपतवार प्रजातियों का प्रबंधन :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से आक्रामक एवं खरपतवार प्रजातियों के रूप में लैण्टाना तथा वन तुलसी पाई जाती है, जिनका प्रबंधन निम्नानुसार किया जावे।

18.3.1 लैण्टाना के फैलाव का तरीका :– वनक्षेत्र में अत्यधिक लैण्टाना का आच्छादन होने के कारण वनों में उपलब्ध अन्य समस्त वनस्पति प्रजातियों के पुनरुत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लैण्टाना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव, बीजों एवं टहनियों के माध्यम से होता है। पक्षियों एवं जानवरों द्वारा इसके फल को खाने के बाद दूसरे स्थान पर मल त्यागने से इसके बीज जमीन से अंकुरित हो जाते हैं। इनके बीजों में उगने की क्षमता 50 वर्ष तक रहती है। इसके बीज सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ही अंकुरित होते हैं। मनुष्य के माध्यम से इसकी टहनियों को एक स्थान से तोड़कर दूसरे स्थान पर फेंक देने से भी इसका फैलाव होता रहता है।

18.3.2 लैण्टाना से होने वाले हानिकारक प्रभाव :– लैण्टाना एक बहुत ही हानिकारक एवं विषाक्त पौधा है, जिसकी पत्तियाँ एवं फलों में विषाक्त पदार्थ ज्तपजमतचमदम बवउचवनदक वत संदजंकमदम पाया जाता है। पालतू पशुओं एवं वन्य पशुओं द्वारा इसकी पत्तियाँ खाने पर उनमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ, यथा भूख न लगना, बार बार मूत्र विसर्जन होना, कब्ज, पेचिश, पानी की कमी, पीलिया एवं शरीर पर सूर्य की रोशनी से चकत्ते पड़ना, हो जाती है, तथा कभी–कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह कीटों एवं रोगों के विषाणुओं को भी आश्रय देता है जिसके कारण जंगलों में उपयोगी वृक्षों पर रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। लैण्टाना युक्त क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरुत्पादन काफी कम होता है, और जो होता है, उसकी बढ़त अत्यन्त कम होती है। बकरियां कुछ हद तक लैण्टाना की पत्तियों को पचाने की आदी हो

जाती हैं, किन्तु अन्य सभी मवेशी या वन्यप्राणी इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

18.3.3 लैण्टाना नियंत्रण हेतु उपाय :– लैण्टाना पर नियंत्रण का सबसे सरल उपाय इसकी नई पौध को हाथ से उखाड़कर बैग में रखकर दूर ले जाकर जला देना ही है। बड़े एवं पुराने पौधों का उन्मूलन उसके कालर से 4 इंच नीचे से काटकर उल्टा करके सुखाकर किया जा सकता है। इस सूखे हुए लैण्टाना को बाद में जलाया जाये या अन्य उपयोग में लिया जाये। यह कार्य वर्ष के किसी भी माह में किया जा सकता है। लैण्टाना की रोकथाम मुख्यतः निम्नलिखित विधियों द्वारा की जा सकती है,

1. यांत्रिक विधि
2. रासायनिक विधि
3. जैविक विधि

यांत्रिक विधि में लैण्टाना का उन्मूलन ''बाबू तकनीक'' से किया जाता है, जिसमें लेन्टाना के पौधों की जड़ों को कालर से 4 इंच नीचे से काटकर उल्टा कर दिया जाता है। लैण्टाना उन्मूलन के बाद आगामी वर्षो में मॉप अप करने से लेन्टाना क्षेत्र से पूरी तरह समाप्त हो सकता है। शोध द्वारा लेन्टाना उन्मूलन हेतु रासायनिक एवं जैविक विधि सुझाई गई है, किन्तु यह बहुत बड़े क्षेत्र हेतु अधिक खर्चीली है।

18.3.4 वनतुलसी के प्रबंधन हेतु सुझाव :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में वन तुलसी मुख्यतः खरपतवार के रूप में पाई जाती है। चूंकि वन तुलसी एक वार्षिक जीवन चक्र वाला खरपतवार है, अतः इसे माह जुलाई से सितम्बर के मध्य उसकी प्राथमिक उगने की दशा में ही उखाड़ दिया जाये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि वन तुलसी को पुष्पन के पूर्व ही नष्ट किया जावे। वन तुलसी खुले क्षेत्रों में काफी आसानी से विकसित हो जाती है, अतः ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित कर उनको वनाच्छादित किया जाये। वन तुलसी को नियंत्रित करने हेतु उसके व्यापारिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

18.4 कीट एवं रोग प्रकोपों का प्रबन्धन :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में कीट एवं रोगों का कोई विशेष प्रकोप नहीं देखा गया है। सागौन वनों एवं वृक्षारोपणों में टीक स्केलेटनाइज़र (Teak Skeletonizer – *Eutectona machaeralis*) एवं टीक डिफोलिएटर (Teak defoliator – *Hyblaea puera*) का प्रभाव कहीं–कहीं अवश्य देखा गया है।

Teak Skeletonizer

Larva Adult

18.4.1 टीक स्केलेटनाइज़र

(Teak Skeletonizer – *Eutectona machaeralis*) :–

इसका लार्वा हरे सफेद रंग का हल्के भूरे रंग के सिर वाला होता है। यह सागौन की पत्तियों की नसों को छोड़कर बाकी सब खा जाता है, जिसके कारण पत्तियां भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं एवं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए लगातार ऐसी पत्तियों को काटते रहना, नीम तेल या क्विनाल्फॉस का छिड़काव करना चाहिये। यह कार्य विस्तृत वन क्षेत्र में संभव नहीं हो पाता है, अतः शुद्ध सागौन रोपण के स्थान पर मिश्रित रोपण किया जाने से भी यह नियंत्रित किया जा सकता है।

18.4.2 टीक डिफोलिएटर

(Teak defoliator – *Hyblaea puera*) :–

Teak defoliator

Larva Adult Defoliation

मानसून की वर्षा के साथ ही इसका लार्वा अपना काम शुरू कर देता है। इसका लार्वा भूरे हरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर लम्बी धारी होती है। इसके वयस्क मॉथ का सामने का पंख लाल भूरे रंग का एवं पीछे का पंख गहरे भूरे रंग का होता है, जिस पर नारंगी रंग की पट्टी होती है। यह सागौन की पत्तियों की बीच की नस को छोड़कर बाकी सब खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुरी तरह प्रभावित पत्तियों को काट देना चाहिए, नीम तेल 5% का छिड़काव करना चाहिये। लाइट ट्रैप से पकड़कर भी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।

18.5 वन अपराधों पर नियंत्रण :–

कार्य आयोजना क्षेत्र अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, अवैध कटाई तथा अवैध चराई की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। अतिक्रमण के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वनों को काटा गया है तथा अवैध उत्खनन हेतु अच्छे वनक्षेत्रों में भी गड्ढे बनाये गये हैं। यह वनमंडल दक्षिण में भोपाल सीमा से उत्तर में गुना जिला, पूर्व में विदिशा, रायसेन, दक्षिण–पश्चिम में सीहोर एवं पश्चिम में राजगढ़ से लगा होने के कारण यह सीमा वन सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। सर्वाधिक कटाई का दबाव नजीराबाद एवं बैरसिया परिक्षेत्रों में है। वनमण्डल के वनक्षेत्रों को सुरक्षा हेतु तत्काल प्रभावी एवं कारगर प्रयास किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। कार्य आयोजना के विभिन्न कार्यवृत्तों के अन्तर्गत दिए गए उपचारों के परिणाम भी वनक्षेत्रों की ठोस सुरक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करेंगे, क्योंकि यदि उपचारित क्षेत्रों की प्रभावी सुरक्षा नहीं की गयी तो किसी भी उपचार का लक्षित परिणाम प्राप्त किया जाना अत्यन्त मुश्किल होगा।

18.5.1 वनों को क्षति पहुँचाने वाले कारक –

18.5.1.1 भोपाल वनमण्डल के वनों को क्षति पहुँचाने वाले कारक मुख्य रूप से मानव जनित कारक ही हैं, जो निम्नानुसार हैं –

अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, अवैध चराई, अग्नि, शिकार, लघुवनोपज का अनियंत्रित विदोहन।

18.5.1.2 प्रचलित कार्य आयोजना अवधि के दौरान भोपाल वनमण्डल में विभिन्न प्रकार के वन अपराधों का विवरण तथा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया गया है–

तालिका क्रमांक–18.8

दर्ज वन अपराध प्रकरणों की संख्या

अ.क्र.	वर्ष	कुल प्रकरण	शिकार	अतिक्रमण	अवैध कटाई	अवैध परिवहन	अवैध उत्खनन	अग्नि	अवैध प्रवेश	अवैध चराई	आरा मशीन	अन्य (विवरण दें)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	2009	413	11	28	248	8	12	93	0	11	0	2
2	2010	375	7	43	255	4	2	56	0	4	0	4
3	2011	394	8	61	254	19	3	39	0	8	0	2
4	2012	326	10	80	175	25	2	17	-	6	7	4
5	2013	207	10	26	110	28	3	12	-	14	0	4
6	2014	158	13	27	75	21	1	7	-	11	0	3
7	2015	149	11	18	78	26	0	6	-	4	0	6
8	2016	111	12	6	62	8	1	15	-	1	3	3
9	2017	147	5	22	68	9	4	28	-	3	0	8
10	2018	126	9	8	51	10	5	30	0	2	0	11
योग		**2406**	**96**	**319**	**1376**	**158**	**33**	**303**	**0**	**64**	**10**	**47**
न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरण		217	70	104	30	4	6	1	0	1	0	1

वर्ष 2009 से वर्ष 2018 तक कुल 2406 प्रकरण दर्ज किये गये है। वनमण्डल से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान स्थिति में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत निम्न एवं सत्र न्यायालयों में वर्तमान में शिकार के कुल 70, अतिक्रमण के 104, अवैध कटाई के कुल 30, अवैध उत्खनन के कुल 6, अवैध परिवहन के कुल 4, अवैध चराई का 1, अग्नि का 1 एवं 1 मुनारा तोड़ने का प्रकरण लंबित हैं। इस प्रकार वनमण्डल में दर्ज वन अपराध के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में सबसे अधिक वन अपराध प्रकरण अवैध कटाई के दर्ज हुये हैं। इसके बाद क्रमशः अवैध परिवहन एवं अवैध उत्खन्न के प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस प्रकार वनमण्डल भोपाल में अवैध कटाई, अवैध परिवहन एवं अवैध उत्खनन एक गंभीर समस्या है। अवैध छटाई, गर्डलिंग एवं पोलार्डिंग का पृथक से विवरण भोपाल वनमण्डल द्वारा संधारित नहीं किया गया है।

➢ विगत कार्य आयोजना में उल्लेखित एवं विगत कार्य आयोजना अवधि में दर्ज वन अपराध प्रकरणों की तुलना निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 18.8 अ
वन अपराध प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण

क्र	अपराधों का विवरण	प्रचलित कार्य आयोजना में उल्लेखित (वर्ष 2001 से 2006)		प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में पंजीकृत (वर्ष 2009से 2018)	
		कुल प्रकरण	प्रतिवर्ष औसत	कुल प्रकरण	प्रतिवर्ष औसत
1	शिकार	77	13	96	10
2	अतिक्रमण	281	47	319	32
3	अवैध कटाई	1422	237	1376	138
4	अवैध परिवहन	24	4	158	16
5	उत्खनन	41	7	33	3
6	अग्नि	32	5	303	30
7	अवैध	0	0	0	0
8	अवैध चराई	36	6	64	6
9	आरा मशीन	34	6	10	1
10	अन्य	7	1	47	5

18.5.1.3 वनों को क्षति पहुँचाने वाले मानव जनित कारकों का विराट स्वरूप भोपाल वनमण्डल में देखा जा सकता है तथा मनुष्य के बढ़ते लोभ एवं इच्छाओं के कारण इन कारकों का स्वरूप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस पर नियंत्रण हेतु वन विभाग के अमले द्वारा सतत् प्रयास भी किए जाते है।

18.5.2वनों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था – वन संरक्षण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी दिशा निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–83 में दर्ज हैं। वनमण्डल में वनों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों (व्यवस्था) का विवरण निम्नानुसार है –

18.5.2.1 प्रशासनिक व्यवस्था – भोपाल प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण तालिका क्रमांक 18.9 अनुसार है –

तालिका क्र. – 18.9
प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण

उपवनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र सहायक वृत्त (सर्किल) संख्या	वन रक्षक परिसर (बीट) संख्या	सम्मिलित कक्षों की संख्या	डिजिटाइज्ड क्षेत्रफल हे.
भोपाल सामान्य	समर्धा	5	16	71	16375.87
	बैरसिया	3	16	84	13293.23
	नजीराबाद	4	13	76	15576.04
		12	45	231	45245.13

नोट– विस्तृत विवरण के लिये आलेख भाग–1 के अध्याय–1 कार्य आयोजना क्षेत्र देखें।

भोपाल वनमण्डल में कुल 231 कक्ष हैं जिन्हे अति संवेदनशील कक्ष एवं संवेदनशील कक्षों की सामान्य वमण्डल भोपाल द्वारा पहचान की गई हैं। अति संवेदनशील तथा संवेदनशील कक्ष ज्यादातर अवैध उत्खनन अवैध कटाई तथा अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, शेष अन्य कक्ष भी निस्तारी प्रयोजन हेतु अवैध कटाई तथा चराई से प्रभावित रहती हैं। कक्षवार संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र– 18.10
परिक्षेत्रवार संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील कक्षों की जानकारी

अ. क्र.	परिक्षेत्र	वन अपराध का प्रकार	कक्ष क्रमांक	
			अति संवेदनशील	संवेदनशील
1	2	3	4	5
1.	समर्धा	अवैध अतिक्रमण	178,170,177,168,190,186,216,217,207,P161,P162, P164,P165	180,195,193,182,P22, P223,P211,P212,P213, P260
		अवैध कटाई	-	178,179,180,181,170, 171, 195,168,182,189, P224,214, 215,216, 218, 210, 211,208, 209, 160, 161,162, 164, 165, 176, 182
		अवैध उत्खनन	-	185,186,182,189,P220
2.	बैरसिया	अवैध अतिक्रमण	_	130,132,77,78,75, 76,88, 89,P151, P152,159, P143, P145,138, 139,107,108,117,118
		अवैध कटाई	-	130,132,88,89,P107,P108,
		अवैध उत्खनन	-	141
3.	नजीराबाद	अवैध अतिक्रमण	25,26,P48,P49,P50,85,86,87	P61,P62,32,33,39,41, 1,2,3,4,5,62,63
		अवैध कटाई	25,26,P48,P49,P50	32,33,39,41,P42,P43,P44,1,2,3,4, 5,25,26,P48,P49,P50
		अवैध उत्खनन	-	6,11,18,37,39

18.5.2.2 अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला सीमा –

वनमण्डल की सीमा म0प्र0 राज्य के अन्य जिलों के साथ सीमा बनाती है जिसका विवरण तालिका क्रमांक 18.11 अनुसार है –

तालिका क्र. – 18.11
सीमा का विवरण

क्र.	जिले का नाम	परिक्षेत्र जिनकी सीमा लगी है
1	राजगढ़	नजीराबाद
2	गुना	नजीराबाद
3	विदिशा	बैरसिया
4	रायसेन	समर्धा
5	सीहोर	समर्धा

18.5.2.3 मानव संसाधन –

भोपाल वनमण्डल के वनक्षेत्रों की सुरक्षा हेतु वनमण्डल में पदस्थ वन कर्मचारियों एवं अधिकारियों का विवरण तालिका क्रमांक 18.12 अनुसार है –

तालिका क्र. – 18.12
वनमण्डल में पदस्थ वन कर्मचारियों एवं अधिकारियों का विवरण

क्र.	पद	अधिकारी/कर्मचारी संख्या	औसत आयु
1	2	3	4
1	वन मण्डलाधिकारी	1	56 वर्ष
2	उप वन मण्डलाधिकारी	2	59.5 वर्ष
3	वनक्षेत्रपाल	7	40 वर्ष
4	उपवनक्षेत्रपाल	9	57 वर्ष
5	वनपाल	30	55 वर्ष
6	वनरक्षक	151	46 वर्ष
7	शीध्र लेखक	1	48 वर्ष
8	सहायक ग्रेड–1	2	60.5 वर्ष
9	लेखापाल	2	59 वर्ष
10	सहायक ग्रेड–2	2	59 वर्ष
11	सहायक ग्रेड–3	16	48 वर्ष

- वनमण्डल में पदस्थ वनक्षेत्रपाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की औसत आयु 40 से 56 वर्ष के बीच है। उप वन क्षेत्रपाल तथा वनपाल के पदों पर पदस्थ कर्मचारियों की औसत आयु 55 से 57 वर्ष के बीच है तथा वन रक्षकों की औसत आयु 46 वर्ष है।
- इस प्रकार वनमण्डल में वन सुरक्षा कार्यों की चुनौतियों को देखते हुए अधिकारी/ कर्मचारियों की औसत आयु अधिक है। वन क्षेत्रपाल

एवं अधिनस्थ वन कर्मियों को अपने शासकीय कर्तव्य के दौरान ज्यादातर शारीरिक परिश्रम के ही कार्य करने होते हैं जिसके मद्देनजर औसत आयु बहुत अधिक होना वन सुरक्षा की दृष्टि से लाभकारी नहीं है।

- कई वनकर्मी एक ही पदस्थिति स्थान पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं, एक ही स्थान पर वन कर्मियों का लम्बे समय तक कार्यरत रहना भी वन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से सही नहीं है।

18.5.2.4 उपलब्ध अधोसंरचना – वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु वन कर्मियों का आधुनिक उपकरणों तथा वाहनों जैसी अधोसंरचना से सुसज्जित होना एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। भोपाल वनमण्डल में वर्ष 2018 की स्थिति में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है –

- **वाहन –** वनमण्डल में वाहनों का अभाव है। वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियों में वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु सहायक परिक्षेत्र स्तर तक का वाहनों से सुसज्जित होना आवश्यक है। वनमण्डल में वाहनों की स्थिति में हाल ही में बहुत सुधार हुआ है। वाहनों के साथ–साथ उनकी मरम्मत एवं परिचालन हेतु बजट की भी एक समस्या बनी रहती है। तेन्दूपत्ता संग्रहण काल की अवधि में लगभग तीन माह हेतु किराये के वाहन उपलब्ध रहने से उस अवधि में वाहनों की समस्या से कुछ राहत प्राप्त होती है, किन्तु वर्ष की शेष अवधि में वाहन समस्या बनी रहती है।

- **आवास व्यवस्था –** वन कर्मियों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है जिसके लिए उनकी समुचित आवास व्यवस्था अति आवश्यक है। वनमण्डल अन्तर्गत भवनों की सूची परिशिष्ट क्रमांक–48 में दर्शित है। भोपाल वनमण्डल में वनकर्मियों हेतु आवासीय व्यवस्था का अभाव होने के कारण वनकर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी किराये योग्य मकानों का अभाव रहता है जिस कारण वन कर्मियों के लिए आवास सुविधा पर्याप्त न होने के कारण मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है।

18.5.2.5 संचार माध्यम – वनों की सुरक्षा में संचार माध्यमों का विशेष महत्व है। संचार के सर्वाधिक प्रचलित माध्यम दूरभाष एवं वायरलेस हैं, जिनकी वनमण्डल में स्थिति निम्नलिखित तालिका अनुसार है –

तालिका क्र. – 18.13
(अ) वायरलेस

क्र.	वायरलेस	संख्या
1	फिक्सड सेट	85

वनमण्डल भोपाल में वर्ष 2003 से उपलब्ध वायरलेस सेट पूर्णतः अनुपयोगी एवं खराब स्थिति में बंद है। वर्तमान में वायरलेस संचार की व्यवस्था कार्यशील नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित ऐसे क्षेत्र जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, उन क्षेत्रों में वायरलेस संचार एक कारगर व्यवस्था हो सकती है। अतः वायरलेस संचार व्यवस्था को कार्यशील करना अतिआवश्यक है।

तालिका क्र. – 18.14
(ब) दूरभाष

क्र.	अधिकारी	संख्या	कितने अधिकारियों के कार्यालय पर दूरभाष/मोबा. स्थापित है	कितने अधिकारियों के निवास पर दूरभाष स्थापित है।
1	वनमण्डलाधिकारी	1	1	0
2	उप–वनमण्डलाधिकारी	0	0	0
3	परिक्षेत्र अधिकारी	1	1	0

वनमण्डल में मोबाइल फोन हेतु शासकीय सिमों (CUG) का भी आंवटन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया हैं, जिसमें आपस में बात करने पर कोई शुल्क नहीं देना होता है। वनमण्डल में कुल ऐसी 60 सिम आवंटित हैं जिसमें से 25 सिम कार्यशील हैं। शेष सिम को प्राथमिकता से कार्यशील करवाया जाये। वनमण्डल के कुल अमले के हिसाब से यह संख्या काफी कम है। अतः शेष समस्त अमले को भी उक्त शासकीय सिम उपलब्ध करायी जाना चाहिये।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भोपाल वनमण्डल में पर्याप्त संचार साधनों का अभाव है। आज के संचार माध्यमों के युग में संचार साधनों की कमी निःसंदेह कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती है।

18.5.2.6 जी.पी.एस. उपकरण– ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) उपकरण नेविगेशन एवं लोकेशन ज्ञात करने का बहुत ही उपयोगी उपकरण है। भोपाल वनमण्डल में जी.पी.एस. उपकरणों की उपलब्धता के साथ–साथ इन्हें उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण की भी नितान्त आवश्यकता है।

18.5.2.7 हथियार – भोपाल वनमण्डल में परिक्षेत्र बैरसिया/नजीराबाद में 1, 12–बोर एवं 14 पंप एक्शन गन एवं 1 पिस्टल, परिक्षेत्र समर्धा में 1, 12–बोर तथा 11 पंप एक्शन गन एवं 1 पिस्टल, उड़नदस्ता में 2, 12–बोर एवं 5 पंप एक्शन बन्दूक एवं 1 पिस्टल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 10 पंप एक्शन बंदूक प्रशिक्षण हेतु रिजर्व की गई हैं। इन शस्त्रों का यदाकदा ही उपयोग होता है। वनमण्डल का काफी बड़ा क्षेत्र खनन माफियाओं से प्रभावित है, ऐसे में वनकर्मियों का पर्याप्त आग्नेय शस्त्रों से सुसज्जित नहीं होना वन सुरक्षा कार्य को प्रभावित करता है। कई वनकर्मी आत्मरक्षा हेतु स्वयं के निजी अनुज्ञा वाले आग्नेय शस्त्रों को गश्त के दौरान साथ रखते हैं, जिससे गश्ती दल को बहुत सहारा रहता है। इन हथियारों की समय–समय पर साफ सफाई करना अति आवश्यक है जिसका वनमण्डल में अभाव है। हथियारों के रखरखाव/संचालन एवं इनका नियमित प्रशिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिये।

18.5.2.8 विशेष सशस्त्र बल – वनों की सुरक्षा कार्य में सहयोग करने हेतु वनमण्डल में विशेष सशस्त्र बल भी उपलब्ध नहीं है। अवैध उत्खनन की बढती घटनाओं को ध्यान में रखते हुये वनमण्डल में विशेष सशस्त्र बल की अत्यंत आवश्यकता है। वनमण्डलाधिकारी आवश्यकता का आंकलन कर मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्तावित करें।

18.5.2.9 वन चौकी प्रणाली – भोपाल वनमण्डल अन्तर्गत वनों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 03 परिक्षेत्रों में कुल 3 वनचौकियां कार्यरत हैं। बीटों के मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–अलग स्थानों पर एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं तथा परिक्षेत्र सहायक मुख्यालय से भी बीट गार्ड मुख्यालयों की दूरी सामान्यतया बहुत अधिक है। इस प्रकार वनों की सुरक्षा में जो वन अमला लगा हुआ है वह अलग–अलग, असंगठित तथा निहत्था है जिसके पास वाहन एवं संचार साधनों का भी अभाव है। वहीं दूसरी

ओर वनक्षेत्र में अवैध गतिविधियों, विशेषकर अवैध उत्खनन, में लिप्त व्यक्ति संगठित, हथियार, वाहन तथा संचार माध्यमों से सुसज्जित हैं। भोपाल वनमण्डल में वनभूमि पर अवैध उत्खनन इन्हीं संगठित समूहों द्वारा किया जाता है तथा वन भूमि पर अतिक्रमण भी ज्यादातर व्यक्तियों के समूहों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार वनक्षेत्रों में संगठित समूहों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु वनकर्मी अलग–अलग एवं अकेले होने के कारण कई बार स्वयं को असहाय पाते हैं। इन परिस्थितियों में वनक्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि संवेदनशील क्षेत्रों में वन सुरक्षा कार्यों में पदस्थ अमला संगठित होकर वनक्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करे तथा स्वयं भी सुरक्षित रह सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भोपाल वनमण्डल में वन चौकी व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

इन **वन चौकी** का एक प्रभारी अधिकारी बनाने के साथ–साथ सभी बीटगार्डों एवं कुछ दैनिक वेतन श्रमिकों को भी **वन चौकी** में शामिल किया गया है। इन **वन चौकी** के माध्यम से सामूहिक रूप से वन सुरक्षा कार्य के साथ–साथ वन अपराध अन्वेषण कार्य तथा अन्य वानिकी गतिविधियों को क्रियान्वित करने का उद्देश्य रखा गया है।

18.5.2.10 वन अपराधों में लिप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही – वनमण्डल में घटित होने वाले वन अपराधों की रोकथाम हेतु वनमण्डल के अमले द्वारा प्रकरण दर्ज करने के साथ–साथ वनोपज, वाहन, हथियार आदि जप्त किए गये हैं। वन अपराधों का विवरण परिशिष्ट क्रमांक–90 में दिया है। वाहनों को जप्त करने के साथ–साथ इन वाहनों के राजसात की भी कार्यवाही अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। गत कार्य आयोजना अवधि में उप वनमण्डल स्तर पर कुल 122 प्रकरणों में 126 वाहन राजसात किये गये।

18.5.3 रणनीति – इस अध्याय में दिए गये विवरण से स्पष्ट है कि भोपाल वनमण्डल में वनों को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों में वनों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, अग्नि तथा अवैध चराई प्रमुख गतिविधियाँ हैं। ये सभी गतिविधियाँ मानव जनित हैं जो कई बार एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जैसे कभी अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण हेतु अवैध कटाई की जाती है तो कभी

अतिक्रमण हेतु वनों में अवैध चराई एवं अग्नि लगायी जाती है। कभी पशुओं को चारा देने हेतु अवैध कटाई/लॉपिंग की जाती है तो कभी अतिक्रमण की गतिविधि के दौरान अन्य वनक्षेत्रों में भी अग्नि फैल जाती है। इस प्रकार उपरोक्त समस्याऐं एक–दूसरे से जुड़ी हैं तथा किसी क्षेत्र में एक साथ भी घटित होतीं देखी जा सकतीं हैं, इसके बावजूद इन समस्याओं से गंभीर तरीके से निपटने हेतु इन्हें पृथक रूप से भी देखना उचित होगा। इसी उद्देश्य से सभी कारकों हेतु कुछ उपचार समान रखे गए हैं एवं कारक विशेष हेतु विशेष उपचार दिए गए हैं। इन उपचारों के क्रियान्वयन हेतु शासन के प्रचलित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तालिका क्र. – 18.15

वन अपराध हेतु परिक्षेत्रवार संवेदनशील बीटें

परिक्षेत्र	बीट
वैरसिया	दामखेड़ा , सुहाया , मूड़ला चट्टान , कड़ैया शाह , गुनगा , कलारा , भोजपुरा , कढईया–खो
नजीराबाद	कोलू खेड़ी, खैरखेड़ा, गढ़ा ब्राहमण, गढ़ा, हरीपुर, बीलखो, चन्दपुरा, मझेड़ा, खण्डारिया, सिंधौड़ा
समर्धा	बालमपुर , अमोनी , प्रेमपुरा, खजूरी, गोल, भानपुर, समसपुरा

❖ **सभी कारकों हेतु समान उपचार –**

A.1 संवेदनशील बीटों की पहचान–समस्या विशेष हेतु संवेदनशील बीटों की पहचान की जायेगी।

A.2 संवेदनशील क्षेत्रों में उचित कार्मिकों की पदस्थापना, विशेषकर युवा वर्ग के वनरक्षकों की पदस्थिति के प्रयास किए जायेंगे।

A.3 सभी क्षेत्रों में बीट निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया जायेगा।

A.4 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु रोस्टर तैयार कर विशेष गश्त एवं निगरानी की व्यवस्था की जायेगी जिसमें विशेष सशस्त्र बल का भी भरपूर उपयोग किया जायेगा।

A.5 वनमण्डल की बीटों का **वन चौकी** व्यवस्था के लिए पुनर्गठन कर चिन्हित किये गये स्थानों में **वन चौकी** की स्थापना की जायेगी।

A.6 रिक्त पदों को भरने हेतु शासन के निर्देशानुसार नियमित रूप से कार्यवाही की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संवेदनशील

क्षेत्रों में कभी भी पद रिक्त न रहे तथा किसी क्षेत्रीय कर्मचारी के पास दोहरा प्रभार भी न हो।

A. 7 वनमण्डल में प्रभावी संचार प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए निम्नानुसार व्यवस्था के प्रयास किए जाने चाहिए।

(क) वायरलेस – आदर्श व्यवस्था तो यह है कि सभी बीट गार्डों के पास वायरलेस सुविधा हो क्योंकि वह वनक्षेत्रों में अलग–अलग गश्त करते हैं तथा कई बार उन्हें आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की जरूरत होती है। फिर भी वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए परिक्षेत्र सहायक स्तर पर हैण्डसेट होना जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए वनमण्डल में वायर लेस सेट की आवश्यकता का विवरण तालिका क्रमांक 18.16 अनुसार है–

तालिका क्र. – 18.16

वनमण्डल में वायर लेस सेट की आवश्यकता का विवरण

क्र.	वायरलेस	विवरण	आवश्यक संख्या
1	फिक्स्ड	व.म., परिक्षेत्र एवं प.स.मुख्यालय	16
2	मोबाईल	वन चौकी वाहन अन्य चार पहिया वाहन	14
3	हैण्डसेट	व.म.अ., उपव.म.अ., परिक्षेत्र अधिकारी व प.स.	65

वायरलेस उपलब्ध कराते समय फिक्स्ड सेट के साथ पावर बैक अप की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अनुपलब्धता के समय भी वायरलेस प्रणाली चालू रहे। इसी प्रकार हेण्डसेट के साथ भी अतिरिक्त बैटरी की व्यवस्था उपलब्ध रखने के प्रयास किये जायेंगे। सभी सेट्स के 10 प्रतिशत सेट अतिरिक्त रखे जाने चाहिए जो मरम्मत के समय उपयोग किए जा सकें।

(ख) दूरभाष– वनमण्डल में दूरभाष कनेक्शन की आवश्यकता का विवरण तालिका क्रमांक 18.17 अनुसार है –

तालिका क्र. – 18.17
दूरभाष की आवश्यकता

क्र.	दूरभाष सेट	व.म.अ	उप व.म.अ	पं.अ
1	आवश्यकता	2	2	6
2	उपलब्धता	2	0	0
3	शेष आवश्यकता	0	2	6

(स) कम्प्यूटर – आज के आधुनिक युग में संचार माध्यमों में कम्प्यूटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गयी है। सभी परिक्षेत्रों में दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉब रेट पर कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से वन विभाग के दैनिक कार्यों के अलावा विभाग के समस्त Application एवं Software का संचालन किया जाता है। विभाग के फ्रंट लाइन अमले को भी कम्प्यूटर संचालन में दक्ष किये जाने की आवश्यकता है। इन कम्प्यूटर्स के माध्यम से वन अपराधों के विस्तृत विवरण एवं जानकारी संधारण का भी कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रत्येक परिक्षेत्र सहायक स्तर पर कम्प्यूटर प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है जो इन्टरनेट से युक्त हो।

A.8 वनों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त हथियार मुहैया कराने के प्रयास किए जायेंगे तथा इन हथियारों के उपयोग एवं रखरखाव बावत् नियमित प्रशिक्षण कराया जायेगा।

A.9 वनसुरक्षा के लिए त्वरित आवागमन नितान्त आवश्यक है, जिसके लिए वनमण्डल में पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक चरण में प्रत्येक परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक वाहन का होना एक जरूरत है, जिसके अनुसार वनमण्डल में वाहनों की आवश्यकता तालिका क्रमांक 18.18 अनुसार है –

तालिका क्र. – 18.18
वनमण्डल में सरकारी वाहनों की आवश्यकता

क्रं.	अधिकारी	वनमंडल अधिकारी	उपवनमंडलाधिकारी	परिक्षेत्र अधिकारी	उड़नदस्ता	वन थाना
1	आवश्यकता	1	2	6		केरवा चौकी–2 सूखी सेवनिया–1
2	उपलब्धता	1	2 पुरानी	0	1	बैरसिया– 1 ट्रैक्टर ट्राली नजीरबाद–1 ट्रैक्टर ट्राली
3	शेष आवश्यकता	0	2	6		5

वर्तमान में परिक्षेत्र स्तर पर वन सुरक्षा हेतु किराये के वाहन उपलब्ध हैं राजसात वाहनों को भी वन सुरक्षा कार्य में उपयोग किया जा रहा है। जिससे वन सुरक्षा में काफी सहायता प्राप्त हुई है।

A.10 **भोपाल वनमण्डल में वनमार्गों** की लम्बाई 564 कि.मी. है। अधिकांश मार्ग पक्के हो गये हैं। जिनका उचित रखरखाव किया जायेगा ताकि पर्यवेक्षण कार्य अधिक प्रभावी रूप से हो सके। इन मार्गों को ज्यादा से ज्यादा बारहमासी बनाये रखने का प्रयास किया जायेगा ताकि वर्षा ऋतु में भी वनों के अन्दरूनी भाग तक पहुँचा जा सके। भोपाल वनमण्डल के वनमार्गों का विवरण परिशिष्ट क्रमांक–49 में दिया है।

A.11 भोपाल जिले के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन का कार्य हो चुका है। अतः वन सुरक्षा में आधुनिक तकनीकी यथा G.I.S. एवं G.P.S. का उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए वनकर्मियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

A.12 वनसुरक्षा हेतु अच्छा गोपनीय तंत्र विकसित होना एक प्राथमिकता है, जिसे विकसित करने में पारंगत हासिल करने हेतु वन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराने के प्रयास किए जायें। इस कार्य हेतु गोपनीय निधि का समुचित उपयोग किया जाये।

A.13 वन सुरक्षा में अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को पुरूष्कृत करने की व्यवस्था की जाये।

A.14 वन सुरक्षा कार्य करने में स्थानीय ग्राम वन समिति तथा वन सुरक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा, जिसके लिए आलेख भाग–2 अध्याय–7 में दर्शाये अनुसार वन समितियों को सक्रिय एवं क्रियाशील बनाये रखने हेतु कार्यवाही की जाये।

A.15 संवेदनशील मार्गों पर चैक पोस्ट का निर्माण किया जायेगा, जिन्हें संचार के साधनों से सुसज्जित करने की कार्यवाही की जाये।

A.16 वन अपराध प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य में उपवनमण्डलाधिकारी की भूमिका सबसे

महत्वपूर्ण होती है। उप वनमण्डलाधिकारी को प्रत्येक माह वन अपराध प्रकरणों की प्रगति की परिक्षेत्र सहायक वार समीक्षा करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि प्रकरण कालातीत न हो तथा प्रकरण में जप्त वनोपज के विधिवत निर्वर्तन की कार्यवाही समय पर की जाये।

A.17 वनों की उपयोगिता बावत् प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा स्थानीय जनता में जन जागरण का कार्य सतत् रूप से किया जाये।

A.18 वनों की सुरक्षा में सीमाओं के रखरखाव की अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन सीमाओं पर मुनारों का निर्माण जी.पी.एस. एवं सर्वेक्षण पद्धति की सहायता से स्थान निर्धारित कर किया जायेगा। सर्वेक्षण एवं संचार प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिक्षेत्र में सर्वे उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ–साथ परिक्षेत्र सहायक स्तर के अधिकारियों को जी.पी.एस. उपकरण उपलब्ध कराये जायें। वनमण्डल भोपाल में इन उपकरणों की तालिका क्रमांक 18.19 अनुसार आवश्यकता होगी –

तालिका क्र. – 18.19
उपकरणों की आवश्कता

क्र	उपकरण	वनमण्डल	उप वनमण्डल	परिक्षेत्र	उडनदस्ता	प.सहायक	योग
1	प्रिज्मेटिक कम्पास मय ट्रायपोड स्टेण्ड	1	1	3	1	–	**6**
2	सिल्वा कम्पास	1	1	3	1	–	**6**
3	डिजिटल कम्पास	1	1	3	–	–	**5**
4	हागा अल्टीमीटर	1	1	3	1	–	**6**
5	लेजर रेंज फाइंडर	1	1	3	1	–	**6**
6	डिजिटल कैमरा	1	1	3	1	–	**6**
7	जी.पी.एस.	1	1	3	1	20	**26**
8	ड्रोन	1	2	–	–	–	**3**
9	स्टन गन	0	0	–	1	50	**51**
10	ट्रैप कैमरा	–	–	20	–	–	**20**
11	लाइव वायर डिटेक्टर	–	–	5	–	–	**5**
12	गश्ती दल के लिये किट	–	–	10	1	20	**31**

A..19 पंचशाला सीमांकन योजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाये। वन सीमाओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

क्योंकि भोपाल वनमण्डल अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन हेतु ज्यादा संवेदनशील है जिसमें अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा वन सीमा विवाद का भी लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। वनमण्डल में सर्वेयर की कमी है किन्तु अब आधुनिक तकनीकी के रूप में जी.आई.एस. तथा जी.पी.एस. की सुविधा उपलब्ध है, जिसके सहयोग से वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी तथा परिक्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में भ्रमण के समय वन सीमाओं की चैंकिंग करते रहना चाहिए। विभिन्न कार्यवृत्तों के उपचार कूप/पातन कूप यदि कार्य योग्य नहीं भी पाये जाते हैं तो भी इन कूपों का ले–आउट एवं सीमांकन कार्य सुनिश्चित किया जाये, जिससे वनकर्मियों द्वारा सीमाओं की चैंकिंग भी हो जाये।

A..20 बीट गार्ड तक के कर्मचारी को बीट मैप 1:12500 के स्केल पर प्रदान किये जाये।

A..21 वन कर्मचारियों की आवास व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

A.22 यह प्रयास किया जाना चाहिए कि कोई भी क्षेत्रीय कर्मचारी एक स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक पदस्थ न रहे। बहुत अधिक समय पर एक ही स्थान पर कार्यरत रहने से वनकर्मी की क्षमता में गिरावट आने के साथ–साथ वह स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित भी होने लगता है। नवीन स्थान पर जाने से वनकर्मी पुनः नये उत्साह से कार्य करता है जिसे देखते हुए पदस्थिति में समय–समय पर परिवर्तन आवश्यक है।

A.23 वन कर्मचारियों की मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र में उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। वनकर्मियों के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे कि आवास व्यवस्था का अभाव, वनकर्मियों के बच्चों एवं परिवार हेतु शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, विभिन्न जानकारियां प्रदाय करने हेतु वन रक्षकों व परिक्षेत्र सहायकों का परिक्षेत्र मुख्यालय तथा उप वनमण्डल व वनमण्डल कार्यालय आना जाना। चाहे जो भी कारण हो, यह निर्विवाद सत्य है कि वनकर्मी यदि अपने मुख्यालय पर

नहीं रहेंगे तो वनों की सुरक्षा संभव नहीं है। मुख्यालय पर नहीं रहने से वनकर्मी क्षेत्र की सूचनाओं एवं गतिविधियोँ से अनभिज्ञ हो जाता है तथा संयुक्त वन प्रबन्धन से जुड़ी वन समितियों के सक्रिय सदस्यों का भी उस पर विश्वास समाप्त हो जाता है। अतः वन सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर वनकर्मी अपने मुख्यालय क्षेत्र में ही निवास करें तथा उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर उनसे जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्वयं तथा उनके अधीनस्थ अपने मुख्यालय क्षेत्र से बिना अनुमति के अनुपस्थित न रहें।

A..24 वन अपराध में जप्तशुदा वाहनों के राजसात की वैधानिक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।

A..25 वर्तमान व्यवस्था में परिक्षेत्र कार्यालय एवं उपवनमण्डल कार्यालय में लिपिकीय वर्ग की बहुत कमी है जबकि कार्य बहुत बढ़ चुका है। इसमें सुधार हेतु इन कार्यालयों को सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जाना चाहिए ताकि इन्हें और अधिक चुस्त–दुरस्त बनाया जा सके।

A..26 वन कर्मचारियों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे उन्हें वन अपराधों के सम्बन्ध में नियमों तथा कानूनों का ज्ञान प्रदान करने के साथ–साथ विभिन्न परिस्थितियों से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। वनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियम एवं नियम वर्तमान में प्रचलित हैं जिनका विस्तृत ज्ञान व जानकारी न होने के कारण वनकर्मियों द्वारा वन अपराध प्रकरणों के पंजीकरण, विवेचना तथा न्यायालय/सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कई त्रुटियां की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण कमजोर हो जाता है तथा अपराधी इसका लाभ उठा लेते हैं। वर्तमान युग में वन अपराधी साधनों से सुसज्जित होने के साथ–साथ कानूनी ज्ञान तथा दूसरे पक्ष की कमजोरियों से भी पूर्णतः वाकिफ होकर अपने बचाव की तैयारी पूर्व से ही कर लेता है। कई बार अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति स्थानीय ग्रामीणों

को भ्रमित कर भी अपने बचाव में उपयोग करते हैं। इन बदलती परिस्थितियों में वनकर्मियों का भी साधनों के साथ–साथ ज्ञान व कौशल से सुसज्जित होना नितान्त आवश्यक है जिसके लिए विभिन्न विषयों पर उन्हें सतत् प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था अतिआवश्यक है जिनके माध्यम से वन कर्मियों के कौशल एवं क्षमता विकास किया जाना समय की मांग है।

A.27 वन अपराधों के समय देखने में आता है कि अपराधियों द्वारा अपनी ओर से महिलाओं को आगे कर दिया जाता है जिससे वनकर्मी कार्यवाही करने में झिझकते हैं व भयभीत हो जाते हैं। अब वन विभाग में भी महिला वनरक्षक पदस्थ हो रहे हैं जिन्हें इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में प्रशिक्षित किया जाकर उनका सहयोग लिया जाये।

A.28 भोपाल जिले में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में टास्कफोर्स गठित की गई है जिसमें पुलिस अधीक्षक तथा वनमण्डलाधिकारी भी शामिल हैं। टास्कफोर्स की नियमित बैठक कर पुलिस एवं राजस्व विभाग का वन सुरक्षा कार्यों में सहयोग लिया जाये।

B. अवैध कटाई पर नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बिन्दु :–

B.1 भोपाल जिले में चूंकि अधिकांश अवैध कटाई निस्तारी उद्देश्य के लिए होती है अतः ग्रामीणों की वनोपज की मांग की आपूर्ति वैधानिक तरीके से पूर्ण करने के प्रयास किए जायेंगे। कार्य आयोजना में इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण कार्यवृत्त का गठन किया गया है। इन कार्यवृत्त के उपचारों के प्रभावी क्रियान्वयन से अवैध कटाई की समस्या पर निश्चित ही अंकुश लगाया जा सकता है।

B.2 ग्रामीणों की मांग की वनोपज की पूर्ति हेतु वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल के सहयोग से कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जायेगा। भोपाल वनमण्डल में ग्रामीणों द्वारा वनक्षेत्र में अवैध कटाई मुख्यतः जलाऊ लकड़ी, छोटी इमारती काष्ठ, चारा तथा कंटीली झाड़ियों हेतु की जाती है। ग्रामीणों की इन वनोपजों की मांग हेतु वनक्षेत्रों पर आश्रित

होने की प्रवृत्ति को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए जिसके लिए कृषि वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों को अपने निजी कृषि क्षेत्रों में कृषि फसल के साथ–साथ मेढ़ों पर उपरोक्त वनोपज प्रदाय करने वाली प्रजातियों के रोपण हेतु भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ग्रामीणों द्वारा फसल बुआई के बाद अपने खेतों में कंटीली झाड़ियों से बागड़ की जाती है जिसके लिए उनके द्वारा वनक्षेत्रों से झाड़ियां लाकर लगायी जाती हैं जिनके साथ युवा पौध भी कट जाती है। फलस्वरूप वनों को झाड़ियों के साथ–साथ महत्वपूर्ण प्रजातियों की युवा पौध का भी नुकसान होता है। इसके विकल्प के तौर पर यदि ग्रामीणों द्वारा खेतों की मेढ़ों पर रतनजोत, अरण्डी, केतकी, प्रोसोपिस आदि लगाकर जीवित बागड़ (lives hedge) की जाती है तो उन्हें बागड़ के साथ–साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है तथा बार–बार बागड़ बदलने से भी मुक्ति मिल सकती है। इसी प्रकार खेत की मेढ़ों पर बबूल, रेमझा, आदि के पौधे लगाने से जलाऊ व चारा के साथ–साथ छोटी इमारती काष्ठ की मांग भी पूरी की जा सकती है। अतः इस तरह की विभिन्न तकनीकों एवं पद्धतियों से ग्रामीणों को अवगत कराकर उन्हें कृषि वानिकी अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

B.3 ग्रामीणों को वनोपज के वैकल्पिक साधनों के बावत् जानकारियाँ दी जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वनोपज की खपत जलाऊ लकड़ी के रूप में होती है। यह वनक्षेत्रों से आसानी से प्राप्त होने के कारण उपयोग भी किफायती रूप से नहीं किया जाता है अर्थात् उपयोग के साथ–साथ फिजूलखर्ची भी बहुत होती है। ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक साधन जैसे गोबर गैस, गोबर के कण्डे, सोलर कुकर आदि का ग्रामीणों में प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए तथा वन समितियों के माध्यम से इन प्रणालियों के मॉडल का प्रदर्शन भी ग्रामों में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीणों को ईंधन के किफायती उपयोग बावत् भी धुंआ रहित चूल्हा तथा उन्नत चूल्हा आदि विधियों से

उन्हें प्रदर्शन सहित अवगत कराना चाहिए। ग्रामीणों को कृषि अवशेष को ज्यादा से ज्यादा ईंधन के रूप में उपयोग हेतु भी प्रेरित करना चाहिए। इन कार्यों में कृषि विभाग, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग तथा ऊर्जा विकास निगम आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

B.4 सिर–बोझ से जलाऊ लाने की व्यवस्था पर नियंत्रण सुदृढ़ किया जायेगा ताकि सिर–बोझ सुविधा का दुरुपयोग न होने पाये। म0प्र0 शासन द्वारा निस्तार नीति के तहत ग्रामीणों को सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा की आड़ में कई बार हरे वृक्ष काट दिए जाते हैं तथा सूखने पर जलाऊ लकड़ी सिर बोझ से लायी जाती है। कई बार सूखी लकड़ी के साथ–साथ गीली लकड़ी भी लाई जाती है जिस पर नियंत्रण रखना नितान्त ही आवश्यक है ताकि शासन द्वारा दी गई सुविधा का दुरुपयोग न हो। इस कार्य में एक समस्या यह आती है कि वनों से सिरबोझ द्वारा जलाऊ लकड़ी काटकर लाने का कार्य ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है जिन पर कार्यवाही से वनकर्मी हिचकते हैं। अब वनमण्डल में महिला वनरक्षक भी कार्यरत हैं, अतः ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सिरबोझ से जलाऊ लकड़ी लाने की व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु इन महिला वनकर्मियों की सेवायें ली जानी चाहिए।

B.5 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर स्थित ढाबों पर निगरानी की व्यवस्था की जायेगी क्योंकि ये स्थान सिरबोझ के उपयोग के केन्द्र होते हैं। मार्ग पर जगह–जगह पर खाने के ढाबे बने हैं जिन पर भोजन पकाने हेतु ईंधन के रूप में ज्यादातर जलाऊ लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है। यह जलाऊ लकड़ी अधिकांश ढाबों पर वनक्षेत्रों से लाकर बेची जाती है, जिसमें गीली लकड़ी भी आती है। अतः इन ढाबों पर समय–समय पर निगरानी की जानी चाहिए ताकि इन पर अवैधानिक रूप से लायी गयी वनोपज की खपत को रोका जा सके।

C. अवैध उत्खनन पर नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बिन्दु :–

C.1 पुराने उत्खनन के गड्ढों में बीज बुआई/पौधारोपण आदि कार्य कर वनों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। भोपाल वनमण्डल के वनक्षेत्रों में पुराने उत्खनन के गड्ढे अभी भी मौजूद हैं जिनमें मिट्टी हटाकर पत्थर निकाला गया था। इन गड्ढों में कुछ स्थानों पर अभी भी मिट्टी के ढेर मौजूद हैं जिनका उपयोग बीजारोपण/वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को पुनर्जीवत करने हेतु किया जा सकता है। अतः इन गड्ढों पर वर्षवार कार्यक्रम तयकर स्थानीय प्रजाति के बीजों/पौधों का रोपण किया जाना चाहिए। अवैध उत्खनन हेतु संवेदनशील कक्षों की जानकारी परिशिष्ट क्रमांक–88 में संलग्न है। अवैध उत्खनन हेतु सर्वाधिक प्रभावित परिक्षेत्र बासोदा हैं। इस परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

C.2 नवीन उत्खनन के गड्ढों से निकाली गई मिट्टी को बुल्डोजर ट्रेक्टर आदि की सहायता से वापस भरा जायेगा। नवीन उत्खनित गड्ढों में भू एवं मृदा क्षरण की भी संभावनायें बनी रहती हैं तथा अवसर पड़ने पर इन गड्ढों से वन अपराधियों द्वारा पुनः अवैध उत्खनन का प्रयास किया जाता है क्योंकि उन्हें उन स्थानों से पुनः मिट्टी हटाने पर व्यय नहीं करना पड़ता है। अतः ऐसे नवीन उत्खनन के गड्ढों में जहाँ संभव हो वहाँ ट्रेक्टर या बुलडोजर की मदद से मिट्टी वापस भरकर इन पर भी बीज बुआई/पौधारोपण की कार्यवाही की जानी चाहिए।

C.3 वनक्षेत्रों में वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जायेगा। अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा वनक्षेत्रों से पत्थर निकासी हेतु वाहन चला चलाकर कई तरह के कच्चे मार्ग बना दिए जाते हैं जिससे वनों को उत्खनन के साथ–साथ अन्य रूप से भी क्षति पहुँचती है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वनक्षेत्रों में इस प्रकार कच्चे मार्ग न बनने पायें तथा वनक्षेत्रों के अन्दर जाने वाले वैध मार्गों पर भी वाहन विशेषकर ट्रक व

ट्रेक्टर के आवागमन को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी बेरियर भी स्थापित किए जाने चाहिए।

C.4 कई बार देखने में आया है कि वनक्षेत्रों के समीप के राजस्व क्षेत्र में खनन लीजकर्ताओं द्वारा वनक्षेत्रों में भी अवैध रूप से उत्खनन कर दिया जाता है तथा राजस्व क्षेत्र की लीजशुदा खदान से पिटपास जारी कर इसे वैध रूप देने का प्रयास किया जाता है। एक बार वैध पिटपास प्राप्त होने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही में कई तरह की अड़चनें आती हैं। अतः इसकी रोकथाम हेतु राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वनक्षेत्र के समीप के क्षेत्रों में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक वन विभाग से चर्चा उपरांत ही खदानों के प्रकरणों पर निर्णय लिया जाये। वनक्षेत्रों के समीप की राजस्व क्षेत्र की खदानों पर भी शासन द्वारा किये गये निर्देशानुसार राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर वन विभाग द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

C.5 अवैध उत्खनन हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्त की व्यवस्था की जायेगी तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जायेगा। अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु संवेदनशील क्षेत्र पर लगातार निगरानी तथा कार्यवाही अतिआवश्यक है क्योंकि अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा भारी राशि व्यय कर उत्खनन के गड्ढे लगाये जाते हैं जिन पर यदि प्रारम्भ में ही कार्यवाही हो जाती है तो निश्चित ही अवैध उत्खननकर्ता उससे हतोत्साहित होते हैं।

C.6 यह भी देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी छिपे वनक्षेत्रों से थोड़ा–थोड़ा पत्थर एकत्रित कर अपने घरों या खेतों में रखा जाता है, जिसे बाद में अवैध उत्खनन में लगे व्यक्तियों द्वारा ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा एकत्रित कर बाजार में पहुँचा दिया जाता है। इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए अवैध उत्खनन के लिये संवेदनशील क्षेत्रों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी रखी जाकर खनिज विभाग के सहयोग से कार्यवाही की जानी चाहिए।

D. अवैध चराई पर नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बिन्दु – अवैध चराई की रोकथाम के लिये निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगीः–

D.1 मध्यप्रदेश चराई नियम 1986 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इन नियमों में चराई पर नियंत्रण एवं नियमन हेतु विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें चराई दरें, चराई इकाई, धारण क्षमता, वनों में पशुओं का प्रवेश, चराई अनुज्ञप्ति, चराई हेतु निषिद्ध क्षेत्र आदि बावत् विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

D.2 बाहरी राज्य से आने वाले पशुओं को निर्धारित समय पर परिक्षेत्र की सीमा के बाहर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की जायेगी। राजस्थानी पशुओं को भोपाल जिले में अभिगमन हेतु परिक्षेत्र उत्तर लटेरी की सीमा से लगे मकसूदनगढ़ मार्ग– गुना वनमण्डल की सीमा का रूट निर्धारित है। जिसके लिए यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि ये पशु निर्धारित मार्ग का ही अनुसरण कर समय सीमा में जिले की सीमा से बाहर हो जायें। वनमण्डल के गश्ती दलों द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा कि ये पशु निर्धारित मार्ग का ही अनुसरण करें।

D.3 प्रत्येक वर्ष चराई से निषिद्ध किए गए क्षेत्रों का विशेष रूप से प्रचार–प्रसार किया जायेगा। वृक्षारोपण क्षेत्रों, पुनरूत्पादन क्षेत्रों तथा अन्य उपचारित क्षेत्रों को चराई के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रतिवर्ष निस्तार पुस्तिका में भी विवरण दिया जा रहा है। इन चराई से निषिद्ध क्षेत्रों की जानकारी ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों एवं वन समितियों के माध्यमों से ग्रामीण जनों को दी जायेगी तथा इसके उपयोग एवं महत्व से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए ताकि इस दिशा में ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो।

D.4 प्रतिवर्ष चराई से निषिद्ध किए जाने वाले वनक्षेत्रों के साथ–साथ प्रत्येक बीट हेतु वनक्षेत्रों में क्रमिक चराई का भी कार्यक्रम तैयार किया जाकर ग्रामीणों को इससे अवगत कराना चाहिए, जिससे ग्रामीणों को यह स्पष्ट

जानकारी हो जाये कि उनके पशुओं को उस वर्ष किस क्षेत्र में चराई की अनुमति है। क्रमिक चराई का कार्यक्रम तैयार करने में उचित होगा कि ग्रामीणों की राय को भी प्राथमिकता दी जाये तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रमिक चराई के कार्यक्रम में ग्रामीणों को पशु चराई में कोई विशेष व्यवहारिक अड़चन न आये तथा वे सहर्ष इसका पालन कर सकें। चराई हेतु निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने तथा क्रमिक चराई कार्यक्रम निर्धारित करने के साथ–साथ यह आवश्यक है कि प्रतिवर्ष चराई धारण क्षमता का भी निर्धारण किया जाये, जिसके लिए वन संरक्षक को प्रस्ताव प्रेषित कर चराई धारण क्षमता का निर्धारण कराया जायेगा।

D.5पशु पालन विभाग एवं जिला पंचायत से समन्वय कर पशु पालकों को अच्छी नस्ल के पशुओं को रखने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस कार्य में वन समितियां अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिसके लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण तथा जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए। पशुओं को खूंटे पर बांध कर खिलाने की प्रथा को प्रोत्साहित करना चाहिए।

D.6कार्य आयोजना के सभी कार्यवृत्तों में उपचारित क्षेत्रों को मुख्य उपचार उपरांत आगामी 5 वर्षों हेतु चराई से प्रतिबन्धित रखा है। जिसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

D.7सम्पूर्ण कार्य योजना क्षेत्र में पशु शिवरों को प्रतिबंधित करना चाहिए। यदि कोई शिविर वन सीमा के अंदर स्थापित है तो तत्काल हटाया जाना चाहिए।

D.8ग्राम पंचायतों के सहयोग से कांजी हाउस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत कांजी हाउस की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के अधीन है। चूंकि अवैध चराई पर नियंत्रण में उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही में कांजी हाउस की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः इन कांजी हाउस की व्यवस्था में सुधार हेतु जिला एवं जनपद पंचायतों से समन्वय कर सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।

E. अवैध शिकार पर नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बिन्दु :–

1. वन्य प्राणी संरक्षण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निम्न पत्र क्रमांकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी –
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./615 दिनांक 16.06.1999
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./237 दिनांक 08.03.1999
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./75 दिनांक 29.01.1999
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./248 दिनांक 13.03.2000
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./450 दिनांक 12.04.2002
7. वन संरक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं पर भी विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी
8. वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम विस्तार
9. बीटों में युवा वनरक्षकों की पदस्थिति।
10. सर्च वारंट जारी करने का अधिकार वन परिक्षेत्र अधिकारी को दिया जाना आवश्यक।
11. शस्त्र उपयोग संबंधी प्रशिक्षण।
12. परिक्षेत्र सहायक स्तर पर कम से कम एक महिला वनरक्षक की पदस्थिति।
13. वन हानि की वसूली में वन कर्मियों के साथ–साथ वन समितियों को भी शामिल करना।
14. प्रतिमाह एक पृथक बैठक सिर्फ वन सुरक्षा की समीक्षा एवं सुधार हेतु ।
15. दस हजार रूपये से अधिक मूल्य की वनोपज से संबंधित प्रत्येक वन अपराध को अभिसंधानित न करते हुए न्यायालय में चालान किया जाये।

इसी तरह वन्य प्राणियों से संबंधित सभी प्रकरण, अतिक्रमण के सभी प्रकरण, सर्च वारंट से संबंधित सभी प्रकरणों को भी अनिवार्यतः न्यायालय चालान किया जाये ।

16. अमले को पुरस्कार एवं दण्ड की उचित व्यवस्था रखी जाएगी।

F) अतिक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बिन्दु–

1. संवेदनशील क्षेत्रों की वर्षा ऋतु के दौरान विशेष निगरानी की जायेगी।
2. प्रत्येक बीट गार्ड को माह जून में संवेदनशील क्षेत्र के हिसाब से प्रोसापिस, खैर, बबूल, सफेद खैर, बेर, रेमझा आदि कांटेदार प्रजातियों के बीज प्रदाय किए जायेंगे, जिसे वह चौकीदारों एवं स्थानीय वन समिति के सहयोग से अतिक्रमित क्षेत्रों में छिड़काव करेगा। इन बीज के क्षेत्रवार उपयोग की समीक्षा परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रतिमाह की जायेगी।
3. वन सीमा के अंदर अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जाये, एवं अतिक्रमण हटाने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 'अ' एवं अन्य धाराओं के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किया जाये। इसके लिए अतिक्रमण हटाने के पूर्व अतिक्रामक को एक कारण दर्शाओ सूचना पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाये। समय सीमा में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसके अभ्यावेदन पर विचार कर आदेश पारित किया जाये। यदि अभ्यावेदन संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो बेदखली का आदेश जारी कर अतिक्रामक को स्वयं वनभूमि खाली करने हेतु 15 दिन का समय दिया जाये। उक्त समयावधि में वनभूमि खाली न करने पर बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स से चर्चा के उपरांत पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जाये। अतिक्रमण बेदखली की

कार्यवाही, अतिक्रामक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में की जाने वाली न्यायालयीन कार्यवाही के साथ साथ की जायेगी। अतिक्रमण बेदखली के कारण दर्शाओ सूचना पत्र एवं आदेश का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक–84 में दिया गया है।

4. वनमण्डल में बाहर से आये व्यक्तियों द्वारा भी अतिक्रमण किये जाते हैं। अतरू सामुहिक रूप से वन परिक्षेत्राधिकारी, बीटगार्ड एवं समितियों के माध्यम से इन बाहरी व्यक्तियों पर निगरानी रखी जायेगी।
5. वर्षा ऋतु के दौरान परिक्षेत्र स्तर पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु एक विशेष कार्यदल 24 घंटे तैयार रखा जायेगा, जो सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुँच सके।
6. वर्षा ऋतु में चूंकि कई क्षेत्र पहुँच विहीन हो जाते है। अतः पैदल गश्त का रोस्टर तैयार कर गश्त कराई जायेगी व विशेषकर अन्दरूनी हिस्सों में नदी, नालों तथा काली मिटटी वाले क्षेत्रों पर निगरानी रखी जाएगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रस्तावों पर तात्कालिक एवं दीर्घकालिक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है–

तात्कालिक कार्यवाही

1. **वन चौकी व्यवस्था :–** अति संवेदनशील क्षेत्र, विशेष रूप से वन्यप्राणी आवागमन क्षेत्रों में वन चौकी व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। वन चौकी में वायरलेस सेट, मोबाईल, जी.पी.एस., दूरभाष, वाहन, भवन, अस्त्र–शस्त्र इत्यादि होना आवश्यक है। वनमण्डल के कई क्षेत्रों में मोबाइल सेवायें काम नहीं करती हैं, अतः वायरलेस सेवाओं को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है।
2. **सतत गश्ती :–** नियमित बीट जांच के साथ साथ सामूहिक गश्ती नियमित रूप से की जाये। इसके लिए वन मण्डल स्तर पर एक रोस्टर बनाया जाकर प्रत्येक स्तर के वनाधिकारी हेतु रात्रि गश्ती एवं संवेदनशील क्षेत्र में आकस्मिक गश्ती/मानसून गश्ती का प्रावधान किया जाये।

3. **बिजली लाईन की निगरानी :–** वन्यप्राणी शिकार की रोकथाम हेतु बिजली लाईन पर सतत निगरानी की जाये। स्थानीय सबस्टेशन से नियमित रूप से बिजली ट्रिपिंग की जानकारी एकत्रित की जाकर समीक्षा की जाये। विद्युत करेण्ट से शिकार के समस्त पहलुओं पर वन कर्मचारियों–अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाये।

4. **जलस्त्रोतों की निगरानी :–** वन्यप्राणी शिकार के रोकथाम हेतु जलस्त्रोतों की निगरानी विशेषकर गर्मी के महीनों में सतत् रूप से किया जाये। जलस्त्रोत के स्थानीय नाम के अनुसार निगरानी पंजी में जलस्त्रोत का आकार एवं निरीक्षण का दिनांक अंकित किया जाये। पानी कम होने की दशा में स्थानीय व्यवस्था से जलस्त्रोत को जीवित रखने हेतु उपाय किये जायें। वनमण्डल के वनक्षेत्रों के अंदर तथा वनक्षेत्रों के निकट प्रस्तावित जलछिद्र एवं तालाबों की जानकारी परिशिष्ट क्रमांक 45 में दी गई है।

5. **वनोपज जांच नाका :–** वनमण्डल में स्थापित वनोपज जांच नाकों को सीमित करते हुये उन्हें आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित किया जाये। आवागमन के दौरान वाहनों की आकस्मिक जांच किया जाये। वाहन चालकों को वन अपराध के दाण्डिक प्रावधानों से समय–समय पर अवगत कराया जाये।

6. **वन सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन :–** वन सीमाओं का सर्वेक्षण कर स्पष्ट सीमाकंन मुनारों निर्माण करके किया जाये। पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त मुनारों का मरम्मत किया जाये।

7. **संयुक्त वन प्रबंधन :–** संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का वन अपराध रोकथाम हेतु एक अहम भूमिका है। सूचना तंत्र का विकास के साथ–साथ वनों की सुरक्षा हेतु सक्रिय रूप से सहयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जावेगा। वन अपराध के विभिन्न पहलुओं पर तथा रोकथाम हेतु विभिन्न अधिनियम एवं नियमों के संबंध में वर्ष में कम से कम 2 बार कार्यशाला आयोजित किया जाकर प्रशिक्षित किया जावेगा।

तालिका क्रमांक–18.20

परिक्षेत्रवार वन समितियों का विवरण

परिक्षेत्र	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
समर्धा	.	.	39	13594.79	39	13594.79
बैरसिया	.	.	50	11153.12	50	11153.12
नजीराबाद	.	.	37	10895.46	37	10895.46
योगः–	.	.	**126**	**35643.37**	**126**	**35643.37**

18.5.4 वन सुरक्षा हेतु दीर्घकालिक कार्यवाही एवं भविष्य की रणनीतिः–

समग्र रूप से वन सुरक्षा करने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये,

1. वन मण्डल स्तर पर एकीकृत वन सुरक्षा योजना एवं एकीकृत अग्नि सुरक्षा योजना बनाकर, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर, उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. विभिन्न प्रकार के अपराध हेतु संवेदनशील बीटों एवं क्षेत्रों की पहचान की जायेगी।
3. संवेदनशील क्षेत्रों में उचित संख्या में वन कर्मियों, यथासंभव युवा वर्ग के वनरक्षकों की पदस्थिति की जाये।
4. सभी क्षेत्रों में बीट निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया जायेगा। इस हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष–संरक्षण) के पत्र क्रमांक/संरक्षण/2476 भोपाल दिनांक 16/05/2016 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
5. संवेदनशील क्षेत्रों हेतु रोस्टर तैयार कर विशेष गश्त एवं निगरानी की व्यवस्था की जायेगी। संवेदनशील क्षेत्रों का बीट निरीक्षण अनिवार्य रूप से उप वन मण्डल अधिकारी यो वनमण्डलाधिकारी द्वारा तीन माह में एक बार किया जाना है।
6. वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह अधीनस्थों के साथ विशेष सुरक्षा बैठक आयोजित की जाये, जिसमें प्रत्येक वन अपराध प्रकरणवार समीक्षा की जाये।

7. विभिन्न न्यायालय में लंबित वन अपराध प्रकरणों की समीक्षा प्रति माह की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा अपराधियों को दण्डित कराने की कार्यवाही की जाये।
8. वनमण्डल में संचार प्रणाली को प्रभावी बनाया जाये।
9. वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक हथियार मुहैया कराया जाये तथा इनके उपयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण कराया जाये।
10. त्वरित आवागमन हेतु पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की जाये।
11. वन सुरक्षा में आधुनिक तकनीक यथा जी.आई.एस., जी.पी.एस. एवं मोबाइल मैपर का उपयोग किया जाये, जिसके लिए वनकर्मियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
12. अच्छा मुखबिर तंत्र विकसित किया जाये, जिसके लिए वन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
13. वन सुरक्षा में अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था की जाये।
14. वन सुरक्षा कार्य करने में स्थानीय ग्राम वन समिति तथा वन सुरक्षा समिति का सहयोग लिया जाये।
15. संवेदनशील मार्गों पर चैक पोस्ट का निर्माण किया जाये, जिसमें संचार के पर्याप्त संसाधन रखे जायें।
16. वन अपराध प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाये।
17. वन अपराध प्रकरणों में जप्त वनोपज के विधिवत निर्वतन की कार्यवाही समय पर की जाये।
18. बीट गार्ड तक के कर्मचारी को बीट मैप 1:12,500 के स्केल पर प्रदान किये जायें।
19. वन कर्मचारियों की आवास व्यवस्थाओं में सुधार किया जाये।
20. कोई भी क्षेत्रीय कर्मचारी एक स्थान पर सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक पदस्थ न रहे।

21. वन कर्मचारियों वन अपराधों से संबंधित नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी एवं विभिन्न परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाये।
22. महिला वन अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए महिला वनरक्षकों को प्रशिक्षित किया जाकर उनका सहयोग लिया जाये।
23. जिला स्तरीय टास्कफोर्स की नियमित बैठक कर पुलिस एवं राजस्व विभाग का वन सुरक्षा कार्यों में सहयोग लिया जाये।
24. अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार त्वरित रूप से की जावे, रिक्त कराये गये वनक्षेत्र में सी.पी.टी, फेंसिंग, रोपण की योतना तैयार कर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन उपरांत क्रियान्वयन किया जावे। आवश्यकतानुसार यांत्रिक या मशीन से गड्ढे की खुदाई कर भी अतिक्रमण को रोका जावे।
25. प्रत्येक माह बीटगार्ड से बीट खैरियत रिपोर्ट, जिसका प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक–85 में दिया गया है, प्राप्त कर परिक्षेत्र सहायक एवं परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा सत्यापित करते हुए वन मण्डल अधिकारी को भेजा जाये।
26. प्रत्येक वर्ष हेतु एक सुरक्षा योजना तैयार कर मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त से अनुमोदित कराई जावे एवं तदनुसार क्रियान्वयन किया जावे।

18.6 मुखबिर तंत्र का सुदृढ़ीकरणः–

सूचना तंत्र एवं मुखबिर तंत्र का वन अपराध की रोकथाम में एक अहम भूमिका है। समितियों के सदस्यों को सूचना तंत्र के सदस्य के रूप में प्रशिक्षित किया जाये। पुलिस विभाग के द्वारा विकसित सूचना एवं मुखबिर तंत्र का आवश्यतानुसार उपयोग किया जाये। इस हेतु मोबाईल एवं दूरभाष के साथ–साथ व्यक्तिगत सम्पर्क का भी उपयोग किया जाये। मुखबिर के रूप में चरवाहे तथा ग्राम कोटवार भी उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। वन सुरक्षा समितियों एवं ग्राम वन समितियों से सहयोग लेकर मुखबिर तंत्र का सुदृड़ीकरण किया जावे। इस हेतु वन समितियों की मासिक बैठक आयोजित कर विशेष प्रयास किये जायें।

18. 7 अधोसंरचना विकासः–

वन सुरक्षा हेतु वनमण्डल में पर्याप्त अधोसंरचनाएं होना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुये वनमण्डल भोपाल में निम्नानुसार वॉच टॉवर, वाहन, अस्थाई गश्ती चौकी, उड़न दस्ता एवं अन्य आवासीय सुविधाएं आवश्यक हैं।

तालिका क्रमांक 18.21
अधोसंरचना विकास

परिक्षेत्र	समर्धा	बैरसिया / नजीराबाद	वन भवन
वाच टॉवर	मेण्डोरा, लहारपुर, अमोनी, समर्धा	खेरखेडा, खण्डारिया, चटौआ (दामखेड़ा), मजीदगढ, मैनापुरा (नजीराबाद)	-
वाहन	केरवा चौकी–2	बैरसिया, नजीराबाद (टैक्टर ट्राली)	–
अस्थाई गष्ती चौकी	सूखी सेवनिया–1 (टैक्टर ट्राली)	बडली, खण्डारिया, मजीदगढ़ पेट्रोलिंग केम्प	–
उड़नदस्ता	-	-	-
आवासीय सुविधा	1–लाइन क्वाटर लहारपुर –2 2–वन रक्षक नाका प्रेमपुरा	1–लाइन क्वाटर नजीराबाद –1	1–मुख्य वन संरक्षक महोदय आवास
	3–वन रक्षक नाका अमोनी	2–मजीद गढ़ परिसर बाउंड्रीबाल निर्माण	2–उप वनमण्डलाधिकारी आवास (समन्वय)
	4–वन रक्षक नाका मेण्डोरा	3–मजीदगढ़ परिसर में नलकूप निर्माण	3–उप वनमण्डलाधिकारी आवास (सामान्य)
		4–बंदीगृह निर्माण बैरसिया	4–परिक्षेत्र अधिकारी आवास समर्धा–1
		5–स्ट्रोंग रूम (राइफल हेतु)	5–परिक्षेत्र अधिकारी आवास भोपाल इकाई–1
			6–परिक्षेत्र अधिकारी आवास उड़नदस्ता–1
			7–फारेस्ट कॉलानी चार इमली स्थित गेरेज क्र01, 2, 3, 4 जरजर हाल में है जिन्हे तोड़कर Multi stories complex for forest employe (आवासीय परिसर)
			8–बंदीगृह निर्माण चार इमली
			9–स्ट्रोंग रूम (राइफल हेतु) चार इमली
			10–वन मण्डल कार्यालय–comman संज–इंजी

परिक्षेत्र	समर्धा	बैरसिया / नजीराबाद	वन भवन
			(outer area)
			11– CCF उड़नदस्ता कार्यालय
			12– वायरलेस रूम
वन चौकी	सूखी सेवनिया, मेण्डोरा, लहारपुर	नजीराबाद, बैरसिया, खण्डारिया	कोलार तिराहा
वन अवरोधक नाके	केरवा, अमोनी, बावड़ीखेड़ा, मानाखेत, हरिपुरा, समर्धा	सूरजपुरा जोड़, सुहाया, खेजड़ाघाट, शाहपुर	-
दूरभाष (लैण्डलाइन)	–	–	–
पेट्रोलिंग मार्ग	1–केरवा–बावड़ीखेड़ा	1–बैरसिया–शाहपुर–पसैया–नायसमुंद–हरिपुर–खण्डारिया–कालापाठा–नजीराबाद	
	2–समसगढ़–बावड़ीखेड़ा	2–बैरसिया–बड़ली–बरखेड़ीदेव–कल्याणपुर–खेरखेड़ा–पातलपुर–मजीदगढ़–चन्द्रपुरा– सूरजपुरा–नजीराबाद	
	3–समर्धा–गोपीसूद	3–नजीराबाद–बरखेड़ा–मैनापुरा–चंद्रपुरा – सूरजपुरा–सहादरा–नजीराबाद	
	4–समर्धा–अमोनी	4–बैरसिया–पसैया–इद्रपुर–बीलखोह–गढ़ा– बरखेड़ीदेव–बढ़ली–बैरसिया	
	5–पड़रिया–कानासैया	5–हर्राखेड़ा–दुपाड़िया–कलारा–गुनगा–पीपलखेड़ा–धमर्रा–रतुआ–सुकालिया–हर्राखेड़ा	
	6–लहारपुर–चोरसागौनी		

18. 8 ईको संसेटिव जोनः–

कार्य आयोजना के प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक– 5 (जोकि परिशिष्ट–87 में दर्ज हैं) के अनुसार ईको सेंसिटिव जोन की जानकारी वनमण्डलाधिकारी भोपाल के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 4962 दि.16 / 09 / 2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रदाय जानकारी के अनुसार प्रदाय की गई। जिसके अनुसार उक्त बिन्दु के पालन में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 11 अगस्त 2017 में जारी अधिसूचना में उल्लेखित क्रियाकलाप संचालित हैं। जिसकी प्रति कार्य आयोजना के परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–95 में दर्ज है।

उक्त अधिसूचना में भोपाल वनमण्डल के अंतर्गत पारिस्थितिकी जोन के अंतर्गत भोपाल प्रभाग में निम्नानुसार ग्राम एवं उनके निर्देशांक दिये गये हैं–

तालिका क्रमांक– 21.6
पारिस्थितिकी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	प्रभाग नाम	ग्रामों के नाम	निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	भोपाल	रबियाबाद	23° 04' 6.968" N	77° 21' 28.384" E
2	भोपाल	वुरथी	23° 05' 5.480" N	77° 23' 29.127" E
3	भोपाल	प्रबाधन	23° 05' 4.885" N	77° 23' 08.025" E
4	भोपाल	स्ताहफल	23° 05' 5.871" N	77° 22' 42.736" E
5	भोपाल	पुनहा	23° 05' 5.474" N	77° 22' 17.895" E
6	भोपाल	वानपुर	23° 05' 5.504" N	77° 21' 58.945" E

उपरोक्त सूची में दर्शित ग्रामों का मौके पर परीक्षण किया गया। इसके ग्राम रबियाबाद के निर्देशांकों के परीक्षण में पाया गया कि वनमण्डल सीहोर परिक्षेत्र वीरपुर के अंतर्गत ग्राम कठौतिया में स्थित है, जिसका पूर्ववत नाम राबियाबाद है। ग्राम वुरथी, प्रबाधन एवं स्ताहफन परिक्षेत्र समर्धा के कक्ष PF224 के अंतर्गत आते हैं। परंतु उक्त ग्राम सूची में दर्शित निर्देशांकों के आस–पास नहीं हैं, उक्त निर्देशांक कालापानी एवं भोदाखो के अंतर्गत आते है। ग्राम पुनहा एवं वानपुर परिक्षेत्र समर्धा के कक्ष PF223 के अंतर्गत आते हैं परन्तु उक्त ग्राम निर्देशांकों के आस पास नहीं है। उक्त निर्देशांक ग्राम भोदाखों के अंतर्गत आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./निर्देश/5627 दिनांक 29/09/2020 के द्वारा ईको सेंसिटिव जोन में खदानों की स्वीकृति हेतु अनापत्ति जारी करने के संबन्घ में दिये गये निर्देश का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा। उक्त निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक 148 में दर्ज है।

18.9 सुरक्षा योजनाः– प्रत्येक वर्ष हेतु एक **"सुरक्षा योजना"** तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त द्वारा अनुमोदित कराई जावे व तदनुसार क्रियान्वयन किया जावे।

–––000–––

अध्याय–19
संयुक्त वन प्रबंधन
(Joint Forest Management)

19.1 सामान्य विवरण :–

वनों का उपयोग मानव द्वारा प्राचीन काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों पर दबाव बढ़ा है, उत्पादकता घटी है, फलस्वरूप विगत वर्षो में वनों के स्वरूप में अनेकानेक परिवर्तन हुए हैं। जैविक कारकों एवं अग्नि से वनों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना वनों का प्रभावी संरक्षण संभव नहीं है। वनों के अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक पुनरुत्पादन में कमी एवं भू–क्षरण जैसी स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। वनों की कटाई की पुनरावृत्ति के कारण उच्च संनिधि वन, कापिस वन में रूपान्तरित हो गए हैं, फलस्वरूप वन संरचना में विकृति आई है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वनों की सुरक्षा और वन–प्रबंधन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए जन–भागीदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। वन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थतिकीय संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि अवयवों में जनभागीदारी प्राप्त की जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं ग्रामीणों की वनाधारित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग लिया जावेगा। वन नीति का सबसे उल्लेखनीय पहलू वनों के प्रबंध में वनवासियों, आदिवासियों और उनके आसपास रहने वाले समुदायों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसी सिद्धान्त के अनुरूप 10 दिसम्बर 1991 को राज्य सरकार ने वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन–सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया। शासन द्वारा पुनरीक्षित संकल्प जनवरी 1995, फरवरी 2000 में एवं अक्टूबर 2001 में जारी किया गया। जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–86 में दिया गया है। उपरोक्त संकल्प के प्रकाश में ग्रामीणों की वन सुरक्षा एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित् करने हेतु वनमंडल में ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

19.2 उद्देश्य :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन के निम्न उद्देश्य प्रस्तावित हैं:–

1. वनों एवं वनवासियों के बीच सह अस्तित्व स्थापित करते हुए ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता कम कर उनकी आजीविका के रूप में वनों का प्रबंधन किया जाना।
2. ग्रामीणों को वन सुरक्षा एवं वन प्रबंधन में सहभागी बनाकर वनों की व्यापक उपयोगिता एवं ग्रामीणों के नैसर्गिक अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए वातावरण निर्मित करना।
3. ग्रामीणों के लिए जलाऊ लकड़ी, चारा, छोटी इमारती लकड़ी एवं बांस की उपलब्धता जनभागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित करना।
4. राज्य शासन के संकल्प अनुसार स्थानीय जन समुदायों के आर्थिक विकास हेतु प्रभावी कार्य करना।
5. वन कर्मचारी एवं ग्रामीणों को वनों की सुरक्षा, संवर्धन एवं प्रबंधन में एक दूसरे का सहयोगी बनाना।

19.3 म.प्र.शासन का संकल्प :–

भारत सरकार के दिनांक 01.06.1990 के निर्देशों के तारतम्य में म.प्र. शासन द्वारा संकल्प क्रमांक/एफ–16–4–दस–2–91 भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 1991 द्वारा वनों की सुरक्षा एवं विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संकल्प जारी किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–16–4–9–91/ 10/2 भोपाल, दिनांक 20.01.1995 से उक्त संकल्प में संशोधन किया गया। इस संकल्प में प्रदेश के वन क्षेत्रों को विशिष्टताओं के आधार पर तीन भागों (जोन) में विभक्त किया गया। इसी परिपेक्ष्य में राज्य शासन ने पूर्व में पारित समसंख्यक संकल्प को संशोधित करते हुए नवीन संकल्प की अधिसूचना क्रमांक/एफ/16–4 –9–91/10–2 भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2000 जारी की गई। दिनांक 7.2.2000 के संकल्प को पुनः संशोधित करते हुए नवीन संकल्प की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–4–91–दस–2 भोपाल,

दिनांक 22.10.2001 द्वारा जारी किया गया है। संशोधित संकल्प परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–53 में दिया गया है।

19.3.1 संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वन प्रबंधन :–

म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षित वन क्षेत्र, घने वन क्षेत्र, विरल वन क्षेत्र तथा वनों के बाहर वन प्रबंधन में स्थानीय जन समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर विभिन्न प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन के शासकीय संकल्प के अनुसार प्रदेश के शासकीय वनों को Zonation Approach की अवधारणा के आधार पर निम्नानुसार तीन जोनों में विभक्त किया गया है। साथ ही वनों की सीमा से लगे क्षेत्रों को चौथे जोन में रखा गया है। इन विभिन्न जोनों के प्रबंधन हेतु विभिन्न रणनीतियाँ निर्धारित की गईं हैं।

1. **प्रथम जोन (Z_1)** – राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों में सम्मिलित वनक्षेत्र। ये क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन वनक्षेत्रों के अंतर्गत स्थित ग्रामों तथा संरक्षित क्षेत्रों से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सहयोग हेतु इको–विकास समितियों का गठन किया गया है।
2. **द्वितीय जोन (Z_2)** – अन्य सघन वनक्षेत्र जिनमें नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्रों के सामूहिक वन प्रबंधन हेतु वन सुरक्षा समितियाँ गठित की गई हैं।
3. **तृतीय जोन (Z_3)** – **ऐ**से वन क्षेत्र जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुर्नवनीकरण/पुनर्स्थापना किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के क्षेत्रों का प्रबंधन ग्राम वन समितियों के माध्यम से कराया जाता है।
4. **चतुर्थ जोन (Z_4)** – वन क्षेत्र के बाहर तथा वन सीमा से लगे गैर वन क्षेत्रों को इस जोन में रखा गया है। इन क्षेत्रों में वन विस्तार कार्यक्रम चलाकर उपलब्ध क्षेत्रों में वनीकरण के माध्यम से वनोपजों विशेषतः

जलाऊ लकड़ी एवं चारा का उत्पादन बढ़ाना उद्देश्य है ताकि वनों पर जैविक दबाव कम हो सके।

19.3.2 संयुक्त वन प्रबंधन के मुख्य घटक :–

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले मुख्य दो घटक वन प्रबंधन एवं ग्रामीण संसाधन विकास हैं। वन प्रबंधन के अंतर्गत बिगड़े वनों के सुधार तथा सघन वनों के संरक्षण हेतु वन समितियों द्वारा वन कर्मचारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में वन सुधार, अग्नि सुरक्षा, लघु वनोपज संरक्षण, संवर्धन तथा संग्रहण एवं वनसुरक्षा संबंधी कार्य किये जाते हैं। ग्रामीण संसाधन विकास घटक के अंतर्गत गांव की सीमा के अंतर्गत लघु परिसम्पत्तियों का निर्माण, उनका रख–रखाव तथा रोजगार के अवसर निर्मित किये जाते हैं।

संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. वन विभाग द्वारा 2001 में मार्गदर्शिका (परिशिष्ट क्रमांक–99) तैयार की गई है, जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन, संचालन, योजना निर्माण, योजना क्रियान्वयन, समिति एवं विभाग के दायित्वों एवं अधिकारों का विवरण तथा वनोपज के वितरण संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं। उक्त दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये स्थानीय जन समुदायों एवं वन विभाग की सहभागिता से संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कार्य आयोजना क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार एवं सघन वनों के संरक्षण कार्यों मे किया जायेगा।

19.3.3 समितियों का गठन :–

दिनांक 22.10.2001 के संकल्प में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समिति का गठन, कार्यकारिणी, क्षेत्र चयन, सूक्ष्म प्रबंध योजना, बैठकें, समिति के अधिकार एवं कर्तव्य, वनाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य एवं अपील प्रावधानित किया गया है। समितियों का गठन मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मेलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। जिसका कार्यकाल रजिस्ट्रेशन दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगा। गठित समितियों के अध्यक्षों का वनमंडल स्तर पर संघ बनाया जायेगा। संकल्प में दिये गये प्रावधान अनुसार कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।

19.3.4 राज्य शासन का संशोधित संकल्प :–

1. सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुए रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।
2. सभी वन समितियों को समय–समय पर माइक्रोप्लान/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रे सफाई से प्राप्त शत्–प्रतिशत वनोत्पादन, विदोहन व्यय लेते हुए दिया जा सकेगा। इस संबंध में म.प्र. शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.01.2002 द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
3. क्र./एफ–16/4/1991/10–2 दिनांक 8.4.2003 से राज्य शासन द्वारा वनोपज पर आदिवासियों के प्रथम अधिकार की अवधारणा को स्वीकार करते हुए इमारती लकड़ी एवं बांस के विदोहन से अर्जित लाभ में से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसकी छायाप्रति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–89 में दी गई है।
4. वन सुरक्षा समिति को आवंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप काष्ठ कूप के अंतिम पातन से अर्जित लाभांश में से 20% लाभांश दिया जावेगा। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 2-10/1991/04-16 दिनांक 03/09/2016 परिशिष्ट क्र. 90 में दिया गया है। प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत् प्रतिशत प्रदाय किया जायेगा जो मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ–16–01/2012/10–2 दिनांक 30.05.2012, परिशिष्ट क्र. 91 में दिया गया है। मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कैलेण्डर वर्ष के दौरान काष्ठ/बांस के प्राप्त मूल्य के भारित औसत के आधार पर की जावेगी।
5. ग्राम वन समिति को आवंटित खुले/बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण/बिगड़े वनों का सुधार/चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त होने वाले उत्पाद का शत् प्रतिशत उत्पाद मूल्य

अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर, समिति को प्रदान किया जायेगा। मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कैलेण्डर वर्ष के दौरान काष्ठ/बांस के प्राप्त मूल्य के भारित औसत के आधार पर की जावेगी।

6. जो ईको विकास समितियाँ संरक्षित क्षेत्रों के वनों के भीतर स्थित हैं, वहाँ कटाई पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसी समितियों को भी वनोपज का मूल्य दिया जायेगा। इस वनोपज का मूल्य संबंधित संरक्षित क्षेत्र से लगे क्षेत्र में कार्यरत वन सुरक्षा समिति को मिलने वाली वनोपज के समान ही होगा। उपरोक्त व्यवस्था इन ग्रामों को प्रति वर्ष मिलने वाली निस्तार सुविधा के अतिरिक्त होगी। संरक्षित क्षेत्र से बाहर स्थित ग्रामों में कार्यरत ईको विकास समितियों को उसे आवंटित वन क्षेत्र के घनत्व के आधार पर उपरोक्तानुसार लाभ प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50% भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30% भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20% भाग वन विकास कार्यो हेतु व्यय किया जावेगा।
7. लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे।
8. यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान लिये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है, तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदण्ड की 50% राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, जो कि ग्राम विकास पर ही व्यय की जावेगी।

19.4 महिला सशक्तिकरण :–

शासन के संकल्प अनुसार संयुक्त वन प्रबंध समिति के कार्यकारिणी में न्यूनतम 35% महिला सदस्य होंगी। जिनमें ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूह, यदि हो तो, की एक–एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा।

19.5 म.प्र. संरक्षित वन नियम–2015 :–

म.प्र. राजपत्र वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 04.06.2015 से म.प्र. संरक्षित वन नियम, 2015 लागू किया गया है, जो कि परिशिष्ट क्र. 86 में दिया गया है। इस नियम के अन्तर्गत् संरक्षित वन क्षेत्र को प्रबंधन की दृष्टि से किसी ग्राम से संबद्ध कर सकते है। इस नियम के तहत संरक्षित वनों को संबद्ध करना, ग्राम वन समिति के गठन, निस्तार अधिकार, बन्द अवधि, वनोपज का बंटवारा, वनोपज का परिवहन, चराई अधिकार, प्रबंध योजना तैयार करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। संरक्षित वनों के प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी का हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरूप तैयार किए गए संरक्षित वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वन क्षेत्रपाल द्वारा ग्राम सभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई प्रबंध योजना संबंधित उप वनमण्डल अधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात् जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित करेगा।

19.6 मध्य प्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 :–

मध्य प्रदेश राजपत्र वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 04.06.2015 से मध्य प्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 लागू किया गया जो कि परिशिष्ट क्र. 96 में दिया गया है। इस नियम के तहत ग्राम वन का प्रबंधन, ग्राम वन समिति का गठन, निस्तार अधिकार, वनोपज का बंटवारा, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी का हटाया जाना, वृक्षों का पातन एवं काष्ठ का हटाया जाना, वनोपज का परिवहन, चराई अधिकार आदि के संबंध में नियम बनाये गये हैं। इन नियमों के अनुरुप तैयार किए गए किसी ग्राम वन का प्रबंधन, जिसमें वृक्षों की कटाई, इमारती लकड़ी को हटाया जाना और चराई सम्मिलित है, इन नियमों के अनुरुप तैयार किए गए ग्राम वन की प्रबंधन योजना के उपबंधों के अनुसार वनक्षेत्रपाल द्वारा ग्रामसभा से परामर्श करके विनियमित किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की

गई प्रबंध योजना संबंधित उप वनमण्डल अधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी, जो उसे ऐसे संशोधन करने के पश्चात् जैसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित करेगा।

19.7 समितियों की भागीदारी :–

19.7.1 कार्य आयोजना क्षेत्र में गठित समितियों की जानकारी तालिका क्रमांक–19.1 में दी गयी है:–

तालिका क्र. – 19.1
संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का विवरण

परिक्षेत्र	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
समर्धा	.	-	39	13594.79	39	13594.79
बैरसिया	.	-	50	11153.12	50	11153.12
नजीराबाद	.	-	37	10895.46	37	10895.46
योगः–	.	-	**126**	**35643.37**	**126**	**35643.37**

वन समितियों के गठन से वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के अतिरिक्त समितियों की संगठनात्मक सहभागिता, पारदर्शिता, ग्रामीण अद्योसंरचना के विकास में वृद्धि हुई है। वनमण्डल में गठित समितियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–52 पर संलग्न है।

19.7.2 वन समितियों द्वारा सम्पादित वानिकी विकास कार्य :–

कार्य आयोजना क्षेत्र के विभिन्न कार्यवृत्तों के अंतर्गत प्रावधानित वानिकी, सुरक्षा एवं विकास कार्य समितियों के माध्यम से किये जा रहे हैं। वानिकी प्रबंधन हेतु स्थल विशेषता के आधार पर समिति के सदस्यों से परामर्श किया जाकर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। वनमंडल में वन समितियों द्वारा सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आस्था मूलक कार्य एवं अधोसंरचना विकास कार्यों से वन समितियों को जन–भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेरित किया जाता है। नियमित रूप से समितियों की बैठक आयोजित की जाना चाहिए तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ लेखा–जोखा के विवरण से सभी सदस्यों को अवगत कराया जाना चाहिए। वन समितियों द्वारा लघु वनोपज संग्रहण कार्य भी प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। वनोपज संग्रहण के अतिरिक्त भंडारण एवं प्रसंस्करण पर भी विशेष प्रयास किया जाना होगा।

19.7.3 वन समितियों द्वारा ग्रामीण संसाधनों का विकासः–

प्रत्येक समिति द्वारा दो खाते खोले जायेंगे। खाता क्रमांक–1 समिति का विकास खाता होगा जबकि खाता क्रमांक–2 समिति खाता होगा। विकास खाते में वन एवं ग्राम विकास कार्य हेतु विभिन्न ऐजेंसियों से समिति को उपलब्ध होने वाली राशि को रखा जावेगा। वन विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त राशि, एन.आर.ई.जी.एस., कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में उपलब्ध कराये जाने वाली आस्था मूलक राशि, अग्नि सुरक्षा कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि आदि इस खाते में डाली जायेगी। समिति खाता में समितियों द्वारा अर्जित राशि जैसे वन सुरक्षा के एवज में प्राप्त राशि, काष्ठ विदोहन से प्राप्त लाभांश की राशि, श्रमदान से प्राप्त राशि, लघुवनोपजों के प्रसंस्करण या व्यापार एवं समिति द्वारा अन्य स्त्राोतों से अर्जित राशि आदि समिति खाते में जमा की जायेगी। इस राशि का आहरण समिति की आम सभा में लिये गये निर्णय अनुसार समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा एवं आम सभा में अनुशंसित कार्यों हेतु उपयोग किया जायेगा।

क्षेत्र भ्रमण एवं समितियों के सदस्यों से की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में समितियों के माध्यम से वन सुरक्षा एवं वन प्रबंधन में अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ, किन्तु कालान्तर में समितियाँ निष्क्रिय होती जा रही हैं। कार्य आयोजना क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर समितियों की सक्रिय भागीदारी दिखाई नहीं देती है। समितियों के पास बड़े पैमाने पर राशि भी उपलब्ध है, लेकिन इस राशि के उपयोग की गति अत्यंत धीमी है।

समितियों के पास उपलब्ध धन राशि से रोजगार से जुड़े विकास कार्य एवं वृक्षारोपण तथा अन्य वन विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य किये जाने चाहिए। इसके लिए समितियों को जागरूक कर, उनकी मनोवृति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

19.8 ग्राम वन समितियों के कार्यों का मूल्यांकन :–

19.8.1 मूल्यांकन प्रक्रिया :–

ग्राम वन समितियाँ द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार बिंदुओं पर क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है। इस हेतु वन समितियों को अधिकतम 10 अंक प्रदान किये गये हैं।

(i) **वन सुरक्षा**– वन सुरक्षा के अंतर्गत् समिति को आबंटित वन क्षेत्र की अवैध कटाई, अग्नि प्रकरण, अवैध चराई एवं अतिक्रमण की रोकथाम, उन पर नियंत्रण, अपराधियों को पकड़ने में सहयोग इत्यादि बिन्दु पर आकलन के लिये 04 अंक।

(ii) **वन संवर्धन**– वन संवर्धन के अंर्तगत् वृक्षारोपण क्षेत्रों, आर.डी.एफ. क्षेत्रों की सुरक्षा, लघु वनोपज के उत्पादन, संग्रहण, विपणन तथा गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक वानिकी एवं विस्तार हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिये 03 अंक।

(iii) **अभिलेखों का संधारण**– वन समिति का लेखा संधारण एवं अंकेक्षण परिसंपत्ति पंजी का संधारण का आंकलन किया जायेगा। पारदर्शिता पत्रक का संधारण के लिये 1 अंक।

(iv) **भागीदारी एवं सहभागिता–** वन समितियों की नियमित बैठक, संगठानात्मक क्षमता का विकास, निर्णय, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में भागीदारी एवं सहभागिता के मूल्यांकन के लिये 02 अंक।

इसके आधार पर समिति के द्वारा वनों पर प्रभाव, वन विकास पर प्रभाव, संसाधन विकास, स्वावलम्बन एवं संगठनात्मक क्षमता का आकलन प्रत्येक वर्ग में 0–10 अंक तक मूल्यांकन करते हुये परिक्षेत्रवार समितियों का वर्गीकरण किया गया।

इसके अंतर्गत ग्राम के सर्वांगींण विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियां जिनके आधार पर मूल्यांकन किया गया है, निम्नानुसार हैं :–

(1) समिति की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार हुई या नहीं।

(2) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु योजनाएँ ली गई हैं अथवा नहीं।

(3) साक्षरता हेतु उठाए गए कदम।

(4) समिति खाते में उपलब्ध राशि से निम्नानुसार कार्य किए गए या नहीं :–

 (i) वृक्षारोपण।

 (ii) मजदूरी।

 (iii) वानिकी गतिविधियाँ।

 (iv) ऋण वितरण।

 (v) निर्मित अधोसंरचनायें।

(5) ऊर्जा की बचत के उपाय।

(6) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्राोत/सौर ऊर्जा संयंत्र।

- वन समितियों के वार्षिक ऑडिट हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश के दिशा निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–92 में दर्ज हैं।

19.8.2 मूल्यांकन का परिणाम :–

क्षेत्र भ्रमण एवं समितियों के सदस्यों से की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में विभागीय अमले द्वारा सतत् प्रयास किये गये हैं, मासिक बैठकें नियमित रूप से सम्पन्न हो रही हैं एवं ग्रामीणों के साथ सतत् मेल जोल व सम्पर्क जारी है वहां वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन की दिशा में कुछ हद तक सफलताएं मिली हैं। दूसरी ओर जहां ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण किसी कारणवश नहीं किया जा सका है अथवा संसाधन विकास करने में सफलता नहीं मिल पाई है, ऐसे क्षेत्रों में अभी वह विश्वास की भावना जागृत नहीं हुई है जो संयुक्त वन प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति करती हो।

उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर पाया गया कि कार्य आयोजना क्षेत्र की अधिकांश समितियाँ वर्तमान में वन प्रबंधन एवं वन सुरक्षा से सक्रिय रूप से नहीं

जुड़ीं हैं। वर्ष 95–96 में गठित समितियाँ शुरूआती वर्षो में कुछ सक्रिय रहीं हैं, किंतु अभी इन्हें प्रोत्साहन एवं वन प्रबंधन से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है।

समितियों के पास उपलब्ध धनराशि से रोजगार से जुड़े वृक्षारोपण के कार्य किये जाने चाहिए। इसके लिए समितियों को जागरूक कर, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इस हेतु उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जाए।

वर्ष 2019 में कराये गये ग्राम वन समितियों के मूल्यांकन का विवरण तालिका क्रमांक–19.2 में दिया गया है :–

तालिका क्र. – 19.2
समितियों के मूल्यांकन का विवरण

वनमंडल का नाम– भोपाल								कार्य वर्ष – 2009 से 2019		
क.	परिक्षेत्र	वन समिति का नाम	कार्य मद का तथा नाम	कार्य स्थल	कुल लागत राशि	तकनीकी पक्ष (50 अंक)	सामाजिक पक्ष (30 अंक)	अभिलेखों का संधारण (20अंक)	कुल प्राप्तांक (100 अंक)	श्रेणी करण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बैरसिया	चार पहाड़ी	कार्य आयोजना क्रियान्वयन	RF-127	सुरक्षा कार्य 76750	40	20	17	77	बहुत अच्छा
2	बैरसिया	सरखण्डी	कार्य आयोजना क्रियान्वयन	RF-105,106	सुरक्षा कार्य	30	20	20	70	अच्छा
3	बैरसिया	जूनापानी	कार्य आयोजना क्रियान्वयन	RF-101,102	सुरक्षा कार्य	40	25	17	82	बहुत अच्छा
4	बैरसिया	भाटनी	कार्य आयोजना क्रियानवयन	RF-64	सुरक्षा कार्य	35	20	20	75	अच्छा
5	बैरसिया	खेडली	कार्य आयोजना क्रियान्वय	RF-2,3	सुरक्षा कार्य	35	20	20	75	अच्छा
6	समर्धा	आमोनी	कार्य आयोजना क्रियान्वय	165	सुरक्षा कार्य	25	22	18	65	अच्छा
7	समर्धा	गोल	कार्य आयोजना क्रियान्वय	P223.P224	सुरक्षा कार्य	28	24	15	67	अच्छा

आगामी वर्षों का ऑडिट प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु प्रयास किया जावे।

19.9 स्वैच्छिक संस्थाएँ :–

संयुक्त वन प्रबंध में स्वैच्छिक तथा गैर शासकीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संस्थायें विभाग तथा स्थानीय ग्रामीणों के मध्य सेतु का कार्य कर सकती हैं। ये संस्थायें विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन में अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिये, ताकि सही संस्थायें जो ग्रामीणों के विकास के लिए समर्पित हैं, वे ही कार्यक्रम में संलग्न हो सकें। कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ग्राम वन समितियों से अशासकीय संगठन तथा कुछ ग्राम वन समितियों के अंतर्गत स्वःसहायता समूह भी सक्रिय हैं। ऐसे संस्थानों के द्वारा ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर सुक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार की जा सकती है। वित्तीय स्त्रोत के प्रवाह में भी ऐसी संस्थाओं की मदद से तेजी लाई जा सकती है।

19.10 सूक्ष्म प्रबंध योजना के संबंध में मार्गदर्शी सुझाव :–

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली में वनों की सीमा से 5 किमी दूर तक बसे ग्रामों के विकास को वन संरक्षण का पूरक एवं अनिवार्य अंग माना गया है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने वन संरक्षण को ग्राम संसाधन विकास के जोड़ते हुए एक सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का निर्माण किया जाना अनिवार्य किया है। ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि इसके निर्माण एवं क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी न होने के कारण इसका अपेक्षित लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह नहीं मिल सका। इस परिप्रेक्ष्य में वन विभाग के द्वारा वन संरक्षण एवं ग्राम विकास की योजना बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करने में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी होना सामयिक, प्रासंगिक एवं अपरिहार्य है।

अतः ग्राम स्तर पर गठित की गई वन सुरक्षा समितियों एवं ग्राम वन समितियों के माध्यम से गांव के विकास और गांव के आसपास के वनों के प्रबन्धन के लिए ग्राम स्तरीय सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण ग्रामीणों की सहभागिता से तथा वन विभाग की तकनीकी दक्षता का समुचित उपयोग करते

हुए किया जाये। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में वन विकास एवं ग्राम विकास के समग्र प्रावधान किये जायें। यहां यह कहना आवश्यक है कि सूक्ष्म प्रबन्ध योजना केवल ग्राम तथा समीपवर्ती वनों तक सीमित होने के कारण इसे 'सूक्ष्म' की संज्ञा दी गई है, किन्तु इसके प्रभाव बहुत व्यापक होंगे, क्योंकि इसमें ग्राम की समस्याओं को सूक्ष्मदर्शी की सी बारीक दृष्टि से देखते हुए विभिन्न कार्य प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है। इसके निर्माण के समय गांव में निवास करने वाले हर छोटे बड़े समुदाय की भागीदारी अनिवार्य है,

इस प्रकार सूक्ष्म प्रबन्ध योजना या माइक्रोप्लान वह अभिलेख है, जिसमें संयुक्त वन प्रबन्धन के उद्देश्य से गठित ग्राम वन समिति या वन सुरक्षा समिति के लिए कार्यों का विस्तृत लिखित विवरण होगा। संयुक्त वन प्रबन्धन के संदर्भ में वन और इसके सीमावर्ती ग्रामों के समग्र विकास के लिए ग्रामीणों के सक्रिय सहयोग से बनाई जाने वाली इस योजना में वन प्रबन्धन की वैज्ञानिक पद्धतियों के समावेश के अतिरिक्त सीमावर्ती ग्रामों में वैकल्पिक आय के साधन तथा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ ग्राम में विभिन्न सामुदायिक संसाधनों के निर्माण का प्रावधान भी किया जायेगा। दस वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक समिति के लिए अलग–अलग बनने वाली इस प्रबन्ध योजना के लागू होने पर ग्राम तथा वन विकास के समस्त कार्य इसी के अनुरूप किये जायेंगे। इस योजना का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि क्षेत्र विशेष में इसके लागू होते ही उस क्षेत्र में वन विभाग की कार्य आयोजना को स्थगित माना जायेगा।

अतः संक्षेप में, सूक्ष्म प्रबंध योजना एक प्रकार से वन विभाग की परम्परागत कार्य आयोजना का लघु रूप है, जिसमें पूरे वन मण्डल के वन क्षेत्रों का प्रबन्धन न होकर अलग–अलग समितियों को आबण्टित वनक्षेत्र का प्रबन्धन करने की व्यवस्था होगी, साथ ही इसमें ग्राम विकास के लिए किये जाने वाले कार्यों का भी पूर्ण विवरण होगा।

- सूक्ष्म प्रबंधन योजना का प्रारूप एवं क्रियान्वयन परिरिशष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–87 पर दिया गया है।

सूक्ष्म प्रबन्ध योजना बनाने की पद्धति सरल एवं स्पष्ट है। इस पूरे कार्य को निम्नानुसार चार प्रमुख चरणों में विभक्त किया जा सकता है–

1. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के लिए जानकारी का संकलन
2. समिति के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तय करना
3. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना को लिपिबद्ध करना
4. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का अनुमोदन

19.10.1 सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के लिए जानकारी का संकलन :– ग्राम वन समिति के कार्यक्षेत्र के लिए सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का निर्माण करने हेतु वन तथा ग्राम से संबंधित विभिन्न किस्म की जानकारियों की आवश्यकता होगी। इन जानकारियों के मुख्य स्रोत निम्नानुसार हो सकते हैं,

1. वन मण्डल की कार्य आयोजना
2. वन कक्षों का कक्ष इतिहास
3. वृक्षारोपण क्षेत्रों की रोपण पंजी
4. जिले की विकास पुस्तिका
5. विकास खण्ड की विकास पुस्तिका
6. तहसील कार्यालय से जनसंख्या एवं पशु गणना के नवीनतम आंकड़े
7. निकटतम वर्षा मापक केन्द्र से वर्षा के आंकड़े
8. राजस्व एवं कृषि विभाग के अभिलेखों से जानकारी
9. वन विभाग, राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र
10. ग्राम में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों जैसे शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, पटवारी, वनरक्षक इत्यादि से प्राप्त जानकारी
11. ग्रामीणों से चर्चा एवं सहभागी ग्रामीण समीक्षा से प्राप्त जानकारी

यद्यपि सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में उपरोक्त सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली विभिन्न जानकारियों का समावेश किसी न किसी रूप में होगा, परन्तु प्रस्तावित किये जाने वाले कार्य के लिए मूल आधार ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी को ही बनाया जाने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाना अपेक्षित है। ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्रियों के द्वारा विकसित की गई वैज्ञानिक पद्धति सहभागी ग्रामीण समीक्षा (Participatory Rural Apraisal or

PRA) का उपयोग किया जायेगा। इसके तहत मुख्य रूप से निम्न कार्य किये जायेंगे।

1. **सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण :–** स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री यथा गोबर, मिट्टी, खड़िया, चूना, चने, दाल, गेहूं, भूसा, रेत इत्यादि का प्रयोग से अपने गांव एवं आसपास का मानचित्र बनाते हैं। इससे गांव की मुख्य बनावट का ज्ञान होता है। इसमें ग्राम के विभिन्न संसाधनों मिट्टी, सिंचाई, कृषि उत्पादकता, नदी–नाले, सड़क इत्यादि को दर्शाते हैं। यह मानचित्र जमीन पर, कागज पर, दीवार पर या बोर्ड इत्यादि पर भी बनाया जा सकता है।
2. **समय चित्रण व समय रेखा :–** समय चित्रण के द्वारा ग्रामीण परिवेश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक तथा जैविक संसाधनों में हुए बदलावों को रेखांकित किया जा सकता है। इसी प्रकार समय रेखा की विधि से गांव में घटित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जाना जा सकता है। इससे ग्राम की पृष्ठभूमि के संबंध में विविध प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी संकलित की जा सकती है। समय चित्रण एवं समय रेखा का सिद्धान्त निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है,

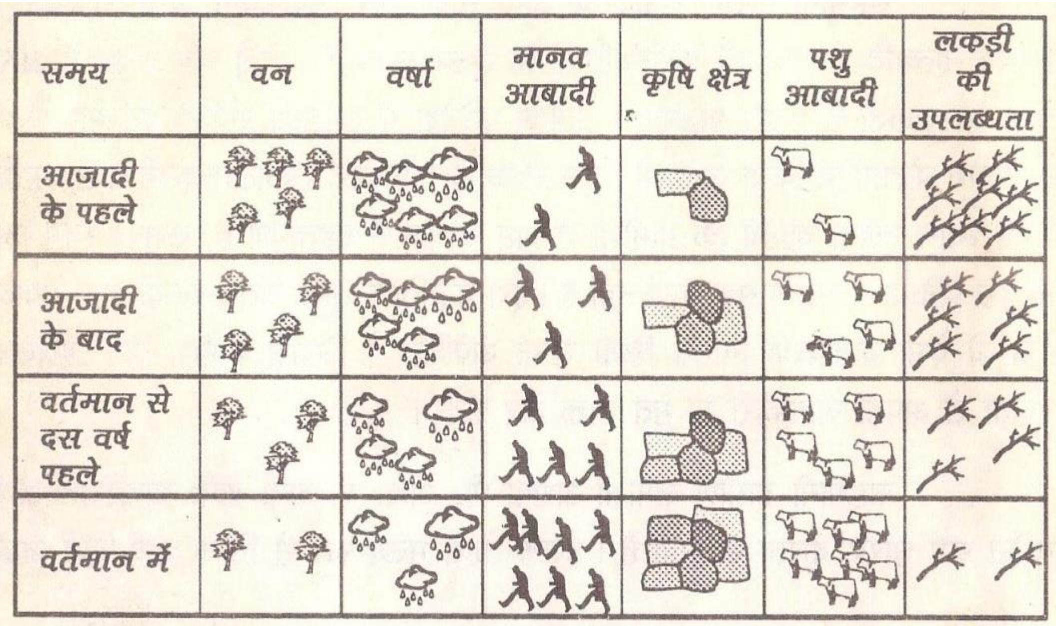

समय चित्रणं

समय चित्रण से विभिन्न संसाधनों में समय के साथ आई कमी या बढ़ोत्तरी की जानकारी प्राप्त हो सकती है। समय चित्रण की तरह ही समय रेखा भी संसाधनों में समय के साथ हुए विकास एवं बदलाव को स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए एक ग्राम की समय रेखा नीचे दर्शाई गई है,

वर्ष	कार्य
1	2
1936	गांव में सरकारी कुंआ बना
1943	गांव में अकाल पड़ा
1953	गांव में कच्ची सड़क बनी
1965	गांव में पहला हैण्डपम्प लगा
1988	गांव में स्कूल बना

इस प्रकार बनाई गई समय रेखा से गांव में संसाधनों के विकास की गति और प्रकृति का पता चलता है।

3. **चपाती चित्रण :–** चपाती चित्रण, ग्रामीणों की नजर से देखे गये विभिन्न संस्थाओं, संगठनों या व्यक्तियों के आपस में संबंधों की प्रगाढ़ता/दूरी को बताता है। यह अभ्यास कागज के गोल टुकड़ों या पत्तों के माध्यम से किया जा सकता है। इस विधि से ग्रामीणों के विभिन्न संस्थाओं से संबंध की जानकारी व उनकी नजर में इनके तुलनात्मक महत्व का पता चलता है।

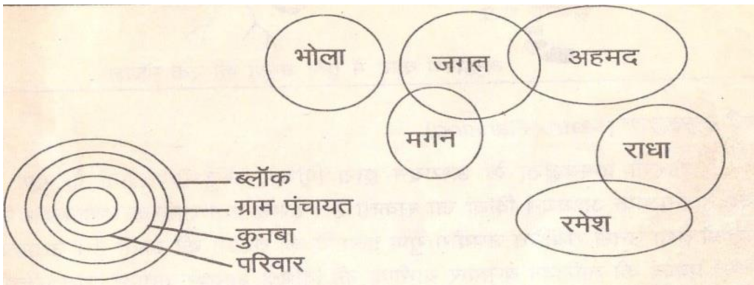

4. **अनुप्रस्थ काट में क्षेत्र का भ्रमण :–** सहभागी ग्रामीण समीक्षा के दौरान अधिक जानकारी देने वाले मुखर व्यक्तियों में से कुछ एक के साथ रहकर गांव का भ्रमण इस प्रकार किया जाता हैं कि वह गांव तथा उसके आसपास की एक अनुप्रस्थ काट जैसे पथ मे हो, जिससे ग्राम के विभिन्न संसाधनों तथा समस्याओं का अधिकाधिक विवरण प्राप्त हो सके। भ्रमण के समय, अन्य पद्धतियों से संकलित की गई जानकारी की तुलना व मिलान वास्तविक स्थिति से करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।

अनुप्रस्थ काट में ग्राम का भ्रमण इस प्रकार होना चाहिए कि ग्राम के सभी वर्गों तथा विभिन्न संसाधनों (जैसे नाले, जंगल की भूमि, कृषि क्षेत्र, पड़त भूमि एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा वनस्पतियों वाले क्षेत्र) से होकर ग्राम की यात्रा की जाये, ताकि सम्पूर्ण जानकारी का समग्र अवलोकन किया जा सके। इसे निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट किया गया है,

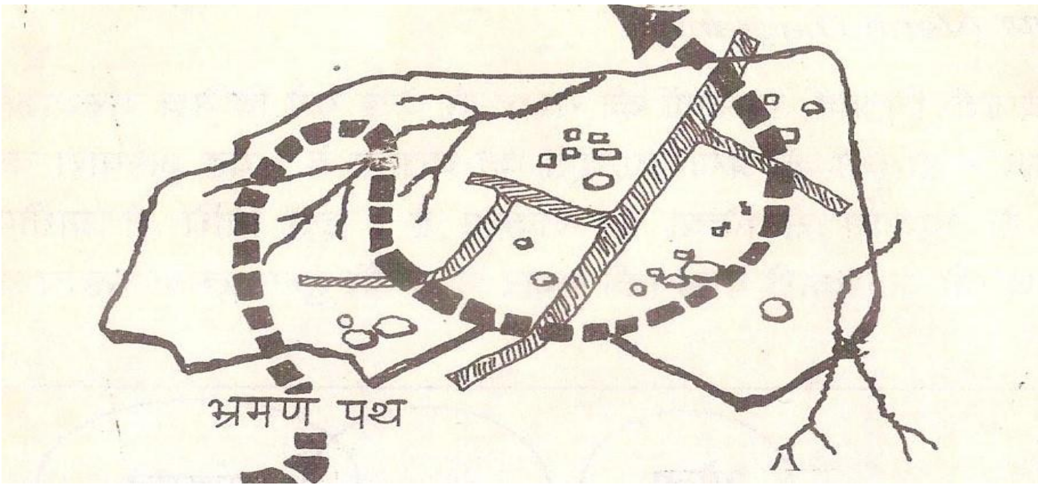

अनुप्रस्थ काट में भ्रमण का एक मॉडल

5. **सारणी क्रमबद्धता :–** सारणी क्रमबद्धता के अध्ययन द्वारा विभिन्न वस्तुओं/उत्पादों के गुण या अवगुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसमें एक तालिका बनाकर उसमें विभिन्न वस्तुओं तथा उनसे संबंधित उपयोग/गुण इत्यादि की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए निम्नानुसार तालिका बनाकर ग्रामीणों की विभिन्न आवश्यकताओं, वन उत्पादों पर उनकी निर्भरता इत्यादि का सम्यक अध्ययन किया जा सकता है,

तालिका क्रमांक–19.3

ग्रामीणों की विभिन्न आवश्यकताओं, वन उत्पादों पर उनकी निर्भरता

क्र	उपयोग	वन उत्पाद					
		आंवला	तेन्दूपत्ता	हर्रा	चिरोटा	जलाऊ लकड़ी	महुआ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वयं का उपयोग	**				**	**
2	बाजार में बिक्री	***	***	****	**	***	****
3	दवा के काम	**					
4	एक से अधिक फायदे	*		*			**

6. **ऋतु विश्लेषण :–** इस विधि के प्रयोग से वर्षा, कृषि, जलाऊ लकड़ी, पशु चारा, रोजगार, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य आदि की अवस्था विभिन्न मौसमों में क्या रहती है, का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रचलित मौसम चक्र को अंग्रेजी कैलेण्डर पर डालते हुए महत्वपूर्ण जानकारी संकलित की जाती है।

माघ	फागुन	चैत	बैशाख	जेठ	असाढ़	सावन	भादों	क्वार	कातिक	अगहन	पूस
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

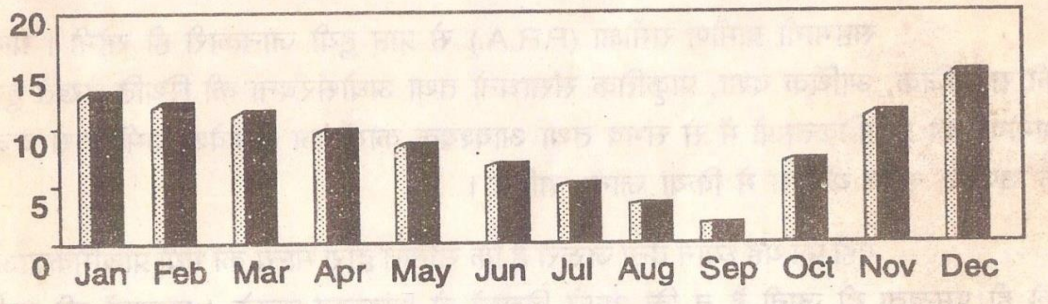

विभिन्न महीनों में रोजगार की उपलब्धता

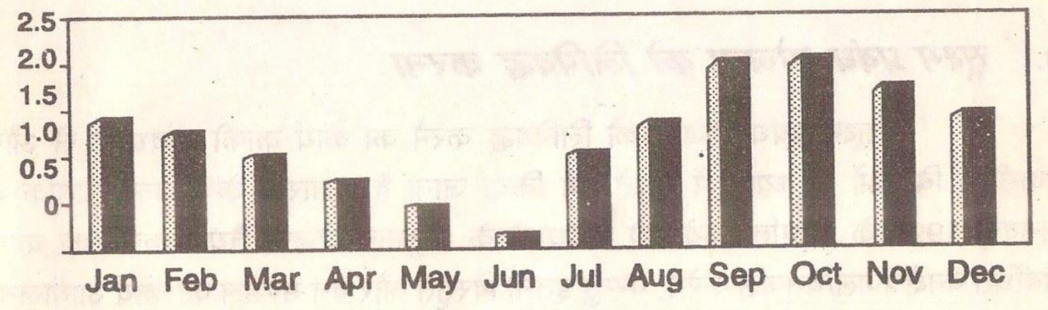

जल संसाधनों में विभिन्न महीनों में पेयजल की उपलब्धता

सहभागी ग्रामीण समीक्षा के समय निम्नानुसार सावधानियां बरतनी चाहिए,

1. लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे सोच समझकर उपयोगी जानकारी इस प्रकार दें, जिससे उनकी समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो सके।

2. प्रत्येक जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए त्रिकोणात्मक जांच अर्थात दो से अधिक व्यक्तियों या स्रोतों से अलग–अलग पुष्टि कर लेना उचित रहता है।
3. ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी एकत्र करने वाले को स्वयं भी अवलोकन करना चाहिए एवं प्रत्यक्ष देख कर जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

19.10.2 समिति के मतानुसार कार्यों के प्रस्ताव तय करना :– ग्राम की सामाजिक, आर्थिक दशा, प्राकृतिक संसाधनों तथा अधोसंरचना की स्थिति देखते हुए ग्रामीणों की प्राथमिकताओं में से संभव एवं आवश्यक कार्यों का समावेश, ग्रामीणों से चर्चा के उपरान्त सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में किया जाना चाहिए। यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि समिति द्वारा मान्य की गई प्राथमिकताओं को ही प्रमुखता दी जानी है, न कि अपने विचारों से आंकलन करके। प्रस्तावों की सूची तैयार करते समय भी उनकी उपयोगिता, लागत, योजना जिसके अन्तर्गत कार्य कराया जाना है तथा विभाग जो इस कार्य को करेगा, के संबंध में जानकारी एकत्र करना उचित होगा।

19.10.3 सूक्ष्म प्रबन्ध योजना को लिपिबद्ध करना :– सूक्ष्म प्रबन्ध योजना को लिपिबद्ध करने का कार्य काफी सावधानी से और तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। शासन के संकल्प दिनांक 22 अक्तूबर, 2001 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार योजना तैयार करने एवं उसको लिपिबद्ध करने का काम संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना बनाने की सीधी जिम्मेदारी संबंधित उप वन मण्डल अधिकारी की होगी, जो अपने अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों से इस योजना को लिपिबद्ध करायेंगे। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक–87 में दिया गया है।

सूक्ष्म प्रबंध योजना में उन पारस्परिक प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करना होगा, जिनसे वैकल्पिक रोजगार के द्वारा वनों पर लोगों की निर्भरता कम की जा सकती है इस हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए,

1. सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने एवं उसमें लिए जाने वाले कार्यों संबंधी निर्णय में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

2. स्थानीय ग्रामवासियों एवं वन कर्मचारियों द्वारा सहभागी ग्रामीण आंकलन कर वनों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता एवं परस्पर संबंध का आंकलन किया जाएगा।
3. सूक्ष्म प्रबंध योजना में सहभागी ग्रामीण समीक्षा के आधार पर प्राप्त परिणामों के अनुरूप कार्य प्रस्तावित हों तथा उसमें इनके उद्देश्य, लागत, परस्पर प्रतिबद्धताएं, कार्यों की रूपरेखा एवं अनुश्रवण हेतु सूचकों का समावेश किया जाएगा।
4. लागत एवं परोक्ष अथवा अपरोक्ष लाभ की गणना की व्यवस्था रखी जाएगी।
5. प्रस्ताव पात्रता एवं संभाव्यता की शर्तों को पूरा करते हैं अथवा नहीं, इसका आंकलन किया जाएगा।
6. वित्तीय व्यवस्था के स्त्रोत का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा।
7. वन कर्मियों एवं ग्रामीणों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी जाएगी।
8. प्रत्येक कार्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ा होना चाहिए। सूक्ष्म प्रबंध योजना में प्रस्तावित कार्य का परिणाम जैवविविधता संरक्षण हो यह प्रयास किया जाएगा।
9. वनों पर लोगों की निर्भरता किस उद्देश्य (स्वयं के उपयोग के लिए अथवा बाजार में बेचने) के लिए है यथा घास, अकाष्ठ वनोपज, आदि की आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा।
10. वन्यप्राणियों द्वारा पशु हानि, फसल हानि, आदि से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का उल्लेख भी सूक्ष्म प्रबंध योजना में किया जाएगा।

वनमण्डल के अन्तर्गत कुल 126 समितियों का विवरण परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–52 में दिया गया है। क्षेत्र हस्तांतरण उपरान्त माह सितंबर 2019 की स्थिति में वनमण्डल के अंर्तगत सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाये जाने की स्थिति निम्नानुसार है–

कुल समितियां – 126

सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की गई – 17

शेष समितियों जिनकी सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जानी है – 109।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य आयोजना क्षेत्र के अंर्तगत वन समितियों की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना बनाये जाने की स्थिति में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

19.10.4 सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का अनुमोदन :– ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का अनुमोदन होने के उपरान्त ही इसे पूर्ण माना जायेगा। यह अनुमोदन दो स्तरों पर होगा,

1. **समिति स्तर पर :–** लिपिबद्ध की जा चुकी सूक्ष्म प्रबन्ध योजना को समिति द्वारा लिखित में अनुमोदित करने के उपरान्त वन मण्डल अधिकारी को भेजा जायेगा।
2. **वन मण्डल अधिकारी स्तर पर :–** समिति द्वारा लिखित में अनुमोदित सूक्ष्म प्रबन्ध योजना को यथावत अथवा आवश्यक संशोधन के उपरान्त वन मण्डल अधिकारी औपचारिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।

वन मण्डल अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही सूक्ष्म प्रबन्ध योजना को लागू करने योग्य माना जायेगा।

19.10.5 सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन :– वन समिति एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एवं सक्षम वनाधिकारी द्वारा अनमुोदित वन प्रबन्धन तथा ग्रामीण संसाधन विकास की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना, जिसमें निर्धारित वन क्षेत्र की सुरक्षा, प्रबन्धन एवं विकास कार्यक्रमों का विवरण होगा एवं निर्धारित वनक्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण का भी वर्णन होगा, के क्रियान्वयन में पारस्परिक सहयोग की सहमति उल्लेखित करते हुए, पारस्परिक सहमति का ज्ञापन (Memorandum of Understanding or MOU) तैयार किया जायेगा।

19.10.6 सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं संशोधन :– सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण व क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जायेगा। यह कार्य सामान्यतः वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जा कर प्रतिवेदन उप वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को

प्रेषित किया जायेगा। अनुश्रवण/मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–87 में दिया गया है। वनमण्डलाधिकारी यादृच्छ रूप से चयनित कुछ समितियों के मूल्यांकन का कार्य बाह्य सस्थाओं को भी दे सकते हैं। प्रबन्ध योजना क्रियान्वयन के प्रभावो के मूल्यांकन परिणामो के आधार पर भावी प्रबन्धन के बारे में सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में वनमण्डलाधिकारी द्वारा समिति की सहमति से आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे।

19.11 संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण :–

भोपाल वनमंडल में वर्ष 1997 से वनों का प्रबन्धन संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। तब से अब तक इसके क्रियान्वयन के तरीकों आवश्यकतानुसार कई बदलाव किये गये, ताकि इस प्रणाली को बेहतर जनोपयोगी एवं संवहनीय वन प्रबन्धन के योग्य बनाया जा सके। संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अब तक उठाये गये कदमों के साथ–साथ निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है,

1. प्रत्येक समिति की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना अनिवार्य रूप से एक समय सीमा में निर्मित की जाकर, उसका शतप्रतिशत क्रियान्वयन किया जाये, ताकि वनों के साथ–साथ ग्राम संसाधनों का समग्र विकास हो।
2. प्रत्येक समिति के द्वारा किये जा रहे कार्यों की क्रांतिक विश्लेषण (Critical Analysì) वन मण्डल स्तर पर त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप से किया जाये एवं उसके परिणाम पर चर्चा हेतु परिक्षेत्र स्तर पर त्रैमासिक एवं वन मण्डल स्तर पर वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
3. परिक्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा के आधार पर संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को सुरक्षा एवं रखरखाव की राशि दी जाये।
4. उक्त सुरक्षा राशि का उचित उपयोग, स्वयं समिति के द्वारा ग्राम विकास, अन्य आकस्मिक कार्यों एवं आवश्यक होने पर लगाये गये अंशकालिक श्रमिक को मानदेय भुगतान हेतु किया जाये।
5. वन कर्मचारियों एवं ग्राम के सदस्यों के बीच जीवन्त संवाद एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिए सतत बैठकें, प्रशिक्षण एवं

कार्यशालाएं आयोजित कर विस्तृत चर्चा की जाये, एवं वनों तथा वृक्षों से जुड़ी सामाजिक परम्पराओं, यथा आंवला नवमी, वन महोत्सव, महुआ वृक्ष का महत्व, लघु वनोपज आधारित आजीविका आदि, से संबंधित आयोजन ग्राम स्तर पर किये जायें, जिसमें वन कर्मचारियों की पूर्ण भागीदारी रहे।

6. समितियों में वन/पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में जानकारी एवं रुचि रखने वाले लोगों का एक दल बनाकर, समिति के सदस्यों को वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन से जोड़ने का प्रयास किया जाये।
7. जागरूक अग्रणी महिलाओं का समूह गठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाये, एवं समिति की बैठकों में महिलाओं से संबंधित विषयों में चर्चा की जाये।
8. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक महिला जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच आदि के माध्यम से महिलाओं को आगे लाया जाये।
9. समिति के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक व्यय समिति सदस्यों की पूर्ण सहमति एवं जानकारी में हो, तथा आय व्यय का लेखा नियमित रूप से संपादित एवं प्रदर्शित किया जाये, ताकि सभी सदस्य इसमें अपनी भागीदारी महसूस कर सकें।
10. वनों के संरक्षण के साथ–साथ उससे प्राप्त होने वाले बहुउपयोगी अकाष्ठीय वनोपज (जैसे औषधीय पौधे, सुगंधयुक्त पौधे, कंद–मूल, फल–फूल) का विनाश विहीन विदोहन का प्रशिक्षण समिति सदस्यों को दिया जाये।
11. समिति सदस्यों के लिये समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर लेखा प्रक्रिया, वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, ग्राम संसाधन विकास विषयों का सामान्य तकनीकी ज्ञान दिया जावे। इसके लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण केम्प आयोजित किये जावें।
12. ग्रामीणों एवं जनजाति समुदायों के जैव संसाधनों से संबंधित पारम्परिक ज्ञान एवं विधियों के उपयोग एवं विकास हेतु इन समुदायों और वन

समितियों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच संवाद स्थापित कर वन प्रबंधन में उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जावे।

13. समिति की कार्यक्षमता का आंकलन करते हुए कुछ वानिकी कार्य समिति के द्वारा कराये जाने का प्रयास किया जाये, ताकि वे वन प्रबन्धन की बारीकियों को समझ सकें।
14. समिति की बैठकों में पारित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिये जाकर कार्य किये जावें।
15. लाभांशों का समुचित वितरण सामायिक रूप से किया जाये।

19.12 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण :–

संयुक्त वन प्रबंधन जहां एक ओर वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की प्रभावी प्रणाली है, वहीं स्थानीय ग्राम स्तरीय समाज, समुदायों एवं संस्थाओं को सशक्त करने का एक अच्छा अवसर भी है। कई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बाधाओं के कारण ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका अर्जन में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि वे इन अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते। अतः संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण के लिए, सामान्य तौर पर आने वाली इन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी प्रकार की निजी एवं सामुदायिक मुद्दों का समाधान, ग्राम स्तरीय संगठन के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए एवं सहयोग प्राप्त करते हुए, किये जाने से आपसी समन्वय बना रहता है। इसके लिए हम निम्नानुसार घटकों पर कार्य कर सकते हैं

1. **भागीदारी/सहभागिता :–** निर्णय लेने, उसके क्रियान्वयन करने, उसके मूल्यांकन एवं अनश्रवण में एवं प्राप्त लाभांश के वितरण में भागीदारी से हम सभी की सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रकार के उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों के समूह के गठन का अन्तिम लक्ष्य तय करना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप एक बस में यात्रा करने वाले लोगों का समूह सामान्य रूप से एक ही उद्देश्य अर्थात किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए यात्रा करते हैं, किन्तु उनका अन्तिम उद्देश्य भिन्न भिन्न यथा मजदूरी के लिए जाना, अस्पताल

जाना, कोर्ट जाना या बाजार से खरीदी के लिए जाना होने के कारण उन्हें हम संगठित समूह नहीं मान सकते हैं। इसलिए लम्बे समय तक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके अन्तिम लक्ष्य बहुत स्पष्ट एवं एक ही होना चाहिए।

2. **पारदर्शिता अर्थात सूचना का अधिकार/पहुंच :–** समुदाय को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों तथा प्रत्येक कार्यवाही एवं उसके परिणाम की स्पष्ट जानकारी सहज उपलब्ध होना आवश्यक है, ताकि वे सभी गतिविधियों सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए उत्साहित हों।

3. **संगठनात्मक क्षमता का विकास :–** संगठनात्मक क्षमता से तात्पर्य, किसी कार्य की योजना का निर्माण, उसके लिए वित्तीय प्रावधान, उसका क्रियान्वयन, उसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आदि की क्षमता एवं अधिकार होने से है। इसके लिए संगठन के पास पर्याप्त संसाधन, योग्यतायें और क्षमतायें होनी चाहिए। यदि संगठन स्वयं समर्थ नहीं होगा, तो सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों की संगठनात्मक क्षमता के विकास के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन के शासन के संकल्प 2001 एवं ग्राम वन नियम 2015 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं,

    1. समिति की कार्यकारिणी गठन की शक्ति।
    2. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
    3. काष्ठ एवं बांस उत्पादन के लाभ में हिस्सेदारी।
    4. वन प्रबन्धन में भागीदारी।
    5. स्वतंत्र रूप से समिति एवं वन प्रबन्धन के कार्यों के संचालन का अधिकार।

    संगठनात्मक क्षमता विकास का मुख्य सूचक, समिति की निर्णय लेने एवं क्रियान्वयन की क्षमता एवं आत्मनिर्भरता है। अतः इस दिशा में सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

4. **उत्तरदायित्व :–** संगठनात्मक क्षमता की संवहनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन में उत्तरदायित्व लेने की क्षमता एवं इच्छा है या

नहीं। अतः संगठनात्मक ढांचे को चिरस्थायी बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में पारदर्शिता एवं लचीलापन हो, ताकि सभी के सुझावों का समावेश किया जा सके। ऐसा करने पर ही समिति के सभी सदस्य उस निर्णय की जिम्मेदारी लेंगे एवं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।

5. **सुविधाओं का उपयोग/पहुंच :–** समिति के कार्यों में सहभागिता का मूल मन्त्र, सभी सेवाओं एवं सुविधाओं तक समान रूप से सबकी पहुंच होना है। अतः इस दिशा में आवश्यक पारदर्शिता एवं समानता रखने के प्रयास होने चाहिए।

19.13 विवाद निपटारा प्रणाली :–

किसी भी संगठन या समुदाय में विवाद का जन्म, पृथक पृथक विचारधारा होने, कार्यकलापों में नियमों का पालन न करने एवं पारदर्शिता नहीं बरतने एवं पक्षपात के कारण ही होता है। वन मण्डल में संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन में विवाद के मुख्य कारण निम्नानुसार परिलक्षित होते हैं–

1. नियमित रूप से कार्यकारिणी एवं आम सभा की बैठकें न होना।
2. बैठकों में अधिकांश लोगों की भागीदारी नहीं होना।
3. कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने पर समय पर पुनर्गठन न होना।
4. समिति के कार्यों एवं उसके आय–व्यय में पारदर्शिता का अभाव।
5. वार्षिक अंकेक्षण नहीं होना, एवं अंकेक्षण के परिणाम से अवगत नहीं कराना।
6. लाभ का वितरण पारदर्शी तरीके से समान रूप से न होना।
7. समिति में लिये गये निर्णयों में आम सहमति का अभाव।
8. एक दूसरे पर विश्वास की कमी।

विवादों के निपटारे के लिए उपरोक्त कारकों का सामयिक विश्लेषण कर उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उक्त विवाद उत्पन्न न हों एवं यदि हों तो उसके त्वरित निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए,

1. नियमित रूप से कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठकें सभी की पूर्ण भागीदारी के साथ के साथ आयोजित की जायें, एवं बैठक की कार्यवाही का विवरण स्थानीय भाषा में अभिलिखित किया जाकर उसी दिन लोगों को पढ़कर सुनाया जावे।
2. पूर्ण भागीदारी का अर्थ, केवल बैठकों में उपस्थित होना नहीं है, बल्कि समिति के सभी वर्ग के लोगों को बोलने का अवसर उपलब्ध होना एवं सभी वर्ग के लोगों के हित के मुद्दों पर चर्चा कर उसके संबंध में सार्थक निर्णय एवं क्रियान्वयन करना है।
3. प्रत्येक बैठक के उपरान्त सामूहिक श्रमदान से कोई सामुदायिक उपयोग का कार्य ग्राम में किया जाये।
4. समाज की आधार स्तम्भ, महिलाओं, की सक्रिय भागीदारी हो। इस हेतु क्षेत्र विशेष में जागरूक अग्रणी महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण देकर महिला समूह का गठन करना, समिति की बैठकों में महिलाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला शिक्षक, महिला जन प्रतिनिधि, सरपंच, पंच आदि के माध्यम से महिलाओं को आगे लाना होगा।
5. कोई भी सूचना या समझौता पत्र स्थानीय भाषा में हो तथा समिति की बैठकों में उस पर चर्चा हो। समझौता पत्र को प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जावे तथा स्थानीय स्कूल एवं पंचायत को भी प्रतियां दी जावें।
6. ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए, जहां सभी लोग अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर रख सकें।
7. समस्त प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण हो, ताकि सभी लोगों की सहभागिता हो एवं सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो। इसके लिए समितियों के अंदर कार्यवार समूह गठित किये जा सकते हैं, जैसे लघु वनोपज प्रबंधन हेतु समूह, सुरक्षा हेतु समूह इत्यादि। उक्त समूह के माध्यम से सभी की भागीदारी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

8. प्रत्येक समिति हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण पूर्ण पारदर्शिता एवं भागीदारी से किया जाये एवं पूर्ण ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन किया जाये।
9. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में पूर्व निर्धारित तकनीकी उद्देश्यों के स्थान पर स्थानीय आवश्यकता एवं समिति सदस्यों के सुझाव पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रावधान रखा जाये।
10. समितियों के अध्यक्षों के वन मण्डल स्तरीय संघ का विधिवत गठन कर उसकी सतत बैठकें हों, एवं उक्त बैठकों में विभिन्न समितियों के विवादों का निपटारा भी किया जाये।
11. समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार की व्यवस्था, समितियों के अध्यक्षों के वन मण्डल स्तरीय संघ के माध्यम से रखी जाये।
12. इकोसेंटर तथा अन्य भवनों का निर्माण समितियों के क्रियाकलापों के संचालन हेतु किया जाये।
13. लेखा प्रक्रिया, वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, ग्राम संसाधन विकास इत्यादि विषयों पर, समिति के सदस्यों को तकनीकी ज्ञान दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायें।
14. समितियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने एवं व्यय हेतु जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए समिति में किये गये एवं किये जाने वाले कार्यों तथा समस्त आय–व्यय का लेखा जोखा अनिवार्य रूप से प्रत्येक बैठक में रखा जावे।
15. समिति द्वारा लिये गये निर्णयों/प्रस्तावों का समय पर क्रियान्वयन हो एवं शीघ्र निर्णय लिये जाकर कार्य किये जावे। यदि किसी निर्णय के लागू करने में कोई विशेष कारण हो तो लोगों को अवगत करवाना चाहिए।
16. समितियों को प्राप्त होने वाले लाभांश का पारदर्शी ढंग से समुचित वितरण होना चहिए।

17. समिति को सक्रिय करने हेतु, स्थानीय जागरूक नवयुवक को सहसचिव के रूप में प्रशिक्षित किया जाये, जो विभाग तथा ग्रामीणों के बीच संपर्क सूत्र की तरह कार्य कर सके।
18. समितियां द्वारा स्वतः चराई नियंत्रण, वन सुरक्षा में भागीदारी एवं वनोपज के वितरण के लिए अपने नियम बनाये जायें, जो कार्य आयोजना के प्रावधानों तथा विभागीय नियमों के उल्लंघन में न हों। इन नियमों का स्व स्फूर्त तरीके से क्रियान्वयन किया जाये।
19. वानिकी कार्यों के मूल्यांकन में समिति सदस्यों की भागीदारी तथा मूल्यांकन के परिणामों से सभी सदस्यों को आम सभा की बैठक से अवगत करवाया जाना चाहिए एवं इस संदर्भ में सदस्यों के सुझाव भी लिये जाने चाहिए।
20. विभागीय कर्मचारियों को भी सतत् प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, एवं कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सतत् संवाद स्थापित रखा जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे।

19.14 ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम :–

संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के सुचारु संचालन एवं कार्यों के सम्पादन के लिए प्रत्येक संयुक्त वन प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नानुसार दो खाते खोले जायेंगे–

1. **विकास खाता :–** विकास खाता में वन एवं ग्राम विकास कार्य हेतु विभिन्न ऐजेंसियों से समिति को उपलब्ध कराई गई राशि को रखा जावेगा। वन विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त राशि, योजना, एन.आर.ई.जी.एस. कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में उपलब्ध कराये जाने वाली आस्था मूलक राशि, अग्नि सुरक्षा कार्यो हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि आदि इस खाते में डाली जायेगी। इस धनराशि का उपयोग उसी कार्य को पूरा करने में किया जायेगा, जिसके लिए यह राशि प्राप्त हुई है।

2- **समिति खाता :–** समिति खाता में समितियों द्वारा अर्जित राशि जैसे वन सुरक्षा के एवज में प्राप्त राशि, काष्ठ एवं बांस के विदोहन से प्राप्त लाभांश की राशि, श्रमदान से प्राप्त राशि, लघुवनोपजों के प्रसंस्करण या व्यापार एवं समिति द्वारा अन्य स्त्रोतों द्वारा अर्जित राशि आदि समिति खाते में जमा की जायेगी। इस राशि का उपयोग समिति के द्वारा आम सहमति से तय किये गये सामूहिक हित के कार्यों या आकस्मिक कार्यों में किया जायेगा इस राशि का आहरण समिति की आम सभा में लिये गये निर्णय अनुसार समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से कोई एक एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा एवं आम सभा में अनुसंशित कार्यो हेतु उपयोग किया जायेगा।

क्षेत्र भ्रमण एवं समितियों के सदस्यों से की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में समितियों के माध्यम से वन सुरक्षा एवं वन प्रबंधन में अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ, किन्तु शनैः शनैः समितियां निष्क्रिय होती जा रही है। कार्य आयोजना क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर समितियों की सक्रिय भागीदारी कम होती जा रही है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

19.15 वन विकास अभिकरण में वन समितियों की भूमिका :–

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर कार्य कर रहा था,

1. एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास योजना (Integrated Afforestation and Eco-development Project Scheme Or IAEP)
2. क्षेत्र उन्मुख जलाऊ एवं चारा विकास योजना (Area Oriented Fuel wood and Fodder Project Scheme Or AOFFPS)
3. अकाष्ठ वनोपज सह औषधीय पौध संरक्षण योजना (Conservation of Non-Timber Forest Produce including Medicinal Plants Or NTFPS)

4. बिगड़े वनों के पुनरुत्पादन में अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों का संगठन (Association of Scheduled Tribe and Rural Poor in Regeneration of Degraded Forests Or ASTRPS)

इस योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं की मध्यावधि समीक्षा में विकेन्द्रीकृत एवं वित्तीय निधि के त्वरित अन्तरण तन्त्र की सिफारिश की गई। इसके आधार पर वन विकास अभिकरण एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से एक अग्रगामी योजना ''समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना (SGVSY) 2001 में लागू की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की गईं ऐसी 47 परियोजनाएं उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना (SGVSY) 2001 को विकसित कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme Or NAP) लागू किया गया, एवं 9 वीं पंचवर्षीय योजना की समस्त वनीकरण योजनाओं के इसमें समाहित किया गया।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, वन मण्डल स्तर पर वन विकास अभिकरण के माध्यम से एवं ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से किया जाता है। वन विकास अभिकरण संबंधित वन मण्डल की संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों का एक संघ है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होता है। संयुक्त वन प्रबन्धन समितियां वन मण्डल अधिकारी के द्वारा पंजीकृत की जाती हैं। विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं पंचायती राज संस्थाएं, वन विकास अभिकरण के सदस्य होते हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारी होते हैं एवं अध्यक्ष संबंधित क्षेत्रीय वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक होते हैं।

19.16 राष्ट्रीय वनीकरण योजना :–

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता से वन संसाधन विकास है, जिसके केन्द्र में वनों के आस पास रहने वाले समुदायों, विशेषकर गरीब लोगों की आजीविका में

सुधार करना है। यह, ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से एवं वन मण्डल स्तर पर वन विकास अभिकरण के माध्यम से किये जा रहे वन सुरक्षा, प्रबन्धन एवं विकास को सहायता एवं गति प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।

19.16.1 योजना के उद्देश्य :– योजना के निम्न उद्देश्य हैं :–

1. जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर बिगड़े वनों एवं उनसे लगे क्षेत्रों का पुनर्स्थापन एवं पारिस्थितिकीय विकास।
2. पुनर्स्थापित क्षेत्रों से जलाऊ, चारा एवं घास की उपलब्धता में बढ़ोतरी करना।
3. योजना निर्माण एवं पुनर्स्थापन प्रयासों में लोगों का सहयोग प्राप्त करना एवं वनों तथा सामुदायिक संसाधनों का सहभागी प्रबंधन करना जिससे पुनर्स्थापित क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबंधन सुनिश्चित कर वनोत्पादों का समान बंटवारा किया जा सके।
4. कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।
5. ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना जिससे जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता कम की जा सके एवं उन्हें संग्रहित करने वाली ग्रामीण महिलाओं की परेशानी कम कर पर्यावरण में सुधार लाया जा सके।
6. बांस, औषधीय पौधों एवं लघु वनोपजों का संरक्षण एवं सुधार।
7. पुनर्स्थापित क्षेत्रों से अकाष्ठीय वनोपज जैसे–शहद, मोम, फल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना।
8. रोपण एवं जल संसाधन विकास के द्वारा जल संसाधनों का विकास करना।
9. उन्नत तकनीकों जैसे क्लोनल प्रोपेगेशन, पौधे तैयार करने के लिये रूट ट्रेनर का उपयोग का विकास एवं विस्तार।
10. अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टियों, बीहड़ों का सुधार ।
11. वनों में तथा आसपास निवासरत महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों एवं ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिये रोजगार का सृजन।

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है–

(क) संयुक्त वन प्रबन्धन एवं सूक्ष्म प्रबन्ध योजना निर्माण को गति प्रदान करना।

(ख) वनीकरण

1. सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन (Aided Natural Regeneration Or ANR)
2. कृत्रिम पुनरुत्पादन (Artificial Regeneration Or AR)
3. बांस रोपण (Bamboo plantation)
4. केन रोपण (Cane plantation)
5. लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के वृक्षों का मिश्रित रोपण (Mixed Plantation of trees having MFP & medicinal value)
6. बहुवर्षीय औषधीय शाक एवं झाड़ी का पुनरुत्पादन (Regeneration of perennial herbs & shrubs of medicine value)
7. चारागाह विकास (Pasture Development/ Silvipasture)

(ग) भू एवं जल संरक्षण (Soil & Moisture Conservation)

(घ) आस्थामूलक गतिविधि (Entry Point Activity)

(च) फेंसिंग, मूल्यांकन/अनुश्रवण, प्रशिक्षण, जागरूकता, ओवरहेड (Fencing, Monitoring & Evaluation, Training, Awareness raising, Overheads)

19.16.2 क्रियान्वयन एजेन्सी :–

इसका क्रियान्वयन वन मण्डल स्तर पर वन विकास अभिकरण द्वारा तथा ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिये ग्राम को इकाई माना गया है। वन विकास अभिकरण को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ संबंधित वन मण्डल में पंजीकृत होंगी। वन विकास अभिकरण कार्यों के क्रियान्वयन के लिये संयुक्त वन

प्रबंधन समितियों के साथ समझौता (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित करेगा। जिसमें आपसी कर्तव्य, अधिकार एवं भूमिकाओं का उल्लेख रहेगा। प्रोजेक्ट की स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप राशि राज्य के वन विभाग को दी जाती है, जिसे वन विकास अभिकरण के माध्यम से वन प्रबंधन समितियों को हस्तांतरित किया जाता है।

19.17 सूक्ष्म प्रबंधन योजना :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में गाँवों से लगे सीमान्त वनक्षेत्रों (Fringe Forests) के लिये पृथक से संयुक्त वन प्रबंधन का परस्परव्यापी कार्यवृत्त गठन कर उपयुक्त उपचार प्रस्तावित किये जायेंगे। इस कार्यवृत्त में वनों की संवहनीयता को सुनिश्चित करते हुए ऐसे उपचार प्रस्तावित किये जायेंगे जिनसे वनाश्रित ग्रामीण समुदायो की वनोपज, विशेषतः छोटी इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बाँस, चारा तथा अन्य अकाष्ठीय वनोपज की आवश्यकता की सतत पूर्ति होती रहे। इसमें उपचार का आवर्तन काल आवश्यकतानुसार अल्प अवधि (5 से 10 वर्ष तक) का रखा जाना उचित होगा।

शासकीय वनों के बाहर जैसे :– खेतों की मेढ़ों, घरों की बाड़ियों, पड़त भूमियों, सामुदायिक एवं निजी भूमियों पर भी काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों, ऊर्जा बचत साधनों, पशुओं के नस्ल सुधार, खूंटे पर मवेशियों को बाँध कर चारा खिलाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। वृक्षारोपणों के लिये तेजी से बढ़ने वाली ऐसी प्रजातियों का चयन किया जायेगा जिनसे ग्रामीण समुदाय की वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दुर्लभ, संकटापन्न प्रजातियों का विदोहन पूर्णतः बंद रखने हेतु स्थानीय समुदाय को प्रेरित किया जा सकता है। अकाष्ठीय वनोपज विशेषतः औषधीय पौधों के विदोहन की अवधि तथा विदोहित की जाने वाली अधिकतम मात्रा निर्धारित की जा सकती है।

कार्य आयोजना क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंध समितियों को आवंटित क्षेत्र में कार्य आयोजना में प्रावधानित उपचारों के अनुरूप समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले वनक्षेत्रों के संवर्धन एवं प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना बनायी जायेगी।

- **सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण :–**

कार्य आयोजना क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वारा ग्राम संसाधन विकास एवं उनको आबंटित क्षेत्र में कार्य आयोजना में प्रावधानित उपचारों के अनुरूप समिति के क्षेत्र अधिकार में आने वाले वनक्षेत्र के सवंर्धन एवं प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाये जाने का प्रावधान है।

क्षेत्रीय निरीक्षण एवं समितियों के मूल्यांकन के समय कहीं भी सूक्ष्म प्रबन्ध योजना की प्रति देखने को नहीं मिली। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के प्रावधानों की जानकारी एवं उसके क्रियान्वयन से क्षेत्रीय कर्मचारी एवं समिति सदस्य पूर्णतया अनभिज्ञ हैं।

अतः वन मण्डल में नये सिरे से सूक्ष्म प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने एवं समिति सदस्यों तथा वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

19.17.1 सूक्ष्म प्रबंध योजना समिति क्षेत्र में विस्तृत PRA Exercise के उपरान्त समिति सदस्यों एवं वन अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। इस योजना में ग्राम के क्षेत्र तथा समितियों हेतु चयनित वन क्षेत्र दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। योजना में वन प्रबंधन तथा ग्रामीण संसाधन विकास कार्यक्रम दोनों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित होंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना में संसाधनों की संभावित उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। शेष कार्यों को पृथक् परिशिष्ट में प्राथमिकता के अनुसार दर्शाया जाएगा। कार्यों के क्रियान्वयन की एजेंसी एवं संसाधन के संभावित स्रोत भी दर्शाए जायेंगे।

19.17.2 वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं। समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस हेतु यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वनमण्डल की कार्य आयोजना पुनरीक्षित होने के पश्चात

पुनरीक्षित कार्य आयोजना के वृहद् प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना का पुनरीक्षण कर लिया जावे।

19.17.3 उक्त सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार वनों में किये जाने वाले कार्यो के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम करते हैं तथा वन संसाधनों के बेहतर प्रबंध से जुड़े हों, उनके लिये भी राशि की व्यवस्था यथा संभव वन विभाग तथा समिति के पास उपलब्ध शासकीय राशि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि से की जाएगी। इन कार्यों के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में 25% तक योगदान आवश्यक होगा। योगदान के समतुल्य राशि कार्य के मूल प्रावधान से समिति के खाते में जमा की जाएगी, जिससे समिति द्वारा ग्रामीण संसाधन विकास के कार्य कराये जा सकेंगे।

19.17.4 वन विभाग एवं समिति द्वारा अन्य विकास विभागों के परामर्श एवं सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जायेगी ताकि ग्राम संसाधन विकास हेतु जो कार्य सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित किये जाएं, उनके क्रियान्वयन हेतु राज्य के अन्य विकास विभागों से भी तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त किये जा सकें।

19.17.5 वनाश्रित समुदायों के आर्थिक विकास तथा आजीविका सृजन के ऐसे कार्यों, जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त तथा संवहनीय हों, को सूक्ष्म प्रबंध योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा।

19.17.6 सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले ग्राम विकास कार्यों में समन्वय के लिये जिला पंचायत की वन स्थाई समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति प्रत्येक चार माह में कम से कम एक बार समन्वय हेतु बैठक आयोजित करेगी, जिसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। वन वृत्त प्रभारी द्वारा नामांकित एक वनमण्डलाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

19.18 सूक्ष्म प्रबंध योजना हेतु आंकड़ो का संकलन :–

19.18.1 सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने हेतु आंकड़े उपलब्ध प्रकाशित/अप्रकाशित अभिलेखों से संकलित किये जा सकते हैं जैसे कि पंचायत के अभिलेख, जनगणना के आंकड़े, अन्य आधिकारिक प्रतिवेदन, इत्यादि।

19.18.2 ग्राम संसाधन से संबंधित आंकड़े जैसे फसल की मात्रा, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता, जलाऊ की उपलब्धता इत्यादि एवं सामाजिक–आर्थिक आकड़े, जैसे आय के स्त्रोत आदि, मुख्यतः गांव में पी.आर.ए. तकनीक एवं प्रश्नवाचक सर्वेक्षण तकनीक द्वारा प्राथमिक तौर पर एकत्रित किये जाते हैं।

19.18.3 समिति के सदस्य परिवारों की वनोपज हेतु वनों पर निर्भरता की जानकारी हेतु प्रत्येक परिवार से परिवार मूलक जानकारी प्राप्त कर संकलित की जायेगी।

19.18.4 समस्त आंकड़ो के उपलब्ध होने पर आंकड़ो का विश्लेषण कर गाँव की प्रमुख समस्याओं की पहचान कर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप समस्याओं के समाधान प्रस्तावित किये जायेंगे।

19.18.5 सूक्ष्म प्रबंधन योजना निर्धारिते प्रारूप मे तैयार की जायेगी।

19.19 सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन :–

सूक्ष्म प्रबंध योजना को समिति संबंधित वनमंडल अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेगी। सूक्ष्म प्रबंधयोजना का संबंधित वन मण्डल अधिकारी के परामर्श पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपवनमण्डल अधिकारी द्वारा तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टि से परीक्षण के उपरान्त अनुमोदन किया जाएगा।

19.20 सूक्ष्म प्रबंध योजना का क्रियान्वयन :–

वन समिति एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एवं सक्षम वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित वन प्रबंधन तथा ग्रामीण संसाधन विकास की सूक्ष्म प्रबंध योजना जिसमें निर्धारित वन क्षेत्र की सुरक्षा, प्रबंधन एवं विकास कार्यक्रमों का विवरण होगा एवं निर्धारित वनक्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण का भी वर्णन होगा, के क्रियान्वयन में पारस्परिक सहयोग की सहमति उल्लेखित करते हुये पारस्परिक

सहमति का ज्ञापन (MOU) तैयार किया जायेगा। ज्ञापन का प्रारूप विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंध हेतु तैयार की गई मार्गदर्शिका में दिया गया है।

19.21 सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं संशोधन :–

सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण व क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जायेगा। यह कार्य सामान्यतः वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जा कर प्रतिवेदन उपवनमण्डल अधिकारी के माध्यम से वनमण्डल अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। अनुश्रवण/मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक–110 में दिया गया है। वनमण्डल अधिकारी यादृच्छ रूप से चयनित कुछ समितियों के मूल्यांकन का कार्य बाह्य संस्थाओं को भी दे सकते हैं। प्रबंध योजना क्रियान्वयन के प्रभावों के मूल्यांकन परिणामो के आधार पर भावी प्रबंधन के बारे मे सूक्ष्म प्रबंध योजना में वनमण्डल अधिकारी द्वारा समिति की सहमति से आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 एवं मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 के तहत आबद्ध समिति क्षेत्र के वनक्षेत्रों का प्रबंधन उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगा। सूक्ष्म प्रबंध योजना समिति क्षेत्र में विस्तृत PRA Exercise के उपरान्त समिति सदस्यों एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। इस योजना में ग्राम का क्षेत्र तथा समितियों हेतु चयनित वनक्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाएगा। योजना में वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास कार्यक्रम दोनों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित होंगें। सूक्ष्म प्रबंध योजना में संसाधनों की संभावित उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। कार्यों के क्रियान्वयन की एजेंसी एवं संसाधन के संभावित स्त्राोत भी दर्शाए जायेंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना को समिति संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेगी। सूक्ष्म प्रबंध योजना का तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टि से परीक्षण के उपरान्त अनुमोदन किया जाएगा।

19.22 अंतर्विभागीय समन्वय :–

ग्राम संसाधन विकास एक वृहद विषय है। वन क्षेत्र से लगे हुये ग्रामों में यह और भी चुनौती पूर्ण हो जाता है। वन विभाग के सीमित संसाधनों में ग्रामीण

क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव नहीं है। अन्य शासकीय विभागों के हितग्राही मूलक योजनाओं का वन विभाग की कार्य आयोजना में समावेश किया जाकर ग्रामों में सर्वांगीण विकास की कल्पना की जा सकती है। शासकीय योजनाओं में समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है एवं कुछ पुरानी योजनाएँ या तो समाप्त हो जाती हैं अथवा परिवर्तित रूप में नये नाम से चलने लगती हैं। अतः वनमंडल अधिकारी ग्राम स्तरीय सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने के पहले इन योजनाओं के बारे में अपनी जानकारी संबंधित विभाग से संपर्क कर अपडेट की जाना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्विभागीय समन्वय हेतु प्रमुख शासकीय विभाग निम्नानुसार हैं :–

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
2. कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
3. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
4. कुटीर एवं ग्राम उद्योग।
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
7. पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग।
8. मत्स्य पालन विभाग।
9. गैर–परंपरागत ऊर्जा विभाग ।
10. मध्यप्रदेश विद्युत मंडल।
11. प्रधानमंत्री सड़क योजना।
12. मुख्यमंत्री सड़क योजना।
13. सहकारिता विभाग।
14. सामाजिक कल्याण।
15. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
16. मध्यप्रदेश कौशल उन्नयन मिशन।

19.23 भावी प्रबंधन :–

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली को वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु एक उपयोगी अवधारणा के रूप में सर्वमान्य एवं अंगीकृत किया गया है, जिसे सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने हेतु शासन के प्रचलित निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए निम्नानुसार गतिविधियों का सम्पादन किया जायेगा :–

19.23.1 वन समितियों एवं उसकी कार्यकारिणी को सक्षम बनाने हेतु विशेष सुझाव :–

बिगड़े वनों के सुधार में वनों पर निर्भर ग्रामीणों की भागीदारी के लिए ग्रामीणों में चेतना जागृत करनी होगी। ग्रामीणों में चेतना जागृति के साथ–साथ बिगड़े वनों को उनके मूल स्वरूप में लौटाने हेतु निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे:–

1. सर्वप्रथम बिगड़े वन क्षेत्र एवं उन पर निर्भर ग्रामों का निर्धारण आवश्यक है। इस प्रकार के ग्रामों की सूची, सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार करते समय प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की जायेगी।
2. इन ग्रामों में प्रारम्भिक बैठक कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी जायेगी। व्यवस्था में ग्रामीणों के कर्तव्य, दायित्व एवं इसके एवज् में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी।
3. ग्रामीणों की सामान्य बैठक बुलाकर ग्राम वन समिति के गठन के संबंध में बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जायेगा। इसके लिए गांव के वयस्क निवासियों के 50% से अधिक की सहमति से समिति गठित होना अनिवार्य है। इस बैठक में समिति के अन्तर्गत कार्यकारिणी का गठन भी किया जायेगा। युवा, महिलाओं एवं गरीब तबके को कार्यकारिणी में स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा।
4. निम्नानुसार बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ग्राम का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण किया जावेगा :–

   (क) ग्राम के निवासियों का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण ।

   (ख) ग्रामीणों के कृषि का स्तर एवं उसमें उन्नति की संभावना ।

(ग) जलग्रहण क्षेत्र, भूमि एवं जल–संरक्षण की विद्यमान अवस्था तथा जल संसाधन विकसित करने की संभावना ।

(घ) वनोपज प्राप्ति के वर्तमान स्त्रोत, वनोपज की वार्षिक खपत, आवश्यकता की तुलना में खपत।

(ड़) गाँव में पड़त भूमि का क्षेत्र, उसका वर्तमान उपयोग, उस पर काबिज (अतिक्रामक) व्यक्ति।

(च) चारा/पशु खाद्य एवं जलाऊ लकड़ी की गाँव के अन्दर ही वैकल्पिक उत्पादन की संभावना।

(छ) पशुओं की चराई की वर्तमान व्यवस्था तथा वनों पर चराई बोझ कम करने के उपाय की संभावना।

(ज) गाँव में कुटीर उद्योग प्रारम्भ करने की संभावना एवं उसके लिए कच्चे माल के उत्पादन एवं आपूर्ति की संभावना ।

5. उपरोक्त अध्ययन में गाँव के निवासियों से सतत् वार्तालाप एवं गहन सम्पर्क आवश्यक होगा।
6. उपरोक्त प्रबंधन योजना के प्रस्ताव सर्वप्रथम कार्यकारिणी के समक्ष एवं तदुपरान्त समिति की साधारण बैठक में रखे जायेंगे। ग्रामीणों द्वारा जो संशोधन/सुझाव रखे जायेंगे, उन पर विचार कर स्वीकार योग्य सुझाव सम्मिलित किए जायेंगे। जो सुझाव स्वीकार नहीं किये जायेंगे, उनके विषय में पूर्ण विवरण/कारण ग्रामीणों को देना चाहिये। ग्रामीणों एवं समिति का क्या दायित्व होगा, उनकी सुविधाओं को किस प्रकार नियंत्रित किया जायेगा तथा वनोपज एवं उपलब्ध वन सुविधाओं का उचित वितरण कैसे होगा, यह वनाधिकारी एवं समिति सदस्य ग्रामीणों को बतायेंगे। ग्रामीणों से प्रस्तावित योजना का अनुमोदन लिया जायेगा।
7. अनुमोदित प्रबंधन योजना पर विचार कर वन मण्डलाधिकारी स्वीकृति देंगे तथा योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था करेंगे।

8. बिगड़े वन क्षेत्रों के प्रबंधन तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों के संचालन में ग्राम वन समिति तथा कार्यकारिणी के माध्यम से ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
9. समितियों की नियमित बैठक हेतु रोस्टर बनाकर तद्नुसार बैठक लिया जाना सुनिश्चित होना चाहिये। बैठकों में सभी वर्गो तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाना चाहिये। प्रत्येक समिति की बैठक में कम से कम माह में एक बार परिक्षेत्र सहायक या उससे वरिष्ठ अधिकारी का उपस्थित रहना सुनिश्चित किया जावे।
10. समिति खातों में उपलब्ध राशि का उपयोग ग्राम संसाधन विकास कार्यो में नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा व्यय की गई राशि तथा किये गये कार्यो का मूल्यांकन समयबद्ध किया जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि का समुचित उपयोग हो सकें।
11. समिति की बैठकों में सदस्यों से वनों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, सामूहिक गश्ती आदि विषयों पर विचार विमर्श कर इसके संबंध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाना चाहिये।
12. कार्य आयोजना क्षेत्र में अकाष्ठीय वनोपज महुआ, गुठली से तेल निकालना, शहद संग्रहण तथा परिष्कृत एवं मधुमक्खी पालना, दोना पत्तल निर्माण, टोकनी निर्माण, अगरबत्ती काड़ी, आंवला संग्रहण एवं मुरब्बा निर्माण आदि समितियों के माध्यम से कराये जाने चाहिये ताकि समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
13. समिति कार्य आयोजना क्षेत्र के शेष बचे वन क्षेत्र को 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर बचे ग्रामों को प्रेरित कर समितियों का गठन किया जाना चाहिये तथा समितियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुये शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हीं के माध्यम से किया जाना चाहिये ताकि समितियों में –

    (1) पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रादुर्भाव हो।
    (2) रोजगार के साधन ग्राम में उपलब्ध हो सके।
    (3) भू–जल स्तर में बढ़ोतरी हो।

(4) मूल आवश्यकता जैसे जलाऊ, चारा, इमारती काष्ठ की आवश्यकता की पूर्ति ग्राम के पास हो सके।

(5) जल, जंगल, जानवर, जमीन के समुचित विकास हेतु जन चेतना आवे।

19.23.2 समितियों के कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु सुझाव :–

वनमण्डल में संयुक्त वन प्रबंधन की मंशा अनुसार समितियों में वन प्रबंधन में भागीदारी एवं पारदर्शिता लाने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जाते है:–

1. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत जो प्रबंधन योजना बनाई जावे वह PRA के आधार पर बनाई जावे ताकि क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के आधार पर योजना तैयार हो सके।
2. जो ग्रामीण वनों की अवैध कटाई में संलग्न है, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करना चाहिये तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाने चाहिए।
3. समिति क्षेत्रों में अन्य विकास एजेन्सियों से राशि प्राप्त कर वन संसाधन के कार्य कराए जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि समिति की सक्रियता बनी रहे।
4. स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि वे अपने स्तर पर प्रयास कर समितियों को पूर्ण आत्मनिर्भर बना सकें।
5. समितियों द्वारा कराये गये अच्छे कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार भी किया जाना चाहिये ताकि वे भविष्य में और अधिक अच्छे कार्य करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें।
6. समितियों का मूल्यांकन निष्पक्ष बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।

7. समितियों की बैठकों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित् करना चाहिए कि बैठकों में लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन हो।
8. समिति स्तर पर घांस उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाना चाहिये ताकि समिति स्तर पर घांस से अधिक राशि प्राप्त हो सके।
9. समिति स्तर पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत् वानिकी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिये।
10. वनमण्डल स्तर पर समितियों का सम्मेलन, समिति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजना आदि नियमित रुप से करने से वन सुरक्षा में भागीदारी बढ़ सकेगी।
11. समिति स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छ भारत अभियान एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार दृश्य–श्रव्य माध्यमों से नियमित रुप से किया जाना चाहिये।
12. समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिला–बाल विकास स्कूल, शिक्षा विभाग से समन्वय कर शासन की योजनाओं का लाभ सूदूर वनक्षेत्रों के गाँवों में सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

समितियों के पास उपलब्ध वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग करना भी आवश्यक है। समितियों के खातों में काफी धन राशि जमा होती है, जिसका उपयोग वानिकी परियोजना द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए तथा समितियों के खातों की जांच एवं लेखाओं का परीक्षण निष्पक्ष एजेंसी द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

19.23.3 प्रबंधन योजना के अनुमोदन में ध्यान रखने योग्य विषय :–

1. वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं। समिति से संबद्ध वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य कार्य आयोजना के वृहद प्रावधानों के अनुरूप रहेंगे। सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस हेतु यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वनमण्डल की कार्य

आयोजना पुनरीक्षित होने के पश्चात् कार्य आयोजना के वृहद प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना का पुनरीक्षण कर लिया जावे।

2. उक्त सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार वनों में किये जाने वाले कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम करते हैं तथा वन संसाधनों के बेहतर प्रबंध से जुड़े हों, उनके लिये भी राशि की व्यवस्था यथा संभव वन विभाग तथा समिति द्वारा शासकीय राशि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों तथा अन्य स्त्रोतों से की जाएगी।
3. ग्राम संसाधन विकास कार्य हेतु जो कार्य सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित किये जाएंगे उनके क्रियान्वयन हेतु राज्य के अन्य विकास विभागों से तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त किये जा सकेंगे।
4. विभिन्न प्रकार की आर्थिक उन्नयन की गतिविधियाँ जैसे लाख उत्पादन, टसर रोपण, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, लेंटाना से फर्नीचर का निर्माण, मुर्गी पालन, लघु वनोपज का संग्रहण, सीताफल, प्रसंस्करण एवं विपणन एवं औषधीय पौधों की खेती इत्यादि अन्य विभागों के समन्वय से हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समिति के सदस्य एवं स्व सहायता समूहों द्वारा लिया जा सकता है।
5. संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–88 में दी गई है।

19.24 वनमण्डल अधिकारी हेतु ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. समिति को प्रदायित काष्ठ/बांस/तेन्दूपत्ता लाभांश राशि से प्रावधान अनुसार वन विकास कार्य एवं अधोसंरचना का विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जावेगा।
2. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा संचालित एकलव्य योजना के लाभ के बारे में समितियों के समस्त परिवारों को अवगत कराया जावेगा।

3. संरक्षित वनों का ग्राम वन समिति द्वारा प्रबंधन के संबंध में म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्र. /एफ–25–1/2004/10–3 दिनांक 01.07.2015 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं जो कि परिशिष्ट क्रमांक–112 में दिये गये हैं। ग्रामीण समुदाय की प्रबंधन में सहभागिता के परिणामस्वरुप संरक्षित वनों में वनावरण में वृद्धि अथवा सुधार होने के संबंध में निष्कर्ष उक्त क्षेत्र की पिछली कार्य आयोजना में उक्त वन क्षेत्र पर वनावरण की स्थिति की तुलना वर्ष 2015 के लिये उपलब्ध सेटेलाइट इमेजरी अनुसार उक्त वन क्षेत्र पर वनावरण की वर्तमान स्थिति से तुलना किया जाएगा। इस बिन्दु पर वनमंडल अधिकारी अपना स्पष्ट अभिमत जिला कलेक्टर को संसूचित करेंगे जिससे जिला कलेक्टर उक्त वन क्षेत्र को संबंधित ग्राम सभा के साथ प्रबंधन के लिये सम्बद्ध किये जाने वाली वन क्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये एवं तद्नुसार मानचित्र पर अंकन किया जाये। कलेक्टर द्वारा नियम–03 के अंतर्गत आदेश पारित करने पर संबंधित ग्राम वन समिति उक्त संरक्षित व क्षेत्र का प्रबंधन मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 के उपबंधों अनुसार करेगी।

4. अधिसूचित ग्राम वनों का ग्राम वन समिति द्वारा प्रबंधन म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्र. /एफ–25–12/2015/ 10–3/1241 दिनांक 15.07.2015 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। ग्रामीण समुदाय द्वारा वनों के संरक्षण हेतु किये जा रहे इस योगदान का संज्ञान लेते हुए उन्हें इन वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये और अधिक प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आरक्षित वन, जो पूर्व में बिगड़े वन की श्रेणी में थे तथा स्थानीय ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के कारण उन वन क्षेत्रों पर वनावरण में वृद्धि तथा सुधार परिलक्षित हुआ है, उनको भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 28 के अन्तर्गत् ग्राम वन अधिसूचित किया जाये। मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 के अंतर्गत प्रबंधन हेतु सामान्यतः उसी ग्राम वन समिति को निर्दिष्ट किया जावे

जिसके द्वारा संयुक्त वन प्रबंध अन्तर्गत इन्हें संरक्षित किया गया है। ग्रामीण समुदाय की वन प्रबंधन में सहभागिता के परिणामस्वरूप आरक्षित वन के वनावरण में वृद्धि अथवा सुधार होने के संबंध में निष्कर्ष उक्त क्षेत्र की पिछली कार्य आयोजना में उक्त वन क्षेत्र पर वनावरण की स्थिति की तुलना वर्ष, 2015 के लिये उपलब्ध सेटेलाइट इमेजरी अनुसार उक्त वन क्षेत्र पर वनावरण की वर्तमान स्थिति से करके किया जाएगा। इस बिन्दु पर वनमण्डल अधिकारी अपना स्पष्ट अभिमत मय प्रारूप अधिसूचना मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वृत्त को देंगे जो अपनी टीप दर्ज कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य शासन को संसूचित करेंगे। वन क्षेत्र को संबंधित ग्राम वन समिति को निर्दिष्ट करने हेतु अधिसूचना राज्य शासन द्वारा जारी की जावेगी। निर्दिष्ट किये जाने वाले वन क्षेत्र की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख वनमण्डल अधिकारी द्वारा अधिसूचना प्रारूप में किया जावेगा तथा अधिसूचना उपरान्त उन सीमाओं का मानचित्र पर अंकन कराया जायेगा। संबंधित ग्राम वन समिति उक्त ग्राम वन का प्रबंधन मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम–2015 के उपबंध अनुसार करेगी।

19.25 संयुक्त वन प्रबंधन की कमियाँ दूर करने हेतु सुझाव :–

1. महिलाओं की भागीदारी में कमी का कारण अशिक्षा है, इसलिये महिलायें पुरूषों से संगठनात्मक कार्यों में अलग रहती हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु क्षेत्र विशेष में जागरूक अग्रणी महिलाओं को आगे लाना, समुचित प्रशिक्षण, महिला समूह गठित करना, उनमें समूह भावना पैदा करना, समिति की बैठकों में महिलाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला शिक्षक, महिला जन प्रतिनिधि, सरपंच, पंच आदि के माध्यम से महिलाओं को आगे लाना होगा।
2. समझौता पत्र (MOU)– स्थानीय भाषा में हो तथा समिति की बैठक में पढ़कर सुनाया जावे। समझौता पत्र को प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जावे तथा पंचायत को भी प्रतियां दी जावें।

3. उन परिस्थितियों का विकास करना जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में उपेक्षित समाज अपनी बातों को बैठकों में रख सके तथा लिये गये निर्णयों को प्रभावित कर सके। अतः ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए जहॉ लोग अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर रख सकें।
4. प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण हो। स्त्रोतों पर ज्यादा जोर हो न कि राजस्व पर तथा सतत् विकास पर बल दिया जावे।
5. सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित् की जावे एवं उसका क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जावे।
6. ऐसे प्रयास किये जावें कि समितियाँ स्वतः वन सुरक्षा हेतु अपने नियम बनायें एवं उनका क्रियान्वयन करें।
7. **संगठनात्मक गतिविधियों पर जोर–** अधिक से अधिक लोग समिति की बैठक में उपस्थित हों ऐसे प्रयास किए जाने होंगे।
8. पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के स्थान पर आवश्यकता आधारित उद्देश्य तय किए जावें।
9. स्थानीय सामाजिक विषयों एवं समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाकर समस्या को दूर किये जाने की योजना तैयार की जावे।
10. **इको सेंटर तथा अन्य भवनों का निर्माण–**समितियों के क्रियाकलापों के संचालन हेतु इको सेंटर एवं अन्य आवश्यक भवनों का निर्माण किया जावे।
11. **समिति सदस्यों का प्रशिक्षण–** समिति सदस्यों का समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर लेखा प्रक्रिया, वन प्रबंधन, वनसुरक्षा, ग्राम संसाधन विकास इत्यादि विषयों का तकनीकी आधारित ज्ञान दिये जाने हेतु अधिक से अधिक प्रशिक्षण केम्प आयोजित किये जावें।
12. संवेदनशील वनक्षेत्रों में वनसुरक्षा के दृष्टिकोण से समितियों से चर्चाकर सुरक्षा समूहों का गठन किया जावे, जिससे अग्नि समस्याएँ, शिकार, अवैध कटाई , अतिक्रमण से वनों की सुरक्षा की जा सके।

13. आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता, समिति खातों में एकाधिकार समितियों को दिये जावें तथा समितियों को स्वतंत्र रूप से कार्य एवं व्यय का एकाधिकारी बनाए जाने की दिशा में प्रयास किया जावे।
14. समिति द्वारा लिये गये निर्णयों/प्रस्तावों का समय पर क्रियान्वयन हो एवं शीघ्र निर्णय लिये जाकर कार्य किये जावें। यदि किसी निर्णय के लागू न करने में कोई विशेष कारण हो तो लोगों को अवगत करवाना चाहिए। अनुश्रवण प्रणाली को भी प्रभावी बनाया जावे।
15. समिति द्वारा लिये निर्णयों में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए।
16. लाभांश का समुचित वितरण होना चाहिए। समिति क्षेत्र से होने वाले लाभ के वितरण में पारदर्शिता होनी चाहिए।
17. बैठक नियत समय पर तथा समुदाय द्वारा तय स्थल पर आयोजित करना चाहिए एवं आगामी बैठक तिथि की जानकारी पिछली बैठक में तय करना चाहिए। बैठक की कार्यवाही स्थानीय भाषा में की जावे, बैठक स्थल सार्वजनिक जगह पर रखा जावे। बैठक में हुए निर्णय को उसी दिवस लिखा जावे तथा लोगों को पढ़कर सुनाया जावे।
18. समिति को सक्रिय करने हेतु स्थानीय जागरूक नवयुवक को सम्पर्क सूत्र/प्रेरक सहसचिव के रूप में प्रशिक्षित कर समिति स्तर पर या समिति समूह स्तर रखा जावे जो विभाग तथा ग्रामीणों के बीच सम्पर्क सूत्र की तरह कार्य कर सकें।
19. समिति में प्राप्त होने वाली समस्त आय–व्यय का लेखा जोखा अनिवार्य रूप से प्रत्येक बैठक में रखा जावे।
20. समिति सदस्यों को प्रत्येक बैठक में कर्तव्य बोध से भी अवगत करवाया जावे। समिति द्वारा बनाये गये सुरक्षा संबंधी निर्णयों के उल्लंघन पर समिति द्वारा कुछ अर्थदण्ड का प्रावधान भी किया जा सकता है। समितियाँ स्वतः चराई नियंत्रण, वन सुरक्षा में भागीदारी, वनोपज के वितरण के अपने नियम बनायें एवं उनका क्रियान्वयन करें। इन नियमों

का अवलोकन परिक्षेत्र स्तर पर किया जावे परन्तु कार्य आयोजना के प्रस्ताव तथा विभागीय नियमों के प्रतिकूल नियम मान्य न किये जावें।

21. कक्ष इतिहास की प्रति, सूक्ष्म प्रबंध योजना की प्रति, समझौता पत्रक की प्रतियां अनिवार्य रूप से समिति अध्यक्ष के पास रहे।

22. **लघु वनोपज के माध्यम से आय के साधनों में वृद्धि करना :–** लघु वनोपज जिसे गौण वनोपज की श्रेणी में रखा गया है, वास्तव में यह वनवासियों के लिये मुख्य वनोपज है। अतः इसी दृष्टिकोण से इसके प्रबंधन, प्रसंस्करण, विक्रय व्यवस्था के साथ–साथ इनके पुनरुत्पादन, सामयिक तथा संतुलित दोहन हेतु समितियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

23. **जल स्रोतों का विकास :–** वन क्षेत्रों में छोटे–छोटे जल स्त्रोतों नदी, नाले, झिरिया आदि के विकास से न केवल भू–जल स्तर में सुधार होगा बल्कि वन्य प्राणियों का भी संरक्षण होगा। जल स्रोतों के विकास से जल के संरक्षण के साथ–साथ मृदा संरक्षण का भी कार्य होगा। भूमि कटाव रूकेगा। जल स्त्रोत विकास से आसपास के कृषि क्षेत्रों में भी जल उपलब्धता बढ़ेगी। इस प्रकार के कार्य सूक्ष्म प्रबंध योजना में शामिल किए जावें।

24. श्रेणीकृत की गई समितियों के विषय में समिति तथा सचिव को अवगत करवाना तथा उनमें सुधार के प्रयास किया जाना चाहिए। अच्छी सक्रिय समितियों को पुरूस्कृत करना चाहिये।

25. वानिकी कार्यों के मूल्यांकन में समिति सदस्यों की भागीदारी तथा मूल्यांकन के परिणामों से सभी सदस्यों को आम सभा की बैठक में अवगत करवाया जाना चाहिए एवं इस संदर्भ में सदस्यों के सुझाव भी लिये जाने चाहिए।

26. चराई नियंत्रण के संबंध में जो समितियाँ अपने क्षेत्र में चारा उत्पादन बढ़ाती हैं तथा पशुओं की संख्या में कमी करने का प्रयास कर रही हों उन्हें विशेष रूप से पुरूस्कृत करना चाहिए। इन क्षेत्रों में उन्नत पशु, पशु स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रयास करने चाहिए।

27. समितियों के द्वारा अर्जित आय से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं इस हेतु आवश्यक कौशल उन्नयन किया जावे।
28. ग्रामीणों एवं जनजाति समुदायों के जैव संसाधनों से संबंधित पारम्परिक ज्ञान एवं विधियों के उपयोग एवं विकास हेतु इन समुदायों और वन समितियों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी स्थापित कर वन प्रबंधन में उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जावे।
29. वन कर्मियों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों के बीच सौहार्द, सामंजस्य एवं अच्छा कार्यव्यवहार स्थापित करने हेतु संयुक्त कार्यशालाऍ आयोजित की जावें।
30. कार्यकाल पूर्ण होने पर समय पर पुनः चुनाव करवाया जावे।
31. समितियों को और प्रगतिशील बनाने हेतु संकल्प 2001 की कंडिका क्रमांक 6.8, 6.9 एवं 6.10 के तहत सहायक सचिव एवं सचिव बनाया जावेगा।

19.26 संयुक्त वन प्रबंधन के सशक्तिकरण के बिंदु एवं आकलन हेतु सूचकः–

संयुक्त वन प्रबंधन का संकल्प स्थानीय समुदायों को शक्ति दिये जाने के संदर्भ में सुस्पष्ट है किंतु सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाओं के कारण ग्रामीण उससे मिले अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते। अतः संयुक्त वन प्रबंधन की सशक्तिकरण की गतिशीलता उससे उपजे प्रभाव के सही आकलन हेतु कुछ संकेतक है, जिस पर विचार कर संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाकर आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। सशक्तिकरण के मुख्य सूचक निम्न उल्लेखित किये गये हैं –

(i) भागीदारी एवं सहभागिता।
(ii) सूचना का अधिकार एवं पहुँच।
(iii) संगठनात्मक क्षमता विकास।
(iv) उत्तरदायित्व।
(v) सुविधाओं का उपयोग एवं पहुँच।
(vi) अद्योसंरचना का विकास।
(vii) महिलाओं की भागीदारी।

19.27 त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं वन विभाग :–

भारत में पंचायती राज संस्थायें साधारण लोगों की उनके अपने शासन में भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिये सरकार को विकेन्द्रित करने की दिशा में विकसित हुआ एक प्रयास है। भारतीय संसद द्वारा पारित किये गये 73 वें संविधान संशोधन, 1993 से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ। पंचायती राज संस्थायें गांव, जनपद और जिला स्तर पर काम करती हैं। वर्ष 1996 में पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया है। उपरोक्त दोनों संवैधानिक प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की स्थापना की गई है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को वन विभाग से संबंधित अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है।

19.28 त्रिस्तरीय पंचायतों को वन विभाग से संबंधित अधिकारों का प्रत्यायोजन :–

73वें संविधान संशोधन, 1993 एवं पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत निम्न अधिकार प्रत्यायोजन किये गये हैं:–

1. संयुक्त वन प्रबंध समितियों के पंचायतों के साथ व्यवहारिक संबंध बनाये जाना।
2. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रावधानित ग्रामों का विस्थापन एवं अभयारण्य की घोषणा करने के पूर्व ग्राम सभा से पारदर्शिता के साथ परामर्श किया जाना।
3. अकाष्ठीय वनोपज में स्थानीय समुदाय के भागीदारी एवं स्वामित्व तथा व्यापार से लाभ का बटवारा किया जाना।
4. भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का क्रियान्वयन पंचायती राज की भावनाओं के तहत किया जाना।
5. मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 के तहत दिये गये अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन किया जाना।

6. मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 के तहत दिये गये अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन किया जाना।
7. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी एवं जलाऊ तथा चारागाह विकास हेतु योजना तैयार की जाकर क्रियान्वित किया जाना।
8. सामुदायिक संसाधनों का संवर्धन एवं संरक्षण किया जाना।
9. संयुक्त वन प्रबंध समितियों को आवंटित वनक्षेत्र में सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जाकर क्रियान्वित किया जाना।
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण विकास तथा वन विकास कार्यो को प्राथमिकता के साथ कराया जाना।
11. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत ग्रामीणों को अधिकार दिया जाना। परिशिष्ट क्र.–57 में दिया गया है।

19.29 प्रस्तावित उपचार पद्धति :–

संयुक्त वन प्रबन्धन को सुदृढ़ करने एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के सशक्तीकरण हेतु निम्नानुसार गतिविधियां प्रस्तावित हैं,

19.29.1 ग्राम संसाधन विकास :– ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम को निम्नानुसार घटकों में बांटा जा सकता है–

19.29.1.1 वन भूमि में :– वन भूमि किये जाने वाले सभी कार्य उक्त क्षेत्र के लिए कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों के अनुरूप ही किया जायेगा। इस आधार पर इसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए निम्नानुसार गतिविधियां ली जायेंगी–

1. वनों की सुरक्षा एवं जैवविविधता संरक्षण।
2. स्थानीय लोगों की संसाधन आधारित आवश्यकताओं जैसे जलाऊ, चारा, इमारती काष्ठ, आदि की पूर्ति के लिए रोपण कार्य, वनों की उत्पादकता मे वृद्धि, एवं प्राकृतिक पुनरूत्पादन में वृद्धि।
3. सुरक्षा एवं संरक्षण मे योगदान के फलस्वरूप वनोपज में हिस्सेदारी।

4. महत्वपूर्ण अकाष्ठ वनोपजों, औषधीय पौधों, जड़ी–बूटियों, आदि की उत्पादकता को दीर्घकाल तक स्वयंपोषित बनाए रखते हुए संग्रहण तथा सुरक्षित भंडारण।
5. स्थानीय ग्रामीणों के लिए लघु एवं मध्यम काष्ठ एवं काष्ठेतर संसाधनों की उपलब्ध।
6. संपूर्ण अथवा आवर्ती आधार पर चराई बंद कर अथवा खरपतवार का उन्मूलन कर या अच्छी प्रजातियों का रोपण कर चारागाह विकास।
7. मृदा–जल संरक्षण कार्य।

19.29.1.2 निजी कृषि भूमि पर :– निजी कृषि भूमि पर निम्नानुसार कार्यो से संबंध रखने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी,

1. उन्नत असिंचित कृषि तकनीक (उन्नत बीज, जैविक खाद, उर्वरक)
2. उन्नत कृषि उपकरण प्रदाय,
3. भूमि समतलीकरण एवं भूमि बंधान,
4. सतही एवं भूमिगत जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन (स्प्रिंकलर सिंचाई),
5. नकदी फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मसाले, औषधीय पौधों को प्राथमिकता,
6. खेतों की मेड़ों पर ईंधन, चारा, फलदार प्रजातियों एवं बांस का रोपण,
7. निजी एवं सामुदायिक भूमि पर रेशम कृमि पालन,
8. उद्यानिकी एवं सब्जी उत्पादन,
9. मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन,
10. कंपोस्ट खाद एवं वर्मीकल्चर से केंचुआ खाद निर्माण,
11. गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना

19.29.1.3 लघु सिंचाई योजनाएं :– लघु सिंचाई के लिए निम्नानुसार कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी–

1. नदी–नालों पर स्टॉप डैम का निर्माण
2. ग्राम के तालाबों का विकास गहरीकरण या नए तालाब का निर्माण
3. नदियों, जलाशयों तथा कुओं पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जिसमें डीजल या विद्युत पंप सेटों का उपयोग हो।
4. नये कुएं का निर्माण

19.29.1.4 **पशुपालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम :–** पशुपालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम में निम्नानुसार कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी–

1. पशु नस्ल सुधार के अन्तर्गत स्थानीय सांडों को बधिया कर उन्नत नस्ल के सांडों से या कृत्रिम प्रजनन से अच्छी, स्वस्थ मादाओं का गर्भाधान कराना।
2. सहकारी दुग्ध विकास एवं विक्रय अवलंबन का निर्माण।
3. मुर्गीपालन एवं शूकर पालन।

19.29.1.5 **कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम :–** कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम में निम्नानुसार कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी–

1. बांस से विभिन्न सामग्रियां बनाना, किराना दुकान, जनरल स्टोर, सिलाई मशीन, सबई रस्सी बनाना, आदि एवं उपरोक्त कार्यों संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण।
2. उपयुक्त तकनीक और मूलाधार सुविधाओं के विकास द्वारा स्थानीय शिल्प का उन्नयन, जैसे बांस की टोकरी बनाने वालों को कलात्मक वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण।
3. स्थानीय औषधीय पौधों, जड़ी–बूटियों एवं सुगंधित तेलों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्य संवर्द्धन।

19.29.1.6 **अधोसंरचना विकास कार्यक्रम :–** अधोसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य सम्मिलित किए जा सकते है।

1. सामुदायिक भवन, शाला भवन निर्माण/सुधार, शिक्षक आवास, ग्राम पहुंच मार्ग निर्माण/सुधार, विद्युतीकरण, बालवाड़ी भवन।

2. पेयजल हेतु नए कुएं का निर्माण/गहरीकरण तथा हैंडपंप निर्माण/सुधार।
3. मृदा–जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत चेक डैम निर्माण, गली प्लगिंग, तालाब गहरीकरण, खेत की मेड़ बंधान एवं समतलीकरण आदि।

19.29.2 अन्य विभागों की गतिविधियां :– ग्राम संसाधन विकास कार्यों में कई विभागों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का समन्वय करके ग्राम संसाधन विकास का कार्य अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। यहॉ यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस सूची में दर्शित योजनाओं में समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है एवं कुछ पुरानी योजनाएं या तो समाप्त हो जाती हैं अथवा परिवर्तित रूप में नए नाम से चलने लगती हैं। अतः वन मंडलाधिकारी द्वारा ग्राम स्तरीय सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने के पूर्व इन योजनाओं के बारे में अद्यतन जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार दी जा रही हैं।

19.29.2.1 ग्रामीण विकास विभाग :– इस विभाग के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित होती हैं–

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत परिवारों को वर्ष में 100 दिवस का रोजगार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचा कर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत ग्राम सभा के अनुमोदन से हितग्राही का चयन किया जाकर, 10 से 20 स्वरोजगारियों के समूह के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रू. 1.25 लाख तक सहयोग दिया जाता है।
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने एवं उसके द्वारा

स्थायी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन एवं अधोसंरचना के विकास का कार्य किया जाता है।

4. ट्राइसेम के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के युवकों को 3–6 माह का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान मासिक वृत्ति दी जाती है एवं स्वरोजगार हेतु औजार या टूल बॉक्स एवं कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है।
5. सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा–जल संरक्षण, जल संसाधन विकास, चारागाह विकास, रेशम कृमि पालन, पशुधन विकास इत्यादि कार्य किया जाता है।
6. स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत, सामान्य ग्रामों के लिए 10 प्रतिशत एवं अ.जा./ अ.ज.जा. ग्रामों के लिए 5 प्रतिशत राशि जमा कराने पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

19.29.2.2 ग्रामीण विकास विभाग :– विभाग के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जाती हैं–

1. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आवास निर्माण हेतु राशि का प्रदाय किया जाता है।
2. कच्चे मकानों को पक्का करना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आवास मरम्मत, शौचालय व धुंआरहित चूल्हे के लिए राशि का प्रदाय किया जाता है।
3. ग्रामीण आवास एवं ऋण योजना के अन्तर्गत, 32,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को बैंक से 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, जिसमें 10,000 रुपये अनुदान होता है।
4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध या 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा या परित्यक्ता महिला या 6 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग जो 6–14 वर्ष आयु में अध्ययनरत रहे हों, को प्रतिमाह पेंशन का प्रदाय।

5. शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत, 1 कि.मी. परिधि में शिक्षा सुविधा उपलब्ध न होने पर, बच्चों के लिए एवं अ.जा./अ.ज.जा. क्षेत्रों में शिक्षक की नियुक्त की जाती है।

19.29.2.3 महिला एवं बाल विकास विभाग :– महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित हैं,

1. राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना योजना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 19 वर्ष से अधिक ग्रामीण महिला को प्रसव से 2–3 माह पूर्व, दो बच्चों तक अनुदान दिया जाता है।
2. राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत छोटे परिवार के महत्व को समझते हुए स्वेच्छा से उसे नियोजित करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

19.29.2.4 कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं :– कृषि विभाग के द्वारा निम्नानुसार हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित की जाती हैं–

1. प्रमाणीकृत बीज खरीदी के लिए अनुदान।
2. मिनी किट योजना के अन्तर्गत दलहनों, तिलहनों व खाद्यान्नों के बीज निःशुल्क प्रदाय किये जाते हैं।
3. अ.जा./अ.ज.जा. के किसानों को रियायती दरों पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराई जाती है।
4. गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाता है।
5. छोटे एवं सीमांत किसानों को असफल कुंओं पर व्यय का शत प्रतिशत भुगतान किया जाता है।
6. सिंचाई हेतु ट्यूब वेल, लिफ्ट इरिगेशन या डायवर्शन के लिए पाइपलाईन, लघु सिंचाई, फव्वारा या टपक सिंचाई हेतु अलग–अलग दरें पर अनुदान दिया जाता हं।
7. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, अ.जा./अ.ज.जा. एवं छोटे तथा सीमांत किसानों को प्रमाणित बीज, पौध संरक्षण यंत्र, कृषि यंत्र, कीटनाशक, जैविक उर्वरक, आदि पर अलग–अलग दरों पर अनुदान प्रदान किया जाता हैं।

8. फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, ऋण लेने वाले किसानों को वर्तमान में 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान सहकारी बैंकों/समितियों से किया जाता है।
9. कृषि प्रदर्शन प्लाट तैयार कर कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिये जाता है।
10. राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा जलग्रहण क्षेत्र भूमि विकास योजना के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्रवार मेढ़बंधान तथा भूमि के विकास के लिये सहायता प्रदान की जाती है।

19.29.2.5 उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं :– उद्यानिकी विभाग के द्वारा निम्नानुसार हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित की जाती हैं–

1. इच्छुक किसानों को फलोद्यान निर्माण एवं पौध संरक्षण यंत्र क्रय हेतु सहायता राशि तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
2. स्वसहायता समूहों, समितियों तथा पंचायतों को शासकीय एवं निजी भूमि पर फलोद्यान रोपण योजना में तकनीकी जानकारी एवं सहयोग राशि उपलब्ध कराया जाता है।
3. बेर, आम, आंवला के देशी पौधों पर अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त करने के लिये बूटी (ग्राफ्ट) बांधने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण एवं रियायती दर पर पौधा प्रदान किया जाता है।
4. इच्छुक किसानों को स्थल की स्थिति के अनुसार साग–सब्जी उगाने के लिये तकनीकी जानकारी एवं बीज पौध उपलब्ध कराये जाते है।

19.29.2.6 ग्रामोद्योग विभाग :– ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित हैं,

1. एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना करके परंपरागत शिल्पों में ग्रामीणों एवं युवाओं को प्रशिक्षण एवं विभिन्न दस्तकारियों के लिये प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाकर बाजार उपलब्ध कराया जाता है।

2. यंत्रों की खरीदी पर, अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्यों के लिए शत प्रतिशत तथा अन्य के लिए 75 प्रतिशत तक अनुदान, जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है।
3. संबंधित विकासखंड द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए शत प्रतिशत तथा अन्य के लिए 75 प्रतिशत तक राशि वर्कशाप निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
4. हाथकरघा :– सहकारी बुनकर समितियों के सदस्यों को 10 रु. के योगदान पर 90 रु. का सहयोग तथा 6 माह का प्रशिक्षण एवं आधुनिक उपकरणों पर तत्समय प्रवृत्त दर अनुसार अनुदान प्रदान किया जाता है। अंशपूंजी का तीन गुना ऋण भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
5. खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिये अ.जा./अ.जजा. को 90 प्रतिशत तक सहायता राशि एवं विनिर्मित माल के निर्वर्तन के लिए अवलम्बन प्रदान किया जाता है।
6. रेशम विभाग द्वारा रेशम एवं टसर के उत्पादन हेतु कीटों के अंडों का निःशुल्क वितरण, घोषित दरों पर कोकून खरीदी तथा निर्मित रेशम/टसर धागो की पुनः खरीद की गारंटी है।

19.29.2.7 पशुपालन विभाग :– पशुपालन विभाग के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित हैं,

1. चौपायों में प्रचलित प्रमुख रोग, जैसे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया (एच.एस.), ब्लैक क्वार्टर (बी.क्यू.), एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिसीज़ (एफ.एम.डी.) एवं रिंडरपेस्ट (आर.पी.) के टीकाकरण में अनुदान प्रदान किया जाता है।
2. पशुओं की नस्ल सुधार के लिये पंचायतों को उन्नत नस्ल के सांडों/जमनापारी बकरों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।
3. चारा उत्पादन प्रक्षेत्र प्रदर्शन हेतु, आवश्यकतानुसार ग्रामों में समस्त वर्गों के लिए 0.1 हे. क्षेत्र में प्रदर्शन प्रक्षेत्र निर्मित किये जाते है। इस हेतु विकेन्द्रीकृत स्थलों का निर्माण किया जाता है।
4. कॉकरेल योजना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अ.जा./अ.जजा. के ग्रामीणों को चूजे, कुक्कुट आहार एवं औषधियां

प्रदान की जाती है। वर्तमान में एक इकाई की कुल लागत पर 75 प्रतिशत तक अनुदान है।

5. अ.जा. के हितग्राहियों को देशी नस्ल के शूकरों के बदले उन्नत नस्ल के मिडिल यार्कशायर शूकर एवं दो वर्ष तक का शूकर आहार प्रदान किया जाता है।

19.29.2.8 ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित योजनाएं :– परम्परागत ऊर्जा की बचत तथा गैर परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों के विकास को ध्यान में रखकर ऊर्जा विभाग के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं लागू की गई हैं–

1. प्रेशर कुकर का उपयोग एवं वितरण।
2. उन्नत चूल्हों तथा धुंआरहित चूल्हों के निर्माण हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
3. सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से सोलर कुकर का वितरण, सौर ऊर्जा से चलित सोलर पंप, सौर विद्युत, के उपयोग के संबंध में तकनीकी जानकारी एवं उपकरण रियायती दर पर प्रदान किये जाते है।

19.29.2.9 मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित योजनाएं :– मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित हैं–

1. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए निःशुल्क एकबत्ती कनेक्शन।
2. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 5 हॉर्स पावर तक के पंप पर निःशुल्क विद्युत प्रदाय।

19.29.3 संयुक्त वन प्रबंधन हेतु प्रस्तावित उपचार :– वन मण्डल के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबन्धन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। क्षेत्र भ्रमण एवं समिति सदस्यों से चर्चा के आधार पर निम्नानुसार कमियों एवं उसके दूर करने के उपायों को सूचीबद्ध किया गया है,

1. महिलाओं की भागीदारी कम है। इसके लिए क्षेत्र विशेष में जागरूक अग्रणी महिलाओं को प्रोत्साहन, समुचित प्रशिक्षण, महिला समूह का

गठन, समिति की बैठकों में महिलाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता से की जाये।

2. समिति सदस्यों में समिति के कार्य कलापों के प्रति अज्ञानता है। इसके लिए समझौता पत्र स्थानीय भाषा में हो तथा समिति की बैठक में पढ़कर सुनाया जावे। समझौता पत्र को प्रमुख स्थान पर चस्पा किया जावे तथा पंचायत को भी प्रतियां दी जावें।
3. समिति सदस्य बैठक में उपस्थित होने के बाद भी उसकी चर्चा में रुचि नहीं लेते हैं और अपनी बात नहीं कह पाते हैं। इसके लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा, जहां सभी समुदाय स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर अपनी बात बैठक में रख सके तथा लिये गये निर्णय में प्रभावी भूमिका अदा कर सकें।
4. समिति के कुछ ही सदस्य सभी गतिविधियों का संचालन करने से सभी सदस्यों की सहभागिता नहीं होती है। अतः अधिक लाभ कमाना उद्देश्य न हो, बल्कि सभी की भागीदारी मुख्य लक्ष्य हो।
5. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना की जानकारी सदस्यों को नहीं है। अतः सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे एवं उसका क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जावे।
6. वन सुरक्षा के प्रति समिति सदस्य उदासीन होते जा रहे हैं। अतः समितियों के द्वारा स्वतः वन सुरक्षा हेतु अपने नियम बनाने एवं उनका क्रियान्वयन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। उत्कृष्ट समितियों को प्रोत्साहित किया जाये एवं जानबूझकर लापरवाही बरतने वाली समितियों में यथासंभव सुधार किया जाये।
7. समिति के सदस्यों में एकता का अभाव है। अतः संगठनात्मक गतिविधियों पर जोर दिया जाये एवं समिति की बैठक में अधिकांश सदस्यों की उपस्थिति के प्रयास किए जाएं।
8. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अतः सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में पूर्व से निर्धारित गतिविधियों के स्थान पर तात्कालिक

आवश्यकता आधारित गतिविधि तय की जाकर आवश्यक अनुमोदन उपरान्त कार्य किये जायें।

9. सामाजिक समस्याओं को नजरअन्दाज किया जा रहा है। अतः स्थानीय सामाजिक विषयों एवं समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाकर समस्या को दूर किये जाने हेतु योजना तैयार की जाये।
10. तकनीकी ज्ञान का अभाव होने के कारण वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन में रुचि का अभाव है। अतः समिति सदस्यों का समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर लेखा प्रक्रिया, वन प्रबंधन, वनसुरक्षा, ग्राम संसाधन विकास इत्यादि विषयों का तकनीकि आधारित ज्ञान दिया जाये।
11. संगठित अपराधियों पर नियंत्रण में कुछ समितियां अपने को कमजोर पाती हैं। अतः संवेदनशील वनक्षेत्रों में वनसुरक्षा के दृष्टिकोण से समितियों से चर्चाकर सुरक्षा समूहों का गठन किया जाये।
12. समिति की अर्जित राशि से उपयुक्त कार्य उपयुक्त समय पर नहीं कराये जा पा रहे हैं। अतः आय–व्यय में पारदर्शिता एवं समिति की अर्जित राशि व्यय करने के संबंध में समिति को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाये।
13. समिति की बैठकों में लिए गये निर्णयों पर सामयिक कार्यवाही न होने के कारण समितियां उदासीन हो रही हैं। अतः समिति द्वारा लिये गये निर्णयों/प्रस्तावों का समय पर क्रियान्वयन किया जाये। यदि किसी निर्णय के लागू न करने में कोई विशेष कारण हो तो लोगों को अवगत कराया जाए।
14. लाभांश के प्रति भी ग्रामीणों में कोई रुचि नहीं देखी गई। अतः लाभांश का समुचित वितरण पारदर्शी तरीके से समय से किया जाये।
15. समिति की बैठकों में काफी कम उपस्थिति रहती है। अतः बैठक नियत समय पर, समुदाय द्वारा तय स्थल पर ग्राम वासियों के रुचि के विषय की घोषणा करके आयोजित करना चाहिए एवं विगत बैठक में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाये। बैठक में आय–व्यय का लेखा जोखा बताते हुए, लिए गये निर्णय उसी दिवस लिखा जाकर लोगों को पढ़कर सुनाया जाये।

16. अधिकांश कार्यों हेत समिति सदस्य, संबंधित बीटगार्ड पर ही निर्भर रहते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी है। अतः स्थानीय जागरूक नवयुवक को सहसचिव के रूप में प्रशिक्षित किया जाकर समिति के कार्यकलापों को सम्भालने का दायित्व दिया जाये।
17. कुछ समिति सदस्य वन अपराध करने से भी नहीं कतराते हैं। अतः समिति द्वारा बनाये गये सुरक्षा संबंधी निर्णयों के उल्लंघन पर समिति द्वारा कुछ अर्थदण्ड का प्रावधान भी किया जा सकता है। नियमानुसार समिति के सहयोग से पकड़े गये अपराधियों से प्राप्त मावजा राशि का 50 प्रतिशत समिति को दिया जाये।
18. समितियों को अपनी ताकत का एहसास भी नहीं है। अतः समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों की सूची, कक्ष इतिहास की प्रति, सूक्ष्म प्रबंध योजना की प्रति, समझौता पत्रक की प्रतियां अनिवार्य रूप से समिति अध्यक्ष के पास रहे।
19. समितियों के आय अर्जन के साधन सीमित होते जा रहे हैं। अतः वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हेतु आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाये एवं लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विक्रय से लाभ अर्जित किये जाने की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही लघु वनोपज प्रजातियों के पुनरुत्पादन, सामयिक तथा संतुलित दोहन हेतु समितियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
20. सिंचाई एवं पीने के पानी हेतु जल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं उसमें पानी की मात्रा कम होती जा रही है। अतः वन क्षेत्रों में छोटे–छोटे जल स्त्रोतों का विकास किया जाये एवं भू–जल संरक्षण के कार्य किए जायें।
21. अत्यधिक जैविक दबाव के कारण जैव विविधता में कमी हो रही है। अतः ग्रामीणों के जैव संसाधनों से संबंधित पारम्परिक ज्ञान को लिपिबद्ध कर उससे लाभ कमाने के साधन विकसित किये जायें एवं राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के अधिकार एवं लाभ में हिस्सेदारी से अवगत कराया जाकर, जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया जाये।

22. कभी कभी वन कर्मियों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच हितों का टकराव भी देखने को मिलता है। अतः सौहार्द, सामंजस्य एवं अच्छा कार्यव्यवहार स्थापित करने हेतु संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की जायें।
23. सुरक्षा एवं रखरखाव की राशि प्राप्त न होने के कारण, समितियां उपेक्षित महसूस करती हैं। अतः समितियों को सतत रूप से सुरक्षा राशि उपलब्ध कराई जावे ताकि समिति सदस्यों की सुरक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
24. सम्पूर्ण वनक्षेत्र का प्रबन्धन, संयुक्त वन प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत न होने के कारण, अभी इस दिशा में प्रयास आवश्यक है। अतः वनमण्डल के शेष बचे हुये वनक्षेत्र के प्रबन्धन के लिए भी संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों का गठन एक निश्चित समय सीमा में किया जाये। सभी समितियों में सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का विधिवत निर्माण किया जाये।

19.30 भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य :–

संयुक्त वन प्रबंधन हेतु किये जाने वाले कार्य एवं अनुमानित व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है,

तालिका क्रमांक – 19.4

समितियों का प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय लक्ष्य 10 वर्ष हेतु

क.	कार्य	भौतिक लक्ष्य	राशि लाख रुपये में
1	प्रशिक्षण	प्रतिवर्ष	8.00
2	प्रचार–प्रसार	प्रतिवर्ष	5.00
3	सूक्ष्म प्रबंध योजना	109	24.00
4	समितियों का सुदृणीकरण	प्रति वर्ष 13	5.00
5	अध्ययन प्रवास	प्रति वर्ष	5.00
6	अद्योसंरचना विकास	प्रति वर्ष	10.00
		योगः–	**57.00**

————00————

अध्याय–20
जैव विविधता संरक्षण
(Biodiversity Conservation)

20.1 जैव विविधता (Biodiversity) :–

जैव और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आम तौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.), के अनुसार जैव विविधता (Biodiversity) विशिष्टतया अनुवांशिक, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का स्तर मापती है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है।

भारतीय संविधान निर्माताओं की दूर–दृष्टि के फलस्वरूप पर्यावरण के महत्व को जानकर संविधान में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं –

''राज्य पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण के द्वारा देश के वन एवं वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करेंगे '' **अनुच्छेद 48 'ए' भारत का संविधान ।**

''भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे जंगल, झील, नदियों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा तथा सुधार के लिए प्रयास करें तथा समस्त प्राणियों के लिए दया भाव रखें। '' **अनुच्छेद 51 'ए' भारत का संविधान ।**

जैव विविधता संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय पहल 90 के दशक में प्रारंभ हुई जब इस बात के ठोस प्रमाण सामने आने लगे कि विश्व में जीव–जन्तुओं की विभिन्न प्रजातियाँ एवं किस्में बहुत तेजी से विलुप्त हो रही हैं। ब्राजील में वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन (Biological Diversity Convention) आयोजित किया गया। जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के साथ वनों के संवहनीय उपयोग तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों को समुदाय में बराबरी और न्यायोचित ढंग से बँटवारे को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। भारत ने भी इस सम्मेलन के निर्णयों के पालन की पुष्टि की। इन निर्णयों को देश में क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गयी।

20.2 भारत विश्व में जैव विविधता समृद्ध देशों में से एक है :–

यह देश विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2 प्रतिशत है, लेकिन 8 प्रतिशत जैव विविधता को संरक्षित करता है। चैम्पियन एवं सेठ के वर्गीकरण अनुसार 16 प्रकार के वन जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23 प्रतिशत हैं। यह विश्व के 17 विशाल विविधताओं वाले देशों में एक है। भारत विश्व के प्रथम दस देशों में है जहाँ प्रजातीय विविधता सर्वाधिक है। यहाँ 91200 से ज्यादा जीवों एवं 45500 पौधों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं। 04 जैव विविधता हॉट स्पॉट–ईस्टर्न हिमालय, इंडो–वर्मा, वेस्टर्न घाट, सुन्दरवन हैं।

20.3 मध्य प्रदेश जैव विविधता सम्पन्न प्रदेश :–

मध्यप्रदेश भारत के दो जैव विविधता हॉट स्पॉट के मध्य में है। राज्य में 4 तरह के प्रमुख वन, 10 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य हैं। मध्यप्रदेश देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। राज्य में लगभग 5000 तरह के पौधे हैं, जिनमें सैकड़ों औषधि युक्त पौधे हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित 500 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। प्रदेश की नदियाँ भी जैव विविधता से संपन्न है, जिनमें 172 से अधिक किस्मों की मछलियाँ पाई जाती हैं। प्रदेश में मोटे अनाजों जैसे– कोदों, कुटकी, सांवा, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि की कई किस्में पायी जाती हैं।

वनमंडल विभिन्न भू–विन्यासों पर स्थित है जिनका विस्तार भी भिन्न–भिन्न है। विभिन्न भू–विन्यासों के बीच–बीच में कृषि भूमि भी है। कृषि भूमि की आवश्यकताओं एवं मानव जीवन की जरूरतों का प्रभाव वनों एवं वन्य जीवों पर पड़ना स्वाभाविक है। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव अपनी आवश्यकता एवं रहवास अनुसार विभिन्न प्रकार के रहवास एवं खान–पान का चयन करते हैं, वन्यजीव अपने उपलब्ध आश्रय एवं भोजन की उपलब्धता अनुसार आवास में रहते हैं, जिन्हें मानव जीवन से संकट लगातार बना रहता है।

वन मंडल में वन्य जीव पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। भोपाल वनमंडल के वन्यप्राणियों को अनुकूल वातावरण तथा प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए उपयुक्त वातावरण है। मानव जीवन द्वारा कुछ खास वन्यप्राणियों के मारे जाने के कारण असंतुलन पैदा हुआ है। अपने निहित स्वार्थो के कारण

जैसे–उत्खनन एवं अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के रहवास एवं पीने के पानी की उपलब्धता के साथ छेड़–छाड़ की गई है। अतः शहरों एवं गावों के आस–पास वन एवं वन्य जीवों पर संकट उत्पन्न हुआ है।

अर्थात् पारिस्थतिकी असंतुलन बढ़ रहा है, जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है। वन्य प्राणियों के जल स्त्रोत एवं आवास को सुरक्षित किये जाने से वन्य प्राणियों का पारिस्थतिकी संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया जाना उचित होगा।

20.4 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र :–

वनमण्डल के वन क्षेत्रों में अत्यधिक जैविक दबाव के कारण जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समर्धा परिक्षेत्र में अपेक्षाकृत जैव विविधता अच्छी है। वन संसाधन सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं संनिधि मानचित्रण के आधार पर कार्य आयोजना वन क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।

20.5 जैव विविधता सूचकांक :–

जैव विविधता विभिन्न प्रजातियों की विविधता एवं तुलनात्मक उपलब्धता का द्योतक है। जैव विविधता के अंतर्गत वानस्पतिक एवं जीव–जंतुओं की विविधता शामिल होती है। कार्य आयोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय विविधिता ही महत्व रखती है, क्योंकि कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों में मौजूद वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है। वन संसाधन सर्वेक्षण कार्य के समय विषय वस्तु विशेषज्ञों के उपलब्ध न होने के कारण वनस्पति एवं जीव जंतुओं की मौजूदगी का विस्तृत डाटाबेस तैयार नहीं हो सका। कार्य आयोजना पुनरीक्षण कार्य सीमित अवधि में किया जाना होता है। इस अल्पावधि में वृहद् कार्य आयोजना क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों एवं जीव–जंतुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान कर डाटाबेस तैयार किया जाना संभव भी नहीं है। अतः कार्य आयोजना क्षेत्र का जैव विविधता सूचकांक ज्ञात करना संभव नहीं है। वानस्पतिक जैव विविधता का आकलन दुष्कर कार्य है, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान प्रजातियों की पहचान, उनके संघटन, रहवास

स्थल की परिस्थितियों आदि पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों द्वारा इसके आकलन हेतु विभिन्न सूचकांक विकसित किए गए हैं, जिनमें कुछ का विवरण निम्नानुसार है –

a. **सिम्पसन सूचकांक (**Simpson Index**),** 1949 – इस सूचकांक का उपयोग सामान्यतः पादप विविधता का आकलन करने के लिए किया जाता है एवं इसे निम्नांकित सूत्र से परिगणित किया जाता है –

$$\lambda = \sum (n \div N)^2 ,$$

जहाँ, n = प्रत्येक प्रजाति के कुल पादपों की संख्या,

N = सभी प्रजातियों के कुल पादपों की संख्या,

सिम्पसन सूचकांक (λ) इस घटना की संभावना बताता है कि यादृच्छिक रूप से किसी समग्र में से चुने गए दो सैम्पल एक समान होंगे।

छोटे समग्र (उदाहरण के लिए वन संसाधन सर्वेक्षण का सैम्पल प्लॉट) एवं सैम्पल समग्र में वापस नहीं मिलाने की स्थिति में उपरोक्त सूत्र निम्नानुसार लिखा जा सकता है –

$$D = [\sum n(n-1)] \div [N(N-1)]$$

चूँकि यह सूचकांक विविधता के बजाय समानता प्रदर्शित करता है, अतः विविधता को दर्शाने के लिए इसे दो प्रकार से परिवर्तित कर उपयोग किया जाता है –

व्युत्क्रम सिम्पसन सूचकांक (Inverse Simpson Index) = **1 ÷ D** ,

या

जिनी–सिम्पसन सूचकांक (Gini-Simpson Index) = **1 - D**

आगामी परिच्छेदों में जैव विविधता सूचकांक के रूप में जिनी–सिम्पसन सूचकांक का ही उपयोग किया गया है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है।

b. **शैनन–वीनर सूचकांक (Shannon-Wiener Index), 1963** –इस सूचकांक को शैनन विविधता सूचकांक या शैनन–वीनर सूचकांक भी कहा जाता है एवं निम्नांकित सूत्र से परिगणित किया जाता है –

$$H' = -\sum[(n \div N) \times \ln(n \div N)]$$

जहाँ, n = प्रत्येक प्रजाति के कुल पादपों की संख्या,

N = सभी प्रजातियों के कुल पादपों की संख्या,

n ÷ N = प्रत्येक प्रजाति की सापेक्षिक प्रचुरता सभी प्रजातियों की कुल प्रचुरता के सापेक्ष (इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है)

विविधता सूचकांक (H') का मान तब अधिकतम् होगा, जब पारिस्थितकी तंत्र में सभी प्रजातियाँ समान रूप से प्रचुर होंगीं।

c. **मेनहिनिक सूचकांक, 1964** – इस सूत्र से भी प्रजाति विविधता का आकलन किया जा सकता है –

$$d = S \div \sqrt{N}$$

जहाँ, S = न्यादर्श खंडक में प्रजातियों की संख्या

N = न्यादर्श खंडक में सभी प्रजातियों के वृक्षों की कुल संख्या

20.5.1 कार्य आयोजना क्षेत्र का जैव विविधता सूचकांक –

तालिका क्रमांक–20.1

वनमण्डल में वृक्ष प्रजातियों हेतु जैव विविधता मूल्यांकन

क्रमांक	प्रजाति	वृक्ष संख्या प्रति हेक्टे.	शैनन–वीनर विविधता सूचकांक H= -∑ {(ni/N) x loge(ni/N)}	सिम्प्सन प्रभावी सूचकांक (1949) λ= 1 -∑ {ni(ni-1)/N(N-1)}
			{(ni/N) x loge(ni/N)}	{ni(ni-1)/N(N-1)}
1	सागौन	128.105	-0.368	0.132
2	तेंदू	49.412	-0.278	0.019
3	पलाश	30.915	-0.212	0.007
4	धावड़ा	27.353	-0.195	0.006
5	लेंडिया	22.941	-0.178	0.004
6	साजा	21.176	-0.171	0.003
7	दूधी	12.614	-0.116	0.001
8	खैर	11.111	-0.115	0.001
9	महुआ	9.771	-0.098	0.001
10	अचार	8.627	-0.091	0.001
11	गुंजा	8.366	-0.089	0.000
12	अमलतास	4.935	-0.058	0.000
13	कारी	4.412	-0.050	0.000

क्रमांक	प्रजाति	वृक्ष संख्या प्रति हेक्टे.	शैनन–वीनर विविधता सूचकांक H= -∑ {(ni/N) x loge(ni/N)}	सिम्प्सन प्रभावी सूचकांक (1949) λ= 1 -∑ {ni(ni-1)/N(N-1)}
			{(ni/N) x loge(ni/N)}	{ni(ni-1)/N(N-1)}
14	जामरसी	1.797	-0.026	0.000
15	बहेड़ा	1.373	-0.022	0.000
16	सीरस	0.850	-0.016	0.000
17	बेल	0.719	-0.013	0.000
18	मुंडी	0.686	-0.368	0.000
19	केकड	0.588	-0.276	0.000
20	कुल्लू	0.458	-0.214	0.000
21	कुसुम	0.458	-0.199	0.000
22	धोवन	0.458	-0.178	0.000
23	नीलगिरी	0.359	-0.169	0.000
24	आंवला	0.327	-0.119	0.000
25	बीजा	0.163	-0.109	0.000
26	ऐटा	0.163	-0.100	0.000
27	सलई	0.131	-0.091	0.000
28	कुंभी	0.131	-0.089	0.000
29	गधा पलास	0.131	-0.060	0.000
30	घोंट	0.098	-0.055	0.000
31	तिन्सा	0.098	-0.027	0.000
32	अर्जुन	0.098	-0.022	0.000
33	सेमल	0.065	-0.015	0.000
34	भिर्रा	0.065	-0.013	0.000
35	चिरोल	0.033	-0.012	0.000
36	कचनार	0.033	-0.011	0.000
37	रीठा	0.033	-0.009	0.000
38	साल	0.033	-0.009	0.000
39	हर्रा	0.033	-0.009	0.000
40	अन्य	2.843	-0.007	0.000
	योग	351.961	**∑=-2.232**	∑=0.176
		N=351.961	**H=**2.232	λ =**0.824**

वनमण्डल में प्रति हेक्टेयर कुल वृक्षों की संख्या 352 पाई गई जिसमें सागौन प्रजाति के वृक्षों की संख्या 128 प्रति हेक्टेयर एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्षों की संख्या 224 प्रति हेक्टेयर है। 1.5 से 3.5 के बीच जैव विविधता सूचकांक का

मान सामान्य होता है। वन मण्डल में जैव विविधता सूचकांक 2.232 जो कि सामान्य है।

20.6 लुप्त प्रायः व संकटापन्न वृक्ष प्रजातियाँ एवं इनका संरक्षण :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में पाई गई लुप्त प्रायः एवं संकटापन्न वृक्ष प्रजातियाँ जिनकी उपलब्धता 0.5 प्रतिशत से भी कम है। जिनमें से मुख्य प्रजातियाँ निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 20.3
संकटापन्न प्रजातियां

क्रमांक	प्रजाति	वैज्ञानिक का नाम	वृक्ष संख्या प्रति हेक्ट	प्रतिशत्
1	केकड़	Garuga pinnata	0.59	0.17%
2	कुसुम	Schleichera oeosa	0.46	0.13%
3	कुल्लु	Sterculia urens	0.46	0.13%
4	बीजा	Pterocarpus marsupium	0.16	0.05%
5	सलई	Boswellia serrata	0.13	0.04%
6	कुंभी	Careya Arborea	0.13	0.04%
7	तिन्सा	Ougeinia oojeinensis	0.10	0.03%

लुप्त प्रायः व संकटापन्न वृक्ष प्रजातियों को संरक्षित किये जाने के लिए वन क्षेत्रों में प्रकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी प्रजातियों को अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अवैध चराई, अतिक्रमण, अग्नि, अवैज्ञानिक दोहन आदि से सुरक्षा तथा नये वृक्षारोपण में इन प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता प्रदान कर इनके संरक्षण एवं सम्वर्धन करने की आवश्यकता है। इनके सम्वर्धन हेतु आलेख भाग – 02 के अध्याय वृक्षारोपण कार्यवृत्त में विस्तृत विवरण दिया गया है। लुप्त प्रायः व संकटापन्न वृक्ष प्रजातियों को अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अवैध चराई, अतिक्रमण, अग्नि, अवैज्ञानिक दोहन आदि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आलेख भाग–02 के अध्याय–18 वन सुरक्षा में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों का शक्ति से पालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। प्रस्तावित कार्य आयोजना में सभी कार्य वृत्तों में लुप्त प्रायः व संकटापन्न वृक्ष प्रजातियों के काटने पर पूर्ण प्रतिबन्ध प्रस्तावित है।

20.7 अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय प्रजातियाँ एवं इनका संरक्षण :–

1. वनमण्डल के कार्य आयोजना पुनरीक्षण के दौरान वन संसाधन सर्वेक्षण, संनिधि मानचित्रण अनुसार एकत्र किये गये आंकड़ों के आधार पर अकाष्ठ वनोपज के विस्तार का आकलन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 20.4

अकाष्ठीय वनोपज का विवरण प्रमुख वनोपजों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन का विवरण

नाम	मात्रा (क्विं0)
1	2
खैर–सार	6
महुआ फूल	8
धावड़ा गोंद	19
तेंदू फल	34
आवंला फल	1
पलाश फूल	32 बोरा
बेर फल	1
हिगोंट फल	1
अमलताश फली	4

2. वनमण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये तेंदूपत्ता संग्रहण (मानक बोरा) के आंकड़ों का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 20.5

तेंदू पत्ता संग्रहण का विवरण

वर्ष	तेंदूपत्ता मानक बोरा
1	2
2009–10	24075.345
2010–11	2498.990
2011–12	12560.685
2012–13	32905.932
2013–14	26321.185
2014–15	20661.377
2015–16	22662.806
2016–17	25210.422
2017–18	26890.000

अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध इन प्रजातियों का दोहन वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। इन प्रजातियों के अनियंत्रित दोहन को हतोत्साहित करने के लिए आलेख भाग–02 अध्याय अकाष्ठ वनोपज प्रबंधन में उल्लेखित उपचारों का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

20.8 वन्यप्राणी :–

वन्य प्राणियों के विभिन्न आवास स्थलों को भी समुचित संरक्षण एवं उपचार की आवश्यकता है। ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर हैं तथा वन्य प्राणियों के प्रकीर्णन (कपेचमतेंस) हेतु गलियारों (ब्वततपकवते) का भी कार्य करते हैं। इन वन क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाये रखने में वन्य प्राणी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा वन्य प्राणियों की स्थिति से वनों के स्वास्थ्य का भी आकलन किया जा सकता है।

(1) सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत वन्य प्राणियों की गणना हतु ट्रांजेक्ट लाइनों (सूची परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–93 में संलग्न है) का निर्माण किया गया है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2014 के अनुसार प्राप्त आंकडों का विश्लेषण कर शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्य प्राणियों की प्रति कि.मी. एन्काउन्टर रेट (Encounter Rate) का आंकलन किया गया, जो निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक–20.6

(Encounter Rate) का विवरण

Range	Tiger	Leopard	Dhol (Wild Dog)	Sloth Bear	Wolf	Mongoose	Indian Fox	Jangal Cat	Striped Hyena
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Berasia / Najirabad	0	3	0	0	0	1	58	0	1
Samrdha	39	17	2	108	4	2	58	5	26
Overall Signs	39	20	2	108	4	3	116	5	27
Overall Sign Encounter Rate/km	**0.07**	**0.036**	**0.1**	**0.19**	**0.037**	**0.75**	**0.209**	**0.0431**	**0.0487**

Hervivore Density/Sqkm					
arameters	Chital	Langur	Wild Pig	Nilgai	Barking Deer
Density/Sqkm	2.1	2.3	3.7	3.02	3.5
Estimated Population Numbers	888	973	1565	1277	1481

(2) वन्य प्राणियों की परिक्षेत्र वार उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार हैं–

तालिका क्रमांक–20.7

वनमंडल में पाये जाने वाले प्रमुख वन्यप्राणी

अ.क्र.	वन्यप्राणी प्रजाति	अनुमानित संख्या	गणना का वर्ष
1	2	3	4
1	जंगली सुअर	131	वर्ष 2018
2	लंगूर	112	वर्ष 2018
3	बंदर	112	वर्ष 2018
4	गिद्ध	104	वर्ष 2018
5	नीलगाय	66	वर्ष 2018
6	मोर	65	वर्ष 2018
7	काला मृग	51	वर्ष 2018
8	चीतल	50	वर्ष 2018
9	खरगोश	29	वर्ष 2018
10	चिंकारा	10	वर्ष 2018
11	सांभर	7	वर्ष 2018
12	बाघ	6	वर्ष 2018
13	भेड़िया	5	वर्ष 2018
14	भेड़की	5	वर्ष 2018
15	भालू	3	वर्ष 2018
16	तेन्दुआ	0	वर्ष 2018
17	सियार	0	वर्ष 2018
18	लकड़बग्घा	0	वर्ष 2018
19	सेई	0	वर्ष 2018

स्त्रोतःभोपाल वनमण्डल से प्राप्त मूलभूत जानकारी

उक्त आंकड़ो को देखने से स्पष्ट होता है कि भोपाल वनमण्डल में महत्वपूर्ण शाकाहारी वन्यप्राणियों की उपस्थिति अधिक पायी गयी है। इनमें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के वन्यप्राणियों को शामिल नहीं किया गया है।

वनमण्डल में वन संसाधन सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रतयक्ष रूप से देखे गये वन्यप्राणियों की स्थिति निम्नानुसार है, जो कुल 306 बिन्दुओं पर किया गया है।

तालिका क्रमांक– 20.8
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखे गये वन्यप्राणी

ग्रिड संख्या जिन पर वन्यप्राणी देखा गया (कुल ग्रिड संख्या 306 में से)					
परिक्षेत्र	बैरसिया		समर्धा		योग
वन्यप्राणी	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	
नीलगाय	7	82	2	63	**154**
भेड़की	2	70	3	76	**151**
सुअर	2	91	0	6	**99**
मोर	5	42	6	41	**94**
भालू	0	0	2	54	**56**
खरगोश	5	21	3	13	**42**
सियार	2	17	1	10	**30**
तेन्दुआ	0	3	0	25	**28**
चीतल	0	11	3	13	**27**
बंदर	1	2	3	13	**19**
बाघ	0	0	0	17	**17**
लंगुर	0	2	0	14	**16**
काला हिरण	2	6	1	0	**9**
गोह	0	2	0	3	**5**
सांभर	0	0	1	2	**3**
बैकल	0	2	0	0	**2**
तीतर	0	2	0	0	**2**
गीद	0	1	0	1	**2**
लकड़बघा	0	0	1	1	**2**
चारसागर	0	0	0	1	**1**
नेवला	0	0	0	1	**1**
जंगली सुअर	0	1	0	0	**1**
लोमड़ी	0	0	0	1	**1**

तेन्दुआ की उपस्थिति पशुगणना 2018 के अनुसार शून्य पायी गयी है। जबकि वन संसाधन सर्वेक्षण के 28 बिन्दुओं पर (सर्वाधिक समर्धा परिक्षेत्र में 25) तेन्दुए के अप्रत्यक्ष प्रमाण पाये गये है।

20.9 जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण एवं निदान –

20.9.1 जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण निम्न हैं :–

- प्राकृतिक रहवास की गुणवत्ता में गिरावट एवं बदलाव।
- अनियंत्रित चराई।

- वन अग्नि घटनाएँ।
- गैर काष्ठीय प्रजातियों का अनियमित एवं अवैज्ञानिक विदोहन।
- प्रजातियों के खंडित बिखराव के कारण परागण प्रभावित होना।
- रसायनों के उपयोग से परागण के वाहक कीट पतंगों का अभाव।
- बीज उत्पादक वृक्ष प्रजातियों की संख्या में कमी।
- लघु वनोपज एवं औषधीय पौधों तक आम–जन की आसान पहुँच।
- प्रजातियों के उपयोग के बारे में भ्रान्तियाँ और अत्यधिक दोहन ।
- जलवायु परिवर्तन।

20.9.2 जैव विविधता ह्रास की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर निम्न उपाय किये जा सकते हैं :–

1. बाह्य स्थली संरक्षण को बढ़ावा।
2. अन्तःस्थली संरक्षण के समुचित उपायों का पालन किया जाना।
3. रोपण में लुप्त प्रायः एवं संकटापन्न वृक्ष/झाड़ी/लता/कन्द/घास प्रजातियों को शामिल किया जाना।
4. बीज संग्रहण पर रोक/प्रतिबंध लगाया जावे, ताकि प्राकृतिक पुनरुत्पादन से नई पौध तैयार हो सके।
5. अवैध कटाई पर प्रभावी रोक लगायी जावे।
6. वनों में अतिक्रमण रोकथाम के प्रभावी कदम उठाये जावें।
7. वर्षा ऋतु में बीज बुआई का कार्य कराया जावे।
8. औषधीय पौधों के विनाश–विहीन विदोहन का कड़ाई से पालन किया जावे।
9. ग्राम वन समितियों का सक्रिय सहयोग लिया जावे।
10. जैव–विविधता के संरक्षण तथा उससे होने वाले लाभों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

11. जैव–विविधता संरक्षण को लोगों के रोजगार एवं आजीविका से जोड़ा जावे।

20.10 मध्य प्रदेश राज्य वन नीति, 2005–

मध्य प्रदेश राज वन नीति 2005 (परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–94 में दिया गया है।) में जैव विविधता संरक्षण के संबंध में निर्देश है कि,

- जैव विविधता समृद्ध स्थलों की पहचान कर उन्हें जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर विकसित किया जावेगा।
- प्रदेश के समस्त वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों के बाहर (सार्वजानिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों में) विद्यमान जैव विविधता का ''जैव विविधता अधिनियम 2002'' के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण किया जावेगा।
- समस्त वनक्षेत्रों की कार्य आयोजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जावेगा।
- शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की पहचान कर उनका समुचित संरक्षण एवं विकास किया जावेगा। साथ ही उपयुक्त उपलब्ध क्षेत्रों में बॉटनिकल गार्डन एवं जूलॉजिकल पार्क स्थापित करने का प्रयास किया जावेगा।
- जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत जैविक संसाधनों के ज्ञान एवं उनके संवहनीय उपयोग से होने वाले लाभों में इन समुदायों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

20.10.1 उद्देश्य :–

1. जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन करना।
2. खण्डित वन को जोड़ना।
3. विनाश की ओर जाने वाली प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास करना।
4. दुर्लभ प्रजातियों के बीज के माध्यम से प्रजातियों के विस्तारण को प्रोत्साहित करना।

5. आक्रमक प्रजातियों का भौगोलिक क्षेत्र एवं घनत्व में ह्रास लाना।

20.10.2 जैव विविधता प्रबंधन :–

1. जैव विविधता विरासत स्थलों की स्थापना तथा प्रबंधन इसके लिये प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना कर सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे, जिससे इन स्थलों का महत्व एवं विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखा जा सके।
2. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जावेगा। तद्नुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जावे। इन समितियों के सदस्यों को निकाय सीमा के भीतर का निवासी होना चाहिए।
3. जैव विविधता प्रबंधन समिति की आज्ञा से जैव विविधता का संरक्षण, पोषणीय संवहनीय उपयोग तथा जैव विविधता के लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन को सुनिश्चित किया जावे।
4. जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा जन जैव विविधता रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त जानकारी तैयार की जावेगी।
5. जैव विविधता प्रबंधन समिति ग्राम सभा, ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे निर्बंधन विनिश्चत करे जिस पर वह जैव विविधता तक पहुँच की अनुज्ञा के लिये तथा उसकी अधिकारिता के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न पक्षकारों को जैव विविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित ज्ञान प्रदान कर सकेगी तथा उसके अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से किसी व्यक्ति से या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जैविक संसाधनों तक पहुँच या संग्रहण के लिये फीस संग्रहण के द्वारा प्रभारों का उद्ग्रहण करने की व्यवस्था की जा सकेगी। ।

6. ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जैव विविधता रजिस्टर के आधार पर एक जैव विविधता प्रबंधन योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिये उन्हें जबावदार बनाया जावेगा। स्थानीय निकाय स्तर पर स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन किया जावेगा।
7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 7 जनवरी 2009 से जैव विविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार एतद् द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में संशोधन कर शिकायत दर्ज कराने के लिये प्राधिकृत अधिकारी वन अधिकारी जो परिक्षेत्र अधिकारी के रैंक से कम न हो, को अपने अधिकार क्षेत्र के लिये अधिकृत किया गया है। इसके तहत परिक्षेत्र अधिकारी अपने वन परिक्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक रूप से उपयोग किये जा रहे जैविक संसाधनों के अनियमित दोहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में शिकायत दर्ज कर वानस्पतिक जैव विविधता के संरक्षण में कानूनी पहलू का उपयोग करेंगे।

20.10.3 त्रिस्तरीय संरचना :– राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता बोर्ड एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति –

20.10.3.1राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई :–

- कोई विदेशी नागरिक भारत के जैव संसाधन, एन.बी.ए. की अनुमति के बाद अभिप्राप्त करेगा। **(अधिनियम (धारा 3))**
- भारतीय तथा विदेशी नागरिक, संस्थानों एवं उद्योगों द्वारा जैव संसाधनों या उससे संबद्ध ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु अनुमोदन। **(अधिनियम (धारा 6))**

20.10.3.2 राज्य जैव विविधता बोर्ड :–

- भारतीय कंपनियों द्वारा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु बोर्ड को पूर्व सूचना। **(अधिनियम (धारा 7) एवं म0प्र0 नियम 17)**
- प्रदेश में भारतीय नागरिकों/संस्थाओं/कंपनियों द्वारा जैव संसाधनों की पहुंच (वाणिज्यिक उपयोग अथवा अनुसंधान) को नियंत्रित करना। **(अधिनियम (धारा 24) एवं म0प्र0 नियम 17)**
- लाभ प्रभाजन हेतु अधिसूचित विनियम, 2014 का क्रियान्वयन।

20.10.3.3 जैव विविधता प्रबंधन समिति–

- स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन।
  (अधिनियम (धारा 41) एवं म0प्र0 नियम 23)
- जैविक संपदा तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान का लोक जैव विविधता पंजी के रूप में दस्तावेजीकरण।
- जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु संग्रहण पर फीस लगाने का अधिकार।

20.11 जैव विविधता अधिनियम एवं नियम के अन्य प्रमुख प्रावधान :–

- महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site) घोषित करना (अधिनियम धारा 37 एवं म.प्र. नियम 22)
- ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त होने की कगार में है उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा Threatened Species घोषित करना (अधिनियम धारा 38)
- केन्द्र सरकार द्वारा कुछ जैव संसाधनों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति (अधिनियम धारा 40)
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड (शास्तियाँ) का प्रावधान (अधिनियम धारा 55)

- जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान वन और वन्य जीव से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त (In addition) होंगे (अधिनियम धारा 59)

20.12 मध्य प्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई नियम, 2005) –

1. **"निषिद्ध मौसम" घोषित करने की शक्ति –** राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन से वनस्पति तथा जीव–जन्तुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवन चक्र (लाइफ साइकल) के आधार पर वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय कालावधि को निषिद्ध मौसम घोषित कर सकेगी/सकेगा। (नियम 4)
2. **"निषिद्ध क्षेत्र" घोषित करने की शक्ति –** राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी वन उपज की भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय वन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी/सकेगा। (नियम 5)
3. **पोषणीय कटाई सीमा विहित करने की शक्ति–** राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी विशिष्ट वर्ष में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी वन उपज की, जो विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र से संग्रहित या निष्कार्षित की जा सकती है, मात्रा की सीमाएँ विहित कर सकेगी/सकेगा। (नियम 6)
4. वनमण्डलाधिकारी वन की सीमा के 5 कि0मी0 के भीतर के समस्त ग्रामों में यथासाध्य डोंड़ी पिटवाकर या किसी अन्य युक्तियुक्त साधन द्वारा उपरोक्त नियम 4 से 8 के उपबंधों की उद्घोषणा करेगा। (नियम 9)
5. **नियम भंग करने पर शक्ति–**जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध को भंग करेगा वह भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 77 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। (नियम 10)

20.13 जैव विविधता प्रबंधन समिति :–प्रदेश में स्थानीय निकाय (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम सभाएँ तथा नगरपंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम) अपने अधिकारिता क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करेंगी। **(अधिनियम (धारा 41) एवं म0प्र0 नियम 23)**

समिति में सदस्य

- समिति में सात व्यक्ति होंगे, जिसमें महिलायें एक तिहाई से कम नहीं होंगी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति भी होंगे।
- नाम निर्देशित सात व्यक्तियों–जड़ी–बूटी कृषक, गैर काष्ठ वन उप संग्राहक/ व्यापारी, मत्स्य पालक, शिक्षाविद् इत्यादि।
- स्थानीय निकाय, वन, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा विभाग में से 6 विशेष आमंत्रितों का नाम निर्देशित करेगा।

वर्तमान में भोपाल वनमण्डल अन्तर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन नहीं किया गया है। वनमण्डल अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी द्वारा समस्त संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों को जैव विविधता प्रबन्धन समिति के रूप में भी कार्य करने हेतु दो वर्ष की अवधि में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाकर सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

अन्य प्रमुख जानकारी –

- जिला प्रशासन द्वारा, सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक क्षेत्र, सामुदायिक और व्यक्तियों में से जैव विविधता के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुये एक तकनीकी सहयोग समूह स्थापित किया जायेगा।
- जैव विविधता तथा उससे संबंधित ज्ञान का लोक जैव विविधता पंजी के रूप में दस्तावेज तैयार करना।
- वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाने वाली जैविक सम्पदा पर बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप शुल्क लगाना।

- संरक्षण सुनिश्चित करते हुए जैविक सम्पदा को कायम रखते हुए दोहन और उससे प्राप्त लाभों का बराबरी से बंटवारा सुनिश्चित करना।
- स्थानीय योजना में जैव विविधता सरोकारों को शामिल करना।

20.14 जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन में वन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 का क्रियान्वयन।
- स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं उन्हें क्रियाशील करना।
- संकटग्रस्त जैव विविधता का अंतःस्थलीय एवं बाह्यस्थलीय संरक्षण करना।
- वनों में अत्यधिक वाणिज्यिक उपयोग से कम हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई नियम, 2005 के तहत कार्यवाही।
- वनवृत्त/वनमण्डल के अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षण, कार्यशाला, बैठक इत्यादि में भी जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी अधिनियम एवं नियमों की जानकारी देना।
- वनमण्डल से व्यक्ति/संस्था द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन एकत्रित/संग्रहण करने की जानकारी परिक्षेत्र/पंचायतवार बोर्ड को प्रेषित करना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश क्रमांक/ प्रशा0–1/ 2016/भा.व.से. /24 दिनांक 22.01.2016 अनुसार वन विभाग के अधिकारी /कर्मचारी निम्नानुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने हेतु समन्वयक का कार्य करेंगे–

तालिका क्र. – 20.9
जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन

क्र.	स्तर	समन्वयक अधिकारी/कर्मचारी
1	जिला पंचायत	वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
2	जनपद पंचायत/नगर पंचायत	वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय)
3	ग्राम पंचायत	वनरक्षक

20.15 म.प्र. जैव विविधता बोर्ड के मार्गदर्शन में विदिशा वनमण्डल में जैव विविधता संरक्षणः– जैव संसाधनों के अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :–

- जैव विविधता पर अनुसंधान कार्य (अनुसंधान एवं विस्तार इकाई द्वारा) ।
- वनमण्डल में नये वृक्षारोपणों में जैव विविधता सम्वर्धन हेतु लुप्त एवं समाप्त प्रायः प्रजातियों को रोपण में प्राथमिकता प्रदान करना ।
- वनमण्डल की उपलब्ध जैव विविधता का दस्तावेजीकरण ।
- शिवपुरी वनमण्डल अन्तर्गत जैव विविधता सम्वृद्ध क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- वनमण्डल में बी.एम.सी. का गठन ।
- बी.एम.सी. के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण।
- मैदानी अमले को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- जन सामान्य में जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इत्यादि का आयोजन।

20.16 जैव विविधता विरासत स्थल (हेरिटेज साइट) :–

जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों की सहमति से ऐतिहासिक महत्व के स्थल, ईको–सिस्टम या अन्य कोई विरासत को शासकीय राजपत्र में जैव विविधता हेरिटेज साइट के रूप में प्रकाशित कर सकती है।

म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा म.प्र. जैव विविधता विरासत स्थल दिशा–निर्देश 2017 (चयन प्रबंध और अन्य) अनुसार ऐसे क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र, अद्वितीय (विशिष्ट) जैव

विविधता, जैव विविधता संपन्नता वाले स्थलीय और अंतःस्थलीय जल क्षेत्र तथा क्षेत्र में निम्न में से एक या अधिक घटक शामिल हों, को **"जैव विविधता विरासत स्थल"** के रूप में परिभाषित किया गया है।

❖ जैव विविधता विरासत स्थलों का महत्व और उद्देश्य :

1. जैव विविधता पारिस्थितिक सुरक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसलिए मानव कल्याण से भी जुड़ा है। पारंपरिक रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने और प्रबंधित क्षेत्रों और अन्य जैव विविधता संपन्नता वाले क्षेत्रों में जैव विविधता क्षरण की तीव्रता को रोकने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने अर्थात् उन क्षेत्रों की विशेष उपचार व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
2. क्षेत्रों में अक्सर प्रकृति, संस्कृति, समाज और प्रौद्योगिकी के बीच एक सकारात्मक अंतर्फलक होता है, जिसमें संरक्षण और आजीविका के लिए सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है एवं जंगली और पालतू जैव विविधता के बीच सकारात्मक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है।
3. एक समुदाय में या उसके आस–पास जैव विविधता विरासत स्थल होना उस समुदाय के लिए गर्व और सम्मान की बात होनी चाहिए। समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए जैव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा समुदाय का यह पवित्र कार्य पूरे देश में एक उदाहरण हो सकता है।
4. समाज के सभी वर्गों में जैव विविधता संरक्षण हेतु नैतिकता विकसित और पोषित करना आवश्यक है। जैव विविधता विरासत स्थलों के सृजन होने से जैव विविधता संरक्षण के नैतिक मूल्यों को विकसित किया जा सकेगा और इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को समाप्त कर पर्यावरणीय ह्रास को बचाया जा सकता है।
5. जैव विविधता विरासत स्थलों के सृजन होने से स्थानीय समुदायों की प्रचलित प्रथाओं एवं उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता परंतु उनके द्वारा तय की गई प्रचलित प्रथाओं एवं उपयोगों पर स्थानीय

समुदायों की स्वेच्छा से ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण उपायों से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता मे वृद्धि करना है।

❖ **जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान के मानदंड –**जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान करने हेतु निम्न लक्षणों को अर्हता में सम्मिलित किया जा सकता है –

1. मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा उल्लेखित परिभाषा के अनुसार जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान की जा सकती है।
2. प्राकृतिक, अर्द्ध प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से या स्वंतत्र रूप से जीवन के प्रकारों की महत्वपूर्ण विविधता विद्यमान है।
3. महत्वपूर्ण पालतू जैव विविधता के घटक और/अथवा विशिष्ट पारिस्थितिकी के प्रतिनिधित्व वाले ऐसे क्षेत्र जिसमें कृषि की प्रचलित पद्धतियाँ विद्यमान हों तथा जो उस क्षेत्र में जैव विविधता को बनाये रखती हैं।
4. जैव विविधता महत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे पवित्र वृक्ष निकुंज/पेड़ और स्थल या समुदाय द्वारा संरक्षित अन्य क्षेत्र।
5. क्षेत्र जो कि दुर्लभ, संकटापन्न एवं मूल (स्थानिक) जन्तु वर्ग और वनस्पतियों के लिए शरण या गलियारा प्रदान करते हैं जैसे कि समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरी हरित क्षेत्र एवं जलमग्न भूमि/दल–दल भूमि क्षेत्र।
6. सभी प्रकार की वैध भूमि का उपयोग जिसमें सरकारी या निजी भूमि क्षेत्र की श्रेणियों को सम्मिलित किया जा सकता है।
7. ऐसे संभावित क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन अनुसार संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।
8. ऐसे जलीय या स्थलीय रहवास के क्षेत्र जो कि मौसमी प्रवासी प्रजातियों के लिए भोजन एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं।

9. किसी शासकीय विभाग/शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान शाखा द्वारा स्थापित किये गये संरक्षित भूखण्डों के क्षेत्र ।
10. औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्र।
11. दो संरक्षित क्षेत्रों के बीच गलियारे में जैविक महत्व के ऐसे क्षेत्र जो कि दोनों संरक्षित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं।

कार्य आयोजना क्षेत्र में कई जैव विविधता सम्पन्नता वाले स्थलीय एवं अन्तः स्थलीय जल क्षेत्र मौजूद हैं। ऐसे क्षेत्र प्राकृतिक, अर्द्ध प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र हैं, जिन पर संयुक्त रूप से या स्वंतत्र रूप से जीवन के प्रकारों की महत्वपूर्ण विविधता विद्यमान है। जैव विविधता महत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे पवित्र वृक्ष निकुंज/पेड़ और स्थल या समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र हैं, जो कि दुर्लभ, संकटापन्न एवं मूल (स्थानिक) जन्तु वर्ग और वनस्पतियों के लिए शरण/गलियारा प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे जलीय या स्थलीय रहवास के क्षेत्र हैं, जो कि मौसमी प्रवासी प्रजातियों के लिए भोजन एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में औषधीय प्रजाति की वनोपज की उपलब्धता है।

20.17 जैव विविधता अधिनियम, 2002 म.प्र. नियम, 2004 विनियम, 2014.

उद्देश्य : जैव विविधता के संरक्षण (Conservation of Biodiversity) को प्रभावी बनाने के लिए उक्त अधिनियम के निम्न उद्देश्य महत्वपूर्ण है –

- जैविक स्त्रोतों से उद्भूत लाभों का साम्यपूर्ण विभाजन (Equitable Benefit Sharing)
- जैविक विविधता का संवहनीय उपयोग (Sustainable use of Biodiversity)
- विस्तृत विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट 94 में संलग्न है।

20.18 जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बाँटना विनियम, 2014 (Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations, 2014):–

- जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग के लिए फायदा बाँटने का ढंग – इसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र से जैव संसाधन प्राप्त करने वाला

आवेदक/व्यापारी/ विनिर्माणकर्ता सम्मिलित है, को उद्देश्य अनुसार जैव संसाधनों के क्रय मूल्य का 1–5 प्रतिशत तक लाभ का प्रभाजन करना होगा (विनियम 3)।

या

- से 0.5 प्रतिशत की रेंज में उस जैव संसाधन से बने उत्पाद की वार्षिक विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रभाजन करना होगा (विनियम 4) ।
- फीस संग्रहण– जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में फीस का संग्रहण विनियम के अतिरिक्त होगा (विनियम 5)।
- विनियमों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–94 में संलग्न है।
- वनमण्डल के अन्तर्गत तेन्दूपत्ता व्यवसायियों का विवरण परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–59 में दर्शाया गया है।

20.19 जैव विविधता संरक्षण हेतु अन्य प्रस्तावित कार्य :–

- जैव विविधता समृद्ध स्थलों की पहचान कर उन्हें जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में विकसित करना।
- प्रदेश के समस्त वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों के बाहर (सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों में) विद्यमान जैव विविधता का जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण किया जायेगा।
- समस्त वन क्षेत्रों की कार्य आयोजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जायेगा।
- शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की पहचान कर उनका समुचित संरक्षण एवं विकास बॉटैनिकल गार्डन एवं जूलॉजिकल पार्क के रूप में करना ।
- जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत जैविक संसाधनों के ज्ञान एवं उनके संवहनीय उपयोग से होने

वाले लाभों में इन समुदायों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

- ऐसे हितग्राहियों को जिन्हें वनभूमि एवं वृक्षाच्छादित भूमि में खदान स्थापित करने एवं उत्खनन की अनुमति प्राप्त है उन्हें उपयोग उपरान्त उत्खनन से होने वाले पर्यावरणीय क्षति को रोकने तथा क्षेत्र को हरा–भरा करने हेतु केन्द्र शासन के मार्गदर्शी एवं स्थापित वानिकी सिद्धांतों के अनुरूप समग्र प्रयास करना चाहिए। उत्खनित क्षेत्रों में पुनरूद्धार कार्य किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित हो सके।
- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जैव–सांस्कृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण में तेजी लाना चाहिए। इस सर्वेक्षण में विशिष्ट प्रजातियों/आबादियों एवं समुदायों में वितरण तथा मानवीय जैविकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वर्गों की जानकारी शामिल किया जाना चाहिए।
- राज्य की जैव–सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के लिये विधिक तथा प्रशासकीय प्रावधानों का भी समावेश किया जावे ताकि जैव चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिये पौधों तथा वन्य प्राणी अनुवांशिक साधनों का सतत् व समुचित उपयोग राज्य व राष्ट्र हित में किया जा सके। राज्य के नागरिकों विशेषकर आदिवासियों के बौद्धिक सम्पदा अधिकार का सद्भावना से संरक्षण किया जाना चाहिए। पौधों तथा वन्य प्राणियों की प्रजातियों का संरक्षण कर राज्य को समृद्धशाली, अनुवांशिक विविधता के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित व संरक्षित किया जाना चाहिए।
- वन क्षेत्रों मध्य ऐसे महत्वपूर्ण गलियारों की पहचान एवं घोषणा किया जाना चाहिए जो पौधों एवं वन्य प्राणियों के अनुवांशिक निरंतरता बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं। ऐसे क्षेत्रों का प्रबंधन एवं वन प्राणियों की आवश्यकताओं जैसे स्नैग, प्राकृतिक रिक्त स्थल, घास, क्षेत्र, विशिष्ट शैल आवासों, गुफाओं, कन्दराओं एवं जल स्त्रोतों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

- विलुप्तता के कगार पर खड़े पौधों तथा वन्य प्राणियों के बाह्म स्थली संरक्षण हेतु आधुनिक तकनीकों जैसे टिशू कल्चर एवं जैव तकनीकी से संरक्षित किया जाना चाहिए।
- एकल प्रजाति रोपण तथा विदेशी प्रजातियों के रोपण यथासंभव न किये जायें जब तक कि स्थल पर उनकी उपयोगिता वैज्ञानिक अनुसंधान के आधारों एवं प्रयोगों से स्थापित न कर दी गई हो।

तालिका क्र. – 20.10
रोपण हेतु प्रजातियों का विवरण

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	Acacia catechu	खैर
2	Acacia leucophloea	रेमझा
3	Aegle marmelos	बेल
4	Albizzia lebbeck	काला सिरस
5	Anogeissus latifolia	धावड़ा
6	Anogeissus pendula	करधई
7	Boswellia serrata	सलई
8	Buchanania lanzan	अचार
9	Careya arborea	कुम्भी
10	Cohlospermum religiosum	गबदी
11	Cordia macleodii	दहिमन
12	Dalbergia latifolia	काला शीशम
13	Dillenia pentagyna	कल्लई
14	Diospyros cordifolia	मोक तेन्दू
15	Diospyros montana	विष तेन्दू
16	Dolichandrone falcata	मेनसिंगी
17	Erythrina suberosa	गधा पलास
18	Ficus exespereta	कर्ची
19	Firmiana colorata	कुँवारिन
20	Gardenia gummifera	डीकामाली
21	Gardenia resinifera	डीकामाली, करमारी
22	Garuga pinnata	केकड़
23	Grewia tiliifolia	धनकट
24	Adina cardifolia	हल्दू
25	Hardwickia binata	अंजन
26	Hymenodictyon orixense	भोरसाल
27	Kydia calycina	बरगा

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
28	Lagersteroemia parviflora	लेंडिया
29	Limonia acidissima	कैथा
30	Litsea glutunosa	मैदा
31	Manilkara hexandra	खिरनी
32	Naringi crenulata	बिलसेना
33	Oroxylum Indicum	सोनपाठा
34	Ouguinia oujeinensis	तिनसा
35	Prosopis cineraria	शमी
36	Pterocarpus marsupium	बीजा
37	Raderomachera xylocarpa	गरूड़
38	Salvadora oleoides	पिलवा
39	Schleichera oleosa	कुसुम
40	Schrebera swietenioides	घेंटी
41	Semecarpus anacardiaum	भिलमा
42	Soymida febrifuga	रोहन
43	Spondias pinnata	खटाम्बड़ा
44	Sterculia urens	कुल्लू
45	Sterculia villosa	उदाल
46	Steriospermum chelonoides	पाडर
47	Steriospermum colais	छोटा पाडर
48	Strychnos nus-vomica	कोचिला
49	Strychnos potatorum	निर्मली
50	Terminalia chebula	हर्रा
51	Terminalia arjuna	अर्जुन
52	Terminalia tomentosa	साजा
53	Wendlandia heynei	तिलवन
54	Wrightia arborea	इन्द्रानव
55	Ficus bengalensis	बरगद
56	Ficus religiosa	पीपल

कार्य आयोजना क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वन क्षेत्रों में पायी जाने वाली लुप्त प्रायः एवं संकटापन्न प्रजातियों को रोपणी तैयार करने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी एवं वृक्षारोपण में भी भाग – 02 के अध्याय–16 वृक्षारोपण कार्यवृत्त के प्रावधान अनुसार रोपण कार्य किया जायेगा।

20.20 प्रशासनिक ढाँचा सुदृढ़ीकरण

(Strengthening of Adiministrative Set-up)–

- जैव विविधता संरक्षण में प्रावधानित कार्यों के सही परिपालन हेतु स्टाफ एवं कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने हेतु कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यो का प्रशिक्षण एवं डिमॉस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जैव विविधता संरक्षण में प्रावधानित कार्यों के सही परिपालन हेतु वन समितियों के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से कार्यों का प्रशिक्षण, डिमॉस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

––––**00**––––

अध्याय–21
वन्यप्राणी प्रबन्धन
(Wildlife Management)

21.1 वन्य प्राणियों की उपलब्धता एवं उनका प्रबन्धन :–

21.1.1 सामान्य विवरण :–

भारतीय संस्कृति में आदिकाल से मानव के साथ वन्यप्राणियों के संबंध का प्रमाण विभिन्न रूपों में वर्णित हैं। वन्यप्राणी एवं वनस्पतियों की मानव जीवन में सतत् आवश्यकता बनी रहती है जहाँ शाकाहारी वन्य प्राणी कृषकों के चने के खेतों में उपज बढाने के साथ अपनी विष्ठा से भूमि की उर्वरकता बनाए रखने में सहयोग करते हैं वंही मांसाहारी वन्यप्राणी इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं, जिससे फसलों को अत्यधिक क्षति न पंहुचे।

वन्यप्राणी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं जो इन वन्य प्राणियों की आहार नलिका एवं रक्त में रहते हुए आश्रयदाता प्राणी के साथ रासायनिक संबंध निर्मित करते है जिससे मुख्य आश्रयदाता के लिए हानिरहित होते हैं यह प्रक्रिया परस्पर जीवनयापन (Symbiosis) कहलाती है। परन्तु ये सूक्ष्म जीव मानव एवं अन्य गैर आश्रयदाता प्राणियों के जीवन के लिए घातक होते हैं ये सूक्ष्म जीव यदि मानव जीवन चक्र में प्रवेश कर जावें तो महामारी का रूप ले लेते है। स्वाइन फ्लू तथा बर्ड फ्लू जैसी घातक महामारियों का प्रवेश मानव जीवन में इन वन्यप्राणियों की संख्या में तीव्रता से हो रही कमी का परिणाम हैं,क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों को आश्रय प्रदाता (Host) जीव उपलब्ध न होने पर ये अन्य जीवों पर आश्रय ढूंढते है बडे स्तनपायी जीवों में मानव संख्या सर्वाधिक एवं सर्वत्र होने के कारण इन जीवों का सर्व प्रथम प्रहार मानव पर ही होता है। अतएव वन्य जीवों का प्रबंधन भी वानस्पतिक प्रबंधन जितना ही महत्वपूर्ण है।

औबेदुल्लागंज वनमण्डल की सीमाओं से रातापानी अभयारण्य एवं सिंघोरी अभयारण्य की सीमांए जुडती है जिससे रात्रि कालीन अवधि में इस वनमण्डल का अधिकांश भाग वन्यप्राणियों द्वारा आश्रय, गलियारे एवं भोजन हेतु

किया जाता है यहां औबेदुल्लागंज वनमण्डल रातापानी अभयारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। प्रस्तावित रातापानी अभ्यारण्य का मानचित्र परिशिष्ट भाग 2 के परिशिष्ट क्रमांक–149 में दिया गया है।

इस वनमण्डल के दाहोद परिक्षेत्र की अधिकांश बीटें बाघ (Panthera tigris tigris) द्वारा गलियारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है जिससे बाघ भोपाल के समर्धा एवं सीहोर के वीरपुर परिक्षेत्र में प्रवेश करता एवं वापस आता है।इस उद्देश्य से इस वन्यप्राणी परस्पर व्यापी प्रबंधन वृत्त का गठन किया गया है जो मुख्य रूप से बाघ संरक्षण पर केन्द्रित है।

22.2 प्रबंधन के लक्ष्य, उद्‌देश्य एवं आधारः–कार्य आयोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबन्धन के लिये निम्नानुसार लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं,

21.2.1 लक्ष्य :

1. वन्यप्राणी नैसर्गिक रहवास का संरक्षण।
2. संकटापन्न/लुप्तप्राय वन्यप्राणियों का विशेष संरक्षण।
3. छिन्न भिन्न हुए रहवास की पुनर्स्थापना।
4. वनों में सूक्ष्म प्राकृतावास तत्वों को बनाये रखना, ताकि वे संरक्षित क्षेत्रों के गलियारे की भूमिका निभा सकें।
5. वन्यप्राणियों के नैसर्गिक रहवास में भोजन एवं जल संसाधनों की उपलब्धता बनाना।
6. समस्त नागरिकों को वन्यप्राणी संरक्षण के प्रति जागरूक करना।

21.2.2 उद्‌देश्य :

वन्य जीवों का प्रबंधन निम्नलिखित उद्‌देश्य से किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रकृति में जैव–विविधता का संरक्षण, आनुवांशिक संसाधन की दृष्टि से लघु जीवों से विशाल, स्वस्थ तथा उत्पादक पशु समविष्टियों को बनाये रखना।
2. वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास में सुधार करना एवं कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों में सूक्ष्म प्राकृतिक आवास तत्वों को बनाये रखना।

3. स्थायी समुदायों का वनों पर जैविक दबाव कम कर मानव एवं वन्यप्राणियों के बीच सह अस्तित्व स्थापित करना।
4. शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिये वनक्षेत्र के अन्दर आवश्यक भोजन यथा घास एवं फलदार वृक्ष/पौधें उपलब्ध कराना।
5. वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्रों के आसपास लगे ग्रामों में मानव–वन्यप्राणी टकराव को कम करना।
6. वन्यप्राणी संरक्षण के द्वारा प्रकृति के विनाश को परोक्ष रूप से रोकना, जिससे मानव जीवन पर आने वाले संकट समाप्त हो सके तथा मानव जीवन स्वस्थ, समृद्ध और सम्पन्न हो।
7. संकटापन्न एवं लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना।
8. प्रचार–प्रसार के द्वारा जन साधारण में वन्यप्राणियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना तथा वन संरक्षण के प्रति रूचि पैदा करना।

21.2.3 वन्यप्राणी प्रबन्धन के गठन का आधार :–

सर्वोच्च प्राथमिकता के स्थलों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया गया है :

1. ऐसे कक्ष जहां पर वन्यजीवों की उपस्थिति हो।
2. ऐसे कक्ष जहां पर प्राकृतिक या कृत्रिम जल स्त्रोत हो।
3. ग्रामों से लगे हुये कक्ष जहां मानव–वन्यप्राणी टकराव अधिक हो।
4. वन्यप्राणी विचरण के लिये जहां गलियारे निर्माण की आवश्यकता हो।
5. विशिष्ट वन्यप्राणी क्षेत्र एवं प्राकृतिकवास हो।
6. संकटापन्न प्रजातियों की पहचान एवं संरक्षण।
7. नये रहवास क्षेत्रों का विकास।

21.2.4 प्रबन्धन का क्षेत्र :–

सम्पूर्ण कार्य आयोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबन्धन प्रभावशील रहेगा। साथ ही (संरक्षण) अधिनियम 1980 हैण्डबुक–2019 के अन्तर्गतयदि वन्य जीव क्षेत्र एवं वन्य जीव गलियारे (wildlife corridor) से संबंधित व्यपवर्तन (Diversion)

का भविष्य में कोई प्रस्ताव बनता है तो वन्यजीव कार्यवृत्त (Wildlife management working circle) में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी से समय समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। बाघ आवागमन क्षेत्र एवं वनमण्डल के वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र में वन्यप्राणी संरक्षण के कार्यों का आंकलन समय समय पर किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस आंकलन से किए जा रहे कार्यों के परिणाम के साथ साथ भविष्य में प्रबंधन में परिवर्तन किए जाने के मार्ग खुले रहते हैं।

21.2.5 वन्यप्राणी जैव विविधता :–

इस वनमंडल में पाई जाने वाली वन्यप्राणी प्रजातियां बाघ भेड़िया लकड़बग्गा, नीलगाय, कृष्ण मृग, भेड़की, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, भालू, खरगोश, बंदर, लंगूर, आदि हैं। पक्षियों में मोर, बया, तीतर, बटेर, तोता, कबूतर, नीलकंठ, गिद्ध एवं शीत ऋतु के प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं।

भोपाल के लगभग सभी वन क्षेत्र में प्राणी जाति की उपलब्धता है। वनमंडल से प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार वन्य प्राणियों का विवरण निम्नानुसार है

तालिका क्रमांक–21.1
वनमण्डल में पाये जाने वाले प्रमुख वन्यप्राणी

अ.क्र..	वन्यप्राणी प्रजाति	अनुमानित संख्या	गणना का वर्ष
1	2	3	4
1	जंगली सुअर	131	वर्ष 2018
2	लंगूर	112	वर्ष 2018
3	बंदर	112	वर्ष 2018
4	गिद्ध	104	वर्ष 2018
5	नीलगाय	66	वर्ष 2018
6	मोर	65	वर्ष 2018
7	काला मृग	51	वर्ष 2018
8	चीतल	50	वर्ष 2018
9	खरगोश	29	वर्ष 2018
10	चिंकारा	10	वर्ष 2018
11	सांभर	7	वर्ष 2018
12	बाघ	6	वर्ष 2018
13	भेड़िया	5	वर्ष 2018
14	भेड़की	5	वर्ष 2018
15	भालू	3	वर्ष 2018

तालिका क्रमांक– 21.2

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखे गये वन्यप्राणी

ग्रिड संख्या जिन पर वन्यप्राणी देखा गया (कुल ग्रिड संख्या 306 में से)					
परिक्षेत्र	**बैरियर**		**समर्धा**		**योग**
वन्यप्राणी	**प्रत्यक्ष**	**अप्रत्यक्ष**	**प्रत्यक्ष**	**अप्रत्यक्ष**	
नीलगाय	7	82	2	63	**154**
भेड़की	2	70	3	76	**151**
सुअर	2	91	0	6	**99**
मोर	5	42	6	41	**94**
भालू	0	0	2	54	**56**
खरगोश	5	21	3	13	**42**
सियार	2	19	1	10	**32**
तेन्दुआ	0	3	0	25	**28**
चीतल	0	11	3	13	**27**
बंदर	1	2	3	13	**19**
बाघ	0	0	0	17	**17**
लंगुर	0	2	0	14	**16**
काला हिरण	2	6	1	0	**9**
गोह	0	2	0	3	**5**
सांभर	0	0	1	2	**3**
तीतर	0	2	0	0	**2**
गिद्ध	0	1	0	1	**2**
लकड़बग्घा	0	0	1	1	**2**
नेवला	0	0	0	1	**1**
जंगली सुअर	0	1	0	0	**1**
लोमड़ी	0	0	0	1	**1**

तेन्दुआ की उपस्थिति पशुगणना 2018 के अनुसार शून्य पायी गयी है। जबकि वन संसाधन सर्वेक्षण के 28 बिन्दुओं पर (सर्वाधिक समर्धा परिक्षेत्र में 25) तेन्दुए के अप्रत्यक्ष प्रमाण पाये गये हैं।

21.2.6 प्रति किलोमीटर एनकाउण्टर रेट (Encounter Rate) :–

राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2014 के अनुसार प्राप्त आंकडों का विश्लेषण कर शाकाहारी एवं

मांसाहारी वन्य प्राणियों की प्रति कि.मी. एन्काउन्टर रेट (Encounter Rate) का आंकलन किया गया, जो निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक–21.3

मांसाहारी वन्यप्राणियों का प्रति किलोमीटर एनकाउण्टर रेट

Range	Tiger	Leopard	Dhol (Wild Dog)	Sloth Bear	Wolf	Mongoose	Indian Fox	Jangal Cat	Striped Hyena
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Berasia / Najirabad	0	3	0	0	0	1	58	0	1
Samrdha	39	17	2	108	4	2	58	5	26
Overall Signs	39	20	2	108	4	3	116	5	27
Overall Sign Encounter Rate/km	**0.07**	**0.036**	**0.1**	**0.19**	**0.037**	**0.75**	**0.209**	**0.0431**	**0.0487**

शाकाहारी वन्यप्राणियों का प्रति किलोमीटर एनकाउण्टर रेट Hervivore Density/Sqkm					
Parameters	Chital	Langur	Wild Pig	Nilgai	Barking Deer
Density/Sqkm	2.1	2.3	3.7	3.02	3.5
Estimated Population Numbers	888	973	1565	1277	1481

उक्त आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि मांसाहारी वन्य प्राणियों में लगभग सभी का एन्काउण्टर रेट काफी कम है, अर्थात इनकी संख्या काफी कम है। अतः इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक प्रबन्धकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

उक्त वन्यप्राणी गणना के अतिरिक्त निम्न वन्यजीव भी कार्य आयोजना क्षेत्र में पाये जाते है :–

(क) पक्षी वर्ग :–

परिशिष्ट में विविभन्न स्थानीय , प्रवासी , रात्रीचर एवं शिकारी पक्षियों की 204 प्रजातीयों सूची परिि श्ट में दर्शाई गई हैं। मुख्य रूप से कार्य आयोजना क्षेत्र के पक्षि प्रजातीयों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **स्थानीय** : कोयल ,अबलकी मैना ,बड़ा पपीहा ,मोर ,छोटा बसंथा ,स्वर्ण पीलक ,दयाल ,बगुला ,लालकंठी तोता ,सफेद छाती किलकिला ,देसी नीलकंठ ,बड़ा महाक ,फाख्ता ,चितरोखा हुदहुद ,हरा पतंगा ,सामान्य भुजंगा आदि

2. **प्रवासी :** मछलीमार ,पीलकिया खंजन ,छोटी सिलही ,नक्टा ,सुर्खाब , गुगरल बतख ,लालसिर बतख ,गिर्री बतख ,काला थिरथिरा ,अबलक चातक ,काला बुज्जा, नीलकण्ठी आदि
3. **रात्रिचर :** करेल उल्लू ,चितरा वनउल्लू ,भारतीय छपका ,घुघ्घू ,छोटा उल्लू
4. **शिकारी पक्षी :** गिद्ध

(ख) सरीसृप वर्ग :–

गिरगिट, गोह, मगरमच्छ, बामनी, अजगर, करैत, कोबरा, घोड़ापछाड़, कबरबिज्जू आदि।

(ग) मत्स्य वर्ग :–

रोहू, कतला, डोक, बाम, सिघाड़, पड़न, घेघरा, गोली, गुरगुच्छ, झींगा, केंकड़ा आदि।

(घ) कीट पतंगे वर्ग :–

मेढ़क, बिच्छू मेन्द, भौंरा, ततैया, मधुमक्खी, झीन्गुर, टिड्डा आदि।

21.2.7 विगत प्रबन्धन एवं परिणाम :–

भूतकाल में वन्यप्राणियों का प्रबंधन मात्र वन्य प्राणियों को वैधानिक सुरक्षा एवं आखेट को नियमित करने तक ही सीमित रहा। सर्वप्रथम 1887 में ''वाईल्ड बर्ड्स एवं एनीमल प्रोटेक्शन एक्ट'' बनाया गया जिसे 1912 में संशोधित किया गया। 1935 में '' सेन्ट्रल प्रोवेन्सेज गेम एक्ट लागू किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत भी अवैध शिकार का नियमन किया जाता रहा। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया जो 1974 में म.प्र. में लागू किये गये। वर्ष 1991 एवं 2003 में वन्यप्राणी अधिनियम, 1972 में व्यापक संशोधन किये गये। जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के पूर्व तत्कालीन शासकों द्वारा शिकारगाहों के रूप में वनों को संरक्षित किया जाता था। यह शिकारगाह तत्कालीन शासकों के लिए वनों की अपेक्षा वन्य प्राणियों के शिकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे जिनमें वन्य प्राणीयों को संरक्षण तो था परन्तु तत्कालीन शासक एवं जागीरदार वन्य प्राणीयों के वैज्ञानिक

प्रबंधन को ध्यान में रखे बिना स्वंय के शौक के लिऐ अनियमित एवं अनियंत्रित मनमाने तौर पर शिकार करते थे। बढती हुए आबादी के कारण वन भी संकुचित होते गये जिससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक निवास स्थान बुरी तरह से प्रभावित हुए। जागीरदारी प्रथा सामाप्त होने के बाद भी सीमित नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक वन्य प्राणी के लिये निर्धारित रायल्टी के आधार पर वन्य प्राणियों का शिकार जारी रहा। वनों की बिगड़ती स्थिति, बढती आबादी एवं क्षेत्र में शौकीन शिकारियों के कारण वन्य प्राणियों की विविधता एवं संख्या में कमी आयी। आज की स्थिति में यद्यपि वनों की काफी बिगडी हुई हालत के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी वनों में देखने को मिलते है। परंतु उनके दिखायी देने की आवृति कम है।

वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों से संबंधित दुर्घटनाओं में मारे गये अथवा घायल किये गये व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्रावधान है। बाघ एवं तेन्दुये द्वारा ग्रामीणों के मवेशियों के खाये जाने पर भी वित्तीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

21.2.8 वनमंडल में परिक्षेत्रवार ट्रांजेक्ट लाईनः– वनमंडल वन्य प्राणियों के आंकलन हेतु में परिक्षेत्रवार एवं बीटवार ट्रांजेक्ट लाईनों का विवरण परिशिष्ट क्रमांक–93 में दिया गया है।

21.2.9 सामान्य उपचार :–

वन्य प्राणी प्रबन्धन के लिए मुख्य रूप से चारागाह विकास एवं जल स्रोत निर्माण की आवश्यकता होती है। इसके साथ संरक्षण हेतु प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए व्यापक जन चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। समस्त कार्यवृत्तों में उक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार सामान्य उपचार प्रस्तावित हैं:–

1. फलदार वृक्षों विशेषकर महुआ, अचार, आंवला, बहेड़ा, बेल, गूलर, जामुन, इमली व तेन्दू को चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।

2. बारहमासी जलस्त्रोतों के दोनों किनारों से 200 मीटर की पट्टी तथा बेतवा एवं सिन्ध नदी के दोनों किनारों से 200 मीटर की पट्टी में जीवित वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
3. प्रति हैक्टे. 5 पुराने एवं बड़े आकार के वृक्षों को सुरक्षित रखा जायेगा जो एक ही स्थान पर स्थित न होकर क्षेत्र में फैले होने चाहिए। यह वृक्ष कम मूल्यवान प्रजातियों एवं विकृत संरचनाओं के भी हो सकते हैं क्योंकि यह वृक्ष वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान न होने के बावजूद भी वन्यप्राणियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं।
4. प्रत्येक उपचारांश में प्रति हैक्टे. 2 पोले या मृत वृक्षों को रोका जायेगा।
5. पक्षियों के घोंसले धारित करने वाले जीवित तथा खोखले वृक्ष जिनमें कुछ विशेष किस्म के पक्षियों के प्राकृतिक आवास हों, चिन्हांकित नहीं किये जायेंगे।
6. वन्यप्राणियों के आवासों, गुफाओं आदि के चारों ओर 20 मीटर के घेरे में वृक्षों का चिन्हांकन नहीं किया जायेगा।
7. सभी कार्यवृत्तों में भू एवं जल संरक्षण के प्रावधानों के तहत उपचारांशों को आवश्यकता अनुसार उपचारित किया जायेगा, जिससे क्षेत्र में भूमि के संरक्षण एवं नमी में वृद्धि तथा जल उपलब्धता की स्थिति में सुधार से वन्यप्राणियों संरक्षण में सहायता प्राप्त होगी।
8. वन सुरक्षा अध्याय में दिए प्रावधानों के तहत वनक्षेत्रों की सुरक्षा के कार्य किए जायेंगे, जो वन्यप्राणियों की सुरक्षा में भी सहायक होंगे।
9. वृक्षारोपण कार्यवृत्त में कुल रोपित पौधों का 10 प्रतिशत पौधे फलदार वृक्ष प्रजाति के रोपित किए जायेंगे।
10. वनक्षेत्र को अग्नि से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाये।
11. अनियंत्रित चराई पर प्रतिबंध लगाकर चराई को नियमित किया जाये।
12. लघु वनोपज जैसे महुआ, आंवला, अचार, तेन्दू आदि का विदोहन वैज्ञानिक तथा नियमित तरीके से किया जाये।

13. वन क्षेत्रों में सूखे व गिरे पड़े वृक्षों को तथा पक्षियों के वास स्थल तथा घोंसले को सुरक्षित किया जाये।
14. जल अभाव को देखते हुये नालों पर कच्चे, पक्के स्टॉप डेम निर्माण कर ग्रीष्म काल हेतु जल संरक्षण किया जाये।
15. प्राकृतिक गुफाओं, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वास, खोह, दरारों, डोह स्थानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किया जाये।
16. वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि एवं पशुहानि के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति दावों का निपटारा किया जाये।
17. जल स्त्रोतों के आस पास लवण भूमि का निर्माण किया जाये।
18. वन्य प्राणियों के विचरण एवं संख्या आदि का सही अभिलेखन किया जाये।
19. अवैध शिकार के पकड़ने हेतु खुफिया सूचना तंत्र का विकास किया जाये।
20. अवैध शिकार पकड़ने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों तथा समिति के सदस्यों को पुरस्कृत किया जाये।
21. शुद्ध प्रजाति के वन सस्य के स्थान पर मिश्रित वन सस्य को बढ़ाने का कार्य किया जाये।
22. शिकार हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर शिकार की रोकथाम हेतु उपयुक्त कदम उठाया जाये। वायरलेस आदि संचार तंत्रों का समुचित उपयोग कर सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाये।
23. वन्य प्राणियों के प्रजनन काल में विशेष सकर्तता रखी जाये।
24. वन्यप्राणियों में बीमारियों के नियंत्रण हेतु उपाय किया जाये।

वन्य प्राणी प्रबंधन की वार्षिक कार्य योजना एक वर्ष पूर्व बनाई जाये। बजट की उपलब्धता को देखते हुए अगले दस वर्षो में चयनित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के संवर्धन एवं उनके लिए आवश्यक रहवास का कार्य, उस वार्षिक योजना में लिया जावेगा। वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर आवश्यक कार्य बजट के अनुसार कराया जावेगा।

वन्यप्राणी प्रबंधन के प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं उपचार इस कार्य आयोजना के मुख्य प्रबंधन वृत्तों के वार्षिक उपचारांशों के साथ किया जाएगा। वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना में मुख्य रूप से जलस्रोत विकास एवं निर्माण कार्य, चारागाह विकास, अग्नि सुरक्षा, चराई प्रबंधन, विशिष्ट सूक्ष्म एवं वृहद प्राकृतावासों का संरक्षण सम्मिलित होगा। कार्य आयोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि से उक्त कार्य संपादित किये जाएंगे। जहां तक वन्यप्राणियों द्वारा की गई जनहानि, पशुहानि, फसल हानि एवं जन घायल के संबंध में क्षतिपूर्ति का बिन्दु है, इस हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उपलब्ध बजट से किया जाएगा।

21.2.10 वन्यप्राणियों के लिये खतरे एवं चुनौतियां :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में वन्यप्राणियों के लिये मुख्य खतरा मानव–वन्यप्राणी द्वन्द्व के कारण ही है। इस द्वन्द्व का मुख्य कारण जैविक दबाव है, जिसके कारण वनों के अन्दर वन्यप्राणी के उचित रहवास, भोजन एवं पेयजल की कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वानिकी गतिविधियों के कारण भी वन्यप्राणी रहवावस प्रभावित होता है। वन्यप्राणियों के लिये मुख्य खतरों एवं चुनौतियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है :–

1. **वनवर्धन उपचार** :– कूप उपचार हेतु वृक्षों के चिन्हांकन के समय चिन्हांकन नियमों का पालन नहीं करने से हम विशेष एवं अनोखे प्राकृतवास तत्वों को जाने अनजाने में नष्ट कर देते हैं। अतः सावधानी पूर्वक चिन्हांकन कर वन्यप्राणियों पर इनके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। कई वानिकी गतिविधियों का भी अवांछित प्रभाव होता है, जैसे वृक्षारोपण का स्थल चयन संवेदनशील क्षेत्रों में कर लिया जाता है एवं बाहरी प्रजातियों के रोपण नैसर्गिक वनों में कर दिये जाते है।

2. **सहायक आधार तंत्र एवं विविध नियमन** :– वानिकी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये अधोसंरचना एवं अन्य आधार तंत्र जैसे मार्ग, निकासी पथ, श्रमिक शिविर स्थल, अग्निरेखाएं, डिपो स्थल, वाहन,

भवन, वॉच टावर, अकाष्ठ वनोपजों के संग्रहण केन्द्र, रोपणी, आदि के लिये स्थल चयन वन्यजीवों के संवेदनशील क्षेत्रों में कर लिये जाते है। वन एवं निकासी मार्ग पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील स्थलों से गुजरते है, जिससे भू–क्षरण बढ़ता हैं

3. जलाऊ संग्रहण : स्थानीय लोगों को वनों से सिरबोझ से जलाऊ लाने की छूट दी गई है। यद्यपि यह छूट केवल गिरी पड़ी लकड़ी के लिये दी जाती है, लेकिन इसके नाम पर हरे–भरे वृक्षों की कटाई एवं वलयन (Girdiling) करना आम बात है। वन उपचार से प्राप्त जलाऊ लकड़ी का प्रदाय लोगों को किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्राकृतवास तत्वों पर असर पड़ता है। काटे गये वृक्षों या प्राकृतिक कारणों से गिरे पड़े आर्थिक रूप से कम महत्व के खोखले लट्ठे या सूखे खड़े मृत वृक्ष, जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्राकृतवास है, वे ही जलाऊ संग्रहण के नाम पर वनों से सबसे पहले निकाल लिये जाते है।

4. जैविक दबाव :– जैविक दबाव के निम्न दुष्प्रभाव है :–

1. मवेशियों की विशाल संख्या के कारण शाकाहारी वन्यप्राणियों को चारे की कमी।
2. अत्यधिक जैविक दबाव के कारण अखाद्य एवं अरूचिकर घासों एवं खरपतवार की अधिकता।
3. प्रतिवर्ष आग लगने के कारण बहुवर्षीय रूचिकर एवं पौष्टिक घास प्रजातियों के स्थान पर एक वर्षीय घासों की अधिकता होना।
4. वनों के चप्पे–चप्पे पर मानव एवं मवेशियों की आवाजाही के कारण व्यवधान मुक्त क्षेत्र उपलब्ध न होना।
5. वनों में घास मैदानों में लोगों द्वारा अतिक्रमण पर कृषि कार्य करना।

5. अकाष्ठ वनोपजों का संग्रहण :–कई अकाष्ठीय वनोपजों के संगहण से, विशेष रूप से ऐसे अकाष्ठ वनोपज जिनकी जड़ अथवा बीजों

का संग्रहण व्यापार हेतु किया जाता है, से इन प्रजातियों के पुनर्जनन प्रभावित होता है।

6. प्रबंधन क्षमता एवं सहायता :– वन्यजीव संरक्षण में क्षेत्रीय अमले की प्राथमिकता में नहीं है। इस दिशा में ओरिएन्टेशन से आरंभ कर संबंधित विषयों के तकनीकी प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता है। बजट की कमी तथा अन्य विभागों एवं अशासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय का अभाव भी है। सतत् पोषणीय सीमा से अधिक वन संसाधन आधारित आर्थिक गतिविधियों के कारण भी वन्यप्राणी रहवास प्रभावित हुआ है।

7. बीमारी एवं महामारी :– मुंहपका–खुरपका, रिण्डरपेस्ट, एन्थ्रेक्स जैसी बीमारियां मवेशियों के द्वारा शाकाहारी वन्यप्राणियों जैसे हिरण आदि में फैल सकती है। इससे उन्हें खाने वाले मांसभक्षी भी प्रभावित हो सकते है। वनों में पालतू कुत्तों के प्रवेश से तेन्दुओं जैसे मांसभक्षियों में कैनाइन डिस्टेम्पर की बीमारी हो सकती है।

8. प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम :– सिरबोझ द्वारा जलाऊ संग्रहण निःशुल्क चराई, लघु वनोपज एवं फलों का संग्रहण आदि के अतिरिक्त दूसरे शासकीय विभागों के कई कार्यक्रम ऐसे है, जिनका सीधा प्रभाव वन्यप्राणी संरक्षण पर पड़ता है। उदाहरण स्वरूप गरीबी उन्मूलन योजनाओं में पालतू पशुओं का वितरण किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव अतिरिक्त चराई के रूप में वनों पर पड़ता है।

9. अवैध शिकार :– शाकाहारी वन्यजीव तथा कुछ पक्षियों की प्रजातियों के शिकार के कारण वन्यप्राणी संरक्षण के उद्‌देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

10. मानव–वन्यजीव टकराव :–वनों में जाकर पशु चराने एवं जलाऊ इमारती लकड़ी एंव अन्य अकाष्ठ वनोपज के संग्रहण के दौरान मनुष्य वन्यप्राणियों के सीधे सम्पर्क में आता है। मनुष्य एवं उसके पालतु पशु जो वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास में जाकर हस्तक्षेप करते है। तब वन्यप्राणी आत्मरक्षार्थ कभी–कभी हमला कर देते है, जिससे वे घायल हो

जाते हैं या फिर कुछ प्रकरणों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार अत्याधिक पशु चराई के कारण शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिये भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव–वन्यजीव टकराव का तीसरा रूप शाकाहारी वन्यप्राणियों द्वारा वनों से लगे खेतों में फसल नुकसान के रूप में सामने आता है। इन सभी कारणों से मनुष्यों में वन्यप्राणियों के प्रति दुर्भावना पैदा होती है। अतः वे उनका शिकार कर लेते है। जहां फसल सुरक्षा हेतु देशी बम एवं बन्दूकों का प्रयोग होता है, वहीं मवेशियों के मारे जाने पर उनके गारे में जहर मिलाने की घटनाएं भी होती है।

11. अन्य :–अतिक्रमण, अवैध उत्खनन एवं पॉलीथिन जैसा कचरा फैलाना आदि गतिविधियों से वन्य जीव संरक्षण पर बुरा असर होता है। पॉलीथीन खाकर शाकाहारी वन्यप्राणियों के गले बंद हो जाते हैं और वे भूख से बेहाल होकर मर जाते हैं। कार्य आयोजना क्षेत्र में प्रवाहित नदियों में से रेत उत्खनन के कारण वहां की जलीय जैव विविधता का प्रजनन प्रभावित होना संभव है।

उक्त कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करना ही वन्यप्राणी प्रबन्धन का मुख्य लक्ष्य है। अतः वन्यप्राणी रहवास की गुणवत्ता बनाये रखते हुए वन वर्द्धनिक कार्य करना, वन्यप्राणियों के लिए आवश्यक पेयजल एवं भोजन वन क्षेत्र में ही उपलब्ध कराना एवं आम नागरिक को वन्यप्राणी के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाना वन्यप्राणी प्रबन्धन की प्राथमिक गतिविधियां होनी चाहिए।

21.2.11 वन्यप्राणी प्रबन्धन के आयामः

वन्यप्राणी प्रबन्धन हेतु उल्लेखित उक्त सामान्य उपचारों के सफल क्रियान्वयन हेतु समग्र रूप से वन्यप्राणी प्रबन्धन को निम्नानुसार घटकों में कार्य करने की आवश्यकता है–

a) पर्यावास प्रबन्धन
b) सामान्य सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा
c) निगरानी व्यवस्था

d) बीमारी एवं महामारी की रोकथाम
e) मानव–वन्यप्राणी द्वन्द्व का प्रबन्धन
f) वन्यप्राणी रेस्क्यू
g) वन्यप्राणी गलियारा (Corridor) प्रबन्धन
h) प्रवासी पक्षियों का प्रबन्धन
i) वन्यप्राणी अनुश्रवण
j) न्यायालयीन प्रक्रिया
k) प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार
l) वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार
m) टाईगर सेल का नियमित संचालन

21.2.11.1 पर्यावास प्रबन्धन (Habitat Management):–

वन्यप्राणी प्रबन्धन एवं वनोपज संबंधी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदोहन करना, दो परस्पर विरोधी उद्देश्य हैं। इसके लिए वनक्षेत्र को विभिन्न इकाइयों में बांटकर प्रबन्धन किया जाता है, ताकि आवश्यकतानुसार दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो सके एवं वे एक दूसरे के लिए बाधक न बनें। इसके अन्तर्गत तीव्र ढलानों के वनक्षेत्र संरक्षण प्रबंधन वृत्त में रखे जाते हैं, जहॉ भूमि एवं जल संरक्षण, काष्ठ उत्पादन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अलग–अलग प्रबंधन वृत्तों का निर्धारण इसका सबसे अच्छा तरीका है। वन प्रबंधन में जैव विविधता एवं वन्यप्राणी हितों के संरक्षण के लिये इन सभी प्रबंधन वृत्तों में ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे, जिससे सम्पूर्ण वन क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण करना सुनिश्चित करते हुए उत्तम वन्यप्राणी रहवास का विकास किया जा सके। इनमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं,

21.2.11.1.1 संरक्षण क्षेत्र : 40 प्रतिशत से अधिक ढाल एवं अत्यधिक कटाव वाले क्षेत्रों को इस श्रेणी में रखा जायेगा तथा ऐसे क्षेत्रों को पूर्ण संरक्षण दिया जावेगा।

21.2.11.1.2 प्राकृतावास पुनर्स्थापन क्षेत्र : संरक्षण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में निम्नानुसार रहवास सुधार के कार्य करावे जावेंगे,

I. **लैण्टाना उन्मूलन** :–यह कार्य सामान्यतया उसी क्षेत्र में किया जावेगा, जहां लैण्टाना का प्रकोप अत्यधिक हो तथा घास एवं अन्य पादप

प्रजातियों का पुनरुत्पादन अवरुद्ध हो रहा हो। लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जावेगा, जिसमें लैण्टाना की झाड़ियों की जड़ को जमीन सतह से मात्र 4 इंच नीचे से काटा जाकर पूरी झाड़ी को उल्टा कर दिया जायेगा, ताकि वह अपने आप सूख जाये। यह कार्य किसी भी माह में किया जा सकता है। लैण्टाना उन्मूलन के समय उसकी क्षैतिज जड़ों को नहीं उखाड़ा जाये, अन्यथा जमीन में दबे लैण्टाना के बीज ऊपर आकर सूर्य की रोशनी पाकर भारी मात्रा में अंकुरित होंगे। उक्त कार्यवाही के अगले वर्ष माह जुलाई अगस्त में लैण्टाना के नये अंकुरण को अंकुरित होते ही उखाड़ दिया जाये ताकि वे स्थापित न हो पायें। लैण्टाना उन्मूलन का कार्य प्रभावित क्षेत्र के बाहरी ओर से प्रारम्भ कर भीतर की ओर किया जावेगा। कार्य आयोजना क्षेत्र में परिक्षेत्रों में लैण्टाना अत्यधिक मात्रा में है, जिसका उन्मूलन चरणबद्ध तरीके से किया जाये।

II. **अन्य खरपतवार का उन्मूलन :–**अन्य खरपतवार में पार्थेनियम (गाजर घास), चकोड़ा, वनतुलसी आदि सम्मिलित हैं, जो सामान्यतया एकवर्षीय शाकीय पौधे होते हैं। इनका उन्मूलन तभी किया जायेगा, जब वे तेजी से फैल रहे हों और उपयोगी घास एवं अन्य स्थानीय पादपों के पुनरुत्पादन को अवरुद्ध कर रहे हों।इन खरपतवार प्रजातियों को, बीज उत्पन्न होने के पूर्व ही निकाल कर ढेर के रूप में एकत्र कर सूखने पर जला दिया जाये। कार्य आयोजना क्षेत्र में मुख्यतया वन तुलसी का प्रकोप है, जिसे प्रत्येक उपचारांश के उपचार के समय उन्मूलन किया जाये।

III. **घास/चारागाह क्षेत्र का विकासः–**इसके अंतर्गत मुख्यतया दो प्रकार की गतिविधियों, क्षेत्र पर चराई का दबाव कम करने एवं तृणभक्षी वन्य प्राणियों हेतु उपयोगी घासों का रोपण करने, के लिए कार्य किया जायेगा।घास विकास का कार्य समतल एवं पठारीभूमि में उथली मृदा के क्षेत्र में ही किया जावेगा, जिसमें वन्य प्राणियों हेतु उपयोगी

स्थानीय प्रजातियों का ही रोपण किया जावेगा। बाहरी (Exotic) प्रजातियां रोपित नहीं की जावेंगी।उपरोक्त क्षेत्र को चक्रीय चराई के अनुसार प्रबंधित किया जाना होगा ताकि इन क्षेत्रों में स्थानीय घास तथा पादपों का पुनरुत्पादन संभव हो सके। कार्य आयोजना क्षेत्र में घास एवं चारागाह क्षेत्र की अत्यधिक कमी है, जिसके कारण भााकाहारी वन्यप्राणी भी कम हैं। अतः सभी परिक्षेत्रों में विस्तृत घास के मैदान विकसित किये जायें।

IV. **जल स्त्रोत का विकास :–**जल स्त्रोत का विकास वर्ष भर वन्यप्राणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक है। इसके लिये सम्पूर्ण वन क्षेत्र में जल स्त्रोतों का समान रूप से होना आवश्यक है ताकि विभिन्न प्रकार के आवास स्थलों में वन्य प्राणियों का उचित वितरण हो। इस हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं,

1. नये जलस्त्रोतों के विकास से पहले वन क्षेत्र में स्थित पुराने जलस्त्रोतों का पता लगाकर उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जायेगा
2. क्षेत्र में होने वाले प्राकृतिक रिसाव को रोककर भी जल एकत्रित किया जाने का प्रयास किया जावेगा। बरसाती नालों पर एनीकट, स्टापडेम निर्माण कर जल संग्रहित किया जावेगा, परन्तु इसके लिये अत्यंत सावधानी से क्षेत्र चयन किया जाना होगा।
3. नये जल स्त्रोतों का विकास ऐसे क्षेत्र में किया जायेगा, जहां जैविक दबाव (Biotic pressure) कम से कम हो। जल स्त्रोत विकास के समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि ग्रीष्मऋतु में जब पानी की सर्वाधिक कमी होती है, तब भी वन्य प्राणियों को जल उपलब्ध रहे। इसके लिये स्थल का चयन सावधानी पूर्वक किया जावेगा एवं यह भी अध्ययन कर देखा जावेगा कि स्थल विशेष में किस प्रकार की संरचना सफल हो पायेगी।

कार्य आयोजना क्षेत्र में बारहमासी जलस्रोत एवं मौसमी जलस्रोत हैं। अतः मौसमी जलस्रोत वाले क्षेत्र में जलस्रोत विकास के कार्य किये जायें।

4. **मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत :–**यह कार्य विविध नियमन के अन्तर्गत भू–जल संरक्षण अध्याय में दिये मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं निर्देशों के अनुरूप कराया जावेगा, जिससे क्षेत्र में तीव्र गति से बहने वाले नालों, गली का पानी रूक रूक कर धीरे धीरे भूमि में रिसकर आस पास के क्षेत्र में फैलता रहे एवं कुछ वर्षों के उपरांत क्षेत्र की भूमि में पर्याप्त नमी संरक्षित हो सके। कार्य आयोजना क्षेत्र में भू–क्षरण की दृश्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भू–जल संरक्षण अध्याय में दिये गये निर्देशानुसार कार्य किया जाये।
5. **रोपण :–**उष्णकटिबंधीय वनों में बीज से उगने वाले पौधे अधिक होते हैं एवं कई पौधे एवं जीव, बीज बिखराव, परागण एवं भोजन के रूप में साथ–साथ ही उत्पन्न होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाये जाने वाले पौधे एवं वन्यजीव वहां एकसाथ इसीलिये पाये जाते हैं कि वे एक दूसरे के एवं स्थल के भौतिक गुणों के अनुकूल हैं। जब वृक्षों की प्रजातियों का यह संतुलन मानव द्वारा एक या अधिक प्रजातियों के रोपण द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो कई वन्यजीवों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वनों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में बने रहने दिया जाये। इसलिए किसी भी प्रकार के पातन के उपरान्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन को स्वतः स्थापित होने दिया जायेगा तथा यदि कृत्रिम पुनरुत्पादन आवश्यक है, तो उन्हीं प्रजातियों का चयन किया जावेगा, जिससे प्रजातियों की मूल संरचना अपरिवर्तित रहे। आवश्यकतानुसार फलदार प्रजातियों

का रोपण किया जायेगा। प्राकृतिक वनों के बाहर रोपण करते समय निम्नानुसार बिन्दुओं पर ध्यान रखा जावेगा।

6. स्थल के अनुकूल प्रजाति का चयन किया जावेगा। बाह्य प्रजातियों को दूर ही रखा जावेगा चाहे वे राज्य में अन्यत्र स्थान से हो या विश्व के अन्यत्र स्थान से। स्थानीय प्रजातियों से असंबंधित प्रजातियों का चयन कदापि नहीं किया जावेगा।
7. पुराने रोपणों में पातन के समय स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित किया जावेगा जिससे वन अपनी मूल प्रजाति संरचना को पुनः प्राप्त कर सकें।
8. दो या अधिक प्रजातियों के रोपण किये जावेंगे। छाया में धीमी गति की वृद्धि वाली एक प्रजाति एवं प्रकाश में तेज गति से बढ़ने वाली दूसरी प्रजाति का मेल पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उपयुक्त है। जिन क्षेत्रों में पहले बांस मौजूद था, वहॉ बांस भी लगाया जावेगा।

रहवास सुधार के लिये कराये जा रहे कार्यों के संबंध में क्षेत्र विशेष में कराये गये कार्यो की जानकारी रखने एवं उनके अनुश्रवण हेतु एक पंजी संधारित की जावेगी। पंजी का प्रारूप परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट–96 में दिया गया है।

ये प्रावधान सभी प्रबंधन वृत्तों के लिये समान रूप से लागू होंगे, विशेष रूप से सुधार एवं बिगड़े वनों के पुनर्स्थापन प्रबंधन वृत्तों के लिये, क्योंकि संरक्षण प्रबंधन वृत्त में वैसे भी अधिकांश वानिकी गतिविधियां प्रतिबंधित ही रहती है।

- **रहवास प्रबंधन (Habitat management)**

वनमण्डल के कार्य आयोजना क्षेत्र में मुख्यतः मिश्रित वन है। वनों में वृक्षों, झाड़ियों, शाकों, लताओं एवं छोटे पादपों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वनमण्डल में विविधतापूर्ण पारिस्थतिकीय तंत्रों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रजातियों तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आश्रय देने के लिए उपयुक्त प्रकार के

प्राकृतिक वासस्थल विद्यमान हैं। इस हेतु समतल से खड़ी ढलान के क्षेत्र तथा गहरी मृदा से मृदाहीन चट्टानी भू–भाग पाए जाते हैं।

विभिन्न प्रजातियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वासस्थलों एवं प्राकृतावास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बाघ को कई वर्ग किमी. के वन आवश्यक हैं, वहीं कीड़ों के लिए कुछ वर्गमीटर क्षेत्र ही पर्याप्त है। बड़े जीव प्राकृतावास की विशिष्टता के प्रति कम संवेदनशील रहते हैं,जबकि छोटे जीवों को विशिष्ट प्रकार के वासस्थलों की ही आवश्यकता होती है। प्राकृतावास के विशिष्ट गुणों का अभाव पारिस्थितिकीय तंत्र से जीवों के पलायन या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाता है। विशिष्ट वन्यप्राणी प्राकृतावासों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है,

1. विशिष्ट सूक्ष्म प्राकृतावास
2. विशिष्ट वृहद प्राकृतावास

21.2.11.1.2 विशेष प्राकृतावास :– सामान्य वन्यप्राणी प्राकृतावासों में कुछ प्राकृतावास विशेष प्रकार के होने के कारण वे कुछ विशिष्ट प्रकार के वन्यप्राणियों के रहवास के लिए अत्याश्यक हैं। ऐसे प्राकृतावास सूक्ष्म या वृहद आकार के हो सकते हैं। इस प्रकार के प्राकृतावासों के लिए निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे–

1. **विशिष्ट सूक्ष्म वन्यप्राणी आवास स्थल :** विशिष्ट सूक्ष्म प्राकृतावास भी दो प्रकार के होते हैं, **वानस्पतिक उत्पत्ति के एवं भू–समाकृतीय उत्पत्ति के**। वानस्पतिक उत्पत्ति के विशिष्ट सूक्ष्म प्राकृतावास जैविक मूल के ही होते हैं, किंतु इनका आकार छोटा होता हैं। इन विशेष प्राकृतावासों में सूखे खड़े वृक्ष (स्नैग), कोटर वृक्ष (डेन ट्री) , डाऊन लॉग, वृद्ध, मरणासन्न, ऊंचे विशाल छत्र वाले वृक्ष, ऐसे वृक्ष जिनकी छाल उखड़ या फट रही हो तथा ऐसे वृक्ष जिनके फल, फूल, बीज, पत्तियां, छाल एवं जड़ें वन्यप्राणियों के लिए विशेष महत्व रखते हों, सम्मिलित हैं।
2. **वानस्पतिक उत्पत्ति के विशिष्ट सूक्ष्म प्राकृतावासः–**

स्नैग (Snag):– मृत एवं शाखा रहित लगभग 5 मीटर से अधिक ऊंचाई के 20 सेमी गोलाई के वृक्षों को स्नैग कहा जाता है। जब वृक्ष खड़ी स्थिति में ही मर जाता है, तब फफूंद, जीवाणु, एवं कीट के आक्रमण से वृक्ष की छाल गिरने लगती है। प्रारंभ में वृक्ष कठोर रहता है, किंतु बाद में सड़ते हुए नरम हो जाता है। कुछ की शाखाएं एवं ऊपरी भाग टूट कर जमीन पर गिर जाता है एवं शेष कुछ भाग खड़ा रह जाता है। यही स्नैग कहलाता है। स्नैग जमीन पर गिरे हुए लट्ठे की अपेक्षा अधिक सूखा होता है। नवजात पौधों की इस पर उगने की कम संभावना रहती है। ऐसे मृत खड़े वृक्षों के साथ छोटे जीवों की भोजन एवं वासस्थल संबंधी आवश्यकताओं की विविधता जुड़ी होती है। गिलहरी, कठफोड़वा, चींटे, दीमक, गुबरैले रीढ़विहीन जीवों तथा फफूंद ऐसे वृक्षों से जीवन पाते है। तात्पर्य यह है कि स्नैग पारिस्थितिकीय तंत्र की भोजन श्रृंखला सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्राकृतावास प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। किसी वन क्षेत्र में छोड़े जाने वाले स्नैग की संख्या प्रजातियों एवं प्राणियों की संख्या पर निर्भर करती है। स्नैग वृक्षों के चयन का आधार निम्नानुसार होना चाहिए:–

1. **वृक्ष का आकार :** यह पाया गया है कि छोटे जीव बड़े स्नैग उपयोग कर सकते हैं, परंतु बड़े जीव छोटे स्नैग उपयोग नहीं कर सकते। इस कारण ऊंचे एवं मोटे स्नैग हमेशा अधिक उपयोगी होते हैं।
2. **सड़ने की अवस्था** : वन क्षेत्र में सड़ने की विभिन्न अवस्थाओं के स्नैग छोड़े जाने चाहिए ताकि स्नैग हमेशा उपलब्ध रहे।
3. **प्रजाति** : स्नैग के रूप में धीरे–धीरे सड़ने वाली वृक्ष प्रजातियाँ अधिक उपयुक्त होती हैं। ऐसी वृक्ष प्रजातियां स्नैग एवं डाऊन लॉग दोनों के रूप में लंबे समय तक पारिस्थितिकीय तंत्र में उपलब्ध रहती हैं। ऐसी प्रजातियाँ जिनमें कोटर हैं अथवा कठफोड़वों तथा अन्य पक्षियों द्वारा उपयोग की जाती हैं, को भी छोड़ देना उचित होता है।
4. **संख्या** : वन क्षेत्र में फैले हुए स्नैग कठफोड़वा जैसे क्षेत्रीय पक्षियों हेतु उपयुक्त होते हैं, वहीं समूह में छोड़े गए स्नैग सामूहिक प्रवृत्ति वाले जीवों

हेतु उपयुक्त होते हैं। वन क्षेत्र में 2–3 स्नैगों के छोटे–छोटे समूह बिखरे हुए छोड़ना सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है।

डाउन लॉग्स : :– गिरे पड़े लट्ठों की पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। काष्ठ उत्पादन हेतु वृक्षों का पातन कर विदोहन कर लेने पर पोषक तत्व मृदा में वापस नहीं मिल पाते है। वृक्षों की मोटी शाखाएं भी जलाऊ चट्टों में सम्मिलित कर ली जाती हैं। यद्यपि पत्तियों, शाखाओं तथा अन्य जैविक कचरे में पोषक तत्व मुख्य तने की तुलना में अधिक होते हैं, तथापि गिरे पड़े लट्ठों की महत्ता अधिक होती है क्योंकि पत्तियों एवं शाखाओं के सड़ जाने के बाद भी लट्ठे काफी समय तक उपलब्ध रहकर कीटों, दीमकों, सूक्ष्मजीवों, पादपों, आदि को उपयुक्त सूक्ष्म जलवायु व भोजन उपलब्ध कराते रहते हैं, माइकोराइज़ा फफूंद एवं नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु इस लट्ठे में पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बनाए रखते हैं। नमी तथा उत्पादक वातावरण बीजों के अंकुरण हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करते है। सम्भवतः यही कारण है कि वनों में सड़ चुके लट्ठों की समानांतर रेखा में पुनरूत्पादन अधिक दिखाई देता है। प्रति हेक्टेयर कम से कम 5 डाऊन लॉग छोड़े जाने से वनों में पुनरोत्पादन की स्थिति में सुधार होने की अवस्था निर्मित होने में सहयोग मिलता है।

कोटर वृक्ष (Den Trees) :–वृहद, ऊंचे, वृद्ध वृक्ष जिनमें खोखलापन, बट्रेसिंग, केविटी, स्प्लिट आदि हों, उन्हें डेन ट्री कहा जाता है।

3. **अति विशाल ऊँचे वृक्ष अथवा विशाल छत्र वाले प्राचीन वृक्षः** ऐसे वृक्ष अब वनों में बहुत ही कम भोष बचे हैं। वे जहॉ भी मिले, उन्हें काटा नहीं जावेगा। इस प्रकार के वृक्षों में बरगद, पीपल एवं अन्य फाइकस प्रजाति के वृक्षों को नहीं गिना जावेगा क्योंकि उन्हें वैसे भी नहीं काटा जाता। चिन्हांकन अभिलेखों में ऐसे छोड़े गये वृक्षों का विवरण लिखा जावेगा।
4. **चटखी छाल वाले एवं कोटर वृक्ष :** जिन वृक्षों की छाल चटख चुकी हो, या जिनके तनों में छेद हों, वे चाहे किसी भी प्रजाति के

हों, प्रत्येक हेक्टेयर वनक्षेत्र में ऐसे दस वृक्ष बेतरतीब ढंग से छोड़ दिये जावेंगे। वे छोटे स्तनपाईयों एवं सरीसृप प्रजातियों के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतावास उपलब्ध कराते हैं।

5. **बेलायें :** वृक्षों में रहने वाली वन्यजीव प्रजातियों जैसे बन्दरों आदि के लिये ऊपर ही ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये बेलायें सहारे का काम करती हैं।इसके अतिरिक्त वे उनके परभक्षियों से छिपने एवं आराम करने के काम भी आती हैं। चूहों, गिलहरियों एवं छिपकलियों के लिये भी वे महत्वपूर्ण हैं। कुछ बेलाओं में औषधीय गुण भी होते हैं। बड़ी बेलायें न्यूनतम पॉच प्रत्येक हेक्टेयर वनक्षेत्र में बेतरतीब ढंग से छोड़ दी जावेंगी।
6. **वन्य प्राणियों के लिये विशेष महत्व के वृक्ष :** ऐसे वृक्ष जिनके फल, फूल, बीज, पत्तियां, छाल एवं जड़ें वन्य प्राणियों के लिये विशेष महत्व रखते हों, को कटाई हेतु चिन्हांकित नहीं किया जावेगा। अकाष्ठ महत्व की वनोपजों में ऐसी अधिकांश प्रजातियों की सूची दी गई है।

भू–समाकृतीय उत्पत्ति के विशिष्ट सूक्ष्म प्राकृतावास :–

(i) भू–समाकृति उत्पत्ति केसूक्ष्म प्राकृतावासों के संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे,

1. **गुफा :** बड़े स्तनपाईयों जैसे बाघ, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा आदि द्वारा अपने रहने एवं बच्चों को बड़ा करने के लिये गुफाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांशतः ये झरनों एवं छोटे नालों के आसपास पाये जाते हैं। ऐसी स्थितियों में वे उभयचरों, सरीसृपों एवं मछलियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चमगादड़ों की कई प्रजातियां भी ऐसी गुफाओं में रहती है। अतः गुफाओं के आसपास 500 मी. के दायरे में कोई चिन्हांकन नहीं किया जावेगा।

2. **मांद :** ये गुफा से समान होती है किन्तु अधिक गहरी नहीं होती है एवं इसमें रोशनी एवं हवा पर्याप्त होती है। साथ ही इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसमें बड़े वन्य प्राणी आश्रय लेते हैं। वे लोगों की गतिविधियों के व्यवधान से प्रभावित होते हैं। अतः उन्हें संरक्षित रखा जावेगा एवं उनके 200 मीटर के घेरे में वृक्ष पातन नहीं किया जावेगा।
3. **खोह :** अत्यधिक ऊंची एवं खड़ी कगारों से घिरी हुई संकरी घाटी को खोह कहते हैं। खोह में नमी बनी रहती है एवं इसमें सूर्य का प्रकाश सीमित अवधि के लिए पहुंचता है। खोह में जैव विविधता का बाहुल्य होता है एवं इनमें पक्षी, सरीसृप, मांसाहारी वन्यप्राणी भारण लेते हैं। गर्मियों में खोह में पानी सामान्यतया उपलब्ध रहता है। इन क्षेत्रों को संरक्षित रखा जायेगा एवं इसके 200 मीटर के घेरे में वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

- **खोहों के संरक्षण के लिये निम्नानुसार प्रावधान किए जायेंगे –**
    - खोहों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की जायेगी। प्रमुख खोहों का प्रत्येक 2 माह में एक बार परिक्षेत्र सहायक द्वारा तथा चार माह में एक बार परिक्षेत्र अधिकारी तथा वर्ष में एक बार उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा पैदल निरीक्षण किया जायेगा तथा विवरण कक्ष इतिहास में अभिलेखित किया जायेगा।
    - इन खोहों में क्योंकि निचला क्षेत्र सामान्यतया समतल होता है, इसलिए सुगमता के कारण वनमार्ग एवं अन्य मार्गों आदि का निर्माण इन्हीं क्षेत्रों में कर दिया जाता है जिससे इन स्थानों का परिस्थितिकीय संतुलन बिगडता है। अतः इन स्थानों में मार्गों (स्थायी या अस्थायी) का निर्माण नहीं किया जायेगा।

- खोह में जलस्त्रोतों की स्थिति बहुत अच्छी होती है अतः माह जनवरी में इन खोह क्षेत्रों में अस्थायी बोरी बंधान बनाकर पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था की जायेगी।

4. **चट्टानी किनारे एवं प्रलंबी भौल :** खड़ी चट्टानें तथा लटकती चट्टानें कई पक्षियों विशेषकर गिद्धों के घोंसले बनाने के स्थान हैं। इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के अन्य पक्षी जैसे चमगादड़ आदि भी निवास करते हैं तथा मधु मक्खियां शहद के छत्ते बनाती हैं, जिनमें शहद प्राप्त करने हेतु कई बार धुंए का भी उपयोग किया जाता है जिससे वन्यप्राणी विचलित होते हैं। जिनके लिए निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी ।

    - खड़ी चट्टानों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी पातन कार्य नहीं किया जायेगा।
    - गिद्धों को बचाने के उद्देश्य से उनके प्रजनन स्थलों को बचाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य से इन खड़ी चट्टान वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की जायेगी। गिद्धों का शीत ऋतु में प्रजनन काल होता है अतः इस अवधि में दूरबीन (Binoculour) की मदद से इन स्थानों पर गिद्धों के घोंसलों की स्थिति कक्ष इतिहास में अभिलेखित की जायेगी।
    - ग्रामीणों को शहद संग्रहण की सही पद्धति से अवगत कराया जायेगा, जिससे शहद संग्रहण के दौरान अन्य वन्यप्राणी विचलित न हों।

1. **पत्थरों के ढेर (Talus) :** खड़ी चट्टानें एवं उनके नीचे स्थित पत्थरों के ढेर तथा उन चट्टानी सतहों पर उपलब्ध दरारें, जिनमें से कुछ छाया में तथा कुछ प्रकाश में होती हैं, तरह–तरह के सूक्ष्म प्राकृतावास उपलब्ध कराते हैं। इनके ऊपरी सिरों पर बाजों एवं गिद्धों के घोंसले पाये जाते हैं। ये दोनों ही विलुप्त प्रायः पक्षी प्रजातियां हैं। इनकी दरारों में

चमगादड़ों की कई प्रजातियां रहती है। अबाबिल जैसे पक्षी तथा मधुमक्खियों के छत्ते भी मिलते हैं। चट्टानी सतहों पर उगने वाले कुछ विशेष पौधे भी उगते पाये जाते हैं। इनके निचले भागों में गुफायें हो सकती हैं। इनके आधार तल पर टूट टूट कर गिरे चट्टानों के ढेर होते हैं। इनके भीतर छोटे स्तनपाई एवं सरीसृप धूप एवं वर्षा से बचने के लिये जा छिपते हैं, जहॉ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तापमान एवं नमी वाले स्थान उपलब्ध रहते हैं। ऐसे प्राकृतावासों को सर्वाधिक खतरा भाहद एकत्र करने वालों, रॉक क्लाइम्बिंग करने वालों से रहता है। टेलस के पत्थर कई बार भवन या सड़क निर्माण में उपयोग कर लेते हैं। ऐसे प्राकृतावासों को संरक्षित रखा जावेगा एवं उनके आसपास के 200 मी. के घेरे में वृक्ष पातन नहीं किया जावेगा, श्रमिक शिविर नहीं लगाये जावेंगे तथा शहद संग्रहण की अनुमति भी नहीं दी जावेगी।

2. **नदियों एवं नालों के बीच स्थित चट्टानों के बड़े ढेर :** नदियों एवं नालों के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से प्रथम एवं दूसरे स्तर की जलधाराओं में नदी एवं नालों के तल चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से युक्त रहते हैं। ये सरीसृपों की कुछ प्रजातियों के लिये उत्कृष्ट प्राकृतावास हैं। ऐसे चट्टानी तटों पर जंगली केलों की प्रजातियां उगती पाई जाती है जो भालुओं के भोजन का भी मुख्य स्त्रोत होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जावेगा एवं यहॉ से पत्थर संग्रहण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
3. **नदियों एवं नालों के मिट्टी के खड़े किनारे :** ऐसे क्षेत्र बिल खोदने वाले वन्यजीवों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। किंगफिशर ऐसे तटों पर छेद कर घोंसले बनाकर रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वनमार्ग नहीं बनाये जावेंगे एवं उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षित रखा जावेगा।
4. **लवण चाटन स्थल :** प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले नमक चाटन स्थल या साल्ट लिक सभी भााकाहारी वन्य प्राणियों के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। वनक्षेत्रों में चूंकि प्राकृतिक साल्टलिक अनुपलब्ध हैं। अतः वन्यप्राणियों में

लवणीय तत्वों (Salt minerals) की पूर्ति हेतु कृत्रिम सॉल्टलिक की व्यवस्था की जायेगी। यह सॉल्टलिक प्रति बीट में एक स्थान पर स्थापित किये जायेंगे। सामान्यतया यह स्थान जलस्त्रोतों के नजदीक ही रखे जायेंगे।

(B) विशिष्ट वृहद आवास स्थल : महत्वपूर्ण वृहद आवास स्थलों में निम्नानुसार उपचार किये जायेंगे।

1. **जलीय क्षेत्र :** ये सर्वाधिक विविधतापूर्ण, पारिस्थितिकीय दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक एवं गतिशील तंत्र होते हैं। वे सभी तरह के प्राकृतावासों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं एवं कई वन्यप्राणी उनके किनारे–किनारे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। इन क्षेत्रों में निम्नानुसार उपचार किया जायेगा,

   I. नदीतटीय क्षेत्रों में अजनार, कोलार एवं बेतवा नदियों के तटों से लगे वनकक्षों में तटों से 200 मी. तक एवं बारहमासी जलस्त्रोतों के तटों से लगे वनकक्षों में तटों से 20 मी. तक पातन प्रतिबंधित रहेगा।

   II. रेतीले स्थानों पर मगरमच्छ द्वारा घोंसले भी बनाये जाते हैं मगर के रहवास विकास एवं मानव–वन्यप्राणी प्रबन्धन के लिए स्थानीय निकाय से समन्वय करके चेनलिंक फेंसिंग अथवा अन्य प्रभावी तरीके से क्षेत्र को सुरक्षित किया जाये, ताकि मगर कृषि या आबादी क्षेत्रों में न जायें। इसके पास उपयुक्त स्थान पर एक रेस्क्यू दल वर्षा के मौसम में रखा जाये, जो विशेष परिस्थिति में मगर का रेस्क्यू करें।

   III. समतल तटवर्ती क्षेत्रों में निकासी मार्ग या वनमार्ग नहीं बनाये जावेंगे क्योंकि उनसे काफी भूक्षरण होता है। वृक्ष पातन कार्यों में 90 प्रतिशत तक मिट्टी रोड से ही क्षरित होती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में केवल यही क्षेत्र समतल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में नदीतट से कम से कम 50 मीटर की दूरी के बाद ही ये मार्ग बनाये जावेंगे।

जहां इसे टाला जाना संभव न हो वहां मार्ग की लंबाई नदी या नाले की लंबाई के साथ उसकी लंबाई के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं रखी जावेगी। सामान्यतः वनमार्ग एवं निकासी मार्ग कटाई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर से ही बनाये जावेंगे।

IV. अधिकांश नदियों में ग्रीष्म ऋतु में पानी का बहाव कम हो जाता है या रूक जाता है, ऐसे में पानी कुछ निर्धारित स्थानों पर ही सीमित हो जाता है। ये स्थान वन्यप्राणियों को हथियार या जहर द्वारा शिकार करने के लिए आसान स्थान होते हैं। इन स्थानों की पहचान कर मार्च से जून माह तक सतत् निगरानी की जायेगी।

V. नदियों में शहरी इलाकों से आने वाले गंदे नाले भी मिलते हैं, जो नदियों के पानी को प्रदूषित करते हैं। अतः इन नालों के नदियों में मिलान स्थानों पर निगरानी रखी जायेगी तथा यदि प्रदूषक पदार्थ ज्यादा होते हैं तो जिला प्रशासन, उद्योग विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से इस पर रोक लगाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

VI. प्रतिबंधित क्षेत्रों में श्रमिक शिविर या चराई शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। कोई अधोसंरचना विकास का कार्य भी नहीं किया जावेगा।

VII. नदीतटीय वन क्षेत्रों में पत्थर एवं रेत उत्खनन की अनुमति नही दी जायेगी।

VIII. विस्फोटकों या जहर के उपयोग द्वारा मछली मारना प्रतिबंधित रहेगा।

IX. बहती नदियों एवं बारहमासी डोहों में मछलियों की बाहरी प्रजातियों के बीज नहीं डाले जावेंगे।

X. पारिस्थितिकीय दृष्टि से कम संवेदनशील क्षेत्रों में केवल ईको टूरिज्म की गतिविधियों की ही अनुमति दी जावेगी एवं इस क्षेत्र में

समस्त कचरा पर्यटकों को अपने साथ क्षेत्र से बाहर ले जाना अनिवार्य होगा।

2. **तालाब** – तालाब वन्यप्राणियों विशेषकर पक्षी एवं मत्स्य वर्ग के विशेष आवास स्थल हैं। तालाबों हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी –

   - इन तालाबों में आने वाले प्रवासी पक्षियों की माह दिसम्बर से मार्च के मध्य प्रत्येक माह निगरानी की जायेगी तथा पक्षियों की प्रजातियों एवं अनुमानित संख्या का विवरण कक्ष इतिहास में लिखा जायेगा।
   - इन तालाबों के समीप के कृषकों को रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग करने की समझाईश दी जायेगी ताकि इन रासायनिक तत्वों से पक्षियों की मृत्यु न हो तथा तालाब का पानी भी प्रदूषित न हो।
   - पक्षियों के शिकार के रोकथाम हेतु प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।
   - तालाबों को मृदा जमाव (Siltation) से बचाने की दिशा में विभिन्न विभागों का सहयोग किए जायेंगे।

1. **दलदली एवं आर्द्र क्षेत्र :** आर्द्र स्थलों एवं नम भूमियों के आसपास 1 किमी. के घेरे में पातन कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
2. **तिलस्मी स्थल :** ये स्थल सामान्यतया जलीय क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः जलीय क्षेत्रों के प्रबन्धन के समय इन्हें विशेष रूप से संरक्षित किया जायेगा।
3. **प्राचीन वृक्ष वन :** ये क्षेत्र काफी छोटे आकार के होते हैं। इनमें पूर्णतः आश्रित प्रजातियों का वास होता है। अतः इन्हें पूर्णतया संरक्षित रखते हुए इसके 50 मीटर दूरी तक वृक्ष पातन प्रतिबन्धित रहेगा एवं इस क्षेत्र से कोई भी वनोपज नहीं हटाई जायेगी।
4. **क्षेत्र गहरे खड्ड एवं घाटियॉं :** ये अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही कम पाये जाते हैं। तीव्र ढाल एवं घाटियों में सामान्यतः सदाबहार

वनस्पतियां इनकी विशेषता होती है। ये वे स्थल हैं जहॉ प्रारंभिक अवस्था के पौधें पाये जाते हैं। इन्हें पूर्ण रूप से संरक्षित किया जावेगा एवं इनके 1 कि.मी. के घेरे में वृक्ष पातन गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

5. **चारागाह स्थल –** वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में घास के क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। घास के क्षेत्रों का स्थल विशेष अनुसार प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय प्रजाति का चयन कर घासों का विकास किया जाये। सभी कार्यवृत्तों में प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त स्थल पर स्थानीय एवं वहुवर्षीय स्वादिष्ट घास प्रजातियों का चयन कर प्रत्येक बीट में चारागाह क्षेत्र अवश्य विकसित किया जावें।

6. **अण्डरग्रोथ :** निम्न वितान एवं उसके नीचे स्थित घास एवं झाड़ियों के क्षेत्र को इस श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इन्हें चराई से मुक्त रखते हुए पुनरुत्पादन एवं सस्य स्वास्थ्य संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

(C) गिद्ध के रहवास स्थल :–

यह एक सर्वविदित वैज्ञानिक तथ्य है कि गिद्ध प्रकृति का एक सफाई कर्मी है, जो शवों का भक्षण कर मनुष्य को प्राकृतिक संकट से बचाता है। इसकी अनुपस्थिति में प्रकृति की त्रुटिरहित व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो सकती है, जिसके गम्भीर परिणाम होगें ।

गिद्ध एक कशेरूकी एवं समतापी पक्षी है। पूरे विश्व में 22 प्रकार के गिद्ध पाये जाते हैं। भारत में मुख्यतः इनकी 9 प्रजातियां मिलती हैं। मध्य प्रदेश में केवल 07 प्रजातियां – राज गिद्ध, काला गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, देशी गिद्ध, चमर गिद्ध एवं सफेद गिद्ध ही पाये जाते हैं

जिले में निम्नानुसार गिद्ध की गणना की गई है –

तालिका क्रमांक – 21.4
वनमण्डल में की गई गिद्धों की गणना अनुसार उपलब्धता

परिक्षेत्र का नाम	गिद्ध स्थल का नाम	अक्षांश	देशांतर	कुल गिद्ध		कुल घोंसला संख्या
				अवयस्क	वयस्क	
1	**2**	**3**	**4**	**19**	**20**	**21**
समर्धा	बीट बालम पुर कक्ष क्र.पी. एफ–163	23º22’58.00”E	77º32’54.00”E	1	23	21
	बीट बालम पुर कक्ष क्र.पी. एफ–162 बिजली के टावर पर	23º23’21.00”E	77º30’15.00”E	13	34	4
	बीट द. पडारिया कक्ष क्र. पी. एफ–191 वृक्ष पर –2 एवं जमीन पर 24	23º26’93.00”E	77º56’88.00”E	6	20	0
	भानपुर खंती	23º18’19.00”E	77º26’25.00”E		31	0
बैरसिया / नजीराबाद	बीट इमलिया नरेन्द्र पीपल के पेड पर ग्राम सपौआ	23º35’24.30”E	77º28’43”E	0	18	0
	बीट दामखेड़ा पीपल के पेड़ पर ग्राम चठौआ	23º34’09.10”E	77º30’11.20”E	1	17	2
	बीट खंडारिया कक्ष क्र. आर. एफ– 16 पीपल वृक्ष पर ग्राम पातलापानी	23º50’03.60”E	77º21’47.00”E	0	4	2
	बीट खंडारिया कक्ष क्र. आर. एफ– 32 इमली का पेड़ ग्राम खण्डरिया	23º49’20.50”E	77º22’21.70”E	2	6	4
	बीट खंडारिया कक्ष क्र. आर. एफ– 32 पीपल का पेड़ ग्राम खण्डारिया	23º49’18.40”E	77º22’22.50”E	0	4	2
योग				**23**	**157**	**35**

प्रजातिवार गिद्धों की गणना का गोशवारा परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–97 में दिया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन में गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मनुष्य का असंतुलित प्राकृतिक संसाधन दोहन का लालच एवं अन्य कारणों से गिद्ध तेजी से लुप्त हो रहे हैं, इसी कारण इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।

गिद्ध के आवास सामान्यतः सुरक्षित व शांत इलाकों में होते हैं। अत्याधिक शोर–शराबे का इनके जीवन चक्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अपना रात्रि विश्राम ऊंचे पेड़ों एवं पहाड़ियों की दरारों में करते हैं। घोंसले के निर्माण के लिए प्रायः अर्जुन, इमली, आम, हल्दू, बरगद, पीपल, महुआ, चिरौल, महानीम, नीम का चयन करते हैं। इसके साथ ही ऊंचे पहाड़ों में स्थित दरारों, ऊंचे स्मारकों के सुरक्षित गुम्बद/बुर्ज भी इनके लिए सुरक्षित स्थान होते हैं।

गिद्ध केवल मरे हुए जानवर को ही खाते हैं, जीवित जानवर का कभी भी शिकार नहीं करते। छोटे मृत सरीसृप गिद्ध को पसन्द नहीं हैं ये जंगल में मांसाहारी वन्य प्राणियों से बचा हुआ मांस खाते हैं, इन्हें प्रायः गॉव के पास पड़े मृत मवेशियों से भी भोजन मिलता है। गिद्ध के साथ सियार, कुत्ते, कौए, लोमड़ी, लकडबग्घा एवं अन्य जंगली जानवर भी सहभोज करते हैं। गिद्ध के संबंध में एक रोचक बात यह है कि गिद्ध प्रत्येक बार भोजन करने के बाद स्नान करता है, इससे इसके शरीर की सफाई हो जाती है।

(D) गिद्ध संरक्षण के उपायः–

- वनमण्डल में गत वर्ष कराई गई गिद्ध गणना में पाये गये नीड़न स्थल, घोंसलों, विश्राम स्थलों, पर लगातार निगरानी तथा स्थानीय निवासियों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा क्षेत्रीय स्टाफ से समय–समय पर रिपोर्टिंग प्राप्त करना।
- जंगलों में ऊंचे वृक्षों को कटाई से बचाना।
- पहाड़ों व चट्टानों पर पाये गये गिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध।
- मृत पशुओं को सड़क व रेलवे लाइन के किनारे फेंकने से खाने के लिए गिद्ध एकत्र होने पर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस बावत स्थानीय निवासियों में जागरूकता उत्पन्न करना।
- डायक्लोफिनेक नामक दवा के सेवन से उपचारित मृत पशु गिद्ध के लिए घातक हैं ऐसे पशुओं को खुले में न फेंककर जमीन के अंदर दफनाना।
- कभी–कभी गिद्ध शिशु, घोसले से निकलकर चलने के प्रयास में जमीन पर गिरकर घायल हो जाते है। ऐसी दशा में पशुचिकित्सक से उपचार कराना तथा घोसलों की सतत् निगरानी आवश्यक है।

21.2.11.2 सामान्य सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा :–

कार्य आयोजना के वन सुरक्षा अध्याय में वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के विस्तृत उपचार दिये गये है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य आयोजना क्षेत्र में निम्न उपायों पर अमल किया जाये –

21.2.11.2.1. वन अवरोध नाके :–कार्य आयोजना क्षेत्र में स्थापित वन अवरोध नाकों पर सघन निरीक्षण करने एवं प्रभावी बनाने के लिये सभी नाकों पर एक–एक वायरलैस सैट दिया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कम से कम चार कर्मचारियों का दल नाकों पर जांच एवं चौकसी हेतु रखा जाये।

21.2.11.2.2. संवेदनशील क्षेत्रों की गश्ती :–कार्य आयोजना क्षेत्र में वन्य प्राणियों के शिकार एवं दुर्घटनाओं की दृष्टि से कोई भी क्षेत्र अतिसंवेदनशील नहीं है। वन्य प्राणियों के शिकार एवं दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कार्य आयोजना क्षेत्र में की गई है, जो निम्नानुसार है,

तालिका क्रमांक – 21.5

वन्य प्राणियों के शिकार एवं दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

अ. क्र.	वन्यप्राणी का नाम	शिकार हेतु संवेदनशील स्थल (ग्राम / कक्ष क्र)	शिकार करने के लिये सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले तरीके
1	2	3	4
1	खरगोश	गुनगा PF14,	बंदूक, चाकू,कुल्हाड़ी, हसिया, भाला एवं जाल
2	नीलगाय	नजीराबाद RF34, खेजड़ा कलयाणपुर, खैरखेड़ा	
3	जंगली सुअर	कलारा, RF139, मंझेड़ा, RF62, RF141, कढ़ौयाखा, PF124, कोटरा, PF11, सिंधौड़ा, मूडलाचटटान, , RF75 सरखण्डी	
4	काला हिरण	रतुआ, दिल्लौद, मंझेड़ा शाहपुर RF62	
5	मोर	गुनगा, PF.142, खण्डारिया बागापुरा RF92	
6	चीतल	दामखेड़ा	
7	हिरण	बैरसिया, मंझेड़ा, हर्राखेड़ा	
8	वन्यप्राणियों का के शिकार का प्रयास	कढ़ैयाखौ RF117, खण्डारिया, RF28, बड़ली , PF98, कढ़ैयाखौ PF118, कोटरा, रतुआ PF158, शाहपुर RF86, दामखेड़ा	

उपरोक्त क्षेत्रों की गश्ती हेतु सघन गश्ती दल बनाकर परिक्षेत्र स्तर पर प्रयास किया जाना प्रस्तावित है तथा वनमंडल स्तर पर भी इसका अनुश्रवण सतत् करना आवश्यक है। बीट भ्रमण के दौरान पानी वाले स्थानों पर विशेष गश्ती की जाना चाहिये तथा उसके आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखना

चाहिये कि शिकारियों ने अपने छुपने के लिये कोई अड्डे बनाये हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त वनक्षेत्र या इसके आसपास, जहां कहीं से भी बिजली लाईन गई हो, उसके आसपास भी गश्त के दौरान सतत निगरानी की जावे ताकि करेंट से वन्य प्राणियों के शिकार की संभावना को भी शून्य किया जा सके। वनमण्डल में परिक्षेत्रवार विद्युत लाईन की सूची परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–150 में दी गई है। विगत एक–दो वर्षों के अन्दर ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे कृषकों द्वारा भी, जिनकी कृषि भूमि वन सीमा से लगी हुई है, भी स्थानीय रूप से अपनी फसलों की वन्य प्राणियों से सुरक्षा हेतु भी बिजली के नंगे तारों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी बीट स्तर पर कराया जाना होगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जल स्रोतों को विषाक्त कर या पानी में धमाका कर मछली मारने की प्रथा के कारण वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचता है। समझाइश द्वारा इस प्रथा पर अंकुश लगाया जावेगा।

- **अवैध शिकार पर नियंत्रण हेतु प्रस्तावित बिन्दु :–**

1. वन्य प्राणी संरक्षण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निम्न पत्र क्रमांकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी –
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./615 दिनांक 16.06.1999
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./237 दिनांक 08.03.1999
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./75 दिनांक 29.01.1999
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./248 दिनांक 13.03.2000
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./450 दिनांक 12.04.2002
7. वन संरक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं पर भी विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

8. वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम विस्तार
9. बीटों में युवा वनरक्षकों की पदस्थिति।
10. सर्च वारंट जारी करने का अधिकार वन परिक्षेत्र अधिकारी को दिया जाना आवश्यक।
11. शस्त्र उपयोग संबंधी प्रशिक्षण।
12. परिक्षेत्र सहायक स्तर पर कम से कम एक महिला वनरक्षक की पदस्थिति।
13. वन हानि की वसूली में वन कर्मियों के साथ–साथ वन समितियों को भी शामिल करना।
14. प्रतिमाह एक पृथक बैठक सिर्फ वन सुरक्षा की समीक्षा एवं सुधार हेतु ।
15. दस हजार रूपये से अधिक मूल्य की वनोपज से संबंधित प्रत्येक वन अपराध को अभिसंधानित न करते हुए न्यायालय में चालान किया जाये। इसी तरह वन्य प्राणियों से संबंधित सभी प्रकरण, अतिक्रमण के सभी प्रकरण, सर्च वारंट से संबंधित सभी प्रकरणों को भी अनिवार्यतः न्यायालय चालान किया जाये ।
16. अमले को पुरस्कार एवं दण्ड की उचित व्यवस्था रखी जाएगी।

तालिका क्रमांक–21.6
शिकार प्रकरणों की जानकारी

अ. क्र.	वर्ष	शिकार
1	**2**	**4**
1	2009	11
2	2010	7
3	2011	8
4	2012	10
5	2013	10
6	2014	13
7	2015	11
8	2016	12
9	2017	5
10	2018	9

तालिका क्रमांक–21.7
शिकार प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण

क्र	अपराधों का विवरण	प्रचलित कार्य आयोजना में उल्लेखित (वर्ष 2001 से 2008)		प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में पंजीकृत (वर्ष 2009से 2018)	
		कुल प्रकरण	प्रतिवर्ष औसत	कुल प्रकरण	प्रतिवर्ष औसत
1	शिकार	77	13	96	10

21.2.11.2.3. वॉच टावर की स्थापना :– अतिसंवेदनशील बीटों के सबसे ऊँचाई वाले क्षेत्र में वॉच टावर की स्थापना किया जाना आवश्यक है तथा वॉच टावर पर तैनात कर्मचारी को एक–एक बायनाकुलर भी दिया जाना आवश्यक है जिससे सुदुर क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की विशेष निगरानी की जा सके। वन सुरक्षा के अध्याय में प्रस्तावित वॉच टावर्स के स्थलों, उसपर होने वाले व्यय का विवरण भाामिल किया गया है। इन वॉच टावरों से वन्य प्राणी प्रेक्षकों द्वारा अवैध शिकार, अवैध कटाई, अग्नि घटनाओं इत्यादि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। इन प्रेक्षकों को एक–एक वायरलैस सेट भी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

21.2.11.2.4. मैदानी अमले को संवेदनशील किया जाना :– पदस्थ मैदानी अमले को प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित कर वन्य प्राणियों एवं वन अपराधों के प्रति संवेदनशील होने का प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है ताकि वह स्वयं सचेत रहकर वन्य प्राणियों एवं वनक्षेत्रों की सतत् निगरानी एवं चौकसी कर सके। इस प्रशिक्षण में वन्य प्राणी अपराधियों के द्वारा जो नये–नये तरीके वन्य प्राणी अपराध के लिये उपयोग में लाये जा रहे हैं, उनसे प्रभावी तरीके से निपटने बावत् जानकारी दिया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा मुखबिर तंत्र स्थापित किये जाने बावत् भी आवश्यक मार्गदर्शन एवं तकनीक इस प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग होगा।

21.2.11.2.5. मुखबिरी :–परिक्षेत्र एवं वनमंडल स्तर पर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के लिये मुखबिर तंत्र की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। इन मुखबिरों में स्थानीय निवासी ही रहते हैं जिन्हें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विभाग द्वारा मदद एवं संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें विश्वास में लेकर कार्य कराया जावेगा। इन मुखबिरों से सतत् संपर्क रखने हेतु पदस्थ क्षेत्रीय अमले को प्रशिक्षित एवं निर्देशित किया जावेगा। स्थानीय स्तर पर जो मुखबिर बनाये जा सकते हैं उनमें ग्राम का नाई, ऐसे वैद्य जो जंगलों से जड़ी बूटी लेकर आते हों, वनक्षेत्रों में चराई करने वाले चरवाहे, ग्रामों के चाय पान की दुकान वाले, एस.टी.डी. पी.सी.ओ. चलाने वाले, वनोपज को इकट्ठा कर इनसे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति इत्यादि भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वनमंडल के क्षेत्र में कार्य करने वाले वन्य प्राणियों से संबंधित एन.जी.ओ. भी सूचनाओं के उपलब्ध कराने में मददगार हो सकते हैं।

21.2.11.2.6. बाहरी व्यक्तियों पर नजर :– संवेदनशील स्थानों पर यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रमण करते हुये नजर आयें तो उनके बारे में सतर्क एवं सचेत रहने की आवश्यकता है। इस हेतु बीट गार्डों को स्पष्ट समझाइश दी जायेगी कि स्थानीय ग्राम कोटवारों से निरंतर सम्पर्क में रहकर ग्राम में आने वाले नये व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करें व उन पर एवं उनकी गतिविधियों पर सतत् नजर रखी जावे।

21.2.11.2.7. पूर्व के वन्य पशु शिकारियों पर विशेष नजर :–पूर्व काल से वन्य पशु का शिकार करने वाले कतिपय समुदायों के व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराये जावेंगे इसके लिये ऐसे व्यक्तियों को वानिकी एवं अन्य विभिन्न कार्य उपलब्ध कराये जावेंगे। पूर्व में वन्य प्राणी अपराध में लिप्त व्यक्तियों की सूची परिक्षेत्र कार्यालय एवं वनमंडल कार्यालय में पृथक रजिस्टर में उनके फोटो सहित रखी जावेगी। इन व्यक्तियों के गतिविधियों के ऊपर क्षेत्रिय कर्मचारियों द्वारा सतत् निगाह रखी जावेगी।

21.2.11.2.8. संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत गठित समितियों का सहयोग :–संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत गठित वन सुरक्षा और ग्रामवन समिति का पूर्ण सहयोग एवं सहभागिता वन्य प्राणी सुरक्षा एवं संरक्षण कार्यों में किया जाना चाहिये। इन समितियों के द्वारा वन सुरक्षा के समान ही वन्य प्राणी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जावेगी।

21.2.11.2.9. बाघ एवं तेंदुए की जानकारी :–क्षेत्र में पाये जाने वाले सभी बाघ एवं तेंदुओं की सतत् जानकारी का अनुश्रवण किया जावेगा। इसके अन्तर्गत उनके पंजों के ट्रेस उसी समय ही तैयार कर उनके नाप जोख संबंधित बाघ/तेन्दुआ की पत्रावली में पूर्ण विवरण सहित रखे जावेंगे। जिसमें संबंधित वन्य पशु के बारे में पूर्ण व्यक्तिगत विवरण एवं उसके विचरण क्षेत्र की जानकारी दर्ज होगी। प्रत्येक बीट रक्षक के द्वारा प्रतिदिन वन्य प्राणी प्रेक्षण डायरी आवश्यक रूप से मानक प्रपत्र में भरी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर के वनकर्मियों के द्वारा भी वन्य प्राणी उपस्थिति के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रमाणों का विवरण संबंधित अभिलेखों में रखा जावेगा। प्रत्येक माह प्रत्येक बीट रक्षक अपनी यह जानकारी परिक्षेत्र अधिकारी को भेजेगा एवं परिक्षेत्र अधिकारी इन जानकारियों को संकलित कर यह देखेंगे कि उनके परिक्षेत्र में पाये जाने वाले वन प्राणियों की संख्या में कोई गिरावट परिलक्षित तो नहीं हो रही है। इसी तरह प्रत्येक परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र की जानकारी वनमंडल स्तर पर प्रत्येक माह प्रस्तुत करेगा एवं वनमंडल अधिकारी समस्त परिक्षेत्रों की जानकारी का संकलन कराकर वन्य प्राणियों की वनमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्धता का अनुश्रवण मासिक आधार पर करेंगे।

21.2.11.2.10. नीलगाय को मारे जाने के संबंध में म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश– नीलगाय को मारे जाने के संबंध में म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–98 में दर्ज हैं।

21.2.11.2.11. अवैध शिकार के प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही :–वन्य प्राणियों के अवैध शिकार के प्रकरणों में विधिक प्रावधानों के अनुसार समग्र कार्यवाही तत्परता से की जावेगी तथा अपराधियों को उचित दंड दिलाया जावेगा जिससे अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इस संबंध में फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का सहयोग लिया जाकर न्यायालय में दृढ़ता से भाासन का पक्ष प्रस्तुत किया जाये। वन्य प्राणी के अवैध शिकार पर नियंत्रण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के जारी दिशा निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–199 पर दिया गया है।

21.2.11.2.12. रीजनल एवं वनमण्डल स्तरीय वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वाड का सुदृढ़ीकरण :– होशंगाबाद वन वृत्त में वृत्त स्तर पर रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वाड गठित है, जिसके पास आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हैं, जिसमें सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। इस स्क्वाड से ऐसी अपेक्षा है कि यह वृत्त स्तर पर वन्य प्राणियों के घटित होने वाले अपराधों पर सतत् निगरानी रखकर वनमंडलों के बीच समन्वय बनवाते हुये प्रभावी कार्यवाही करेगा एवं करायेगा ताकि इन अपराधों पर सक्षमता से नियंत्रण पाया जा सके। वन्य प्राणी अपराधों के नियंत्रण की दिशा में इसे शासन की मंशा के अनुरूप सशक्त एवं क्रियाशील करना अतिआवश्यक है। इसी तरह वन मण्डल स्तर पर गठित वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वाड को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

21.2.11.2.13. अग्नि सुरक्षा : वनक्षेत्र में अग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जावेगी तथा इन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना न होने पावे, ऐसे सुरक्षा के उपाय किये जावेंगे। यदि किसी भी प्रकार अग्नि घटना होती है, तब उसका तत्काल संज्ञान लिया जाकर आग बुझाने हेतु समुचित कार्यवाही की जावेगी।

1. वनमण्डल की अग्नि सुरक्षा योजना में इस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।
2. इन क्षेत्रों में अग्नि सीजन दिसम्बर के माह से ही प्रारम्भ हो जाता है अतः अग्नि सुरक्षा के तहत पूर्व दहन कार्य दिसम्बर/जनवरी तक पूर्ण करा लिए जायेंगे।
3. वन क्षेत्रों के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य मार्गों के किनारे अग्नि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

21.2.11.2.14. टास्क फोर्स :– वन सुरक्षा, सामूहिक अतिक्रमण, अवैध उत्खनन इत्यादि पर समुचित नियंत्रण एंव त्वरित कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग आवश्यक होता है। इस कार्यवाही के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसे और सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है।

21.2.11.2.15. संवेदनशील दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों हेतु सुविधा :–संवेदनशील दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, परिवार सुरक्षा हेतु परिक्षेत्र मुख्यालय स्तर पर लाईन क्वाटर बनाकर आवास व्यवस्था की जावेगी, ताकि कर्मचारी स्वतंत्र रूप से वन सुरक्षा सम्पादित कर सकें।

21.2.11.2.16. वन्य प्राणी संरक्षण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निम्न पत्र क्रमांकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./615 दिनांक 16.06.1999

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./237 दिनांक 08.03.1999

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./75 दिनांक 29.01.1999

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./248 दिनांक 13.03.2000

5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/नि.स./450 दिनांक 12. 04.2002

21.2.11.2.17. नुकसानदायक रसायनों के उपयोग में सावधानी –

ग्रामीणों द्वारा पशुओं की चकित्सा में डाइक्लोफिनेक (Diclofenac) दवा का उपयोग किया जाता है। यह दवा पशुओं को दर्द निवारक (Anti inflamatory) दवा के रूप में दी जाती है। पशु की यदि मृत्यु हो जाती है तब भी उसके शव में इस दवा की मात्रा बनी रहती है, जो गिद्धों हेतु विष के समान है। गिद्ध द्वारा इसे खाने पर गुर्दा खराब (Kidney Failure) हो जाने से मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार ग्रामीणों द्वारा कृषि कार्य में रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिस कारण विभिन्न पक्षियों विशेषकर मोर आदि के मरने की घटनायें होती हैं। ग्रामीणों को इन रासायनिक पदार्थों के उपयोग में सावधानी बरतने हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जायेगा।

21.2.11.3 निगरानी व्यवस्था :–

वन सुरक्षा के तहत वनक्षेत्र में भ्रमण के दौरान वन्यप्राणियों की गतिविधियां एवं वन्यप्राणी शिकार में जुड़े हुये अपराधियों की गतिविधियों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वन्यप्राणियों की मौजूदगी तथा उनके शिकार के रोकथाम हेतु निम्न व्यवस्थाएं अपनाई जावेंगी,

1. **पैदल गश्ती :–** वन्यप्राणी संवेदनशील क्षेत्र का सतत् भ्रमण किया जावेगा। भ्रमण के दौरान प्रत्यक्ष रूप से पाये जाने वाले वन्यप्राणी तथा अप्रत्यक्ष रूप से जैसे पदचिन्ह, विष्ठा, खरोंच, लोटन, बाल, आवाज इत्यादि पाये जाने वाले वन्यप्राणियों के संकेत को बीट पंजी में लिपिबद्ध किया जावेगा। वन्यप्राणी सामान्यतः पगडंडियों का उपयोग करते है। साईकिल, मोटर साईकिल तथा वाहन से गश्ती के अतिरिक्त पगडंडियों पर पैदल गश्ती की जायेगी।

2. **रात्रि कालीन गश्ती :–** वनक्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी तथा पूछतांछ की जायेगी। वन्यप्राणी शिकार सामान्यतः भााम के पश्चात् अंधेरे में किया जाता है। अतः वन मण्डल स्तर पर रोस्टर तैयार किया जाकर संवेदनशील क्षेत्र में रात्रि गश्ती का प्रावधान रखा जावेगा।
3. **जलस्त्रोतों का निरीक्षण :–** वनक्षेत्र में समस्त जलस्त्रोतों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जावेगा। ग्रीष्म ऋतु में संवेदनशील क्षेत्र में प्रत्येक दिन गस्ती की जावेगी तथा बीट पंजी में जलस्त्रोतों के निरीक्षण के उपरांत की गई कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जावेगा। जलस्त्रोतों का विवरण भाग 1 में दिया गया है।
4. **मानसून गश्ती :–** वर्षा ऋतु में खेतों पर फसल खड़ी होने के दौरान वन्यप्राणी कोमल पत्तियों की ओर आकर्षित होकर खेतों के तरफ आते है। इसका फायदा उठाकर स्थानीय शिकारी बिजली के तार का उपयोग कर शिकार को अंजाम देते है। वर्षा के दौरान ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्ती की जावेगी।
5. **विद्युत लाइनों की निगरानी :–**वनक्षेत्र से जो विद्युत लाइनें गुजरती हैं, उनके माध्यम से भी वन्य प्राणियों का शिकार किया जाता है। वनक्षेत्र के अंदर गुजरने वाले बिजली लाईन के नीचे नियमित रूप से पूर्ण सतर्कता के साथ गस्ती की जावेगी। वन्यप्राणी शिकार हेतु बिजली के प्रयोग के संबंध में संबंधित परिसर रक्षक को पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव होना आवश्यक है। बिजली लाईन के नीचे घास की कटाई व खूंटी गाड़े जाने के निशान को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया जावेगा। वर्तमान में जिन विद्युत लाईनों को वन संरक्षण अधिनिमय 1980 के लागू होने के पश्चात लगाया गया है, उन विद्युत लाईनों पर जारी स्वीकृति के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत रोधी आवरण वाले विद्युत तारों को ही वन क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत लाईन ले जाने में उपयोग की अनुमति दी जाये ताकि गुजरती विद्युत लाईनों

का दुरूपयोग वन्य प्राणियों के शिकार में नहीं किया जा सके। इसके साथ ही विद्युत विभाग से समन्वय कर वनक्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत लाइनों एवं उसके आसपास के क्षेत्र की सतत निगरानी की जाये।इस हेतु वनक्षेत्र से गुजरने वाली बिजली लाईन के कक्षों का विवरण सूचीबद्ध कर वनमण्डल, परिक्षेत्र एवं संबंधित बीटगार्ड के पास रखा जायेगा। अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में विद्युत लाईनों की तारें इंसुलेटर से ढ़के जाने हेतु मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को लेख किया जावेगा।

6. **बिजली ट्रिपिंग :–** वनक्षेत्र के समीप स्थापित विद्युत सब–स्टेशन से नियमित रूप से ट्रिपिंग की जानकारी परिसर रक्षक द्वारा प्राप्त की जावेगी। ट्रिपिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत गश्ती दल तैयार किया जाकर अत्यंत सावधानीपूर्वक वनक्षेत्र में बिजली लाईन गुजरने वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया जावेगा।इस हेतु दोनों विभागों के मैदानी कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक आयोजित कर विद्युत ट्रिपिंग की त्वरित जानकारी वन विभाग को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाये ताकि संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण क्षेत्रीय अमले के द्वारा किया जाकर किसी भी वन्यप्राणी की करंट से शिकार की घटना को रोका जा सके।
7. **साप्ताहिक बाजार :–** वनक्षेत्र से लगे स्थानीय साप्ताहिक बाजार में वन्यप्राणी शिकार से प्राप्त अवयवों का व्यापार तथा शिकार हेतु उपयोग किये जाने वाली सामग्रियों का क्रय–विक्रय होता है। ऐसे समस्त साप्ताहिक बाजारों का नियमित रूप से भ्रमण किया जाकर वन्यप्राणी शिकार से संबंधित अवैध तथा संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर रखी जावेगी। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखी जावे जो उस क्षेत्र में नये दृष्टिगत हो रहे हों।
8. **आदतन अपराधी :–** वनक्षेत्र से लगे ग्रामों में आदतन अपराधियों की सूची संधारण की जावेगी तथा उनकी गतिविधियों पर नियमित रूप

से मॉनीटर किया जावेगा। वन्यप्राणी शिकार करने वाले घुमन्तु समुदाय के डेरे पाये जाने पर तत्काल उन्हें उस क्षेत्र से हटाया जाकर उनके स्थाई गृह निवास पर भेजने की व्यवस्था की जावेगी।

9. **हथियारों का रजिस्ट्रेशन :** कार्य आयोजना क्षेत्र वनक्षेत्र से 10 किमी की सीमा के समस्त ग्रामों के लोगों के लाईसेंसशुदा हथियारों का रजिस्ट्रेशन वन मण्डल कार्यालय में आगामी दो वर्षों में कर लिया जाये। इनके लाईसेंस की भार्तों पर ध्यान देना आवश्यक है। अभी भी कई लाईसेंस फसल सुरक्षा के नाम पर या तो दिये जा रहे हैं या फिर उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब फसल सुरक्षा के नाम पर हथियारों के लाईसेंस नहीं दिये जा सकते क्योंकि फसल सुरक्षा के नाम पर वन्यजीवों को मारना अपराध हैं। अतः वनमंडलाधिकारियों द्वारा ऐसे समस्त लाईसेंस निरस्त करवाये जावेंगे। ऐसी सूची वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध होने पर खेतों में फसलों के समय उन लोगों पर नज़र रखना आसान होगा जिनके खेत वनसीमा से लगे हुए हैं एवं जिनके पास हथियार भी हैं।

10. **जनभागीदारी –** वन्यप्राणियों एवं जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय निवासियों की भागीदारी अति आवश्यक है, जिसे प्राप्त करने हेतु वनक्षेत्र के समीप के ग्रामों की निम्नानुसार संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।

- ग्राम वन समिति
- वन सुरक्षा समिति
- ग्राम पंचायत

इन समितियों के सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण बावत् जागरूक किया जाकर इस संदेश को जन–जन तक पहुँचाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। प्रभावी वन सुरक्षा हेतु वन समितियों को जागरूक कर एवं उनकी

सक्रिय भागीदारी प्राप्त कर वनों की सुरक्षा में योगदान लिया जावेगा इस हेतु बीट निरीक्षण रोस्टर के अनुसार समिति बैठक रोस्टर तैयार किया जावेगा तथा प्रत्येक अधिकारी को बीट निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ समिति बैठक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा इस हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

11. **वाच टॉवर :–** संवेदनशील क्षेत्र पर वाच टॉवर का निर्माण किया जाकर अधिक से अधिक वनक्षेत्र की निगरानी की जा सकती है। सामूहिक रूप से वनक्षेत्र में अवैध प्रवेश तथा रात्रिकालीन गतिविधियों पर निगरानी की जा सकती है। संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उनकी सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। गोपनीय सूचना तंत्र को विकसित करने में स्थानीय ग्रामीणों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसमें स्थानीय चरवाहों व ग्राम कोटवारों का सहयोग लिया जा सकता है। मुखबिर प्रणाली के विकास से बड़े वन अपराधों की जानकारी एकत्र करना, आदतन अपराधियों की अद्यतन सूची रखना, आदतन अपराधियों पर चौकसी रखना एवं इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को देना, साथ ही पुलिस तथा कोटवार से वन अपराधों की जानकारी प्राप्त करनी होगी।ऐसे समस्त मार्गों की जानकारी रखना जिससे होकर अक्सर वन अपराधी आते–जाते हैं एवं इन मार्गों पर चौकसी रखना और अचानक गश्त करना अति आवश्यक है।

21.2.11.4 बीमारी एवं महामारी की रोकथाम :

मवेशी एवं वन्यप्राणी अधिकांशतः एक ही जलस्त्रोत का उपयोग पानी पीने के लिये करते हैं इसलिए वन्यप्राणियों में सामान्यतः स्थानीय मवेशियों से ही विभिन्न बीमारियों का संक्रमण होता है। मुँहपका–खुरपका (Foot and Mouth Disease), रिण्डरपेस्ट, एच.एस., बी.क्यू., एन्थ्रेक्स, ब्रुसेलॉसिस, स्वाइन फीवर इत्यादि बीमारियां मवेशियों के द्वारा ही भााकाहारी वन्यप्राणियों जैसे हिरणों एवं मृगों तथा गौर आदि में फैलती है। इससे उन्हें खाने वाले मांसभक्षी जीव भी

प्रभावित हो सकते हैं। वनक्षेत्र से लगे हुये ग्रामों में मवेशियों को ऐसे संक्रामक रोग न हों, इसलिये प्रत्येक वर्ष पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित किया जाकर मवेशियों केटीकाकरण की कार्यवाही की जावेगी। इनमें अधिकांश टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है, लेकिन एफ.एम.डी. का टीकाकरण, जो वर्ष में दो बार किया जाता है, उसके लिए कुछ शुल्क देय होता है, जिसके लिए आवश्यक बजट प्रावधान किया जाये। वन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा विभाग को सम्पूर्ण प्रदेश के लिये यह राशि एक्जाई रूप से भी दी जा सकती है। टीकाकरण नहीं कराये गये मवेशियों को वन में चरने की अनुमति नहीं दी जाये। इसके लिये टीकाकृत मवेशियों को चिन्हित किया जा सकता है। वनक्षेत्र से लगे हुये ग्रामों में मवेशियों का किसी भी प्रकार के असामान्य मृत्यु होने पर स्थानीय पशुपालन विभाग के अधिकारी को सूचित किया जाकर मृत पशु का पोस्टमार्टम किया जायेगा तथा बीमारी का पता लगाया जाकर संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार वनक्षेत्र में वन्यप्राणी के असामान्य मृत्यु होने पर भी सूक्ष्मता के साथ पोस्टमार्टम किया जाकर मृत्यु का कारण पता लगाया जायेगा।

- **वन्यप्राणी अपराध की सामयिक जाँच एवं वनों का निरीक्षण :–**

1. अपराध प्रकरणों की जांच के विषय में प्रत्येक माह परिक्षेत्र स्तर, उपवनमण्डल स्तर तथा वनमण्डल स्तर पर समीक्षा किया जाना आवश्यक है।
2. बीट रोस्टर अनुसार बीटों की जांच एवं प्रत्येक 6 माह में घटित अपराधों के आधार पर बीटों की संवेदनशीलता का पुनरीक्षण किया जायगा।
3. बैरियर्स को सशक्त बनाना हेतु वायरलेस सुविधा के साथ–साथ किसी भी एक समय में एक बैरियर पर कम से कम दो कर्मचारियों की पदस्थिति की जावेगी ताकि वाहनों की जांच सही ढंग से हो सके। बैरियर पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टर की मासिक रिपोर्ट तैयार

कर उसकी समीक्षा एवं बैरियर पर तैनात वन कर्मियों का रोस्टर अनुसार स्थल परिवर्तन किया जायगा।

4. वनरक्षक से प्रत्येक माह बीट खैरियत रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। मासिक बैठक में परिक्षेत्र अधिकारी पी0ओ0आर0 पुस्तिका का निरीक्षण करें एवं असामान्य स्थितियों पर जांच करें।
5. अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती दल द्वारा अचानक निरीक्षण करवाना तथा ऐसे क्षेत्रों जहां अत्यंत आवश्यक हो, गश्ती कैम्प लगाये जावें।
6. वनमण्डल के सीमावर्ती क्षेत्र के वन कर्मचारियों तथा वन समितियों में सम्पर्क विकसित करना चाहिये, जिससे सूचनाओं का आदान–प्रदान होता रहे एवं कोई भी वन अपराध की घटना न घटे।

21.2.11.5 मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व :–

वन्यप्राणियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों में से सबसे अधिक घातक एवं हानिकारक मनुष्य ही है। मानव हस्तक्षेप के कारण वनों में अत्यधिक चराई, अवैध कटाई, शिकार, अग्नि दुर्घटनाएं एवं अतिक्रमण आदि के कारण जैविक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी जैविक दबाव के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक पर्यावास एवं भोजन में कमी आई है, तथा पारिस्थितिकीय संतुलन (Ecological Balance) बिगड़ रहा है एवं उक्त कारणों से ही मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व की स्थिति निर्मित हो रही है। विगत कार्य आयोजना अवधि में पशुहानि, जनहानि एवं जनघायल के प्रकरणों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है। इसी तरह वन्यप्राणी शिकार के प्रकरण भी कुछ हद तक द्वन्द्व के कारण ही हैं। विगत वर्षों में जनहानि, जनघायल, पशुहानि एवं फसल हानि के प्रकरणों का विवरण एवं वन्यप्राणी मृत्यु के प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया गया है–

तालिका क्रमांक–21.8

जन हानि/जन घायल/पशु हानि एवं मुआवजा भुगतान का विवरण

परिक्षेत्र	हिंसक वन्यप्राणी की प्रजाति	मृत	घायल	स्वीकृत मुआवजा राशि
बैरसिया/नबीराबाद	जंगली सुअर	0	3	29621
	तेन्दुआ	0	1	94809
	नीलगाय	0	1	10844
	भेड़िया/लोमड़ी	0	44	76311
बैरसिया/नबीराबाद		**0**	**49**	**211585**
समर्धा	जंगली सुअर	0	2	1284
	तेन्दुआ	0	1	229695
	बंदर	0	1	500
	बाघ	0	1	2000
	भालू	1	20	171084
	मगरमच्छ	1	1	116851
	सियार	0	4	14345
	हायना	0	1	500
समर्धा योग		**2**	**31**	**536259**
महायोग		**2**	**80**	**747844**

वनमण्डल के अंतर्गत वर्ष 2010 से 2018 तक जनहानि एवं जनघायल के प्रक्ररणों का विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–100 में उल्लेखित है।

- विगत वर्षो में वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि के प्रकरणों का विवरण एवं मुआवजा राशि का विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया गया है –

तालिका क्रमांक– 21.9

वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि के प्रकरणों का विवरण

परिक्षेत्र	हमलावर वन्यप्राणी	घायल/मृत वन्यप्राणी	प्रकरण संख्या	मुआवजा
बैरसिया/नबीराबाद	तेन्दुआ	गाय	2	16000
		बकरी	1	6000
		बछिया	1	3000
		बैल	1	5000
		भैंस	13	12000
बैरसिया /नजीराबाद योग			18	**42000**
समर्धा	बाघ	ब्करी	19	36200
		बछिया	12	47500
		बछड़ा	24	104680
		बैल	57	432686
		भैंस	9	100000
		पाड़ा	5	40500
		नटवा	4	21500

परिक्षेत्र	हमलावर वन्यप्राणी	घायल/मृत वन्यप्राणी	प्रकरण संख्या	मुआवजा
		गाय	108	754750
		बोधा	1	5000
		पाड़ी	12	81500
समर्धा योग			**251**	**1624316**
महायोग			**269**	**1666316**

वनमण्डल में वर्ष 2010 से 2018 तक वन्यप्राणियों द्वारा की गई पशुहानि का विस्तृत विवरण के प्रक्ररणों का विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–101 में उल्लेखित है।

तालिका क्रमांक– 21.10

वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि के प्रकरणों का विववरण

अ. क्र.	फसल हानि वर्ष	कृषक का नाम	पता	वन्य प्राणी की प्रजाति	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.में)	फसल का नाम (प्रजाति)	हानि का प्रतिशत	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	2009	श्री खिलानसिंह आ. मोहनसिंह	ग्राम अमझरा	हिरण	1.85	तिवडा, मसूर, चना		1725
2	2009	श्री त्रिभुवन पटेल आ. जगन्नाथ पटेल	ग्राम अमझरा	हिरण	4.05	–	–	–
3	2010	श्री जालमसिंह पिता नाथूराम गुर्जर	खजूरिया कलां	हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर	11.000	गेहूँ		11482
4	2010	श्री उमेश मिश्रा	बावडिया कला भोपाल	जंगली सुअर	8.09	–	–	–
5	2015	श्री फरहान खान	कानासैया	नीलगाय हिरण	–	–	–	–
6	2016	श्री बृजेन्द्र पिता पहलवान सिंह यादव	जाफराबाद	जंगली सुअर	1.476	तुअर		11808
7	2017	श्री खेमचंद माली	पिपरिया जहीरपीर	वन्यप्राणी	4.86	गेंहू की फसल	–	–
8	2017	श्री हरचंद आ. बुद्धा	अचारपुरा	जंगली सुअर	0.81	फसल की फसल		
9	2017	श्रीमति फराह पत्नि आमिर			9.59	–	–	–
	योग				**41.73**			**25015**

वर्ष 2010 से 2017 तक वनमण्डल में वन्यप्राणियों के द्वारा फसल हानि के प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट क्रमांक–44 (b) में दिया गया है।

उक्त तीनों सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व के कारण दोनों समुदायों को क्षति हो रही है। वन्यप्राणियों के स्वस्थ एवं सुरक्षित विचरण हेतु भोजन एवं पानी उनके प्राकृति रहवास में उपलब्ध होना आवश्यक है। वनमण्डल के वनक्षेत्र वन्यप्राणियों के लिये कितना उपयुक्त हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वन्यप्राणियों को भोजन एवं पानी के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ता है। जब वन्यप्राणी को अपने प्राकृतिक आवास के आसपास यह उपलब्ध होने लगता है, तो उस क्षेत्र में वन्यप्राणी नियमित रूप से उस प्राकृतावास में रहने लगते हैं।

ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यप्राणियों से ग्रामीणों और उनकी सम्पत्तियों को हुई नुकसानी के लिए क्षतिपूरक मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र शासन नियमानुसार किया जाना अति आवश्यक है। वन्यप्राणियों से जन घायल/जन हानि/पशु हानि/फसल नुकसानी के भुगतान के संबंध में निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–102 में दर्ज हैं।

21.2.11.5.1 मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व प्रबन्धनः–

वन्यप्राणियों को हानि पहुंचाने वाले कारकों में से सबसे अधिक घातक एवं हानिकारक मनुष्य ही है। मानव हस्तक्षेप के कारण वनों में अत्यधिक चराई, अवैध कटाई, शिकार, अग्नि दुर्घटनाएं एवं अतिक्रमण आदि के कारण जैविक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी जैविक दबाव के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक पर्यावास एवं भोजन में कमी आई है, तथा पारिस्थितिकीय संतुलन (Ecological Balance) बिगड़ रहा है एवं उक्त कारणों से ही मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व की स्थिति निर्मित हो रही है। विगत कार्य आयोजना अवधि में पशुहानि, जनहानि एवं जनघायल के प्रकरणों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है। इसी तरह वन्यप्राणी शिकार के प्रकरण भी कुछ हद तक द्वन्द्व के कारण ही हैं। विगत वर्षों में जनहानि, जनघायल, पशुहानि एवं फसल हानि के प्रकरणों का विस्तृत विवरण एवं वन्यप्राणी मृत्यु के प्रकरणों का विवरण उपरोक्त तालिकाओं

में दिया गया है। मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व को कम करने के लिए सुरक्षा, उपचार एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मानव–वन्य जीव टकराव में कमी लाने के संबंध में निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1. भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में प्रत्येक भारतीय नागरिक को वन एवं वन्यजीव के संरक्षण का दायित्व दिया गया है। अतः आमजन में वन्यजीवों के प्रति संवेदना एवं जागरूकता पैदा कर उनमें वन्यजीव संरक्षण की भावना विकसित करना।
2. वन्यप्राणियों द्वारा घरेलू पशुओं के शिकार/घायल करने तथा ग्रामीणों को आहत/मारने की घटनाओं के साथ–साथ फसल हानि करने पर त्वरित राहत प्रदान करना।

उक्त तथ्यों एवं भाग–1 में दर्शाई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानव वन्यप्राणी द्वन्द्व को कम करने हेतु निम्नानुसार उपचार किया जाये,

21.2.11.5.2 पेय जल स्त्रोतः– वनक्षेत्र में वन्य प्राणी प्रबन्धन हेतु स्थायी एवं अस्थायी जल छिद्रों (वाटर होल्स) की उपलब्धता का अत्यंत महत्व है। अतः संनिधि मानचित्रण के समय पाये गए स्थायी एवं अस्थायी जल छिद्रों को चिन्हित कर कक्ष इतिहास में दर्शाई गई है। स्थायी जल छिद्र वे जल स्त्रोत हैं जिनमें बारह माह पानी रहता है। अस्थायी जल छिद्र में जनवरी के अंत तक पानी पाया जाता है। वन्य प्राणियों हेतु जल छिद्रों के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–103 में दर्ज हैं।

भोपाल वन मण्डल के वनक्षेत्र वन्यप्राणियों के लिए कितना उपयुक्त हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वन्यप्राणियों को भोजन एवं पानी के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ता है। जब वन्य प्राणी को अपने प्राकृतिक आवास के आसपास यह उपलब्ध होने लगता है, तो उस क्षेत्र में वन्य प्राणी नियमित रूप से उस प्राकृतावास में रहने लगते हैं। इस हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं:–

1. नये जलस्त्रोतों के विकास से पहले वन क्षेत्र में स्थित पुराने जलस्त्रोतों का पता लगाकर उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जायेगा।

2. वनमण्डल में वनों के समीप लगे हुये राजस्व क्षेत्र में पेयजल संसाधन (कुओं की पाठ/जगत की ऊंचाई को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वन्य प्राणी दुर्घटना न हो।
3. क्षेत्र में होने वाले प्राकृतिक रिसाव को रोककर भी जल एकत्रित किया जाने का प्रयास किया जावेगा।
4. बरसाती नालों पर एनीकट, स्टापडेम निर्माण कर जल संग्रहित किया जावेगा, परन्तु इसके लिये अत्यंत सावधानी से क्षेत्र चयन किया जाना होगा।
5. जलस्रोत विहीन वनक्षेत्रों में तालाब निर्माण या सॉसर निर्माण का कार्य किया जाये।
6. नये जल स्त्रोतों का विकास ऐसे क्षेत्र में किया जायेगा, जहां जैविक दबाव (Biotic Pressure) कम से कम हो। जल स्त्रोत विकास के समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि ग्रीष्म ऋतु में जब पानी की सर्वाधिक कमी होती है, तब भी वन्यप्राणियों को जल उपलब्ध रहे। इसके लिये स्थल का चयन सावधानी पूर्वक किया जावेगा एवं यह भी अध्ययन कर देखा जावेगा कि स्थल विशेष में किस प्रकार की संरचना सफल हो पायेगी।

पीने के लिए पानी के स्रोतों की उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार तालिकाओं में दिया जा रहा है–

तालिका क्रमांक–21.11

पानी के प्राकृतिक स्रोतों का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	प्राकृतिक जल स्त्रोतों का स्थल	कक्ष क्र./बीट का नाम
1.	बैरसिया	मानकुण्ड (सियार कला)	आर.एफ. 38 हरिपुर
2.	बैरसिया	सिद्धखो	आर.एफ. 36 नजीराबाद
3.	बैरसिया	भेरापुरा	आर.एफ. 117 कढ़ैयाखो
4.	बैरसिया	मथनाकुण्ड	पी.एफ. 155 रतुआ
	योग		
5.	समर्धा	अमला	आर.एफ. 206, 207
6.	समर्धा	समसपुरा	आर.एफ. 203, 210, 212
7.	समर्धा	खजूरी	आर.एफ. 201,202, राजस्व क्षेत्र
8.	समर्धा	प्रेमपुरा	आर.एफ. 195
9.	समर्धा	दक्षिण समर्धा	आर.एफ. 179, 178
10.	समर्धा	उत्तर समर्धा	आर.एफ. 170
	योग		
	महायोग		

उक्त सारणी में दिए गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वन मण्डल में प्राकृतिक जल स्त्रोत पर्याप्त हैं।

तालिका 21.12

बारहमासी जल स्त्रोतो का विवरण

अ.क्र.	जल स्रोत का नाम	प्राकृतिक/कृत्रिम	बरहमासी या मौसमी	परिक्षेत्र
1	2	3	4	5
1	बेतवा नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	समर्धा
2	पार्वती नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	नजीराबाद
3	बाह नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	बैरसिया एवं नजीराबाद
4	टेम नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	नजीराबाद
5	हलाली नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	समर्धा एवं बैरसिया
6	कलियासोत नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	समर्धा
7	कोलार नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	समर्धा
8	केरवा नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	समर्धा
9	कोलांश नदी	प्राकृतिक	बारहमासी	समर्धा
10	हलाली डेम	कृत्रिम	बारहमासी	बैरसिया
11	कोलार डेम	कृत्रिम	बारहमासी	समर्धा
12	कलियासोत डेम	कृत्रिम	बारहमासी	समर्धा
13	हताईखेड़ा डेम	कृत्रिम	बारहमासी	समर्धा
14	बड़ी झील भोपाल	कृत्रिम	बारहमासी	समर्धा
15	छोटी झील भोपाल	कृत्रिम	बारहमासी	समर्धा

तालिका क्रमांक–21.13

वनमण्डल में निर्मित किये गये अस्थायी जल छिद्रों का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	निर्मित जल छिद्रों की संख्या	निर्माण स्थल (कक्ष क्रमांक/ग्राम)
1	2	3	4
1	2009-10	0	-
2	2010-11	0	-
3	2011-12	02वाटर होल	RF 215, 219
4	2012-13	06 वाटर होल	PF 160, 165, RF 206, 207, 212, 215
5	2013-14	04 वाटर होल 02 सौंसर	RF 219, 215, 216, 206
6	2014-15	02 सौंसर	214, 215
7	2015-16	03 सौंसर	207, 212, 218
8	2016-17	12 वाटर हौल्सए 02 सौंसर	200, 197, 112, P113, P102, P107, P52, P54, P67, P56, 18, 77, 79
9	2017-18	32 वाटर हौल्स, 08 सौसर	RF 180, 186, 184, 188, PF 191, 203, 163, 166, 163, 132, 129, 29, 28, P154,P136, 138,P154, 141, P 49, P 50
10	2018-19	01 सौंसर	Mendora
	योग	74	

आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वन मण्डल में पानी के स्रोत पर्याप्त हैं, प्रत्येक 4 वर्ग किमी. क्षेत्र में औसतन एक बारहमासी जल स्रोत होने से वन्यप्राणी रहवास की गुणत्ता उत्कृष्ट हो सकती है। अतः सम्पूर्ण वनक्षेत्रों में 04x04 कि. मी. के ग्रिड में जलस्त्रोतों की मैपिंग कर जहां जल स्त्रोत नहीं है वहां जल स्त्रोतों की संरचनाएं प्रस्तावित की जावे, जिससे 04 कि.मी. की परिधि में वन्य प्राणियों को जल की उपलब्धता हो सके।

जलस्त्रोत विकास का एक सस्ता एवं उपयोगी साधन बोरी बंधान है। भोपाल जिले में माह सितम्बर के अन्त तक वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तथा वर्षाकाल के दौरान जो जल धरती पर गिरता है वह छोटे–छोटे नालों से होता हुआ नदियों में चला जाता है, जो अन्ततः वनक्षेत्र के बाहर हो जाता है तथा वन्यप्राणियों हेतु उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस वर्षा जल को संग्रहित करने की एक कम खर्चीली विधि बोरी बंधान है। इस कार्य से वन्यप्राणियों को औसतन चार माह तक पानी उपलब्ध होने के साथ–साथ क्षेत्र की भू एवं नमी संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। इन बोरी बंधानों से शीत ऋतु में प्राप्त होने वाली वर्षा के जल का भी संग्रहण हो सकेगा। अतः आवश्यक राशि की व्यवस्था कर इस कार्य को प्रतिवर्ष किए जाने के प्रयास किए जायेंगे।

- वनमण्डल के वनों के समीप लगे हुये राजस्व क्षेत्र में पेयजल संसाधन (कुओं की पाठ/जगत की ऊंचाई को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वन्य प्राणी दुर्घटना न हो।
- मौसमी जलस्रोतों वाले वनक्षेत्रों जलस्रोत पुनरुद्धार एवं जलस्रोत विहीन वनक्षेत्र में कृत्रिम जलस्रोत का विकास का कार्य प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार कार्य किया जाये,
- सर्वप्रथम क्षेत्र में उपलब्ध पुराने जलस्रोतों का पुनरुद्धार किया जाये।
- क्षेत्र में होने वाले प्राकृतिक जल रिसाव को संग्रहित करने हेतु संरचना का निर्माण किया जाये।
- बरसाती नालों पर एनीकट या स्टाप डैम का निर्माण, तकनीकी विधि से किया जाये।

- जलस्रोत विहीन वनक्षेत्रों में तालाब निर्माण या सॉसर निर्माण का कार्य किया जाये।
- उपरोक्त सभी कार्य ऐसे क्षेत्र में किया जाये जहां जैविक दबाव न्यूनतम हो।

जल स्त्रोतों में वन्यप्राणियों के दबाव को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्षों में बैरसिया, नजीराबाद एवं समर्धा परिक्षेत्रों में निम्नानुसार जल छिद्र विकसित करने की आवश्यकता होगी। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट क्रमांक–104 में दिया गया है।

तालिका क्रमांक–21.14

प्रस्तावित जलश्रोत

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	कुल कक्ष
1.	बैरसिया / नजीराबाद	नजीराबाद	आर.एफ. 21 ए	01
2.		खेरखेड़ा	पी.एफ. 55	01
3.		मूड्डला चट्टान	आर.एफ. 75	01
4.		सोहाया	आर.एफ. 78, 77	02
5.		सरखण्डी	आर.एफ. 106	01
6.		कोटरा	आर.एफ. 110,112ए	02
7.		बडली	पी.एफ. 97, पी.एफ. 158 पी.एफ. 100	03
8.		शाहपुरा	पी.एफ. 71	01
9.		इमलिया नरेंद्र	आर.एफ. 128	01
10.		मझेरा	आर.एफ. 63 ए	01
11.	समर्धा	प्रेमपुरा	पी.एफ. 195	01
12		दक्षिण समर्धा	आर.एफ. 178, 179	02
13.		उत्तर समर्धा	आर.एफ. 177, 170	02
14.		अमला	आर.एफ. 206	01
15.		चीचली	आर.एफ. 219	01
16.		गोल	पी.एफ. 224	01
17.		समसपुरा	आर.एफ. 212	01
18.		अमोनी	आर.एफ. 172	01
19.		दक्षिण पड़रिया	पी.एफ. 198	01
20.		बालमपुर	पी.एफ. 160	01

ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामों में मवेशियों के पीने के पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावेगी, जिससे वनों के भीतर स्थित जलस्त्रोत वन्यप्राणियों की आवश्यकतायें पूरी करने हेतु उपलब्ध रह सकें। इसके साथ साथ उपलब्ध जलस्रोतों एवं नवनिर्मित जलस्रोतों का रखरखाव एवं प्रबन्धन

भी उचित तरीके से किया जाये ताकि जलस्रोत में स्वच्छ जल वर्ष भर बना रहे एवं वन्यप्राणियों के लिए उपलब्ध रहे। **जल स्त्रोत का विकास के लिए निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त** निर्धारित किये जाते हैं,

1. वनक्षेत्र में प्रत्येक जलस्रोत की सूची वनमण्डल, परिक्षेत्र कार्यालय एवं संबंधित बीटगार्ड के पास रखी जाये।
2. वनक्षेत्र के आन्तरिक भाग में उपलब्ध जलस्रोत की सतत निगरानी की जाये एवं वहां पालतू मवेशियों का जाना प्रतिबन्धित किया जाये।
3. प्रत्येक जलस्रोत के जल की प्रतिमाह रासायनिक जांच की जाये जिससे पता चल सके कि जल वन्यप्राणियों के पीने लायक है या नहीं।
4. ग्रीष्म ऋतु में जलस्रोतों की सफाई की जाये।
5. जलस्रोत तक आने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखते हुए करंट के तार एवं फंदों की छानबीन की जाये।
6. कृत्रिम रूप से बनाये गये छोट जलस्रोतों में ग्रीष्म ऋतु में पानी कम होने पर यथासंभव टैंकर से पानी भरा जाये।

21.2.11.5.3 पशु चराई :– आरक्षित एवं संरक्षित वनों में पशु इकाई पर आधारित वर्तमान चराई व्यवस्था में भााकाहारी वन्यप्राणियों की आवश्यकता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि वनों में चराई का उनका पहला अधिकार है। अतः कुल चराई क्षमता का 50 प्रतिशत शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिये आरक्षित करते हुए शेष क्षमता के अनुसार ही मवेशियों को चराई पास दिया जाये। इसके लिये म.प्र. चराई नियम 1986 के प्रावधानों के अनुरूप वनखंडवार घरेलू मवेशियों की संख्या अधिसूचित की जायेगी एवं संबंधित पंचायतों को सूचित किया जायेगा। इस निर्धारित संख्या से अधिक मवेशियों को वनों में प्रवेश पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। शेष मवेशियों के लिये पशुपालक या तो चारे की व्यवस्था स्वयं करेंगे या फिर अपने मवेशियों की संख्या कम करेंगे। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है एवं इसमें ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य कई विभागों का सहयोंग भी आवश्यक होगा जिसमें नस्ल

सुधार हेतु पशु चिकित्सा विभाग का एवं चारा उगाने के लिये कृषि विभाग मुख्य है। संरक्षित क्षेत्रों को चराई से पूर्णतः सुरक्षित रखा जावेगा।

जिला अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ समन्वय कर वनमण्डलाधिकारी यह प्रयास करेंगे कि आयवर्द्धनिक गतिविधियों के रूप में गाय, भैंस एवं बकरी पालन के कार्य वनों से लगे क्षेत्रों में नहीं लिये जायें, ताकि वनों पर जैविक दबाव कम किया जा सके।

21.2.11.5.4 पशुहानि, जनहानि/जनघायल प्रकरणों का त्वरित निराकरणः–वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं की हानि, जनहानि/जनघायल करने के फलस्वरूप मानव एवं वन्यप्राणी के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः वन्यप्राणियों द्वारा जनघायल/जनहानि/पशुहानि प्रकरणों की त्वरित जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये नियमानुसार क्षतिपूर्ति की राशि का सामयिक भुगतान किया जायेगा। यह प्रायः देखा गया है कि सामयिक भुगतान न होने से अथवा प्रकरण का संज्ञान न लिये जाने के कारण ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश की स्थिति में वन्यप्राणियों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते है।

21.2.11.5.5 फसल हानि प्रकरणों का त्वरित निराकरणः– वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता के मानदंड की अनुसूची में राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6 के क्रमांक–4 में मध्यप्रदेश भाासन राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 6–6/2012/सात–3 दिनांक 24.07.2015 द्वारा संशोधन किया गया है। वनग्रामों में फसल का नुकसान होने पर कृषकों को राहत देने का प्रावधान किया गया है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एस–4/तक–II/ 189–II/ 3752 भोपाल दिनांक 2706.2013 के द्वारा वर्ष 2013–14 से वन्यप्राणियों के फसल हानि के प्रकरणों को निराकरण एवं भुगतान हेतु राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया है, एवं तदनुसार बजट भी राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु कतिपय परिस्थितियों में फसल हानि की क्षतिपूर्ति भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब होने या उचित क्षतिपूति प्राप्त न होने के

कारण ग्रामीणों में असंतोष पैदा होता है। अतः इसके लिए संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को ऐसे प्रकरणों का अनुश्रवण नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि संबंधित को त्वरित रूप से उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति विश्वास की भावना जागृत होगी एवं वे वन्यप्राणी कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे प्रकरणों की समीक्षा वन मण्डल अधिकारी के द्वारा वन मण्डल स्तर पर बैठक लेकर एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स तथा टाइगर सेल की बैठक में भी की जाये।

वर्तमान में म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 15–13/2007/ 10–2 दिनांक 29–4–2016 द्वारा वन्यप्राणियों द्वारा की गई जन हानि, जनघायल, पशु हानि एवं फसल हानि के प्रकरणों हेतु निम्नानुसार मुआवजा राशि का प्रावधान किया है।

तालिका – 21.15

मुआवजा राशि का प्रावधान

क्र.	वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	क्षतिपूर्ति राशि
1	जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को)	रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख) मात्र एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात् इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय।
2	स्थाई अपंगता होने पर	रूपये 200,000/– (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होन की अवस्था में अतिरिक्ति रूप से रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/– तक रहेगी)
3	घायल होने पर	घायल व्यक्ति के इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) अधिकतन सीमा रूपये 50,000/– तक होगी।)
4	पशु हानि (वन्य प्राणियों द्वारा)	राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार
5	पशु घायल	वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्य प्राणियों द्वारा पशु हानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

इन प्रावधानों बावत् प्रचार–प्रसार गतिविधियों के दौरान ग्रामीणों को अवगत भी कराया जायेगा। सांप एवं गुहेरा को छोड़कर सभी वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने अथवा मनुष्यों को घायल करने पर मुआवजा भुगतान करने का

प्रावधान है। जनहानि होने पर वनमंडल कार्यालय अथवा वन परिक्षेत्र कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर 48 घंटो के अंदर तात्कालिक सहायता दी जायें।

3. **पशुहानि** प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6–4 में दिनांक 01.03. 2018 को किये गये संशोधन अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया हैः–

तालिका क्रमांक – 21.16

वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि प्रति पशु का निर्धारण

क्र.	पशु का प्रकार	पशुहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र में उल्लेखित क्षतिपूर्ति राशि रुपये	पशुघायल होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र में उल्लेखित क्षतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत राशि देय रूपयें में
1	दुधारू पशु गाय, भैंस, ऊॅट	30000	15000
2	भेड़, बकरी	3000	1500
3	गैर दुधारू पशु बैल, भैंसा, ऊॅट, घोड़ा	25000	12500
4	बछड़ा (गाय/भैंस)/गधा, पोनी/खच्चर	16000	8000
5	बच्चा–घोड़ा/ऊंट	10000	5000
6	सुअर	3000	1500
7	बच्चा–सुअर,भेड़,बकरी,गधा	250	125

टीप– सहायता राशि वास्तविक क्षति के आंकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आंकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

4. मुआवजा भुगतान त्वरित रूप से करने के लिये जनहानि/जनघायल प्रकरणों में मुआवजा भुगतान का अधिकार वन परिक्षेत्राधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त जनहानि के प्रकरण में व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिये रूपये 5,000/– एवं जनघायल के प्रकरण में तात्कालिक सहायता रूपये 1,000/– का भुगतान किए जाने एवं इस राशि का समायोजन अंतिम भुगतान से किए जाने का भी प्रावधान है।

5. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 15–3/07/10–2 दिनांक 26.06.2008 एवं क्र. एफ 15–3/07/10–2 दिनांक 03.07.2008 से

किसानों की फसलों को वन्यप्राणियों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि के मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार वनों के अंदर या 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि करने पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा फसल हानि होने के 24 घंटे के भीतर आवेदन निकटतम राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्व अधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कृषि एवं वन विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवाएं स्थल निरीक्षण हेतु प्राप्त करते हुए हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कर प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा हानि की राशि व अन्य विवरण संबंधित वन मंडलाधिकारी को संसूचित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी द्वारा संसूचना प्राप्त होने की दिनांक के 1 माह के भीतर तदानुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। फसलों की क्षति हेतु मुआवजे का निर्धारण म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्र. 4 परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाएगा।

6. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र./एफ 22/285/99/10–2 दि. 31.05.2000 से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनकी आधिकारिता के क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाली नीलगाय के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11(1) (ख) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के आदेश क्र./प्रबंध/टा.से./2248 दनांक 08.06.2001 से नीलगाय को मारने की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम हैं। वन्यप्राणी की संभावित संख्या, जिनको मारने से फसल हानि पर नियंत्रण हो सकेगा, की जानकारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को दे कर मारने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

7. मध्य प्रदेश वन्यप्राणी (जंगली सुअर) उन्मूलन नियम, 2003 के नियम 3 में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा अपनी अधिसूचना क्र. एफ / 22 / 285 / 99 / 10–2 दि. 29.10.2003 से मध्य प्रदेश के राजस्व जिलों के समस्त उप खंड अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के जंगली सुअर को मारने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

8. मध्य प्रदेश वन्य (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित वन के किसी भाग को मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव के प्रयोजन से मनोरंजन क्षेत्र या वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र अधिसूचित किया जा सकता है, जिसमें आवश्यक शुल्क लेते हुए विनिर्दिष्ट गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। इसमें विशेष ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि कोई भी गतिविधि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं उसके तहत केन्द्र सरकार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं निर्देशों के उल्लंघन में न हो।

21.2.11.6 वन्यप्राणी रेस्क्यू :–

विचरण के दौरान कई बार शिकारियों के द्वारा लगाये गये फंदों में वन्यप्राणियों का फंस जाना, खेत के कुंओं में गिर जाना, घरों के या खेत के बागड़ में फंस जाना, आवासीय क्षेत्र में वन्यप्राणी का आना जाना तथा घरों के अंदर वन्यप्राणी प्रवेश करना इत्यादि प्रकरण सामने आते हैं, जिससे वन्यप्राणी घबराहट में आकर अपने–आप को क्षति पहुंचाता है अथवा ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश में आकर उसका शिकार किया जाता है।

ऐसी सूचना प्राप्त होते ही परिसर रक्षक द्वारा वन्यप्राणी का बचाव किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक 3691, दिनांक 28.07.2010 के निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

वन्यप्राणी मृत्यु, घायल अथवा भटकने की घटना पाये जाने पर सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचकर निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे–

1. घटना स्थल एवं वन्यप्राणी की स्थिति का विस्तृत विवरण अपने वरिष्ठ को देंगे।
2. ग्रामीणों को समझाकर स्थल पर एकत्रित नहीं होने देंगे। आवश्यकतानुसार पुलिस का सहयोग लिया जाये।
3. वन्यप्राणी को वन की ओर वापस भेजने हेतु सुरक्षित रास्ता या स्थान उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करेंगे। इसके लिए रात्रि तक इन्तज़ार करना पड़ सकता है।
4. अपने स्तर पर क्षेत्रीय संसाधनों से समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।
5. बड़े वन्यप्राणियों अथवा वन्यप्राणियों के घायल होने की स्थिति में जब रेस्क्यू ही अन्तिम समाधान हो, तब तक वन्यप्राणी/ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उस क्षेत्र के रेस्क्यू स्क्वाड को बुलाने हेतु अपने वरिष्ठ को सूचित करेंगे।
6. रेस्क्यू स्क्वाड के स्थल पर पहुंचने तक स्थल प्रभारी के रूप में उपस्थित रहकर पल प्रतिपल की सूचना रेस्क्यू दल को देते रहेंगे।
7. वन मण्डल मुख्यालय पर वन्यप्राणी रेस्क्यू हेतु अति आवश्यक सामग्री के रूप में जाल, रस्सी, हेल्मेट, लेदर ग्लब्स, चेस्ट भील्ड का एक सेट तथा सभी सदस्यों की पृथक पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैकिट की व्यवस्था कर ली जाये।
8. प्रत्येक वन मण्डल स्तर पर वन्यप्राणियों में रुचि रखने वाले वनक्षेत्रपाल से लेकर दैनिक वेतन भोगी वर्ग तक के 8–10 कर्मचारियों को वन्यप्राणी रेस्क्यू हेतु चिन्हित कर उन्हें मुख्य रेस्क्यू स्क्वाड दल द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाये।

9. दल द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों हेतु एप्रीशिएशन एवं रिवार्ड दिया जाये।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक 111, दिनांक 02.03.2017 के निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाये,
11. सूचना मिलते ही सर्वप्रथम वन मण्डल स्तर पर गठित स्थानीय रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच कर कार्य सम्पादित करेंगे।
12. यदि रेस्क्यू कार्य उनकी क्षमता के बाहर हो अथवा वन्यप्राणी को निश्चेत करने की आवश्यकता हो, तभी रीजनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड को बुलाया जायेगा।
13. वन्यप्राणियों का निश्चेतन करने की अनुमति केवल रीजनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड को ही है।
14. रीजनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड को हर प्रकार की मदद देने की जिम्मेदारी स्थानीय वन संरक्षक या वनमंडलाधिकारी की होगी, जिनके कार्यक्षेत्र में रीजनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड को कार्य करने के लिए बुलाया गया हो।
15. रेस्क्यू के उपरान्त यदि वन्यप्राणी स्वस्थ है, तो उसे भीघ्रातिशीघ्र वन क्षेत्र में किसी उपयुक्त रहवास स्थल में छोड़ा जायेगा। संपूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
16. यदि वन्यप्राणी घायल, अशक्त अथवा अन्य किसी कारण से वन क्षेत्र में तत्काल मुक्त करने योग्य नहीं हो तो उसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में उपचार हेतु भेजा जायेगा।
17. यदि उपचार के पश्चात संबंधित वन्यप्राणी वन क्षेत्र में छोड़े जाने के योग्य पाया जाता है तो पशु चिकित्सकों के परामर्श एवं उनकी देखरेख में उन्हें पुनः वन क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने के प्रयास किये जायें।
18. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक त्रैमास के अन्त में रेस्क्यू दल के कार्यों एवं उपलब्ध उपकरणों एवं दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा करेंगे।

19. प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संकलित वार्षिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में वर्ष के अन्त तक मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के कार्यालय में भेजी जाये।

20. प्रत्येक रेस्क्यू ऑपरेशन की सूचना निर्धारित प्रपत्र–अ में 24 घण्टे के भीतर एवं निर्धारित प्रपत्र–ब में वार्षिक रूप में माह अप्रेल में इस कार्यालय को सीधे भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह वन्यप्राणी के शिकार, मृत्यु या घायल होने पर प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने का पृथक प्रपत्र निर्धारित है।

21. वनमंडल स्तर तथा वनवृत्त स्तर पर गठित रेस्क्यू दल की मदद से बचाव कार्य किया जायेगा। वन्यप्राणी बचाव के दौरान स्थिति का मुआयना किया जावेगा तथा सर्वप्रथम वन्यप्राणियों को जंगल की ओर जाने देने हेतु प्रयास किया जावेगा। वन्यप्राणी बचाव दल में विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी वनकर्मी रहेंगे तथा उन्हें वाहन, पिंजरा, निश्चेतक उपकरण, दवाईयाँ तथा रात्रि विश्राम करने के स्थिति में समस्त उपकरण आदि उपलब्ध कराया जावेगा।

22. रेस्क्यू किये गये वन्यप्राणी का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार के उपरांत सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ दिया जावेगा। हिंसक वन्यप्राणियों के प्रकरणों में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित वनक्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कान्हा टाईगर रिजर्व से मदद ली जा सकती है।

23. शिकार के प्रकरणों में तुरंत जाँच किया जाकर अपराधियों के विरूद्ध प्रकरण तैयार किये जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। बचाव के दौरान किसी भी प्रकार के मानवीय व्यवधान की स्थिति का आँकलन किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार पुलिस की मदद ली जावेगी।

24. मध्यप्रदेश भाासन वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं बचाव हेतु टोल फ्री नम्बर – 155312 एवं 18002334396 जारी किये गये हैं, जिन पर सूचना प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

25. वनों से भटके वन्यप्राणियों के संबंध में कार्यवाहीः–विभिन्न वन्य प्राणियों के रेस्क्यू हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3691/28.07.2010 एवं 111/02.03.2017 से जारी निर्देशों के अनुसार रेस्क्यू की कार्यवाही की जायेगी, एवं प्रतिवेदन मुख्यालय की ओर भेजा जायेगा।

26. बस्तियों के समीप भटक कर आये बाघों के संबंध में कार्यवाही हेतु मानक प्रक्रिया भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी की गई है, इस प्रक्रिया में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बाघों के बस्तियों के समीप भटकने पर अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया, विडाल परिवार के अन्य वन्यपशुओं के द्वारा आदतन क्षति करने की स्थिति में कार्यवाही हेतु मानक प्रक्रिया तथा बाघ–भटकन घटनाओं में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया मध्य प्रदेश भाासन वन विभाग की वेबसाइट mpforest.gov.in में दी गई है। क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये इस प्रक्रिया की छोटी आकार की पुस्तिकायें वनमण्डलाधिकारी द्वारा तैयार कराई जाकर वितरित की जाएंगी।

27. शाकाहारी वन्यप्राणी भी भटक कर यदाकदा ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में मुख्य रूप से निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी,

28. वन्य प्राणियों के रेस्क्यू हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3691/28.07.2010 एवं 111/02.03.2017 से जारी निर्देशों के अनुसार रेस्क्यू किया जायेगा।

29. वन क्षेत्रों से भटक कर ग्रामों में आये वन्य प्राणियों के बारे में ग्रामीणों को इसके संबंध में तत्काल वन विभाग को सूचित करने हेतु बताया जाना चाहिए। इस हेतु वनमण्डल स्तरीय वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दूरभाष नम्बर समस्त समितियों, पंचायतों, पुलिस थानों एवं बीट गार्ड को उपलब्ध कराये जायें।

30. वन्यप्राणी को अकेला छोड़ दिया जाये एवं उसके पास भीड़ इकट्ठा न होने दिया जाये।

31. वन्यप्राणी को हाका लगाकर वनक्षेत्र की ओर भगाने का प्रयास न किया जाये।

32. वन्यप्राणी अकेला होने एवं अंधेरा होने पर स्वत ही वन में लौट जाता है, अतः इस दौरान वन्यप्राणी पर कुत्ते आक्रमण न करें, इस हेतु सावधानी बरती जाये।

21.2.11.6.1 अनाथ/परित्यक्त बाघ भाावकों एवं वृद्ध/घायल बाघों के संबंध में कार्यवाहीः– मध्यप्रदेश भाासन वन विभाग की बेबसाईट http://mpforest.gov.in/ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनाथ/परित्यक्त बाघ भाावकों एवं वृद्ध/घायल बाघों विषयक मानक व्यवहार पद्धति के संबंध में विस्तृत जारी निर्देश उपलब्ध हैं, इन्हीं निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना है। अतः वनमण्डलाधिकारी इन निर्देशों की छोटे आकार की पुस्तिकायें तैयार कराकर क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं समितियों को उपलब्ध करायेंगे। इसी बेबसाईट पर बाघ की मृत्यु होने पर अपनाई जाने वाली मानक व्यवहार पद्धति संबंधी निर्देश भी उपलब्ध हैं जिसका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

21.2.11.7 गलियारा प्रबन्धन :–

भोपाल वनमण्डल में कोई चिन्हित वन्यप्राणी गलियारा (Wildlife Corridor) नहीं है, किन्तु चारों ओर से सात वनमण्डलों के वनक्षेत्र की सीमाओं से घिरा होने के कारण वन्यप्राणियों की आवाजाही अन्य वन मण्डलों से होती रहती है। उक्त आवाजाही हेतु सुरक्षित एवं स्वस्थ पर्यावास की उपलब्धता सुनिश्चित करने से पूर्ण पारिस्थितिकीय तन्त्र गतिमान रहेगा एवं मानव जीवन के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध होगा। इस वन मण्डल का वनक्षेत्र काफी विखण्डित होने एवं अत्यधिक जैविक दबाव होने के कारण कोई वन्यप्राणी गलियारा उपलब्ध नहीं है, किन्तु इस क्षेत्र में वन्यप्राणी के आवागमन एवं रहवास हेतु घास के मैदान को छोड़कर अन्य समस्त संसाधन यथा जलस्रोत, सघन वन, झाड़ी

वन, रिक्त क्षेत्र, फलदार वृक्ष आदि उपलब्ध हैं। अतः इस क्षेत्र में सामान्य सुरक्षा, घास मैदानों का विकास एवं पर्याप्त जलस्रोत का विकास किया जाये ताकि वन्यप्राणी रहवास एवं आवागमन हेतु अच्छा वातावरण तैयार हो सके।

21.2.11.8 प्रवासी पक्षियों का प्रबन्धन, सुरक्षा एवं संरक्षण :–

भोपाल वन मण्डल के अन्तर्गत हामिदपुर जलाशय में प्रवासी पक्षियों का आवागमन देखा गया है। इसका तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में होने के कारण प्रवासी पक्षियों के आगमन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है। अतः इसके प्रबन्धन हेतु समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखे गये पक्षियों की जानकारी प्रतिदिन बीट गश्ती पंजी में अंकित करें। पक्षियों की पहचान हेतु संक्षिप्त मार्गदर्शिका वन मण्डल अधिकारी के द्वारा तैयार की जाकर सभी बीटगार्ड स्तर तक के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाये ताकि इन पक्षियों का सही तरीके से अनुश्रवण हो सके।

21.2.11.9 वन्यप्राणी अनुश्रवण :

नियमित अंतराल पर वन्यप्राणियों का अनुश्रवण किया जाना रहवास तथा वन्यप्राणियों की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे संख्या में तथा रहवास में बदलाव की स्थिति का आंकलन किया जा सकता है, तथा उसके आधार पर भविष्य में प्रबन्धन कर रणनीति तय की जा सकती है।

इस उद्देश्य से बाघ, सह–परभक्षी, चौपाओं एवं उनके वास स्थल का अनुरक्षण क्षेत्रीय वनमंडलों में प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। यह प्रथा वर्ष 2006 से लागू की गई है। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके तहत मांसाहारी, भााकाहारी, वनस्पति, जैविक दबाव तथा गिद्धों की जानकारी क्षेत्र में भ्रमण किया जाकर एकत्रित की जाती है। बाघ एवं तेन्दुएं की 3 से 5 वर्ष पूर्व तक की ऐतिहासिक जानकारी संकलित की जाती है। अनुश्रवण हेतु तिथि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित की जाती है। इस अवधि के दौरान निर्धारित प्रपत्रों में प्रत्येक बीट से जानकारी प्राप्त की जाकर

सॉफ्टवेयर के माध्यम से संकलित की जाती है। यह संकलित जानकारी मध्यप्रदेश हेतु नोडल कार्यालय कान्हा टाईगर रिजर्व के माध्यम से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को विश्लेषण हेतु भेजी जाती है। सर्वेक्षण के पूर्व सर्वेक्षण में भाग लेने वाले समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रपत्रों के भरे जाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा एवं सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले यंत्र उपलब्ध कराये जावेंगे। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के दौरान मांसाहारी पशुओं हेतु प्रथम 3 दिवस संबंधित परिसर रक्षक द्वारा अपने बीट में कम से कम 5 किमी. की दूरी ऐसे रास्ते पर पैदल तय की जायेगी, जहां मांसाहारी वन्यप्राणियों के साक्ष्य अधिक से अधिक प्राप्त होने की संभावना हो। इसी प्रकार आगामी 3 दिवस भााकाहारी वन्यप्राणियों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक बीट में लगभग 2 कि.मी. के पूर्व से तैयार सीधी ट्रांजेक्ट लाईन पर भ्रमण करभााकाहारी वन्यप्राणी के प्रत्यक्ष दर्शन एवं साक्ष्यों को लिपिबद्ध किया जायेगा। ट्रांजेक्ट लाईन पर प्रत्येक 400 मीटर की बिन्दु पर जैविक दबाव, वनस्पति, लेंडी, घास, शाक, झाड़ी इत्यादि की जानकारी एकत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त परिसर रक्षक अपने क्षेत्र में गिद्धों से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे।

वन्यप्राणी अनुश्रवण के दौरान वन्यप्राणियों के प्रत्यक्ष दर्शन या साक्ष्य पाये जाने पर उनकी पहचान करने हेतु वन्यप्राणियों के छायाचित्र, उनके पदचिन्ह के छायाचित्र एवं अन्य साक्ष्यों के छाया चित्र इस अध्याय के अन्त में संलग्न हैं। बीटवार ट्रांजेक्ट लाईन का मानचित्र एवं उनके जी.पी.एस. कोआर्डिनेट की सूची भी परिशिष्ट क्रमांक–93 में दी गई है।

इसके अतिरिक्त नियमित रूप से वन्यप्राणी मृत्यु एवं शिकार, जनहानि, जन घायल, पशुहानि, पशु घायल, फसल हानि प्रकरणों एवं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दर्शन से संबंधित वन्यप्राणी की जानकारी परिसर रक्षक के द्वारा बीट पंजी में अभिलेखित किया जायेगा।

- **प्रत्यक्ष दर्शन** :– वन्य प्राणियों की वास्तविक स्थिति के आंकलन के लिये उनकी संख्या की नियमित जानकारी आवश्यक है। नियमित रूप से आंकड़े एकत्र किए जाने से भविष्य में प्रबंधन के लिये एक वस्तु मूलक आधार तैयार हो

सकेगा। अतः क्षेत्रीय अमले द्वारा वन्यप्राणियों के प्रत्यक्ष अवलोकन की जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र में रखी जायेगी,

वन्यप्राणी प्रेक्षण प्रतिवेदन

परिक्षेत्र :..............................

परिक्षेत्र सहायक वृत्त :..............................

परिसर (बीट) :..............................

दिनांक	कक्ष क्रमांक	स्थान का नाम	देखे गए वन्य प्राणी का विवरण					विशेष विवरण
			प्रजाति	नर	मदा	शावक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में जानकारी प्रत्येक माह वेतन प्राप्त करते समय परिक्षेत्र अधिकारी को सौंपी जायेगी। इस प्रपत्र में साक्षात दर्शन के साथ ही परोक्ष रूप से प्राप्त साक्ष्य जैसे – पदचिन्ह, जंतुमल, आवाज, गारा, वृक्षों पर पंजों के या अन्य कोई निशान आदि का वर्णन भी विशेष विवरण के अन्तर्गत दिया जायेगा। यह जानकारी रूचि के साथ एकत्र करने से भविष्य में वन्य प्राणियों के स्तर के आंकलन में काफी सहायता मिल सकेगी।

परोक्ष रूप से प्राप्त साक्ष्य का वर्णन पृथक से संधारित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त स्तनधारी, सरीसृप तथा उभयचरों पशुओं की जानकारी संकलित की जावेगी। पक्षियों के संबंध में जानकारी रूचि के साथ एकत्र करने से भविष्य में वन्यप्राणियों की विविधता के आंकलन हेतु काफी सहायता मिल सकेगी।

21.2.11.10 न्यायालयीन प्रक्रिया :–

विगत वर्षो में वन्यप्राणी शिकार के प्रकरण समय–समय पर प्रकाश में आते है। अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु तथा बेहतर प्रबंधन हेतु वन एवं वन्यप्राणी से संबंधित अधिनियम, नियम एवं नीतियां प्रचलित है। न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न अधिनियमों का भली–भांति ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है,

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
3. भारतीय वन अधिनियम, 1927

4. आर्म्स एक्ट, 1959
5. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

इसके अतिरिक्त वन्यप्राणी अपराध से संबंधित अन्य नियमों व अधिनियमों का उपयोग किया जा सकता है। वनमण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न न्यायालयीन प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है इस हेतु समय–समय पर कार्याशालाओं एवं बैठकों का आयोजन कर उन्हें वन्यप्राणी से संबंधित प्रकरण तैयार करने, जांच करने तथा त्वरित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने संबंधी अद्यतन जानकारी देना आवश्यक है।

- **वन्यप्राणी फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य सेवाः–**इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश मध्य प्रदेश भाासन वन विभाग की वेबसाइट mpforest.gov.in पर दी गई है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जाये। किसीभी वन्यप्राणी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर वन्यप्राणी विशेषज्ञ पशु चिकित्सक के द्वारा घटना स्थल पर पोस्ट मोर्टम की व्यवस्था की जावेगी। क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा घटना स्थल को सीलबंद किया जाकर अधिक से अधिक तथ्य एकत्रित किये जायेंगे तथा अन्नवेषण में लिया जायेगा। जबलपुर में वन्यप्राणी फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सेंटर फार वाईल्ड लाईफ फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य (CWFH) स्थापित किया गया है। नमूना जांच हेतु केन्द्र को भेजा जाकर विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। न्यायालयीन प्रकरणों में यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। केन्द्र के द्वारा वन्यप्राणियों की पहचान एवं अनुवांशिक अन्वेषण भी किया जाता है।

21.2.11.11 प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार :–

वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबन्धन में गुणवत्ता एवं रुचि पैदा करने के लिए कर्मचारियों एवं आम नागरिक को संस्थागत प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये,

1. **क्षेत्रीय कर्मचारी हेतु** :– वन्यप्राणी संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समस्त पहलुओं पर वनकर्मियों को पर्याप्त ज्ञान एवं व्यक्तिगत कौशल होना अति आवश्यक है। इस हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला शिविर का आयोजन किया जाकर रोस्टर के आधार पर समस्त वनकर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान वन्यप्राणियों की पहचान, उनके व्यवहार के सामान्य ज्ञान, अप्रत्यक्ष संकेत, अवैध शिकार के पहलुओं पर, गोपनीय सूचना तंत्र का विकास, भास्त्र चालन, तकनीकी यंत्र का उपयोग, बीमारी के लक्षण की पहचान, न्यायालयीन प्रक्रिया, वन्यप्राणी अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रपत्र इत्यादि विषयों पर दक्षता रखने वाली संस्थाओं से कर्मचारियों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते है। ऐसे प्रशिक्षण शिविर प्रत्येक परिक्षेत्र स्तर पर वर्ष में कम से कम एक बार तथा वनमंडल स्तर पर एक बार आयोजित किया जाना चाहिये। प्रशिक्षण के दौरान लिखित, मौखिक कौशल के साथ–साथ क्षेत्रीय व्यवहारिक ज्ञान से भी परिचित कराया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न नियमों, अधिनियमों की धाराओं का हिन्दी में अनुवाद किया जाकर क्षेत्रीय कर्मचारियों को मार्गदर्शिका पुस्तक के रूप में वितरित किया जावे। वन्यप्राणी के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए सतत प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है। प्रशिक्षण में मुख्यतः निम्न विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी

   1. वन्यप्राणी गणना।
   2. वन्यप्राणियों के प्रमाण (Evidence) को पहचानना।
   3. वन्यप्राणियों के प्रमाण (Evidence) एकत्रित करना।
   4. वन्यप्राणियों के प्रमाण (Evidence) का कक्ष इतिहास एवं अन्य अभिलेखों में अभिलेखीकरण करना।
   5. वन्यप्राणी संरक्षण बावत् पुरस्कार योजना।
   6. जनहानि / पशुहानि के प्रावधान।
   7. संरक्षित क्षेत्रों की 10 कि.मी. की परिधि में शस्त्र अनुज्ञा बावत् प्रावधान।

8. वन्यप्राणी अधिनियम के प्रावधान।

2. **संयुक्त वन प्रबंध समिति के सदस्यों हेतु :–** संयुक्त वन प्रबंध समिति के सदस्यों को वन्यप्राणी सुरक्षा, गोपनीय सूचना तंत्र का विकास, वन्यप्राणी पुरस्कार तथा मानव–वन्यप्राणी टकराव की स्थिति को कम करने की पहल इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षित किया जायेगा तथा वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। भोपाल वनमण्डल में ईको विकास समिति नहीं है। ग्राम वन समितियों के मूल्यांकन के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक–सं.व.प्र./ऑडिट/474 दिनांक 13/12/2021 के निर्देशों का पालन किया जायेगा। जो कि परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–92 में दिया गया है।

3. **सामान्य नागरिक एवं विद्यार्थियों हेतु** :– वनक्षेत्र से लगे हुये ग्रामों के विद्यालय के छात्र–छात्राओं को वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूकता तथा रुचि पैदा करने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार चयनित विद्यार्थियों को परिक्षेत्र में प्रकृति अनुभूति शिविर आयोजित आयोजित कर आवश्यक जानकारी दी जायेगी। ऐसे शिविरों में प्रकृति, पर्यावरण, जल, जैव–विविधता, वन्यप्राणी, पक्षी, तितली, सरीसृप, कीट इत्यादि विषयों पर सामान्य जानकारी दी जावेगी। ऐसे शिविरों के माध्यम से प्रकृति प्रेमी तथा स्वयंसेवक दल का गठन किया जा सकता है। ऐसे उत्साही सदस्यों के माध्यम से जैव–विविधता पंजी को अद्यतन किया जा सकता है तथा वन्यप्राणी शिकार के रोकथाम से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षित किया जाकर गोपनीय सूचना तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे शिविरों के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बुलाकर उन्हें भी वन्यप्राणी संरक्षण के संबंध में अवगत कराया जाना चाहिये। वनमण्डल के अंर्तगत प्रत्येक परिक्षेत्र में प्रति वर्ष इस तरह के शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

21.2.11.11.1 उक्त प्रशिक्षण के साथ साथ निम्नानुसार माध्यमों से भी आम जनता का जागरूक करते हुए वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबन्धन में उनका सहयोग लिया जा सकता है,

1. वन्य प्राणियों के संबंध में प्रचलित नियमों एवं कानूनों का विभिन्न संचार माध्यमों से जन–जन तक पहुंचाने के प्रयास किये जाने चाहिये। इसमें समाचार पत्र एवं टेलिविजन के विभिन्न चेनलों का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जावे।
2. समाज के विभिन्न तबकों को समय–समय पर एक मंच पर बुलाकर कार्यशाला के माध्यम से वन्य प्राणी संरक्षण, संवर्धन इत्यादि विषयों पर संवाद स्थापित किया जाये ताकि जन–सामान्य को आने वाली समस्याओं एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर उनका युक्ति–युक्त पूर्ण समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके।
3. वन्य प्राणियों से संबंधित पेम्पलेट, ब्रोसर्स इत्यादि का प्रकाशन स्थानीय स्तर पर करके स्कूलों एवं कॉलेजों में वितरित कराया जाये ताकि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में ज्यादा भिज्ञ एवं संवेदनशील हो सके।
4. वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान कार्यक्रम आयोजित कर अंदरूनी क्षेत्रों के विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से वन्य प्राणियों से संबंधित संवेदनशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। इस संबंध में विगत वर्षों में भोपाल वनमंडल में वन्य प्राणी सप्ताह में जिला स्तर पर प्रतियोगितायें आयोजित कर विजेताओं को भाासकीय व्यय पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण पर ले जाया गया था जिसका कि काफी अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकी पुष्टि प्रति वर्ष इन प्रतियोगिताओं में बढ़ते हुये प्रतिभागियों की संख्या से भी होती है। इस तरह की व्यवस्था परिक्षेत्र स्तर पर भी की जाये

ताकि वनक्षेत्रों से लगे हुये बच्चे भी इसका लाभ उठाकर वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील बन सकें जो आने वाले समय में वन्य प्राणियों के प्रहरी साबित होंगे।

5. इको टूरिज़्म डेवलपमेण्ट बोर्ड के द्वारा वित्त पोषित ''इको अनुभूति कार्यक्रम'' का भी अच्छा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। इसमें वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं से चयनित छात्र/छात्राओं को परिक्षेत्र स्तर आमंत्रित कर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, ट्रेकिंग, परिचर्चा एवं वृक्षों पेड़पौधों तथा वन्यप्राणियों की पहचान कराकर उन्हें प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को पूरी गम्भीरता से आयोजित करने के साथ साथ वन्यप्राणी प्रबन्धन की सामान्य गतिविधियों में भी छात्र/छात्राओं को संलग्न कर बेहतर वन्यप्राणी प्रबन्धन किया जा सकता है।

6. वन्य प्राणियों के विभिन्न अंगों के उपयोग से होने वाले संभावित फायदों के संबंध में जन–सामान्य में एवं यहां तक कि विदेशों में भी कई भ्रांतियाँ हैं जिनका कि कोई सिद्ध वैज्ञानिक आधार नहीं है, जैसे कि मोर के अगले पैर की एक हड्डी जिसे लकी बोन से संबोधित करते हैं, के पहनने से भाग्योदय होने संबंधी भ्रांति है, इसी तरह मोर एवं तेंदुये के नाखूनों को पहनने से प्रेत बाधा या नजर न लगने के संबंध में भ्रांति है। इनके विभिन्न भागों के उपयोग से व्यक्ति के कामशक्ति बढ़ाने के संबंध में भ्रांतियाँ अति प्रचलित हैं। इन भ्रांतियों के कारण भी वन्य प्राणियों के विभिन्न अवयवों की मांग बनी रहती है जिसके कारण इनका अवैध शिकार होता है। इन भ्रांतियों को जन–सामान्य के मस्तिष्क से निकालने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार अभियान वनकर्मी, एन.जी.ओ., विभिन्न संचार माध्यमों के मार्फत चलाया जाना होगा।

7. गैर शासकीय संस्थाएं जो वन्य प्राणियों के संरक्षण में लगी हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर एवं उन्हें भी आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान कर वन्यप्राणी प्रबन्धन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

21.2.11.11.2 वनमण्डल में प्रचार प्रसार के लिये निम्नानुसार गतिविधियां भी की जा सकती हैं।

1. पैम्पलेट द्वारा जानकारी देना ।
2. ग्राम सभाओं में जानकारी देना।
3. स्कूली छात्रों को अवगत कराना।
4. स्कूलों में संगोष्ठी आयोजित करना।
5. नुक्कड़ नाटक आयोजित करना।
6. ग्रामों के सामुदायिक भवनों, स्कूल भवनों तथा अन्य शासकीय भवनों में वन्यप्राणियों से सम्बन्धित फिल्म प्रदर्शन।

21.2.11.12 वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार :–

वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अदम्य साहस, नवाचार, विस्थापन, अनुश्रवण पद्धतियां, वन्यप्राणी अपराध अन्नवेषण, मुखबीर तंत्र का विकास इत्यादि विषयों पर उत्कृष्ट कार्यो का परिचय देने वाले कर्मचारियों हेतु प्रतिवर्ष पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। यह पुरस्कार निम्नानुसार तीन श्रेणियों में प्रदाय किया जाता है,

1.प्रथम श्रेणी :– प्रथम श्रेणी हेतु पुरूस्कार उप वन संरक्षक अथवा सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों हेतु निम्न वर्ग में प्रदाय किया जाता है,

- वन्यप्राणी प्रबंधन क्रियान्वयन में नवाचार।
- अनुश्रवण पद्धतियों का विकास एवं क्रियान्वयन।
- विस्थापन कार्य।
- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण।

2.द्वितीय श्रेणी :– द्वितीय श्रेणी हेतु पुरूस्कार वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों हेतु निम्नानुसारवर्ग में प्रदाय किया जाता है,

- वन्यप्राणी सुरक्षा में अदम्य साहस।
- सुरक्षा एवं अनुश्रवण तंत्र का क्रियान्वयन।
- वन्यजीव अपराध रोकने में मुखबीर तंत्र का क्रियान्वयन।

- विस्थापन कार्य।
- अन्वेषण कार्य।

3.तृतीय श्रेणीः– तृतीय श्रेणी हेतु पुरस्कार वनपाल/वनरक्षक स्तर के कर्मचारी हेतु निम्नानुसार वर्ग में प्रदाय किया जाता है,

- वन्यप्राणी सुरक्षा में अदम्य साहस।
- वन्यप्राणी अपराध रोकने में किये गये उत्कृष्ट कार्य।
- पक्षियां/तितलियां/वनस्पति आदि का असामान्य ज्ञान ग्रहण करना।
- ईको– पर्यटन के प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य।

वनमंडल के अधिकारी/कर्मचारियों को पुरस्कार योजना के संबंध में अवगत कराया जायेगा तथा उनके द्वारा किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण एवं फोटोग्राफ के साथ प्रकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ष वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को (वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन अवसर पर) पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है।

1.मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को प्रतिवर्ष निम्नलिखित श्रेणियों मे पुरूस्कार दिये जाने का प्रावधान हैः–

तालिका क्रमांक–21.17

शासकीय सेवक को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले पुरूस्कार

श्रेणी	पदनाम	पुरूस्कारों की संख्या	पुरूस्कारों की राशि (रूपये में)	
			श्रेणी में एकल पुरूस्कार की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	उप वन संरक्षक	1	50,000	50,000
2	सहायक वन संरक्षक	1	50,000	50,000
3	वनक्षेत्रपाल	1	50,000	50,000
4	उप वनक्षेत्रपाल/वनपाल	2	50,000/–प्रत्येक	1,00,000
5	वनरक्षक	3	50,000/–प्रत्येक	1,50,000
6	अन्य पदों पर कार्यरत् नियमित शासकीय सेवक	1	50,000	50,000
7	समस्त अस्थाईकर्मी	2	50,000	1,00,000
8	विशिष्ट उपलब्धियॉ हासिल करने वाला दल (10 अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम)	1	1,00,000	1,00,000
	योग	**12**	**योग**	**6,50,000**

1. उक्त पुरूस्कार वन्यप्राणी प्रबंधन की प्रत्येक विधा यथा वन्यप्राणी सुरक्षा, ग्राम विस्थापन कार्य, वन्यप्राणी आवास प्रबंधन, वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण, वन्यप्राणी अनुश्रवण, वन्यप्राणियों / वन्य जीवों, पादपों के विशिष्ट ज्ञान, ईकों पर्यटन, मानव संसाधन प्रबंधन, नवाचार आदि में उत्कृष्ट कार्य / सतत् रूप से श्रेष्ठ कार्य करने पर दिये जा सकेंगें।
2. उक्त पुरस्कार हेतु नामांकन स्वयं कर्मचारी द्वारा अथवा उसके किसी साथी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सीधे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. को डाक अथवा ई–मेल (mptigerfoundation@mp.gov.in) पर भेजा जायेगा।
3. पुरूस्कार विगत वर्ष में किये गये किसी उत्कृष्ट कार्य अथवा 5 या अधिक वर्षो से सतत् रूप से श्रेष्ठ कार्य हेतु दिया जा सकेगा। किसी श्रेणी में नामांकन प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जायेगा। कि केवल विगत वर्ष में किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु नामांकन है अथवा विगत पांच वर्षो या अधिक से सतत् रूप से श्रेष्ठ कार्य हेतु नामांकन है।
4. केवल उतने ही पुरस्कार दिये जाएंगें जितने पुरूस्कारों का प्रावधान है। अतः व्यक्तिगत पुरस्कारों में पुरस्कारों / पुरस्कार की राशि को विभक्त नही किया जाएगा।
5. पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया के दौरान निम्न समय तालिका का पालन किया जाएगा :–

तालिका क्रमांक–21.18

पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया की समय तालिका

क्र.	गतिविधियां	दिनांक	विवरण
1	पुरस्कार प्रक्रिया प्रारंभ होने की सूचना	22 जून	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों / क्षेत्र संचालक / संचालक को पत्र / ई–मेल के द्वारा सूचित किया जाकर पुरस्कार हेतु प्रस्ताव मांगे जाएंगे।
2	समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों तक सूचना पंहुचाने की पुष्टि करना	30 जून	समस्त मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्र संचालक / संचालक पत्र लिखकर / ई–मेल द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय को सूचित करेंगें कि पुरस्कार की प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी, नामांकन प्रारूप आदि परिक्षेत्र स्तर एवं बीट गार्ड स्तर तक सभी को पहुंचा दिया गया है।

क्र.	गतिविधियां	दिनांक	विवरण
3	नामांकन प्रेषित करना	13 जुलाई	कर्मचारी स्वयं का अथवा किसी साथी के नाम का नामांकन निर्धारित प्रपत्र स्केन की हुई/पीडीएफ प्रति ईमेल (mptigerfoundation@mp.gov.in) पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
4	नामांकनों की छंटाई एवं तत्पश्चात् परीक्षण हेतु लेख करना	30 जुलाई	समस्त मुख्य वन संरक्षकों/क्षेत्र संचालक/संचालकों को, प्राप्त प्रस्तावों में से उनके अधिकार क्षेत्र के प्रस्तावों को परीक्षण हेतु मुख्यालय से लेख किया जाएगा।
5	परीक्षण/अभिमत/अनुशंसा	25 अगस्त	समस्त मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक/संचालक प्रस्तावों के परीक्षण हेतु एक वृत्त स्तरीय समिति का गठन करेंगे। अपने अभिमत/अनुशंसा सहित 15 अगस्त तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक वृत्त से प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 1 व्यक्ति/ दल का नाम पुरस्कार हेतु अनशंसित किया जा सकेगा। अनुशंसा के साथ एक 10 स्लाइडों का पॉवरपाइंट प्रजेंटेशन भी बनाकर भेजा जाएगा।
6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षण	15 सितंबर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. द्वारा गठित समिति द्वारा वृत्त स्तर से प्राप्त अनुशंसा पत्र एवं पॉवरपॉइंट प्रजेंटेशन के आधार पर समस्त प्रस्तावों का अध्ययन किया जाएगा एवं कुल पुरस्कार संख्या के अधिकतम 3 गुने तक प्रस्तावों का चयन कर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। आवश्यकता होने पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक/संचालक को अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुतीकरण हेतु भी बुलाया जा सकेगा।
7	राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अंतिम चयन	सितंबर का चौथा सप्ताह	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा) म.प्र. द्वारा गठित समिति के द्वारा अनुशंसित नामों में पुरस्कार की संख्या अनुरूप नामों का चयन पुरस्कार हेतु किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पुरस्कार एक से अधिक व्यक्तिओं/दलों के बीच विभक्त नही किया जाएगा।

- **शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कारः–**

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में किए गए विशिष्ट कार्यों हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 सितंबर को शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के संशोधित आदेश द्वारा वर्ष 2006 से निम्न श्रेणियों में पुरस्कृत करने का प्रावधान है–

तालिका क्रमांक–21.19
शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार

पुरस्कार वर्ग	कार्यक्षेत्र	पुरस्कार
संस्थागत– ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियॉ, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थान।	वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रूपये एक लाख नगद तथा प्रशस्ति पत्र
व्यक्तिगत (अशासकीय)	**अ.** वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को	रूपये पचास हजार नगद तथा प्रशस्ति पत्र
व्यक्तिगत (अशासकीय)	**ब.** वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को	रूपये पचास हजार नगद तथा प्रशस्ति पत्र
व्यक्तिगत (शासकीय)	**अ.** वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को	रूपये पचास हजार नगद तथा प्रशस्ति पत्र
व्यक्तिगत (शासकीय)	**ब.** वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवक को	रूपये पचास हजार नगद तथा प्रशस्ति पत्र

- **बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार :–**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य तथा निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, अशासकीय व्यक्तियों/संस्था/समितियों को पुरस्कृत करने के लिये बसामन मामा स्मृति पुरस्कार वर्ष 2009 से संस्थापित किया गया है। पुरस्कार का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–21.20
बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार

1	**विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)**		
	पुरस्कार वर्ग		**पुरस्कार**
	(क) शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु	**(ख) अशासकीय व्यक्तियों हेतु**	
	1. प्रथम पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार	रूपये दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	2. द्वितीय पुरस्कार	2. द्वितीय पुरस्कार	रूपये एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	3. तृतीय पुरस्कार	3. तृतीय पुरस्कार	रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
2	**राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)**		
	(क) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से अधिक	**(ख) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से कम**	**पुरस्कार**
	1. प्रथम पुरस्कार	1. प्रथम पुरस्कार	रूपये दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	2. द्वितीय पुरस्कार	2. द्वितीय पुरस्कार	रूपये एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	3. तृतीय पुरस्कार	3. तृतीय पुरस्कार	रूपये पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र

21.2.11.13 टाइगर सेल का नियमित संचालन :

राज्य भाासन के द्वारा वन्य प्राणी अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त नेतृत्व में टाईगर सेल का गठन किया गया है। इसके माध्यम से वन विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य बेहतर ताल–मेल एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान कर वन्यप्राणी अपराधों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इस संबंध में जिला स्तर पर इसकी नियमित बैठक कर प्रकरणों एवं समन्वय की समीक्षा की जाये। जिला स्तर के नीचे परिक्षेत्र एवं थाना स्तर पर भी समन्वय हेतु दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठकें की जा सकती हैं। इन दोनों स्तर पर बेहतर तालमेल एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर वन्य प्राणी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है। वन्यप्राणी अपराध में लिप्त व्यक्तियों का कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध होता है, ऐसी स्थिति में पुलिस की मदद से उनके द्वारा उपयोग में लाये जा रहे मोबाईल नम्बर का सी. डी. आर. विश्लेषण करके ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

21.2.12 वन्य प्राणी प्रबंधन की वार्षिक कार्य योजनाः–

प्रत्येक वर्ष वन्य प्राणी प्रबंधन की वार्षिक कार्य योजना बनाई जाकर अगले वित्तीय वर्ष में उसका क्रियान्वयन किया जावेगा। बजट की उपलब्धता को देखते हुए अगले दस वर्षो में चयनित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के संवर्धन एवं उनके लिए आवश्यक रहवास का कार्य उस वार्षिक योजना में लिया जावेगा। वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर आवश्यक कार्य बजट उपलब्धता के अनुसार कराया जावेगा। वन्यप्राणी (परस्परव्यापी) प्रबंधन वृत्त के प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं उपचार इस कार्य आयोजना के मुख्य प्रबंधन वृत्तों के वार्षिक उपचारांशों के साथ किया जाएगा। पुनरुत्पादन योजना में मुख्य रूप से भू–जल संरक्षण कार्य, चारागाह विकास, अग्नि सुरक्षा, चराई प्रबंधन, विशिष्ट एवं सूक्ष्म प्राकृतावासों का संरक्षण सम्मिलित होगा। कार्य आयोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि से पुनरुत्पादन योजना के

लिये आवश्यक कार्य संपादित किये जाएंगे। जहां तक वन्यप्राणियों द्वारा की गई जनहानि, पशुहानि, फसल हानि एवं जन घायल के संबंध में क्षतिपूर्ति का बिन्दु है, चूंकि इस हेतु पूर्वानुमान लगाया जाना संभव नहीं है, अतः इसका भुगतान भाासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विगत वर्षों की तरह किया जाएगा।

21.2.13 ईको सेंसेटिव जोनः–

कार्य आयोजना के प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक– 5 (जोकि परिशिष्ट–87 में दर्ज हैं) के अनुसार ईको सेंसिटिव जोन की जानकारी वनमण्डलाधिकारी भोपाल के पत्र क्रमांक/मा.चि./4962 दि.16/09/2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रदाय जानकारी के अनुसार प्रदाय की गई। जिसके अनुसार उक्त बिन्दु के पालन में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 11 अगस्त 2017 में जारी अधिसूचना में उल्लेखित क्रियाकलाप संचालित हैं। जिसकी प्रति कार्य आयोजना के परिशिष्ट क्रमांक–134 में दर्ज है।

उक्त अधिसूचना में भोपाल वनमण्डल के अंतर्गत पारिस्थितिकी जोन के अंतर्गत भोपाल प्रभाग में निम्नानुसार ग्राम एवं उनके निर्देशांक दिये गये हैं–

तालिका क्रमांक– 21.21
पारिस्थितिकी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	प्रभाग नाम	ग्रामों के नाम	निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	भोपाल	रबियाबाद	23° 04' 6.968" N	77° 21' 28.384" E
2	भोपाल	वुरथी	23° 05' 5.480" N	77° 23' 29.127" E
3	भोपाल	प्रबाधन	23° 05' 4.885" N	77° 23' 08.025" E
4	भोपाल	स्ताहफल	23° 05' 5.871" N	77° 22' 42.736" E
5	भोपाल	पुनहा	23° 05' 5.474" N	77° 22' 17.895" E
6	भोपाल	वानपुर	23° 05' 5.504" N	77° 21' 58.945" E

उपरोक्त सूची में दर्शित ग्रामों का मौके पर परीक्षण किया गया। इसके ग्राम रबियाबाद के निर्देशांकों के परीक्षण में पाया गया कि वनमण्डल सीहोर परिक्षेत्र वीरपुर के अंतर्गत ग्राम कठौतिया में स्थित है, जिसका पूर्ववत नाम राबियाबाद है। ग्राम वुरथी, प्रबाधन एवं स्ताहफन परिक्षेत्र समर्धा के कक्ष PF224 के अंतर्गत आते हैं। परंतु उक्त ग्राम सूची में दर्शित निर्देशांकों के

आस–पास नहीं हैं, उक्त निर्देशांक कालापानी एवं भोदाखो के अंतर्गत आते है। ग्राम पुनहा एवं वानपुर परिक्षेत्र समर्धा के कक्ष PF223 के अंतर्गत आते हैं परन्तु उक्त ग्राम निर्देशांकों के आस पास नहीं है। उक्त निर्देशांक ग्राम भोदाखों के अंतर्गत आते हैं।

21.2.14 राष्ट्रीय वन्यप्राणी एक्शन प्लान (National Wildlife Action Plan):–

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2031 तक के लिए वन्यप्राणियों के वर्तमान स्तर एवं अन्य कारकों का विस्तृत अध्ययन के बाद वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिये एक राष्ट्रीय वन्यप्राणी एक्शन प्लान तैयार किया है, जो कि विकास एवं प्रजनन के वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवशास्त्र पर आधारित है। यह एक्शन प्लान वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु एक फ्रेमवर्क है, जिसके अनुरूप ही वनमण्डल में वन्यप्राणी प्रबंधन के प्रयास किये जाने चाहिए। एक्शन प्लान के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

1. संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जीवमंडल रिजर्व की स्थापना करना, जिनके तहत सभी महत्वपूर्ण बायोजियोग्राफिक सब डिवीजन का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं जीवनक्षम सेम्पल को शामिल करना है।
2. संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एवं उनके सहयोग से करना है। बिगड़े हुये आश्रय स्थलों की पुनर्स्थापना करना एवं वन्यप्राणी प्रबंधन में दक्ष कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तैयार करना।
3. विभिन्न बहुउपयोगी क्षेत्रों में ईमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वनोपज के उत्पादन के साथ–साथ वन्यप्राणी आश्रय स्थलों एवं वन्यप्राणियों को संरक्षण प्रदाय करना ताकि संरक्षित क्षेत्रों को बहुउपयोगी क्षेत्रों से जोड़ा जा सके एवं कृत्रिम तौर पर अलग किये गये वन्यप्राणियों के सक्सेशन में आनुवांशिक निरन्तरता को बनाये रखा जा सके।

4. वनस्पति एवं जीव जन्तुओं की स्वदेशी, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न प्रजातियों की पुनर्स्थापना में उनके पुराने आश्रय स्थलों को संरक्षित करना।
5. वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के लिये केप्टिव ब्रीडिंग हेतु कार्यक्रम तैयार करना ताकि संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्स्थापना की जा सके।
6. वन्यप्राणी शिक्षा विस्तार करना ताकि लोगों में वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हों एवं वह वन्यप्राणियों के महत्व को समझें।
7. अनुसंधान एंव निगरानी की सहूलियतों में वृद्धि करना, जिससे वन्यप्राणियों एवं उनके आश्रय स्थलों के बारे में वैज्ञानिक सूझ–बूझ की वृद्धि होगी तथा वन्यप्राणियों के प्रबंधन में सुधार होगा।
8. आंतरिक वैधानिक व्यवस्था, जिसके तहत वन्यप्राणियों को संरक्षण प्रदान किया गया है एवं वन्यप्राणियों के व्यापार का नियमन है, पर पुनर्विचार करना एवं उसकी प्रभावशीलता को पुनर्स्थापित करना।
9. राष्ट्रीय परिरक्षण नीति 1980 में आरंभ की गई वर्ल्ड (संसार) नीति के सिद्धांतों पर आधारित सभी जैव प्राकृतिक संसाधनों के लिये एक राष्ट्रीय परिरक्षण नीति तैयार की जावेगी।
10. वन्यप्राणी संरक्षण में सभी स्वैच्छिक संस्थाओं का पूर्ण सहयोग लिया जावेगा।

21.2.15 बाघ के मृत्यु–प्रकरण की छानबीन हेतु मानक अन्वेषण प्रक्रियाः

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अनुसार बाघ के मृत्यु–प्रकरण की छानबीन हेतु मानक अन्वेषण प्रक्रिया प्रकिया संबंधी सामान्य विवरण निम्नानुसार है–

- **शीर्षक** : बाघ के मृत्यु प्रकरण की छानबीन हेतु मानक अन्वेषण प्रक्रिया।
- **विषय :** मृत बाघ /शारीरिक अवयवों की जप्ती।
- **संदर्भ** : राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उक्त विषय पर परामर्श।

- **उद्देश्य** : यह सुनिश्चित करना की बाघ की मौत के कारणों का निश्चित पता लगे और बाघ–संरक्षण के हित में उसे तार्किक परिणिति यानी अंजाम तक पहुंचाया जाये।
- **लघु सारांश** : यह मानक अन्वेषण प्रक्रिया बाघ संरक्षण तथा अन्य क्षेत्रों सहित मैदानी स्तर पर बाघ की मृत्यु घटनाओं की छानबीन के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम प्रयास बताती है, जहां मृत बाघ मिला है या उसके शरीरांगों की जब्ती हुई है।
- **विषय क्षेत्रः–** यह मानक अन्वेषण प्रक्रिया बाघ संरक्षण क्षेत्रों सहित उन सभी वन क्षेत्रों पर लागू होती है जहां घटना घटी है।
- **उत्तरदायित्वः–** क्षेत्र संचालक, बाघ रिजर्व के मामले में जिम्मेदार होगा। संरक्षण क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण्य) के लिए संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक जिम्मेदार होगा। अन्य क्षेत्रों (राजस्व भूमि/संरक्षण क्षेत्र/आरक्षित समुदायिक क्षेत्र/गाँव/बस्ती) के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार वन्यप्राणी अभिरक्षक या जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटी है वह वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक जिम्मेदार होगा। राज्य स्तर पर समग्र जिम्मेदारी संबंधित राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक पर होगी।
- बाघ की मृत्यु/शारीरिक अवयवों की जप्ती/घटना दर्ज हुई परन्तु सबूतों की पुष्टि हेतु शरीर का कोई हिस्सा/अस्थि–पंजर न पाया जाना–इन परिस्थितियों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश –

21.2.15.1 अपराध–परिदृश्य/घटना (दायित्वः रेंज ऑफिसर, सहायक संचालक, सहायक वन संरक्षक, उपनिदेशक/वनमण्डलाधिकारी)

1. जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुँचें साथ ही संबंधित क्षेत्र संचालक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया जाये।

2. जांच–दल को तुरंत घटना–स्थल पर बुलायें। जांच दल के लिऐ यह अनिवार्य होगा कि वह जांच–किट के साथ घटना स्थल पर पहुंचे।
3. रस्सी या टेप द्वारा घटना स्थल को घेरना ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो।
4. घटना स्थल से छेड़छाड़ न करें, सर्वप्रथम घटना स्थल के फोटोग्राफ्स लें। यदि इस क्षेत्र की कैमरा ट्रेप रिकार्डिंग की गई है तो उससे मिलान करने के लिए विभिन्न कोणों से वीडियो–रिकार्डिंग करें। तस्वीरें और वीडियो दोनों पास से और दूरी से लेना चाहिए। घटना स्थल पर पाई गई विभिन्न भौतिक वस्तुओं की दूरी नापने के लिए टेप भी रखा जाना चाहिए। अपराध परिदृश्य में परिस्थितिजन्य अवलोकन बारीकी से दर्ज किया जाना चाहिए।
5. सबूतों में हेर–फेर नहीं करें।
6. जांच–पड़ताल और साक्ष्य संग्रह के लिए पूरे क्षेत्र को ग्रिड/हलकों में विभाजित करें।
7. सभी महीन विवरण, तारीख, समय, ळच्‌े स्थान, मौसम आदि का लेख करें। जांच –प्रक्रिया के दौरान अपनायी गई प्रत्येक कार्यवाही एवं क्रिया–विधि का उपयुक्त तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाये। जांच अधिकारी द्वारा धारा 172 CrPC में निर्धारित प्रथा के अनुसार दैनिक केस डायरियां लिखा जाना चाहिये और अगले पर्यवेक्षी अधिकारी को प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
8. अपेक्षित जप्ती/गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज मौके पर ही तैयार किये जाने चाहिए।
9. तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियों के समय यथा संभव दो स्वतंत्र गवाहों को सम्बद्ध किया जाना चाहिये।

10. पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि जानवरों के आपसी संघर्ष का संदेह हो तो ऐसे मामले में दूसरे घायल जानवरों के अनुचिन्हों यानी ट्रेल की खोज करें।
11. घटना–स्थल का कम से कम 500 मीटर क्षेत्र का घेरा बनाकर, सबूत जुटाने की दृष्टि से उसकी भली भांति तलाशी की जाये। कई मामलों में यह देखा गया है कि जानवर को गोली लगने से या विष के प्रभाव से वह कुछ दूरी पर चला जाता है। सामान्यतः तस्कर/ शिकारी अपनी सुविधा के लिए शव को कुछ दूर ले जाता है जहां पर उसकी खाल निकाली जा सके।
12. घटना स्थल के पास की नदियां, झीलों या अन्य जलाशयों का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि सबूतों को एकत्र किया जा सके। क्योंकि तस्कर/शिकारी अपने शरीर या खाल निकालने में इस्तेमाल किये गये उपकरण पास की नदियों या जलाशयों में धोते हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि तस्कर/शिकारी नदी किनारे चलते हुए टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर जाते हैं।
13. प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जानवर के पदचिन्ह यानी पगमार्क, आदमी के पद चिन्ह/गाड़ी के टायरों के निशान लेना चाहिए।
14. सभी संभव सबूतों को खोजें और सावधानी से मूलरूप में एकत्र करें और आवश्यक हो तो उनका परिरक्षण भी करें।
15. जमीनी स्तर, दृष्टिस्तर यानी आई लेविल और दृष्टि स्तर के ऊपर के सबूतों को खोजें (उदाहरणार्थ छिपने की जगह/मचान/पेड़ पर गोली के निशान/नई कटी शाखायें/जमीन पर जलाई गई आग के निशान/जली हुई दियासिलाई आदि) घटना स्थल से एकत्रित किये गये नमूनों में निम्नलिखित शामिल हों, जैसे खून, शरीर के तरल पदार्थ, ऊतक,

बाल/फर/दाँत/हड्डी के टुकड़े, इत्यादि., बारूद, कपड़े का धागा, पेन्ट चिप्स, मिट्टी, कारतूस के खोल, गोली, पैर के निशान, टायर के निशान, गुटका आवरण, दियासिलाई की तीलियां, खाद्य वस्तुएं तथा जलाशयों के पानी के नमूने आदि।

16. मौके पर बरामद उपकरण जैसे उंगलियों के निशान, दाग आदि को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

17. कभी–कभी आरोपियों के पहने कपड़ों को खून के धब्बों एवं तरल पदार्थ इत्यादि के विश्लेषण हेतु जब्त करना होता है। यदि अपराधियों द्वारा खाल निकालने का संदेह हो तो पकड़े गये अपराधियों के नाखून काट कर रख लेना चाहिए।

18. इन नमूनों को एकत्रित करने के लिए पारदर्शी पोलीथीन बैग का उपयोग करें, एक ही बैग में भिन्न–भिन्न सामग्री नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक सामग्री को अलग–अलग थैले में रखें।

19. एकत्रित नमूने विशेषज्ञ एवं कोर्ट को भेजें तथा तीसरी प्रति रिकार्ड हेतु कार्यालय फाइल में रखें।

20. एकत्रित नमूनों को ठीक से लेबल और सील करें। प्रत्येक नमूने पर प्रदर्श–संख्या एवं संक्षिप्त विवरण दिया जाये। बच निकलने और निकासी के मार्ग जैसे सुराग/ट्रेल्स आदि खोजें। सुराग के लिए खोजी कुत्तों (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग करें।

21. शव से बाह्य साक्ष्य का रिकार्डः शरीर के माप के अलावा (यदि संभव हो तो) घाव, गोली लगने की चोट/निशान, विषाक्तता के लक्षण आदि का लेख किया जाए। शव की चोटों को ठीक से नापें। उनका वर्णन करें और स्पष्ट करें।

22. अगर पोस्टमार्टम टीम उपलब्ध हो तो पोस्टमार्टम किया जाए अन्यथा शव को डीप–फ्रीजर में रखें। पोस्टमार्टम दिन के प्रकाश में करना चाहिए।

23. पोस्टमार्टम के दौरान अभ्यंतरांग सामग्री यानी विसरल कंटेन्ट और ऊतकों के नमूने एकत्रित करें। ये नमूने किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजें। ऊतकों के नमूने भारतीय वन्यजीव संस्थान ॅ;प्प्द्ध या देश के भीतर किसी ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान को भेजें जिसके पास डीएनए प्रोफाइलिंग और हिस्टो–पैथोलोजिकल परीक्षण की विशेषज्ञता हो।

(टीप– मध्यप्रदेश में जबलपुर स्थित सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फॉरेन्सिक एण्ड हेल्थ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है।)

24. पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंतिम रूप दें एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करते हुये मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को भेजें। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है तो प्राधिकरण को एक प्रारंभिक रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए।

25. मृत बाघ के शरीर का विनष्टीकरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में किया जाए। जप्त किये गये शारीरिक अवयवों की अदालतों में मुकदमे चलाने के लिए साक्ष्य के रूप में आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में अदालत के अगले आदेश तक इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए।

26. विभागीय प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट (POR) जारी करें।

27. यदि अभियुक्त उपस्थित है तो उसके हस्ताक्षर के साथ जप्ती एवं गिरफ्तारी ज्ञापन स्थल–मानचित्र साक्षियों आदि के साथ तैयार करें; साथ ही एक वन अधिकारी द्वारा जो सहायक वन संरक्षक से कम ओहदे का न हो प्रजातियों का पहचान प्रमाण–पत्र भी जारी किया जाये। वह अधिकारी प्रमाणित करेगा कि प्रजाति की पहचान प्रशिक्षण एवं मैदानी अनुभव के आधार पर की गई है।

21.2.15.2 यदि संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई हो–

1. संदिग्ध व्यक्ति का नाम, पता, बायोमेट्रिक विवरण, फोटो, ऊंचाई, वजन आदि दर्ज करें। खोज/गिरफ्तारी/पूछताछ के

दौरान यह विशेष ध्यान दें कि टेलीफोन नम्बर विशेष रूप से मोबाईल फोन के विवरण, डायरियां, नम्बर सहित कागज के टुकड़ों पर लेख आदि जब्त करने का विशेष ध्यान रखें। यह सब सूत्रों का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। गिरफ्तार व्यक्तियों को उनके अपराध का पूर्ण विवरण तथा गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए। (सी.आर.पी.सी. की धारा 50 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(1))

2. गिरफ्तारी के लिए कारणों/गिरफ्तारी के लिए आधार का हवाला देते हुए एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करें।
3. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50(8) के तहत संदिग्धों/तथा/ अथवा गवाहों के बयान उनके हस्ताक्षर सहित रिकार्ड करें। आदर्शतः बयान का लेख सहायक वन संरक्षक तथा उनके ऊपरी अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो (जो कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है)।
4. धारा 50A Cr.P.C. एवं उच्च न्यायालय के जोगिन्दर सिंह प्रकरण विषयक आदेश के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी तथा उसे जहां रखा गया है उस स्थान के विषय में आरोपी के द्वारा नामित किये गये व्यक्ति को जानकारी देना आवश्यक है।
5. गिरफ्तार किये गये संदिग्धों का चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए तथा 24 घंटे के भीतर प्रभारी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए यदि प्रकरण से संबंधित पिछले और आगामी सूत्रों की खोज करना है तो रिमांड के लिए आवेदन देना चाहिए, यदि आप ऐसा आवेदन देना चाहते हैं तो इसके पहले स्थानीय अदालत में लोक अभियोजक से सम्पर्क करें, जिससे कर्मचारियों को रिमांड लेने में सफलता प्राप्त हो।

6. महिला–अपराधी के मामले में चिकित्सकीय परीक्षण केवल महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही किया जाना चाहिए।

(**टीप**–महिला अपराधी से पूछताछ के समय यथा संभव महिला वनकर्मी को भी साथ रखा जाये या उनके अनुपलब्ध होने पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पूछताछ की जाये।)

- आपके पास अभियुक्त की रिमांड के दौरान उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। यदि आरोपी विभाग की हिरासत में बीमार होता है तो उसे चिकित्सा सहायता या उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए।
- अपराधी से पूछताछ एवं सुरागों के आधार पर अच्छी तरह मामले की जांच करें एवं पिछले एवं अगले सूत्रों की जानकारी हासिल करें, एवं आरोपी द्वारा दिये गये बयान एवं सूचना के आधार पर प्रकरण में अन्य तार जहां–जहां जुड़े हों उन्हें पकड़ें।
- गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श करने का अधिकार है और अपनी पसंद के वकील से अपना बचाव कराने का भी अधिकारी है। (भारत का संविधान अनुच्छेद 22 (1))
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति गरीब है तो वह कानूनी सेवा प्राधिकरण (भारत का संविधान अनुच्छेद 39।) के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता हैं।
- मात्र संदेह पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। (145 ब्तण्च्ण्ब्)
- गिरफ्तार व्यक्ति, निराधार गिरफ्तारी/अवैध निरोध यानी डिटेन्शन के लिए मुआवजे का हकदार है।

- यद्यपि आरोपी द्वारा मनो–विश्लेषण ;च्ेलबीव. ।दंसलेपेद्ध परीक्षण के दौरान दिये गये बयान का कोई अधिक साक्ष्य महत्व नहीं है किन्तु मामले की जांच में सहयोग करने वाले कठोर अपराधियों के प्रकरण में ऐसे परीक्षणों की अनुशंसा की जा सकती है।
- अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाए, एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कानूनी अदालत में शिकायत की जाए।
- बाघ की मृत्यु के कारणों के निष्कर्ष सहित एक अंतिम रिपोर्ट प्रभारी क्षेत्र संचालक/वन्यप्राणी अभिरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को भेजी जाये और उसकी सूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भी दी जाये।

21.2.15.3 नियंत्रण कक्ष/प्रभारी क्षेत्र संचालक/वन्यप्राणी अभिरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक और वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण मंडल ॅब्ब्ठ के क्षेत्रीय उप संचालक को घटना के संबंध में तुरंत एक प्रारंभिक सूचना भेजें ;म्डैध्म. उंपसध्जमसमचीवदपब बंससधिंग मजबण्द्ध
2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोटोकॉल के अनुसार एक पोस्टमार्टम टीम का गठन।
3. एक जांच दल भेजें/जांच अधिकारी की नियुक्ति का कार्यालयीन आदेश जारी करें।
4. संभावित सुराग पाने के लिए अतीत और वर्तमान की खुफिया रिपोर्टों, हिस्ट्रीशीटरों संदिग्ध और सेलफोन रिकार्ड्स के कागजातों का विश्लेषण करें तथा समीपवर्ती जिलों, संभागों और राज्यों में भी छानबीन करें।

5. बेरियरों पर वाहनों की जांच करें, स्थानीय पुलिस को सूचना दें एवं सभी निकास स्थलों पर वाहनों की जांच करने के लिए रेड अलर्ट जारी करें।
6. बाघ के शव की तस्वीरों की जांच करें तथा पहचान या स्त्रोत सिद्ध करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में बाघों के चित्रों के कैमरा ट्रैप के राष्ट्रीय भण्डार या चरण–प्ट केमरा ट्रैप मॉनीटरिंग डेटाबेस या अन्य अनुसंधान डेटाबेस के साथ तुलना करें।
7. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के माध्यम से घटना का शासकीय विवरण जारी करें।
8. अन्य क्षेत्र संचालकों/राज्यों/वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो को सर्तक करने के लिए तथा अन्य अपराधों के साथ संभावित जुड़ाव स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को संदिग्धों का जीव–सांख्यिकीय (बायोमेट्रिक) विवरण भेजें।
9. बारीकी से जांच की निगरानी/निरीक्षण करें, पुलिस विभाग, राज्य के टाइगर प्रकोष्ठ (यदि हो तो), वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो और अन्य जांच संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखें।
10. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचना देते हुए एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करें और मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रस्तुत करें। चूंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अन्यथा सिद्ध होने तक बाघ–मृत्यु के सभी प्रकरणों को ''शिकार प्रकरण'' माना जाता हैं, अतः बाघ की मृत्यु को प्राकृतिक वर्गीकृत करने के लिए सबूतों के साथ औचित्य प्रतिपादित किया जाये।
11. सभी अवैध शिकार/जप्ती के मामलों को प्रभारी अदालतों में पेश किया जाना चाहिए।
12. अदालतों में प्रकरण के अंतिम निपटारे तक वहां चल रहे न्यायालधीन मामलों का सतत् अनुश्रवण एवं पैरवी की जाये।

13. अदालती आदेश के बाद, यदि आवश्यक हो तो आगे की अपील के लिए सुधारात्मक कार्यवाही के लिए मामलों का विश्लेषण करें।
14. यदि न्यायालय का निर्णय संतोषजनक रहे तो मामला खत्म करें एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करते हुये तहत मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रतिवेदन दें।

21.2.15.4 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. बाघ मृत्यु अथवा अवयवों की जप्ती के प्रकरण की जांच करें कि क्या वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 और अन्य अधिनियमों की प्रासंगिक धारायें लगाई गई हैं ? जैसे कि वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 40, 44, 48, 50 आदि।
2. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के तहत गवाहों और संदिग्धों के स्वीकारोक्ति–बयान (अन्य कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के अलावा)।
3. अपराध के दृश्य की स्थल–योजना। इसमें कम्पार्टमेंट के नक्शे का भी उपयोग हो सकता है।
4. कथित अपराध के स्थल की वैधानिक स्थिति यानी स्टेटस–संरक्षित क्षेत्र/ बाघ आरक्षित क्षेत्र/वनमण्डल/अन्य क्षेत्र, शासकीय अधिसूचना की प्रतिलिपि सहित (टाइगर रिजर्व/संरक्षित क्षेत्र/आरक्षित वन/संरक्षित वन के मामले में)।
5. पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
6. विशेषज्ञ द्वारा पहचान–रिपोर्ट ऐसे संस्थानों से जैसे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित संस्था जो कि केवल अंगों/टुकड़ों या ऊतकों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों।
7. सील की गई सामग्री पर जो सील लगाई गई है उसकी प्रतिलिपि।
8. जांच के दौरान ली गई तस्वीरों की सीडी या वीडियो–रिकार्डिंग।

9. घर के स्वामित्व के कागजात की प्रतिलिपि/जप्ती वाहन/पहचान साक्ष्य/कार्ड आदि।
10. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 या अन्य अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं की प्रतिलिपि।
11. दस्तावेजों और गवाहों की सूची वाली परिशिष्ट।
12. आंत सामग्री (विसरल) की विधि–चिकित्सकीय फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्राक्षेपिक (बैलिस्टिक) रिपोर्ट (यदि लागू हो)।
13. कम्लेन्ट चालान निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जायेगा।
14. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55 के तहत प्रकरण के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज और प्रकरण दर्ज कराने हेतु दिशा–निर्देश का ध्यान रखा जायेगा।

21.2.15.5 अवैध शिकार विरोधी और बाघ सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यों पर टीप

1. प्रत्येक मामले पर अंतिम रिपोर्ट के लिए गहराई से पर्याप्त जांच की जाए, मामले अनसुलझे या अधूरे न छोड़े जायें।
2. जांच के दौरान अगले पिछले सूत्र, सीमा पारीय बहुत से जुड़ाव, तस्कर शिकारी–वाहक– व्यापारी/उपभोक्ता/गठजोड़ नेटवर्क का पता लगाना।
3. सूचना–प्रौद्योगिकी और मुखबिरों की मदद से संदिग्धों और हिस्ट्री–शीटरों पर गहन निगरानी।
4. पोस्टमार्टम एवं आंत (विसरा) रिपोर्ट की जांच करना।
5. संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध शिकार निरोधक की कार्यवाही के अलावा गहन गश्त करना।
6. अन्वेषण और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए बहस–विषयी दृष्टिकोण एवं सहयोग सुनिश्चित करें। राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से वन्यप्राणी प्राधिकरणों को संवेदनशील सीमा क्षेत्र, की संयुक्त गश्त

एवं खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए IB/LIU के साथ समझौता नामा यानी एम.ओ.यू. करना चाहिए, BSF, CRPF, Assam Rifles, SSB आदि जैसे अर्धसैनिक बलों के साथ भी समझौता नामा करना चाहिए।

7. उचित शीर्ष स्तर पर नियमित रूप से मृत्यु दर के प्रत्येक मामले की समीक्षा करें।
8. न्यायिक, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय हेतु मासिक पुनरीक्षण और समीक्षा बैठक सुनिश्चित करें।
9. प्रत्येक टाइगर रिजर्व में बाघ विषयक अपराध की जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान के सभी आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ, अधिकारियों/रेंजरों का एक उच्च प्रशिक्षित दल होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से राज्य वन विभाग के एक चयनित प्रबुद्ध अन्वेषण दल के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।
10. शीर्ष स्तर पर लंबित प्रकरणों के नियमित मॉनीटरिंग द्वारा सम्पूर्ण अन्वेषण के बाद उचित न्यायालयों में प्रकरणों का सही ढंग से अभियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
11. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को समय–समय पर सूचित करते हुए राज्य/वनमण्डल स्तर के प्रत्येक अपराधी या संदिग्ध का डाटा–बेस, हिस्ट्रीशीट या डोज़ियर यानी अपराधी/संदिग्ध विषयक सम्पूर्ण सूचना तैयार करें, सभी आरोपियों विषयक निजी जानकारी यानी पर्सनल प्रोफ़ायल तैयार करनी चाहिए। सभी मामलों की निगरानी के लिए आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार की जाना चाहिये। इनकी व्यक्तिगत जानकारियों और हिस्ट्रीशीटों (पी.पी.और एच.एस.) की प्रतियाँ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो ॅ;पसकसपमि ब्तपउम

ब्वदजतवस ठनतमंन.ब्ठद्व को भेजी जानी चाहिए ताकि निगरानी हेतु इनका प्रसारण किया जाये।

12. बाघ की तस्करी/शिकार के प्रत्येक मामले से संबंधित अपराधी की कार्यप्रणाली पर पृथक–पृथक टीप बनाकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण मण्डल को भेजी जावे, ताकि उसे अपराध निरोधक रणनीति के लिये उपयोग में लाने के साथ–साथ प्रवर्तन एजेन्सियों के प्रशिक्षण और प्रतिसंवेदीकरण हेतु भी काम में लाया जा सके।

13. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

14. अवैध शिकार के खतरे से निपटने और उसकी जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त साधनों को उपयोग करना सुनिश्चित करें।

15. चूंकि बाघ वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची–1 में उल्लेखित अत्याधिक संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आता है इसलिए न्यायालयाधीन बाघ–अपराध मामलों की साप्ताहिक निगरानी करें, ताकि संबंधित अधिकारिता क्षेत्र के क्षेत्र संचालक/वन्यप्राणी अभिरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा मामले का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

16. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को प्रत्येक न्यायालयाधीन प्रकरण की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को जानकारी देते हुए राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–बल के मुखिया) को भी प्रकरणों की मासिक समीक्षा करनी चाहिए।

21.2.15.6 गिरफ्तारी सह व्यक्गित तलाशी मैमोः–

तालिका क्रमांक–21.22
गिरफ्तारी सह व्यक्गित तलाशी मैमो

1	कार्यालय का नाम
2	प्रकरण संख्या, दिनांक और कानून की धारा
3.	नाम, पितृत्व और गिरफ्तार शुदा आरोपी की उम्र
4.	गिरफ्तार आरोपी का वर्तमान और स्थायी पता
5.	गिरफ्तार आरोपी की पहचान के निशान
6.	गिरफ्तारी का कारण एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया या वारंट से
7.	जगह, तारीख और गिरफ्तारी का समय
8	दस्तावेज सामग्री जो अभियुक्तों के पास पाये गये।
9.	गिरफ्तारी के समय पर उपस्थित स्वंतत्र गवाह का नाम और पता
10.	गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
11.	जिस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उसके द्वारा घोषित संबंधी/मित्र का नाम
12.	स्थानीय पुलिस स्टेशन का नाम जहां पर गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा गया हो अथवा आरोपी की हिरासत का अन्य स्थल

(वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (3) के तहत)

21.2.15.7 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघों के बस्तियों के समीप भटकने से उत्पन्न संकट से निपटने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया निम्नानुसार है –

1. **शीर्षक :–** बाघों के बस्तियों के समीप भटकने से उत्पन्न संकट से निपटने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया।
2. **विषय :–**बाघों के मानव–बहुल भू–दृश्यों में भटकने से उत्पन्न संकट से निपटना।
3. **संदर्भ :–** इस विषय पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाहकारी।
4. **उद्देश्य :–** यह सुनिश्चित करना कि भटके हुये बाघों से अत्यधिक सही ढंग से निपटा जाये, ताकि न तो मानव या मवेशी हताहत हों और न बाघ को ही कोई क्षति पहुंचे।
5. **संक्षेपिका :–** इस मानक प्रचालन प्रक्रिया में उन बुनियादी न्यूनतम प्रयासों का प्रावधान किया गया है, जो बाघों के मानव–बहुल भू–दृश्यों में भटकने से उत्पन्न संकट से मैदानी–स्तर (टाइगर–रिजर्व तथा अन्यत्र) पर निपटने के लिए आवश्यक हैं।

6. **विषय–क्षेत्र :–** यह मानक प्रचालन प्रक्रिया टाइगर–रिजर्व सहित मैदानी वन निकायों पर लागू होती है। यह उन सभी क्षेत्रों पर भी लागू होती है जहाँ ऐसी घटनायें हों।
7. **उत्तरदायित्व :–** टाइगर रिवर्ज और उपान्त (फ्रिंज) क्षेत्रों में क्षेत्र–संचालक का उत्तरदायित्व होगा। संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य) के लिए संबंधित संरक्षित क्षेत्र–संचालक उत्तरदायी होगा। अन्य क्षेत्रों (राजस्व भूमि/कंजर्वेशन रिजर्व/कम्युनिटी रिजर्व/गांव/बस्ती) के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार वन्यप्राणी अभिरक्षक या वनमण्डलाधिकारी/उप वन संरक्षक (जो भी क्षेत्र–प्रभारी हो) उत्तरदायी होगा। राज्य–स्तर पर समग्र उत्तरदायित्व संबंधित राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का होगा।

8. भटके हुये वन्य मांसभक्षी (बाघ, तेन्दुये) से निपटने हेतु मैदानी कार्यवाही के लिये सुझाव :–

   i. प्रारंभ में ही तकनीकी निर्देश देने तथा दैनंदिन आधार पर मॉनीटरिंग हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन करें :–

      (अ) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा नामित व्यक्ति।

      (ब) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नामित।

      (स) एक पशुचिकित्सक।

      (द) स्थानीय अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

      (इ) स्थानीय पंचायत – प्रतिनिधि।

      (ई) क्षेत्र संचालक/संरक्षित क्षेत्र संचालक/प्रभारी वनमण्डलाधिकारी– अध्यक्ष

   ii. चूंकि भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा सदैव सहायता करना संभव नहीं होगा अतः यह परामर्श दिया जाता है कि सतत् मॉनीटरिंग के लिये कुछ बाहरी विशेषज्ञों को संलग्न किया जाये।

iii. कैमरा ट्रेप चित्रों की बाघ के कैमरा ट्रेप चित्रों के राष्ट्रीय संग्रह (एन.आर.सी.टी.पीटी)/रिजर्व जैविक फोटो डेटा–बेस से तुलना करके बाघ की पहचान करें और इस पशु का मूल रहवास तलाशें कि यह कहाँ से आकर भटका है। गारे स्थल यानी किल साइट पर कैमरा ट्रेप लगायें और इसके अतिरिक्त पदचिन्हों के लिये धूल पैडों की व्यवस्था तथा मांसभक्षी पशु की दैनंदिन दिक्सूचक गतिविधि की निगरानी करें।

iv. जिस स्थान से जनहानि की सूचना मिली हो वहां भीड़ एकत्रित न होने देने के लिए जिला प्रशासन (कलैक्टर/एस.डी.एम./एस.पी.) को सूचित करें ताकि वे स्थानीय लोगों को चेतावनी दे दें।

v. जनहानि करने वाले पशुओं की पहचान करें। यह कार्य गठित समिति, कैमरा ट्रेपिंग, प्रत्यक्ष अवलोकन, पदचिन्ह आदि की सहायता से किया जा सकता है। यदि कैमरा ट्रेपिंग संभव नहीं हो तो मांसभक्षी के बाल, मल (यदि उपलब्ध हों) आदि डी.एन.ए. प्रोफायल हेतु एकत्रित करें।

vi. जन–हानि दो प्रकार से होती है– संयोगवश और आदतन। इन दोनों का अंतर समझें।

vii. चूंकि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के वनों में बस्तियों के अधिकार हैं– चराई, वनोपज एकत्रीकरण आदि– अतः संयोगवश बाघ–मानव टकराव के हालात अधिकांशतः बनते हैं। फिर बाघ नदी किनारे मवेशियों या नीलगाय का शिकार करते समय बहुधा कृषि क्षेत्रों, गन्ने के खेतों आदि के आवरण का उपयोग करते हैं जिसके कारण भी इंसान से घातक टकराव हो जाता है। ऐसे पशु को 'नरभक्षी' घोषित नहीं करना चाहिए। परन्तु जो बाध या तेन्दुये आदतन नरभक्षी हैं, जिनकी पुष्टि हो चुकी है और जो इंसान का पीछा करके उसे मार कर खाते हैं, उन्हें 'नरभक्षी' समझा जा सकता है।

viii. ऐसे बाघ/तेन्दुये को 'नरभक्षी' घोषित करने के पूर्व मैदानी साक्ष्य के आधार पर काफी जांच–पड़ताल कर लेने की आवश्यकता होती है। कभी–कभी ऐसा होता है कि दुर्भाग्य से मारे गये व्यक्ति को भी मांसभक्षी खा लेता है–विशेषकर जहां कम शिकार मिलता हो ऐसे क्षेत्र में विचरण करने वाली प्रजननशील या शावकों वाली बाघिनें। मगर ऐसी घटनायें बाघ/तेन्दुये को 'नरभक्षी' घोषित करने के लिये काफी नहीं है। इसके लिये तो विषयक मांसभक्षी की प्रवृत्तियों की पुष्टि करना होगी कि क्या वह इंसान का पीछा करके उसे मार कर खाता है और प्राकृतिक शिकार नहीं करता या उसे भटकाता है।

ix. मवेशीखोर को किसी भी हालात में आदमखोर/घोषित नहीं करना चाहिये फिर चाहे वह बस्ती के समीप ही क्यों न आ धमकता हो। ऐसी स्थिति में अप्रिय घटनायें टालने के लिये इस पशु को केवल पकड़ने का ही प्रयास करना चाहिए। इसके लिये पिंजड़े के अलावा रासायनिक निश्चेतीकरण का उपाय भी है।

x. ऐसे मांसभक्षी पशु को आकर्षित करने का प्रयास करने के अलावा उसके विचरण क्षेत्र में स्वचालित पिंजड़े गारा सहित रखें।

xi. यदि उसे इस प्रकार पकड़ने के प्रयास निरंतर असफल हो जायें ंतो फिर विषयक पशु के निश्चेतीकरण के लिए विशेषज्ञ टीम का गठन करके संलग्न प्रोटोकाल के अनुसार काम करें।

xii. पहली राय तो अनिवार्यतः विषयक पशु को पिंजड़े या निश्चेतीकरण द्वारा पकड़ने की ही होना चाहिए। इस प्रकार बंदीकृत पशु को समीपवर्ती वन में न छोड़कर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर यानी जू में भेजना चाहिए।

xiii. 'नरभक्षी' मानकर ऐसे बाघ/तेन्दुये का खात्मा तो अंतिम विकल्प होना चाहिये। निर्दिष्ट विवरणों के अनुसार उसे जीवित पकड़ने

के सभी विकल्प जब समाप्त हो जायें तभी उसे विधिवत् खत्म किया जाये।

xiv. राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को चाहिए कि वह काफी परिश्रम और परीक्षण के बाद ही किसी बाघ/तेन्दुये को 'नरभक्षी' घोषित करें और इसके कारण लिखित में बतायें।

xv. ऐसे वन्यपशु को 'नरभक्षी' घोषित करने के पश्चात उसका खात्मा किसी सक्षम–समर्थ विभागीय कर्मी द्वारा किया जाना चाहिए जिसे सही बोर (0.375 मेग्नय से कम नहीं) का आग्नेयास्त्र दिया जाये। यदि विभाग में ऐसी विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है तो फिर किसी दूसरे राज्य से या बाहर से कोई अन्य अधिकृत विशेषज्ञ बुलाया जाये।

xvi. ऐसे नरभक्षी की समाप्ति के लिये कोई पुरस्कार घोषित न किया जाये।

21.2.15.8 प्रतिरोधक और सक्रियवादी प्रयास

1. संकटास्पद स्थलों में जिले की पहचान करें।
2. ऐसे क्षेत्रों में बाघों के बहुधा भटकने के कारणों को जानने के लिये विज्ञानाधारित शोध और विश्लेषण करें।
3. फॉरेस्ट–पैचों, बाघ विचरण क्षेत्रों, समीपस्थ बस्तियों और गलियारों का गूगल–मानचित्र बनायें।
4. वायरलैस से सुसज्जित स्थानीय व्यक्तियों की निगरानी टीम बनाकर त्वरित प्रतिक्रिया के आधार पर 24ग7 निगरानी करें।
5. त्वरित चेतावनी तंत्र स्थापित करें।
6. समीपस्थ ग्रामों को अत्याधिक सावधान रहने के लिये पाबंद करें।
7. मवेशीखोरी की निगरानी करके तुरंत क्षतिपूर्ति राशि दें।
8. रात्रि में बाघों के विचरण की निगरानी करने के लिये विद्युतीय चौकसी का उपयोग करें।
9. जलाशयों, गारों, विद्युत लाइनों आदि की नियमित मॉनीटरिंग करें।

10. घातक टकराव टालने के लिये ऐसे वन्यपशु के बंदीकरण हेतु क्विक रिस्पांस टीम का तुरंत गठन करें। ऐसी टीम के लिये निम्नांकित उपकरण और साज–सज्जा सुनिश्चित की जाये।

(क) एक फील्ड वेन/मिनी ट्रक जिसमें ट्रेप–केज रखा जा सके और उसमें उपकरणों तथा कर्मियों के लिये भी स्थान हो।

(ख) रसायनिक निश्चेतीकरण हेतु औषधियों सहित सभी साज–सामान हो।

(ग) संबंधित पशु के त्वरित निश्चेतीकरण हेतु टेसरगन भी हो।

(घ) अधिकारियों से सतत् सम्पर्क हेतु दो मोबाइल फोन

(च) चार वायरलैस हैंडसैट।

(छ) दो जी.पी.एस सैट्स।

(ज) अंधेरे में देखने हेतु चार लॉंग रेंजिंग नाइट विज़न।

(झ) एक डिजिटल कैमरा

(त) चार ट्रेप–केज (दो पिंजड़े बाघ के, दो तेन्दुए के लिये)

(थ) ऊंचे–नीचे स्थलों में परिवहन हेतु एक मिनी ट्रैक्टर।

(द) दो सर्चलाइट।

(ध) रिसीवर और एन्टेना सहित दो रेडियो कॉलर।

(न) दो पोर्टेबल तम्बू।

(प) पोर्टेबल हाइड जो निश्चेतीकरण उपकरणों सहित कर्मियों के उपयोग के

लिये तुरंत लगाई जा सके।

(फ) दो फोल्डिंग कुर्सी–टेबल।

(ब) हाथ चालित ऑडियो सिस्टम

(भ) रस्सी और जाल।

(म) प्राथमिक उपचार किट।

11. बिना किसी विघ्न–बाधा के संबंधित वन्य पशु की गतिविधियों की सतत् निगरानी के लिये त्वरित बचाव दल की आवश्यकता होती है।
12. इसके अलावा जो स्थान जलावेष्ठित नहीं है वहां कैमरा ट्रेप लगाकर वन्य पशु की पहचान की जाये। इन्हें बल्ली या वृक्ष पर लगाया जा सकता है।
13. त्वरित बचाव दल के लिये फील्ड प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण ज़रूरी है। उन्हें अपने काम में प्रशिक्षित बनाने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान अथवा प्रासंगिक बाहरी विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है।

21.3 वनमण्डल के अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र में प्रबंधनः–

भोपाल वनमण्डल के बाघ विचरण क्षेत्रों में प्रबंधन आलेख भाग–2 के अध्याय–17 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

———00———

अध्याय–22
अकाष्ठीय वनोपज (परस्परव्यापी) प्रबंधन वृत्त।
(Non-Timber Forest Produce Management)

22.1 प्रबंधन वृत्त का सामान्य विवरण :–

अकाष्ठीय वनोपज संपूर्ण कार्य आयोजना क्षेत्र में कुछ न कुछ मात्रा में पायी जाती है, परन्तु प्रबंधन के उद्देश्य से इसमें उन्हीं वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहाँ पर अकाष्ठीय वनोपज वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या पूर्व में इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी परन्तु वर्तमान में अनियंत्रित विदोहन, जैविक दबाव के कारण इनकी मात्रा में कमी आई है एवं कुछ अकाष्ठीय प्रजातियाँ जैसे–कुसुम, केकड़, सलई, धामन, कुल्लु, बीजा, तिन्सा, कुंभी, आदि लुप्तप्रायः की स्थिति में आ चुकी हैं।

काष्ठ को छोड़कर वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे–रेशे, घास, तेंदू, औषधीय पौधे, तेल, बीज, गोंद, लाख, शहद, फल, आँवला, घोंट, बेर, चिरौटा इत्यादि अकाष्ठीय वनोपज की श्रेणी में आते हैं। अकाष्ठीय वनोपज वन्य प्राणियों के आहार एवं वनों के आस–पास रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही इन्हें रोजगार, आय एवं अभाव के दिनों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः इनका संरक्षण, संवहनीय प्रबंधन एवं कुशल उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण, ग्रामीण एवं आदिवासी अर्थव्यवस्था एवं वन्य प्राणियों के रहवास, आहार, स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

बढ़ती जनसंख्या, अन्य वैकल्पिक आय स्त्रोतों के अभाव तथा बाजार में अकाष्ठीय वनोपज की माँग में गुणोत्तर वृद्धि एवं निजी क्षेत्रों में इनकी कमी के फलस्वरूप वनों से इनका अनियंत्रित विदोहन हो रहा है जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गई हैं तथा कई प्रजातियों की बढ़त नहीं हो पा रही है। वर्तमान में इनके प्रबंधन की पोषणीय विदोहन पद्धति नहीं अपनाई जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप इनके पुनरुत्पादन तथा वन्य प्राणियों को इनकी उपलब्धता में कमी आई है। अकाष्ठीय वनोपज, औषधीय पौधों के संवहनीय प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे जिससे ग्रामीणों को

इनकी पूर्ति के साथ–साथ वन्य प्राणियों को भी आहार के रूप में उपलब्धता बनी रहे। प्रबंधन में यह विशेष प्रयास करने होंगे कि लघुवनोपज की प्रजातियाँ विलुप्त न होने पायें तथा इनका पुनरुत्पादन एवं विकास हो।

22.2 प्रबंधन वृत्त के गठन के मुख्य उद्देश्य :–

अकाष्ठ वनोपज प्रबंधन के निम्नांकित उद्देश्य हैं –

1. जैव विविधता को संरक्षित एवं समृद्ध करना।
2. पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखते हुए ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ–साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अभाव के दिनों में खाद्य सुरक्षा प्रदाय करना।
3. अकाष्ठ वनोपज के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देना।
4. संकटापन्न एवं लुप्त प्रायः अकाष्ठीय वनोपज को सुरक्षा प्रदाय करना तथा उनकी संख्या एवं क्षेत्र का विस्तार करना।
5. विनाश विहीन पोषणीय प्रबंधन पद्धति से विदोहन की परम्परा ग्रामीणों में पैदा करना जिससे वनोपज की सतत् उपलब्धता बनी रहे।
6. वन्य प्राणियों को पौष्टिक आहार की उपलब्धता में वृद्धि करना।

22.3 अकाष्ठीय वनोपज के क्षेत्रों का वर्गीकरण :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न अकाष्ठीय लघुवनोपज तथा औषधीय प्रजाति के पौधों को उपलब्धता के आधार पर निम्न दो श्रेणियों में रखा जा सकता है :–

श्रेणी 'अ' – ऐसे क्षेत्र जहाँ पूर्व में अकाष्ठीय वनोपज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी परन्तु वर्तमान में इनकी उपलब्धता काफी कम हो गई है। ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास आवश्यक है।

श्रेणी 'ब' – ऐसे क्षेत्र जहाँ अकाष्ठीय वनोपज पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। इनका संरक्षण आवश्यक है।

22.4 अकाष्ठीय वनोपज की उपलब्धताः–

भोपाल वनमण्डल के अन्तर्गत वन संसाधन सर्वेक्षण, स्थानीय संग्राहकों से चर्चा एवं हाट बाजार में संबंधित व्यापारियों से चर्चा करने पर वनमण्डल के अन्तर्गत अकाष्ठीय वनोपज का आकलन किया गया है–

तालिका क्रमांक–22.1

प्रजातिवार संनिधि का विवरण

प्रजाति	वृक्ष संख्या प्रति हेक्टेयर	आयतन प्रति हे. (घ.मी.)
तेंदू	49.412	1.083
पलाश	30.915	1.279
धावड़ा	27.353	0.811
दूधी	12.614	0.209
खैर	11.111	0.178
महुआ	9.771	1.517
अचार	8.627	0.368
अमलतास	4.935	0.074
बहेड़ा	1.373	0.159
बेल	0.719	0.012
कुल्लू	0.458	0.036
आंवला	0.327	0.025
अर्जुन	0.098	0.009

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि अत्यधिक जैविक दबाव के कारण लघु वनोपज प्रदाय करने वाली प्रजातियाँ अत्यन्त कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, फलस्वरूप इनका पुनरुत्पादन भी कम होता जा रहा है। कई प्रजातियाँ जैसे कुल्लू, आदि की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति (Critical stage) में पहुँच गई है तथा यह प्रजातियाँ संकटापन्न स्थिति में हैं। वनों में लघुवनोपज की सतत् प्राप्ति बनाये रखने हेतु इन प्रजातियों की वन संनिधि पर ध्यान देते हुये इनके विकास एवं विस्तार हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता होगी।

अकाष्ठ वनोपज का उत्पादन वनमण्डल में अनेकों प्रकार के अकाष्ठ वनोपज उत्पादन होता है परन्तु केबल तेंदुपत्ता का ही वर्षवार संग्रहण किया जा रहा है। एवं उसके अभिलेख भी रखे जाते है। अन्य अकाष्ठ/लघुवनोपज के संग्रहण से संबन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

इनके अतिरिक्त कई औषधीय पौधों तथा अन्य लघुवनोपज का संग्रहण ग्रामीण अपने स्वयं के उपयोग तथा बाजार विक्रय हेतु करते हैं। अकाष्ठीय वनोपज का महत्व वर्तमान संदर्भ में और भी बढ़ गया है। वनों में निवासरत ग्रामीणों हेतु भी ये आजीविका के प्रमुख स्त्रोत के रूप में विकसित हो रहे हैं। वनक्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण परिवारों की आय के प्रमुख स्त्रोत के रूप में लघुवनोपज समृद्ध क्षेत्र हैं।

22.5 प्रमुख अकाष्ठ वनोपज प्रजातियाँ :–

भोपाल वन मंडल के वन क्षेत्र अकाष्ठ वनोपज प्रदाय करने वाली वानस्पतिक प्रजातियों से परिपूर्ण हैं। वनमण्डल में प्रमुख रूप से पलाश, धावड़ा, अमलताश, दूधी, खैर, महुआ, अचार, बहेड़ा इत्यादि अकाष्ठ वनोपज का उत्पादन होता है परन्तु केबल तेंदुपत्ता का ही वर्षवार संग्रहण किया जा रहा है। एवं उसके अभिलेख भी रखे जाते है। अन्य अकाष्ठ/लघुवनोपज के संग्रहण से संबन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

22.6 संग्रहण काल :–

अकाष्ठ वनोपज के प्रबंधन में इन प्रजातियों के पौधों के उपयोगी भाग का संग्रहण काल अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है तथा संग्रहण काल की सही जानकारी अकाष्ठ वनोपज के विनाश विहीन प्रबंधन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देखने में आया है कि ग्रामीणों द्वारा जानकारी के अभाव में या वनोपज शीघ्र प्राप्त करने के लोभ में उपयोगी भाग को पूर्ण विकसित होने से पूर्व ही तोड़ लिया जाता है, जिससे वनोपज का उत्पादन कम हो जाने के साथ–साथ गुणवत्ता का भी ह्रास होता है, क्योंकि वनोपज के उपयोगी भाग के भौतिक विकास के साथ–साथ रासायनिक गुण भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार अविकसित स्थिति में ही संग्रहित कर ली गई वनोपज का बाजार में सही मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। कार्य आयोजना क्षेत्र की वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली प्रमुख लघु वनोपज का वनों में संग्रहण अवधि का विवरण निम्न्ाुनसा तालिका– 22.2 में वर्णित है।

तालिका – 22.2
लघु वनोपज का वनों में संग्रहण अवधि

लघुवनोपज	वनों में उपलब्धता अवधि
सतावरी– कंद	अक्टूबर – दिसम्बर
नीम–निमोली	जून
आँवला फल	दिसम्बर– जनवरी
घावड़ा गोंद /घटटी	अक्टूबर– जून
बायबिडंग बीज	नवम्बर – दिसम्बर
अडूसा जड़	अक्टूबर – नवम्बर
हिंगोट बीज	नवम्बर – दिसम्बर
पुनर्नवा जड़ एवं पत्ती	अक्टूबर – मार्च
चिरौंजी फल	अप्रैल –मई
अमलताश फली	मई –अगस्त
अमलताश फूल	जनवरी
मालकांगनी बीज	अक्टूबर – जनवरी
मण्डूकर्णी पत्ती	सम्पूर्ण वष्र्ा
सफेद मूसली जड़	अक्टूबर – नवम्बर
नागरमोथा जड़	अक्टूबर – नवम्बर
चरोटा बीज	अक्टूबर – नवम्बर
बेलपत्र फल	मार्च –जून
भृंगराज जड़	अक्टूवर – नवम्बर
शंखपुष्पी पत्ती	अगस्त–दिसम्बर
कलिहारी जड़	अक्टूबर – नवम्बर
म्हुआ	फरवरी–अप्रैल
आम गुठली	अप्रैल–जुलाई
सियारी छाल एव फूल	सितम्बर–अक्टूबर
चित्रक मूल	फरवरी–मई
करंज बीज	दिसम्बर–जनवरी
कुसुम बीज	जून–जुलाई
चिरायता पत्ती	अक्टूबर–नवम्बर
कूल्लू गोंद	अक्टूबर–जून
जामुन बीज	जून –जुलाई
इमली फल	अप्रैल–जून
गिलोय	मार्च –जून
गोखरु फल	सितम्बर–दिसम्बर
बहेड़ा फल	जनवरी–फरवरी
निर्गुण्डी	मई –जून
पलाश फूल बीज	फरवरी – मार्च
धवई फूल	जनवरी–अप्रैल
बेर	जनवरी– मार्च

22.7 प्रमुख प्रजातियों की वनों में संनिधि :–

भोपाल वन मडल में लघुवनोपज का अपार भंडार है, किन्तु यह भी निर्विवाद सत्य है कि इस वन संपदा पर जैविक दबाव भी बहुत अधिक बढ़ता

जा रहा है जिस कारण इस वन संपदा की मूल पूँजी तेजी से घटती जा रही है। वन संसाधन सर्वेक्षण के दौरान वन मंडल के लघु वनोपज प्रदाय करने वाले प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की संनिधि की स्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका–22.1 में वर्णित है।

22.8 अकाष्ठीय वनोपज का व्यापार :–

अकाष्ठीय वनोपज के व्यापार हेतु राज्य स्तर पर म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ तथा जिला स्तर पर जिला लघु वनोपज संघ संचालित हैं। जिला लघुवनोपज यूनियन भोपाल द्वारा वर्ष 2019 में 26890 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया। संग्रहण दर 2000 रू/– प्रति मानक बोरा से कुल पारिश्रमिक राशि 53780000/– वितरण की जा रही है। संग्राहकों की संख्या 23041 है। इससे लगभग 3260 मानव दिवस का रोजगार संग्राहकों को प्राप्त हुआ।

तेन्दूपत्ता का संगठित रूप से संग्रहण एवं व्यापार किया जाता है। परन्तु शेष अकाष्ठीय वनोपज की उपलब्धता तथा व्यापार के संबंध में संस्थागत रूप से स्थिति मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अकाष्ठीय वनोपज के विक्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ–साथ इनके भंडारण की व्यवस्था आवश्यक है। म0प्र0 लघुवनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। तदानुसार ही ग्रामीणों को उचित मूल्य मिल सके, इसको सुनिश्चत किया जाना आवश्यक है। प्राथमिक लघुवनोपज समितियों को सक्रिय किया जाकर अकाष्ठीय वनोपज के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर व्यापार हेतु अकाष्ठीय वनोपज के संग्राहक मुख्यतः स्थानीय बिचौलियों पर निर्भर करते हैं। इस कारण से उनके द्वारा ग्रामीणों का शोषण भी किया जा रहा है। संस्थागत व्यापार से बिचौलियों के शोषण से बच सकते हैं एवं संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सकता है।

22.9 अकाष्ठीय वनोपज के अनियंत्रित विदोहन के कारण :–

लघुवनोपज एवं औषधियों के तीन प्रमुख उपयोगकर्ता स्थानीय ग्रामीण, उद्योग एवं उपयोगकर्ता हैं इनके आपसी संबंधों, क्रियाकलापों, ग्रामीणों की

आर्थिक स्थिति, अन्य वैकल्पिक आय स्त्रोतों का अभाव, मूल्य संवर्धन प्रयासों में कमी तथा बाजार व्यवस्था के प्रभाव, स्त्रोतों पर सामुदायिक नियंत्रण एवं भागीदारी का अभाव, प्रभावी विभागीय नियंत्रण का अभाव आदि अनियन्त्रित विदोहन के रूप में परिलक्षित होता है, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

22.9.1 सामयिक विदोहन की जानकारी का अभाव :–

प्रजातिवार अकाष्ठीय वनोपज का विदोहन कितनी मात्रा में और कब किया जाना है, इस जानकारी का अभाव न केवल ग्रामीणों को है बल्कि वन कर्मचारियों को भी है, जिसके परिणामस्वरूप असामयिक विदोहन होता है।

22.9.2 विदोहन की वैज्ञानिक पद्धति का अभाव :–

विशेष तौर पर औषधीय पौधों के सन्दर्भ में विदोहन की सही पद्धति के ज्ञान के अभाव के परिणामस्वरूप अनियंत्रित दोहन प्रमुख कारण रहा है।

22.9.3 पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था का अभाव :–

मध्य प्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 (परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–94 में दिया गया है।)

परिशिष्ट क्रमांक–97) तथा म.प्र. संरक्षित वन नियम, 2005 के पूर्व कोई प्रभावी वैधानिक व्यवस्था नहीं थी, मात्र कुछ प्रजातियों की कटाई, छाल निकालने आदि पर प्रतिबंध था। जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण किया जाना बहुत प्रभावी नहीं रहा।

22.9.4 जैविक दबाव :–

जलाऊ के उद्देश्य से बहुत से अकाष्ठीय पौधों की युवा सस्य का उपयोग हुआ जिससे अकाष्ठीय वृक्षों की संख्या में काफी कमी आई। इसी प्रकार चराई भार अत्यधिक होने के कारण भी अकाष्ठीय वनोपज के क्षेत्र में ह्रास हुआ। अग्नि दुर्घटनाओं के कारण शाकीय औषधीय प्रजातियाँ सबसे अधिक प्रभावित हुईं हैं।

22.9.5 अकाष्ठीय वनोपज के प्रति दृष्टिकोण :–

सामान्यतः अकाष्ठीय वनोपज के प्रबंधन की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं रहा। अधिकांश संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों में मुख्य वनोपज काष्ठ के ऊपर ही अधिक ध्यान रहा।

22.9.6 वन वर्धनिक कार्य :–

कूपों में वृक्षों के चिन्हाँकन के दौरान बेला कटाई एवं कुछ प्रजातियों को खरपतवार के रूप में उन्मूलन के परिणामस्वरूप कई मूल्यवान प्रजातियाँ वन क्षेत्रों से कम हुईं हैं। रोपण कार्य के दौरान अधिकांशतः रोपण काष्ठ प्रजातियों का हुआ एवं अकाष्ठीय वनोपज का रोपण कम हुआ जिससे अकाष्ठीय प्रजातियों का विस्तार बहुत कम हुआ।

22.9.7 लघुवनोपज, वन औषधियों की बढ़ती माँग :–

लघुवनोपज एवं वन औषधियों की बाजार में बढ़ती माँग के कारण इनका अनियंत्रित दोहन हुआ है। पूर्व में पारम्परिक रीति अनुसार स्थानीय ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक लघुवनोपज पर आश्रित रहे हैं, परंतु इनकी बढ़ती बाजार माँग के साथ–साथ केवल घरेलू आवश्यकता पूर्ति के साधन तक ये सीमित नहीं रह गये बल्कि आय के आसान विकल्प के रूप में उभर कर आये हैं।

22.9.8 संसाधनों में कमी :–

समय के साथ बढ़ते संसाधनों एवं सूचना तंत्र के विकास के साथ स्थानीय ग्रामीण, जो कभी विकास की मुख्य धारा से अलग थे आज बाहरी दुनिया के प्रति जानकार हो गये हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी नियंत्रण से प्रभावित हो रहे हैं और स्थानीय संसाधनों में गिरावट आ रही है। लघुवनोपज वन औषधियों के संग्रहण में एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और इसके विपरीत प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहे हैं।

22.9.9 संगठित व्यापार व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण :–

लघुवनोपज संग्रहणकर्ता या उत्पादकों की यद्यपि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति गठित की गई हैं परंतु लघुवनोपज के प्रतिनिधि क्रेता से उनका कार्य व्यवहार व्यक्तिगत ही रहा है जिसके परिणामस्वरूप लघुवनोपज के प्राथमिक संग्रहणकर्ता की मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रही। अतः आजीविका निर्वहन के लिए अधिक आमदनी प्राप्ति के कारण ''प्रथम आओ, प्रथम पाओ'' की धारणा से प्रभावित हुई एवं परिणामतः लघुवनोपज का अनियंत्रित दोहन वनों से हुआ। लघुवनोपज परिपक्व होने के पहले ही उपयोग की जाने लगी एवं

शीघ्र, अधिक से अधिक धन प्राप्ति की लालसा के परिणामस्वरूप वृक्षों की डालियाँ काटकर वनोपज प्राप्त करना एवं औषधीय पौधे को पूर्ण रूप से निकालने की प्रवृत्ति बढ़ी। आय के अन्य वैकल्पिक संसाधनों के अभाव ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। व्यक्तिगत संग्रहणकर्ताओं के संग्रहण की मात्रा अलग–अलग काफी कम होने के कारण वे बड़े व्यापारियों से सीधे संपर्क नहीं कर पाते जिसके परिणाम स्वरूप वे स्थानीय बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, जो उपज को आगे बाजार व्यवस्था में ले जाते हैं।

22.9.10 सूचनाओं का अभाव :– वन उपज की माँग, मात्रा, दरें, विक्रय स्थल आदि की जानकारी के अभाव के परिणामस्वरूप ग्रामीणों को कम दरें प्राप्त होती हैं और अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से अनियंत्रित दोहन होता है।

22.9.11 बाजार व्यवस्था :–

बाजार में वन उपज की माँग एवं उसकी उपलब्धता की जानकारी, बाजार की क्षमता के आकलन के साथ–साथ उसकी खेती तथा संरक्षण के विश्लेषण हेतु आवश्यक है। बाहरी बाजार हमारे वन संसाधनों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। उक्त जानकारी के अभाव में अकाष्ठीय वनोपज की ग्रामीण स्थानीय बाजार में कम दामों पर विक्रय करते हैं साथ ही बाजार माँग का अनुमान न होने से आवश्यकता के अनुरूप इनकी खेती नहीं कर पाते जिससे अकाष्ठ वनोपज उत्पादन के प्रति कोई रूचि निजी क्षेत्र में नहीं होती और अधिक से अधिक वनक्षेत्र से प्राप्ति का उद्देश्य रहता है।

22.9.12 वन संसाधनों पर नियंत्रण :–

वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा समाज के कमजोर तबके से संबंध रखते हैं जिनकी अपनी आवाज बहुत कम है। इनके आर्थिक क्रियाकलाप वनों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जब कभी भी वनोपज से होने वाली आय बढ़ती है तो विभिन्न ग्रामों में अधिक और शीघ्र आय उपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यद्यपि लघुवनोपज से प्राप्त आय सीमित होती है। फिर भी ये आय इनके आय के साधनों में एक महत्वपूर्ण अंश होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर समूह के नियंत्रण एवं जबावदारी के अभाव के

परिणामस्वरूप शासकीय नियंत्रण भी प्रभावी रूप से अनियंत्रित विदोहन को रोकने में सफल नहीं हो पाता।

22.9.13 मूल्यांकन एवं मूल्य नियंत्रण प्रक्रिया :–

लघुवनोपज के विक्रय हेतु इनके बाजार बहुत कम हैं किन्तु संग्रहणकर्ता अधिक हैं। करोंद, बैरसिया, नजीराबाद, रायसेन एवं भोपाल क्षेत्र के साप्ताहिक बाजारों में ही ग्रामीण अकाष्ठीय वनोपज का विक्रय करते हैं। इसी प्रकार इनके बड़े व्यापारियों की संख्या भी कम है। इसलिये इनमें मूल्य निर्धारण में आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अतः संग्रहणकर्ताओं का मूल्य निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। आय के अन्य साधनों के विकल्प की कमी इनमें अधिक से अधिक संग्रहण करने की प्रवृत्ति को जन्म देती है।

22.9.14 उपयोगकर्ता को आवश्यकताओं की जानकारी न होना :–

उद्योगों को किस अकाष्ठ वनोपज की कब एवं कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इस ज्ञान की कमी के कारण लघुवनोपज के उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल पाया है एवं निजी क्षेत्र में इनका उत्पादन नहीं के बराबर है।

22.9.15 इच्छा शक्ति की कमी :–

विभागीय एवं सामुदायिक इच्छा शक्ति की कमी के परिणामस्वरूप वन क्षेत्रों से अनियंत्रित विदोहनहोता है।

22.9.16 ग्रामीणों की कमजोर आर्थिक स्थिति :–

वनक्षेत्रों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिक से अधिक लघु वनोपज के संग्रहण एवं शीघ्र विक्रय करने की प्रवृत्ति रहती है।

22.9.17 भण्डारण सुविधा का अभाव :–

भण्डारण सुविधा के अभाव के कारण भी लोग बढ़ी हुई दर पर विक्रय करने से वंचित रह जाते हैं परन्तु वर्तमान में भोपाल वनमण्डल के अन्तर्गत भंडारण एवं प्रसंस्करण की सुविधा है। इनका उपयोग किया जाना आवश्यक है।

22.9.18 मूल्य संवर्धन एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव :–

ग्रामीण क्षेत्रों में लघुवनोपज के मूल्य संवर्धन के तकनीकी ज्ञान की कमी एवं सुविधाओं के अभाव के कारण भी लोग उसी स्थिति में विक्रय कर देते हैं जिस स्थिति में उसका संग्रहण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक लाभ ग्रामीणों को प्राप्त नहीं हो पाता।

22.9.19 कुशल एवं जानकार व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी एवं उसके उपयोग का अभावः–

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वनोपज के जानकार व्यक्तियों की जानकारी विभाग को नहीं होती, जिससे अकाष्ठ वनोपज के सामयिक विदोहन पर नियंत्रण में ऐसे व्यक्तियों का उपयोग नहीं हो पाता।

22.10 अनियंत्रित विदोहन के प्रभाव :–

अकाष्ठीय वनोपज की कुछ प्रजातियों के उत्पादन में निरंन्तर कमी एवं कुछ प्रजातियों का विलुप्त होना, उनके अत्यधिक अनियंत्रित विदोहन के परिणामस्वरूप पाया गया है। अनियंत्रित विदोहन के फलस्वरूप निम्न प्रभाव पाये गये –

22.10.1. पकने के पूर्व फलों को सही आकार प्राप्त नहीं होता जिससे उत्पादन में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक कमी आयी है, जिसके फलस्वरूप उससे प्राप्त होने वाली आय प्रभावित होती है।

22.10.2. आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा एवं अनुपात में विकसित नहीं हो पाते हैं, जिससे इनकी गुणवत्ता तथा उपयोगिता प्रभावित होती है।

22.10.3. समय पूर्व फल तोड़ने से बीज परिपक्व नहीं हो पाते जिससे बीजों का अंकुरण भी प्रभावित होता है।

22.10.4. समय पूर्व विदोहन के कारण पक्षियों एवं अन्य वन्य प्राणियों को इनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, जिससे वन्य जीवों के पोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

22.10.5. कुछ प्रजाति विशेष का प्राकृतिक पुनरुत्पादन (बीज अंकुरण) तब तक नहीं हो पाता जब तक उनके बीज का उपचार पक्षी एवं अन्य जीवों की आहार नली में न हुआ हो। समय पूर्व एवं अनियंत्रित विदोहन के फलस्वरूप फलों की

प्राप्ति पक्षियों एवं अन्य जीव–जंतुओं को नहीं हो पाती जिससे इनके बीजों का उपचारण नहीं हो पाता एवं उनका पुनरुत्पादन प्रभावित होता है।

22.10.6. अनियंत्रित विदोहन के कारण परिपक्व फलों का भी क्षेत्र से लगभग पूर्णतः विदोहन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिपक्व बीज पुनरुत्पादन हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

22.10.7. शाक प्रजाति के एक वर्षीय औषधीय पौधों में वर्षा ऋतु के साथ ही वानस्पतिक वृद्धि होती है तथा सितम्बर–अक्टूबर माह में बीज पैदा होता है। असामयिक विदोहन के फलस्वरूप बीज उत्पादन प्रभावित होता है तथा परिपक्व बीज प्राप्त नहीं होते, जिससे इनका पुनरुत्पादन प्रभावित होता है। समय पूर्व विदोहन के फलस्वरूप इनमें औषधीय गुणों का विकास भी नहीं होता है।

22.10.8. अलग–अलग प्रजातियों की उपयोगिता हेतु पौधे के अलग–अलग वानस्पतिक भाग का उपयोग होता है। कुछ प्रजातियों के बीज, कुछ का तना, शाखा, कुछ की जड़ें तथा कुछ प्रजातियों के सभी अंगों का प्रयोग होता है। जिन प्रजातियों की जड़ें/कंद का उपयोग होता है उनके अनियंत्रित दोहन से पौधे पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। जिन पौधों के बीज का उपयोग होता है उनकी पुनरुत्पादन दर पर विपरीत प्रभाव पडता है । जिन पौधों की पत्तियों का उपयोग होता है, उनकी वनस्पतिक वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । जिन पौधों का पूर्ण भाग प्रयोग किया जा रहा है वे समूल रूप से नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं।

22.10.9. अनियंत्रित विदोहन से जैव विविधता भी प्रभावित होती है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

22.11 लघुवनोपज प्रबंधन की समस्याएँ :–

22.11.1 वनों का प्रबंधन सदियों से काष्ठ आधारित होने के कारण सभी लघुवनोपज के संबंध में स्थानीय अमले को विस्तृत ज्ञान उपलब्ध नहीं है तथा तेंदूपत्ते को छोड़ कर अन्य लघुवनोपज का प्रबंधन विगत दशक तक अधिक प्राथमिकता पर भी नहीं रहा है।

22.11.2 लघुवनोपज के उत्पादन एवं अन्तिम उपयोग में विभिन्न एजेंसियाँ शामिल तो हैं, किन्तु इनका कोई संस्थागत स्वरुप नहीं है।

22.11.3 विभिन्न लघुवनोपजों के वास्तविक उत्पादन तथा खपत की सही जानकारी का अभाव रहता है क्योंकि इस प्रकार की जानकारी संकलित करने की कोई विभागीय व्यवस्था नहीं है।

22.11.4 ज्यादातर लघु वनोपजों का वन क्षेत्र से संग्रहण अनियंत्रित रुप से होता है, जिसकी कोई व्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण विदोहन की जाने वाली प्रजातियों, मात्रा तथा क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। परिणामस्वरुप लुप्त प्रायः एवं संकटापन्न प्रजातियों का भी निरन्तर विदोहन होता रहता है।

22.11.5 लघुवनोपज की भण्डारण व्यवस्थाओं का संस्थागत रुप में अभाव होने के कारण संग्राहकों द्वारा ज्यादातर लघुवनोपज बिना मूल्य संवर्धन (Value addition) के ही विक्रय कर दी जाती है।

22.11.6 लघुवनोपज के विपणन की संस्थागत व्यवस्था न होने के कारण इनकी माँग विभिन्न स्तरों से संचालित होती है, जिस कारण मूल्यों में बहुत अधिक उतार–चढ़ाव होता है, जिसमें उतार का नुकसान स्थानीय ग्रामीणों को तो उठाना पड़ता है किन्तु चढ़ाव का समुचित लाभ उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि बीच में कई एजेन्सियाँ कार्यरत रहती हैं।

22.11.7 ज्यादातर लघुवनोपज के रोपण एवं विस्तार की व्यवहारिक तथा सुलभ तकनीक पूर्ण रुप से विकसित नहीं है, जिससे अधिक विदोहन हो जाने पर इन लघुवनोपजों की पुनर्स्थापना अत्यन्त कठिन है।

22.11.8 ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वनोपज का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था का अभाव रहा है। हालांकि अब इस दिशा में कई सार्थक प्रयास हो रहे हैं जिनके तहत ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की तथा इन व्यक्तियों को एलोपेथिक एवं अन्य प्रचलित उपचार पद्धतियों के आक्रमण से संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

22.12 रणनीति :–

वन क्षेत्रों से लघु वनोपज संग्रहण के उचित प्रबंधन हेतु वनक्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियों के साथ–साथ वनों से बाहर के क्षेत्रों की गतिविधियां भी समान रुप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वनक्षेत्रों से लघुवनोपज का संग्रहण वनक्षेत्रों से बाहर बाजार की उपलब्धता तथा माँग आदि पर भी निर्भर करता है। यह आवश्यक है कि लघु वनोपज संग्रहण से प्राथमिक संग्रहणकर्ता को उचित लाभ प्राप्त हो, अतः लघुवनोपज संग्रहण की रणनीति तैयार करने में निम्न लिखित पहलुओं पर सम्रग रुप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

- वनक्षेत्रों के उपचार।
- प्रशिक्षण।
- विपणन एवं भण्डारण।
- सम्पर्क व्यवस्था (Linkage)।
- निजी क्षेत्रों में विस्तार ।
- संग्रहण विधि।

22.13 लघु वन उपज प्रबन्धन वनक्षेत्रों के उपचार :–

लघुवनोपज का संग्रहण, विपणन, प्रसंस्करण जैसे सभी पहलुओं हेतु वन क्षेत्रों में लघु वनोपज की उपलब्धता मूलभूत आवश्यकता है। जब वन क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी तभी इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर रणनीति बनाई जा सकती है। अतः सर्वप्रथम वनक्षेत्रों में लघु वनोपज के संरक्षण एवं विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि इनकी सतत् उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

22.13.1 उपचार वर्ग :– उपरोक्त पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुये अकाष्ठीय वनोपज प्रदाय करने वाले क्षेत्रों को उपचारित करने हेतु प्रतिवर्ष उपचार की दृष्टि से वनमंडल के वनक्षेत्रों को दो उपचार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

वर्ग ''अ'' :– इस वर्ग में वे क्षेत्र होंगे जो उस वर्ष में मुख्य कार्यवृत्त के तहत उपचारित किए जायेंगे।

वर्ग ''ब'' :– इस वर्ग में शेष अन्य क्षेत्र शामिल रहेंगे।

22.13.2 प्रस्तावित उपचार :–

22.13.2.1 वर्ग ''अ'' हेतु

(अ) सामान्य उपचार –

- किसी भी कार्यवृत्त में फलदार वृक्षों विशेषकर महुआ, अचार, आँवला, बहेड़ा, गूलर, इमली, जामुन व तेन्दू को चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।
- संकटापन्न प्रजातियों कुल्लू, कुसुम, सेमल एवं बीजा के वृक्षों को चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।
- तेंदू, पलास, कुसुम, अर्जुन की कोमल पत्तियों के विकास हेतु आवश्यकतानुसार प्रूनिंग की जायेगी।
- इन क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण उपचार वर्ष के बाद तीन वर्षों तक प्रतिबन्धित रखा जायेगा।
- सभी कार्य वृत्तों में खैर ,सलई एवं धावड़ा प्रजातियों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन को अंगीकृत कर इसकी बढ़त एवं विकास हेतु उपचार किये जायेंगे।
- सुधार, पुनर्स्थापना,एवं वृक्षारोपण कार्यवृत्त में उपयुक्त क्षेत्र की उपलब्धता अनुसार संकटापन्न प्रजातियों यथा कुल्लू, कुसुम, बीजा एवं सेमल का बीजों एवं पौधा रोपण द्वारा वनीकरण कार्य किया जायेगा।
- सुधार, पुनर्स्थापना, एवं वृक्षारोपण कार्यवृत्त में कुल्लू कुसुम, सेमल एवं बीजा के प्राकृतिक पुरुत्पादन को अंगीकृत कर इसके विकास हेतु उपचार किये जायेंगे।
- सभी कार्य वृत्तों में कुल रोपित पौधों का 10 प्रतिशत हिस्सा फलदार प्रजातियों के पौधों का रखा जायेगा।

(ब) विशिष्ट उपचार :– विभिन्न कार्य वृत्तों में लघुवनोपज प्रदाय करने वाली प्रजातियों के संरक्षण हेतु निम्नानुसार प्रमुख प्रावधान किये जाते हैं –

❖ **सुधार कार्य वृत :–**

- उत्तम श्रेणी के बीजद वृक्षों को चिन्हाकित नहीं किया जायेगा।

- विरल तथा रिक्त वन क्षेत्रों में हल्की खुदाई कर खैर, तेंदू, महुआ, नीम, बेर, बहेड़ा, अमलतास व आँवला के बीजों की बुआई की जायेगी।
- रोपण योग्य क्षेत्रों में खैर, आँवला, बबूल आदि प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

❖ **वृक्षारोपण कार्यवृत्त** – रोपण योग्य क्षेत्रों में लघु वनोपज प्रदाय करने वाली प्रजातियों जैसे बांस, आँवला आदि को प्राथमिकता रहेगी।

22.13.2.2 वर्ग 'ब' हेतु –

- औषधीय प्रजातियों का विदोहन अक्टूबर माह के बाद या उन प्रजातियों के सम्पूर्ण औषधीय गुण विकसित होने के बाद किया जायेगा। वन औषधि प्रदाय करने वाली प्रजातियों में उपयोगी भाग की परिपक्वता हेतु सामान्यतः वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर माह तक का समय महत्वूपर्ण होता है। इन प्रजातियों के पौधों के औषधीय गुणों को विकसित होने के लिये इस बढ़त अवधि में व्यवधानमुक्त (Undisturbed) रहना नितान्त आवश्यक है। इस बढ़त अवधि के उपयोग के बाद ही पौधों में उपयोगी भाग की मात्रा भी पर्याप्त रुप से विकसित हो पाती है। यदि पौधों के उपयोगी भाग को इससे पूर्व तोड़ा जाता है, तो इसमें भौतिक मात्रा के साथ–साथ गुणवत्ता में भी कमी रहती है। अतः कार्य आयोजना क्षेत्र में इस व्यवस्था पर ध्यान दिया जावेगा कि औषधीय पौधों की प्रजातियों का उन प्रजातियों की सम्पूर्ण औषधीय गुण विकसित होने के बाद ही विदोहन किया जाये। इस व्यवस्था का यह भी लाभ है कि पौधों में इस अवधि में बीज भी पकने लगते हैं जिससे उन प्रजातियों के विस्तार एवं विकास हेतु बीज वन क्षेत्र में उपलब्ध रहता है।
- लघु वनोपज के विनाश विहीन एवं सतत् पोषणीय प्रबंधन हेतु यह आवश्यक है कि वनक्षेत्रों को विदोहन उपरांत पुनः विदोहन योग्य होने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो। यदि किसी वनक्षेत्र में औषधीय प्रजातियों का विदोहन लगातार होता रहता है, तो स्वभाविक ही है कि उस क्षेत्र में उन औषधीय प्रजातियों के पौधों का विकास एवं विस्तार विपरीत रुप से

प्रभावित होगा। अतः एक वर्ष में विदोहन होने के उपरांत उस क्षेत्र में आगामी दो वर्षों तक औषधीय प्रजातियों का विदोहन स्थगित रखा जाना भविष्य में सतत् उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। यदि उस क्षेत्र में सभी प्रजातियों के लिये यह व्यवस्था लागू करने में अड़चन हो तो भी क्षेत्र की विशिष्ठ प्रजातियों हेतु यह व्यवस्था आवश्यक रुप से लागू की जानी चाहिये ।

- वनोपज की पोषणीय सीमा तक ही विदोहन का निर्धारण वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय द्वारा किया जाना चाहिये। इस व्यवस्था को बनाने हेतु वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष लघु वनोपज विदोहन हेतु क्षेत्र निर्धारित किये जाने चाहिये तथा इन क्षेत्रों को उस वर्ष विदोहन उपरांत आगामी दो वर्षो में विदोहन हेतु प्रतिबंधित रखना चाहिये। व्यवहारिकता की दृष्टि से यह क्षेत्र सम्पूर्ण बीट के रुप में रखे जाने का सुझाव है। यह व्यवस्था सभी लघु वनोपज हेतु एक साथ अथवा प्रजाति विशेषवार भी की जा सकती है।
- जल उद्गम स्थल से 200 मीटर के घेरे में सभी औषधीय पौधों का विदोहन प्रतिबंधित रहेगा।
- विदोहन के बाद प्रजाति विशेष के मातृ पौधे या जड़ भण्डार को बनाए रखना अपरिहार्य होगा, इसलिए दोहन विधियाँ प्रत्येक वनोपज हेतु विशिष्ट रहेंगी। अधिकाधिक वनोपज प्राप्त करने के लोभ में लघु वनोपज प्रजातियों के वृक्षों को नुकसान पहुँचाने तथा छोटे आकार वाली औषधीय प्रजातियों के पौधों को जड़ सहित उखाड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वनक्षेत्रों में संग्रहण के दौरान आँवला ,चिरौंजी हेतु वृक्षों की कटाई भी देखने को मिलती है, इसी प्रकार वर्षा ऋतु के दौरान कंद वाली प्रजातियों के समूल पौधे उखड़े हुये दिखाई देते हैं। इन प्रवृतियों से लघुवनोपज का विनाश विहीन संग्रहण सुनिश्चित नहीं हो पाता है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि लघु वनोपज के विदोहन के दौरान मातृ पौधे को नुकसान न पहुँचे तथा इन प्रजातियों का जड़ भण्डार सुरक्षित

रहे ताकि भविष्य में लघुवनोपज सतत् रुप से प्राप्त होती रहे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ–साथ जागरुकता लाने की कार्यवाही आवश्यक रहेगी।

- चराई , अवैध कटाई, अतिक्रमण तथा अग्नि से शत–प्रतिशत सुरक्षा प्रदान की जायेगी। लघु वनोपज की सदैव प्राप्ति हेतु वनों को क्षति पहुँचाने वाले कारकों से सुरक्षा प्रदाय करना प्राथमिक आवश्यकता है, विशेष कर अवैध चराई तथा अग्नि से लघुवनोपज उत्पादन को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता है जिससे बचाव हेतु भाग–2 वनसुरक्षा अध्याय में दिये गये विवरण अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिये।
- गोंद संग्रहण में विशेष कर पलाश से गोंद प्राप्ति हेतु विशेष सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि इन वृक्षों से गोंद प्राप्ति हेतु क्रमशः खांचे एवं पट्टे लगाये जाते हैं। पलाश के वृक्षों पर सम्पूर्ण वृक्ष पर खांचे लगाने एवं सलई पर काफी ऊँचाई पर एवं लगातार पट्टे लगाने से वृक्षों को नुकसान पहुँचता है। अतः कार्य आयोजना क्षेत्र में गोंद संग्रहण हेतु इस प्रकार की क्षति पहुँचाने वाले तरीकों में, ग्रामीणों को सही विधि अपनाने हेतु प्रोत्साहित कर, सुधार लाया जावेगा।
- लघु वनोपज के संग्रहण में सही विधि का उपयोग किया जायेगा, जिस बावत् विवरण आलेख भाग 01 के अध्याय 7 ''अकाष्ठ वनोपज'' में दिये गये प्रावधान अनुसार है।

22.14 अन्य नियमन :–

22.14.1 वनक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों में लघु वनोपज के विस्तार हेतु इन प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे ध्यान में रखते हुये पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये। भोपाल वन मंडल का क्षेत्र वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, भोपाल के अन्तर्गत आता है। वन अनुसंधान केन्द्र भोपाल द्वारा वनमण्डल में 4 रोपणियाँ संचालित हैं, जिनके सहयोग से वन क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों

हेतु लघु वनोपज प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता के पौधों की माँग की आपूर्ति उचित मूल्य पर करने हेतु सभी प्रयास किये जाने चाहिये।

22.14.2विभिन्न प्रजातियों के रासायनिक घटकों एवं अनुवांशिक परीक्षण के लिये मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल की बरखेड़ा पठानी स्थित प्रयोगशाला की सहायता ली जा सकती है।

22.14.3प्रमुख लघु वनोपज के उपयोग, विदोहन एवं संग्रहण पद्धति, भण्डारण, विपणन तथा रोपण पद्धति के संबंध में स्थानीय भाषा में साहित्य तैयार कर वन समितियों, प्राथमिक लघु वनोपज समितियों एवं पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया जावेगा।

22.14.4प्रत्येक परिक्षेत्र में स्थानीय लुप्तप्रायः एवं संकटापन्न प्रजातियों की जानकारी रखी जावेगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इन प्रजातियों बावत् ग्रामीणों को जागरुक कर इनके संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

22.14.5किसी प्रकार की वनोपज के वनक्षेत्र से होने वाले विदोहन पर लगे प्रतिबंध का असर कृषकों के खेतों से निकल रही वनोपज पर लागू नहीं होगा।

22.14.6शासन स्तर से प्रतिबंधित प्रजातियों से लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जायेगा।

22.14.7किसी भी वृक्ष को गोंद, फल, फूल प्राप्ति के लिए क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।

22.14.8विभिन्न स्त्रोतों से तथा उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रतिवर्ष विभिन्न लघु वनोपज की संग्रहित मात्रा का आकलन किया जायेगा।

22.14.9निजी क्षेत्रों में भी लघु वनोपज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु लाख एंव मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किये जायेंगे।

22.15 भविष्य की संभावनायें :–

22.15.1पत्तल एवं दोने बनाना :– वनक्षेत्र में पलास के वृक्षों की बहुतायत है, जिनसें दोने बनाने की मशीन वन समिति स्तर पर उपलब्ध करायी जाकर लघु उद्योग की इकाइयों की स्थापना की जा सकती है।

22.15.2शहद परिष्करण उद्योग :– वनक्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में शहद संग्रहण किया जाता है जो अपरिष्कृत रूप से स्थानीय हाट–बाजारों में अत्यन्त कम दाम में विक्रय कर दिया जाता है। क्षेत्र में शहद परिष्करण इकाई की स्थापना कर एवं स्थानीय लोगों को इससे जोड़कर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

22.15.3गोंद उद्योग :– भोपाल वनमण्डल में गोंद प्रदाय करने वाली प्रमुख प्रजाति धावड़ा एवं सलई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वृक्षों से गोंद संग्रहण कार्य से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

22.15.4बीड़ी उद्योग :– भोपाल वनमण्डल तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु प्रसिद्ध है किन्तु वर्तमान में अधिकांश तेन्दूपत्ता अन्य स्थानों को निर्यात कर दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर बीड़ी निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

22.15.5साबुन उद्योग :– कार्य आयोजना क्षेत्र के उपलब्ध तेलबीज (oil seed) प्रजातियों में से महुआ, करंज, नीम आदि के बीजों से तेल निकालकर साबुन बनाने का कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

22.15.6औषधि निर्माण :– वनक्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण जड़ी–बूटियां जैसे सफेद मूसली, काली मूसली, कलिहारी, सतावर, अश्वगंधा, मरोड़फली, आँवला, बहेड़ा, अर्जुन, गोखरू इत्यादि से औषधि निर्माण का कार्य किया जा सकता है।

22.16 राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि के अन्तर्गत लघु वनोपज प्रजातियों के अन्तःस्थलीय एवं वाह्य स्थलीय संरक्षण हेतु योजना :–

- **अन्तःस्थलीय संरक्षण (In-Situ Conservation)** :– इस योजना के तहत नैसर्गिक वनों के स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लघु वनोपजों का प्रबंधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत वनों से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के विदोहन के साथ–साथ स्थानीय समुदाय को आय के साधन उपलब्ध हो सकेंगे तथा वनोपज के प्रसंस्करण व मूल्य वृद्धि के माध्यम से स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- **बाह्य स्थलीय संरक्षण (Ex-Situ Conservation)** :– इस योजना के तहत रिक्त शासकीय भूमि अथवा बिगड़े वनों में लघु वनोपज की वृक्ष प्रजातियों तथा औषधीय प्रजातियों का उच्च तकनीकी रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सुरक्षा एवं व्यवस्था के माध्यम से लघु वनोपज की प्राप्ति हो सकेगी।

22.16.1 अन्तःस्थलीय संरक्षण (In-Situ Conservation) :–

22.16.1.1 क्षेत्र का चयन :– ऐसा वन क्षेत्र चयन किया जाये, जहाँ कि प्राकृतिक रूप से लघु वनोपजों की प्रचुरता है अथवा पूर्व में विद्यमान रही है जिसको मात्र संरक्षण व कुछ गतिविधियों से पुनरुत्पादन की स्थिति में लाया जा सके। क्षेत्र चयन करने के संबंध में यह भी ध्यान रखा जाना उचित होगा कि कुछ विशेष वन कक्ष पूर्ण रूपेण उपचार हेतु चयन हो जाए साथ ही संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत आने वाले समस्त कक्षों का भी संविलियन इसमें हो। क्षेत्र चयन का दायित्व वृत्त के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक का होगा।

22.16.1.2 प्रबंधन से जुड़े समुदायों का सशक्तिकरण :– वर्तमान नीतिगत वातावरण के अन्तर्गत स्थानीय समुदायों की भागीदारी को वन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना गया है। दूरगामी संरक्षण एवं प्रबंधन

के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग को समुदाय के साथ अत्यंत सकारात्मक संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को प्रबंधन में समाहित किये बिना वन संरक्षण में लम्बे समय तक समुदायों का सहयोग प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः विभिन्न नियमों प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों को इस प्रकार सशक्त करना होगा कि वे उनके जीवन एवं आजीविका को प्रभावित करने वाले फैसलों में अपनी भूमिका निभा सकें। स्थानीय समुदायों को सशक्त किये बिना अकाष्ठीय वनोपज के प्रबंधन एवं संरक्षण की रणनीति को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि विधि के अनुसार यह अधिकार स्थानीय समुदायों को ही सौपा गया है। अंतर्विभागीय सहयोग एवं वित्त पोषण के लिये स्व–सहायता समूह अथवा उपयोगकर्ता समूहों (User Groups) का आवश्यकतानुसार गठन किया जायेगा। सामाजिक संगठन, नियोजन एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिये स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (Voulantry Organisations) का सहयोग लेने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

22.16.1.3 सहभागी लक्ष्य निर्धारण :– अकाष्ठीय वनोपज के प्रबंधन के लक्ष्यों का निर्धारण स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जायेगा, तो अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा। सशक्त दल विकसित करने के लिए लक्ष्यों की समस्त भागीदारों/हितधारकों को गहरी समझ होना चाहिए।

22.16.1.4 संयुक्त वन प्रबंध समिति स्तरीय सूक्ष्म योजना :– आर्थिक रूप से लाभप्रद प्रजातियों की पहचान तथा स्थानीय समुदायों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चयनित प्रजातियों के पोषणीय प्रबंधन के लिए वन क्षेत्र की सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधान किये जाने चाहिए। सूक्ष्म प्रबंध योजना में प्रजातियों के संग्रहण एवं पुनरुत्पादन के संबंध में परम्परागत ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि किन्हीं प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिक पद्वतियों का विकास हो चुका है, तो उन

पर स्थानीय समुदाय के साथ गहन विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा उनको लागू करने के संबंध में अंतिम फैसला ग्राम समुदायों के माध्यम से ही लिया जाना चाहिए, ताकि उनकी फैसलों के प्रति अपनत्व की भावना बनी रहे।

22.16.1.5 संग्रहण एवं पुनर्स्थापना हेतु प्रोटोकॉल :– कार्य आयोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों से व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रजातिवार एवं क्षेत्र के अनुरूप प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता होगी। विनाश विहीन संग्रहण के लिए मानक तकनीकी प्रणालियों को लागू करने के लिए सामाजिक संरचना एवं प्रक्रिया विकसित की जायेगी।

22.16.1.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता उसके निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर निर्भर करती है। इसलिये इस योजना के तहत वन विकास के कार्यों में गहन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था रखी गई है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निम्न Criteria एवं Indicators का उपयोग स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखकर किया जा सकता है।

22.16.2 बाह्य–स्थलीय संरक्षण (Ex-Situ Conservation) :–

22.16.2.1 क्षेत्र का चयन :– प्रत्येक मुख्य वन संरक्षक वृत्त में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेंगे, जहाँ वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त विरल एवं रिक्त वन उपलब्ध हो तथा परियोजना क्षेत्र का रकवा लगभग 150–200 हेक्टेयर का एक ब्लॉक हो, जिसमें प्रतिवर्ष 30–40 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रतिवर्ष रोपित किये जाने वाले क्षेत्र में एक ही प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा, जिसे प्रजाति अनुसार महुआ वन/अचार वन/हर्रा वन/बहेड़ा वन आदि का नाम दिया जायेगा। एक ब्लाक में यथासंभव 3–4 विभिन्न प्रकार के वनों का वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा।

22.16.2.2 परियोजना क्रियान्वयन :– पूरे क्षेत्र को प्रथम वर्ष से सुरक्षित किया जावेगा। प्रत्येक 30 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी, द्वितीय

वर्ष रोपण व पांच वर्षों का रख–रखाव किया जावेगा। अतः इस प्रकार एक ही स्थल पर लगातार 11 वर्षों तक सघन उपचारण होने से एक उत्कृष्ठ रोपण क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा। ऐसे क्षेत्र का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन सहज एवं सघन होने से भविष्य में स्वपोषित क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेंगे।

(i) वृक्षारोपण 0.4 घनत्व से कम क्षेत्र हेतु लिया जावे। वृक्षारोपण क्षेत्र 5 वर्ष हेतु 150 हेक्टेयर लिया जावे। क्षेत्र सुरक्षा प्रथम वर्ष के समय 150 हे. क्षेत्र की चेनलिंग फेसिंग/CPW/CPT से की जावे एवं आगामी 5 वर्षों में 30–30 हे. क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु लिया जावे।

(ii) प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष में 3 निदांई एवं तृतीय वर्ष 2 निदांई का प्रावधान रखा जावे।

(iii) सर्वेक्षण, सीमांकन, क्षेत्र सफाई, गढ्डा खुदाई, फेसिंग, पौधारोपण, परिवहन, निदांई का कार्य मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत जॉबदर अनुसार होंगे।

(iv) रासायनिक कीटनाशक व खाद का इस्तेमाल नहीं किया जावेगा। यथा संभव जैविक कीटनाशक व खाद (वर्मीकम्पोस्ट, नीम खली इत्यादि) को प्राथमिकता दी जावेगी।

(v) मृत पौधे 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से रखा जावे, जिनका प्रत्यारोपण किया जावे।

(vi) यथासंभव सिंचाई का प्रावधान रखा जावे।

(vii) उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप प्रथम वर्ष में 150 हे. की फेसिंग एवं 30 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। इसमें आवश्यकता अनुरूप सिंचाई एवं अन्य कार्यों का व्यय पृथक से जोड़ा जा सकेगा। 150 हे. के अन्तर्गत 30–30 हे. पर प्राक्कलन के अनुरूप व्यय आगामी वर्षो में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्यों पर किया जा सकेगा।

22.17 लघुवनोपज संघ के माध्यम से भोपाल वनमण्डल में संचालित की जा रही जन उपयोगी गतिविधियों का विवरण :–

22.17.1 तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजना :–

योजना संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को 3500 रू0 भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदाय किये जाते हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 25 हजार रू0 उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है। यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रूप में विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में 12,500 रू0 और पूर्ण विकलांग होने पर उसे या उसके उत्तराधिकारी को 25000 रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है।

- **पात्र हितग्राही** :– 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु के सभी तेन्दु पत्ता संग्राहक।
- **हितग्राही चयन प्रक्रिया :–** मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जाता है। तेन्दूपत्ता संग्राहक की मृत्यु होने पर उसका प्रकरण प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति द्वारा जिला यूनियन के माध्यम से जीवन बीमा निगम को भेजा जाता है। संग्राहक के आश्रित को जिला यूनियन के माध्यम से एक मुश्त पूरी राशि जीवन बीमा निगम द्वारा चैक से दी जाती है।
- **योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया :–** प्रत्येक हजार रू0 की बीमा राशि के लिए 4 रू0 की दर से प्रीमियम दिया जाता है । इस राशि का 50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ द्वारा दिया जाता है। शेष 50 प्रतिशत सुरक्षा योजना से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राप्त होता है।

22.17.2 एकलव्य शिक्षा विकास योजना :–

म0प्र राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की नई एकलव्य शिक्षा विकास योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ की गयी है। संघ की यह जन कल्याणकारी अभिनव योजना दूरस्थ वन क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता

संग्रहण कार्य से जुड़े संग्राहकों, फड़ मुन्सियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों में मेधावी बच्चों के लिये है, जो धन अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों (सहायक पुस्तकें नहीं) के क्रय पर होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थान पर आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर श्रेणी अथवा साधारण श्रेणी में यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। वर्ष के दौरान योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी–

1 कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिये – रूपये 12000.00
2 कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये – रूपये 15000.00
3 गैर तकनीकी स्नातक उपाधि प्राप्त हेतु अध्यनरत विद्यार्थियों के लिये – रूपये 20000.00
4 व्यवसायी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिये – रूपये 50000.00 परंतु यदि चयनित विद्यार्थियों को राज्य/केन्द्र शासन अथवा किसी अन्य संस्था से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है तो संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में इस सीमा में कमी कर दी जायेगी।

22.17.3 कौशल उन्नयन :–

वनों के समीप स्थित ग्रामों के युवक–युवतियों को कौशल उन्नयन के अंतर्गत दक्षता बढ़ाने का कार्य संचालित है ताकि वनों पर दबाव कम रहे। इस दिशा में म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्यमंत्री उन्नयन प्रशिक्षण योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

22.17.4 मोटर साइकिल क्रय करने हेतु ऋण योजना की जानकारी :–

उक्त योजना के तहत् लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों को न्यूनतम ब्याज दर पर मोटर साइकिल क्रय करने हेतु संघ के माध्यम से ऋण उपलब्ध

कराया जाता है। भोपाल वनमण्डल के अन्तर्गत अकाष्ठीय वनोपज की मांग बहुत है। आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय लोगों को अकाष्ठीय वनोपज के विनाश विहीन विदोहन सम्बन्धी जानकारी प्रदाय की जाकर इसके समुचित प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए, तभी वन मण्डल के अन्तर्गत पाईं जाने वाली महत्वपूर्ण अकाष्ठीय वनोपजों को संरक्षित किया जाकर भावी जरूरतों की पूर्ति की जा सकेगी। इस हेतु समितियों को जागृत करना आवश्यक है।

...0000....

अध्याय – 23
वन विस्तार एवं सामाजिक वानिकी / लोक वानिकी
(Forest Extension & Social Forestry/Lok vaniki)

23.1 प्रस्तावना (Introduction) –

प्राचीन काल में पृथ्वी का अधिकाँश भाग वनों से आच्छादित था। कालान्तर में जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ कृषि भूमि की माँग बढ़ती गई एवं वन निरंतर कम होते गये। जो सुदूर वन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते थे उन पर घटती वन भूमि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्षेत्र के वातावरण तथा वनों पर निर्भर उद्योग भी प्रभावित हुए।

उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए वन विस्तार एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम नितान्त आवश्यक हो गया। ग्रामीण जनता के लिए वनोपज की पूर्ति हेतु वनों पर ही आधारित रहने एवं जनसंख्या में वृद्धि के कारण वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वनों पर इस दबाव को कम करने हेतु शासकीय वनों के बाहर ग्रामीण जनता द्वारा निजी वनों के वैकल्पिक स्रोत बनाये जाना आवश्यक है।

इस हेतु आवश्यक है कि वनों के संरक्षण एवं विकास में जन सामान्य की रुचि पैदा कर उनकी सीधी भागीदारी स्थापित करने के साथ–साथ सामुदायिक अथवा निजी पड़त भूमि इत्यादि को वनाच्छादित किया जाये ताकि स्थानीय जनता की वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ हद तक की जा सके। वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण तथा उपलब्ध भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करना है।

23.2 कार्यक्रम का आधार एवं उद्देश्य –

वनमण्डल के अन्तर्गत वन क्षेत्र भोगौलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.32 प्रतिशत है। वन क्षेत्रों की सस्य संरचना में सुधार लाने हेतु वनों को विभिन्न प्रबंधन श्रेणियों में वर्गीकृत कर प्रबंधन हेतु विशेष उपचार के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वनों की उत्पादन क्षमता की एक निश्चित सीमा है। विगत वर्षों में

जनसंख्या एवं पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि से जलाऊ लकड़ी, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की आपूर्ति का भार वनों पर बढ़ा है। उत्पादन क्षमता से अधिक विदोहन होने के कारण वनों की दशा बिगड़ती जा रही है।

मौजूदा वनों पर निर्भरता कम करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वन भूमि के अतिरिक्त निजी राजस्व भूमि, सामुदायिक भूमि, पड़ती भूमि एवं अन्य शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किया जावे। जनता को अपने उपयोग के लिये आवश्यक काष्ठ का उत्पादन कृषि भूमि की मेंड़ों एवं बेकार पड़ी जमीन पर वृक्ष लगाकर करना होगा। वनों पर निर्भरता कम करने के लिये ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग तथा कम ऊर्जा खपत वाले साधनों का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। वनों के संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत की जावे एवं विकास कार्य में जन सामान्य की भागीदारी स्थापित की जावे।

कार्य आयोजना क्षेत्र में वनोपज की उपलब्धता एवं आवश्यकता का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक –23.1

इमारती काष्ठ/जलाऊ/बांस की मांग एवं आपूर्ति में अंतर

क्र.	वनोपज	इकाई	कुल आवश्यकता	डिपो/कूप से प्राप्त मात्रा	वनों से सूखी गिरी–पड़ी लकड़ी से पूर्ति	अंतर
1	इमारती काष्ठ	घ.मी.	00	22,79	0	+22.791
2	बल्ली	घ.मी.	230.04	27.79	38.75	-163.50
3	जलाऊ	घ.मी.	23879.33	329	1503.50	-22046.83
4	बांस	नग	31756	1250	8	-30498

प्रत्येक बल्ली का आयतन 0.015 घन मीटर मानते हुये घन मीटर आंकलित किया गया। इसी प्रकार 3 जलाऊ चट्टे को 1 घ.मी. मानते हुये जलाऊ का आयतन आंकलित किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इमारती काष्ठ, बाँस एवं जलाऊ का उत्पादन आवश्यकता से काफी कम है। कार्य आयोजना क्षेत्र में वनों पर बढ़ते हुए जैविक दबाव को कम करने, वनों पर वनोपज की निर्भरता को कम करने तथा ग्रामवासियों की निस्तार आवश्यकता को गाँव से ही पूरा करने के लिए वन विस्तार एवं सामाजिक वानिकी की अवधारणा अमल में लाई गई।

- **उद्देश्य**.

सामाजिक वानिकी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

23.2.1 सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार/प्रसार के अंश को व्यापक करना।

23.2.2 निजी/कृषक पौध शालाएँ निर्मित करना एवं विभागीय/निजी पौध शालाओं में 10 से 15 प्रतिशत संकटापन्न प्रजाति के पौधे तैयार करना।

23.2.3 कृषकों को कृषि वानिकी के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

23.2.4 ग्रामीणों के प्रशिक्षण व प्रचार/प्रसार के लिए जिला स्तर पर सामाजिक वानिकी सम्मेलन आयोजित करना। कृषि वानिकी अपनाने वाले कृषकों व पौधशाला धारकों के शिविर आयोजित करना।

23.2.5 ऊर्जा बचत हेतु प्रचार/प्रसार के माध्यम से उन्नत चूल्हों, किसान सिगड़ी, धुँआ रहित चूल्हे, सोलर कुकर, बायोगैस के अधिक उपयोग तथा उज्ज्वला योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जनमानस तैयार करना।

23.2.6 वानिकी कार्यक्रम में अर्द्धशासकीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना।

23.2.7 वानिकी को प्रोत्साहन हेतु अनुदान।

23.2.8 किसान समृद्धि योजना से किसानों को परिचित कराना तथा इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

23.2.9 सामाजिक वानिकी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। वानिकी से जुड़े कृषकों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना।

23.2.10 महिला मण्डलों/युवा मण्डलों का गठन व उनके माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

23.2.11 ग्रामीण जनता की जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य वनोपज की माँग की पूर्ति ग्राम में स्थित अथवा समीपवर्ती भूमि का सदुपयोग करते हुए करना, जिससे प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव कम कर उनका संरक्षण किया जा सके।

23.2.12 उपलब्ध वन विहीन व पड़त भूमि को वनाच्छादित कर पर्यावरण में सुधार लाना।

23.2.13 गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से वानिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

23.3 क्षेत्र उपलब्धता –

सामुदायिक भूमि, पड़त भूमि, शासकीय संस्थान जैसे– विद्यालय, चिकित्सालय परिसर, सड़क, रेलवे मार्ग, नहरों के दोनों ओर की भूमि इत्यादि। अग्रणी कृषकों की निजी भूमि, जिनके पास भूमि अधिक है तथा वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी में रूचि रखते हों ।

23.4 प्रस्तावित उपचार –

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार के साथ–साथ कृषकों को अध्ययन प्रवास पर भेजा जावेगा।
2. वानिकी एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रदर्शन प्लॉट कृषि भूमि पर तैयार किये जावेंगे।
3. ऊर्जा की बचत हेतु गैर पारम्परिक स्रोतों का विकास एवं उज्ज्वला योजना का प्रचार–प्रसार किया जावेगा।
4. नर्सरी में क्लोनल एवं ग्राफ्टेड पौधे तैयार किये जावेंगे।
5. बीज उत्पादन क्षेत्र से उन्नत नस्ल के बीजों का संग्रहण, उपचारण, भंडारण एवं परीक्षण किया जाना तथा स्थानीय जनता को उपलब्ध कराना।
6. खेतों की मेड़ों पर जीवित बागड़ लगाने हेतु प्रोसोपिस एवं सुबबूल के बीजों को किसानों को निःशुल्क प्रदाय किया जाना ।

7. ग्रामीणों के माँग के अनुसार उन्नत किस्म के पौधे नर्सरी तथा साप्ताहिक बाजार के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाना।
8 प्रमुख नदियों एवं जल स्रोतों के दोनों किनारों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना ।
9. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, नावार्ड (NABARD) इत्यादि संस्थानों की सहायता से औषधीय/सुगंधित/फलदार/काष्ठ/बाँस इत्यादि पौधों की खेती कृषकों की मेड़ो पर किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
10. कृषकों के खेतों की मेड़ों एवं पड़त भूमि पर बाँस रोपण को प्राथमिकता से किया जाना चाहिए एवं बाँस मिशन कार्यक्रम से जोड़ना।

- **कार्यों का निष्पादन :–**

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य तीन प्रकार के कार्यक्रम निम्नानुसार लिये जावेगें –

23.4.1 वैयक्तिक कार्यक्रम :–

1. ग्रामीणों की निजी कृषि भूमि/मैड़ पर, घर की वाड़ी अथवा उपलब्ध स्थान पर, निजी कुओं/तालाब के चारों तरफ उपलब्ध स्थान पर वृक्षारोपण करना।
2. कृषकों को निजी रोपणी तेयारी करने को बढ़ावा देना।
3. घर में उन्नत सिगड़ी , धुआं रहित चूल्हा , वायो गैस संयंत्र की स्थापना एवं उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
4. सौर कुकर ,प्रेशर कुकर इत्यादि गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों व ऊर्जा वचत के साधनों का अधिक उपयोग करना।
5. विभिन्न वनोपज के उपयोग में मितव्ययिता वरतना तथा भवन निर्माण तथा काष्ठ के व्यवहारिक विकल्प का प्रयोग करना।

6. ग्रामीणों को पर्यावरण एवं वनो के संरक्षण एवं विकास कार्यो को समग्र ज्ञानदेना ,इन कार्यो के प्रति रूचि एवं जागरूकता पैदा करना एवं इन कार्यो में उनकी सक्रिय एवं सीधी सहभागिता प्राप्त करना।
7. निजी भूमि पर विगत वर्षो में किये गये वृक्षारोपणों एवं अन्य वन अच्छादित निजी भूमि का वन वर्धन की दृष्टि से उपयुक्त प्रबंधन हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन देना ।
8. निजी भूमि पर भू एवं जल संरक्षण कार्य करना।

23.4.2 सामुदायिक कार्यक्रम :–

1. सामूदायिक भूमि व पड़त भूमि पर वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य ।
2. पूजा स्थल, जल स्त्रोत ,विद्यालय ,शमशान भूमि इत्यादि के आसपास रिक्त सामूदायिक भूमि पर वृक्षारोपण करना।
3. मार्ग एवं नहरों के किनारे वृक्षारोपण करना ।
4. शाला, पौध शालायें तैयार करना ।
5. विकसित शवदाह ग्रहों की स्थापना ।
6. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों जैसे गोवर गैस/बायो गैस संयंत्रों, पवन चक्की एवं सौर विद्युतीकरण संयंत्रों की सामूदायिक तौर पर स्थापना एवं उपयोग ।
7. पंच सम्मेलन,किसान सम्मेलन एवं अन्य सामूदायिक कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से वन विस्तार के कार्य एवं प्रचार प्रसार करना ।
8. महिला मण्डलों/युवा मण्डलों का गठन एवं संचालन , इनके माध्यम से प्रचार प्रसार करना ।
9. सामूदायिक एवं पड़ती भूमि पर भू एवं जल संरक्षण करना ।
   सामूदायिक पर्यावरण विज्ञान केन्द्रो की स्थापना करना ।

23.4.3 विभागीय कार्यक्रम :–

1. ग्रामों की उपलब्ध शासकीय पड़त भूमि पर वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास करना ।
2. रेल मार्गो , सड़कों एवं नहरों के किनारे उपलब्ध शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण करना ।
3. शहरी क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय भूमि पर पर्यावरण पर्यावरण वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण करना ।
4. शासकीय अनुत्पादक व बंजर भूमि पर भू एवं जल संरक्षण करना ।
5. व्यक्तियों एवं पंचायतों को वृक्षारोपण कार्यो के लिए वांछित तकनीकी ज्ञान एवं सहयोग देना ।
6. सामाजिक वानिकी एवं वन विस्तार कार्यक्रम से जुड़े व्यक्ति समूहो एवं व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देना ।
7. सामाजिक वानिकी से संबंधित प्रचार प्रसार करना। इसके अंतर्गत फिल्म प्रदर्शन इत्यादि करना।
8. जिला , विकासखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर पंच/कृषक सम्मेलन एवं अन्य दूसरे प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना ।
9. ऊर्जा बचत के विभिन्न साधनों जैसे किसान सिगड़ी ,सोलर कुकर , धुऑ रहित चूल्हा इत्यादि का वितरण करना।
10. प्रदर्श क्षेत्रों का निर्माण करना।
11. म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम जैसी शासकीय संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों का अधिकाधिक विकास करना।

23.5 कार्यक्रम की योजना –

वनमण्डलाधिकारी द्वारा तर्क–संगत साँख्यिकीय आँकड़ों, स्थानीय समस्याओं एवं उनके व्यवहारिक समाधान के विश्लेषण को आधार मानकर ग्रामीणों एवं ग्रामीण संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से ग्राम स्तर पर विस्तृत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। योजना बनाते समय

निम्नानुसार मार्गदर्शी मॉडल योजनाओं को सम्मलित करने पर विचार किया जा सकता है –

1. जिला योजना मंडल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण आदि के संसाधनों से प्रत्येक ग्राम के लिए उपलब्ध सामुदायिक/शासकीय पड़त भूमि पर कम से कम 5 हेक्टेयर प्रतिवर्ष जलाऊ रोपण का दस वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। इसमें लोगों की सक्रिय एवं स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
2. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सड़क, रेलमार्ग, सामुदायिक संस्थान, तालाब तथा नहरों के किनारे की उपलब्ध भूमि में विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त कर जलाऊ रोपण हेतु दस वर्षीय कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इसकी स्थापना एवं रखरखाव के लिए ग्राम स्तरीय समिति बनाई जा सकती है। समिति के नियमों में वृक्षारोपण से प्राप्त वनोपज या राजस्व का उपयोग ग्राम विकास के कार्यो में ही करने के प्रावधान से ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई नहीं होगी।
3. अन्य शासकीय विभागों में चल रहे । प्रक्षेत्र वानिकी ,चारागाह विकास, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन, डेयरी विकास ,मत्स्य पालन, फलदार वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों के साथ ही साथ सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से दूरगामी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है
4. राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा संचालित आर्थिक सहायता कार्यक्रमों द्वारा कृषि अयोग्य भूमि पर लोगों को अधिक से अधिक वृक्षों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत जलाऊ, चारा एवं फलदार वृक्ष प्रजातियों के रोपण से भूमि सुधार के साथ ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मदद मिल सकेगी।
5. उन्नत सिगड़ी का वितरण, धुँआं रहित चूल्हों की स्थापना की पूरक योजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है। घटी दर पर सौर चूल्हों के वितरण का कार्यक्रम एवं

उज्ज्वला योजना अन्तर्गत वितरित किये जा रहे गैस सिलेण्डरों से बंचित वर्ग को योजना से जोड़ने का कार्य भी लिया जा सकता है।

6. ग्रामों के बहुमुखी विकास के लिए एकीकृत परियोजनाओं के आधार पर कार्य किया जाना सर्वोत्तम है। इससे विकास के साथ–साथ पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में भी मदद मिलेगी। अन्य विभागों में चल रही प्रक्षेत्रवानिकी, चारागाह विकास, पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, फल उद्यान आदि कार्यक्रमों का समावेश करते हुए यथा–सम्भव समन्वित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से दूरगामी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित सफलता प्राप्त की जा सकती है।

23.6 विस्तार विधियाँ –

जन सामान्य की सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में रुचि जगाने तथा सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त विस्तार शिक्षा आवश्यक है। विभिन्न दृश्य–श्रव्य माध्यमों के विकास के साथ ही विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम जुड़ गये हैं। सामाजिक वानिकी के संदेश को जन–जन तक पहुँचाने के लिये निम्नानुसार विधियाँ अपनायी जा सकती हैं –

1. घरों, खेतों व कार्य स्थलों पर व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों से मिलकर सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के संदेश का प्रसार।
2. विशिष्ट समूहों जैसे–पंचायत, श्रमिक संघ आदि के साथ सामूहिक संवाद द्वारा संदेश का प्रसार।
3. जन सामान्य के साथ बैठकर सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों का प्रसार।
4. नुक्कड़, नाटकों तथा गीतों से वृक्षारोपण का महत्व समझाना।
5. ग्रामीण मेलों, पर्वों, त्यौहारों के सांस्कृतिक आयोजनों का लाभ उठाकर दृश्य–श्रव्य माध्यमों की मदद से संदेश का प्रसार ।
6. वृक्ष संरक्षण एवं वन्य प्राणी संरक्षण से विस्तृत सामाजिक–धार्मिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना ।

7. सफल रोपण क्षेत्रों, रोपणियों आदि का प्रदर्शन करना, ग्रामीणों के लिए क्षेत्रों के भ्रमण की व्यवस्था करना।
8. सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से संम्बधित पर्चों, पोस्टरों एवं साहित्य आदि का वितरण।
9. विद्यालयों/महाविद्यालयों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे – निबंध लेखन, वाद–विवाद, चित्रकला, नाटक मंच आदि में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों एवं पर्यावरण से संबधित विषयों के समावेश को प्रोत्साहित करना।
10. एन.एस.एस. के शिविरों के माध्यम से सामाजिकी वानिकी कार्यक्रम के संदेश का प्रचार।
11. विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र एवं उद्देश्य कार्यक्रम की निरंतरता में समाहित है। सामाजिकी वानिकी के संदेश के प्रसार के लिये प्रत्येक स्तर पर सतत् प्रयास किया जाना आवश्यक है। लक्षित समूहों के साथ वन विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा संस्थापित संवाद सुदृढ़ करते रहने से ही स्थाई प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
12. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक वानिकी सम्बन्धी विशेष अनुभूति शिविरों का आयोजन कर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में वानिकी विषयक ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना।

23.6.1 वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ,भोपाल की आगामी 10 वर्षों हेतु रणनीतिः–

- **अनुसंधान कार्य** :–इन कार्यों के दूरगामी परिणाम हेतु निम्नानुसार रणनीति प्रस्तावित है।

23.6.1.1 वनक्षेत्रों हेतु :–

1. चयनित बीज उत्पादन क्षेत्र का रख–रखाब करना एवं नए बीज उत्पादन क्षेत्र का चयन करना।
2. क्लोनल , बीजांकुर बीज परिक्षेत्र का विकास करना।
3. घास बीज उत्पादन क्षेत्र का विकास करना।
4. विभिन्न प्रजातियों जैसे अचार , अंजन ,आँवला ,रीठा ,भिलावा , सलई इत्यादि के जीन बैंक तैयार करना। अच्छी गुणवत्ता के वानिकी बीज का एकत्रिकरण एवं भण्डारण।
5. नयी तकनीक जैसे रूट ट्रेनर ,पॉली प्रोपेगेटर, मिस्ट चेम्बर, ग्राफ्टिंग तथा शेड हाउस इत्यादि के उपयोग से उच्च गुणवत्ता के पौधों का निर्माण एवं उपयोगकर्ता को प्रदाय करना।
6. औषधीय पौधों के बेहतर प्रबंधन हेतु मॉडल तैयार करना एवं उनके संरक्षण हेतु तकनीक विकसित करना।
7. कम्पोस्ट, बर्मिंग कम्पोस्ट, वैम इत्यादि जैविक खाद का उत्पादन करना तथा शासकीय विभागों एवं कृषकों इसके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

23.6.3 गैर वनक्षेत्रों हेतु :–

1. क्षेत्रों में प्रचलित कृषि वानिकी पद्धतियों का सूचीकरण एवं उनका वानिकीकरण करना।
2. प्रक्षेत्र वानिकी , मेड़ रोपण एवं आवास वानिकी हेतु उचित प्रजातियों का सूचीकरण एवं प्रदर्शन केन्द्र विकसित/चिन्हित करना।
3. क्षेत्र में उपयुक्त औषधीय पौधों की कृषिकरण तकनीक विकसित करना एवं उनका विपणन।

23.7 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल की गतिविधियाँ :–

जिला वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस केन्द्र का मुख्यालय भोपाल रखा गया। वर्तमान में जिले में निम्नानुसार गतिविधियाँ संचालित हैं –

23.7.1 रोपणी :– जिले के अंतर्गत वर्तमान में निम्नानुसार रोपणियाँ हैं –

तालिका क्र. –23.1

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल की भोपाल इकाई की रोपणियों का विवरण

अ.क्र.	रोपणी	परिक्षेत्र
1	अहमदपुर	बैरसिया
2	भदभदा	समर्धा
3	इमलिया	समर्धा

सभी रोपणियों में उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं एवं संकटापन्न प्रजातियों के पौधे भी तैयार किये जाने का प्रयास वांछित है। वनमण्डल भोपाल के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल से निम्नानुसार पौधे विभागीय वृक्षारोपण एवं पर्यावरण वानिकी के अंतर्गत तैयार किये गये जिसकी जानकारी तालिका क्रमांक 23.2 में दर्शायी गई है –

तालिका क्र. –23.2

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल की भोपाल इकाई की रोपणियों द्वारा तैयार पौधों का विवरण

अ.क्र.	विभाग जिसे पौधे प्रदाय किये गये		रोपणी का नाम		
			अहमदपुर	भदभदा	इमलिया
1	वन विभाग	भोपाल	84879	210410	263985
2		सीहोर	88391	96510	2919
3		रायसेन	3050	0	0
4		औबेदुल्लागंज	959	4470	0
5		विदिशा	0	105	0
6		राजगढ़	1875	0	0
7		गुना	0	0	0
8		रीवा	0	400	0
9		छिन्दवाडा	0	0	0
10		सागर	0	1000	0
11		व0वि0रा0उ0	985	0	0
		योग	**180139**	**312895**	**266904**
12	अन्य विभाग/संस्था/कृषक/जन सामान्य	पंचायत	0	0	0
13		स्कूल शिक्षा विभाग	2330	0	0
14		अन्य शासकीय विभाग	32774	4510	0
15		निजी क्षेत्र/ निजी संगठन/ संस्था	57411	14831	13915
16		कृषक एवं जन सामान्य	42177	32103	4634
		योग	**134692**	**51444**	**18549**
	कुल	**महायोग**	**314831**	**364339**	**285453**
17	योजनाओं में	विस्तार वानिकी	23090	70200	13915

अ.क्र.	विभाग जिसे पौधे प्रदाय किये गये		रोपणी का नाम		
			अहमदपुर	भदभदा	इमलिया
18	प्रदाय पौधे	कार्य आयोजना	6600	6000	0
19		ग्रीन इंडिया मिशन	279	910	0
20		लघु वनोपाज संघ	0	0	0
21		कैम्पा	150170	235785	266904
22		अन्य योजना	134692	51444	4634
		कुल योग	**314831**	**364339**	**285453**

23.8 विस्तार शिक्षा –

सामाजिक वानिकी एक शासकीय कार्यक्रम होने के कारण जनता इसके प्रति आश्वस्त नहीं है। इस कारण से अधिकांश रोपण एवं अन्य वानिकी कार्यक्रमों में स्थानीय जनता का सहयोग नहीं मिल पाता है। वनों की सुरक्षा के लिये लागू निषेधात्मक प्रावधानों को लागू करने के दौरान जनता के हितों को कई मौकों पर प्रतिबंधित करना पड़ता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वन कर्मियों को विस्तार विधियों की समुचित शिक्षा/प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, जिससे ये ग्रामीणों का विश्वास अर्जित कर उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर सकें। इससे विभिन्न सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे रोपण क्षेत्रों के लिये सामाजिक बागड (Social fencing) की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सकेगा।

सामाजिक वानिकी संदेश जन सामान्य तक पहुंचाने के लिये निम्नानुसार विधियां अननाई जा सकती है –

1. घरों ,खेतों एवं कार्य स्थलों पर ग्रामीणों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रचार प्रसार किया जा सकता है।
2. पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, सम्मेलन, प्रदर्शन, फिल्म, बैठकों आदि के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
3. विशिष्ट व्यक्तियों के करकमलों से पंचायत की सामुदायिक भूमि, निजी भूमि, शाला परिसर इत्यादि स्थलों पर वृक्षारोपण कराकर प्रचार प्रसार करना।

4. मेंलों तथा पर्व त्यौहारों के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजनों का लाभ उठा कर दृश्य–श्रव्य माध्यमों की मदद से सामाजिक वानिकी संदेशों का प्रचार प्रसार करना।
5. नियमित चलचित्र प्रदर्शन एवं नुक्कड़ नाटक।
6. टीवी ,रेडियो , अखबार , पत्र पत्रिकाओं एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से।
7. सफल रोपण क्षेत्रों, रोपणियों आदि का जनता को प्रदर्शन।
8. ऊर्जा बचत के साधनों का प्रदर्शन एवं उनके लाभ से ग्रामीणों को अवगत कराना।
9. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोंतो का प्रदर्शन एवं तकनीकी जानकारी प्रदाय करना।
10. कार्यक्रमों से संबंधित पर्चे, पोस्टर साहित्य आदि वितरण करना।
11. वृक्ष संरक्षण एवं वन्य प्राणी से जुड़ी विस्तृत सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को पुनः जीवित करना।
12. शैक्षणिक संस्थाओं में पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित नाटक का मंचनं
13. संबंधित विषयों पर वाद विवाद, चित्रकला एवं निबन्ध प्रतियोंगिताओं का आयोजन।
14. स्वैच्छिक एवं गैर शासकीय संस्थाओं एवं संगठनों के सहयोग से प्रचार प्रसार करना।

23.8.1 ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत :–

ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को अपनाते समय यह देखा जाना आवश्यक है कि ये स्त्रोत नवीनीकरण हो, स्थानीय तौर पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो तथा इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत निम्न हैं –

1. **गोबर गैस :–** इसकी स्थापना से जलाऊ लकड़ी की खपत में कमी होगीं
2. **बायोगैस :–** इस संयत्र में गोबर के अतिरिक्त मानव मल तथा वानस्पतिक कूड़े–करकट का उपयोग किया जाता है।

3. **सौर ऊर्जा के विभिन्न साधन :–** सौर ऊर्जा अक्षुण्ण है। सोलर कुकर, सौर वाटर हीटर तथा सौर बैटरियों के उपयोग से जलाऊ लकड़ी खपत को कम किया जा सकता है।
4. **उन्नत (धुआँ रहित) चूल्हा :–** इन चूल्हों के उपयोग से 30–40 प्रतिशत जलाऊ लकड़ी बचत होगी एवं धुआँ भी काफी कम होगा।
5. **किसान/उन्नत सिगड़ी :–** इसके उपयोग से 50 प्रतिशत तक की जलाऊ लकड़ी बचत की जा सकती है।
6. **प्रेशर कुकरः–** इसके उपयोग से ऊर्जा की बचत होती है।

23.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

वन विस्तार के अंर्तगत कार्यक्रम का निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाना कार्यक्रम के विकास एवं आवश्यक सुधार हेतु अत्यंत आवश्यक है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एकत्रित जानकारी का समय–समय पर विश्लेषण किया जाएगा। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी (फीड बैक) का आवश्यकतानुसार उपयोग, कार्यक्रम में सुधार लाने एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मूल्यांकन, फीड बैक तथा इसमें आवश्यक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए तभी दूरगामी परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

इसके लिये प्रत्येक विस्तार कार्यकर्ता को दो माह के अन्तराल से व्यक्तियों/सस्थाओं से कम से कम तीन बार सम्पर्क कर उसका अभिलेख निम्नानुसार प्रपत्र में रखना चाहिए :–

1. सम्पर्क किए गए व्यक्ति/संस्था का नाम ––––––––––––––––––
2. सम्पर्क की दिनांक ––––––––––––––––––––––––––––––––
3. प्रदर्शित उपकरण एवं कार्यक्रमों का विवरण ––––––––––––––––
4. कार्यक्रमों के प्रति इच्छुक/अनिच्छुक –––––––––––––––––––––
5. कार्यक्रमों के प्रति सम्पर्क के दौरान आय सुझाव–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

प्रत्येक कार्यक्रम का निश्चित अन्तराल पर मूल्यांकन किया जाना, कार्यक्रम के विकास एवं सुधार हेतु अत्यनत आवश्यक है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एकत्र जानकारी का समय–समय पर विश्लेषण किया जावेगा। ग्रामीणों से प्राप्त विचारों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर कार्यक्रम में सुधार लाकर अधिक प्रभावी बनाया जावेगा। इसे एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना है।

- **पंचायतों को वन विभाग से संबंधित अधिकारों का प्रत्यायोजन :–**

संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संम्पूर्ण भारत वर्ष में सभी स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया हैं। उपरोक्त संशोधन द्वारा संविधान में 11 वीं अनुसूची का समावेश किया गया है, जिसमें वर्णित कार्य अब पंचायतों के माध्यम से निष्पादित होंगें। म.प्र.में नवगठित त्रिस्तरीय पंचायतों का वन विभाग से संबंधित अधिकारों का प्रत्यायोजन परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट–105 में दी गई है।

उपरोक्त संविधान संशोधन के संदर्भ में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में पारित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम की धारा 53(1) के अनुसार ''राज्य सरकार'' इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा पंचायतों के अर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये (जिसके अंतर्गत वे विषय आते है तो अनुसूचीबद्ध है) योजना की तैयारी और उसका क्रियान्वयन सौंप सकेगी।

अनुसूची 4 के अनुक्रमांक 6 में सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी अनुक्रमांक 7 में लघु वनोपज एवं अनुक्रमांक 12 में ईंधन व चारा तथा अनुक्रमांक 15 में अपरम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत अधिसूचित है। म.प्र. शासन द्वारा ग्राम स्वराज की स्थापना के संबंध में ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित अधिकार परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट–106 में दी गई है।

23.10 लोक वानिकीः निजी एवं सामुदायिक वन प्रबंधन :–

23.10.1 प्रस्तावना :–

लोक वानिकी निजी, सामुदायिक तथा राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्रों को वैज्ञानिक वन प्रबंधन के दायरे में लाने के लिये मध्यप्रदेश शासन की पहल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोदा वर्मन की याचिका क्रमांक 202/95 की सुनवाई के दौरान व्यवस्था दी थी, कि किसी भी प्रकार का वन क्षेत्र, चाहे वह वन विभाग के अधीन हो अथवा निजी हो या सामुदायिक रूप से उपयोग में लाया जाता हो, का वैज्ञानिक प्रबंधन के बिना विदोहन नहीं किया जायेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में निजी एवं राजस्व वनों के प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 2001 में ''लोक वानिकी अधिनियम, 2001'' (परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–67) पारित किया गया तथा शासन द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2002 में ''लोक वानिकी नियम, 2002''(परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–107) बनाये गये। प्रदेश में भूमि स्वामी एवं राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु बनाया गया ''मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001'' तथा ''मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002'' केवल ऐसे निजी एवं राजस्व क्षेत्रों पर लागू होंगे, जिनका भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के रूप में स्वैच्छिक प्रबंध करना चाहेंगे। यह अधिनियम सभी भूमिस्वामियों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होगा। प्रबंध योजना मंजूरी के बाद क्रियान्वयन प्रारंभ करने के बाद इसका पालन आवश्यक होगा।

लोक वानिकी योजना निजी एवं राजस्व वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत कृषकों की निजी भूमि, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्षेत्र में उपलब्ध राजस्व वन क्षेत्र का प्रबंधन एक सुनिश्चित कार्य आयोजना के अन्तर्गत किया जाता है। लोक वानिकी के अन्तर्गत प्रबंध योजना न केवल वनोपज की कटाई अपितु वृक्षारोपण इत्यादि के माध्यम से पुनरुत्पादन को सुनिश्चित करते हुऐ वनों को सतत् रूप से उत्पादक बनाने की प्रक्रिया है। प्रबंध योजना के माध्यम से परिपक्व काष्ठ का विदोहन कर भूमि स्वामी, ग्राम

पंचायत, ग्राम सभा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकेगा तथा गैर वन भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर हरित आवरण बढ़ाया जा सकेगा।

इस कार्यक्रम से कृषक, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा आत्मनिर्भर होंगे और उनकी आर्थिक आमदनी का मार्ग सुलभ होगा। इमारती, जलाऊ तथा विभिन्न बहुउपयोगी कार्यों के लिए काष्ठ की उपलब्धता आसान होगी, फलस्वरूप वनों पर बढ़ने वाले जैविक दबाव को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

23.10.2 लोक वानिकी के उद्देश्य –

- निजी या राजस्व विभाग के अधीन शासकीय वृक्षाच्छादित क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।
- निजी तथा राजस्व विभाग के वृक्षाच्छादित क्षेत्रों को वैज्ञानिक प्रबंध के अन्तर्गत लाते हुये सतत् प्राप्ति के सिद्धांत को अपनाकर भूमि स्वामियों की आय के स्त्रोत के रूप में विकसित करना एवं साथ ही पारिस्थितिकीय लाभ लेना।
- वनोपज उगाने वाले कृषकों, इच्छुक पंचायतों तथा वनाधारित उद्योगों के बीच पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे कृषकों/पंचायतों को उनके द्वारा उगाई गई वनोपज के लिये विश्वसनीय बाजार मिल सके और वनाधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके।
- गैर काष्ठ वनोपज, औषधीय और सुगंधित पौधे आदि के उत्पादन को निजी क्षेत्र में लाभदायक गतिविधि के रूप में स्थापित करना जिससे इन उत्पादों की मांग को सतत् आधार पर पूरा किया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये नये अवसर सृजित किये जा सकें।
- वनोपज उत्पादक व्यक्तियों/पंचायतों एवं संस्थाओं को संगठित रूप से वानिकी गतिविधियाँ संचालित करने की व्यवस्था स्थापित करना जिससे नवीनतम तकनीकों तक वे स्वयं पहुँच बना सकें एवं वे स्वावलंबी रूप से वनोपज के बाजार को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।

- म.प्र. शासन द्वारा वनोपज उत्पादक व्यक्तियों की 62 वृक्ष प्रजातियों को परिवहन पास (टी.पी.) से मुक्त करने सम्बन्धी नीति का किसानों के बीच प्रचार–प्रसार करना।
- उत्पादकों द्वारा निजी/राजस्व क्षेत्र में उगाई गई सभी प्रकार की वनोपजों से कुल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करते हुये वनों पर बढ़ते दबाव को कम करना।
- विभिन्न प्रकार की वनोपज के व्यापार के लिये उपयुक्त नीतियाँ तथा विधि सम्मत सरलतम तथा पारदर्शी प्रणाली विकसित करना।

23.10.3 म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 :–

भोपाल जिले में अधिसूचना क्रमांक एफ– 05–46–98–दस 2 दिनांक 29.04.2003 से मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 दिनांक 01.05.2003 से प्रभावशील किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रबंध योजना तैयार करना, प्रबंध योजना का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, तथा अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। ''मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम संशोधन, 2005'' द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध योजना तैयार करने हेतु चार्टर्ड फॉरेस्टर की अनिवार्यता समाप्त की गई है। म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (म.प्र. अधि. क्र. 10 सन् 2001) अधिसूचित कर राज्य में निजी भूमि पर स्थित वन एवं वृक्षों से आच्छाादित अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिये अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम भूमि धारकों को उनके वृक्ष आच्छादित भूमि के प्रबंधन से अधिक से अधिक आय प्राप्त करने तथा समाज को पर्यावरणीय लाभ पहुँचाने के अवसर उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम के प्रावधान स्वैच्छिक प्रकृति के हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 1 (3) में उल्लेखित है। अधिनियम की धारा 3 में चार्टर्ड फॉरेस्टर के माध्यम से प्रबंधन प्लान बनाने का प्रावधान किया है। अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 में क्रमशः प्रबंधन प्लान के अनुमोदन, क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 7 चार्टर्ड फॉरेस्टर के नामांकन के लिये प्रावधान करता है। प्रबंध योजना क्रियान्वयन के उल्लंघन के

लिए दण्ड का प्रावधान अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में दिया गया है। अधिनियम की धाराओं 10, 11, 12 एवं 13 में अन्य प्रावधान दिये गये हैं।

23.10.3.1 म.प्र. लोक वानिकी नियम, 2011 :–

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–17–2008–X–2 भोपाल, दिनांक अप्रैल 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्र.10, सन् 2001) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक वानिकी नियम, 2011 बनाये हैं। इस नियम के उप नियम 3 में प्रबंध योजना तैयार करने एवं इसकी स्वीकृति के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। जिसमें भूमि स्वामी जो अपने वृक्षाच्छादित क्षेत्र के प्रबंधन के लिये इच्छुक हो तैयार की गयी प्रबंधन योजना की स्वीकृति हेतु फार्म नं.–1 में वनमंडलाधिकारी को आवेदन करेगा। ग्राम पंचायत/ग्राम सभा उनके क्षेत्र में वृक्षाच्छादित भूमि के प्रबंधन हेतु फार्म नं.–2 में वनमंडलाधिकारी को आवेदन करेगी। प्रबन्धन योजना स्वीकृति के लिये वनमंडलाधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। प्रबधंन योजना का क्षेत्र 10 हेक्टे. या उससे अधिक होने पर 30 दिवस के अंदर वनमंडलाधिकारी अपने अभिमत सहित प्रबंधन योजना राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अनुमोदन के लिये प्रेषित करेंगे। प्रत्येक भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा सक्षम अधिकारी से प्रबंधन योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों एवं शर्तों का क्रियान्वयन करेगी। प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण सक्षम अधिकारी द्वारा वनक्षेत्रपाल की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जावेगा। जिसमें राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के एक–एक प्रतिनिधि रहेंगे। समिति अपनी अनुशंसा सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगी। प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में उल्लंघन को वनमंडलाधिकारी संज्ञान में लेगा और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इसकी सूचना देगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कारण बताओ सूचना जारी करेगा तथा संबंधित भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा सूचना का जबाव देने में असफल रहने पर अनुविभागीय अधिकारी अधिनियम की धारा

8 के तहत 30 दिवस के अंदर निर्णय करेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश के विरुद्ध जिला कलेक्टर को अपील की जा सकेगी।

23.10.4 लोक वानिकी योजना अंतर्गत जारी प्रशासनिक निर्देश :–

मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) द्वारा लोक वानिकी योजनांतर्गत समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। जिनमें (1) पत्र क्रमांक 3973 दिनांक 14.12.2005 द्वारा लोक वानिकी योजना के क्रियान्वयन में अधिनियम की धारा 5 (2) में उल्लेखित मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 का पालन सुनिश्चित करना, (2) परिपत्र पृ. क्र. 2537 दिनांक 17.08.2005 के माध्यम से प्रबंध योजना के अंतर्गत बहुस्तरीय रोपण तथा औषधीय रोपण, (3) पत्र क्रं. 2295 दिनांक 16.08.2004 द्वारा योजनांतर्गत उच्च कोटि के पौधे प्रदाय करने बावद् मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 द्वारा वृक्षारोपण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण अथवा अनुदान उपलब्ध कराने बावद्, (4) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पृ.क्र. 05 नवम्बर 2005 द्वारा लोक वानिकी हितग्राही के स्वामित्वों की राष्ट्रीयकृत वनोपज काष्ठ को वन विभाग को विक्रय करने बावद् प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही के स्वामित्व की राष्ट्रीयकृत वनोपज काष्ठ को वन विभाग को विक्रय करने संबंधी निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–108 में दर्ज है। प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कक्ष अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 16.05.2007 के अनुसार लोक वानिकी के अंतर्गत तैयार प्रबंध योजनाओं में वानमेण्टल सूत्र के अनुसार पातन योजना तैयार की जाना आवश्यक नहीं होगा।

म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक F 30–08–2002–दस–3 दिनांक 24 सितम्बर 2015 में निजी स्वामित्व की 53 वृक्ष प्रजातियों को परिवहन पास (टी. पी.) से मुक्त किया था जिसे बाद में 11 अप्रैल 2017 को संशोधित कर 62 वृक्ष प्रजातियों को परिवहन पास (टी.पी.) से मुक्त कर दिया गया है। इस आदेश में उल्लेखित जिले की मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ जैसे–बबूल, सुबबूल, आम, नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर, सिरस, चिरोल, यूकेलिप्टस आदि परिवहन पास (टी.पी.) से मुक्त हो जाने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने पर

किसी भी प्रकार के परिवहन पास (टी.पी.) की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी वन मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रशासनिक निर्देश जारी किये गये हैं जिनका पालन कार्य आयोजना क्षेत्र में लोक वानिकी के क्रियान्वयन में किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 18/07/2019 की छायाप्रति परिशिष्ट क्रमांक–109 में दी गई है।

23.10.5 लोक वानिकी से लाभ –

- इच्छुक भूमि–स्वामियों की निजी भूमि पर उपलब्ध वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा दोहन द्वारा भूमि स्वामी को नियमित आय प्रदान कराना।
- वन प्रबंधन योजना हेतु प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाना। प्रबंधन में वानिकीविदों से समन्वय किया जाना।
- काटी गई वन संपदा के स्थान पर उच्च गुणवत्ता के पौधों के रोपण की तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाना ताकि कम समय में अधिक वन उपज तथा नियमित आय प्राप्त की जा सके।
- निजी वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना।
- वानिकी को लाभदायक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाना।

23.10.6 भोपाल वनमण्डल के अंतर्गत लोक वानिकीः–

निजी भूमि, सामुदायिक भूमि एवं राजस्व विभाग के अधीन भूमि पर भी वन क्षेत्र उपलब्ध हैं। वनमण्डल के ग्रामीण क्षेत्र में आयतन के आधार पर वनक्षेत्र के बाहर सबसे कम pongamia pinnata प्रजाति 4409 घन.मी है तथा सबसे अधिक खजूर प्रजाति 78424 घन.मी है। किसानों के खेतों की मेढ़ एवं पड़त भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष हैं। अतएव जिले के अंतर्गत लोक वानिकी कार्यक्रम को वृहद स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु संभावनाएँ उपलब्ध हैं। लोकवानिकी योजना के अंतर्गत स्वीकृत/प्रबंधित समस्त निजी वन/लोक वनक्षेत्रों की परिक्षेत्रवार जानकारी निम्नुनसार है–

तालिका 23.3

परिक्षेत्र समर्धा –

क्र.	प्रकार निजीवन/ लोक वन	वन स्वामी का नाम	वनक्षेत्र की स्थिति			प्रबंधन योजना स्वीकृति का वर्ष
			ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (.हे)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1)	श्री उमराव सिंह आ रामलाल 0	कासी बरखेड़ा	185	1.600	2008

तालिका 23.4

परिक्षेत्र का नाम :–समर्धा

प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में विदोहन						
वर्ष	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	उत्पादित वनोपज	मात्रा	मूल्य	भूगतान की गई राशि यदि वनोपज का विक्रय विभाग को किया गया
8	9	10	11	12	13	14
09-2008	सागौन सतकट/	6518	फड़ी इमारती/	87.327	992	-
11-2010	सागौन सतकट/	12229	फड़ीइमारती/	91.447	8831	-
12-2011	सागौन सतकट/	6001	फड़ीइमारती/	53.202	9469	-
13-2012	सागौन सतकट/	8138	फड़ीइमारती/	83.12	13015	-
14-2013	सागौन सतकट/	5940	फड़ीइमारती/	69.864	2784	-
15-2014	सागौन सतकट/	4736	फड़ीइमारती/	40.815	6625	-
16-2015	सागौन सतकट/	5422	फड़ीइमारती/	47.25	3349	-
17-2016	सागौन सतकट/	3819	फड़ीइमारती/	35.8	4501	-
18-2017	सागौन सतकट/	3853	फड़ीइमारती/	39.17	2269	-
19-2018	सागौन सतकट/	2592	फड़ीइमारती/	28.588	1750	-

तालिका 23.5

परिक्षेत्र का नाम :–बैरसिया/नजीराबाद

प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में विदोहन						
वर्ष	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	उत्पादित वनोपज	मात्रा	मूल्य	भूगतान की गई राशि यदि वनोपज का विक्रय विभाग को किया गया
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
09-2008	सागौन	5888	127.080	127.080	-	-
11-2010	सागौन	3313	126.990	126.990	-	-
12-2011	सागौन	2317	160.210	160.210	-	-
13-2012	सागौन	1264	82.000	82.000	-	-
14-2013	सागौन	401	99.63	99.63	-	-

प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में विदोहन						
वर्ष	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	उत्पादित वनोपज	मात्रा	मूल्य	भूगतान की गई राशि यदि वनोपज का विक्रय विभाग को किया गया
8	9	10	11	12	13	14
15-2014	सागौन	33	92.53	92.53	-	-
16-2015	सागौन	470	43.11	43.11	-	-
17-2016	सागौन	6410	37.92	37.92	-	-
18-2017	सागौन	25	6.732	6.732	-	-
19-2018	सागौन	40	53.80	53.80	-	-

तालिका 23.6

परिक्षेत्र का नाम :–बैरसिया/नजीराबाद

प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में विदोहन			
वर्ष	प्रजाति	रोपित पौधो की संख्या	अन्य विवरणक्या स्वीकृति प्रबंधन , योजना के अनुरूप ही कार्य किया गया
1	2	3	4
09-2008	बांस	14	-
09-2008	आंवला	38	-
09-2008	नींबू	17	-
09-2008	सागौन	44	-
09-2008	अमरूद	04	-
09-2008	कटहल	04	-
09-2008	सुबबूल	116	-
11-2010	बांस	20	-
11-2010	आंवला	40	-
11-2010	नींबू	20	-
11-2010	सागौन	46	-
11-2010	अमरूद	06	-
11-2010	कटहल	08	-
11-2010	सुबबूल	115	-

23.10.7 लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयाँ :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब तबके के लोगों में लोक वानिकी की गतिविधियों की पर्याप्त जानकारी का अभाव है। बिचौलियों द्वारा गरीब ग्रामीणों विशेषकर आदिवासियों में जानकारी के अभाव का फायदा उठाकर अवैधानिक तरीके से वनोपज खरीदने की कार्यवाही की जाती है जिससे आदिवासियों को वनोपज का पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है।

- राजस्व अधिकारी द्वारा 60 से.मी. से अधिक गोलाई के वृक्षों को ही अभिलेखों में दर्ज किया जाता है जबकि प्रबंध योजना में 20 से.मी. गोलाई से अधिक वृक्षों का उल्लेख करना अनिवार्य है। राजस्व अधिकारी द्वारा दर्ज वृक्ष की संख्या एवं चार्टर्ड फॉरेस्टर द्वारा अभिलेखित वृक्षों की संख्या में अंतर होने के कारण प्रबंध योजना तैयार करने एवं उसकी स्वीकृति जारी करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। राजस्व भू–अभिलेख में सुधार किया जाना आवश्यक है।
- आदिवासी भूमि–स्वामी के प्रकरणों में यद्यपि प्रबंध योजना वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, परंतु कटाई की स्वीकृति जिला कलेक्टर से प्राप्त होने के पश्चात् ही कटाई की कार्यवाही किये जाने के कारण आदिवासी भूमि–स्वामी को लोक वानिकी कार्यक्रम में अपेक्षित लाभ नहीं हो पा रहा है।
- काष्ठ के विदोहन, परिवहन एवं ग्रेडिंग उपरान्त भुगतान में लंबा समय लगने के कारण गरीब भूमि–स्वामी द्वारा अक्सर बिचौलियों को काष्ठ बेच दी जाती है। जिससे उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाता। लोक वानिकी के अन्तर्गत विभागीय तौर पर कटाई एवं विदोहन कार्य कराकर शीघ्र भुगतान कराते हुये ग्रामीण गरीब आदिवासियों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराकर सीधे उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है।

23.10.8 लोकवानिकी योजना के विकास हेतु सुझाव –

स्वीकृत प्रबंध योजना की प्रगति से स्पष्ट है कि लोकवानिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में विभाग को अग्रणी भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्न प्रयास किए जाने आवश्यक होंगे–

1 लोक वानिकी के अन्तर्गत आदिवासी कृषकों की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत काष्ठ विदोहन में होने वाला प्रारंभिक व्यय विभाग द्वारा या वन समिति के पास उपलब्ध राशि से वहन किया जाये और बाद में भुगतान की गई राशि में समायोजित किया जावे। सीमांकन एवं विवादित नामांतरण की कार्यवाही में काफी समय

लग जाता है इससे भी काफी विलम्ब हो रहा है। इस हेतु वनमंडल अधिकारी एवं उप–वनमंडल अधिकारी को जिलाध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से समन्वय स्थापित कर इन समस्याओं का निराकरण कराना चाहिए।

2 विभिन्न स्तरों पर लगने वाले समय की समय सीमा तय होना चाहिये जिससे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा। वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा भी प्रत्येक तीन माह में लोकवानिकी के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण एवं उनके निराकरण की समीक्षा की जानी चाहिए । परिक्षेत्र स्तर पर लोकवानिकी नियमान्तर्गत मॉनीटरिंग कमेटी बनाई गई है। मॉनीटरिंग का कार्य नियमित रूप से किया जावे। वनमण्डल स्तर पर एक लोकवानिकी सेल का गठन किया जाना चाहिए। जिसकी समीक्षा प्रतिमाह वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

3 लोक वानिकी अधिनियम में वर्ष 2005 में हुये संशोधन के अनुसार आवेदक द्वारा वनमण्डल कार्यालय में प्रबंध योजना प्रस्तुत करने पर यदि 01 माह के अंदर वनमण्डल अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रस्तुत प्रबंध योजना स्वमेव स्वीकृत मानी जायेगी।

4 स्वीकृत प्रबंधन योजना की एक प्रति कृषकों को दी जानी चाहिए। स्वीकृत प्रकरणों की वनमंडल स्तर पर वार्षिक समीक्षा होनी चाहिए जिसमें उन कृषकों को भी बुलाया जाना चाहिए जिससे कृषकों को आ रही कठिनाईयों का निराकरण तथा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हो सके। परिक्षेत्र स्तर पर गठित मॉनिटरिंग कमेटी की नियमित बैठक करते हुये स्वीकृत प्रबंध योजना तथा स्वीकृति हेतु लंबित प्रबंध योजना से संबंधित कृषकों के साथ संवाद स्थापित कर रुकावटों के निराकरण की कार्यवाही की जाये।

23.10.9 लोकवानिकी योजना के विकास हेतु प्रयास –

1 लोकवानिकी एक स्वैच्छिक योजना है। भोपाल वनमण्डल में कृषकों की भूमि पर वन हैं, क्षेत्रीय अमले से ऐसे वृक्ष युक्त क्षेत्र की पहचान कराकर कृषकों को जोड़कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

2 जानकारी के अभाव में कृषक इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस संबंध में परिक्षेत्र स्तर पर चयनित कृषकों की कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित कर प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

3 लोक वानिकी के सफल क्रियान्वयन स्थल का अध्ययन प्रवास कृषकों एवं विभागीय अमले को करवाना चाहिए।

4 इस कार्य हेतु विभाग से चयनित चार्टर्ड फॉरेस्टर की सेवा लेना चाहिए।

23.10.10 लोक वानिकी की गतिविधियों का अनुश्रवण –

निम्नानुसार पत्रों में लोक वानिकी की गतिविधियों की जानकारी वनमंडल स्तर पर रखा जायगाः–

प्रपत्र– 01

लोक वानिकी के तहत् प्रबंध योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

कुल प्राप्त प्रबंध योजनाएँ	व.म.अ. द्वारा स्वीकृत प्रबंध योजनाएँ	भारत शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रबंध योजनाएँ	वनमंडल में लंबित प्रबंध योजनाएँ	क्रियान्वित की गई प्रबंध योजनाएँ	भुगतान प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र – 02

भूमिस्वामी के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विवरण (संपदा सर्वेक्षण प्रपत्र)

जिले का नाम	वनमंडल का नाम	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	ऐसे राजस्व ग्रामों की संख्या जिनमें भूमि स्वामियों के वृक्षाच्छादित क्षेत्रों का आंकलन हुआ	क्र. 4 के ऐसे ग्रामों की संख्या जिनमें भूमिस्वामी के वृक्षाच्छादित क्षेत्र नहीं है।	क्र. 4 के अंतर्गत पाये गये वृक्षाच्छादित क्षेत्र का विवरण		क्र. 5, 6, 7, का मिलान राजस्व आंकड़ों से हो गया है यदि हाँ तो ग्रामों की संख्या	सर्वेक्षण हेतु शेष ग्रामों की संख्या	विशेष विवरण
					भूमिस्वामियों की संख्या	क्षेत्र हेक्टे. में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र – 03

राजस्व विभाग के अधीन वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विवरण (संपदा सर्वेक्षण प्रपत्र)

जिले का नाम	वनमंडल का नाम	ऐसे ग्रामों की संख्या जहाँ वृक्षाच्छादित राजस्व भूमि उपलब्ध है।	क्र. 3 में दर्शित ग्रामों में से कितने ग्रामों की भूमि का सर्वेक्षण राजस्व विभाग द्वारा किया गया है	क्र. 4 में दर्शित ग्रामों में से कितने ग्रामों की भूमि इच्छुक ग्राम पंचायतों को प्रबंधन हेतु सौंपी गई			ऐसे ग्रामों की संख्या जहाँ वृक्षारोपण योग्य राजस्व पड़त भूमि उपलब्ध है	विशेष विवरण
				ग्रामों की संख्या	पंचायतों की संख्या	रकबा हे. में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र –04

चार्टर्ड फॉरेस्टरों/वानिकीविदों के पंजीयन से संबंधित जानकारी

क्र.	वन मंडल का नाम	चार्टर्ड फॉरेस्टर का नाम सम्पूर्ण पता फोन व फैक्स नं.	पंजीयन क्र. /दिनांक	प्रबंध योजना जो बनाकर प्रस्तुत की गयी
1	2	3	4	5

प्रपत्र – 05 (अ)
नवीन 20 सूत्रीय कार्यक्रम–लोकवानिकी के अंतर्गत प्रबंधन में लिये गये वन क्षेत्र की जानकारी

क्र	जिला	वन मंडल	प्रबंध में लिये गये वन क्षेत्र की जानकारी					प्रबंध योजना का विवरण		भूमिस्वामी / ग्राम पंचायत को विदोहन पश्चात भुगतान की गई राशि	विशेष विवरण
			निजी वन			लोक वन		प्रबंध योजना तैयार करने वाले चार्टर्ड फारेस्टर का नाम	प्रबंध योजना मंजूरी का क्र. एवं दिनांक		
			भूमि स्वामी का नाम व पता	पटवारी हल्का क्र.	क्षेत्रफल हे. में	ग्रामपंचायत का नाम पटवारी हल्का क्र	क्षेत्रफल हे. में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र – 05 (ब)
नवीन 20 सूत्रीय कार्यक्रम–लोकवानिकी के अंतर्गत प्रबंधन में रोपित पौधों की जानकारी

क्र	जिला	वन मंडल का नाम	भूमि स्वामी / ग्राम पंचायत का नाम व पता	वर्षवार रोपित किये गये पौधों का विवरण						योग	विशेष विवरण
				वर्ष		वर्ष		वर्ष			
				प्रजाति	संख्या	प्रजाति	संख्या	प्रजाति	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

23.10.10 खेतों की मेढ़ों पर बांस रोपण– बांस रोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा किसानों के खेतों की मेंढ़ पर बांस मिशन योजना लागू की गई है जिसका विस्तृरत विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–110 में दिया गया है।

————00————

अध्याय–24
ईको–पर्यटन
(Eco-tourism)

24.1 ईको–पर्यटन उद्वेश्य :–

संरक्षित क्षेत्रो मे वन्यप्राणी पर्यटन का मुख्य उद्वेश्य जन साधारण मे वनो एवं वन्य प्राणियो के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और संरक्षण मे उनका सहयोग प्राप्त करना रहा है। वनो मे प्रर्यटन प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उद्वेश्य निर्धारित किये गये है ।

1 उचित प्रबंधन एवं व्याख्या के जरिए लोगो के प्रवास को ज्यादा से ज्यादा आन्नद दायक और ज्ञानवर्धक बनाना।

2 प्राकृतिक रहवास और वन्य प्राणियो पर पर्यटन के प्रभावो को न्यूनतम करना।

3 प्रकृति संरक्षण के लिये पर्यटको मे रूचि जागृत कर उनका सहयोग प्राप्त करना। प्रदेश मे ऐसे कई राष्ट्रीय उधान और अभ्यारण है, जहा काफी संख्या मे देशी विदेशी पर्यटक आते है। संरक्षित क्षेत्रो के मूल उद्वेश्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इस प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के आवश्यकता है। इस वन प्रबंधन के संबंध मे एक नई अवधारणा पनपी है, जिसके अनुसार इकोपर्यटन को वनो के उत्पाद के रूप मे मानते हुए इसका प्रबंधन उचित तरीके से करने की आवश्यकता है। इसी अवधारणा के फलस्वरूप संरक्षित क्षेत्रो के बाहर के वन क्षेत्रो मे भी प्रकृति पर्यटन या इको पर्यटन के विकास को बढावा देने का विचार किया गया है। इसके लिए यह जरूरी है कि इकोपर्यटन को वन क्षेत्रो की पहचान कर इनके प्रबंधन के विस्तृत दिशा निर्देश दिये जाये।

''ईकोपर्यटन'' का उद्देश्य है कि जहां एक ओर पर्यटकों को प्राकृतिक क्षेत्रों के सुरम्य वातावरण का अवलोकन करने एवं आनंद उठाने का अवसर मिले, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सामाजिक व

पारिस्थितिकीय रूप से लम्बे समय तक बना रहे , साथ ही प्रकृति के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा मिलती रहे, तथा पर्यटन प्रबंधन में स्थानीय लागों की भागीदारी हो और उनके लिए आजीविका के नये अवसर मिल सके।

24.2 मध्यप्रदेश राज्य वन नीति 2005 के महत्वपूर्ण बिन्दु :–

मध्यप्रदेश राज्य वन नीति 2005 में ईको पर्यटन के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं –

1 जन साधारण में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने, विशेषकर उन्हें वन्य प्राणियों एवं संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों तथा इनके बाहर उपयुक्त वन क्षेत्रों में ईको पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

2 ईको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु ऐसे क्षेत्रों के लिए पहुँच मार्गों का समुचित विकास किया जायेगा।

3 ईको पर्यटन की मुख्य अवधारणा के अनुरूप पर्यटन का स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं सामाजिक अनुकूलता के साथ–साथ वनाश्रित समुदायों को पर्यटन से होने वाले लाभों में सहभागी बनाने वाला होगा।

4 सुविख्यात संरक्षित क्षेत्रों के ऊपर पर्यटन का दबाव कम करने हेतु अधिक से अधिक अन्य संरक्षित क्षेत्रों एवं बाहर के वनों में राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप ईको पर्यटन का विकास किया जायेगा।

5 वन क्षेत्रों में ईको पर्यटन का विकास ईको पर्यटन प्रबंध योजना तैयार कर उसके अंतर्गत ही किया जायेगा। ईको पर्यटन प्रबंध योजना में प्राकृतिक साधनों जैसे–पानी एवं ऊर्जा के संरक्षण तथा कचरा निपटान (वेस्ट डिस्पोजल) के लिये (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम– 2015 एवं

संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम –2016) स्पष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जायेगा।

6 वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक, पुरातत्व अथवा ऐतिहासिक महत्व की धरोहर जैसे–देवी–देवताओं की प्रतिमाओं, प्राचीन मूर्तियों, शैल चित्रों, जीवाश्मों, ऐतिहासिक किलों आदि को सूचीबद्ध कर अभिलिखित किया जायेगा तथा उनका जीर्णोद्धार एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

7 ईको पर्यटन को अधिक आकर्षक एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समस्त ईको पर्यटन क्षेत्रों में इंटरप्रेटेशन सेन्टर बनाये जायेंगे साथ ही स्थानीय शिक्षित ग्रामीणों को इस विधा में प्रशिक्षित कर व्यक्तिगत ज्ञान और रुचि को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे न केवल पर्यटक लाभान्वित होंगे अपितु ग्रामीणों को रोज़गार भी उपलब्ध हो सकेगा।

8 संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ वनों पर जैविक दबाव एवं प्रदूषण को न्यूनतम रखने हेतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा पर राजस्व क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का सुनियोजित विकास किया जायेगा कि किसी प्रकार से वन क्षेत्रो पर कम से कम विपरीत प्रभाव पडे।

9 ईको पर्यटन से प्राप्त आय को प्रबंधन, इंटरप्रेटेशन एवं ईको विकास के कार्यों पर व्यय करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

10 ईको पर्यटन कार्य हेतु संरक्षित क्षेत्रों में विशिष्ट अमला संविदा पर रखा जावेगा ताकि सामान्य अमले को इस कार्य पर लगाने के कारण संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

11 ईको पर्यटन से वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के सतत् अनुश्रवण के लिये प्रक्रिया का निर्धारण कर समुचित व्यवस्था की जायेगी ताकि प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित एवं न्यूनतम किया जा सके।

12 वनों में संरक्षित क्षेत्रों के अलावा ऐसे अनेक स्थल हैं, जो प्राकृतिक रुप से विशिष्ट पहचान रखते हैं जैसे वन, नदी, झरने, झीलें, पुरातत्वीय दृष्टि

से प्रसिद्ध मंदिर, किले, तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थल, जिनको विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करने योग्य बनाया जा सकता है। वनों के अंदर एवं आसपास कुछ ऐसे धार्मिक एवं मनोरंजन स्थल हैं, जहाँ पर्यटक आकर्षित होते रहे हैं। इस पर्यटन को वन पर्यटन अथवा ईको पर्यटन कहना प्रारम्भ किया गया है।

13 कार्य आयोजना क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं जो ईको पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिनको इस प्रकार से विकसित किया जाना है, ताकि नैसर्गिक साधनों के लिए सद्भावना जागृत हो। ऐसे स्थलों हेतु उत्तरदायी पर्यटन का ध्यान रखकर न्यूनतम अधोसंरचनाएँ एवं आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावें। ईको पर्यटन द्वारा ऐसे रमणीक गन्तव्य स्थल पर सुविधाएँ प्रबंधित कर समीपस्थ ग्रामवासियों का समुचित सहयोग प्राप्त करते हुए आतिथ्य कार्यों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं।

14 वन पर्यटन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संपदा विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों के प्रति जनसाधारण में रुचि जागृत करते हुऐ लगाव उत्पन्न करना तथा उनमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वन पर्यटन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा एवं सामाजिक अनुकूलता के साथ–साथ स्थानीय समुदायों/वन आश्रित समुदायों को पर्यटन से होने वाले लाभों में सहभागी बनाकर सामाजिक आर्थिक लाभ पहुँचाना भी है।

24.3 वन पर्यटन प्रबंधन :–

वन पर्यटन एक संवेदनशील मुद्दा है जिसमें वनों के भीतर स्थित शांत एवं सुंदर जगहों को लाभ पहुॅचाने के साथ ही उन्हें हानि पहुॅचाने की भी अपार संभावनाएं निहित है। वन पर्यटन में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि वन संसाधन उनके सर्वोत्तम स्वरूप में बने रहें तथा पर्यटन एवं

अन्य जैविक दबावों से खराब न हों क्योंकि पर्यटक अपने धन एवं समय का सदुपयोग प्रकृति के संरक्षित क्षेत्र में जाकर ही उपयोग करना चाहेगा। वन पर्यटन तभी सार्थक हो सकता है जब इससे पर्यटकों की प्राकृतिक पर्यावरण एवं स्थानीय संस्कृतियों की समझ बढ़े साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार को प्रोत्साहन मिले। स्थानीय लोगों का विकास हो एवं उनकी लाभ में भागीदारी हो, तथा स्थानीय लोगों के लिये वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो एवं वन पर्यटन की उनकी प्रबंधन क्षमता का विकास हो।

24.4 कार्य आयोजना क्षेत्र में ईको टूरिज्म के मुख्य स्थल :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में ईको टूरिज्म के मुख्य स्थल निम्नानुसार हैं–

24.4.1 केरवा डेम (23° 9'59.05"N 77°22'20.57"E) – केरवा डेम भोपाल के सुन्दर पिकनिक स्थलों में से एक है। यह भोपाल शहर से 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है, शहर के नजदीक होने के कारण भोपाल के निवासियों के लिए अवकाश के दिनों में प्रकृति को आंनद उठाने का एक स्थान है। इस डेम का जल ग्रहण क्षेत्र 69 वर्ग कि.मी. का है, जो भोपाल शहर की जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस डेम से लगा हुआ भोपाल वनमण्डल के समर्धा परिक्षेत्र का वनक्षेत्र है। जहां अपनी नर्सरी भी स्थापित है।

केरवा डेम विलुप्त प्राय प्रजाति उल्लू का प्राकृतिक आवास स्थल है। इस डेम के आसपास के वनक्षेत्रों में कठफोड़वा प्रजाति का पक्षी भी पाया जाता है। मानसून के दौरान मोरों की आवाज इन स्थानों पर प्राय सुनी जा सकती है। केरवा डेम के आसपास 105 प्रजाति के पक्षियों का सर्वेक्षित किया गया है। यह भोपाल के लिए ईको पर्यटन हेतु आवश्यक स्थान के रूप में विकसित हो सकता है।

24.4.2 कलियासोत डेम (23°11'26.22"N 77°23'38.19"E) – इस डेम का जल ग्रहण क्षेत्र 17 वर्ग कि.मी. का है। कलियासोत नदी भोपाल के आसपास के वनक्षेत्रों से गुजरती है। पक्षियों के दर्शन के लिए यह उपयुक्त स्थानों में से

महत्वपूर्ण है और ईको पर्यटन की गतिविधि को संचालित करने में सहायक है। इस डेम में पक्षियों की 88 प्रजातियों को सर्वेक्षित किया गया है।

24.4.3 समर्धा (23°19'50"N 77°35'06"E) – यह समर्धा परिक्षेत्र का गांव है जो वनों से अच्छादित है। यहां काफी पुराना वनविश्राम गृह है। समर्धा वन क्षेत्र भोपाल शहर के नजदीक होने के कारण ईको पर्यटन हेतु उपयुक्त है। यह भोपाल से 35 कि.मी. की दूरी पर है जो भोपाल वासियों के पहुंच में है।

24.4.4 बिलखिरिया (23°15'21"N 77°35'05"E) – यह स्थल अजनाल नदी के किनारे सांकल ग्राम के पास भोपाल रायसेन रोड पर स्थित है यह स्थल विन्ध्यन पर्वतमाला में मिश्रित सागौन वनों के बीच स्थित है। यह ईको प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। चिड़ियाताल, रायसेन का किला एवं सांकल डेम आदि ईको पर्यटन के मुख्य आकर्षण के केन्द्र हैं।

24.5 ईको पर्यटन केन्द्र से विभिन्न पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के साधन–

ईको पर्यटन रूट का केन्द्र बिन्दु जिला मुख्यालय भोपाल है, जो रेल मार्ग सड़क मार्ग एवं वायुमार्गों से देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से जुड़ा है।

24.6 आवासीय व्यवस्था –

ईको पर्यटन हेतु प्रस्तावित रूट के लिये वन विश्राम गृहों का स्थलों की आवासीय व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है। वन भवनों की जानकारी परिशिष्ट क्रमांक–5 में दर्ज है।

24.7 अधिसूचनायें:–

ईको पर्यटन को आरक्षित क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) में अधिसूचना क्रमांक एफ–15.05.2015–दस–2 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव नियम 2015 निर्मित किये गये है। जो कि अधिसूचना क्रमांक एफ–15.05.2015–दस–2 दिनांक 19 अप्रेल

2017 द्वारा मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव, नियम 2015 संशोधित लागू किया गया है। उक्त राजपत्र परिशिष्ट क्र–111 में संलग्न है।

24.8 वनक्षेत्रों में ईको पर्यटन हेतु मुख्य गतिविधियॉ :–

वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले ईको पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के अनुसार नीचे लिखी गतिविधियों को विकसित की जा सकती है –

1 ट्रेंकिग (विपथ यात्रा)

2 नेचल ट्रेल ।

3 वन्य प्राणी देखना/वन्यप्राणी फोटोग्राफी ।

4 पक्षी दर्शन/नौकायान /रैफटिंग/तैराकी/गोताखोरी /एंगलिंग ।

5 जंगल कैम्प (शिविर) आयोजित करना।

6 पैरॉसेलिंग आयोजित करना।

7 पर्वतारोहण (रॉक क्लाइम्बिंग) एवं रैपलिंग ।

8 ऐतिहासिक तथा पुरातत्व स्थलों एवं भवनों का भ्रमण।

24.9 वन पर्यटन की अपेक्षित उपयोगिता :–

1 वन पर्यटन से जुड़े सभी पक्षों जैसे–पर्यटकों, स्थानीय लोगों, आवास व्यवस्थापकों, गाइड आदि में इन्टरप्रिटेशन सेन्टर या गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना जिससे उनकी अनियंत्रित गतिविधियों से वन संसाधनों को कम से कम नुकसान हो तथा स्थानीय नागरिकों के आय श्रोत में वृद्धि हो।

2 स्थानीय समुदायों एवं ग्रामीणों का क्षमता विकास करना जिससे वे पर्यटकों हेतु सरल एवं कम खर्चीली आवास एवं भोजन व्यवस्था कर सकें एवं गाइड के रूप में उनके वन पर्यटन अनुभव को समृद्ध कर सकें। पर्यटकों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्पों एवं कलाकृतियों को अपने साथ स्मृति चिन्हों के रूप में ले जाने से इन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा।

3 प्रचार सामग्री तैयार करना जिसमें वन पर्यटन के दौरान पर्यटकों से कैसा व्यवहार एवं सावधानियाँ अपेक्षित हैं ? इसकी सरल जानकारी हो तथा वन संरक्षण एवं संवर्धन के विवरण हों।

4 इन्टरप्रिटेशन केन्द्र पर क्षेत्र की जैव विविधता, वन्य प्राणी संरक्षण, महत्वपूर्ण वन नियमों/अधिनियमों की जानकारी, औषधीय पौधों की उपलब्धता आदि के संबंध में चार्ट/बोर्ड/नवीन तकनीकी प्रचार–प्रसार के माध्यम से आवश्यक जानकारी पर्यटकों को दी जानी चाहिए।

5 नेचर ट्रेल एवं ट्रैकिंग रूट आदि के उपयोग हेतु स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों, छात्र–छात्राओं आदि को भी पर्याप्त जानकारी देकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाना चाहिए।

6 दर्शनीय स्थलों पर कचरा न फेंकने एवं साफ–सफाई रखे जाने बावत् जागरूकता बढ़ाई जाना चाहिए।

7 इन्टरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना उपरांत स्थानीय शिक्षित ग्रामीणों को इस विधा में प्रशिक्षित कर व्यक्तिगत इन्टरप्रिटेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे न केवल पर्यटक लाभान्वित होंगे अपितु ऐसे ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

8 गाइड सहित एवं गाइड रहित नेचर ट्रेल एवं पक्षी अवलोकन ट्रेल विकसित करने से वन्य पशु–पक्षियों के प्रति धनात्मक धारणा विकसित हो सके।

24.10 ईको पर्यटन स्थल विकास के सामान्य दिशा निर्देश :–

1 स्थल पर भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जावे तथा प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली संरचनाओं को क्षति नहीं पहुंचाई जावे।

2 प्राकृतिक रूप से गिरे वृक्षों का ही उपयोग नियमों का पालन करते हुए जरूरत के अनुसार किया जावे।

3 वन्य प्राणियों के रहवास में बाधा पैदा न किया जावें।

4 मार्गों और पगडंडियों पर बहने वाले पानी के बहाव की गति को कम करने के लिये बहाव की दिशा को बदल दिया जाना चाहिये, ताकि जमीन के कटाव की समस्या से बचा जा सके।

5 तालाबों, झीलों एवं बारहमाह बहने वाले नालों के किनारे पेड़ पौधे न काटे जावें क्योंकि बहते पानी में आने वाला कूड़ा–करकट एवं अन्य गंदगी को पेड़ पौधे रोक देते हैं।

6 पर्यटक निवास के आसपास पेड़ों पर उनके नाम व उसके उपयोग उपयोग आदि की पट्टिका लगायी जावे, ताकि पर्यटक इन स्थलों पर खड़े वृक्षों को पहचान सके।

24.11 ईको पर्यटन प्रबन्धन योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन –

किसी भी स्थल को ईको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु ईको पर्यटन प्रबन्धन योजना तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। योजना बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावेगा –

1 किसी प्रकार से वृक्षों को न काटा जावे तथा प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले संरचनाओं को क्षति नहीं पहुंचाई जावे।

2 वन्य प्राणियों के रहवास में बाधा पैदा न किया जावे।

3 तालाबों ,झीलों एवं बारहमाह बहने वाले नालों के किनारे के पेड़ पौधे न काटे जावें।

4 वन क्षेत्र के बाहर पर्यटक सुविधा विकसित किये जाने के प्रयास किये जावे।

ईको–टूरिज्म विकास के लिये स्थल विशेष की परियोजना तैयार की जावेगी। परियोजना का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात, उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए कार्य किया जावेगा। परियोजना में इस

बात का ध्यान रखा जावेगा कि प्रचलित वनों से सम्बनधित अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन न हो।

24.12 ईको कैम्पस

प्राकृतिक स्थल में मनोरंजन के साथ प्रकृति के विभिन्न आयामों को जानने, सीखने व रोमांच का अवसर प्रदान करने वाला शिविर ईको–कैम्पस कहलाता है। ईको–कैम्पस में प्रतिभागियों को पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे अजैविक कारकों पेड़ पौधों जीव जंतुओं के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, साथ ही उनमें स्थानीय संस्कृति व परम्पराओं के प्रति समझ व सम्मान की भावना विकसित होती है। ईको कैम्पस विभिन्न गतिविधियों का अनुठा मिश्रण होते है, जो मनोरंजक व ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ ही साहसिक क्रीड़ा, रात्रि भ्रमण व तारा दर्शन जैसी गतिविधियों से रोमांचक अनुभव भी उपलब्ध कराते है।

24.12.1 ईको कैम्पस का उद्देश्य :–

- जनसाधारण में प्रकृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना व उन्हे प्रकृति संरक्षण के लिये प्रेरित करना।
- विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पर्यावरण व विज्ञान आधारित विषय वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराना व विस्तृत जानकारी प्रदान करना।
- विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण के प्रति सकारात्मक योगदान हेतु प्रेरित करना।
- जनसाधारण को प्रकृति से छेड़छाड़ किये बिना प्रकृति का आनंद लेने का अवसर प्रदान करना।
- जनसाधारण में स्थानीय संस्कृति, खान–पान एवं परम्पराओं के प्रति समझ विकसित करना व उनके संरक्षण के लिये प्रेरित करना।
- विभिन्न गतिविधियों से जोड़ कर स्थानीय समुदायों को सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

24.12.2 ईको कैम्पस के प्रकार

I. **मनोरंजनात्मक ईको कैम्पस** :–इस प्रकार के ईको कैम्पस में प्रतिभागी, प्रकृति का आनंद व अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं, जो उन्हे प्रकृति संरक्षण से जोड़ता है।

II. **शैक्षणिक ईको कैम्पसः–** इस प्रकार के कैम्पस में विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम आधारित विषय वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव एवं अध्ययन कराया जाता है तथा विज्ञान आधारित जानकारियां दी जाती है।

III. **विशेष गतिविधि आधारित ईको कैम्पसः–** इस प्रकार के ईको कैम्पस में प्रतिभागी किसी विशेष गतिविधि जैसे पक्षी दर्शन, साहसिक क्रीडा आदि में सम्मिलित होते है। उसका प्रत्यक्ष अनुभव व जानकारियों प्राप्त करते है।

IV. **शोध आधारित ईको कैम्पसः–** इस प्रकार के ईको कैम्पस में शोधार्थी भाग ले कर प्रकृति व समुदाय आधारित विषयों पर शोधकार्य करत है।

V. **रोजगारोन्मुखी ईको–कैम्पसः–** इस प्रकार के ईको कैम्पस में प्रतिभागी विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के रूप में गतिविधियां संचालित कर सकते है।

VI. **ईको कैम्पस का प्रबंधन :–** ईको कैम्पस आयोजित करने से पूर्व उसका उचित प्रबंधन जानना आवश्यक होता है, जिनमें निम्नानुसार कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :–

- ईको कैम्प आयोजित करने से पूर्व कैम्प स्थल की अधिकारिक संस्था से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।
- ईको कैम्पस में कैम्प स्थल तक जाने के लिये परिवहन सुविधा की जानकारी होना आवश्यक है अथव स्वंय के वाहन द्वारा

प्रतिभागियों को एक समय पर कैम्प स्थल तक लाया जा सकता है।

- ईको कैम्पस आयोजना के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी आवश्यक है, जैसे पीने का पानी, भोजन व्यवस्था, रात्रि विश्राम सुविधा आदि अन्यथा आवश्यक वस्तुओं को साथ ले जाना आवश्यक होगा।
- प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध अवश्य होना चाहिये।
- प्रतिभागियों की संख्या एक समय में लगभग 35 उपयुक्त होगी, 50 से अधिक कदापि नहीं होना चाहिये।
- प्रतिभागियों द्वारा गतिविधियों के अनुसार कपड़ों का चयन करना आवश्यक होता है।

24.13 ईको पर्यटन रूट में संभावित गतिविधियाँ –

भोपाल वनमंडल हेतु चयनित वन पर्यटन रूट में निम्नानुसार गतिविधियों की प्रचुर संभावनायें हैं –

24.13.1 ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण – इस ईको पर्यटन रूट में वनो के नजदीक एव रास्ते में स्थित ऐतिहासिक थल हैं जिनके अवलोकन से पर्यटक क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत होंगे।

24.13.2 प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन – इस पर्यटन रूट में सुरम्य वनक्षेत्रों के साथ–साथ सिचाई विभाग के लघु , मघ्यम एवं दीर्घ जलाशय भी है, जिसके भ्रमण से पर्यटकों को प्रकृति के सौंदर्य को नजदीक से देखने एवं प्राकृतिक अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा पक्षी दर्शन एवं जलचर प्राणीयो का दर्शन की सम्भावनाये बनती है।

24.13.3 नौकायन – ईको पर्यटन रूट में शामिल हलाली जलाशय से निकलने वाली धारा में उदयगिरी स्थान पर पर्यटकों द्वारा प्रकृति के आनंदमयी स्वरुप को निहारने के साथ–साथ नौकायान का भी आनंद लिया जा सकता। अतः

इसमें नौकायान के विभिन्न स्वरुपों जैसे पैडल वोट, मोटर वोट, साधारण नाव का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य इस प्रकार की सम्भावनाओ जिले मे अन्य स्थानो पर विकसित की जा सकती है। सिरोंज वनपरिक्षेत्र मे कैथन डैम से लगे हुए वनक्षेत्र मे नौकायन को विकसित किया जा सकता है चूँकि सिरोंज वनपरिक्षेत्र एवं सर्वाधिक वन विरल एवं रिक्त क्षेत्र का वनक्षेत्र है अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि इकोपर्यटन हेतु क्षेत्र को सर्वोच्चता से विकसित किया जाये। ताकि वन संरक्षण एवं वन्य प्राणी संरक्षण की भावना को जागारूक किया जा सके।इस हेतु सिरोंज वनपरिक्षेत्र मे कक्ष क्र 504 एवं 505 को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

24.13.4 नेचर ट्रेल – वनमण्डल के प्रत्येक परिक्षेत्र मे एक नेचर ट्रेल का निर्माण किया जावेगा । इस ट्रेल में क्षेत्र की प्रमुख वन वनस्पति, वन्य प्राणियों के भू–समाकृतिक पर्यावास स्थल जैसे टैलस (Talus), बांम्वी तथा वानस्पतिक उत्पत्ति के पर्यावास स्थल जैसे स्नैग, डेन ट्रीज, डाउन लॉग्स आदि उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से प्रकृति प्रेमियों को जानकारी दी जा सकती है। नेचर ट्रेल यदि जल स्तोत्र के किनारे हो तो अधिक अनुकूल है, नदी के किनारे पर होने के कारण इन पर भ्रमण के दौरान प्रकृति के सुंदर दृश्य को भी निहारा जा सकता है। यह ट्रेल ब्रोशर एण्ड मार्कर ट्रेल के प्रकार की रखी जाना ज्यादा उचित है जिसमें ट्रेल के विभिन्न प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर केवल नम्बर अंकित कर इनका विवरण नम्बरवार ब्रोशर में दिया जा सकता है, जिसे पढ़कर उस स्थल के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस ट्रेल पर यात्रा करने के उपरांत पर पहुँचकर के जलाशय की नौका यात्रा प्रारम्भ की जा सकती है।

24.13.5 साइकिल सवारी (Cycle Ride) – चयनित ईको पर्यटक रूट में निम्नानुसार में प्रस्तावित की जाने वाली स्थानो पर साइकिल सवारी की गतिविधियों को लिया जा सकता है।

24.13.6 शैक्षणिक टूर – विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों हेतु इस रूट पर शैक्षणिक टूर का आयोजन किया जाकर उन्हें क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक तथ्यों बावत् जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

24.14 साहसिक गतिविधियॉः–

साहसिक गतिविधियो के संचालन हेतु ADVENTURE TRADE ASSOSIATION (atoai) की प्रस्तावित गाइड लाइन का अनुसरण किया जाना आवश्यक है ADVENTURE TRADE ASSOSIATION (atoai) द्वारा सुपरिभाषित साहसिक गतिविधिया निम्न है।

तालिका क्र. 24.2
साहसिक गतिविधिया का विवरण

क्रमांक	गतिविधियॉ	क्रमांक	गतिविधियॉ
1	Bird watching	16	Rock climbing
2	Bungee jumping	17	Scuba diving
3	Camel safari	18	Segway ride
4	Camping	19	Skiing and snowboarding
5	Cycling	20	Snorkeing
6	Horse safari	21	Skydiving
7	Hot air ballooning	22	Trekking
8	Jeep safari	23	Wildlife safari
9	Kayaking	24	Water sports centers
10	Motocycle Tours	25	Youth adventure programs
11	Mountaineering	26	Zip line
12	Mountain biking		
13	Paragliding		
14	Paramotoring		
15	River cruising		

24.15 वन पर्यटन रूट को विकसित करने हेतु आवश्यक गतिविधियाँ–

ईको पर्यटन रूट में संचालित गतिविधियों के अनुसार रूट को विकसित करने हेतु प्रमुखतः निम्नानुसार कार्यों की आवश्यकता होगी।

24.15.1 आधारभूत संरचनाओं का विकास –

a) **आवागमन के साधन** –भोपाल वनमंडल सुचारू रूप से आवागमन साधनो से जुडा हुआ है। विशेष दिवसो अनुभूति कैम्प, वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि दिवसो पर विभाग द्वारा आवागमन की सुविधा स्कूली विधार्थियो के लिए प्राथमिकता से उपलब्ध करवाना चाहिये।

b) **पहुँच मार्ग की व्यवस्था** – समस्त वनपरिक्षैत्रो मे जहॉ इको पर्यटन स्थल का विकास किया जाना है, आवश्यकतानुसार उक्त स्थानो पर पहुच मार्ग की वयवस्था की जावेगी, जिस हेतु बजट का प्रावधान किया जावेगा।

c) **नेचर ट्रेल का निर्माण** – प्रत्येक परिक्षेत्र मे कम से कम एक नेचर ट्रेल का निर्माण किया जाये इसके पीछे कारण है कि कम होते वनक्षेत्र के प्रति जनमानस के प्रति जागरूक करना है।

d) **साइनेजेस की व्यवस्था**– नेचर ट्रेल पर साइनेजेस लगाने के अतिरिक्त ईको पर्यटक रूट में भी विभिन्न स्थलों पर रोड साइड़ साइनेजेस लगाकर इनके माध्यम से क्षेत्र बावत् रोचक जानकारियाँ पर्यटकों को दी जा सकती हैं। विशेषकर सायकिल की सवारी के दौरान ये रोड साइड साइनेजेस अत्यन्त लाभकारी होंगे।

e) **नौकायान हेतु व्यवस्था** – डैम से लगे हुए वन क्षेत्र मे इको पर्यटन को पहले से विकसित म.प्र. पर्यटन के संसाधनो का उपयोग करते हुए करते हुए नौकायान का उपयोग किया जा सकता है।

f) शौचलय एवं पीने के पानी की व्यवस्था – ईको पर्यटक क्षेत्र में विकसित किये गये स्थलों पर शौचालय की उचित व्यवस्था की जानी आवश्यक है। पुरुष एवं महिलाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय बनाये जाने चाहिये। इन स्थलों पर पीने के पानी की वर्तमान में व्यवस्था अपर्याप्त है जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

g) जलपान की व्यवस्था – जिन केन्द्र को इको पर्यटन के रूप मे विकसित किया जाना है।उक्त स्थानो पर जलपान की व्यवस्था हेतु स्थानीय रहवासी की समितिया के माध्यम से संचालित किया जावेगा ।

h) वन पर्यटन स्थलों का रखरखाव – रूट में शामिल ऐतिहासिक स्थलों जैसे तथा का जीर्णोद्वार एवं रखरखाव किया जाना चाहिये। यह सभी कार्य पुरात्तव विभाग के मार्ग दर्शन में किया जाना उचित होगा।

i) ट्रैकिंग पथ का विकास – प्रत्येक वन परिक्षेत्र में लगभग 01 कि.मी. लम्बे ट्रैकिंग रूट के विकास के लिए मुख्यतः क्षेत्र में उपलब्ध छोटी–छोटी पगडंडियों का ही थोड़ा उन्नयन कर उपयोग किया जायेगा ताकि प्राकृतिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस ट्रैकिंग पथ पर प्राकृतिक विषयों से सम्बन्धित साइनेजस भी लगाकर इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

24.15.2 गाइड की व्यवस्था – ईको पर्यटक स्थलों बावत् प्रमाणिक एवं रोचक जानकारी प्रदत्त करने हेतु प्रशिक्षित गाइडों की व्यवस्था आवश्यक है। विदेशी पर्यटकों हेतु प्रारम्भिक चरण में अंग्रेजी भाषा के जानकार गाइडों की आवश्यकता होगी।

24.15.3 प्रचार–प्रसार – किसी भी पर्यटक स्थल के विकास एवं समृद्धि में प्रचार–प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जिसके लिये स्थानीय, राज्य एवं

राष्ट्रस्तरीय प्रचार–प्रसार व्यवस्था के साथ–साथ इंटरनेट, पर्यटन टूर संचालकों (Tour Operators) के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सॉची पर्यटक केन्द्र पर भी भारतीय पुरात्ताविक सर्वेक्षण से समन्वय स्थापित कर इको पर्यटन केन्द्र को अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश मे लाया जाना चाहिये।

24.15.4 कचरा प्रबंधन – पर्यटक स्थलों की नैसर्गिक सुन्दरता बनाये रखने के हेतु प्रभावी कचरा प्रबंधन व्यवस्था अति आवश्यक है ताकि इन स्थलों का आकर्षण लम्बे समय तक बनाये रखा जा सके। कचरा प्रबंधन हेतु सभी स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में कचरा संग्रहण एवं निर्वतन की व्यवस्थायें स्थापित की जानी चाहिये। पर्यटकों को ब्रोशर तथा सूचना केन्द्र के माध्यम से ''क्या करें'', ''क्या ना करें'' एवं कचरे का निपटान (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम– 2015 एवं संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम –2016), वन क्षेत्रो को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त रखा जावेगा ।

24.15.5 स्वास्थ्य सुविधायें – ईको पर्यटक रूट में पर्यटकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त तहसील स्तर मे सामुदायिकं स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिन्हें पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर और अधिक आधुनिक बनाया जा सकता है।

24.15.6 पैकेज टूर – प्रस्तावित ईको पर्यटन रूट एक नवीन पर्यटन क्षेत्र होगा तथा सभी व्यवस्थायें शासकीय एवं निजी तौर पर स्थापित होने में समय लगना संभावित है, अतः प्रारंभिक चरण में इस रूट को प्रचारित करने हेतु शासकीय संस्थाओं जैसे–ईको पर्यटन विकास बोर्ड तथा म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से आधारभूत संरचनायें विकसित कर पैकेज टूर के रुप में ईको पर्यटन की गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं, जो भविष्य में रूट के प्रचारित हो जाने पर इस क्षेत्र में निजी ऑपरेटरों को भी आकर्षित करेंगीं।

24.16 ईको पर्यटन सुविधाऐं विकसित करने हेतु दिशा–निर्देश :–

किसी स्थल की स्थानीय विशिष्ट पहचान एवं वातावरण की स्थानीय पारिस्थितिकीय विशेषताओं के आधार पर स्थल विकास के सामान्य दिशा निर्देश सुझाये जा रहे हैं, जिनका कि प्रबंध योजना तैयार करने में उपयोग किया जा सके। इसी सिद्धान्त के अनुसार अन्य स्थलों के विकास की योजना भी तैयार की जा सकती है परन्तु स्थायी/पक्के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति आवश्यक होगी।

1 स्थल पर भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जावे तथा प्राकृतिक रुप से पाये जाने वाली संरचनाओं को न्यूनतम क्षति पहुँचायी जावे।

2 प्राकृतिक रुप से गिर गये वृक्षों का ही आवश्यकतानुसार नियमों का पालन करते हुए उपयोग किया जावे।

3 वन्य प्राणियों के रहवास में व्यवधान न पैदा किया जावे।

4 मार्गों एवं पगडंडियों पर बहने वाले पानी के बहाव की गति को कम करने के लिये पानी के मार्ग की दिशा को परिवर्तित किया जाना चाहिये ताकि भू–क्षरण की समस्या से बचा जा सके।

5 तालाबों, झीलों एवं बारह माह बहने वाले नालों के किनारे पेड़ पौधों को न काटा जावे क्योंकि बहते पानी में आने वाला कूड़ा– करकट एवं अन्य गदंगी को पेड़ पौधे रोक देते हैं।

6 पर्यटक निवास के आसपास पेड़ों पर उनके नाम व उसके उपयोग आदि की पट्टिका लगायी जावे ताकि पर्यटक इन सुरक्षित स्थलों पर खड़े वृक्षों को पहचान सकें।

7 वातावरण को न्यूनतम प्रभावित करने वाली विकास तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिये।

8 पर्यटक स्थल के आस–पास चराई प्रतिबंधित रहना चाहिये, ताकि जलग्रहण क्षेत्र या जल स्त्रोत प्रदूषित न होने पाये ।

9 प्राकृतिक वातावरण को खराब करने वाले या पर्यटकों को हानि पहुँचाने वाले कारकों की संभावनाओं की तलाश की जाना चाहिये।

10 स्थल की प्रकाश व्यवस्था सीमित एवं नियंत्रित हो ताकि वन्य प्राणियों को दिक्कत न हो।

11 पर्यटन प्रबंध में भागीदारी एवं आजीविका के नवीन संसाधन स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कौन–कौन सी गतिविधियाँ हो सकती हैं, इस संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर इनकी पहचान की जाना चाहिए एवं इन्हें कैसे संचालित किया जा कता है, इस संबंध में रणनीति निर्धारित की जाना चाहिए।

12 वन क्षेत्र में इको–टूरिज्म का कोई भी कार्य, वन संरक्षण अधिनियम–1980 हैण्डबुक–2019 के पैरा 1.18 (vi) जो निम्नानुसार पठ्य है कि इकोटूरिज्म एक गैर वानिकी गतिविधि है जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम के अतंर्गत पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है,के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के प्रावधानों को आकृष्ट करेगा। अतः इस वृत्त के अन्तर्गत वनक्षेत्र में प्रस्तावित कार्य का क्रियान्वयन भारत सरकार के अनुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा। प्रचलित कार्य आयोजना अवधि में कराये गए कार्यों की सूची परिशिष्ट क्रमांक 91 में उल्लेखित है।

24.17 ईको पर्यटन हेतु आचार संहिता :–

ईको पर्यटन में आचार संहिता (Eco-tourism Charter) का पालन प्रत्येक स्तर पर जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण पारिस्थितिकीय रूप से बहुत संवेदनशील है। बिना उचित प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि सही प्रबंधन से बिगड़ते वातावरण को फिर से सुधारा जा सकता है। इसका प्रबंधन में बहुत उपयोगी स्थान है, और प्रबंधन एवं

उपभोक्ताओं द्वारा समान रूप से इसका पालन किया जाना चाहिये। इसके लिए पृथक से ''ईको पर्यटन चार्टर'' तैयार किया गया है।

24.17.1 प्रबंधन के लिए आचार संहिता :–

1 प्राकृतिक वातावरण को बिना क्षति पहुंचाए पर्यटन सुविधा के विकास कार्य किये जावें।

2 पेड़ पौधों को यथासंभव न काटा जावे तथा वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास की सुरक्षा की हर संभव कोशिश की जावे।

3 पर्यटन विकास मे ंसरल, क्षेत्र एवं स्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप, क्षेत्रीय संसाधनों का ही तकनीकी रूप से उपयोग किया जावे।

4 स्थल पर आवश्यक सुविधाएँ जैसे ठहरने के लिये भवन आदि उपलब्ध कराये जायें।

5 संरचनाएँ कम से कम बनायी जाये और ये उस इलाके की परम्पराओं के अनुकूल विकसित की जावें और आसपास के वातावरण से मेल खाती हों।

6 सभी गतिविधियों से पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखनी चाहिए एवं वे पर्यावरण सरंक्षण की दृष्टि से शिक्षाप्रद भी हों।

7 पर्यटकों से सौहार्द्रपूर्ण एवं सद्भावनार्पूक व्यवहार किया जावे।

24.17.2 गाइड के लिये आचार संहिताः–

प्रत्येक स्थल के लिए अलग–अलग प्रशिक्षित गाइड का इंतजाम किया जाना जरूरी है, जो पर्यटकों को स्थल पर पर्यावरण संरक्षण की शिक्षाप्रद जानकारी के साथ–साथ स्थल के महत्व की भी उचित जानकारी दे सके। गाइड को नीचे लिखी आचार–संहिता का पालन अनिवार्य है।

1 गाइड को चाहिए कि वह प्रबधंन द्वारा निर्धारित गणवेश में ही स्थल पर उपस्थित रहे। उसकी पहचान के लिए उसका नाम तथा नम्बर पर्यटक को दिखता रहे।

2 पर्यटकों से सद्भावनापूर्ण एवं भाईचारे का व्यवहार किया जावे।

3 पर्यटकों को सरल भाषा में क्षेत्र के महत्व व अन्य आवश्यक उचित जानकारी दी जावे।

4 पर्यटन गतिविधियों को चलाने में प्रबंधन को सहायता प्रदान की जावे।

5 गाइड को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना चाहिये।

24.17.3 पर्यटकों के लिए आचार संहिताः–

a) प्राकृतिक वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों, झाड़ियों तथा लता बेलों को क्षति न पहुँचायें।

b) जंगल के वातावरण को पॉलीथिन या अन्य गंदगी फेंक कर गंदा न करें। गंदगी व कूड़ा करकट नियत स्थान पर ही फेंकें।

c) जंगल में नशीली चीज का सेवन न करें।

d) जंगलों में बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन से आग लग सकती है, अतः इनसे बचें।

e) रात्रि विश्राम के समय खुले स्थानों पर न सोयें, वन्यप्राणियों से क्षति हो सकती है।

f) जंगल के जिन स्थानों पर जाने के लिये गाइड की जरूरत हो, वहां बिना गाइड के न जावें।

g) स्थानीय लोगों की परम्पराओं, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक परिवेश का सम्मान करें और इनके विपरीत आचरण न करें।

24.18 स्थानीय जनता की सहभागिता –

वन पर्यटन की सफलता हेतु स्थानीय जनता की सहभागिता नितांत आवश्यक है। स्थानीय ग्रामीणों से सतत् संवाद के माध्यम से उन्हें वन पर्यटन से क्षेत्र के विकास की संभावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिये विशेषकर वन पर्यटन को स्थानीय जनता के लिये एक रोजगार के साधन के रुप में विकसित किया जाना चाहिये। इकोपर्यटन मे दर्शित गतिविधियाँ क्रियान्वित होने पर स्थानीय व्यक्तियों हेतु रोजगार के साधन भी विकसित होंगे।

24.19 ईको पर्यटन हेतु उपयुक्त अवधि –

भोपाल वनमण्डल में ज्यादातर पर्णपाती वन हैं जिनमें लगभग जनवरी माह से पतझड़ प्रारम्भ हो जाता है जिससे वन क्षेत्रों की सुन्दरता में कुछ कमी आने लगती है। साथ ही फरवरी माह के उपरान्त भोपाल जिले में तापमान में भी वृद्धि होने लगती है।भोपाल वनमण्डल में ईको पर्यटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वैसे तो वर्षभर पहुँच योग्य क्षेत्र हैं, किन्तु उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के भ्रमण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अवधि अक्टूबर से फरवरी माह है।

24.20 विभिन्न विभागों से समन्वय –

प्रस्तावित वन पर्यटन रूट में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने हेतु कई विभागों/संस्थाओं का आपस में समन्वय होना आवश्यक है। विभिन्न गतिविधियों से जुड़े प्रमुख विभाग निम्नानुसार हैं–

1. **वन विभाग** – ईको पर्यटन में वन विभाग की भूमिका नोडल विभाग की रहेगी ।
2. **म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल** – ईको पर्यटन रूट हेतु आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के साथ–साथ इसे राज्य के पर्यटकों के साथ जोड़ने (Link) में म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
3. **म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल** – बोर्ड द्वारा आधारभूत संरचनायें विकसित करने में वित्तीय एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जायेगी।
5. **पुलिस विभाग** – पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
6. **पुरातत्व विभाग** – भोपाल जिले का स्थान पुरात्ताविक द्वश्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष मे विशेष स्थान है : भारतीय पुरात्ताविक सर्वेक्षण, जीटीबी

कान्प्लेक्स टी. टी नगर भोपाल एवं संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखगार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश बाण गंगा मार्ग भोपाल के कार्यालय से समन्वय स्थापित करके इको पर्यटन रूट को विकसित किया जाना है।

7. **लोकनिर्माण विभाग** – सड़क मार्गों के रखरखाव तथा विश्राम गृहों की उपलब्धता में लोक निर्माण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जायेगी।
8. **स्वास्थ्य विभाग**– पर्यटकों को आवश्यकता पड़ने पर उचित स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
9. **विद्युत विभाग** – पर्यटन स्थलों एवं पर्यटकों के आवास हेतु विद्युत विभाग की भूमिका भी निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। अतः इस विभाग से समन्वय अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त विभागों के आपसी समन्वय हेतु जिला स्तर पर एक प्रभावी समन्वय व्यवस्था कायम की जानी आवश्यक है।

24.21 ईको पर्यटन विकास हेतु बजटः–

तलिका क्रमांक–24.3

प्रस्तावित बजट

कार्य का नाम	अनुमानित राशि
अधोसंरचना विकास	50 लाख
प्रशिक्षण	5 लाख
प्रचार–प्रसार	10 लाख
मॉनिटरिंग	5 लाख

उपरोक्त राशि अनुमानित है, वर्षवार स्थल अनुसार परियोजना तैयार कर नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित है। वनक्षेत्रों में इको पर्यटन गतिविधियों के संबंध में भारत सरकार के निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–112 में दिया गया है।

24.22 प्राकृतिक क्षेत्रों में उपयुक्तता का निर्धारण :–

पारस्थितिकीय पर्यटन सुविधा को विकसित करने के पूर्व स्थल की उपयुक्तता निर्धारण के लिए प्रश्नावली निम्नानुसार है, जितने उत्तर हां में होंगे, स्थल उतना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रश्नावली का उपयोग मार्गदर्शिका के रूप में किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक– 24.4
प्रश्नावली

क्र.	घटक	हाँ	नहीं
1	क्या पर्यटन सुविधा स्थल की धारण क्षमता के अनुरूप तैयार की गई है ?		
2	क्या पर्यटन सुविधा पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है ? (आवागमन सुविधा, पर्यटक संख्या इत्यादि)		
3	क्या पर्यटकों हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है?		
4	क्या पर्यटन व्यवस्था स्थल की आवश्यकतानुसार है?		
5	क्या भवन आदि संरचनाएं आस–पास के वातावरण के अनुसार है ?		
6	क्या स्थानीय भवन एवं भू–परिदृश्य सामग्री का उपयोग किया गया है ?		
7	क्या विकसित की गई सुविधा आसपास के प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित कर रही है?		
8	क्या मार्गो, पैदल रास्तों एवं पगडंडियों के निर्माण में भूमि का कटाव को नियंत्रित करने की व्यवस्था है ?		
9	क्या मौसम परिवर्तन तथा उसके बचाव के उपाय किए गए हैं ?		
10	क्या स्थल का वर्ष भर उपयोग संभव है ?		
11	क्या विकसित स्थल यथासंभव, प्राकृतिक क्षेत्र के बाह्रय भाग में स्थित है ?		
12	क्या रखरखाव की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है ?		
13	क्या स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित की गई है ?		
14	क्या दुर्घटना एवं आपदा की स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है ?		
15	क्या पर्यटकों को पर्यटन क्षेत्र के प्रचार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है?		

24.23 आर..एफ पी. मॉडल :–

मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया गया है का संचालन (As is Where is Basis पर) ''जैसा है वैसा है के आधार पर'' व्यावसायिक इकाईयों के माध्यम से किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। विषयांतर्गत मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन/वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015 के तहत माह जून, 2021 तक प्रदेश में 131 क्षेत्रों को मनोरंजन/वन्यप्राणी अनुभव

क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित स्थलों में से ऐसे ग्रीनफील्ड क्षेत्र जहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, का संचालन (As is where is basis पर) जैसा है वैसा है, के आधार पर व्यावसायिक ईकाइयों के माध्यम से किये जाने हेतु म.प्र शासन द्वारा मॉडल आ.एफ.पी REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) का अनुमोदन किया गया है, जिसे website (http://www-mptenders-gov-in). से डाउनलोड किया जा सकता है।

म.प्र ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा संबंधित वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)/उप संचालक, टाइगर रिजर्व की ओर से एम.पी टेण्डर्स पोर्टल पर निविदाए आमंत्रित की जाएंगी। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों का म.प्र भण्डार कय नियमों एवं वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन अनुसार परीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा ही किया जाना है। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा के आधार पर पात्र पाये गये सफल निविदाकारों में से निविदाकर्ता का चयन सर्वाधिक Annual concession Fee प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा तदोपरांत सक्षम अधिकारी, वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय एवं उप संचालक, टाइगर रिजर्व द्वारा चयनित निविदाकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा।

24.24 इको पर्यटन स्थलों में कराये गये विकास कार्यः–

कार्यालय ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश, वन विभाग के पत्र क्रमांक/प्रेजेक्ट–2/का.आ./2021/372 भोपाल दिनांक 22/02/2021 के अनुसार ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा भोपाल वनमण्डल में विगत 10 वर्षों में विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की गई है। उपरोक्त पत्र एवं विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–62 में दर्ज है।

24.25 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के गैर प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में पर्यटकों के पैदल भमण हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बावत निर्देश–

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के गैर प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में पर्यटकों के पैदल भ्रमण हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बावत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र/2019/2382 दिनांक 05/10/2019 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–113 में दी गई है।

अध्याय 25
पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं
(Eco-System Services)

• सामान्य विवरण :

वनावरण के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की हो सकती हैं। इन सेवाओं को निम्नलिखित चार मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है,

- **सामग्री सेवाएं** :– विभिन्न प्रकार की जीवनोपयोगी सामग्री यथा भोजन, स्वच्छ जल, लकड़ी, रेशा, जैविक संसाधन एवं दवाओं की उपलब्धता।
- **विनियमन सेवाएं** :– मानव जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण यथा, जलवायु नियंत्रण, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, जल शोधन, कचरा प्रबन्धन, परागण एवं कीट प्रकोप नियंत्रण।
- **रहवास सेवाएं** :– विभिन्न प्रजातियों के लिए रहवास, विभिन्न आनुवांशिक गुणों का भण्डारण।
- **सांस्कृतिक सेवाएं** :– बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास, मनोरंजन एवं सौंदर्य।

उपरोक्त सेवाओं के तुलनात्मक महत्व का आंकलन करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसे नापने के लिए कोई सर्वमान्य इकाई नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्रियों एवं अन्य लोगों ने, वनों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं एवं अन्य सामग्रियों का आंकलन आर्थिक महत्व के आधार पर करने का प्रयास किया है। गैर अर्थशास्त्री इस प्रकार के आर्थिक महत्व के आधार पर मापन को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे पूर्वानुमानों एवं मान्यताओं पर आधारित है। फिर भी वनों से प्राप्त होने वाली सेवाओं के आर्थिक महत्व का आंकलन करने से उनका आपस में तथा उनके काष्ठीय एवं अकाष्ठीय उपयोग की तुलना की जा सकती है।

वर्ष 1997 में अर्थशास्त्री कोस्टान्जा के द्वारा वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न सेवाओं के आर्थिक मूल्य का आंकलन विश्व स्तर पर किया गया है। यह आंकलन बहुत सही न होकर एक मोटा अनुमान ही प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि यह भी बहुत सारे पूर्वानुमानों पर आधारित है एवं विश्व स्तर किया गया है, जो क्षेत्रीय स्तर पर पूरी तरह फिट नहीं हो सकता है। उपरोक्त आंकलन में वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न सेवाओं का वार्षिक आर्थिक मूल्य निम्नानुसार पाया गया है,

तालिका क्रमांक –25.1

वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न सेवाओं का वार्षिक आर्थिक मूल्य

क्र.	सेवाएं		मूल्य प्रति हे. प्रति वर्ष (1994)	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अमेरिकी डालर	रुपये (70 रु. प्रति डालर की दर से)
1	2	3	4	5
1	Nutrient cycling	पोषक तत्व निर्माण	361	25270
2	Climate regulation	जलवायु नियमन	141	9870
3	Raw materials	कच्चा माल	138	9660
4	Erosion control	भू–क्षरण नियंत्रण	96	6720
5	Waste treatment	कचरा उपचार	87	6090
6	Recreation	मनोरंजन	66	4620
7	Food production	खाद्यान्न उत्पादन	43	3010
8	Genetic resources	आनुवांशिक संसाधन	16	1120
9	Soil formation	मृदा निर्माण	10	700
10	Water supply	जल प्रदाय	3	210
11	Disturbance regulation	विक्षोभ नियमन	2	140
12	Water regulation	जल नियमन	2	140
13	Biological control	जैविक नियंत्रण	2	140
14	Cultural	सांस्कृतिक	2	140
		योग	**969**	**67830**

उपरोक्त आंकड़े भारत एवं विशेषकर भोपाल वन मण्डल के वनों के लिए उतने उपयोगी नहीं हैं, किन्तु विभिन्न सेवाओं के तुलनात्मक महत्व का आंकलन अवश्य किया जा सकता है। उपरोक्त आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पोषक तत्व निर्माण एवं जलवायु नियमन का मूल्य बाकी सभी सेवाओं के सामूहिक मूल्य से अधिक है। इस तुलनात्मक महत्व को लेकर कई प्रकार के

मतभेद उभर कर सामने आते हैं, कि क्या पोषक तत्व निर्माण एवं जलवायु नियमन को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए अन्य सामग्री वनों से न निकाली जाये। वनों में इको पर्यटन भी एक उभरता हुआ मुद्दा है, जिसके कानूनी पहलू एवं क्रियान्वयन के संबंध में बहस पूरे भारत में जोरों से हो रही है।

इस संबंध में कानूनी पहलू को देखें तो स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य सरकारों के द्वारा वनों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी कानून बनाने के कारण उन वनों के पारम्परिक एवं स्थानीय महत्व को कहीं न कहीं क्षति पहुंचती है, विशेषकर उसके आध्यात्मिक एवं धार्मिक मान्यताओं के महत्व को। वनों से उपयोगी सामग्री प्राप्त करना एवं उसके पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं की क्षमता को बनाये रखना एक दूसरे के विरोधी उद्देश्य हैं। अतः इसमें सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में पारिस्थितिकीय पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, यदि उसे स्थानीय आवश्यकताओं एवं मान्यताओं को संरक्षित करते हुए सही दिशा में लागू किया जाये। पारिस्थितिकीय पर्यटन भी एक प्रकार की पारिस्थितिकीय तंत्र सेवा है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देता है एवं बाहरी पर्यटकों को एक सुकून एवं प्रकृति के बीच में रहने, उसका अध्ययन करने का मौका देता है।

मोटे तौर पर, मानव कल्याण में पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान ही पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं कहा जा सकता है। पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन की संभावना एवं उसकी गुणवत्ता को बनाये रखने में मदद करता है।उपरोक्त चारो प्रकृति की सेवाओं में से महत्वपूर्ण सेवाओं का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार सेवाओं को सूचीबद्ध किया जा सकता है,

1 **जल संसाधन प्रबन्धन** :– वर्षा के पानी को रोककर एवं इसके बहाव को नियंत्रित करके पृथ्वी के सम्पूर्ण जल तन्त्र का विनियमन वनों के द्वारा ही किया जाता है।

2 **भू एवं जल संरक्षण** :– वर्षा के जल से होने वाले भूमि कटाव पर नियंत्रण वनों के द्वारा ही किया जाता है।

3 **जैव विविधता संरक्षण** :– जैव विविधता का प्रमुख स्रोत, वन स्वयं ही हैं एवं अन्य प्रजातियों के लिए उचित रहवास भी वन उपलब्ध कराते हैं।

4 **जलवायु परिवर्तन, कार्बन संचयन, (REDD+)** :– जलवायु परिवर्तन पर उचित नियंत्रण भी वनावरण के द्वारा ही संभव है। वनों के द्वारा वातवरणीय कार्बन का संचयन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करके काष्ठ के रूप में संचयन किया जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण होता है।

5 **सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक लाभ :–**

6 **पोषक तत्व का निर्माण** :– वनों में उपलब्ध वृक्षों की पत्तियों एवं टहनियों के गिरकर सड़ने से मृदा गुणवत्ता में वृद्धि एवं जैविक पदार्थ का निर्माण होता है।

- **बाधाएं :–**

वनों से प्राप्त होने वाली सेवाओं के प्रबन्धन में कई प्रकार की बाधाएं, इन सेवाओं की विविधता एवं प्रकृति के कारण ही उत्पन्न होती हैं। मुख्य बाधाएं निम्नानुसार हैं,

1 वनों के विविध उपयोग का एक दूसरे से विरोध एवं एक दूसरे में उलझा हुआ होना।

2 त्वरित वित्तीय लाभ का स्रोत होने के कारण, सरकार एवं व्यापारियों की प्राथमिकता ईमारती काष्ठ का उत्पादन होना।

3 वनों को एक संसाधन मानने के कारण उसका विदोहन ही प्राथमिकता होना।

4 स्थानीय लोगों के द्वारा संरक्षित वनों से, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैव संसाधनों के दोहन हेतु भाासन के द्वारा नियम बनाना।

5 उद्योगों के लिए वनोपज की पूर्ति करना।

6 कृषि के लिए वनों को साफ करना।

7 वनों में निवास करने वाले समुदायों की मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास कार्य।

25.1 जल संसाधन प्रबंधन

पृथ्वी पर मानव उपयोग हेतु जल की पूर्ति, वर्षा के जल से या पूर्व से उपलब्ध जलस्रोतों (जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे) से होती है। पूर्व से उपलब्ध जलस्रोतों में जल की उपलब्धता पहाड़ों की बर्फ पिघलने से या वर्षा के जल से ही होती है। मध्यप्रदेश में जलस्रोतों में जल की उपलब्घता वर्षा के जल से ही होती है। आये दिन यह खबरें आती रहती हैं, कि हैण्डपम्प में पानी सूख गया, कुंए सूख गये, तालाब सूख गये, नदियों में पानी कम हो गया या नलकूप में पानी नीचे चला गया है। इन सारी समस्याओं का एक ही कारण है, वर्षा का पानी जमीन के अन्दर नहीं जाना।

भूमि की अपनी बनावट एवं प्रकृति के कारण मात्र 1 प्रतिशत जल ही जमीन के अन्दर जा पाता है, जबकि सघन वनों के द्वारा वनक्षेत्र में गिरने वाली वर्षा का 25 प्रतिशत तक जल रोक कर जमीन में पहुंचाया जाता है। इसी तरह वर्षा की मात्रा भी वनावरण के क्षेत्र पर निर्भर करता है। इस प्रकार वर्षा की मात्रा एवं उसका जल जमीन में प्रवेश कराने की क्षमता वनावरण से ही सम्भव है।

भोपाल वनमण्डल की कार्य आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः हलाली, कोलार, कलियासोत, इंद्रावती, इत्यादि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो कि वर्षा पोषित हैं। इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, इनके अतिरिक्त कई

छोटे–छोटे जलाशय हैं, जिससे कार्य आयोजना क्षेत्र में वर्षभर जलापूर्ति होती है। इन नदियों एवं जलाशयों में वर्षा के जल के साथ साथ वनों के द्वारा रोका गया भूमिगत जल से भी पूर्ति होती रहती है।

25.2 भू एवं जल संरक्षण

भू–जल संरक्षण एवं जल चक्र नियमन एक दूसरे पर निर्भर हैं। वनों के द्वारा वर्षा के जल को रोककर जमीन में प्रवेश कराने की प्रक्रिया, मुख्यतः वर्षा के जल का बहाव धीमा करना है। जल के प्रवाह को धीमा करने से भूमि कटाव कम होता है एवं अधिकांश जल जमीन में प्रवेश कर जाता है, जो बाद में भूमिगत जल के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है। जल प्रवाह को धीमा करने में वृक्षों की जड़ें एवं सतह की घास एवं झाड़ियां मदद करती हैं। वृक्षों, झाड़ियों, घास एवं भााक आदि की जड़ें अपने आस पास की मिट्टी को जकड़कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी काफी कम होता है। वनावरण अच्छा होने से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में भी भूमि कटाव काफी कम होता है।

भोपाल वनमण्डल के 95022.328 हेक्टेयर वनक्षेत्र में प्रायः ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें 3.46 प्रतिशत भू–भाग 40 प्रतिशत से अधिक ढलान वाला है। इसके साथ ही वनमण्डल के क्षेत्र में बहने वाली नदी, नालों के किनारे के कक्ष जो कि इनका जल ग्रहण क्षेत्र है, उन्ही क्षेत्रों में जैबिक दबाव अत्यधिक होने के कारण घास की भी अत्यधिक कमी है एवं भूमि बैरन हो चली है। इन क्षेत्रों में ढलान अत्यधिक होने एवं वन संनिधि कम होने के कारण भू–क्षरण एक गंभीर समस्या है, इस कारण इस क्षेत्र की उत्पादकता कम हुई है और बिखरे हुए शीर्ष वृक्षों से गिरने वाले बीजों के अंकुरण एवं स्थापन में भूमि सक्षम नहीं है। मिट्टी जलस्रोतों में पहुंचकर जमा होती है, जो जल स्रोत की जलधारण क्षमता को कम करता है। इसी तरह अत्यधिक मिट्टी कटाव के कारण ऊपरी पोषक तत्वों वाली मिट्टी बहकर नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाती है, जिससे वनों के साथ साथ, आस पास की भूमि की उर्वरता भी कम हो जाती है।

अत्यधिक चराई, वनों की अनियंत्रित कटाई, उत्खनन, भूमि के गलत प्रयोग इत्यादि के फलस्वरूप भूमि का आवरण नष्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हवा का वेग, वर्षा, तापमान इत्यादि भूमि को सीधे प्रभावित करने लगती है, जिसके कारण चट्टानों के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी धीरे–धीरे लुप्त होने लगती है और कई जगहों पर समाप्त हो जाती है। इन प्रभावों के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त होते जाती है तथा साथ ही गंभीर परिस्थितियों में पूरी मिट्टी ही उस स्थान से हट कर वर्षा या हवा के वेग के कारण धूल के छोटे कणों के रूप में इधर–उधर फैल जाती है। हवा के कारण होने वाला भूमि क्षरण प्रभाव इस क्षेत्र में कम है। इस क्षेत्र में भू–क्षरण का मुख्य कारण वर्षा का पानी है।

पूरे क्षेत्र में अत्यधिक चराई, भौतिक संरचनायें, भू–क्षरण का मुख्य कारण है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण कार्य वृत्त एवं अधिक भू–क्षरण से प्रभावित कक्षों को भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य करने हेतु इस कार्य आयोजना में प्रावधानित किया गया है।

वनों के कारण भूमि के अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। पृथ्वी के वायुमण्डल, महासागरों, अवसादों से होकर रासायनिक तत्वों के चक्र को भूजैव रसायन चक्र कहा जाता है। इसके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्थाओं से होकर गमन होता है अन्त में बायोम वृद्धि एवं नष्टीकरण प्रक्रिया से पुनः अजैविक (भौतिक) अवस्था में वापस आ जाते हैं। अतः पौधे अजैविक तथा रासायनिक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, ये जैविक तत्व पहले रासायनिक तत्व थे आहार तंत्र के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानान्तरित होते हैं। इन जीवों के मृत होने पर जैविक तत्व पुनः रासायनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं।

अजैविक तत्वों/रासायनिक तत्वों के जैविक प्रावस्था (Biotic Phase) में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को

जैव भू–रसायन चक्र कहते हैं। इस चक्र में वनों का ही विशिष्ट योगदान है, वनों का यह गुण मानव सभ्यता के लिये वरदान है।

25.3 भू क्षरण को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय :–

भूमि एवं जल संरक्षण करने के लिये वनों का प्रबन्धन इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे वन भूमि अधिकाधिक वनस्पति से आच्छादित रहे ताकि भू–क्षरण कम से कम हो। इस कार्य आयोजना में वन प्रबन्धन निर्धारण करते समय उपरोक्त मुद्दे को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है। इसी उद्देश्य से कार्य आयोजना में प्रस्तावित समस्त कार्य वृत्तों में भू एवं जल संरक्षण कार्य हेतु प्रावधान किये गए हैं।

25.4 जैव विविधता संरक्षण :–

जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का नवीन संक्षिप्त रूप है। वनस्पतियों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों के विविध प्रकार और विभिन्नता ही जैवविविधिता है। दूसरे शब्दों में जैव विविधता, जातियों की विपुलता (पादपों, जन्तुओं व सूक्ष्मजीवों) है जो एक अन्तक्रिया तन्त्र (Interacting System) की तरह एक निश्चित आवास में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वन या वनावरण स्वयं में जैव विविधता तो हैं ही, साथ में जैव विविधता के विकास के लिए नयी प्रजातियों का रहवास भी निर्मित करते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि वन एवं जैवविविधता एक दूसरे पर निर्भर हैं।

पृथ्वी पर लगभग तीन करोड़ प्रजातियों के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाये जाते हैं, जिसमें से केवल 15 लाख प्रजातियों का ही पता लगाकर उसका विवरण तैयार किया जा सका है। जैव वैज्ञानिकों ने जाति विविधता के वितरण मे बहुत अधिक असमानताएं पाई है अर्थात् कहीं यह बहुत अधिक हैं और कहीं बहुत कम। जाति विविधता को प्रभावित करने के प्राकृतिक कारण भू मध्य रेखा से दूरी, अनुक्रमण (Succession), समुद्र तल से ऊँचाई, अव्यवस्था (Distrubance) आदि हैं।

भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यन्त धनी है, क्योंकि यहां के वनों की वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 माह तक अनुकूल वातावरण रहता है। भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2 प्रतिशत है, किन्तु इसमें कुल पौधों और जन्तुओं की 5 प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती है। जैव विविधता भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। पौधों की लगभग 49219 तथा जन्तुओं की 73332 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में कुल मिलाकर बैक्टिरिया, कवक, पादपों और जन्तुओं की 122551 प्रजातियां हैं, जिन्हें पहचाना जा चुका है और उनका विवरण दिया जा चुका है। इनमें से 84 प्रतिशत प्रजातियों में से कवक 21.02 प्रतिशत, पुष्पीय पौधे 13.9 प्रतिशत और कीट 49.3 प्रतिशत हैं। यदि प्रजातियों को संख्या के आधार पर देखा जाय तो केवल कीट ही भारत में आधी जैव विविधता का निर्माण करते हैं। ये प्रजातियां भूमि पर, ताजे पानी में और समुद्री आवासों में या सहजीवी या परजीवी के रूप में रहती हैं। वनमण्डल के संदर्भ में जैव विविधता का विवरण आलेख भाग 2 अध्याय– 8 जैव विविधता संरक्षण में दिया गया है।

सीमित संसाधन एवं अनियमित दोहन तथा बढ़ती पशु एवं मानव जनसंख्या के कारण कई वानस्पतिक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसका सीधा असर उन पर निर्भर जीव–जंतुओं पर पड़ना स्वाभाविक है। भोजन, वासस्थल का क्षरण एवं प्रजनन योग्य रहवास की अनुपलब्धता के कारण जीव–जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आ सकता है।

25.5 जलवायु परिवर्तन, कार्बन संचयन, (REDD+):–

वातावरण में कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए वातावरण से कार्बन डाई ऑक्साइड अवशोषित करने की भाक्ति मात्र वृक्षों एवं वनस्पतियों के पास है। इसमें वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियों एवं वृक्षों के साथ कृषि फसलों का भी काफी

योगदान है। किसी क्षेत्र की जलवायु के मुख्य कारक तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं वायु वेग हैं। वनों की कार्बन अवशोषण की क्षमता से न केवल तापमान नियंत्रित होगा, बल्कि वातावरण की सघनता कम होने एवं वृक्षों से वाष्पन होते रहने से आर्द्रता भी आवश्यकतानुसार नियंत्रित होगी। तापमान एवं आर्द्रता के नियंत्रित होने से वर्षा के बादलों का निर्माण होगा एवं उससे वर्षा भी होगी। तापमान एवं वर्षा से ही नियंत्रित होकर वायुवेग भी अनुकूल रहेगा, जिससे आर्द्रता स्वयमेव नियंत्रित होगी। वर्षा, आर्द्रता, तापमान एवं वायुवेग एक निश्चित मात्रा से कम या अधिक होने पर मानव जीवन बुरी तरी प्रभावित होता है। अतः जलवायु को मानव जीवन के अनुकूल बनाये रखने मेंवनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

REDD+ का अर्थ है ''वनों की कटाई और वनों के बिगड़ने से होने वाले उत्सर्जन को कम करना'' है। अर्थात रिक्त एवं बिगड़े वनों का संवर्द्धन एवं सघन वनों का संरक्षण करके अधिक से अधिक कार्बन संचयन किया जाये, ताकि वातावरण में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा कम की जा सके। कार्बन संचयन का विस्तृत विवरण आलेख भाग–1 के अध्याय क्रमांक–6 में दिया गया है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र के मंच के अन्तर्गत REDD+ कार्यक्रम का आरम्भ वर्ष 2008 में किया गया, जिसे बाद में REDD+ किया गया। यह एक वैश्विक प्रयास है, जिसके अन्तर्गत वनों की कटाई को रोककर एवं वन संवर्द्धन करके, वनों में कार्बन संचयन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने की प्रक्रिया भाामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस नीति के तहत वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को परिणाम आधारित भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत मुआवजे का भी प्रावधान है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देशों से योगदान स्वरूप धन एकत्र किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में सिर्फ 3 राष्ट्र ब्रिटेन, नार्वे तथा अमेरिका के द्वारा इस प्रयास के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदाय करने का वायदा किया गया है। अनुमानतः इस प्रयास के तहत वनों की कटाई रोकने से वैश्विक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है।इसके तहत

अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर एक समझौता किया गया, जिसके तहत सभी देशों को अपना कार्बन उत्सर्जन कम करना है, तथा यदि उत्सर्जन किया जाता है, तो इसके एवज में कार्बन संचयन के लिए वन संवर्द्धन का कार्य करना है।

वन क्षेत्रों के विस्तार और वृक्षों की कटाई को कम करने के उद्देश्य से भारत ने REDD+ की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण बनाने और सहायक संस्थाओं की स्थापना आने वाले वर्षों में करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय REDD+ रणनीति जारी की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करना है। पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में जंगलों की भूमिका को मान्यता दी गई है।

भोपाल वनमण्डल की कार्य आयोजना क्षेत्र में REDD+ की नीतियों के तहत वनों का सतत् प्रबंधन करना आवश्यक है, ताकि वनों की गिरावट से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके।

तालिका क्रमांक–25.2

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान से प्राप्त कार्बन संचयन हेतु जानकारी

State: Madhya Pradesh

Forest Type Group & Density Wise Carbon Per ha (in tonnes) in different carbon pools

FT Group	FT Density	Above ground biomass (AGB)	Below ground biomass (BGB)	Dead Wood	Litter	Soil organic Carbon Content
Group 3- Tropical Moist Deciduous Forests	VDF	45.45	10.00	0.90	2.77	58.42
Group 3- Tropical Moist Deciduous Forests	MDF	31.71	6.98	0.57	3.36	56.71
Group 3- Tropical Moist Deciduous Forests	OF	20.98	4.62	0.25	1.76	55.02
Group 5- Tropical Dry Deciduous Forests	VDF	31.46	13.21	0.42	6.29	50.71
Group 5- Tropical Dry Deciduous Forests	MDF	27.07	11.37	0.20	0.62	45.81
Group 5- Tropical Dry Deciduous Forests	OF	12.52	5.26	0.09	0.42	41.38
Group 6- Tropical Thorn Forests	VDF	19.52	8.21	0.36	2.12	48.54
Group 6- Tropical Thorn Forests	MDF	18.19	7.64	0.14	1.29	43.85
Group 6- Tropical Thorn Forests	OF	7.22	3.03	0.07	0.74	35.05

FT Group	FT Density	Above ground biomass (AGB)	Below ground biomass (BGB)	Dead Wood	Litter	Soil organic Carbon Content
Group 8- Subtropical Broadleaved Hill Forest	VDF	70.98	29.81	0.49	1.90	89.46
Group 8- Subtropical Broadleaved Hill Forest	MDF	30.95	13.00	0.30	2.74	84.72
Group 8- Subtropical Broadleaved Hill Forest	OF	16.50	6.93	0.11	1.83	83.14
TOF/Plantation	VDF	45.92	10.10	0.05	2.00	65.88
TOF/Plantation	MDF	35.27	7.73	0.29	2.28	58.86
TOF/Plantation	OF	9.33	2.05	0.00	1.03	49.08

Note:

Density	Description
Very Dense Forest	All lands with a forest Cover of trees with canopy density 70% and above
Dense Forest	All lands with a forest Cover of trees with canopy density 40% - 69%
Open Forest	All lands with a forest Cover of trees with canopy density 10% - 39%

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के पत्र संख्या–27–302/2016–एफ.आई. 7197 दिनांक 9 सितंबर 2020 द्वारा कार्बन स्टॉक आंकलन के लिये वनभूमि के घनत्व के अनुसार चैम्पियन एवं सेठ द्वारा वर्गीकृत मुख्य वन प्रकार को आधार मानकर मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली मुख्य वन प्रकार के अनुसार कार्बन के विभिन्न पूल प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की मात्रा वन भूमि घनत्व के अनुसार दी गई है। जिसके आधार पर भोपाल वनक्षेत्र मे कार्बन स्टॉक आंकलन किया गया जो निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–25.3

सघन, विरल एवं रिक्त वनों में कार्बन (टन में)

Different carbon pools	Dense Forest		Under Stocked Forest		Other Forest Area		Total
	per hec carbon	carbon	per hec carbon	carbon	per hec carbon	carbon	Total Carbon
Above ground biomass (AGB)	27.07	399687	12.52	229534	12.52	152078	**781299**
Below ground biomass (BGB)	11.37	167877	5.26	96434	5.26	63892	**328203**
Dead Wood	0.2	2953	0.09	1650	0.09	1093	**5696**
Litter	0.62	9154	0.42	7700	0.42	5102	**21956**
Soil organic Carbon Content	45.81	676382	41.38	758635	41.38	502635	**1937652**
Total Corbonn Tonnes		**1256054**		**1093953**		**724800**	**3074807**
Area (Hectare)	14764.95		18333.38		12146.81		**45245.14**
Total Corbonn (In Lack Tonnes)		**12.56**		**10.94**		**7.24**	**30.74**

25.6 सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक लाभः–

भोपाल वन मण्डल के अन्तर्गत मुख्यतः गोंड आदिवासी पाये जाते हैं, जो सामान्यतया हिन्दू रीति रिवाजों को मानते हैं। ये 'मरियाई' अर्थात प्लेग एवं अन्य बीमारियों की देवी एवं 'भीमसेन' हिन्दू देवता की भी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये देवी भक्ति एवं आत्मा को भी मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक पहाड़, नदी, झील एवं पेड़ में आत्मा निवास करती है। इनका मानना है कि धरती, पानी एवं हवा, बहुत सारी दैवी शक्तियों के अधीन हैं एवं इन शक्तियों को बलि देकर प्रसन्न करना होता है। इनमें देवारी (Priests) होते हैं, जो प्रत्येक अवसर पर इन रीति रिवाजों को सम्पन्न कराते हैं। ये गृहस्थी के देवता, पशुओं के देवता एवं खेतों के देवता को भी मानते हैं एवं उनकी पूजा करते हैं। धार्मिक अवसरों पर पशुओं की बलि देना सामान्य प्रथा है। ये नाग देवता की भी पूजा करते हैं। यहां भील आदिवासी भी पाये जाते हैं। भील आदिवासी हिन्दु धर्म के सभी त्यौहारों को मनाते हैं। ग्राम में जिस पहाड़ी पर जंगल होता है वहां पर पत्थर विशेष को दातला के रूप में पूजा करते हैं।

–––– 000 ––––

अध्याय–26
सामाजिक आर्थिक लाभ
Socio-Economic Advantages

सामान्य विवरण

प्राचीन काल से ही मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वनों एवं वन संसाधनों से ही होती रही है। भोपाल वनमंडल का वन क्षेत्र भी ऐसे सभी संसाधनों से परिपूर्ण है, जिसकी आवश्यकता एक सामान्य व्यक्ति के जीवन चलाने के लिए होती है। इस वन मण्डल के वन क्षेत्रों में कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है एवं जिनका हमारे जीवन में कहीं न कहीं उपयोग होता है। इनसे कई प्रकार की अकाष्ठ वनोपज का संग्रहण ग्रामीणों के द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए एवं बाजार में विक्रय कर अपनी आय बढ़ाने के लिए की जाती है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध मजदूरी पर आधारित है। ऐसे में ग्रामवासियों को अकाष्ठ वनोपज के संग्रहण से जीविकोपार्जन के साथ–साथ आय अर्जित करने का अतिरिक्त अवसर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त वानिकी कार्यों में भी रोजगार का सृजन होता है। वानिकी आधारित समस्त लाभों का विवरण आगामी पैरा में विस्तार से दिया जा रहा है।

26.1 आजीविका सृजनः–

वनों एवं वानिकी कार्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आजीविका का निर्माण होता है। इस प्रकार के कुछ मुख्य आजीविका निर्माण के साधनों का विवरण निम्नानुसार है,

26.1.1 विभागीय वानिकी कार्यों के माध्यम से :– भोपाल वनमंडल के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में कार्य आयोजना क्रियावन्यन के अर्न्तगत स्वीकृत कार्यो एवं अन्य विकास कार्यो में मजदूरी कार्य का पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है।

26.1.2 तेन्दू पत्ता संग्रहण से :– भोपाल वनमंडल में तेन्दूपत्ता महत्वपूर्ण लघुवनोपज है तथा लगभग संपूर्ण कार्य आयोजना क्षेत्र में उपलब्ध है। वनमंडल का विगत 10 वर्षों में संग्रहित तेन्दूपत्ता का औसत 23931.86 मानक बोरा का मूल्यांकन 995 रुपये प्रति मानक बोरा की औसत दर से 238.12 लाख रुपये होता है। इससे प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन होता है।

26.1.3 अन्य अकाष्ठीय वनोपज संग्रहण से :– क्षेत्र में औषधीय प्रजातियों के पौधों/वृक्षों की पर्याप्त उपलब्धता है। हर्रा, बहेड़ा, आंवला, अचार, महुआ फूल, महुआ गुल्ली, चिरायता, मरोड़फल्ली, नागरमोथा आदि का उपयोग एवं विक्रय स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है।

26.1.4 वन आधारित उद्योग से :– वनोपजों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग भी क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संभावनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

26.1.4.1 बांस आधारित :– कार्य आयोजना क्षेत्र में बांस आधारित कुटीर उद्योग जैसे सूपा, टोकनी, चटाई, छाबड़ा–चन्द्रिका, खिलौना, टेबल–कुर्सी, अगरबत्ती निर्माण आदि का कार्य कुछ मात्रा में किया जाता है। बांस निजी क्षेत्र तथा वनक्षेत्र में पुराने वृक्षारोपणों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक केन्द्र स्थापित किया जाकर प्राथमिक प्रसंस्करण की मशीन स्थापित कर, बांस से निर्मित टोकरी व टट्टों के निर्माण, अगरबत्ती काड़ी निर्माण, चारकोल, बांस के स्ट्रीप निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण देकर ग्रामीणों को स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

26.1.4.2 बीड़ी उद्योगः– कार्य आयोजना क्षेत्र में तेंदूपत्ता बहुतायत में पाया जाता है, जिसका विभागीय प्रक्रिया से निर्वतन कर शहरी व्यापारियों को बेचा जाता है। तेन्दूपत्ते से बीड़ी निर्माण, कुटीर उद्योग के रूप में

स्थापित है, जिससे अतिरिक्त आय तथा स्थानीय रोजगार उपलब्ध होता है।

26.1.4.3 काष्ठ खिलौना उद्योगः– इस वनमंडल में हल्दू, खमेर, एवं दूधी काष्ठ की उपलब्धता के कारण क्षेत्र में काष्ठ के खिलौने बनाये जाते है। भोपाल वनमण्डल में काष्ठ खिलौने बनाने के उद्योग स्थापित हैं, परन्तु इनकी संख्या सीमित है।

26.1.4.4 औषधीय वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण :– कार्य आयोजना क्षेत्र में विभिन्न औषधीय महत्व की प्रजातियां पाई जाती हैं, परन्तु वनाधारित उद्योग का वर्तमान स्वरूप कच्चा माल संग्रहण तक ही सीमित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को समस्त उत्पादों एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाली आय की जानकारी नहीं है। उन्हें उपलब्ध बाजार, उद्योग की आधारभूत सामग्री तथा प्रयुक्त उपकरण का भी ज्ञान नहीं है। इन सभी बाधाओं को दूर कर वनाधारित उद्योग स्थापित करने के प्रयास करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से निम्नानुसार प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा सकते हैं,

26.1.4.5 तेल निकालकर साबुन बनाना :– वनमण्डल क्षेत्र में उपलब्ध वानिकी प्रजातियों जैसे महुआ, करंज एवं नीम के बीजों से तेल निकालकर साबुन बनाने का कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

26.1.4.6 औषधि निर्माण :– वनमण्डल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों जैसे सफेद मूसली, काली मूसली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, जंगली प्याज, सतावर, बायबिरंग, केवटी एवं भृंगराज इत्यादि औषधीय प्रजातियॅा पाई जाती है। वनक्षेत्र के अतिरिक्त कृषकों के खेतों में भी बढ़ावा देकर कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। ऑवला, हर्रा, बहेड़ा पर्याप्त मात्रा में जड़ी–बूटियॅा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इन औषधीय प्रजातियों से आधारित त्रिफला चूर्ण, च्वयनप्राश उद्योग औषधि निर्माण की इकाई स्थापित कर ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

26.1.4.7 रेशम उद्योगः– साजा/अर्जुन बाहुल्य क्षेत्रों में रेशाम के कीड़ों का पालन कर रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। वनमण्डल क्षेत्र के अधिकांश लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति एवं सीमित कृषि उत्पादन को देखते हुए उपरोक्त वनों पर आधारित कुटीर उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय से ग्रामवासियों का वनों के संरक्षण व संवर्धन के प्रति रुझान बढ़ेगा।

26.1.4.8 अचार गुठली :– अचार गुठली संग्रहण भी किया जा सकता है। व्यवस्थित बाजार के माध्यम से यह उद्योग बढ़ाया जा सकता है।

26.1.4.9 शहद व्यवसाय :– वर्तमान में कार्य आयोजना क्षेत्र मे निम्न स्तर पर शहद तैयार किया जाता है। वर्तमान में इस के प्रसंस्करण पर ध्यान दिया जा सकता है।

26.1.4.10 अन्य उद्योग :– कार्य आयोजना क्षेत्र में महुआ एवं ऑवला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका कुटीर उद्योग क्षेत्र में लगाया जा सकता है।

26.2 सामाजिक आर्थिक विकासः–

वनों एवं वन संसाधन के माध्यम से वनों के आसपास रहने वाले समुदायों का समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन संयुक्त वन प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत गठित समितियों के माध्यम से पूर्व से ही किया जा रहा है। वनों के आसपास रहने वाले लोगों की मुख्य समस्याएं शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार के सीमित साधन, आवागमन के साधनों एवं सड़कों का अभाव रहीं हैं। संयुक्त वन प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत समितियों के माध्यम से निर्मित सूक्ष्म प्रबन्ध योजनाओं में इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु प्रावधान रखे जाते हैं, एवं सभी विभागों से समन्वय कर ग्राम के सामाजिक एवं आर्थिक

विकास के प्रभावी कार्यक्रम लागू किये जाते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कदमों का विवरण आगामी पैरा में दिया जा रहा है।

26.2.1कौशल विकास एवं उन्नयनः– भोपाल वनमंडल के अर्न्तगतवनों से लगे ग्रामों के युवाओं में कौशाल का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं से रोजगारोन्मुखी गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर, उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाता है या स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु सहायता दी जाती है। स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु आसान ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

26.2.2स्वास्थ्य सुविधा :– कार्य आयोजना क्षेत्र के अर्न्तगत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्यतया उपलब्ध नहीं रहती हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त प्रयास से स्वास्थ्य परीक्षण शािविर लगाए जाते है।

26.2.3आधारभूत संरचना का निर्माण :– भोपाल वनमण्डल के अर्न्तगत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर आवशयक व आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पुल, पुलिया, सिचांई के साधन,आगनबाड़ी, उपस्वास्थ्य केन्द्र आदि उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर ऐसे कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर विभिन्न विभागों के समन्वय से आधार संरचना का निर्माण किया जाता है।

26.3 ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का मुख्य साधन जलाऊ लकड़ी सीधे वनों से या कृषि भूमि पर खड़े वृक्षों से प्राप्त होती है। खाना बनाने के लिए ईंधन, रात्रि में प्रकाश के लिए लकड़ी एवं ठण्ड के दिनों में घर को गरम रखने के लिए लकड़ी सामान्यतया वनों से ही ली जाती है। इस प्रकार वन, ग्रामीण ऊर्जा के एकमात्र साधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण आबादी बढ़ने एवं शहरी क्षेत्रों में भी ऊर्जा हेतु लकड़ी की मांग होने के कारण वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का निर्माण करके एवं पारम्परिक ऊर्जा

की खपत कम करने वाले साधनों की उपलब्धता बढ़ाकर हम वनों पर दबाव को कम कर सकते हैं। ऐसे कुछ साधनों का विवरण निम्नानुसार है,

26.3.1 ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत :– वन विभाग एवं सामाजिक वानिकी के माध्यम से सघन वृक्षारोपण के बावजूद जलाऊ लकड़ी की माँग उत्पादन से अधिक है, अतः इस माँग की पूर्ति करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। समुचित ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना बनाई जाकर विभिन्न स्त्रोतों तथा परम्परागत, गैर परम्परागत, वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का अनुकूलतम उपयोग किया जावे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कम खर्च में अधिक ऊर्जा मिल सके।वनों पर भार कम करने के उद्देशय से ग्राम वन समितियों, स्वैच्छिक संगठनों एवं ग्राम विकास कार्यकर्ताओं के माध्यम से निम्नलिखित गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का प्रचार–प्रसार करना चाहिये तथा इनके लाभों की जानकारी से ग्रामीणों को अवगत कराना चाहिये। वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जा सकता है।

a) **एल.पी.जी. :–** शहरी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्र के संपन्न लोगों को एल. पी.जी. गैस का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

b) **गोबर गैस :–**ग्रामों में पशुओं की संख्या काफी अधिक है, जो अधिकाँशतः वनों में चराई करते हैं। इससे गोबर व्यर्थ हो जाता है। गोबर गैस का उपयोग खाना बनाने एवं प्रकाश के लिए भी किया जा सकता है। गोबर गैस संयत्र लगाने से ग्रामीण अपने मवेशियों को चराई हेतु वनों में भेजने के बजाय गोबर प्राप्ति के लिए अपने घरों के आस–पास खूँटे से बाँधकर घास खिलाएंगे, जिससे वनों पर चराई भार कम होगा। साथ ही गोबर को कण्डों के रूप में जलाने के बजाय वे इससे गैस के रूप में ईंधन तथा प्रकाश प्राप्त करेंगे तथा मूल्यवान खाद भी प्राप्त करेंगे। अतः इनके उपयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

c) **बायो गैस :–** बायो गैस के संयंत्रों में गोबर के अतिरिक्त मल तथा वानस्पतिक कूड़े करकट का भी उपयोग किया जा सकता है। बायो गैस का उपयोग भी खाना बनाने व प्रकाश हेतु किया जा सकता है। अतः इनके उपयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

d) **सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर व अन्य बिजली उपकरण :–** सौर ऊर्जा सतत् उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है, जिसका उपयोग विभिन्न उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर तथा प्रकाश देने वाले उपकरणों में होता हैं। अतः इनके उपयोग को ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

26.3.2 ईंधन की खपत कम करने वाले साधन :– कुछ उन्नत साधनों का उपयोग करके पारम्परिक ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है। ऐसे कुछ साधनों का विवरण निम्नानुसार है,

26.3.3 उन्नत चूल्हा :–परम्परागत चूल्हे जो आम तौर से घरों में उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें जलाऊ लकड़ी की खपत ज्यादा होती है, और धुंआ भी अधिक निकलता है, इनके स्थान पर उन्नत चूल्हों के लगाने से 30 से 40 प्रतिशत जलाऊ लकड़ी की बचत होती है।

26.3.4 उन्नत सिगड़ी :–ये सिगड़ियाँ परम्परागत चूल्हों की तुलना में 50 प्रतिशत ही जलाऊ लकड़ी की खपत करती हैं। अतः उन्नत सिगड़ी के उपयोग से जलाऊ लकड़ी की खपत में 50 प्रतिशत बचत की जा सकती है।

26.3.5 उन्नत शवदाह गृह :–परम्परागत विधि से एक मानव शव को जलाने के लिए 3 क्विंटल जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है, परन्तु उन्नत शवदाह गृह से लकड़ी की खपत में 50 प्रतिशात बचत की जा सकती है।

26.3.6 प्रेशर कुकर :–खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर के उपयोग से ऊर्जा की काफी बचत की जा सकती है। ग्रामीण व गरीब परिवारों में इसे अपनाने के लिए प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

26.4 खाद्य सुरक्षाः–

वनों के आसपास निवास करने वाले समुदाय खाद्य पदार्थों के लिए काफी हद तक वनों पर ही निर्भर करते हैं। इनके द्वारा वनों में पाये जाने वाली वनस्पतियों की पत्तियां, कंदमूल, फल, फूल, बीज, गोंद, तना, एवं शाखाएं इत्यादि भोजन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। ऐसी प्रजातियों में मुख्यतया अचार, बांस, महुआ, तेन्दू, चकौड़ा, बेल, सीताफल, जामुन, कुल्लू, धावड़ा, गुन्जा, अर्जुन आदि हैं। इन खाद्य पदार्थों में सामान्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ स्वास्थ्यवर्द्धक एवं औषधीय गुण वाले पदार्थ भी सम्मिलित हैं।

अकाष्ठीय वनोपज में शहद का संग्रहण प्रमुख है। वनों से उत्तम गुणवत्ता का शहद प्राप्त होता है। जिसका उपयोग ग्रामीण स्वयं भी करते है एवं विक्रय कर आय अर्जन भी करते है। मध्य प्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ भोपाल के द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से शहद का विनाश विहीन सतत् संग्रहण हेतु प्रेरित किया जाता है।

उक्त प्रजातियों की उपलब्धता सदैव बनी रहे, इसके लिए परम्परागत वनों के बाहर भी इन प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए कृषक समृद्धि योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी आवश्यकतानुसार फलदार पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं एवं प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, को वनभूमि पर कृषि एवं अन्य कार्यो के लिए वन अधिकार

पत्र देने की व्यवस्था की गयी, ताकि वे निश्चित रूप से उस पर कृषि कर अपना जीवन यापन कर सकें।

26.5 चारा प्रबंधन

अनियन्त्रित चराई से, वनों की बढ़त, पुनरुत्पादन एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों को अपूर्णीय क्षति होने के साथ साथ क्षेत्र की जलग्रहण क्षमता कम होती जा रही है। अनियंत्रित चराई भूक्षरण को बढ़ावा देती है, जिसे धरती का कैंसर भी कह सकते हैं। इससे सबसे अधिक क्षति वन भूमि को ही होती है। अनियंत्रित चराई अच्छी चारा योग्य मुलायम घासों का समूल नाश कर देती है।

ग्रामों के आसपास के वनों की स्थिति और भी दयनीय है, जहां अनियंत्रित चराई या अत्यधिक चराई के कारण वहां माह नवम्बर दिसम्बर के बाद कोई घास नहीं बचती है। तब चरवाहे पेड़ों की शाखाएं काटकर चारा एकत्र करते हैं। बार बार लापिंग के कारण पेड़ों में पुष्पन नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रभावित होता है।

अत्यधिक चराई के कारण मवेशियों के खुरों से वन भूमि की मिट्टी कड़ी हो जाती है, जिससे जमीन पर गिरे बीजों में अंकुरण नहीं होता है। भेड़, बकरी एवं ऊँट जैसे जानवरों के द्वारा नई पौध की कोपलें खाने के कारण, वनों का स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं संवहनीयता बुरी तरह प्रभावित होती है। यदि अत्यधिक चराई को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है, जब चारा उपलब्ध कराने वाले पेड़ भी वनों से समाप्त हो जायेंगे।

अत्यधिक चराई के कारण भूमि वनस्पति विहीन होने के बाद वायु क्षरण के साथ धूल भरी आंधी एवं गुबार की संभावनाएं बनेंगी, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देगी। रिक्त भूमि से पानी भी भू–क्षरण करके सारी मिट्टी को जलग्रहण क्षेत्र के जलस्रोतों में ले जायेगा जिससे उन स्रोतों की जलग्रहण क्षमता कम होगी एवं जल प्रदूषित भी होगा।

अतः हमें अपने वनक्षेत्र की चराई धारण क्षमता का ज्ञान होना चाहिए एवं उसकी सीमा में रहकर नियंत्रित चराई करनी चाहिए। वनमण्डल मे मवेशियों को खुटे से बांधकर खिलाने की प्रथा नही है। प्रायः वनो के आस पास रहने वाले सभी मवेशी चराई हेतु वनों पर ही निर्भर है। यद्यपी वनों में शिविर लगाकर मवेशी चराने की प्रथा नही है। वनमण्डल में उपलब्ध मवेशियों की पशु इकाई का आंकलन निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका क्रमांक 26.1

वनमंडल में पशुओं की संख्या/मानक पशु इकाई की संख्या

अनु.क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत	यूनिट पशु	कुल पशु यूनिट
1	गौवंशीय 3 वर्ष से अधिक (नर/मादा)	110092	47.0	1	110092
2	भैंसवंशीय 3 वर्ष से अधिक उम्र (नर/मादा)	83655	35.7	2	167310
3	भेंड़/भेंड़ी	65	0.0	1	65
4	बकरे/बकरियॉ	39155	16.7	1	39155
5	घोड़े/घोड़ी	66	0.0	1	66
6	टट्टू/खच्चर	0	0.0	1	0
7	गद्हे नर/मादा	181	0.1	1	181
8	ऊँट	0	0.0	2	0
9	सुअर	945	0.4	1	945
	कुल पशु धन –	**234159**	**100.0**		**317814**

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका भोपाल

तालिका क्रमांक 26.2

वनों की चराई क्षमता

क्र.	वनों का प्रकार	कुल क्षेत्र हे.में.	चराई क्षमता प्रति हे. में	कुल चराई क्षमता पशु ईकाई
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	आरक्षित वन	31183.21	1	31183.21
2	संरक्षित वन	14061.92	2	28123.84
	योग	**45245.13**		**59307.05**

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पशुधन कृषि आवश्यकताओं के अतिरिक्त ऊंचे सामाजिक स्तर का सूचक है। पशुओं की इतनी संख्या पशु चराई भार क्षमता से 5.36 प्रतिशत अधिक है। उक्त गणना अनुसार प्रति वर्ग कि.मी. घनत्व पशुधन 702 है। इन आंकड़ों से जनसंख्या एवं पशुओं का वनों पर अत्यधिक दबाव

स्पष्ट है। पशुओं द्वारा चराई के कारण वनों से घास कम होती जा रही है। अरूचिकर घासें एवं वन पुनरूत्पादन में बाधक झाड़ियां एवं शाक की वृद्धि अत्यधिक चराई के कारण हो रही है। पशुओं के लिये रूचिकर घांसों के अभाव में चरवाहों द्वारा विभिन्न मिश्रित प्रजातियों की शाखा छटाई चारे हेतु की जाती है। वर्षा ऋतु में पशु घास के साथ–साथ पुनरूत्पादन भी चर जाते हैं। इस कारण से वनों की उत्पादकता गम्भीर रूप से प्रभावित हो रही है।

कार्य आयोजना क्षेत्र में कुल 234159 पशु हैं जो मुख्य रूप से घास, पेड़ों के पत्ते एवं कृषि उपज से प्राप्त चारे पर निर्भर करती है। औसतन पशु को अपने वजन के 3 प्रतिशत वजन का चारा प्रतिदिन चाहिए। कार्य आयोजना क्षेत्र में औसतन पशु का वजन 250 किलो ग्राम माना गया है। इस प्रकार 7.5 किलो ग्राम प्रति दिन के हिसाब से एक मवेशी को लगभग 2.73 टन चारा प्रति वर्ष चाहिए कार्य आयोजना क्षेत्र में लगभग 17,56,193 टन चारे की प्रति वर्ष आवश्यकता है। कार्य आयोजना क्षेत्र में वनों पर चराई का अत्यधिक भार है क्योंकि मवेशियों को चारा काट कर खिलाने की प्रथा (स्टाल फीडिंग) नहीं है। लगभग 90 प्रतिशत पशुधन चराई के लिए वनों पर निर्भर करते है। शेष मवेशी पड़त भूमि पर, खेतों पर चराई करते है। शहरी क्षेत्रों में कुछ मवेशियों को स्टाल फीडिंग की जाती है। अतः वनमण्डल में पशुधन के हिसाब से लगभग 3,17,814 पशु इकाईयां वनों पर निर्भर करती हैं। वनमण्डल का क्षेत्रफल 452.451 वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र है। वन क्षेत्रो की चराई भारित क्षमता आरक्षित वन में एक पशु ईकाई प्रति हे0 एवं संरक्षित वनों में 2 पशु ईकाई प्रति हे0 मानते हुये वनमण्डल के उपलब्ध वनक्षेत्रों में कुल 59307.05 पशु ईकाई की चराई क्षमता है। इस प्रकार कुल उपलब्ध वनक्षेत्र की चराई भार क्षमता से लगभग 5.35 गुना ज्यादा चराई का दबाव है।

26.6 उपचारः–

चारागाह विकास के लिए सभी कार्यवृत्तों में उथली मिट्टी वाले रिक्त एवं विरले वन क्षेत्र में घास रोपण का प्रावधान रखा गया है। ऐसे क्षेत्रों में चारागाह विकास के लिये कार्य किये जायेंगे। चारागाह विकास हेतु उपचारित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाये,

1 प्रथम वर्ष में घास बीज गिरने के उपरांत ही घास काटने की अनुमति दी जायेगी।

2 घास की वृद्धि काल में चराई प्रतिबंधित रखी जायेगी।

चारागाह विकास कार्यक्रम में उन्नत घास प्रजातियों के बीज बुआई करने के लिये निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जा सकती हैं।

1 भूमि सतह की यंत्र से जुताई करने के पश्चात् बीज छिड़काव।

2 विशेष यंत्रों के द्वारा उन्नत घास प्रजातियों के बीज मिट्टी में मिलाकर बोना।

3 लाइन में उन्नत घास प्रजातियों के बीज, जड़, तनों या अन्य भाग लगाना।

लगभम समतल क्षेत्र में, साधारण हल से जुताई करके उन्नत घास प्रजातियों के बीज हाथ से छिड़क दिये जायें। यदि क्षेत्र समतल नहीं है, तो जुताई करने पर भूमि क्षरण हो सकता है। ऐसे स्थानों पर दूसरी विधियाँ अपनाई जानी चाहिये।

अधिकतर बीजों को भूमि में 1 से 2 सेमी. तक गहराई में बोना चाहिये। इसका मूल सिद्धान्त यह है कि बीज पूरी तरह से मिट्टी से ढंका रहे एवं यथा सम्भव जमीन सतह पर ही रहे। अधिक गहराई में बोने से बीज सड़ने का डर रहता है। अधिकतर घास प्रजातियों के बीज बहुत हल्के होते हैं। इन बीजों की अंकुरण क्षमता लगभग 30 से 50 प्रतिशात तक होती है। विभिन्न घास प्रजातियों की प्रति हेक्टेअर बीज की मात्रा निम्नांकित तालिका के अनुसार रखी जाये,

तालिका क्रमांक 26.3
विभिन्न घास प्रजातियों के बीज बुआई हेतु आवश्यक मात्रा

क्र.	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	एक वर्षीय या बहु वर्षीय	बीज की मात्रा (किग्रा. प्रति हे.)
1	सेन	Sehima nervosum	बहु वर्षीय	6 से 7
2	ग्यूनिया	Panicum maximum	बहु वर्षीय	3 से 6
3	चिरई	Iseilema laxum	बहु वर्षीय	5 से 6
4	मारवेल (केल)	Dichanthium annulatum	बहु वर्षीय	4 से 5
5	धवलू	Chrysopogon fulves	बहु वर्षीय	4 से 5
6	अंजन	Cenchrum ciliaris	बहु वर्षीय	4 से 5
7	धामन	Cenchrum setigerus	बहु वर्षीय	10 से 12
8	स्टायलो	Stylosanthes hamata	बहु वर्षीय	6 से 8
9	मुसैल	Iseilema anthephoroides	बहु वर्षीय	5 से 6
10	भुरभुसी	Ergrostis tenella	एक वर्षीय	4 से 5
11	गुन्हेर	Themeda quadrivalvis	बहु वर्षीय	4 से 5
12	लपसुआ	Chloris virgata	एक वर्षीय	4 से 5
13	लम्पा	Heteropogon contortus	एक वर्षीय	4 से 5
14	गडरो	Apluda varia	बहु वर्षीय	6 से 8
15	उकरू	Oldenlandia spp.	बहु वर्षीय	6 से 8
16	चिनवाई	Arthrason lancifolius	बहु वर्षीय	4 से 5
17	मोरपंख	Aristida vedacta	एक वर्षीय	5 से 6
18	चिराई	Apluda mutica	एक वर्षीय	5 से 6

जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, उनमें चारे की सघन खेती की जा सकती है। सिंचित क्षेत्रों में चारे की अनेक फसलें उगाकर काफी मात्रा में इसे प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा सकता है। चारे की फसलों में एम.पी. चरी (सोरघम वाईकल्चर), सूडान घास (सोरघम सूडोनेसिस), रोडस घास (क्लोरिस गयाना), दीनानाथ (पेनीसीटम पेडिसिलेटम) आदि लगाई जा सकती हैं।

उवर्रकों के उपयोग से घास का उत्पादन आसानी से डेढ़ से दो गुना तक बढ़ाया जा सकता है। बड़े क्षेत्र में उर्वरक का प्रयोग आर्थिक कारणों से कठिन होगा। अच्छे बीज प्राप्त करने के लिये बीज खण्डों (रोपणी) में इसका उपयोग किया जावेगा।

घास प्रजातियों के साथ ही फलीदार प्रजातियों का उपयोग भी चारे के लिये किया जावेगा। फलीदार प्रजातियों के उपयोग से भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। फलीदार प्रजातियों के बीज अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं।

इन्हें लाइन में 2 से 4 सेमी. गहराई तक बोया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फलीदार प्रजातियों के बोने की विधि तथा दर निम्नानुसार दी गई है,

तालिका क्रमांक 26.4
फलीदार प्रजातियों के बोने की विधि का विवरण

क्र	प्रजाति	बोने की विधि	बीज मात्रा (किग्रा. / हेक्टेअर)
1	माइक्रोप्टिलियम	2 सेमी. गहराई में	10–15
2	आटोपुरपुरियम	45 सेमी. अंतराल में पंक्ति में	6–8
3	स्टाईलोसैथिम	45 सेमी. अंतराल में पंक्ति में	6–8
4	हमाटा स्टाईलोसैथिम	45 सेमी. अंतराल में पंक्ति में	7–10
5	ग्रासिलिस स्टाईलोसैथिम	45 सेमी. अंतराल में पंक्ति में	4–6
6	स्कैबा स्टाईलोसैथिम	45 सेमी. अंतराल में पंक्ति में	12–15
7	हुमिलिस आटिलोसिया	2 से.मी. गहराई में	6–8
8	स्कारवेआडिस डिस्मैनथिस	2 से.मी. गहराई में	4–7
9	बरगेटस ग्लाईसीन ज्वानिकी	2 से.मी. गहराई में	8–10
10	डिस्मोडियम टीटेसम	2 से.मी. गहराई में	10–12
11	फीजओलस प्रजाति	2 से.मी. गहराई में	
12	प्युरिया घम्बरजिआना	तनों की कलम लाईन में लगाई जाती है।	

उपयुक्त स्थलों पर वृक्ष चारण पद्धति के अन्तर्गत घास के साथ ही वृक्ष प्रजातियों का रोपण भी किया जावेगा। इस प्रकार भूमि के समुचित संरक्षण एवं चारे के उत्पादन के साथ ही जलाऊ एवं छोटी लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये निम्न तालिका में दिए अनुसार वृक्ष एवं घास प्रजातियों को एक साथ उगाया जा सकता है,

तालिका क्रमांक 26.5
वृक्ष एवं घास प्रजातियों का विवरण

समूह क्रमांक	वृक्ष प्रजातियाँ	घास प्रजातियाँ
1	अकेसिया टार्टलिस	सेनक्रस लिलियोरिस
	ल्यूसीना लिकोसिफेला	सेनक्रस सेटीजेरस
2	अल्बीजिया अमारा	सेनक्रस सिलियेरिस
	हार्ड बेकिया बाईनेटा	सेहिमा नरवोसम
3	अकेसिया निलोटिका	सेहिमा नरवोसम
	हार्ड वेकिया बाईनेटा	क्राइसोपोगान फुलबंस सेनक्रस सिलियेरिस

इस पद्धति में वृक्ष प्रजातियों का अंतराल 10 मी x 10 मी रखा जावेगा। इसके साथ–साथ बांस रोपण भी उपयुक्त स्थलों पर किया जावेगा।

––– 000 –––

अध्याय 27
क्षमता एवं कौशल विकास
(Ability and Skill Development)

सामान्य :

कार्य आयोजना क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं वनों की सामान्य सुरक्षा एवं संवर्धन गतिविधियों के संचालन हेतु, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूरी तरह प्रशिक्षित एवं दक्ष होना अनिवार्य है। वन प्रबन्धन बहुत ही संवेदनशील एवं तकनीकी कला है, जिसमें एक भी त्रुटि का दूरगामी परिणाम होता है, जिसका तत्काल पता नहीं चलता है और जब पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अतः इस प्रकार की त्रुटि से कोई अपूर्णीय क्षति न हो, इसके लिए कुशल प्रशिक्षकों के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मचारियों अधिकारियों का विस्तृत प्रशिक्षण कराया जाये।

27.1 कर्मचारियों की क्षमता तथा कौशल विकास की आवश्यकताओं का आंकलन एवं प्रशिक्षण विषयों की पहचानः–

27.1.1 क्षमता तथा कौशल विकास की आवश्यकताः–

क्षेत्रीय वन मण्डल में पदस्थ कर्मचारी–अधिकारी, सामान्य रूप से वन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं वृक्षारोपण के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पारम्परिक तरीके से अपना कार्य करते जाते हैं, जबकि विगत 10–12 वर्षों में कई तकनीकें बदल जाती हैं एवं कई नई तकनीकें लागू कर दी जाती हैं। अतः नियमित अन्तराल पर इन तकनीकों एवं दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार विगत कार्य आयोजना अवधि में कराये गये कार्यों के परिणाम एवं क्रियान्वयन की अच्छाइयों एवं कमियों के बारे में भी क्षेत्रीय कर्मचारियों को अवगत होना चाहिए, ताकि वे आगामी वर्षों में बेहतर वन प्रबन्धन कर सकें। इसके साथ ही विगत कार्य आयोजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन के परिणामों के आधार पर नवीन कार्य आयोजना में रखे गये प्रावधानों एवं उसके क्रियान्वयन के बारे में भी प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है।

27.1.2 प्रशिक्षण के विषयों की पहचानः–

भोपाल वनमंडल के वनों की सुरक्षा, संवर्धन एवं अन्य विकास कार्यों के लिये कार्य आयोजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा उसके मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्रत्येक पहलू पर विस्तृत एवं गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कार्य आयोजना के प्रावधानों एवं आधुनिक तकनीक के विकास से अवगत कराने हेतु निम्नानुसार विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाये,

1. कूपों के सीमांकन एवं चिन्हांकन का प्रशिक्षण।
2. कूप में विदोहन का प्रशिक्षण।
3. विदोहन उपरान्त पुनरुत्पादन गतिविधियों के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण।
4. वृक्षारोपण तकनीक एवं उसके मूल्यांकन का प्रशिक्षण।
5. नर्सरी तकनीक का प्रशिक्षण।
6. पुनरुत्पादन सर्वेक्षण का प्रशिक्षण।
7. बांस पुनरुत्पादन एवं उपचार का प्रशिक्षण।
8. अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण।
9. वन अधिनियमों एवं नियमों का प्रशिक्षण।
10. वन अपराध प्रकरणों का पंजीकरण, जांच, न्यायालय में प्रस्तुतीकरण का प्रशिक्षण।
11. अतिक्रमण बेदखली प्रक्रिया का प्रशिक्षण।
12. जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं टाइगर सेल की भूमिका एवं उसके कार्य कलापों के संबंध में प्रशिक्षण।
13. पंचसाला सीमांकन एवं मुनारा निर्माण का प्रशिक्षण।
14. लघु वनोपज संग्रहण एवं भण्डारण तकनीक का प्रशिक्षण।
15. संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना निर्माण का प्रशिक्षण।
16. संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के गठन, उनके सशक्तीकरण का प्रशिक्षण।

17. संयुक्त वन प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं संवर्धन का प्रशिक्षण।
18. संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के अभिलेख एवं लेखा संधारण का प्रशिक्षण।
19. लोक वानिकी अधिनियम का प्रशिक्षण।
20. वन सुरक्षा हेतु विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधानों का प्रशिक्षण।
21. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण।
22. जी.आई.एस. प्रशिक्षण।
23. समय–समय पर आवश्यक अन्य प्रशिक्षण।

27.2 प्रशिक्षण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास

भोपाल वन मण्डल के अन्तर्गत उपरोक्त प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। किसी भी प्रशिक्षण के आयोजन हेतु निम्नलिखित संसाधनों की आवश्यकता होती है–

1. कुशल प्रशिक्षक
2. प्रशिक्षण हाल एवं फर्नीचर
3. दृश्य श्रव्य उपकरण
4. आवश्यक वित्तीय प्रावधान

1. **कुशल प्रशिक्षक** :– भोपाल वन मण्डल के अन्तर्गत कुशल प्रशिक्षकों का एक पांच सदस्यीय दल बनाया जाये, जिसमें उप वन मण्डल अधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारी हों। उक्त दल का प्रत्येक त्रैमास में एक दिवसीय प्रशिक्षण वन मण्डल स्तर पर आयोजित किया जाकर नवीन दिशा निर्देशों एवं तकनीकों की जानकारी दी जाये, ताकि क्षेत्रीय कर्मचारियों को सभी तकनीकों एवं दिशा निर्देशों से अवगत कराया जा सके। आवश्यक होने पर कुछ विषयों पर प्रशिक्षण देने हेतु बाहर से भी प्रशिक्षक बुलाये जायें, जिन्हें उचित मानदेय की व्यवस्था रखी जाये।

2. **प्रशिक्षण हाल एवं फर्नीचर :–** प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को देखते हुए उचित आकार का प्रशिक्षण हाल वन मण्डल स्तर पर हो। सामान्यतया एक प्रशिक्षण में 35 से 50 प्रशिक्षणार्थी ही होने चाहिए, अतः 50 प्रशिक्षार्थियों एवं 5 प्रशिक्षकों को बैठने के लिए सर्व सुविधायुक्त प्रशिक्षण हाल का निर्माण किया जाये, जिसमें आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हो।
3. **दृश्य श्रव्य उपकरण :–** प्रशिक्षणार्थियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए माइक, प्रोजेक्टर, राइटिंग बोर्ड, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था उचित स्थान पर प्रशिक्षण हाल में की जाये।
4. **वित्तीय प्रावधान** :– प्रत्येक वर्ष वन मण्डल के ऐक्शन प्लान में प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान किया जाये, जिसका उपयोग प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री का प्रदाय करने, प्रशिक्षण हाल एवं उसमें लगे उपकरणों का रखरखाव करने, बाहरी प्रशिक्षकों का मानदेय देने तथा प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक भोजन एवं पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाये।

27.3 प्रदर्शन प्रवासः–

क्षेत्रीय कर्मचारियों को विभिन्न वानिकी कार्यों का प्रदर्शन, कार्य आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ही क्षेत्रीय प्रवास आयोजित करके कराया जाये। आवश्यक होने पर आस पास के वन मण्डलों के अच्छे कार्यों के क्षेत्र का भ्रमण भी कराया जाये।

27.4 विषय विशेषज्ञों का चयन एवं सेवाएं प्राप्त करना

कर्मचारियों/अधिकारियों की कार्य कुशलता हेतु बाहरी विषय विशेषज्ञों का चयन कर उनके द्वारा प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संबंधित विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके।

27.5 विशेषज्ञ संस्थानों से समन्वय

कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, जैसे मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबन्धन

संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान, मध्य प्रदेश के वन विद्यालयों से समन्वय कर प्रशिक्षण आदि के साथ समन्वय करके विभिन्न विषयों पर आधुनिकतम जानकारी एवं तकनीक प्राप्त की जा सकती है।

–––– 000 ––––

अध्याय–28
अधोसंरचना विकास
(Infrastructure Development)

कार्य आयोजना क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्रों के संरक्षण एवं संवर्द्धन, वन ग्रामों के प्रबन्धन, एवं कार्य आयोजना मे प्रावधानित समस्त गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए जहां एक ओर मानव संसाधन की आवश्यकता है, वहीं मानव संसाधन अर्थात वन कर्मचारियों अधिकारियों के निवास हेतु आवश्यक भवन/अन्य सुविधाएं, गतिविधि के संचालन हेतु आवश्यक औजार, संचार साधन, सड़क, वाहन एवं अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। कार्य आयोजना क्षेत्र में सड़कों एवं भवनों का निर्माण/उन्नयन, वन अवरोध नाके, तालाब एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता का विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया जा रहा है।

28.1 कार्यालयीन एवं आवासीय भवनः–

अंदरूनी क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के परिवारों को परिक्षेत्र मुख्यालय पर लाईन क्वार्टर एवं जिला स्तर पर उनके बच्चों को रहकर पढ़ने हेतु छात्रावास भवन निर्माण की आवश्यकता है, ताकि मैदानी कर्मचारी अपना परिवार या बच्चों को उसमें रख सकें एवं स्वयं निश्चिन्त रूप से अपना वन सुरक्षा का दायित्व निभा सकें। इसके लिए वन मण्डल स्तर पर छात्रावास की सुविधा है, किन्तु परिक्षेत्र स्तर पर लाइन क्वार्टर की आवश्यकता है। इसी तरह परिक्षेत्र सहायक मुख्यालय पर भी आवास सह कार्यालय भवन आवश्यक है, क्योंकि परिक्षेत्र सहायक के द्वारा महत्वपूर्ण वन अपराधों की जांच के दस्तावेज, कार्यों के प्रमाणक एवं अन्य जरूरी शासकीय अभिलेख एवं सामग्री रखी जाती है। वनमण्डल कार्यालय की हालत भी जर्जर है। वनमण्डल के अंतर्गत निम्नानुसार भवन उपलब्ध कराने से उक्त कार्य सुचारु रूप से संपादित हो सकेंगे।

तालिका क्रमांक – 28.1
नये भवनों के निर्माण का प्रस्ताव (आवासीय)

परिक्षेत्र	आवासीय
समर्धा	1- लाईन क्वाटर लहारपुर 2- वनरक्षक नाका प्रेमपुरा 3- वनरक्षक नाका अमोनी 4- वनरक्षक नाका मेण्डोरा
बैरसिया	1- लाईन क्वाटर नजीराबाद–1 2- मजीदगढ़ परिसर बाउंड्रीबाल निर्माण
वन भवन	1- मुख्य वन संरक्षक आवास 2- उप वनमण्डलाधिकारी आवास (समन्वय) 3- उप वनमण्डलाधिकारी आवास (सामान्य) 4- परिक्षेत्र अधिकारी आवास समर्धा–1 Multi stories complex for forest employe (आवासीय परिसर) 5- परिक्षेत्र अधिकारी आवास भोपाल इकाई–1 6- परिक्षेत्र अधिकारी आवास उड़नदस्ता – 1 7- फारेस्ट कॉलोनी चार इमली स्थित गेरेज क्र01, 2, 3, 4 जरजर हाल में है जिन्हें तोड़कर

तालिका क्रमांक – 28.2
नये भवनों के निर्माण का प्रस्ताव (कार्यालय)

परिक्षेत्र	कार्यालय
समर्धा	----
बैरियर एवं नजीराबाद	1- बंदीगृह निर्माण बैरसिया 2- स्ट्रॅाग रूम (राइफल हेतु) 3- परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय नजीराबाद
वनभवन	1- बंदीगृह निर्माण चार इमली 2- स्ट्रांग रूम (रायफल हेतु) चार इमली 3- वनमण्डल कार्यालय.Bomman lat-bath (outer area) 4- CCF उड़नदस्ता कार्यालय 5- वायरलेस रूम

28.2 कर्मचारी कल्याणः–

आवास स्थलों की मूलभूत सुविधायें जैसे–पेयजल व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, शौचालय न होने की स्थिति में इनका निर्माण कराया जाना आवश्यक है। आवासीय कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार ट्यूबबेल खनन करवाकर उपयोग हेतु बड़ी टंकी (Over Head Tank) स्थापित की जाना चाहिये। पेयजल हेतु आगामी 10 वर्षों में आवश्यक ट्यूबवेलों की जानकारी निम्नानुसार है–

तालिका क्र.– 28.3
आगामी 10 वर्षों में आवश्यक ट्यूबवेलों की जानकारी

क्र.	परिक्षेत्र	स्थल
1	बैरसिया	मजीदगढ़ परिसर में नलकूप निर्माण
2	समर्धा	कार्यालय भोपाल इकाई के वन विश्राम गृह कोलार तिराहा में
3	नजीराबाद	अजीतगढ़ एवं नजीराबाद में

तालिका क्र.– 28.4
आगामी 10 वर्षों में आवश्यक शौचालय की जानकारी

क्र.	परिक्षेत्र	स्थल
1	बैरसिया	वनमण्डल कार्यालय एवं सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय में कर्मचारियों के लिये
2	समर्धा	
3	नजीराबाद	

28.3 वन विश्राम गृह/निरीक्षण कुटीरः–

तालिका क्र.– 28.5
आगामी 10 वर्षों में आवश्यक वन विश्राम गृह/निरीक्षण कुटीर की जानकारी

क्र.	परिक्षेत्र	स्थल
1	बैरसिया	डिपो बैरसिया
2	समर्धा	ग्राम समर्धा
3	नजीराबाद	नजीराबाद

28.4 वन मार्ग/वन अवरोध नाकाः–

वन मंडल के कार्य क्षेत्र में आवागमन एवं गश्ती बढ़ाने में वन मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध वनमार्गो एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने के उपरांत निम्नानुसार नये मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है। ये पेट्रोलिंग मार्ग वन क्षेत्रों में प्रभावी अग्निरोधी पट्टी का भी कार्य करेंगे।

तालिका क्रमांक – 28.6
नये पेट्रोलिंग मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव

क्र.	परिक्षेत्र	पेट्रोलिंग मार्ग	लंबाई एवं लागत
1	समर्धा	1- केरवा–बावड़ी खेड़ा 2- समसगढ़–बावड़ी खेड़ा 3- समर्धा–गोपीसूद 4- समर्धा–अमोनी 5- पड़रिया–कानासैया 6- लहारपुर–चोरसागौनी	पेट्रोलिंग मार्ग की लम्बाई एवं अनुमानित कीमत उपवनण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा निर्धारित दर पर बनाया जाना।
2	बैरसिया एवं नजीराबाद	1. बैरसिया–शाहपुरा–पसैया–नायसमुंद–हरिपुर–खण्डारिया– कालापाठा–नजीराबाद 2. बैरसिया–बड़ली–बरखेड़ीदेव–कल्याणपुर–खेरखेड़ा –पातलपुर–मजीदगढ़–चन्द्रपुरा–सूरजपुरा–नजीराबाद 3. नजीराबाद–बरखेड़ा–मैनापुरा–चंद्रपुरा–सूरजपुरा –सहादरा– नजीराबाद 4. बैरसिया–पसैया–इद्रपुर–बीलखोह–गढ़ा –बरखेड़ीदेव–बढ़ली–बैरसिया 5. हर्राखेड़ा–दुपाड़िया–कलारा–गुनगा–पीपलखेड़ा –धमर्रा–रतुआ–सुलालिया–हर्राखेड़ा	

वन मंडल के अर्तगत आने वाले समस्त मुख्य मार्गों, तथा वन्य प्राणी एवं अन्य वन संपदा का अध्ययन करने पर पाया गया कि वन मंडल के कई संवेदनशील क्षेत्रो में विभाग की उपस्थिति नहीं है, जिसे सुनिश्चित किया जाना होगा। इन्हीं के अनुरूप निम्नानुसार नये वन अवरोध नाके स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वस्तुतः इन वन नाकों पर वन चौकियां भी स्थापित की जायें, एवं आवश्यक अमला वहां उपलब्ध कराया जाये। इन वन नाकों पर सम्पर्क करने हेतु वायरलेस सेट/मोबाईल सेट भी दिया जाना प्रस्तावित है, ताकि वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण में ये वन चौकियां अहम् भूमिका निभा सकें।

तालिका क्रमांक – 28.7
प्रस्तावित किए गए नये वन अवरोध नाकें, वन चौकी एवं पुलिया

क्र.	वन परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित नाका का स्थान	प्रस्तावित वन चौकी का स्थान
1	बैरसिया	सूरजपुरा जोड़, सुहाया, खेजड़ाघाट, शाहपुर	नजीराबाद, बैरसिया, खण्डारिया
2	समर्धा/नजीराबाद	केरवा, अमोनी, बावड़ीखेड़ा, मानाखेत, हरिपुरा, समर्धा	सूखी सेवनिया, मेण्डोरा, लहारपुर

28.5 संचार एवं सूचना तंत्रः–

28.5.1 वायरलेस संयंत्र :–

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त परिक्षेत्र सहायक मुख्यालयों को भी वन अपराध नियंत्रण की दृष्टि से वायरलेस के फिक्स स्टेशनों से जोड़ना अति आवश्यक है। वन अपराधों को क्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रित करने हेतु एवं क्षेत्र में आपस में प्रभावी संपर्क स्थापित कर कार्यवाही करने की दृष्टि से वायरलैस के हैण्ड सेट अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन मंडल में निम्नानुसार वायरलेस से प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है,

तालिका क्र. – 28.8

वनमण्डल में वायर लेस सेट की आवश्यकता का विवरण

क्र.	वायरलेस	विवरण	आवश्यक संख्या
1	फिक्स्ड	व.म., परिक्षेत्र एवं प.स.मुख्यालय	26
2	मोबाईल	वन चौकी वाहन अन्य चार पहिया वाहन	19
3	हैण्डसेट	व.म.अ., उपव.म.अ., परिक्षेत्र अधिकारी व प.स.	36

वायरलेस उपलब्ध कराते समय फिक्स्ड सेट के साथ पावर बैक अप की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अनुपलब्धता के समय भी वायरलेस प्रणाली चालू रहे। इसी प्रकार हेण्डसेट के साथ भी अतिरिक्त बैटरी की व्यवस्था उपलब्ध रखने के प्रयास किये जायेंगे। सभी सेट्स के 10 प्रतिशत सेट अतिरिक्त रखे जाने चाहिए जो मरम्मत के समय उपयोग किए जा सकें।

28.5.2 दूरभाषः

वन अपराधों पर नियंत्रण हेतु कई बार गोपनीय सूचनाएं दी जानी होती हैं एवं गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु दूरभाष एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों उपवनमंडलों एवं सातों परिक्षेत्र में एक–एक दूरभाष (लैण्ड लाइन) दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

तालिका क्र. – 28.9
दूरभाष की आवश्यकता

क्र.	दूरभाष सेट	व.म.अ	उप व.म.अ	पं.अ	प.स.
1	आवश्यकता	3	3	7	25
2	उपलब्धता	2	0	0	0
3	शेष आवश्यकता	1	3	7	25

28.5.3 कम्प्यूटरः

आज के आधुनिक युग में संचार माध्यमों में कम्प्यूटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गयी है। सभी परिक्षेत्रों में दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉब रेट पर कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से वन विभाग के दैनिक कार्यों के अलावा विभाग के समस्त Application एवं Software का संचालन किया जाता है। विभाग के फ्रंट लाइन अमले को भी कम्प्यूटर संचालन में दक्ष किये जाने की आवश्यकता है। इन कम्प्यूटर्स के माध्यम से वन अपराधों के विस्तृत विवरण एवं जानकारी संधारण का भी कार्य आसानी से किया जा सकता है। प्रत्येक परिक्षेत्र सहायक स्तर पर कम्प्यूटर प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है जो इन्टरनेट से युक्त हो।

28.6 वाहन व्यवस्थाः–

आज के परिपेक्ष्य में वन क्षेत्रों में अपराधी आधुनिक शस्त्रों एवं आधुनिकतम मोटर वाहनों इत्यादि का उपयोग कर वन अपराधों को अंजाम देकर भागने में सफल हो जाते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण किया जाना है, तो विभाग को भी अपने कार्यपालिक अमले को इस दृष्टि से सुदृढ़ करना होगा एवं संचार सुविधाओं के साथ–साथ क्षेत्रीय कर्मचारियों को तत्काल कार्यवाही हेतु गतिशील एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से वाहन एवं अन्य शस्त्र प्रदाय किये जाना अति आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि परिक्षत्र स्तर पर वाहन उपलब्ध कराये जायें एवं साथ ही शस्त्रों को आवश्यक संख्या में प्रदाय कराया जाये। परिक्षेत्रों में ऐसे वाहन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे कई कर्मचारी एक साथ उसमें बैठकर जा सकें एवं साथ ही उसमें जप्त

किये गये वनोपज इत्यादि को भी तत्काल उठा कर ला सकें। अतः निम्नानुसार वाहन उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है–

वनसुरक्षा के लिए त्वरित आवागमन नितान्त आवश्यक है, जिसके लिए वनमण्डल में पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक चरण में प्रत्येक परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक वाहन का होना एक जरूरत है, जिसके अनुसार वनमण्डल में वाहनों की आवश्यकता निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 28.10

वनमण्डल में सरकारी वाहनों की आवश्यकता

क्र.	अधिकारी	वनमण्डल अधिकारी	उप वनमण्डलाधिकारी	परिक्षेत्र अधिकारी	उडनदस्ता	वन थाना
1	आवश्यकता	1	2	6		केरवा चौकी–2 सूखी सेवनिया–1 बैरसिया–1, नजीराबाद–1 (टैक्टर ट्राली)
2	उपलब्धता	1	2(पुरानी)	0		0
3	शेष आवश्यकता	0	2	6		5

वर्तमान में परिक्षेत्र स्तर पर वन सुरक्षा हेतु किराये के वाहन उपलब्ध हैं राजसात वाहनों को भी वन सुरक्षा कार्य में उपयोग किया जा रहा है। जिससे वन सुरक्षा में काफी सहायता प्राप्त हुई है।

28.7 आधुनिक उपकरणों की व्यवस्थाः–

28.7.1 आग्नेय अस्त्र :–

वर्तमान में वनमंडल के अन्तर्गत 14 बन्दूकें बारह बोर की उपलब्ध हैं, परन्तु इनका भी उपयोग नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ बन्दूकें खराब होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। इसका मुख्य कारण जहां एक ओर बन्दूक चलाने की एवं रखने की ट्रेनिंग अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं होना है, वहीं दूसरी ओर नियमों में किये गये संशोधन का ज्ञान नीचे स्तर के कर्मचारी को नहीं होना भी है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर वनकर्मियों को भी अपरिहार्य स्थिति में गोली चलाने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी

जारी किये गये हैं। बन्दूक के उपयोग के संबंध में जारी निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–114 में रखे गये हैं।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए उपलब्ध बन्दूकों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि वे उपयोग के लायक हैं या नहीं। यदि उपलब्ध बन्दूकें उपयोग के लायक नहीं हैं, तो उसे अपलेखित कर नई बन्दूके क्रय करने की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक छः माह में संबंधित उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा बन्दूकों एवं कारतूसों का सत्यापन किया जाये, जिसमें बन्दूक चलाने योग्य है या नहीं, तथा कारतूस एक्सपायर तो नहीं हो गये हैं, भी देखा जाये। सामान्यतया कारतूस की एक्सपायरी अवधि 5 वर्ष की होती है।

बन्दूक उपलब्ध कराने के साथ–साथ इसके रखरखाव एवं कर्मचारियों की पुलिस कर्मियों के समान ही बन्दूकों को उपयोग में लाने हेतु लगातार ट्रेनिंग होती रहनी चाहिये, ताकि वे बन्दूक चलाने में सिद्धहस्त हो सकें।

28.7.2 वॉच टावर :–

वन क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा, अवैध कटाई एवं वन्य प्राणी अपराधों के नियंत्रण में वॉच टावर सह पेट्रोलिंग कैम्प का अपना एक महत्व है, जहॉ उपलब्ध कर्मचारी दूर–दूर तक वन क्षेत्र के ऊपर सतत निगरानी रखकर आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अपराध नियंत्रण में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। पूरी परिस्थितियों का आंकलन कर निम्नानुसार स्थलों पर वॉच टावर लगाया जाना प्रस्तावित किया जाता है:–

तालिका क्रमांक – 28.11
नये वॉच टावर लगाने का प्रस्ताव

क्र.	वन परिक्षेत्र का नाम	स्थान का नाम
1	समर्धा	मेण्डोरा, लहारपुर, अमोनी, समर्धा
2	बैरसिया / नजीराबाद	खेरखेड़ा, खण्डारिया, चटौआ (दामखेड़ा) मजीदगढ़, मैनापुरा (नजीराबाद)

28.7.3 गश्ती चौकी: –

उपरोक्त नाकों के अतिरिक्त वन सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार स्थलों पर वन गश्ती चौकी की स्थापना अति आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र वन

अपराधों एवं अवैध उत्खनन की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इन स्थलों पर वनकर्मी समूह में ही अपराधियों पर नियंत्रण करने में सक्षम होंगे।

तालिका क्रमांक – 28.12
प्रस्तावित किए गए गश्ती चौकी

क्र.	परिक्षेत्र	प्रस्तावित गश्ती चौकी का स्थान
1	समर्धा	भानपुर पट्रोलिंग केम्प
2	बैरसिया / नजीराबाद	बडली, खण्डारिया, मजीदगढ़ पेट्रोलिंग केम्प

तालिका क्र. – 28.13
आवश्यक उड़नदस्ता

क्र.	परिक्षेत्र
1	समर्धा एवं नजीराबाद

28.7.4 जी.पी.एस. (G.P.S.) उपकरण:

वनों की सुरक्षा में सीमाओं के रखरखाव की अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन सीमाओं पर मुनारों का निर्माण जी.पी.एस. (G.P.S.) एवं सर्वेक्षण पद्धति की सहायता से स्थान निर्धारित कर किया जायेगा। सर्वेक्षण एवं संचार प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिक्षेत्र में सर्वे उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ–साथ परिक्षेत्र सहायक स्तर के अधिकारियों को जी.पी.एस. उपकरण उपलब्ध कराये जायें। वनमण्डल में इन उपकरणों की आवश्यकता निम्नानुसार होगी –

तालिका क्र. – 28.14
उपकरण आवश्कता

क्र	उपकरण	वनमण्डल	उप वनमण्डल	परिक्षेत्र	उडनदस्ता	प.सहायक	योग
1	प्रिज्मेटिक कम्पास मय ट्रायपोड स्टेण्ड	1	1	6	1	–	9
2	सिल्वा कम्पास	1	1	6	1	–	9
3	डिजिटल कम्पास	1	1	6	–	–	8
4	हागा अल्टीमीटर	1	1	6	1	–	9
5	लेजर रेंज फाइंडर	1	1	6	1	–	9
6	डिजिटल कैमरा	1	1	6	1	–	9
7	जी.पी.एस.	1	1	6	1	25	34

——— 000 ———

अध्याय–29
नवाचार
(Navachar)

29.1 हलाली नदी के तटीय क्षेत्रों में नवाचार अध्ययनः–

कार्य आयोजना दल भोपाल द्वारा हलाली नदी के 100 मी. दूरी तक तटीय क्षेत्रों में नवाचार अध्ययन किया गया। इसके अंतर्गत वन परिक्षेत्र समर्धा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 160 में विषय विशेषज्ञ एवं स्थानीय ग्रामीण जन की सहायता ली गई। क्षेत्र में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियां पाई गयींः–

तालिका क्रमांक 29.1
नवाचार अध्ययन

क्र0	नाम / स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम	उपयोग
1	कंटकारी	Euphorbia Prostrata	Used in treatment of bleeding
2	बांस	Saccharum – spontaneum	Used in dicuretic, purgative,tonic and burning sensession,
3	गुरूण्डी	Alternanthera - sessilies	Stem and leaves used in eye trouble
4	अर्जून	Termanalia –arjuna	Used in diabeties blood pressure.
5	कुमरा	Bidens-Pilosa	Used in Fresh wound and cure of malaria
6	गाकुल कांता	Hygrophilis-auriculata	This is treaditional medicine for the treatment of various dissoides like anasaraca,urinoge ntal track, desentry
7	गोलम	Tribulus- terrestris	Used in urinogentive disorder, ulcer,feuer and digestive tonik
8	अरई	Hyparrhonia –rufa	Use for grassing cattels for rise milking
9	घोड़ा तुलसी	Scaparia-dulcis	Used for digestive problem and pulmonora Cobditions
10	विशाखमुल	Mandragora-autumnalis	used in active alkolites
11	नोंटग्रास	Polygonum amphibium	Used in stomach problem and menstral bleeding
12	वनतुलसी	Hyptis suaveolens	Back are used in antiseptic
13	हल्दू	Adena casdefolia	Back are used in antiseptic.
14	दुधी घास	*Euphorbia hirta*	Arthiritis
15	बेशरम	Ipomea-Per-casepara	Antioxiaant
16	बैकल	Gympema syluestre	Dirtsoyes of sugas diabetis and unlight loss

क्र0	नाम/स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम	उपयोग
17	तेंदू	Diosphyros melonoxylem	Vomiting,jaundice
18	गूलर	Ficus glomerata	Diabeties, Blood Pressure.
19	कट जामुन	Syzgium –uniflora	Diabeties and blood Pressure.
20	पुवांर	Casia tora	Tea for diabeties
21	गाजर घांस	*Parthenium Hystaophorus*	Neurologic –Disorder,Diarrhoea
22	कैम	Mitragyna paruiflora	For Etheno mecunal perpose.
23	अतिसला	*Abutilon indicum*	Fever,sedative,anti infammatry
24	पलाश	Butea monosperma	Curing for ring worm.
25	कछरी	Tricosanthes bracteata	Asthema and Epilepsy.
26	लंपी	Hetesopogen –contortus	For etheno medianal Prpose.
27	लेंटाना	Lantana camera	Fore Etheno medianal {erpose
28	दूधी बेल	Vallaris salannacea	For Etheno medianal perpose

सर्वेक्षण के दौरान 28 वनस्पतियां प्राप्त हुई जिनमें से कटजामुन, घोड़ा तुलसी, अतिसला, विशाखमुल, नॉट ग्रास एवं कछरी नई वनस्पतियां है।

1. कटजामुन (Syzgium uniflora)

2. घोड़ा तुलसी, (Scaparia dulcis)

3. अतिसला (**Abutilon indicum**)

4. विशाखमुल, (Mandragora autumnalis)

5. नॉट ग्रास, (Polygonum amphibium)

6.कछरी (Tricosanthes bracteata)

---000----

अध्याय–30
विविध नियमन
(Miscellaneous Regulations)

(30.1)लघु पातन एवं निकासी

कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों के अन्दर पूर्व से स्थापित प्रायोगिक प्लॉट, संरक्षित प्लॉट, न्यादर्श प्लाट एवं बीज प्रक्षेत्र आदि तथा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु डाले गये प्लाटों के क्षेत्रों को कार्य आयोजना के प्रावधानों से पृथक रखा जायेगा। इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पातन एवं निकासी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना आंचलिक भोपालकी अनुमति से किया जा सकेगा। इसी तरह क्षेत्र में आवश्यक स्कंध एवं स्थूण विश्लेषण इत्यादि के लिए भी वृक्षों के विदोहन एवं निकासी की अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना आंचलिक भोपाल के द्वारा दी जा सकेगी।

(30.2)निस्तार

वर्ष 1956 के पूर्व वाजिब उल अर्ज के अनुसार प्रत्येक गांव की जनता को निस्तार सुविधाएँ प्राप्त थी। कृषकों, मजदूरों एवं कारीगरों को ग्रामीण वनों से निस्तार सुविधा उपलब्ध थी। जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, काँटें, घास, छाल, बाँस एवं इमारती लकड़ी का निःशुल्क प्रदाय निस्तार सुविधा के अन्तर्गत था।

- **शासन की वर्तमान निस्तार नीति :–**

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनोपज की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति वन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निस्तार प्रदाय को प्राथमिकता दी जावेगी। मध्य प्रदेश शासन की वर्तमान निस्तार नीति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्र0–115 में दी गई है। वर्तमान निस्तार नीति के अनुसार वन क्षेत्र की सीमाओं से 5 कि.मी. की दूरी के अन्दर स्थित ग्रामीणों को उपलब्धता अनुसार निस्तार के अन्तर्गत वनोपज बांस,

बल्ली एवं जलाऊ लकड़ी प्रदाय का प्रावधान है। वनक्षेत्र की सीमाओं से 5 कि. मी. दूरी के बाहर स्थित ग्रामीणों एवं नगरपालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में वनोपज का प्रदाय ग्राम पंचायत/नगर पंचायत के माध्यम से बाजार मूल्य पर प्रदाय करने का प्रावधान है।

30.2.1 निस्तार की वर्तमान स्थिति :–

वनमंडल भोपाल के अंतर्गत् निस्तार डिपो से बल्ली, बांस, जलाऊ लकड़ी का प्रदाय किया गया है। उक्त निस्तार डिपो के अलावा केन्द्रीय जलाऊ डिपो भी स्थापित है। निस्तार के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं का विवरण प्रत्येक वर्ष निस्तार पुस्तिका में दिया जाता है। वनमंडल के अंतर्गत निस्तार डिपो/उपभोक्ता डिपो से वनोपज के प्रदाय हेतु आवश्यक बांस की मात्रा, वनमंडल के कूपों के विदोहन से प्राप्त मात्रा नगण्य होने के कारण जिले के अन्य वनमंडलों से प्राप्त की जाकर प्रदाय किया जाना चाहिये।

30.2.2 निस्तार की प्रस्तावित व्यवस्था :–

स्थानीय निस्तार की पूर्ति वन समितियों द्वारा उनको आवंटित क्षेत्र से वनोपज की उपलब्धता अनुसार करनी होगी। अतः संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं विकास में यथा संभव जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुये वनों के विकास एवं संरक्षण की ओर विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। साथ ही साथ वन क्षेत्रों के बाहर राजस्व क्षेत्रों में भी मेढ़ वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, वृक्ष खेती इत्यादि हेतु आम जनता में जागृति पैदा कर इस हेतु प्रयास किये जाने चाहिये ताकि वनोपज की पूर्ति कुछ हद तक वनों के बाहरी क्षेत्र से भी हो सके, जिससे वन क्षेत्रों पर दबाव कम हो सके।

30.2.3 नई निस्तार नीति :–

वर्तमान में राज्य शासन द्वारा निस्तार की नीतियों में अधिक सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से संशोधन किया गया है। मुख्य निस्तार सुविधाएँ निम्नानुसार हैं–

1. राज्य में प्रचलित निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुए (दिनांक 1.7. 96 से प्रभावशील) शेष क्षेत्र के लिए निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की जाती है।

(क) निस्तार के अन्तर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी जो कि वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत स्थित हैं, 5 कि.मी. की परिधि की गणना में यदि ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर आयेगा। ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा।

(ख)नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

(ग)05 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अन्तर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परंतु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(घ) वन सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के ग्रामीणों को वनों से स्वयं के उपयोग के लिए सिरबोझ द्वारा उपलब्धतानुसार गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लाने की अनुमति दी जायेगी।

2. वनों के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जावेगा।

3. जिन 5 किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति गठित नहीं हुई है, वहाँ ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जावेगा। इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूह के लिये एकजाई रुप से की जावेगी।

4. वनों से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है, तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य पर, जिसमें पूर्ण रॉयल्टी, विदोहन परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए, प्रदाय की जा सकेगी।
5. वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जावेगा।
6. निस्तार में विक्रित वनोपज पर वन विकास उपकर 3 प्रतिशत वसूल किया जावेगा।
7. मुर्दों को जलाने की व्यवस्था :– मुर्दों को जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी बाजार दर पर वेंडर्स को उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत चालू रहेगी।
8. निस्तार सुविधा के तहत कूपों एवं न्यूक्लीयस डिपो से प्रदाय किये जाने वाले जलाऊ चट्टों का ट्रैक्टर द्वारा परिवहन किये जाने की छूट म. प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/समिति/04/2003/20/3 दिनांक 5–4–2002 द्वारा दी गई है।

30.2.4 निस्तार व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश –

वर्तमान निस्तार नीति के अंतर्गत शासकीय वनों की सीमा से 5 कि. मी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले ग्राम के ग्रामीणों को कृषि एवं घरेलू कार्यों हेतु बांस, बल्ली, जलाऊ लकड़ी आदि वनोपज रियायती दरों पर प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त वनोपज का विक्रय, विनिमय अथवा अन्य व्यक्तियों को दान किया जाना वर्जित है। निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वनोपज प्रदाय हेतु शासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह निम्नानुसार है :–

30.2.4.1 जलाऊ लकड़ी :–

(क) राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों में गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु ग्रामीण सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं। (वन नीति 2005 के अनुसार 5 कि.मी. की परिधि के भीतर के ग्रामीणों के लिए)

(ख) ग्रामीण उपलब्धता के आधार पर अपने वास्तविक निस्तार के लिए निर्धारित दर पर जलाऊ चट्टे विभागीय कूपों से भी क्रय कर सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम दो चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। उक्त चट्टों को परिवहन केवल बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, ट्रैक्टर से किया जा सकेगा।

कूपों से इमारती लकड़ी निकालने के बाद निर्धारित अवधि के लिए कूप खोले जाकर जलाऊ लकड़ी (बिना चट्टे बनाये हुए) का प्रदाय के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्र./उत्पादन/निस्तार/1123 दिनांक 2–4–2007 परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट–116 में दिया गया है।

(ग) कूपों के अलावा कुछ नाभिकीय जलाऊ डिपो भी स्थापित किये जावेंगे। जहाँ से संलग्न ग्रामीण अपने वास्तवित निस्तार के लिए पंचायत के प्रमाण–पत्र पर अधिकतम दो चट्टे तक प्राप्त कर सकते हैं। इन चट्टों का परिवहन बैलगाड़ी अथवा भैसगाड़ी एवं ट्रैक्टर द्वारा भी किया जावेगा।

(घ) वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें उनकी आवश्यकता अनुसार बाजार दर पर निर्धारित डिपो से जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं।

30.2.4.2 बल्ली :–

(क) वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों के ग्रामीणों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध कराई

जावेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्लियाँ तक उपलब्ध कराई जावेंगी।

(ख) वनों से 5 कि.मी. परिधि से बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायत के माध्यम से केन्द्रीय डिपो से बल्लियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) बाढ़/अग्नि पीड़ितों को व्यापारिक दरों पर बांस, बल्ली उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/322/2776 भोपाल दिनांक 29 अगस्त 2006 परिशिष्ट–117 में दिया गया है।

30.2.4.3 बांस :–

(क) वनों से 5 कि.मी. परिधि में स्थित क्षेत्र के निवासी प्रति वर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) वनों से 5 कि.मी. परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी बाजार दर पर पंचायत के माध्यम से उपलब्धता अनुसार बांस प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) प्रत्येक बसोड़ परिवार को प्रतिवर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 नग बांस प्रदान कराने का प्रावधान है। प्रत्येक बसोड़ परिवार को कलेण्डर वर्ष के लिए पंजीकृत करना आवश्यक है तथा बसोड़ परिवार को बांस प्रदाय करने के लिए एक बही रखी जायेगी।

30.2.4.4 छोटी वनोपज की निःशुल्क सुविधाऐं :

ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बक्कल, जड़ें एवं अन्य पैदावार जैसे–गौण खनिज, फल और फूल आदि निःशुल्क एकत्रित कर सकते हैं, किन्तु वृक्षों अथवा जमीन की सतह पर उगे हुए पौधों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी, अन्यथा सुविधा पर रोक लगाई जा सकेगी।

30.2.4.5 छोटी इमारती काष्ठः–

उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ के साथ–साथ बांस उपलब्ध कराने तथा एक विधान सभा क्षेत्र में एक से अधिक डिपो स्थापित करने के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्र. /समिति/354 दिनांक 12–5–2008 परिशिष्ट क्रमांक–118 में दिया गया है।

30.2.4.6 फुटकर विक्रेता की नियुक्ति :

वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहरस्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें, ऊपर दर्शाये अनुसार जलाऊ, बल्ली एवं बांस प्राप्त करने हेतु, यदि आवश्यक समझें तो उनकी ओर से फुटकर विक्रेता भी नियुक्त कर सकती हैं जो कि पंचायत की ओर से पूरा मूल्य पटाते हुए वनोपज प्राप्त करेगा। उनका परिवहन पंचायत क्षेत्र में करेगा एवं निर्धारित स्थल से पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर उनकी बिक्री सरपंच के निर्देशानुसार करेगा, इस संदर्भ में प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

(i) वनों से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की पंचायतें अपनी बैठक में फुटकर विक्रेता की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रस्ताव पारित करेंगी। प्रस्ताव में यह भी दर्शाया जावेगा, कि किस व्यक्ति को फुटकर विक्रेता नियुक्त किया जा रहा है, तथा वह किस स्थान पर तथा किस दर से वनोपज की बिक्री करेगा, इस प्रस्ताव की एक प्रति जिलाध्यक्ष, संबंधित वनमण्डलाधिकारी एवं संबंधित परिक्षेत्राधिकारी को भेजी जावेगी। फुटकर विक्रेता द्वारा पंचायत द्वारा दिया गया मांग पत्र प्रस्तुत करने पर एवं चाही गई वनोपज का पूर्ण भुगतान कर दिये जाने पर निर्धारित डिपो से आवश्यक वनोपज उपलब्ध करा दी जायेगी। डिपो से प्राप्त वनोपज का परिवहन जारी मनीरसीद के आधार पर सुविधानुसार बैलगाड़ी, ट्रैक्टर–ट्रॉली या ट्रक द्वारा पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल तक किया जा सकेगा।

(ii) फुटकर विक्रेता द्वारा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर निर्धारित दरों पर बिक्री की जावेगी तथा बिक्री का दैनिक लेखा–जोखा रखना होगा।

(iii) यह पंचायत का दायित्व हेागा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त वनोपज की बिक्री निर्धारित स्थल पर निर्धारित दरों के अनुरूप ही की जा रही है और प्राप्त वनोपज का कोई दुरूपयोग नहीं हो रहा है।

(iv) पंचायत चाहे तो फुटकर विक्रता से बिक्री से पूर्व अमानत राशि जमा करा सकती है और अनुबंध भी करा सकती है।

शासन द्वारा जारी किये गये कुछ निर्देश निम्न है,

1. म.प्र. शासन वन विभाग क्रमांक 5383/3964, दिनांक 10.02. 1975
2. म.प्र. शासन वन विभाग क्रमांक 1001/3874 10.02.1975, दिनांक 29.05.1975
3. म.प्र. शासन वन विभाग क्रमांक 2415, दिनांक 12.06.1975
4. म.प्र. शासन वन विभाग क्रमांक एफ–30/63/75/3/10 दिनांक 18.08.1977
5. म.प्र. शासन वन विभाग क्रमांक 7113/75/1012, दिनांक 12. 04.1977

(30.3)वनग्राम :–

- भोपाल वनमण्डल में 25 वनग्राम है। पूर्व में यह राजस्व ग्राम थे परन्तु वनो के आन्तरिक अन्चल में स्थित होने के कारण बाद में इन वनग्रामों को प्रबन्धन हेतु वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया । भोपाल रियासत भू राजस्व अधिनियम 1932 में परिभाषित अधिवासी(OCCUPANT)के कब्जे में यदि कोई भूमि थी उसे भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158(सी) के तहत उस

भूमि का भूमिस्वामी कहा जाने लगा। वर्ष 1962 में मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–3263– एक्स– 62 दिनांक 26–4–62 (राजपत्र दिनांक 25–5–62 भाग–1) द्वारा भोपाल जिले के 22 वनग्रामो की अधिप्रत्य की भूमि को आरक्षित करते हुए राजस्व विभाग को हस्तांतरण के आदेश जारी किए गये।

- वनमण्डलाधिकारी भोपाल के पत्र क्रमांक/मा.चि./4886 दिनांक 18–8–97 के अनुसार अगरा, हरीपुरा, खेड़ली, कालापाठा, अमोनी, झिरियाखेड़ा, कांकड़िया, रसूलिया, प्रेमपुरा, एवं समर्धा वनग्रामों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है परन्तु इनसें सम्बन्धित वनभूमि के निर्वनीकरण की कोई अधिसूचनाएं जारी होना नही पाया जाता।
- विगत कार्य आयोजना में समस्त 25 वनग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्र को आरक्षित वनखण्डों में शामिल करते हंए कार्य आयोजना बनाई गई थी। पुनरीक्षित कार्य आयोजना में सम्मिलित कर वनग्रामों को मानचित्रों पर दर्शाया गया है किन्तु इन्हे प्रबंधन में शामिल नहीं किया गया है।
- परिक्षेत्रवार वनग्रामो का क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–29 पर संलग्न है।
- सभी वनग्रामों का क्षेत्रफल कार्य आयोजना पुनरीक्षण में संनिधि मानचित्रण हेतु किये गए सर्वेक्षण पर आधारित है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–30.1
वनग्रामों का विवरण

अ.क्र.	वनग्राम	वनखण्ड जिसमें वनग्राम सम्मिलित है।	वनग्राम क्षेत्र	रिमार्क
1	अगरा	करहिया खो	13.24	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
2	अमोनी	सतर्धा	199.47	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
3	अनन्दीपुरा	खतवास	35.12	
4	बम्होरी	भानपुरा–बी	63.15	
5	बीजापुरा	पातलपुर	103.77	
6	चन्द्रपुरा	पातलपुर	193.93	
7	गोरिया	पातलपुर	65.94	
8	हरीपुरा	पातलपुर	69.97	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
9	झिरियाखेड़ा	समर्धा	62.66	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
10	कालापाठा	पातलपुर	73.54	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
11	केकड़िया	भानपुरा–बी	163.99	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
12	खण्डरिया	पातलपुर	193.66	
13	खेड़ली	पातलपुर	121.75	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
14	कोलूखेड़ी	पातलपुर	276.67	
15	मझेड़ा	मझेरा	234.22	
16	पातलपानी	पातलपुर	175.77	
17	पातलपुर	पातलपुर	214.23	
18	रामटेक	शेषापुरा	63.80	
19	रसूलिया	भानपुरा–बी	77.75	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
20	रावतपुरा	पातलपुर	183.70	
21	रीछई	रिछाई	104.87	
22	रमाहा	पातलपुर	306.54	
23	शेषापुरा	शेषापुरा	104.43	
24	प्रेमपुरा	समर्धा	351.76	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
25	समर्धा	समर्धा	116.53	व.म. भोपाल के पत्र क्र./मा. चि./4886 दि. 12/08/97 द्वारा राजस्व को हस्तांतरित
		योग –	**3570.43**	

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 12.59 लाख , वर्ष 2007–08 में 32.25 लाख एवं वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 32.25 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 125.90 लाख वनग्राम विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त हुये थे प्राप्त राशि में से कुल राशि रूपये 124.61 लाख व्यय हो चुकी है। शेष राशि रूपये 1.29 लाख अनुश्रवण मूल्यांकन के लिये सुरक्षित रखी गई है। शेष राशि को वरिष्ठ के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। वनग्राम में कराये गये विकास कार्यों की जानकारी परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–119 में दर्ज है।

(30.4) वनों पर आधारित उद्योगः–

कार्य आयोजना क्षेत्र का अधिकांश भाग वन भूमि के रूप में है। इसके उपरांत भी वन आधारित औद्योगिक विकास की दृष्टि से कार्य आयोजना क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। कार्य आयोजना क्षेत्र में तेंदूपत्ते का उत्पादन होता है, किन्तु बीड़ी बनाने की कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। वन क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार के हैं, जो अपने जीवन यापन हेतु वन क्षेत्र से महुआ, आँवला, गोंद, शहद एवं जड़ी–बूटियाँ एकत्रित कर स्थानीय हाट बाजारों में विक्रय करते हैं एवं अपने स्वयं के उपयोग हेतु भी रखते हैं। महुआ से देशी शराब बनाते हैं। कार्य आयोजना क्षेत्र में कोई भी संगठित कुटीर उद्योग नहीं है।

वर्ष 2021 की स्थिति में भोपाल वनमण्डल अन्तर्गत वन आधारित उद्योगों हेतु पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों आदि का विवरण तालिका 30.2 अनुसार है।

तालिका–30.2

वन आधारित उद्योगों हेतु पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों आदि का विवरण

वर्ष	आरा मशीन	तेन्दूपत्ता व्यापारी	इमारती काष्ठ विनिर्माता/व्यापारी
2021	160	61	244

भोपाल वनमण्डल के अंतर्गत तेंदूपत्ता व्यापारियों की सूची परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–59 में, वनमण्डल में संचालित आरामशीनों का

विवरण परिशिष्ट क्रमांक–120 में एवं विनिर्माता/व्यापारी एवं उनके लाईसेंस लिस्टपरिशिष्ट क्रमांक–121 में दिया गया है।

30.4.1 भविष्य में विस्तार की संभावनाएँ :–

वर्तमान कार्य आयोजना क्षेत्र में संगठित वन आधारित उद्योग नगण्य हैं, जबकि वनोपज पर आधारित उद्योगों को विकसित करने की असीम संभावनाएँ हैं। इनसे स्थानीय जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी एवं रोजगार के वैकल्पिक साधन विकसित हो सकेंगे। कार्य आयोजना क्षेत्र में औसत गुणवत्ता का तेंदूपत्ता एकत्रित किया जाता है। स्थानीय लोगों को केवल तेंदूपत्ता संग्रहण करने का पारिश्रमिक ही मिल पाता है। स्थानीय व्यक्तियों को बीड़ी बनाने का प्रशिक्षण देकर एवं सहकारी समितियाँ गठित कर संगठित कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। कार्य आयोजना क्षेत्र में पलास पत्तों से दोना–पत्तल, जड़ी–बूटियों से औषधि बनाने का कार्य किया जा सकता है। क्षेत्र में शहद एकत्रीकरण के कार्य हेतु ग्रामीणों को ग्रामोपयोगी विकास केन्द्र सेवाग्राम, वर्धा महाराष्ट्र से प्रशिक्षित कराया जा सकता है। अतः मधु–मक्खी पालन विकास की भी काफी संभावनाएँ हैं।

30.4.2 प्रस्तावित योजना :–

स्थानीय व्यक्तियों को बीड़ी बनाने का प्रशिक्षण देकर एवं सहकारी समितियाँ गठित कर बीड़ी बनाने की उचित व्यवस्था करने से पर्याप्त रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा सकते हैं। शहद एकत्रीकरण हेतु मधुमक्खी पालन चयनित गाँवों में किया जा सकता है। महुआ की गुठली से तेल निकालने की लघु इकाइयाँ चयनित क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। वनाधारित उद्योगों को कुटीर एवं सहकारी क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर गाँव–गाँव में विकसित करने की नितांत आवश्यकता है, जिससे न केवल स्थानीय रूप से एकत्रित की जाने वाली अकाष्ठ वनोपज का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण भी हो सकेगा। इसी प्रकार आँवला, बहेड़ा, हर्रा, बेल, सतावर, गुड़मार, आदि औषधीय वनस्पतियों का संग्रहण कर औषधि निर्माण की

इकाइयाँ स्थापित कर ग्रामीणों को लाभ पहुँचाया जा सकता है। महुआ, नीम, करंज के बीजों से तेल निकाल कर साबुन निर्माण का कुटीर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। चिरौंटा को भी समितियों के माध्यम से संग्रहित कर ग्रामीणों की आय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। उन्नत घास प्रजातियों का रोपण कर कार्य आयोजना क्षेत्र के दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी लाकर डेयरी उद्योग विकसित किया जा सकता है। इस हेतु मिल्क रूट बनाये जा सकते हैं। आम गुठली के तेल को साबुन बनाने वाली इकाइयों को प्रदाय किया जा सकता है। निजी राजस्व भूमि पर अश्वगंधा की खेती एवं निजी रोपणी को भी लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में विकसित कर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

30.4.3 वनाधारित कुटीर उद्योग निम्नानुसार हैं :–

1. **बीड़ी उद्योग –** कार्य आयोजना क्षेत्र में तेंदूपत्ता बहुतायत में पाया जाता है, जिसका विभागीय प्रक्रिया से निर्वर्तन व्यापारियों को बेचकर किया जाता है एवं ये व्यापारी तेन्दूपत्ते को सीधे अन्य राज्यों के व्यापारियों को विक्रय कर देते हैं। प्राथमिक लघुवनोपज समितियों को आर्थिक सहायता देकर बीड़ी निर्माण को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने पर अतिरिक्त आय तथा स्थानीय रोजगार की संभावनाएँ हैं।
2. **दोना पत्तल निर्माण**– पलाश पत्ता संग्रहण कर छोटी मशीनों द्वारा दोना पत्तल निर्माण किया जा सकता है, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार एवं उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।
3. **लेण्टाना से फर्नीचर उद्योग**– वनमंडल के अंतर्गत सभी परिक्षेत्रों में लेण्टाना की झाड़ियाँ पायीं जातीं हैं। इन लेण्टाना की झाड़ियों से कुर्सी, टेबल, रैक, सोफा इत्यादि बनाए जा सकते हैं। अतः इस उद्योग हेतु स्थानीय लोगों, ग्राम वन समितियों एवं वन सुरक्षा

समितियों के सदस्यों को लेण्टाना से फर्नीचर बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराया जा सकता है।

4. **रोपणी एक उद्योग के रूप में** –वन संसाधन एवं वन सम्बन्धी ज्ञान का सदुपयोग करते हुए तथा स्थानीय जरूरतों की पूर्ति एवं आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने हेतु कार्य आयोजना क्षेत्र में छोटी–छोटी रोपणियाँ स्थापित करने हेतु स्थानीय लोगों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है। रोपणी निर्माण कार्य को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस हेतु स्थानीय इमारती लकड़ी की प्रजातियों के साथ–साथ औषधीय प्रजातियों, फलदार एवं फूलदार सौन्दर्य प्रजातियों की रोपणियाँ बनाई जा सकती हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्नत प्रौद्योगिकीय वृक्षारोपण किया जा सकता है। इन कार्यों से जहाँ स्थानीय संसाधनों का प्रयोग हो सकेगा वहीं रोपणियों के माध्यम से लोगों की आजीविका के साधन भी विकसित किये जा सकेंगे।

5. **अन्य उद्योग** – कार्य आयोजना क्षेत्र में उपरोक्त वर्णित प्रमुख उद्योगों के अतिरिक्त अकाष्ठीय एवं औषधीय प्रजातियों पर आधारित अन्य लघु उद्योग भी विकसित किये जा सकते हैं। कार्य आयोजना क्षेत्र में मुख्यतः पायी जाने वाली प्रजातियाँ जैसे– महुआ, आँवला, सतावर, सफेद मूसली, गुड़मार, शंखपुष्पी, भुई आँवला, कुल्लू गोंद, अन्य गोंद एवं वर्षा ऋतु में पायी जाने वाली अनेक स्थानीय औषधीय प्रजातियाँ आदि इन लघु उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। वनमण्डल में मरोड़फली की मात्रा अत्यधिक है। अतः मरोड़फली से संबन्धित व्यवसाय समितियों द्वारा किया जा सकता है। अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय प्रजातियों का विस्तृत विवरण कार्य आयोजना के

भाग 02 के अध्याय ''अकाष्ठ वनोपज प्रबंधन'' में दिया गया है। इनके संग्रहण एवं विपणन हेतु स्थानीय संस्थााओं का विकास किया जाए तो संग्रहणकर्ताओं को बिचौलियों से बचाया जा सकता है तथा उन्हें उचित कीमत पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाने से उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। कुटीर उद्योगों के विकास से स्थानीय रोजगार सृजित होगा तथा लोगों की जीवन शैली एवं आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव हो सकेगा।

कुटीर उद्योगों के प्रारंभ हो जाने से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोग वन संपदा का समुचित लाभ उठा सकते हैं एवं अपनी आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। स्थानीय महिलाओं को वन आधारित उद्योग से जोड़ा जा सकता है। यह एक अल्पकालिक कार्य है। अपनी निजी, घरेलू तथा कृषि कार्य के अतिरिक्त बचे हुये समय पर कुटीर उद्योग हेतु समय दे सकती हैं। विभिन्न उद्योग हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन किया जाकर आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का प्रयास किया जा सकता है। अधिक से अधिक महिलायें को इन उद्योगों से जोड़ने हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा ग्रामवार सदस्यों का चयन किया जाकर योजना तैयार किया जायेगा। आवश्यक होने पर समिति की बचत राशि से अथवा सहकारिता बैंक से शासन के प्रावधान अनुसार कुटीर उद्योग हेतु ऋण की व्यवस्था हेतु मदद किया जायेगा। वन संरक्षण में इसका अप्रत्यक्ष लाभ होगा। वन मंडलाधिकारी द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के सफल एवं सतत् संचालन हेतु निम्नांकित कार्य किए जाएंगे,

1. औद्योगिक आवश्यकतानुसार सतत् पोषणीय विदोहन योग्य वनोपजों की पहचान।
2. जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।

3. उपयोगिता समूह एवं क्रियान्वयन दल की पहचान।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम – पहले मास्टर ट्रेनर्स के लिए एवं फिर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा गतिविधि में सम्मिलित समस्त लाभार्थियों के लिए।
5. गतिविधि हेतु किट या मशीन की स्थापना हेतु प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था।
6. गतिविधि का क्रियान्वयन।
7. कच्चे माल की सतत् पूर्ति।
8. उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण।
9. उत्पादों के मूल्य संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण
10. उत्पादों के भंडारण एवं विपणन में मार्गदर्शन एवं समन्वय करना।

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वनांचल के निवासियों को वनाधारित कुटीर गतिविधियों से अतिरिक्त आय कमाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अतः विगत परिच्छेद में दिए गए अनुसार वन मंडलाधिकारी द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाएगा। गतिविधियों में रूचि रखने वाले या ऐसे कार्य करने के इच्छुक व्यक्यिों की पहचान की जाएगी। स्व–सहायता समूहों एवं विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों का गठन कर उनको इस कार्य से जोड़ा जाएगा। वन समितियों का सहयोग इस पूरे कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वन मंडलाधिकारी द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु विभिन्न चरणों के कार्य निष्पादित करने के लिए आवश्यक राशि परियोजनाएं बना कर वन विभाग एवं शासन के अन्य विभागों के विभिन्न बजट स्रोतों से प्राप्त की जाएगी।

(30.5) उपचारांशों का सीमांकन, चिन्हांकन एवं विदोहन :–

कार्य आयोजना में विभिन्न कार्यवृत्तों के उपचारांशों में कार्य करने का क्रम वर्ष 2019–2020 से दिया गया है अर्थात उपचारांशों का उपचार 2019–2020 से आरंभ होगा। प्रथम वर्ष में उपचारांशों का सीमांकन, चिन्हांकन

एवं पातन एक ही वर्ष में होगा। भविष्य में पातन किये जाने वाले उपचारांशों का सीमांकन एवं चिन्हांकन पातन वर्ष से एक वर्ष पूर्व में ही किया जावेगा।

30.5.1 सीमांकन–

विभिन्न वार्षिक पातनांशों/उपचारांशों के सीमांकन के संबंध में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स./2007/का.आ./मा.चि./371 दिनांक 17.04.2007 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाये। उक्त पत्र के अनुसार वार्षिक पातनांशों/उपचारांशों के सीमांकन, चिन्हांकन एवं सत्यापन हेतु निम्नानुसार वन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है,

तालिका क्र. 30.3

सीमांकन एवं चिन्हांकन तथा सत्यापन कार्य

अ.क्र.	कार्य विवरण	उत्तरदायी अधिकारी
1	**2**	**3**
1	उपचारांश (कूप) की बाहरी सीमा का सीमांकन	वनक्षेत्रपाल (संबंधित परिक्षेत्राधिकारी)
2	उपचारांश (कूप) मे उपचार प्रकार का सीमांकन, उपचार प्रकार दर्शाते हुए उपचार मानचित्र बनाना एवं आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित संनिधि मानचित्र तैयार करना।	वनक्षेत्रपाल (संबंधित परिक्षेत्राधिकारी)
3	उपचार नियमों के अनुसार वृक्षों/ठूंठो की डेब मार्किंग, वन वर्धनिक कार्यो (कंटूर ट्रेन्च, चैकडेम, गढ्ढे आदि) का चिन्हांकन।	रोस्टर के अनुसार वन मण्डल अधिकारी, उप वन मण्डल अधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी या परिक्षेत्र सहायक।
4	डेब मार्किंग एवं वन वर्द्धनिक कार्यों के चिन्हांकन की जांच एवं सत्यापन।	उप वन मण्डल अधिकारी
5	डेब मार्किंग ऊपरांत खांचा बनाना, रिकांर्डिग करना, चिन्हांकन अनुसार विभिन्न वन वर्धनिक कार्य कराना।	परिसर रक्षक
6	कार्यो का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन	वनमण्डलाधिकारी/वन संरक्षक

डेब मार्किंग एवं वनवर्द्धनिक कार्यों के चिन्हांकन हेतु वनमण्डल अधिकारी द्वारा रोस्टर बनाया जायेगा, जिसमें वनमण्डल अधिकारी द्वारा वर्ष में कम से कम एक, उप वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रत्येक परिक्षेत्र में कम से कम एक, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कम से कम दो उपचारांशों में डेब मार्किंग एवं वन वर्धनिक कार्यों का चिन्हांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। एक ही उपवनमण्डल में

तीन से अधिक कार्य स्थलों पर त्रुटि पाये जाने पर संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के साथ उप वन मण्डल अधिकारी भी उत्तरदायी होगा।

प्रत्येक पातनांश में मार्किंग कार्य पूर्ण होने के उपरांत ''अंकन प्रमाण पत्र'' जारी किया जावेगा जो निम्नानुसार प्रारूप में होगा–

अंकन प्रमाण पत्र

पातनांश क्रमांक .... उपचार श्रेणी ....परिक्षेत्र .... कक्ष क्रमांक .... क्षेत्रफल ....हेक्टेअर

प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त पातनांश/उपचारांश का चिन्हांकन कार्य, कार्य आयोजना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हुआ है।

परिक्षेत्र सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी ....

वृत्त ....

.... परिक्षेत्र (सा.)

सत्यापित

उप वन मंडलाधिकारी

.... उपवनमण्डल (सा.)

उपरोक्त निर्देशों के अन्तर्गत पातनांशों/उपचारांशों के सीमांकन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी,

1. पातनांशों के 1:12,500 के उपलब्ध मानचित्र के अनुसार यथासंभव जी. पी. एस. उपकरण की सहायता से मौके पर सीमांकित किया जाएगा। संबंधित परिक्षेत्राधिकारी द्वारा सीमांकन की जांच की जाकर, सही सीमांकन होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे उप वन मण्डल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
2. पातनांशों की कृत्रिम बाह्य सीमा रेखा 3 मीटर चौड़ाई में काटी जाएगी और उस पर से समस्त झाड़ियों को हटा दिया जाएगा। अगर पातनांश की सीमा प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक झाड़ियों को

हटाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. उपचारांशों की सीमा लाइन पर साफ की गई 3 मीटर चौड़ी लाइन के मध्य में लकड़ी के खूंटे इस प्रकार गाड़े जायेंगे, ताकि एक खूंटे से दूसरा खूंटा दिखता रहे, परंतु दो खूंटों के बीच की दूरी 200 मीटर से अधिक नहीं होगी। सीमा लाइन के प्रत्येक कोने पर भी खूंटे गाड़े जायेंगे।
4. जहां सीमा आरक्षित वन की सीमा रेखा है, वहां खूंटे आरक्षित वन की सीमा रेखा के बाहरी किनारे पर गाड़े जाएंगे।
5. बाह्य सीमाओं का मौके पर सीमांकन करने के पश्चात्, जी.पी.एस. उपकरण की सहायता से वनक्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी के द्वारा पुनरीक्षित वन संनिधि मानचित्र एवं उपचार मानचित्र बनाए जाएंगे। विभिन्न उपचार वर्ग एवं उपवर्ग के क्षेत्रों की पहचान करते हुए मौके पर आंतरिक सीमा रेखाओं से सीमांकित कर उपचार मानचित्र पर भी दर्शाया जाएगा।
6. पातनांश/उपचारांश की सीमा पर स्थित मोटे वृक्षों की वक्षोच्च ऊँचाई (भूमि सतह से 140 से.मी. ऊपर) पर कोलतार का 10 सेमी. चौड़ा एक पट्टा लगाया जायेगा और उसके ऊपर व नीचे 15–15 सेमी. की दूरी पर 10–10 सेमी. चौड़े दो गेरू के पट्टे लगाये जायेंगे। (बांस कूपों में बीच का पट्टा गेरू का एवं ऊपर–नीचे दो कोलतार के पट्टे लगाये जायेंगे।)
7. पातनांश/उपचारांश की सीमा पर 31–45 सेमी. गोलाई एवं 2 मीटर लम्बाई के लकड़ी के खम्बे गाड़े जाएंगे। खम्बा जमीन के ऊपर 1.50 मीटर होगा, इसका ऊपरी 15 सेमी. का सिरा शंक्वाकार बनाया जाएगा।
8. खम्बे के ऊपरी शंक्वाकार भाग के नीचे एक ओर 20 सेमी. लम्बा एवं 2.5 सेमी. गहरा खांचा बनाया जायेगा एवं खम्बे के निचले 50

सेमी. भाग में छाल निकालकर उसमें डामर लगाया जायेगा।

9. खांचे में पातनांश/उपचारांश का विवरण लिखा जाएगा।

10. खम्बे को पातनांश/उपचारांश की सीमा पर जमीन में 50 सेमी. गहराई तक इस प्रकार गाड़ा जाएगा, ताकि उक्त खांचा पातनांश/उपचारांश की विपरीत दिशा में रहे। खम्बे के चारों ओर 20 सेमी. ऊंची पत्थर की ढेरी लगाकर इसे सुरक्षित किया जायेगा।

11. उपचार वर्ग की आंतरिक सीमाओं पर, 31–40 सेमी. गोलाई के 2 मीटर लंबे खूंटे गाड़े जायेंगे। इन खूंटों का ऊपरी सिरा चपटा काटा जायेगा, खूंटे के ऊपरी भाग में दोनों तरफ 20 सेमी. लंबा एवं 2.5 सेमी. गहरा खांचा बनाया जायेगा एवं निचले 50 सेमी. भाग में छाल निकालकर डामर लगाया जायेगा। इस खूंटे को जमीन में 50 सेमी. गहरा गाड़ा जायेगा एवं उसके चारों ओर पत्थर का 20 सेमी. ऊंचा ढेर लगाया जाएगा।

12. उक्त खूंटों के खांचों पर उपचार वर्ग/उपवर्ग का विवरण, उपचार वर्ग/उपवर्ग के विपरीत दिशाओं में लिखा जाएगा एवं खूंटों पर 5 सेमी. चौड़े दो काले पट्टे 15 सेमी. दूरी पर लगाए जाएंगे।

पातनांश/उपचारांश की बाहरी सीमा एवं उपचार वर्ग/उप वर्ग की आंतरिक सीमाओं पर गाड़े जाने वाले खूंटों का विवरण निम्नानुसार रेखाचित्र क्रमांक–1 में दर्शाया गया है,

चित्र क्रमांक–1

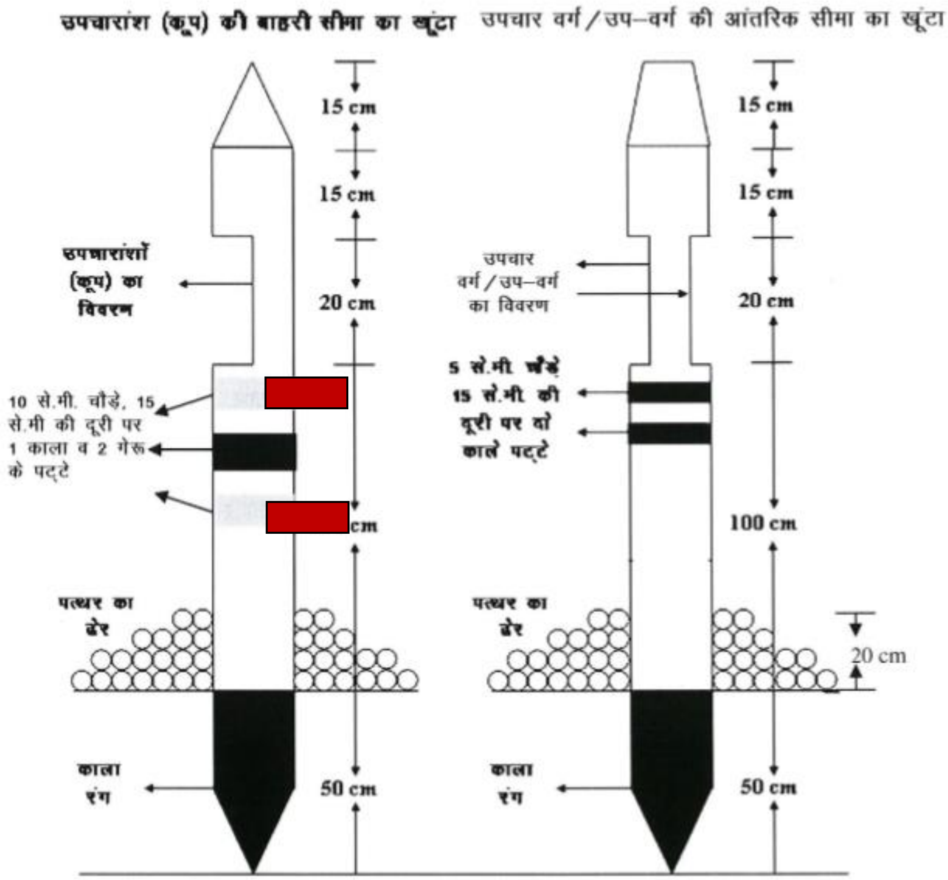

13. पातनांश/उपचारांश में सेक्शन लाइन नहीं बनाई जायेगी।

14. सघन एवं विरल वन क्षेत्रों में विभिन्न उपचार वर्गों की आंतरिक सीमा पर आने वाले वृक्षों पर 10 सेमी. चौड़े दो काले पट्टे 20 सेमी. की दूरी पर लगाये जायेंगे।

15. विरल एवं झाड़ी वन क्षेत्रों में उपचार वर्ग/उपवर्ग की सीमाओं पर पत्थर या मिट्टी का 0.50 मीटर ऊंचा चौरस ढेर लगा कर ढेर की आधी चौड़ाई में उपचार प्रकार के विपरीत दिशा में निम्नानुसार रंग लगाया जाएगा,

तालिका क्रमांक 30.4

अ. क्र.	उपचार वर्ग	ढेर का रंग
1	**2**	**3**
1	जड़ भण्डार युक्त क्षेत्र	पीला
2	वृक्षारोपण योग्य	चूना
3	वृक्षारोपण अयोग्य/रक्षित क्षेत्र	गेरू

16. पत्थर या मिट्टी के ढेर का आकार निम्नानुसार रखा जाएगा,

चित्र क्रमांक–2

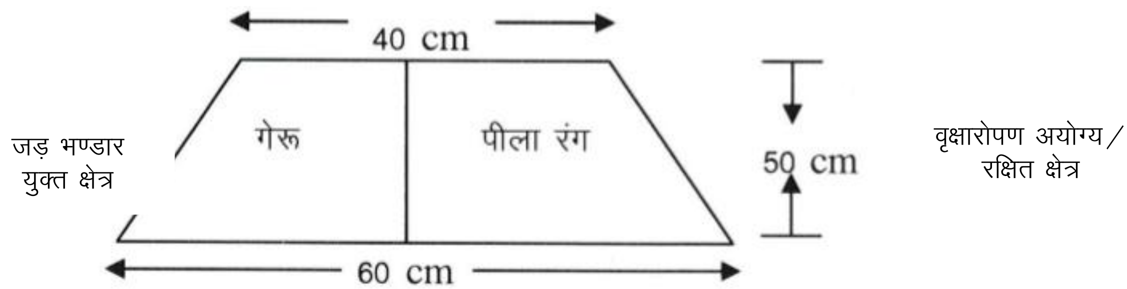

17. उपचार वर्ग/उपवर्ग की सीमाओं पर खूंटे, वृक्षों पर पट्टे एवं पत्थर या मिट्टी के ढेर के चिन्ह इस प्रकार लगाए जाएंगे कि एक चिन्ह से दूसरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे।
18. वनवर्द्धनिक कार्यों हेतु तैयार की गई उपचार योजना के साथ पुनरीक्षित वन संनिधि मानचित्र एवं उपचार वर्ग/उपवर्ग दर्शाने वाला उपचार मानचित्र संलग्न किया जाएगा।

30.5.2 चिन्हांकनः–

पातनांशों/उपचारांशों में कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार पातन हेतु वृक्षों का चयन एवं चिन्हांकन निम्नानुसार किया जायेगा–

1. सर्वप्रथम काटे जाने वाले संभावित वृक्षों की छाती ऊंचाई पर गेरू का निशान लगाकर डेब मार्किंग की जाएगी।

2. डेब मार्किंग का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा करने एवं आवश्यक सुधार के पश्चात् काटे जाने वाले वृक्षों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जाएगी।

3. डेब मार्किंग एवं वनवर्द्धनिक कार्यों के चिन्हांकन हेतु निर्देशानुसार एक रोस्टर बनाया जाएगा, जिसमें वनमण्डलाधिकारी द्वारा वर्ष में कम से कम एक, उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक परिक्षेत्र में कम से कम एक, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कम से कम दो पातनांशों में डेब मार्किंग एवं वनवर्द्धनिक कार्यों का चिन्हांकन अनिवार्यतः किया जाएगा। शेष उपचारांशों में चिन्हांकन का कार्य उप वनक्षेत्रपाल/वनपाल द्वारा किया जाएगा।

4. चिन्हांकन योग्य वृक्षों में छाती ऊंचाई (भू–सतह से 140 सेमी.) पर एक खांचा बनाया जाएगा। यह खांचा 60 सेमी. से अधिक गोलाई के वृक्षों हेतु 15 सेमी. X 15 सेमी. एवं 60 सेमी. या उससे कम गोलाई के वृक्षों के लिए 10 सेमी. X 10 सेमी. का होगा। खांचा बनाने के लिए छाल को पूर्ण रूप से हटाया जायेगा। समतल क्षेत्रों में यह खांचा पूर्व दिशा की ओर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी चढ़ाई की दिशा में खांचे बनाये जायेंगे।

5. वृक्ष के आधार (जड़) पर नीचे से नीचे (जमीन से अधिकतम 10 सेमी. ऊंचाई पर) दो सतही (Two faced) खांचा इस प्रकार बनाया जायेगा कि इन दो सतहों के बीच अधिक कोण (Obtuse angle) बने। इसमें एक सतह वृक्ष के तने की ओर तथा दूसरी सतह जड़ की ओर होगी। यह खांचा समतल क्षेत्रों में पश्चिम दिशा की ओर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निचली ढलान की दिशा में बनाया जाएगा। जड़ वाली सतह पर मार्किंग हैमर लगाया जायेगा एवं तने वाली सतह पर वृक्ष का चिन्हांकन क्रमांक लिखा जाएगा। वृक्ष के आधार पर दो–सतही खांचा बनाने से ठूंठ ड्रेसिंग सही ढंग से होती है, एवं वृक्ष को बिल्कुल नीचे से बिना हैमर क्षतिग्रस्त किये काटा जा सकता है। आधार पर बनाये जाने वाले खांचे का चित्र निम्नानुसार है,

चित्र क्रमांक–3

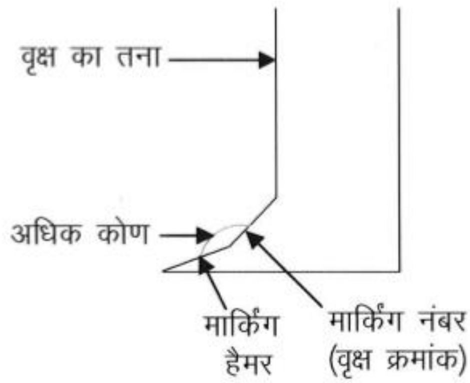

6. चिन्हांकित वृक्ष की छाती ऊंचाई पर बनाए गए खांचे पर नीचे की ओर चिन्हांकन हैमर का सुस्पष्ट चिन्ह तथा इसके ऊपर वृक्ष का चिन्हांकन क्रमांक अंकित किया जाएगा।

7. सागौन प्रजाति के 45 से.मी. से अधिक व शेष प्रजातियों के 60 से.मी. से अधिक छाती गोलाई के वृक्षों का संख्याकन डिजिट सेट से किया जाएगा। अन्य वृक्षों पर हाथ से पेंट या कोलतार का उपयोग करते हुए क्रमांक डाले जाएंगे। डिजिट सेट एवं हाथ से डाले गए क्रमांकों वाले वृक्षों का अभिलेखन अलग–अलग किया जाएगा।

8. प्रत्येक पातनांश के लिए चिन्हांकन हैमर भिन्न रखा जाएगा।

9. चिन्हांकित वृक्षों पर छाती ऊंचाई पर मरी छाल हटा कर 10 से. मी. चौड़ा गेरू का एक पट्टा भी लगाया जाएगा।

10. छाती ऊंचाई से नीचे द्वि–शाखित वृक्षों को अलग–अलग वृक्ष मानकर चिन्हांकन किया जायेगा।

11. आधी तूफान से उखड़े तथा अन्य गिरे वृक्षों के चिन्हांकन के दौरान मोटे सिरे से 120 सेमी. पर तथा ठूंठ एवं कटे हुए भागों पर भी मार्किंग हैमर लगाया जाएगा।

12. सभी प्रजाति के वृक्षों को चिन्हांकन के समय ईमारती, अर्द्धईमारती एवं जलाऊ में वर्गीकृत किया जायेगा।

13. पूर्व से तथा मार्किंग के समय आजीवन परिरक्षण (Preservation) हेतु चयनित वृक्षों में छाती ऊंचाई पर मरी छाल हटा कर तीन सफेद पट्टे लगा कर अनुक्रमांक डाला जाएगा। चयनित वृक्षों के चारों ओर 1 मीटर के घेरे में सफाई की जाएगी। ऐसे वृक्षों की गोलाई एवं ऊंचाई का अभिलेख एवं उनकी स्थिति का मानचित्र कक्ष इतिहास पत्रावली में नस्ती किया जाएगा। मुख्य प्रबंधन वृत्तों के सामान्य व विशिष्ट उपचार नियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों अनुसार संरक्षित किए जाने वाले वृक्षों के संबंध में यही कार्यवाही की जाएगी।

14. पातन हेतु चिन्हांकित वृक्षों का प्रजाति एवं गोलाई वर्गवार गोशवारा बनाया जाएगा।

15. राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित 1:12,500 मापमान का उपचार मानचित्र, चिन्हांकन का गोशवारा, पातन किए गए वृक्षों की संख्या तथा उत्पादन की जानकारी कक्ष इतिहास पत्रावली में अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

30.5.3 बेला कटाई :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य बेलाओं में माहुल बेल, पलासबेल, केवटी बेल, डोकरबेल आदि प्रमुख हैं। यद्यपि बेलायें वनों के अधिकांश क्षेत्रों में अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, फिर भी नदी नालों के किनारे तथा पहाड़ियों की तलहटियों जैसे आर्द्र क्षेत्रों में इन बेलाओं से वनों को पहुँचने वाली क्षति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः बेलाओं की कटाई की ओर वनमंडलाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। बहुत सी बेलायें ग्रामीणों के उपयोग में आने वाली है। साथ ही साथ वनों के नैसर्गिक विकास एवं जैविक विविधता हेतु इनका होना आवश्यक है। अतः केवल वही बेलायें काटी जावेंगी जो वृक्ष प्रजातियों को वास्तव में क्षति पहुंचा रही हों। बेलाओं के उन्मूलन में निम्न बातों का ध्यान रखा जावेगा।

1. सामान्यतः बेलाओं को नहीं काटा जावेगा। केवल उन्हीं बेलाओं को काटा जायेगा जो मूल्यवान इमारती वृक्षों को वास्तव में नुकसान पहुँचा रही है।
2. बेलायें जो ग्रामीणों के उपयोग में आती हैं या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, को आमतौर पर नहीं काटा जायेगा। इन बेलाओं को तभी काटा जावेगा जब इनका काटा जाना वन वर्धनिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। माहुल बेल, बैचांदी जैसी बेलाओं को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।
3. दुर्लभ बेलाओं तथा ऐसी बेलाओं जिनका रखा जाना किन्हीं विशेष कारणों से आवश्यक हो, को नहीं काटा जावेगा। दुर्लभ बेलायें उन्हें माना जावेगा, जिन्हें संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा इस प्रयोजन हेतु वर्गीकृत कर सूचित किया गया हो।

विरले वन एवं रिक्त वन क्षेत्रों में बेला कटाई का कार्य नहीं किया जायेगा।

30.5.4 विदोहन :–

जिन पातनांशों में पातन किया जाना है, उसके चिह्नांकन अभिलेख एवं आयतन गणना पत्रक क्षेत्रीय अमले के द्वारा तैयार किया जाकर, उत्पादन वनमंडल को प्रेषित किया जायेगा। विभिन्न प्रजातियों के आयतन गणना हेतु प्रजातिवार फॉर्म फेक्टर का विवरण परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–49 में दिया गया है।

क्षेत्रीय वनमंडल से अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत, उक्त अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण एवं मौके से मिलान कार्य, उत्पादन वनमंडल द्वारा किया जाये। विसंगति पायी जाने की स्थिति में क्षेत्रीय एवं उत्पादन के उप वनमंडल अधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर अंतिम रूप से निराकरण किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारी से प्राप्त प्रपत्र–30 एवं प्रपत्र–32 में काष्ठ एवं बांस के अनुमानित उत्पादन की जानकारी के आधार पर, उत्पादन वनमंडल अधिकारी द्वारा प्रचलित निर्देशों के अनुरूप काष्ठ विदोहन योजना तैयार की जाएगी। उत्पादन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रत्येक कूप के लिए निर्धारित प्रपत्रों में पृथक्–पृथक् विदोहन योजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रति माह काटे जाने वाले वृक्ष, निकासी पथ निर्माण की व्यय सहित योजना, आवश्यक पंजियां, प्रपत्र, कार्टिंग चालान, स्टेशनरी, रेडी रेकनर, लगुण मार्गदर्शिका, आरा, फाईल, रस्सी, चूना, गेरू, डामर, टेप, प्राथमिक उपचार पेटी तथा अन्य विदोहन सामग्री की आवश्यकता का पूर्ण विवरण दर्शाया जाएगा। विदोहन योजना के अनुसार प्राक्कलित सामग्री एवं राशि की आवश्यकता किन–किन माहों में किस सीमा तक होगी, उसका भी अनुमान लगाया जाएगा।

विदोहन योजना तैयार कर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उसके उपरांत प्रचलित विभागीय नियमों एवं निर्देशों के अनुसार काष्ठ विदोहन एवं परिवहन हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। पातनांशों में कटाई प्रारंभ होने के पूर्व ही निकासी योजना के अनुसार निकासी पथ का ले–ऑउट तैयार किया जायेगा, ताकि तदनुसार ही आवश्यक थप्पीकरण किया जाये। परिवहन का कार्य यथास्थिति विभाग द्वारा अथवा निजी परिवहन ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुरूप किया जाएगा। परिवहन हेतु परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य, निविदा के माध्यम से खुला मौसम आने से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।

30.5.4.1 विदोहन एवं परिवहन की समय सारणी :–

पातनांशों में काष्ठ विदोहन कार्य 15 सितम्बर के बाद तथा बांस की कटाई का कार्य 15 अक्टूबर के बाद वर्षा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ किया जायेगा। विदोहन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रत्येक परिक्षेत्र के एक पातनांश में काष्ठ विदोहन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक कूप के लिये कूप प्रभारी नियुक्त किया जायेगा जो कूप के अन्तर्गत समस्त कार्य सम्पादित करेगा। विदोहन एवं परिवहन कार्य के पश्चात् पातनांश

के समस्त अभिलेखों का समाधान व परीक्षण कर अभिलेख संधारित करने के उपरांत पातनांश अगले वर्ष 30 जून तक क्षेत्रीय वनमंडल को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

30.5.4.2 पातनांशों का हस्तांतरण :–

भोपालवनमण्डल के पातनांशों में विदोहन का कार्य भोपालवन मण्डल के द्वारा हीकिया जाता है, पातनांशों के सीमांकन, चिन्हांकन एवं उनके सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् मानक विधि से पूर्ण अभिलेखों के साथ माह जून के अंत तक हस्तांतरण अभिलेख संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने समक्ष तैयार कराया जावेगा एवं तत्संबंध में हस्तांतरित क्षेत्र के परिपत्र में भी हस्ताक्षर करेंगे। वर्षा के बाद चिन्हित वृक्षों की कटाई एवं लगुण निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा। बीट गार्ड एवं कूप प्रभारी आपस में सीमांकित कूप का अच्छी तरह भ्रमण कर मार्किंग रिकार्ड का मिलान कर कूप हस्तांतरण करेंगे और कूप प्रभारी के द्वारा बीट गार्ड से पातनांश के अभिलेख प्राप्त किया जायेगा। हस्तांतरण के समय निम्नांकित अभिलेख प्रत्येक पातनांश हेतु तैयार कर कूप प्रभारियों को दिए जावेंगे।

1. पातनांश का स्पष्ट मानचित्र, जिसमें सीमाएं स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हों।
2. पातनांश की मार्किंग के लिए बनाया गया उपचार मानचित्र।
3. पातनांश का सीमांकन एवं चिन्हांकन करने वाले तथा उनका निरीक्षण कर सत्यापित करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण।
4. चिन्हांकन अभिलेख पुस्तिका (मार्किंग रिकार्ड बुक)।
5. कटाई के लिए प्रस्तावित वृक्षों का गोशवारा, जिसमें प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्षों की हालत (इमारती, अर्ध–इमारती तथा जलाऊ) दर्शाई गई हो।

6. मार्किंग हैमर का निशान तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि चिन्हांकन के पश्चात् मार्किंग हैमर वनमण्डल कार्यालय में जमा कर दिया गया है।
7. पातनांश की सीमा रेखा के लिए काटे गए वृक्षों, यदि कोई हो तो, का गोशवारा तथा मौके पर पड़ी वनोपज का विवरण।
8. पातनांश से प्राप्त होने वाली वनोपज की अनुमानित मात्रा का विवरण।
9. कक्ष इतिहास का प्रपत्र, जिसमें सीमांकन एवं चिन्हांकन कार्य का विस्तृत विवरण दर्शाया गया हो।

कूप हस्तांतरण/प्राप्ति प्रतिवेदन, विभाग द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में 4 प्रतियों में बनाया जाएगा। 1–1 प्रति वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी कार्यालयों में तथा कूप के अभिलेखों में एवं कक्ष इतिहास में रखी जाएगी। पातनांश में कटाई एवं परिवहन कार्य पूर्ण करने के पश्चात् समाधन पत्रक संधारित किया जाकर पातनांश अगले वर्ष दिनांक 30 जून तक क्षेत्रीय वन परिक्षेत्रधिकारी को पुनः वापस हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ताकि अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण तथा अन्य वनवर्धनिक कार्य समय से प्रारंभ कर पर पूर्ण किया जा सके।

30.5.4.3 पातन हैमर का प्रदाय :–

पातन हेतु हैमर का प्रदाय भोपाल वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

30.5.4.4 पातन कार्य :–

पातन का समस्त कार्य विभागीय तौर पर किया जाएगा। चूंकि पातन से वर्तमान सस्य को क्षति होने की संभावना रहती है तथा उस पर भविष्य की सस्य की हाइजीन (Hygiene) एवं कॉपिस से प्राप्त होने वाला पुनरूत्पादन निर्भर करता है, अतः नियमों का पालन कर सही प्रकार से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वार्षिक उपचारांशों में चिह्नांकित वृक्षों की कटाई एवं लगुण निर्माण

का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, ताकि वनवर्धनिक दृष्टि से हटाए जाने वाले वृक्षों का वैज्ञानिक विदोहन कर अधिकतम तथा अच्छे काष्ठ का उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उपचारांश में विदोहन से संबंधित समस्त का वृक्षों के विदोहन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी,

1. पातन करते समय सर्वप्रथम वृक्ष की छाती गोलाई नापकर मार्किंग बुक में दर्ज नाप से मिलान किया जाये एवं ली गई नाप पातन पंजी में यथा स्थान दर्ज की जाये। नाप में अधिक अंतर प्राप्त होने पर निर्देश पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, तथा इसकी विधिवत पुष्टि करने, कि यह चिह्नांकित वृक्ष ही है, के बाद ही पातन किया जाये, ताकि भूलवश अचिह्नांकित वृक्ष न कट जाये।
2. मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही वृक्षों की कटाई का कार्य आरे अथवा कुल्हाड़ी से किया जायेगा।
3. वर्तमान में प्रचलित निर्देशानुसार वृक्षों का पातन आरे से किया जाएगा एवं ठूंठों की ड्रेसिंग कुल्हाड़ी से किया जा रहा है (आदेशानुसार म. प्र. शासन, वन विभाग का परिपत्र क्रमांक/समिति/5/98/102 दि. 5/5/98)।
4. किसी छोटे क्षेत्र में सभी गोलाई वर्ग के वृक्षों का पातन किया जाना है, तो उसमें सबसे पहले 40 सेमी. तक की बल्लियों वाले वृक्षों, उसके बाद मध्यम गोलाई के वृक्षों तथा अन्त में अन्य वृक्षों की कटाई की जायेगी, ताकि मोटे वृक्षों के पातन से, पतले वृक्ष क्षतिग्रस्त न हों।
5. पातन के पूर्व आसपास की झाड़ी आदि साफ की जाएगी।
6. वृक्ष की कटाई करते समय वृक्षों को अधिक से अधिक नीचे से काटा जाये, जिससे अधिकतम मात्रा में काष्ठ प्राप्त हो। इस

प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि नीचे के खांचे पर अंकित चिन्हांकन हेमर तथा क्रमांक नहीं कटे।

7. काटे गये वृक्ष का ठूंठ, कुल्हाड़ी की सहायता से उल्टे तवे के आकार का बनाया जायेगा ताकि उस पर वर्षा का जल एकत्रित न हो और ठूंठ को सड़ने से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान दिया जायेगा कि ठूंठ की छाल उसके तने से अलग न हो जाये।

8. ठूंठ की ठीक से ड्रेसिंग कराने की पूर्ण जवाबदारी कूप प्रभारी की होगी। ठूंठ के चारों ओर 1 मीटर की परिधि में सफाई करके पड़ी हुई टहनियों एवं पत्तों को हटाया जायेगा।

9. पातन हेतु आरा समतल में चलाया जाएगा। पतले वृक्ष एक कट में ही गिराए जाएंगे (चित्र–4)। मोटे वृक्ष हेतु फेलिंग सिंक एवं फेलिंग कट दिया जाएगा (चित्र–5)। आरा जमीन की ओर तिरछे दिशा में नहीं चलने दिया जाएगा (चित्र–6)। आरा तिरछा चलाने से वृक्ष के देर से गिरने व अपने ही स्थान पर घूमने की संभावना रहती है एवं वृक्ष किसी भी दिशा में गिर सकता है। साथ ही इस तरह से काटे गए वृक्ष का ठूंठ अंदर की ओर गड्ढा लिए हुए रहता है, जिससे इसमें हमेशा पानी भरा रहेगा।

चित्र क्रमांक–4

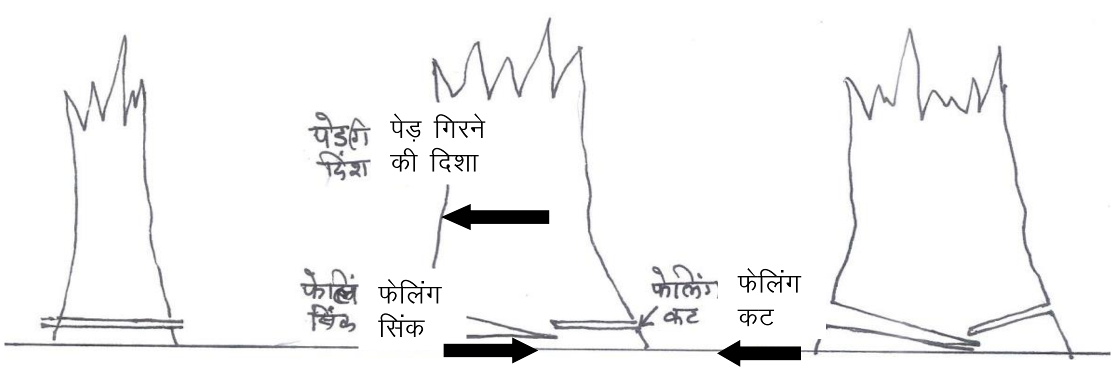

पतले वृक्षों में पातनमोटे वृक्षों में सही पातनमोटे वृक्षों में त्रुटिपूर्ण पातन

10. वृक्ष के गिरने की दिशा पहले से ही निश्चित की जाएगी एवं यह ध्यान रखा जाएगा कि पातन किये जा रहे वृक्ष एवं अन्य वृक्षों को कम से कम क्षति पहुंचे। बोल्डर्स, चट्टान या पत्थर पर वृक्ष नहीं गिराया जाएगा।

11. पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पहाड़ के शीर्ष से प्रारंभ कर नीचे की ओर की जाएगी। ढलान वाले स्थान पर गिराने की दिशा चढ़ाई की ओर होना चाहिए या समतल की ओर भी गिरा सकते हैं, किंतु ढलान की ओर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वृक्ष फटने के साथ–साथ उनके फिसलने से सस्य की अनावश्यक क्षति होगी।

12. चिह्नांकित वृक्षों के पातन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए अचिह्नांकित वृक्षों का पातन भी चिह्नांकित वृक्षों की भांति ही किया जायेगा। अभिलेखन हेतु इन वृक्षों का चिह्नांकन क्रमांक डी–1, डी–2, डी–3,.....इत्यादि चिह्नांकन पुस्तिका के अन्त में एवं पातन पंजी में लिखा जायेगा।

13. निकासी मार्ग आदि बनाने में यदि किसी वृक्ष का निकाला जाना आवश्यक हो, तो उसे भी चिह्नांकन पुस्तिका के अन्त में एवं पातन पंजी में चिह्नांकन क्रमांक ई–1, ई–2, ई–3,.... इत्यादिके रूप में दर्ज करते हुए, पातन किया जाएगा ।

14. पातन से क्षतिग्रस्त हुई 20 सेमी. तक की पौध भी काट दी जाएगी।

15. वृक्षों की कटाई पातनांश में एक सिरे से सुविधानुसार की जायेगी। सामान्यतया वृक्षों की कटाई, चिन्हांकन के अनुक्रमांक के अनुसार करना संभव नहीं होता है, अतः जैसे–जैसे वृक्षों का पातन होता जाये, उनके पातन क्रमांक एवं चिन्हांकन क्रमांक का विवरण पातन पंजी में लिखा जाये तथा चिन्हांकन पुस्तिका में संबंधित चिन्हांकन क्रमांक के विरुद्ध पातन क्रमांक अंकित किया जाये।

16. कूप चिन्हांकन के पश्चात् हुई अवैध कटाई के जीवित ठूंठों व पोलार्डों का निरीक्षण, कूप प्रभारी एवं क्षेत्रीय बीटगार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से करने एवं बीट गार्ड द्वारा विधिवत जप्तीनामा, पंचनामा तैयार कर पी. ओ. आर. जारी करते हुए वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त, उक्त ठूंठ/पोलार्ड की भी भू–सतह पर ड्रेसिंग उत्पादन के कूप प्रभारी द्वारा कराई जायेगी, जिससे प्राप्त वनोपज को बीट गार्ड के द्वारा जप्त कर लकड़ी एवं ठूंठ पर जप्ती हैमर लगा कर अन्य विवरण अंकित किया जाएगा एवं नियमानुसार जप्त लकड़ी को चालान द्वारा काष्ठागार परिवहन कराया जाएगा।

17. अपरिहार्य परिस्थितियों में कूप में दिनांक 30 जून की स्थिति में अवशेष काष्ठ का भौतिक सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा कर प्रतिवेदन वनमंडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

30.5.4.5 लगुण :–

वार्षिक उपचारांशों में चिह्नांकित वृक्षों की कटाई एवं लगुण निर्माण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा समय–समय पर जारी लॉगिंग प्लान निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। लगुण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो अनुभवी कर्मचारियों द्वारा ही किया जायेगा। लगुण कार्य की गुणत्ता पर ही काष्ठ का बाजार भाव निर्भर होता है। अतः लगुण कार्य की जांच समय–समय पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जायेगी। कटे हुए वृक्षों से प्राप्त इमारती एवं जलाऊ लकड़ी का विवरण लगुण पंजी में निर्धारित प्रारूप में दर्शाया जायेगा। कटे वृक्षों के लगुण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी,

1. इमारती वृक्षों के लगुण के समय सर्वप्रथम उसकी शखायें काटकर साफ की जायेगी एवं उसके बाद वृक्षों के तने से लट्ठे तथा बल्लियां काटी जायेगी।

2. लठ्ठों एवं समस्त बल्लियों की कटाई आरे से की जायेगी।
3. लगुण निर्माण में यह ध्यान रखा जाएगा कि बिना ग्रेडिंग को प्रभावित करते हुये लट्ठे अधिकतम लंबे रहें, किंतु इसके साथ–साथ बाजार की मांग का भी ध्यान रखा जाएगा।
4. साजा, हल्दू, सलई, मोयन, अचार, गुंजा, बीजा तथा खैर इत्यादि मोटी छाल वाली प्रजातियों के लट्ठों और बल्लियों की कटाई के साथ ही, 30–30 से.मी. दोनो सिरों पर छोड़कर पूरी छाल निकाली जावेगी।
5. लट्ठे/बल्ली काटने के लिए जिन प्रजातियों की छाल निकाले जाने के निर्देश हों, उनके तने की पूर्ण छाल निकालने के पश्चात् तथा अन्य प्रजातियों की छाल के ऊपर ही लगुण हेतु क्रॉस कटिंग निशान मोम चाक से दिए जाएंगे। ये निशान तने की लंबाई की दिशा के समकोण पर लगभग एक तिहाई गोलाई में दिए जाएंगे, ताकि आरे से कटाई करने वाले को कटाई दिशा का ध्यान रहे और कट सीधा व लंबवत् हो।
6. लगुण का निशान देते समय ध्यान रखा जायेगा कि लट्ठे/बल्ली में कोहनी मोड़ नहीं हो, एवं लट्ठे/बल्ली के सिरे में दो मुंहे न दिखें।

चित्र क्रमांक– 5

7. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से लगुणन के दौरान काष्ठ के पास एकत्र हो गई टहनियों, पत्तों एवं ज्वलनशील कचरे को काष्ठ से दूर कर दिया जाएगा।

8. जिन प्रजातियों में छाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसमें गोलाई मापन के लिये लठ्ठे/बल्ली की लंबाई का मध्य बिन्दु निकालकर उस स्थान पर 10 सेमी. चौड़ाई में छाल निकालकर परिधि बनायी जायेगी और आंके गये मध्य बिन्दु पर "+" का निशान लगाया जायेगा। लठ्ठे की गोलाई पूर्ण सेमी. में नापी जायेगी।

9. काटे गये वृक्षों से जो इमारती लकड़ी के लठ्ठे एवं बल्ली प्राप्त होगी, उन्हें सिलसिलेवार जंगल क्रमांक दिया जायेगा, जिसे वृक्ष के ठूंठ से निकटस्थ लट्ठे/बल्ली से देना प्रारंभ किया जायेगा। लट्ठे/बल्ली के दोरों सिरों के बीच की लंबाई मापने हेतु वह लम्बाई, जो सबसे कम हो, नापी जायेगी। लम्बाई का अभिलेखन 10 सेमी. के पूर्णांक में किया जावेगा अर्थात लम्बाई की नाप पहले 10 सेमी. तक ही लिखी जायेगी। उदाहरण के लिये अगर लंबाई 3 मीटर 17 सेमी. है, तो उसे 3 मीटर 10 सेमी. ही दर्शाया जायेगा।

10. प्रत्येक लट्ठे का आयतन ज्ञात कर घनमीटर में पातन पंजी में दर्ज किया जायेगा।

11. बल्लियों का वर्गीकरण प्रचलित निर्देशानुसार किया जायेगा और उसी आधार पर पातन पंजी में दर्ज किया जायेगा।

12. लठ्ठों के पतले सिरे पर उसका जंगल क्रमांक एवं नाप लिखी जायेगी तथा पासिंग हेमर दोनों सिरों पर लगाया जायेगा।

13. बल्ली के मोटे सिरे पर बल्ली वर्ग एवं उसका जंगल क्रमांक लिखा जायेगा और पासिंग हेमर लगाया जावेगा।

14. ठूंठ पर वृक्ष का पातन क्रमांक तथा चिन्हांकन क्रमांक एवं उससे प्राप्त इमारती लकड़ी (लठ्ठों एवं बल्लियों) की संख्या लिखी जायेगी। इसके बाद इसमें पातन (पासिंग) हेमर का निशान लगाया जायेगा।

15. पासिंग हेमर लगाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ठूंठ सही प्रकार से बनाया गया है।

16. मूल्यवान प्रजातियों के लट्ठों/बल्लियों के दोनों सिरे पर गेरू पोता जायेगा, ताकि वे फटें नहीं।

17. इमारती लट्ठे/बल्ली के लगुण के पश्चात् जलाऊ चट्टों का निर्माण किया जायेगा। इस तरह इमारती वृक्षों की शाखायें भी चट्टे में लगाई जा सकेंगी।

18. इमारती लकड़ी की भांति जलाऊ लकड़ी का भी लगुणन बो–सॉ (Bow Saw) से या कुल्हाड़ी से किया जायेगा।

19. सतकठा की जलाऊ फड़ी में लकड़ी की पतले सिरे पर छाल सहित गोलाई 15 सेमी. से कम नहीं होगी। सलई प्रजाति की जलाऊ फड़ी में लकड़ी की पतले सिरे पर छाल सहित गोलाई 30 से.मी. से कम नहीं होगी।

20. जलाऊ लकड़ी के चट्टे विभागीय निर्देशानुसार मिश्रित प्रजातियों हेतु 2x1-25x0-8 मीटर एवं सागौन प्रजाति हेतु 2x1x1 मीटर के निर्धारित नाप के निम्नानुसार बनाये जायेंगे।

चित्र क्रमांक– 6

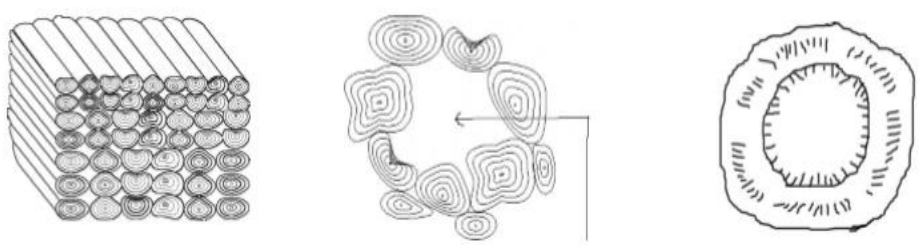

आदर्श जलाऊ चट्टा | चट्टों में उक्तानुसार पोलापन न हों। | इस तरह की पोली मिट्टी युक्त लकड़ी जलाऊ चट्टों में फाड़कर ही रखी जाए।

21. कूप के प्रत्येक जलाऊ चट्टे पर एक क्रम से चट्टा क्रमांक डाला जाएगा एवं हैमर लगाया जाएगा।

22. जलाऊ चट्टे का नंबर, चट्टे लगाने के स्थान पर प्रत्येक चट्टे के निकट ऐसे वृक्षों पर जिसे वनवर्धन की दृष्टि से नहीं काटना

है, पर भी मरी छाल निकालकर डाला जायेगा। इससे चट्टा उठा लेने के पश्चात भी पता चल सकेगा कि किस क्रमांक का चट्टा कहां था।

23. जलाऊ चट्टों का विवरण पातन पंजी में उस वृक्ष के समक्ष दर्शाया जायेगा। यदि किसी वृक्ष से एक से कम जलाऊ चट्टा मिलता है, तो उसके समक्ष 1/2, 1/3, 1/4 आदि लिखा जाएगा।

30.5.4.6 इमारती काष्ठ का वर्गीकरण :–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), सतपुड़ा भवन भोपाल के निर्देश क्र. /काष्ठ उत्पादन/3971 भोपाल दिनांक 07.11.2007 से प्रभावशील प्रशासनिक निर्देशों के अनुरूप एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार ही लट्ठों, बल्लियों एवं अन्य इमारती काष्ठ का वर्गीकरण किया जाएगा। लट्ठे एवं बल्ली का वर्तमान वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है,

तालिका क्रमांक–30.5
लट्ठों एवं बल्लियों का वर्गीकरण

क्र.	प्रजाति	गोलाई वर्ग (सेमी.)	लम्बाई वर्ग (मीटर)
1	2	3	4
1	सागौन, बीजा, शीशम लट्ठे	41–50, 51–60, 61–75, 76–90, 91–105, 106–120, 121–135, 136–150, 151–180, 180 से ऊपर	1 तक, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6, 6 से ऊपर
2	अन्य लट्ठे	51–60, 61–90, 91–120,121–150, 151–180, 180 से ऊपर	2 तक, 2–3, 3–4, 4–5, 5 से ऊपर
3	सागौन बल्ली	21–30, 31–40	2–3, 3–4, 4–6, 6 से ऊपर
4	सागौन बल्ली	15–20	3–4, 4–6, 6 से ऊपर
4	सागौन डेंगरी	21–30, 31–40	1 तक, 1–2
5	अन्य बल्ली	21–30, 31–40, 41–50	2–3, 3–5, 5 से ऊपर

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के ज्ञाप क्र./6128 दि. 05–11–1999 के अनुसार सागौन काष्ठ की 15 से 20 से.मी. गोलाई की एक मीटर की डेंगरी तथा उसी गोलाई की 2 से 3 मीटर की बल्ली इमारती काष्ठ के रूप में नहीं निकाली जाएगी।

30.5.4.7 संग्रहण :–

कूप से विदोहित वनोपज परिवहन करने के लिए उचित मात्रा में निकासी पथ की रूपरेखा पहले ही बना ली जाये एवं ईमारती काष्ठ की थप्पियॉ एवं जलाऊ चट्टे निकासी मार्ग पर ही लगाये जायें। इस प्रकार विदोहित वनोपज को निकासी पथ के किनारे संग्रहण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये–

1. परिवहन हेतु समस्त वनोपज को निकासी पथ के किनारे थप्पी में रखा जाये।
2. लट्ठों को निकासी पथ के समानान्तर रखा जाये ताकि ट्रक में आसानी से लोड किया जा सके।
3. थप्पी में लगाने के पूर्व, सभी इमारती काष्ठ पर हैमर अनिवार्य रूप से लगाया जाये।
4. थप्पी लगाने के पूर्व थप्पी स्थल पूरी सफाई की जाये।
5. नदी, नाले या जल भराव की संभावना वाले क्षेत्रों के किनारे वनोपज का संग्रहण नहीं किया जाये।
6. प्रत्येक थप्पी में यथासम्भव एक ट्रक लोड अर्थात लगभग 8 घनमीटर काष्ठ हो।
7. जलाऊ चटटे का एक साथ 3 से 5 चटटों की थप्पी लगाई जायेगी।
8. थप्पी पूर्ण होने पर चूना छिड़क कर थप्पी बंद की जावेगी।
9. लटठे व बल्ली/डेंगरी अलग अलग थप्पी में रखना चाहिये।
10. थप्पी के निकट वृक्ष पर थप्पी का गोशवारा लिखना चाहिये।

30.5.4.8 निकासी मार्ग निर्माण :–

विदोहित वनोपज के संग्रहण एवं परिवहन सुविधा की दृष्टि से निकासी पथ का निर्माण वनों को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए निम्नानुसार किया जायेगा,

1. कूप प्रभारी द्वारा निकासी मार्ग का एलाइनमेंट किया जायेगा, जिसका निरीक्षण एवं आवश्यक संशोधन संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वन मण्डल अधिकारी के द्वारा किया जाकर अन्तिम रूप दिया जायेगा। यह कार्य 15 अक्टूबर के पूर्व पूर्ण कर लिया जाये। इसके उपरांत निकासी मार्ग निर्माण का कार्य किया जाएगा।
2. निकासी मार्ग समतल व लोडेड ट्रकों के चलाने योग्य बनाया जाएगा। मार्ग में ठूंठ बोल्डर आदि नहीं होने चाहिए। नालों व घाटियों में उपयुक्त चढ़ाव रखा जाएगा।
3. निकासी मार्ग के निर्माण में विक्रय योग्य काष्ठ का उपयोग नहीं किया जाएगा।
4. निकासी मार्ग का एलाइनमेंट इस प्रकार किया जाएगा कि यथासंभव कोई वृक्ष नहीं काटने पड़ें।

30.5.4.9 परिवहन :–

कूप से विदोहित वनोपज का परिवहन पूर्ण सावधानी एवं उचित अभिलेख के साथ करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये,

1. वनोपज परिवहन हेतु कार्टिंग चालान कूप प्रभारी द्वारा स्वयं जारी किया जाएगा। बिना कार्टिंग चालान के कूप से किसी प्रकार की वनोपज नहीं भेजी जाएगी।
2. परिवहन प्रारंभ होने के पश्चात् कूप प्रभारी द्वारा प्रत्येक माह डिपो जा कर, प्रेषित काष्ठ की संख्या, माप एवं प्रजाति का मिलान डिपो में प्राप्त काष्ठ से किया जायेगा, कोई अंतर पाया जाने पर आवश्यक समाधानकारक कार्यवाही करेगा।

3. विदोहित वनोपज का परिवहन कार्य यथासंभव 31 मई तक पूर्ण कर लिया जाये।
4. परिवहन निविदा शर्तो का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
5. परिवहन सर्वप्रथम दुर्गम स्थल से कराया जाएगा।
6. जब तक एक थप्पी की काष्ठ का संपूर्ण परिवहन नहीं हो जाता, अगली थप्पी से काष्ठ का परिवहन नहीं कराया जाएगा।
7. जलाऊ चट्टों का चालान काटते समय चालान में चट्टा संख्या के साथ–साथ ट्रक में लोड चट्टों का आयतन भी आवश्यक रुप से लिखा जाएगा।
8. कूप के लिए जो चालान बुक जारी की गई है, उससे ही चालान जारी किया जाएगा।

30.5.4.10 वार्षिक उपचारांश का अपलेखन :–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक उ./काष्ठ/4426 दिनांक 11/11/2004 में दिये निर्देशों के अनुसार भविष्य में कोई भी वार्षिक उपचारांश अपलेखित नहीं किया जायेगा। वार्षिक उपचारांश अगर विदोहन हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं हो, तो भी इस क्षेत्र में प्रबंधन वृत्त में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुनरुत्पादन के विभिन्न उपचार किये जायेंगे। अगर उपचारांश में सीमांकन, विदोहन या अन्य पुनरुत्पादन कार्य या इनमें से कोई भी एक कार्य, कार्य आयोजना में प्रावधानित वर्ष में नहीं हो पाते तो उपचारांश को एरियर उपचारांश माना जायेगा एवं इनमें आगामी वर्षों में राशि प्राप्त होने पर कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे। यदि आगामी दो वर्षों में भी इन कार्यों हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं होती है, तो इसकी जानकारी मुख्य वनसंरक्षक (विकास) को प्रस्तुत की जावेगी एवं उनसे निर्देश प्राप्त कर आगे की कार्यवाही निर्धारित की जावेगी। कार्य नहीं होने की अवस्था में विदोहन से छूटे हुये वृक्षों से प्राप्त होने वाली काष्ठ, बांस इत्यादि की मात्रा का अनुमान सेम्पल प्लाट के आधार पर तैयार किया जावेगा तथा सम्भावित राजस्व प्राप्त न होने का प्रकरण तैयार कर अपर प्रधान मुख्य

वनसंरक्षक (उत्पादन) को प्रेषित किया जावेगा। यदि क्षेत्र में कटाई हेतु कोई वृक्ष उपलब्ध नहीं है या किसी कूप में कटाई किया जाना प्रावधानित ही न हो (यथा 6 साला सफाई कार्य संबंधी कूप) तो इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) तथा मुख्य वनसंरक्षक (विकास) को भेजे जाने वाले विवरण में किया जावेगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। कुल मिलाकर किसी भी स्थिति में किसी भी प्रबंधन वृत्त के किसी उपचारांश को बिना उपचार के नहीं छोड़ा जायेगा।

(30.6) वनखण्ड का सीमांकन–

प्रत्येक वनखण्ड की सीमा पर निर्धारित आकार के मुनारे निर्माण हेतु निर्देश कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 70 दिनांक 29.01.2000 से जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार मुनारों का निर्माण किया जावेगा। उक्त पत्र की छायाप्रति एवं नवीन पक्के मुनारों के निर्माण एवं पुराने मुनारों की मरम्मत के संबन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा दिये निर्देशों की छायाप्रति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–122 पर दी गई गई है।

30.6.1सीमाओं एवं मुनारों का रख–रखाव :–

सीमाओं एवं मुनारों का रख–रखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वन क्षेत्र की सीमा राजस्व क्षेत्र की सीमा से स्पष्ट हो सके एवं वन क्षेत्र को अतिक्रमण एवं अन्य विवादों से सुरक्षित रखा जा सके। इस हेतु आवश्यक है कि आरक्षित एवं संरक्षित वन सीमा रेखाओं एवं मुनारों का रख–रखाव प्रत्येक वर्ष समुचित ढंग से हो। आरक्षित एवं संरक्षित वन खण्डों की सीमाओं पर जहॉ–जहॉ मुनारे उपलब्ध नहीं हैं, नक्शे के आधार पर मौके पर सर्वेक्षण कर मुनारों का निर्माण प्राथमिकता से किया जाना चाहिये। वनमण्डल के आरक्षित एवं संरक्षित वन खण्डों की बाह्य एवं आंतरिक सीमाऐं एवं पंचवर्षीय सीमांकन योजना परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट–36 में दी गई है। वनखण्ड सीमाओं का रख–रखाव मध्य प्रदेश वन संहिता के अनुच्छेद 6.1 से 6.4 में दिये गये निर्देशों (परिशिष्ट भाग–2

के परिशिष्ट–123) के अनुसार किया जावेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. द्वारा पक्के मुनारों के आकार एवं साइज के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप पक्के मुनारे बनाये जावेंगे।

वन क्षेत्रों में सीमाओं की स्थिति सुनिश्चित रखने के लिये यह आवश्यक है कि पंचवर्षीय सीमांकन के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष परिक्षेत्र अधिकारी उनके परिक्षेत्र के समस्त वन क्षेत्रों की सीमाओं का शत प्रतिशत निरीक्षण करें। उप वनमण्डलाधिकारी को अपने प्रभार की 50 प्रतिशत सीमाओं का तथा वनमण्डलाधिकारी को 25 प्रतिशत निरीक्षण करना चाहिये। वनमण्डल की सीमा पर कुछ स्थानों पर स्थाई पक्के मुनारे बने हुये हैं, किन्तु इनकी संख्या बहुत कम है। अतः वनखण्डों की समस्त बाह्य सीमा रेखा पर पक्के मुनारे बनाये जाना आवश्यक है। आंतरिक सीमा रेखा पर पत्थर के मुनारे बनाये जा सकते हैं।

30.6.2 पंचवर्षीय सीमांकन –

वन सीमाओं एवं मुनारों के रखरखाव के महत्व को ध्यान में रखते हुए भोपाल वनमण्डल हेतु पंचवर्षीय सीमांकन कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट–36 पर दिया गया है। इस कार्यक्रम का समय–सारणी के अनुसार पालन किया जाना चाहिए। विगत कार्य आयोजना अवधि में पक्के मुनारे बहुत अधिक संख्या में तो बने हैं, किन्तु ज्यादातर स्थानों पर विधिवत सर्वेक्षण द्वारा न बनाने के कारण भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई हैं। अब चूंकि वनमण्डल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) एवं मोबाइल मैपर उपकरण भी उपलब्ध होने लगे हैं अतः भविष्य में मुनारों का निर्माण जीपीएस/मोबाइल मेपर द्वारा सर्वेक्षण कर ही किया जाये। वनखण्ड सीमाओं एवं मुनारों का सत्यापन Mobile mapper के द्वारा भी किया जाये। मुनारा निर्माण में उसकी तराई हेतु जल की उपलब्धता नितान्त आवश्यक है, अतः मुनारा निर्माण में इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वनखण्डों की बाह्य सीमा एवं राजस्व क्षेत्र से लगी सीमाओं पर पक्के मुनारों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया

जावे। दो वनखण्डों की उभयनिष्ठ सीमा पर पक्के मुनारों का निर्माण न करते हुए पत्थर के कच्चे मुनारे बनाये जाना उचित होगा।

वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी को अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सीमा परिरक्षण कार्यों के निरीक्षण को प्राथमिकता दी जाना चाहिए। परिक्षेत्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि उसके परिक्षेत्र में वन क्षेत्रों की सीमाओं का नियमित निरीक्षण और मुनारों की मरम्मत इस योजना के अनुसार हो। यह आवश्यक है कि परिक्षेत्राधिकारी उसके परिक्षेत्र के समस्त वन क्षेत्रों की सीमाओं का प्रतिवर्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करें। उपवनमण्डलाधिकारी को अपने प्रभार की 50 प्रतिशत तथा वनमण्डलाधिकारी को प्रभार की 25 प्रतिशत सीमाओं का निरीक्षण करना चाहिए। संनिधि मानचित्रण के दौरान अधिकांशतः पक्के मुनारों पर विवरण अंकित होना नहीं पाया गया। भविष्य में समस्त मुनारों पर मुनारा क्रमांक, वनखण्ड का नाम व निर्माण वर्ष अंकित किया जावे। जहाँ मुनारे निर्धारित स्थल पर नहीं बनाये गये हैं, वहाँ पुनः सर्वेक्षण कर निर्धारित स्थल पर ही मुनारों का निर्माण किया जाये।

(30.7) अग्नि सुरक्षा :–

वन क्षेत्रों में कभी कभार आग लगना एक सामान्य घटना है, जिससे सामान्य तौर पर वनों पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु वनों में प्रतिवर्ष एवं बार–बार आग लगने से वनों एवं उसमें पुनरुत्पादन पर काफी विनाशकारी प्रभाव होता है। माह फरवरी से वर्षा ऋतु आरंभ होने तक का समय शुष्क होने एवं वातावरण का तापमान अधिक होने के फलस्वरूप वनों में आसानी से आग फैल जाती है। अग्नि की निरंतरता के फलस्वरूप मृदा की उर्वरता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही भूमि के कड़े हो जाने से बीज धारण करने की क्षमता में भी कमी आती है तथा नवीन पौध एवं पुनरुत्पादन नष्ट हो जाता है। बड़े वृक्षों में भी विकृतियाँ आ जाती हैं। घास, शाक एवं झाड़ियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वनों में आग के कारण गिरी हुई लकड़ी, बीज, पत्ते, बांस एवं पुनरुत्पादित पौध नष्ट हो जाती है तथा क्षेत्र में पाये जाने वाले

सभी जीव–जन्तुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बार–बार अग्नि लगने से भूमि का वानस्पतिक आवरण समाप्त हो जाने के कारण, वर्षा ऋतु में भूक्षरण भी अत्यधिक होता है, जिससे आसपास के जलस्रोतों में सिल्टेशन हो जाने के कारण उनकी जलधारण क्षमता भी कम हो जाती है एवं बाढ़ का खतरा भी होता है।

30.7.1 अग्नि सुरक्षा योजना :–

अनियंत्रित अग्नि के कारण होने वाली हानि से बचने के लिए वनों को अग्नि से पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए वनमंडलाधिकारी, द्वारा वनमंडल के समस्त वनक्षेत्रों की एकीकृत अग्नि सुरक्षा योजना, प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर–अक्टूबर में बनाई जायेगी, जिसका अनुमोदन क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक से प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा कार्य सम्पादित किये जायेंगे। अनुमोदित अग्नि सुरक्षा योजना के अनुसार अग्नि रोधी रेखाओं को प्रति वर्ष काटकर जला दिया जाना चाहिये। यह कार्य 15 फरवरी के पहले पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में वन मण्डलाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर यह कार्य 31 मार्च तक किया जा सकता है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में 31 मार्च के बाद कोई भी अग्नि वन क्षेत्र में नहीं लगाई जायेगी। अग्नि सुरक्षा कार्य करते समय उपचारित क्षेत्रों/उपचारांशों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। वनों में अग्नि सुरक्षा कार्यों में वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिये। अग्निसुरक्षा का कार्य मध्यप्रदेश वन संहिता 1980 के अनुच्छेद 86 से 89 के अनुसार किया जावेगा।अग्नि सुरक्षा के प्रयोजन के लिये वनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है,

1. **प्रथम श्रेणी – पूर्णतया संरक्षित वन :–**इसके अन्तर्गत निम्नानुसार क्षेत्र शामिल रहेंगे,
    1. समस्त उपचारित एवं पुनरुत्पादन कूप।
    2. समस्त वृक्षारोपण।

3. संरक्षित क्षेत्र यथा परिरक्षण प्लॉट, सैम्पल प्लॉट, अनुसंधान प्लॉट आदि।

4. अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र यथा घास मैदान, बांस पुष्पन क्षेत्र, उपचारित भू–क्षरण क्षेत्र आदि।

इन सभी क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी सीमा पर अग्नि पट्टी एवं गाइड पट्टी की कटाई एवं जलाई करके साफ रखा जायेगा तथा अग्नि रक्षकों के माध्यम से क्षेत्र की सघन निगरानी रखी जायेगी। इन क्षेत्रों में लगी किसी भी आग को एक प्रकोप माना जाकर तत्काल घटना दिनांक एवं प्रभावित क्षेत्र का विवरण दर्शाते हुए रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जायेगी।

2. **द्वितीय श्रेणी – सामान्यतया संरक्षित वन :–**इसमें निम्नानुसार क्षेत्र शामिल किये गये हैं,

1. उन सभी वनों को, जिनमें नियमित रूप में उपचार किया जाता है एवं जिनको प्रथम श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

2. वन संरक्षक द्वारा घोषित कोई अन्य क्षेत्र।

इन सभी क्षेत्रों को अग्नि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी सीमा पर एवं आवश्यकतानुसार आंतरिक अग्नि पट्टी की कटाई एवं जलाई करके साफ रखा जायेगा, तथा आवश्यक होने पर अग्नि रक्षकों के माध्यम से क्षेत्र की सघन निगरानी रखी जायेगी। इसमें सड़क, पगडण्डी, घास मैदान, पहाड़ों की ऊपरी रिज लाइन को चरणों में जलाया जायेगा।

3. **तृतीय श्रेणी – केवल विधि से संरक्षित वन :–**इसमें प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के वनों को छोड़कर शेष वन क्षेत्र आयेंगे। इनमें

रोकथाम के पहले से कोई पट्टी जलाई का कार्य नहीं किया जायेगा, बल्कि सामान्य सुरक्षा प्रदान करते हुए अग्नि सुरक्षा की जायेगी।

30.7.2 अग्निरोधी रेखाओं का विवरण एवं रखरखाव :–

वन मण्डल में कोई अग्नि रेखा निर्धारित नही है। अग्नि सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से फायर वाचरों पर निर्भर रहता है। अग्नि रेखाओं के अभाव में अग्नि सुरक्षा के रोधात्मक उपाय अग्रिम रूप से नही हो पातें। अतः वन मण्डल अधिकारी भोपाल को चाहिये कि वह आवश्यकता अनुसार वन संरक्षक भोपाल से अग्नि रेखाओं का अनुमोदन प्राप्त कर उपरोक्त अनुच्छेदों में दर्शाए अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रभावी रोधात्मक उपाय करना सुनिश्चित करें।

विगत वर्षो में अग्नि सुरक्षा कार्यो पर समुचित ध्यान नही दिया गया है। प्रत्येक वर्ष जनवरी के अन्त तक बाह्य एवं आंतरिक अग्नि रेखाओं की कटाई एवं जलाई का कार्य पूरा किया जाकर इन्हें साफ रखा जाना आवश्यक है। अग्नि रेखाओं की चौड़ाई निम्नानुसार रखी जावेगी।

(अ) बाह्य अग्नि रेखाओं के अंतर्गत वनखण्ड की सीमा रेखा एवं आंतरित सीमांकन क्षेत्र सम्मिलित रहेगें जिसे 12 मीटर की चौड़ाई में साफ रखा जावेगा।

(ब) आंतरिक अग्नि रेखा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं वन विभाग द्वारा संधारित सड़क, उपचारांश सीमा, वृक्षारोपण सीमा, बैलगाड़ी रास्ता, निर्धारित पैदल रास्ता तथा पड़ाव एवं पूजा स्थलों के आस–पास चारों ओर की पट्टी सम्मिलित रहेगी जिसे 6 मीटर की चौड़ाई में साफ रखा जावेगा।

अतः वर्तमान भोपाल वन मण्डल की अग्निरोधी रेखाओं की पहचान मौके पर की जाकर इनका रखरखाव उचित तरीके से किया जाना प्रारम्भ किया जाये।

इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से प्रति वर्ष साफ की जाने वाली सभी अग्निरोधी रेखाओं को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले साफ किया जाकर जला

दिया जाना चाहिये। यदि प्रथम जलाई के पश्चात वर्षा होने से घास पुनः आ जाती है, तो उसे पुनः काटकर जला दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सभी कार्य 15 फरवरी तक सम्पादित किये जावें। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष साफ की जाने वाली अग्नि रोधी रेखाओं की निर्धारित चौड़ाई का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है,

तालिका क्रमांक 30.6
अग्नि रोधी रेखाओं का विवरण

क्र.	अग्निरोधी रेखा का प्रकार	अग्नि रोधी रेखा की चौड़ाई(मी)
1	आरक्षित वनखंडों की बाहरी सीमा रेखा	12
2	संरक्षित वनखंडों की बाहरी एवं सभी वनखण्डों की अंदरूनी सीमा रेखा	06
3	लोक निर्माण विभाग की सड़कें, वनमार्ग, रेल्वे लाईन एवं अन्य मार्ग के दोनों ओर	04
4	वृक्षारोपण क्षेत्र	12
5	अन्य उपचारित क्षेत्र	06
6	पुरानी अग्नि रोधी रेखाएं	30

उपरोक्त क्षेत्रों के साथ–साथ मुख्य प्रबंधन की उपचार इकाईयों की सीमाओं को भी साफ किया जाकर जलाया जाना चाहिये। वनमंडल में सभी वनखण्ड सीमा रेखाओं, गुजरने वाली सड़कों एवं रास्तों का अग्नि सुरक्षा रेखाओं के रूप में रखरखाव करना चाहिये। इसके अतिरिक्त काष्ठ एवं बांस डिपो में पूरे वर्ष अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

30.7.3 फायर वाचर :–

वन अग्नि की प्राथमिक रोकथाम के लिए अग्निरोधी रेखाओं को साफ करने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी भी रखी जानी चाहिए, ताकि आकस्मिक अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अग्नि पर त्वरित रूप से नियंत्रण किया जा सके। इसके लिये पर्याप्त मात्रा में फायर वाचर रखे जाने चाहिए जो निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेंगे,

1. अपने क्षेत्र की अग्नि रेखाओं की गश्ती करना एवं उन्हें ज्वलनशील पदार्थों से पूरी तरह मुक्त रखना।

2. आस–पास के क्षेत्रों में चराई हेतु पशुओं को लाने ले जाने वाले चरवाहों की निगरानी करना एवं उन्हें सचेत करना।
3. वनक्षेत्रों में आग जलाने या ले जाने से रोकना।
4. वन क्षेत्र में आने–जाने वालों की पूर्ण जानकारी रखना।
5. आग लगने की सूचना तुरंत बीट रक्षक को देना।
6. आग लगने पर आग बुझाने के लिये ग्रामवासियों से सहायता प्राप्त करना एवं स्वतः आग बुझाना।

फायर वाचर आग के सीजन में सदैव अपनी बीट में ही गतिशील रहेंगे। वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फायर वाचर को क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्यवाही के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अग्नि स्टेशन ऊंचे स्थलों पर स्थापित किया जाये, ताकि फायर वचर दूर तक अपने क्षेत्र को देख सके। त्वरित सूचना हेतु, प्रत्येक फायर वाचर को मोबाईल फोन भी उपलब्ध कराया जा सकता है एवं यदि क्षेत्र में मोबाईल फोन काम नहीं करता है तो विकल्प के तौर पर साइकिल उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि वे शीघ्र ही नजदीकी ग्राम में या मोबाइल कवरेज क्षेत्र में पहुंचकर सूचना दे सकें।

30.7.4 अग्नि घटनाओं का अभिलेख :–

वनमंडलाधिकारी द्वारा अग्नि प्रकरणों का पूर्ण विवरण एवं अग्नि मानचित्र वनमंडल की नस्ती में रखा जायेगा, जिसमें 1:50,000 मापमान के रेंज मैनेजमेन्ट मानचित्रों पर विगत पांच वर्षों के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों को, वर्षवार रंगों तथा लाईनों से दर्शाया जावेगा। इसमें अग्नि घटना का दिनांक तथा क्षेत्रफल की जानकारी का भी समावेश किया जावेगा। वन मुख्यालय स्तर पर विकसित अग्नि सचेतक संदेश प्रणाली के अन्तर्गत उपग्रह के माध्यम से प्राप्त अग्नि दुर्घटनाओं की सूचना का संकलन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा जाता है। उक्त प्रणाली में समस्त अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण नहीं आ पाता है, क्योंकि उपग्रह के आने का समय एवं अग्नि दुर्घटना होने का समय कई बार अलग अलग होता है। प्रत्येक बार अग्नि की विकरालता अधिक नहीं होने के कारण भी

उपग्रह उसको पहचान नहीं पाता है। अतः क्षेत्रीय अमले के माध्यम से अग्नि की रिपोर्ट सतत प्राप्त्त करते हुए उसका अभिलेखन किया जाये।

परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्येक अग्नि दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिवस के अंदर वनमंडल अधिकारी को भेजेंगे। इसके साथ ही परिक्षेत्र अधिकारी, परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक –124 पर दिये प्रपत्र में प्रत्येक माह अग्नि दुर्घटना की मासिक जानकारी भेजेंगे। फॉरेस्ट मैनुअल के पैरा 89 (23) मे दिये प्रावधानों के अनुसार वनमंडल अधिकारी प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में माह भर के अग्नि प्रकरणों की जानकारी मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) को प्रेषित करेंगे तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप भी जानकारी भेजेंगे। वनमंडल का एकजाई वार्षिक अग्नि मानचित्र मय अग्नि योजना के क्रियान्वयन के परिणाम तथा अग्नि नियंत्रण कुशलता की टीप के साथ, मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय को प्रेषित किया जावेगा। इसके आधार पर मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय के द्वारा अग्नि सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रति वर्ष समीक्षा एवं वांछित सुधार हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

30.7.5 शिक्षा एवं प्रचार प्रसार :–

स्थानीय जनता के सक्रिय एवं स्वैच्छिक सहयोग के बिना वनों की प्रभावी अग्नि सुरक्षा किया जाना संभव नहीं है। सामान्यतया वनों में आग जानबूझकर लगाई जाती है या लापरवाही से फैलती है। अतः अग्नि से होने वाली क्षतियों को जनमानस तक पहुंचाने एवं अग्नि सुरक्षा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी प्राप्त करने हेतु समुचित विस्तार एवं शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाना आवश्यक है। इसके लिये व्यक्तिगत सम्पर्क और दृश्य श्रव्य माध्यमों की मदद से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार किया जायेगा।

महुआ फूल संग्रहण के दौरान माह मार्च–अप्रैल में संग्राहकों द्वारा महुआ वृक्षों के नीचे पत्तों को साफ करने हेतु आग लगाई जाती है, जिससे वनक्षेत्रों में आग फैल जाती है। इसकी रोकथाम के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से लगे वन क्षेत्रों में महुआ के प्रत्येक वृक्ष का क्रमांकन करके महुआ संग्रहण कार्य करने वाले

परिवारों के बीच इन वृक्षों को आवण्टित किया जाये। इसके लिए संयुक्त वन प्रबन्ध समति की बैठक में समस्त सदस्यों की आम राय से निर्णय लिया जाये।

वनों में अग्नि का एक अन्य मुख्य कारक, वनों के बीच की सड़कों से गुजरने वाले वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों एवं चालकों के द्वारा, यात्रा के दौरान सिगरेट/बीड़ी अपने वाहनों में पीने के उपरांत उन्हें बिना बुझाये वाहन के बाहर सड़क किनारे फेंकना है। इसके लिए, वनों को आग से बचाने में सहयोग देने हेतु साईन बोर्ड इत्यादि लगाया जाकर, इस ओर प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वनों से गुजरने वाले मार्ग पर, वनों में प्रवेश करने के स्थान पर, ''अग्नि प्रतिबंधित'' होने संबंधित बड़े आकर्षक साईन बोर्ड लगाये जायेंगे, ताकि वहाँ से वाहन प्रवेश करते समय यात्रा कर रहे लोगों का ध्यान स्वयमेव इस ओर चला जाये।

इसी तरह तेन्दूपत्ता व्यापारी भी तेन्दूपत्ते की अधिक पैदावार लेने के लिए जानबूझकर कई बार वन क्षेत्रों में आग लगवा देते हैं, जिस पर कड़ाई से नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

30.7.6 अग्नि शमन/नियंत्रण की तकनीक/कार्यविधि :–

प्रभावी अग्नि सुरक्षा के लिये, पारम्परिक अग्नि सुरक्षा विधियों के साथ–साथ आधुनिक एवं उन्नत अग्नि सुरक्षा विधियों को अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अग्नि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में आग बुझाने के तरीके का चयन, आग लगने के कारणों पर निर्भर करता है, अतः उसका अध्ययन करके ही प्रभावी अग्नि सुरक्षा के उचित उपाय किये जा सकते हैं।

30.7.6.1 वन अग्नि के कारण :–

वनों में अग्नि मुख्यतया निम्नलिखित तीन कारणों से लगती है,

1. **अज्ञानतावश या लापरवाही के कारण :–**सामान्य रूप से वनों में ठहरने वाले एवं उसके अन्दर या आसपास से गुजरने वाले लोगों की लापरवाही के कारण वनों में आग लग जाती है, जैसे कैम्प फायर के दौरान जलती आग को छोड़ देना, जलती हुई

सिगरेट–बीड़ी के टुकड़े फेंक देना, वनों में कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा जलती आग को छोड़ देना एवं अग्निरोधी रेखा जलाने में लापरवाही बरतना आदि। इन लोगों में वनों में लगने वाली आग से होने वाले दुष्परिणामों की अज्ञानता रहती है। इसके लिए लोगों को अग्नि के दुष्परिणामों से परिचित कराकर एवं प्रचार–प्रसार द्वारा समझाया जाने का प्रयास किया जायेगा।

2. **जानबूझकर लगाये जाने वाली आग :–**कुछ लोग वनों में जानबूझकर आग लगाते है। ग्रामीण अक्सर वनों में नयी घास प्राप्त करने के लिये आग लगाते है। इसी प्रकार तेन्दूपत्ता, महुआ एकत्रित करने वाले व्यक्ति एवं शिकार करने वाले व्यक्ति भी वनों में जान बूझकर आग लगाते हैं। इसके लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाये।

3. **शत्रुता के कारण :–**कई बार ग्रामीणों की वन कर्मचारियों से शत्रुता या कर्मचारियों की आपसी शत्रुता या अग्निरोधी प्रहरियों की आपसी रंजिश के कारण भी वनों में आग लगाई जाती है। ऐसे प्रकरणों में गम्भीरता से छानबीन करके कठोर कार्यवाही की जाये।

इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा के महत्व एवं उसके तरीकों को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड जगह जगह लगाकर एवं पम्प्लेट का वितरण करके लोगों को जानकारी दी जाये। अग्नि सुरक्षा कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने से भी यह संदेश अच्छी तरह से आम जनता को दिया जा सकता है। यह भी संदेश दिया जाये कि आग लगाना चाहे वह अज्ञानतावश या लापरवाहीवश ही क्यों न हो, एक गम्भीर वन अपराध है। स्थानीय समाचार पत्र, ग्रामीणों तक संदेश पहुँचाने के सबसे उत्तम साधन हैं। गर्मी के मौसम में वनों की आग से सुरक्षा से संबंधित लेख, संपादकीय एवं अन्य छोटी–छोटी टिप्पणियों को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना चाहिये।

30.7.6.2 वन अग्नि का पता लगाना :–

वनों में अग्नि सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, सूचना का त्वरित आदान प्रदान। वनों में लगी आग का पता लगाना एवं समय पर आग की सूचना भेजना, आग को बुझाने एवं नियंत्रित करने के लिये अति आवश्यक है। यदि आग को समय पर नहीं बुझाया गया तो यह काफी बड़े क्षेत्र में फैल सकती है तथा इससे काफी अधिक नुकसान हो सकता है। किसी भी अग्नि दुर्घटना की स्थिति में त्वरित रूप से सूचना संबंधित वन कर्मचारी तक पहुंचे, इसके निम्नानुसार स्रोत हो सकते हैं,

1. स्थानीय जनता द्वारा आग की सूचना दी जा सकती है।
2. वन कर्मचारियों एवं अग्नि प्रहरियों द्वारा वनों के लगातार भ्रमण से आग का पता लगाया जा सकता है।
3. वनों में वॉच टॉवर स्थापित किये जाकर आग का पता लगाने में सहायता मिल सकती है।
4. यदि आग अधिक दूर पर नहीं लगी है, तो इसकी सूचना साईरन या ड्रम बजाकर दी जा सकती है।
5. पैदल, साईकिल या मोटर साईकिल द्वारा जाकर भी संदेश भेजा जा सकता है।
6. दूरभाष/मोबाईल या वायरलेस का भी उपयोग आग की सूचना देने के लिये किया जा सकता है।

30.7.6.3 वास्तविक अग्नि शमन/नियंत्रण की तकनीक/कार्यविधि :–

किसी भी वन क्षेत्र में आग लगने की स्थिति में उसको बुझाने से पहले नियंत्रित करना आवश्यक होता है, ताकि वह बड़े क्षेत्र में न फैले। नियंत्रित करने के बाद वास्तविक अग्निशमन एवं उसके बाद मॉप अप ऑपरेशन किया जाता है। अतः इन तीनों कार्यों की तकनीक का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है–

1. **अग्नि नियंत्रणः–**अग्नि पर नियंत्रण करने के निम्नानुसार सिद्धांत हैं:–

1. अग्नि स्थल पर तत्काल पहुँचना।
2. अग्नि स्थल पर तब तक रहना जब तक कि आग पूरी तरह बुझ नहीं जाती।
3. आग को वनों में बढ़ने से रोकने के लिये आगे के क्षेत्र में तत्काल लाईन को साफ करना एवं आवश्यकतानुसार विपरीत अग्नि लगाना।

2. **आग बुझाना :–** अग्नि को बढ़ने से रोकने के बाद अगला चरण जलती हुई अग्नि को बुझाना होता है। आग को बुझाने के लिए निम्नानुसार तरीके अपनाये जायें,

1. हरी झाड़ियों का उपयोग करके आग को पीटकर बुझाया जाये।
2. उपलब्ध होने पर पानी से भी कुछ ठूंठ या अन्य लकड़ी की आग बुझाई जाये।
3. पानी उपलब्ध न होने पर मिट्टी का उपयोग किया जाये। इसके लिए ठूंठ या लकड़ी को मिट्टी से पूरी तरह ढंक दिया जाये ताकि उसे जलने के लिए ऑक्सीजन न मिल सके, जिससे वह आग अपने आप कुछ देर में बुझ जायेगी।
4. वन भ्रमण एवं आग निरीक्षण माप अप (Mopping) ऑपरेशन के दौरान एवं बाद में अग्नि स्थलों का निरीक्षण करना एवं बुझाना।
5. लकड़ी एवं ठूंठों में लगी आग को कुल्हाड़ी से काटकर अलग किया जाये, ताकि शेष भाग में आग न फैले।
6. कुछ रसायनों यथा सोडियम कार्बोक्सी, मिथाईल सैलुलोज, बेन्टोनाईट क्ले, पौटेशियम क्लोराईड, सोडियम बाईकार्बोनेट, अमोनियम फास्फेट, बोरिक एसिड, सोडियम

एसीटेट, केल्शियम क्लोराइड एवं फास्फोरिक एसिड इत्यादि का उपयोग करके भी आग बुझाई जा सकती है।

7. कुछ तकनीकी औजारों यथा फायर पम्प, बैकपैक ब्लोअर, फायर रैक, फायर वाटर, बैक फायरिंग टार्च का उपयोग करके भी आग बुझाई जा सकती है।

आग बुझाने के उक्त साधनों में से अधिकांश मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, एवं उनके उपलब्ध होने पर भी उसको क्षेत्र में ले जाना अत्यन्त कठिन होता है। अतः परम्परागत तरीके यथा, हरी झाड़ियों एवं शाखाओं से, मिट्टी से, पानी से, एवं कुल्हाड़ी से ही सामान्य तौर पर कार्य आयोजना क्षेत्र में आग बुझाने का कार्य प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य रूप से कुल्हाड़ी, गैंती, हंसिया, तसला, गमछा एवं पीने का पर्याप्त पानी रखकर सुविधाजनक तरीके से आग बुझाई जाये।

3. **माप अप ऑपरेशन :–**सम्पूर्ण आग बुझाने के बाद भी प्रभावित क्षेत्र में तापक्रम काफी अधिक होने एवं पर्याप्त मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ उपलब्ध होने के कारण दुबारा आग लगने की सम्भावना होती है। अतः अग्निशमन के बाद कम से कम एक घण्टे तक क्षेत्र में उपस्थित रहकर पूर्ण निगरानी की जाये, एवं किसी भी प्रकार की चिनगारी या आग पाये जाने पर उसे पूरी तरह से बुझाया जाये। इसे ही मॉप अप ऑपरेशन कहते हैं। इसके तहत बची हुई आग को बुझाना, जल रही सामग्री को अलग करना एवं बुझाना इत्यादि शामिल रहता है।मॉप अप ऑपरेशन में निम्नानुसार बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये,

1. आग बुझाने के उपरांत जल रही समस्त सामग्री को अच्छी तरह बुझाया जाये।
2. फायर लाईन के अन्दर एवं बाहर की समस्त ज्वलनशील लकड़ियों, जैसे सूखी लकड़ी, जले हुए टुकड़े, पेड़ों से

नीचे की ओर लटकी हुई सूखी टहनियों को निकाल देना चाहिये।

3. जले क्षेत्रों में सम्पूर्ण जलती सामग्री को बुझा देना चाहिये, ताकि यह आस–पास के क्षेत्रों में न फैल सके।

4. यदि पास में पानी उपलब्ध हो, तो उसका इस्तेमाल भी माप अप ऑपरेशन में किया जा सकता है।

30.7.6.4 काष्ठागारों में अग्नि सुरक्षा हेतु दिशा–निर्देश :–

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/22/166/97/10 /2 भोपाल दिनांक मार्च 1997 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:–

- प्रत्येक काष्ठागार में जल व्यवस्था हेतु स्थानीय संभावनाओं का परीक्षण किया जाये कि काष्ठागार में स्टॉपडेम/कुंआ/नलकूप आदि से पर्याप्त पानी प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं।
- यदि हाँ तो ऐसे जल स्त्रोतों का निर्माण कर उनमें मोटर लगाकर ओव्हर हेड टैंक के माध्यम से काष्ठागार के सभी सेक्टर में भूमिगत पाईप लाईनों द्वारा पानी पहुँचाया जाये। इन पाईप–लाईनों में पृथक–पृथक जगह वाल्व देकर ऐसी व्यवस्था की जाये कि सभी प्लाटों पर पाईप के माध्यम से पानी पहुँचाया जा सके।
- जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हो वहाँ फिलहाल डीजल पम्प लगाया जाये तथा बिजली की व्यवस्था बाद में कर ली जावे।
- जहाँ स्थानीय व्यवस्था संभव नहीं है अथवा अपर्याप्त है, वहाँ अन्य विकल्पों द्वारा स्थायी जल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- असामाजिक तत्व सरलता से प्रवेश न कर सकें इस हेतु सभी काष्ठागारों में फेंसिंग की जाये।

30.7.6.5 काष्ठागारों में अग्नि सुरक्षा के निम्न कार्य अतिरिक्त रूप से किये जाने चाहिये :–

- काष्ठागार अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी निरंतर काष्ठागार में रहें।
- काष्ठागार में अग्नि शामक यंत्र की समुचित व्यवस्था रखें। यंत्र की समय–समय पर जांच कर देखें कि यह ठीक और चालू हालत में है। थप्पियों के बीच–बीच में रेत और पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे एवं उनका रात्रि मुकाम काष्ठागार में ही सुनिश्चित किया जावे।
- काष्ठागार में सेक्टर के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जावे। प्रत्येक सेक्टर में रात्रि गश्त की जावे।

(30.8)अनियमित विदोहन–

निर्धारित वार्षिक उपचारांशों से बाहर एवं कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी पातन, अनियमित विदोहन की श्रेणी में आयेगा। कार्य आयोजना में निर्धारित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रकार का विदोहन, कार्य आयोजना के प्रावधानों का विचलन भी है। अतः कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी विदोहन नहीं किया जावेगा। निम्नानुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में अत्यावश्यक होने पर आकस्मिक विदोहन की अनुमति शासन के द्वारा तय किये गये सक्षम अधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी–

1. प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित यथा गिरे, उखड़े, क्षतिग्रस्त एवं बीमारी / महामारी से प्रभावित वृक्षों का विदोहन,
2. गैर वानिकी कार्यों हेतु व्यपवर्तित वन भूमि के वृक्षों का विदेाहन,
3. सामूहिक बांस पुष्पन क्षेत्र में बांसों का एकमुश्त विदोहन,

1. **प्राकृतिक प्रकोप :–**आंधी, तूफान या हवा से गिरे व सूखे तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से मृत वृक्षों का विदोहन, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की स्वीकृति के अधीन किया जा सकेगा। कटाई के पूर्व ऐसे वृक्षों की गणना कर नियमित चिन्हांकन किया जा कर पूर्ण विवरण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को भेजा जावेगा। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही ऐसे वृक्षों का विदोहन किया जावेगा। यदि इस प्रकार के वृक्ष यत्र–तत्र बिखरे हुये हैं तथा उनकी संख्या कम है तो इनका विदोहन क्षेत्रीय अमले द्वारा किया जा सकता है, परन्तु यदि ये अत्यधिक संख्या में हैं, तो इनका विदोहन उत्पादन अमले द्वारा ही किया जावेगा। विदोहित वृक्षों का विवरण कक्ष इतिहास में रखा जायेगा। अधिक संख्या में ऐसी कटाई की स्थिति में क्षतिपूर्ति की दृष्टि से नियमित कूपों से उतनी मात्रों में कम कटाई की जायेगी। विदोहन से प्राप्त वनोपज के अभिलेख की एक प्रति कक्ष इतिहास में अनिवार्यतः लगाई जावेगी।

    हवा से उखड़े, टूटे, सूखे के कारण मृत या अन्य प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट/मृत वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली वनोपज की मात्रा सार्थक रूप से अधिक होने पर वर्ष में उपज को नियमित रखने हेतु किसी वार्षिक उपचार इकाई में विदोहन निलंबित रखा जावेगा। अनियमित विदोहन से प्राप्त वनोपज की मात्रा को नियमित करने हेतु एक से अधिक उपचार इकाईयों में विदोहन निलंबित रखा जा सकता है।

2. **गैर वानिकी प्रयोजन हेतु हस्तांतरित वनभूमि में विदोहन :–**गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के उपयोग और वृक्षों के पातन के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 1988 और उनके अधीन बने नियमों और समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा

एवं ऐसे किसी क्षेत्र में विदोहन किया जाता है, तो सस्य के विदोहन से प्राप्त होने वाली वनोपज की मात्रा के समतुल्य उपज वाले कार्य आयोजना क्षेत्र में विदोहन निलंबित कर दिया जायेगा।

3. **सामूहिक बांस पुष्पन :–** किसी भी कक्ष के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र एवं क्षेत्र में उपलब्ध भिर्रों के 50 प्रतिशत से अधिक भिर्रों के पुष्पन होने पर उक्त क्षेत्र में सामूहिक पुष्पन होना माना जावेगा।इन क्षेत्रों के निम्न उपचार किया जायेगा,

1. प्रत्येक सामूहिक पुष्पन वाले कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र में 2 हेक्टर में न्यूनतम 5 प्लाट डाले जाकर विवरण कालम 6 में दर्शाया जावेगा।
2. 1:50,000 मापमान के मानचित्र पर सामूहिक पुष्पित बांस क्षेत्र दर्शाया जावेगा।
3. पुष्पित बांस क्षेत्र का निरीक्षण राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा निम्नानुसार दर्शित प्रपत्र में जानकारी संकलित की जायेगी,

तालिका क्रमांक–30.7

बांस वनों में सामूहिक पुष्पन का अभिलेख रखने वाला प्रपत्र

वनमण्डल का नाम ––––– बांस प्रजाति ––––––

माह का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष में बांस का क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	वास्तविक पुष्पित क्षेत्र (हे.में) एवं कक्ष में उसकी स्थिति
1	2	3	4	5

पुष्पन की तीव्रता				रिमार्क	
2 हेक्टर प्लाट का क्रमांक	प्लाट में कुल भिर्रो की संख्या	पुष्पित भिर्रो की संख्या	पुष्पित भिर्रो का प्रतिशत	क्या पुष्पित भिर्रो में गत वर्षा ऋतु में कोई नया बांस निकला	क्या बांस पहाड़ी शीर्ष/ढ़लानों पर नदी नालों के किनारे या घाटी में सागौन या मिश्रित वन के अधोवितान में है अथवा बिगड़े वनों में विगत प्रबंधन का परिणाम अच्छा प्रबंधन/कुप्रबंधन
6	7	8	9	10	11

4. सामूहिक बांस पुष्पन के क्षेत्र में समस्त पुष्पित बांस भिर्रों को काटकर डिपो परिवाहन किया जायेगा।
5. सामूहिक बांस पुष्पन क्षेत्र विशेष में यदि कोई काष्ठ कूप का उपचार प्रस्तावित है, तो उसे वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने तक बंद नहीं किया जावेगा।
6. पुष्पन के प्रथम वर्ष के उपरांत पुष्पित बांस के पुनरुत्पादन के उपचार को छोड़कर अन्य उपचार आगामी दो वर्षों तक स्थगित रहेंगे।
7. यदि एक ही क्षेत्र में पुष्पन लगातार कई वर्षों में होता है तो प्रारंभिक पुष्पन के वर्ष को छोड़कर आगामी वर्षों में भी बांस पुनरूत्पादन के कार्य को छोड़कर शेष समस्त उपचार स्थगित रहेंगे। यह स्थगन अंतिम पुष्पन वर्ष के पश्चात आगामी दो वर्षों तक जारी रहेगा। पुष्पित बांस भिर्रों की कटाई पर रोक नहीं रहेगी। प्रारंभिक पुष्पन वर्ष में भी अन्य उपचार वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने तक किये जा सकेंगे।
8. पुष्पित बांस भिर्रों को पूर्ण रूपेण बीज गिरने के उपरांत ही काटा जायेगा।
9. बांस बीज का आवश्यकतानुसार संग्रहण इस तरह कराया जावेगा कि बीज इकट्ठा करने वाले स्थान पर बीज संग्रहण उपरांत भी पुनरुत्पादन हेतु बांस बीज बचा रहे।
10. किसी भी क्षेत्र में जितने क्षेत्र में सामूहिक पुष्पन हुआ है, उसी क्षेत्र विशेष में, बांस के पुनरुत्पादन को बढ़ाने, क्षेत्र की नमी बढ़ाने तथा क्षेत्र सुरक्षित रखने के कार्य किये जायेंगे, ताकि गिरे हुये बांस बीज से प्रकन्द (Rhizome) का निर्माण हो सके। इसके साथ ही एकत्रित बांस बीज

का छिड़काव पुष्पित बांस क्षेत्र के अंदर कम घनत्व वाले बांस क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

11. पुष्पन क्षेत्रों में पुष्पित बांस भिर्रों की कटाई के बाद कटे हुये बांसों को उठाकर क्षेत्र से बाहर संग्रहित किया जावेगा।

12. इन क्षेत्रों में बांस निर्वर्तन की व्यवस्था तत्काल की जावेगी, जिससे इनकी उपयोगिता में ह्रास न हो तथा अग्नि से नष्ट होने की संभावना न रहे, तथा बांस के पुनरुत्पादन पर प्रतिकूल असर भी न पड़े।

13. पुष्पित क्षेत्रों की, अग्नि एवं चराई से 10 वर्षो तक कड़ी सुरक्षा की जावेगी।

14. पुष्पित बांस पातन के पश्चातवर्ती दूसरे वर्षाकाल में संवर्द्धनिक कार्य किया जावेगा, जिसके अन्तर्गत 5 मीटर X 5 मीटर के अन्तराल पर प्रवर बांस पौध का चयन किया जावेगा। प्रवर पौध के चारों ओर 20 सेमी. छोड़कर 2 मीटर व्यास के क्षेत्र में समस्त बांस के नव पादपों को निकाल दिया जावेगा। प्रवर बांस के चारों ओर गुड़ाई कर जल संरक्षण हेतु ढलान के नीचे की ओर अर्ध चन्द्राकार थाला बनाया जावेगा। इस वर्ष के उपरांत 8 वर्षों तक बांस रोपण की भांति इस पुनरुत्पादन की देखभाल की जावेगी। निकाले गये नव–पादपों से राइजोम बैंक का निर्माण किया जा सकेगा। खुले क्षेत्र, जिनमें पूर्व में बांस भिर्रे कम थे, में बॉस राइजोम का रोपण किया जावेगा, ताकि इस क्षेत्र में भी अच्छी संख्या में बांस भिर्रें आ सकें।

15. पुष्पित बांस क्षेत्र के बदले में किसी अन्य क्षेत्र के बांस का उपचार कार्य बंद नहीं किया जावेगा।

16. इन क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य पुष्पन के उपरांत एवं वर्षा ऋतु के प्रारंभ से पूर्व आवश्यक रूप से कराया जावेगा।

कार्य किये गये उपचारांशों को चार वर्षो तक अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का क्षेत्र मानकर अग्नि सुरक्षा प्रदान की जायेगा तथा उपचार के उपरांत तीन वर्षों तक चराई प्रतिबंधित रहेगी। बांस के सामूहिक पुष्पन तथा असामूहिक पुष्पन का विवरण एवं क्षेत्र में कराये गये कार्यो का विवरण आवश्यक रूप से कक्ष इतिहास पत्रावली में नस्थीबद्ध किया जावेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में किये जाने वाले आकस्मिक विदोहन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं नियमित कूपों को स्थगित रखने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण, मध्यप्रदेश ाासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 25–05/2016/10–2 भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर 2016 द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे अनियमित विदोहन को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है,

1. **अत्यधिक विचलन :–**वनमण्डल में विगत वर्ष के वास्तविक उत्पादन का 20 प्रतिशत से अधिक अनियमित विदोहन को इस श्रेणी में रखा गया है।
2. **सामान्य विचलन** :– वनमण्डल में विगत वर्ष के वास्तविक उत्पादन का 5 से 20 प्रतिशत तक अनियमित विदोहन को इस श्रेणी में रखा गया है।
3. **लघु विचलन** :– वनमण्डल में विगत वर्ष के वास्तविक उत्पादन का 5 प्रतिशत तक अनियमित विदोहन को इस श्रेणी में रखा गया है।

आकस्मिक विदोहन के उपरोक्त श्रेणियों की स्वीकृत हेतु सक्षम अधिकारी का निर्धारण भी उक्त परिपत्र में किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट भाग–2 केपरिशिष्ट क्रमांक–125 में संलग्न है।

(30.9)वन भूमि का हस्तांतरण–

सामान्य सुविधाओं के विकास हेतु किये जाने वाले विभिन्न गैर वानिकी कार्यों हेतु आवश्यक वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा पृथक

अधिनियम बनाये गये हैं। इस प्रकार के गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि के हस्तांतरण हेतु वर्तमान में निम्नलिखित दो अधिनियम एवं उनके तहत बनाये गये नियम प्रभावशील हैं,

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं नियम 2003।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007।

30.9.1 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 :–

24.10.1980 को पारित वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत, वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी गैर वानिकी गतिविधि, बिना भारत सरकार की स्वीकृति के, किया जाना प्रतिबंधित किया गया है एवं उसके उल्लंघन पर संबंधित राज्य शासन के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

कालान्तर में विभिन्न विकास कार्यों हेतु छोटी छोटी वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकरण, भारत सरकार को भेजने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, भारत सरकार के द्वारा कुछ अत्यावश्यक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता एवं बुनियादी ढांचा के विकास कार्यों हेतु 1 हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु, पूर्व से ही सामान्य अनुमति राज्य सरकारों को प्रदान की गई। इस सामान्य अनुमति के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा ज्ञापन क्रमांक 2284 एफ 5–11/06/10–3, दिनांक 21 अक्तूबर, 2009 से निर्देश जारी कर प्रकरणवार उपरोक्त स्वीकृति जारी करने के अधिकार संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारी को प्रदान करते हुए, उसकी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया, एवं यह स्वीकृति 31.12.2013 तक के लिए जारी की गई थी।

उक्त निर्देशों के बाद भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 13.02.2014 से सामान्य स्वीकृति के अधिकार में 05 वर्ष की समय वृद्धि की जाने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–11/2006/10–3, दिनांक 31 मई, 2014 से संशोधित स्वीकृति 31.12.2018 तक के लिए जारी की गई। वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों में, वन मण्डल अधिकारी को 5 हे. तक

वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार दिये गये हैं, जिसके संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11–9/1998–एफसी (एल.डब्ल्यू.ई.), दिनांक 25.02.2018 से 31.12.2020 तक की समय वृद्धि प्रदान की गई है। 40 हे. तक के प्रकरणों की स्वीकृति के अधिकार राज्य स्तर पर गठित समिति को प्रदान किये गये हैं।

उक्त नवीन निर्देशों के तहत अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की परिधि से बाहर के क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर से कम एवं यथास्थिति 5 हे. तक की, वन भूमि के व्यपवर्तन के निम्नलिखित प्रकरणों की स्वीकृति के अधिकार क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं,

1. स्कूल
2. डिस्पेंसरी/अस्पताल
3. विद्युत एवं संचार लाईन
4. पेयजल परियोजनाएं
5. जल/वर्षा जल हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
6. लघु सिचाई नहरें
7. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
8. कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
9. विद्युत सब स्टेशन
10. संचार पोस्ट
11. सड़कों/सड़कों पर स्थित संस्थानों हेतु मार्ग, पहुंचमार्ग सहित, का निर्माण/ चौड़ीकरण
12. सीमा सड़क संगठन (Border Road Organization) द्वारा पूर्व निर्मित पुलों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण, एवं
13. गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/बार्डर आउट पोष्ट/वाच टावर इत्यादि।

उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृति, निम्नांकित शर्तों की प्रतिपूर्ति के अधीन जारी करने के निर्देश दिये गये हैं,

a. उपरोक्त वर्णित गतिविधियों हेतु प्रत्येक प्रकरण में वन भूमि का व्यपवर्तन 01 हेक्टेयर से कम होना चाहिए।

b. ऐसे विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति इसी शर्त पर दी जाएगी कि उन विकास कार्यों की आवश्यकता वहां पर हो।

c. भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात वह भूमि आरक्षित/संरक्षित/ ग्राम/अवर्गीकृत/अन्य श्रेणी के वनों/वन आदि की रहेगी।

d. उपयोगकर्ता अभिकरण, राज्य शासन/संघीय क्षेत्र शासन को, वन (संरक्षण) नियम 2003 में प्रावधानित नियम–6 के अनुसार प्रपत्र–ए में परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

e. परियोजना में 50 से अधिक वृक्ष प्रति हेक्टेयर नहीं कटने चाहिए। यदि व्यपवर्तित क्षेत्र 01 हेक्टेयर से कम हो तो कटने वाले वृक्षों की अधिकतम संख्या तदनुसार समानुपातिक रहेगी।

f. परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य प्राणी अभयारण्य अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर होना चाहिए।

g. संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डल के भारसाधक अधिकारी, वनभूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर, प्रमाणीकरण करने के उपरान्त ही, अनुमति देंगे। वन भूमि का व्यपवर्तन 01 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिये।

h. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी वन भूमि की व्यपवर्तन की अनुमति जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी से सहमति प्राप्त करेंगे।

i. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को प्रतिमाह 05 तारीख तक, ऐसी अनुमति के प्रकरणों के संबंध में मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, ऐसा ना करने पर केन्द्र शासन द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश की ऐसी अनुमति प्रदान करने की शक्तियाँ एक निश्चित अवधि तक अथवा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने तक निलंबित कर दी जायेंगी।

j. उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि पर काटे गए वृक्षों की संख्या के दुगने वृक्ष परियोजना व्यय लगाए जायेंगे, ताकि क्षेत्र हरा भरा रहे। वृक्षारोपण स्थल का चयन एवं चिन्हांकन, वन विभाग द्वारा किया जाएगा (प्राथमिकता परियोजना स्थल के आस–पास की हो)। इस पौधारोपण हेतु केवल स्थानीय मूल प्रजातियों का ही उपयोग किया जायेगा। वृक्ष, यदि व्यपवर्तित भूमि पर लगाये गए हों तो, राज्य वन विभाग की अनुमति के बिना उनका पातन नहीं किया जाएगा। जो वृक्ष वन क्षेत्र से अन्यत्र लगाए जाएगें, वे भी वन विभाग की सम्पत्ति रहेंगे।

k. उपयोगकर्ता अभिकरण, व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारो ओर क्षेत्र में स्थिति जीव–जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उसको संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।

l. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार व्यपवर्तित भूमि हेतु देय नेट प्रजेन्ट वैल्यू का भुगतान उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

m. सड़क के प्रकरणों में यह सामान्य अनुमति, सिर्फ उस स्थिति में प्रभावी होगी जबकि वन भूमि की आवश्यकता, सड़क या उसके भाग के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए एक

हेक्टेयर से अधिक न हो। मार्ग की लम्बाई बढ़ाने अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त वन भूमि का व्यपवर्तन आगामी 05 वर्षों तक प्रतिबंधित रहेगा।

n. राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किए जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी।

o. यह वन भूमि, प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन माना जायेगा। ऐसे प्रयोजन में बदलाव हेतु राज्य शासन के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

p. वन भूमि के हस्तांतरण के पूर्व, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

q. लम्बाई में चलने वाली परियोजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजनाओं हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

r. परियोजना क्षेत्र में बसे हुए आदिम जाति (Primitive Tribal Communities) एवं कृषि–पूर्व समुदाय के मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

s. वनों के संरक्षण, अनुरक्षण तथा संवर्द्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय

कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल, द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा।

t. उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचनपत्र लिया जाए कि वन संरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है, तो वह उन्हें मान्य होगी।

वन भूमि व्यपवर्तन के सभी प्रकरणों में वर्तमान में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाने हेतु प्रावधान किये गये हैं–

i. उपयोगकर्ता संस्था के द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन का आवेदन, निर्धारित वेब साइट पर पंजीयन करते हुए, ऑनलाइन करना होगा।

ii. ऑनलाइन आवेदन का परीक्षण वन मुख्यालय पर नियुक्त नोडल अधिकारी के द्वारा किया जाकर, संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जायेगा।

iii. संबंधित वन मण्डल अधिकारी, आवेदन का भाग–2 भरकर ऑनलाइन ही मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय को अग्रेषित करेंगे एवं उसकी हार्डकापी भी मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय को भेजेंगे।

iv. मुख्य वन संरक्षक के द्वारा परीक्षण उपरान्त प्रकरण ऑनलाइन वन मुख्यालय को अग्रेषित किया जायेगा एवं हार्डकापी भी वन मुख्यालय को भेजी जायेगी।

v. वन मण्डल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के 01 हे. से कम, या यथास्थिति 05 हे. तक, के क्षेत्र के प्रकरणों में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा परीक्षण

उपरान्त प्रकरण ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी में वन मण्डल अधिकारी को भेजा जायेगा, जिस पर वन मण्डल अधिकारी क्षेत्रीय के द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन का सैद्धान्तिक एवं औपचारिक आदेश नियमानुसार जारी किया जायेगा।

vi. सभी प्रकरणों में नियमानुसार एन. पी. वी. की राशि एवं वैकल्पिक रोपण हेतु भूमि तथा राशि ली जायेगी।

vii. रक्षा मंत्रालय के प्रकरण सुरक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन नहीं किये जायेंगे।

(30.10) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 :–

इस अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत प्रावधान किया गया है किवन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन का उपबन्ध करेगी, जिसके अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात् :–

(क) विद्यालय,

(ख) औषधालय या अस्पताल,

(ग) आगनबाड़ी,

(घ) उचित कीमत की दुकानें,

(ड.) विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें,

(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय,

(छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाईपलाईनें,

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं,

(झ) लघु सिचाई नहरें,

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत,

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र,

(ठ) सड़कें, और

(ड) सामुदायिक केन्द्र

परन्तु वन भूमि के ऐसे व्यपवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जायेगा, जब

1. इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किए जाने वाले वन भूमि ऐसे प्रत्येक मामले में 1 हेक्टेयर से कम है, और
2. ऐसे विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो।

उक्त प्रावधानों के तारतम्य में भारत शासन जनजातीय कार्य मन्त्रालय के ज्ञाप क्रमांक 23011/15/2008/एसजी–II, दिनांक 18.05.2009 के द्वारा निर्देश जारीकर उपरोक्त व्यपवर्तन के लिए कार्यविधि का विवरण जारी किया गया है। उपरोक्त कार्यविधि में राज्य स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध को नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है, जो कि कार्यविधि में चाहे अनुसार प्रतिवेदन भारत शासन जनजातीय कल्याण मंत्रालय एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त प्रावधानों के अनुरूप, उक्तानुसार उल्लेखित कार्यों के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति जारी करने हेतु क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं। जारी की गई कार्यविधि में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं,

1. उपरोक्त कार्यों हेतु वन भूमि का उपयोग चाहने वाली उपयोगकर्ता संस्था के द्वारा प्रपत्र 'क' में आवेदन तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष उसके संबंध में प्रस्ताव/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

2. वन भूमि व्यपवर्तन के उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु ग्राम सभा के न्यूनतम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त होने पर, उपयोगकर्ता संस्था के द्वारा ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव, संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा,
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुशंसा देने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया जायेगा,
5. वन परिक्षत्र अधिकारी क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अपने अभिमत के साथ, उपयोगकर्ता संस्था से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर, उक्त प्रस्ताव एवं अपनी अनुशंसा प्रपत्र 'ख' में संबंधित वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा,
6. वन मण्डल अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर, उक्त प्रस्ताव पर विचार करेगा एवं यदि वह सहमत होता है, तो वह अनुमति जारी करेगा एवं अपने निर्णय की सूचना संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी को देगा जिसकी प्रति जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को भेजेगा,
7. संबंधित वन मण्डल अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के बाद, वन परिक्षेत्र अधिकारी उक्त व्यपवर्तन की अनुमति प्राप्त वनक्षेत्र का मौके पर सीमांकन करेगा एवं ग्राम सभा के पर्यवेक्षण में संबंधित उपयोगकर्ता संस्था को सौंपेगा,
8. यदि वन मण्डल अधिकारी के द्वारा, परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से प्राप्त उपयोगकर्ता संस्था के प्रस्ताव, की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह अन्तिम निर्णय हेतु उक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति की ओर अग्रेषित करेगा,
9. जिला स्तरीय समिति, न्यूनतम एक तिहाई कोरम से बैठक करके अन्तिम निर्णय लेगी, और यदि प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो

उसके क्रियान्वयन एवं अभिलेख तथा नक्शों में संशोध करने हेतु निर्णय वन मण्डल अधिकारी को संसूचित करेगी,

10. वन मण्डल अधिकारी या जिला स्तरीय समिति, जैसी स्थिति हो, के द्वारा जारी वन भूमि व्यपर्तन की स्वीकृति, इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त भूमि का उपयोग व्यपवर्तन की अनुमति में दिये गये कार्य से भिन्न किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा एवं यदि उक्त गतिविधि वन भूमि हस्तांतरण के एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो वन मण्डल अधिकारी के द्वारा उक्त व्यपवर्तित वन भूमि वापस ले ली जायेगी।

11. संबंधित वन मण्डल अधिकारी, अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत जारी अनुमतियों का त्रैमासिक प्रतिवेदन राज्य के नोडल अधिकारी को भेजेगा, जो संकलित प्रतिवेदन आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव को भेजेंगे, जो संकलित प्रतिवेदन जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेजेंगे।

12. नोडल अधिकारी के द्वारा प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।

30.10.1 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006–

उक्त अधिनियम, वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है। इस अधिनियम को 31 दिसम्बर 2007 से लागू किया गया है। उक्त अधिनियम परिशिष्ट भाग–2 क`परिशिष्ट क्रमांक–126 पर संलग्न है।

30.10.2 वन अधिकार की मान्यता की शर्तें :–

इस अधिनियम में मुख्य हितग्राही वर्ग, ''वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी'' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है,

1. **वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति :–** अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति चारागाही समुदाय भी शमिल हैं।
2. **अन्य परम्परागत वन निवासी :–**ऐसा कोई सदस्य या समुदाय, जो 13 दिसम्बर, 2005 के पूर्व, कम से कम तीन पीढ़ियों, अर्थात् 75 वर्ष, तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है।

उक्त हितधारकों के वन अधिकारों की मान्यता के संबंध में निम्नानुसार सामान्यशर्तें अधिनियम में दी गई हैं,

1. प्रदत्त वन अधिकार वंशागत होगा, किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा, और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति–पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जायेगा।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई भी सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा, जब तक कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

3. वन अधिकार के अन्तर्गत प्रदत्त वन भूमि, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी व्यक्ति, कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक सीमित रहेगी और किसी भी दशा में 04 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी।

4. वन अधिकार, सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं, यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति, वन भूमि व्यपवर्तन के विरुद्ध शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूर्ति रोपण के लिए राशि के संदाय, से मुक्त रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान न किया गया हो।

5. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को विकास योजनाओं के लिए बेदखल करने के बाद 5 वर्ष तक उस योजना का कार्य न होने की स्थिति में, वन अधिकार पुनस्थापित माना जायेगा।

6. वन अधिकार धारक, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं, इस अधिनियम के तहत निम्नानुसार कार्य के लिए सशक्त हैं,

   (क) वन्य जीव, वन एवं जैव विविधता का संरक्षण करना।

   (ख) लगे हुए जलग्रहण क्षेत्र, जलस्रोत एवं अन्य पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र का पर्याप्त रूप से संरक्षण सुनिश्चित करना।

   (ग) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का रहवास, उनकी सांस्कृतिक एवं प्रकृतिक विरासत को प्रभावित करने वाले विनाशकारी व्यवहारों से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

   (घ) सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने एवं वन्य जीव, वन एवं जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव

डालने वाले क्रियाकलापों को रोकने के लिए, ग्राम सभा के द्वारा किये गये विनिश्चयों का पालन सुनिश्चित करना।

30.10.3 वन अधिकार के लिए पात्रता एवं योग्यताएं :–

इस अधिनियम के अन्तर्गत, विभिन्न प्रकार के परम्परागत वन अधिकारों के साथ साथ वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिये स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार, उनमें निहित किया गया है। इसके अन्तर्गत पात्रता के लिए निम्नानुसार प्रावधान रखे गये हैं,–

1. पैरा 17.10.1 में दिये अनुसार अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो या अन्य परम्परागत वन निवासी हो।
2. ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि अपने अधिभोग में ले ली थी।
3. ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहां उन्हें धारा 3 में उल्लेखित वन अधिकार की पात्रता हो, अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है।

30.10.4 वन अधिकारों का प्रकार :–

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक रूप से वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को सभी वन भूमियों पर व्यक्तिगत, सामुदायिक या दोनों प्रकार के वन अधिकार सुनिश्चित करने के प्रावधान दिये गये हैं। इन अधिकारों को अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जो निम्नानुसार हैं,

1. निवास या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए, व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार।
2. निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार।
3. गौण वन उत्पादों के स्वामित्व, संग्रहण करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग एवं व्ययन का अधिकार।
4. जलाशयों की मछली एवं अन्य उत्पाद का उपयोग एवं स्वामित्व, तथा घुमक्कड़ एवं चारागाही समुदाय का चराई एवं मौसमी संसाधनों तक पहुंच का सामुदायिक अधिकार।
5. आदिम जनजाति समूहों एवं कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह एवं निवास के सामुदायिक अधिकार।
6. किसी भी प्रकार की विवादग्रस्त भूमि में एवं उसपर अधिकार।
7. किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के द्वारा जारी पट्टों, धृतियों या अनुदानों को हक में परिवर्तित करने का अधिकार।
8. वनों के अन्दर सभी वनग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित एवं अन्य ग्रामों, चाहे वे लेखबद्ध, अधिसूचित हैं या नहीं, को राजस्व ग्राम के रूप में व्यवस्थापन एवं संपरिवर्तन के अधिकार।
9. सतत् उपयोग के लिए परम्परागत रूप से संरक्षित सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण, पुनरुद्धार एवं प्रबन्धन का अधिकार।
10. किसी भी राज्य में विधिमान्य, परम्परागत या रीति रिवाजों में जनजातियों के स्वीकृत अधिकार।
11. जैव विविधता तक पहुंच एवं जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा एवं पारम्परिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार।
12. रूढ़िगत रूप से उपभोग किये जा रहे अन्य पारम्परिक अधिकार, जो वन्य जीव के शिकार करने, उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का न हो।

13. 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनों से अवैधानिक रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है, तो उन्हें उसी स्थान परया यथास्थिति वैकल्पिक भूमि पुनर्वास का अधिकार।

30.10.5 वन अधिकार को मान्यता देने की प्रक्रिया :–

इस अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया एवं उसके लिये प्राधिकारी का प्रावधान धारा 6 में दिया गया है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने का प्राधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है,

1. ग्राम सभा के द्वारा दावे की प्रकृति एवं सीमा का अभिलेख तथा मानचित्र तैयार कर संकल्प पारित किया जायेगा एवं उसके पश्चात एक प्रति उपखण्ड स्तर की समिति को भेजी जायेगी।
2. ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे संकल्प पारित होने के 60 दिन के भीतर, उपखण्ड स्तर की समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकेगा एवं उपखण्ड स्तर की समिति, व्यथित व्यक्तियों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए, ऐसी याचिका पर विचार कर उसका निपटारा करेगी।
3. राज्य सरकार, ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प का परीक्षण करने एवं वन अधिकारों का अभिलेख तैयार कर उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को भेजने हेतु, एक उपखण्ड स्तर की समिति का गठन करेगी।
4. उपखण्ड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर, जिला स्तर की समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकेगा एवं जिला स्तर की समिति, व्यथित व्यक्तियों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देते हुए, ऐसी याचिका पर विचार कर उसका निपटारा करेगी। जिला स्तर पर कोई भी याचिका तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक

वह पहले उपखण्ड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो।

5. राज्य सरकार, उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने एवं उनका अन्तिम रूप से अनुमोदन करने के लिए, एक जिला स्तर की समिति का गठन करेगी।

6. वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अन्तिम एवं आबद्धकारी होगा।

7. राज्य सरकार, वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया के अनुश्रवण करने और आवश्यक विवरणियों एवं प्रतिवेदनों को नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति का गठन करेगी।

8. उपखण्ड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति एवं राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी एवं समुचित स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे, जिन्हें पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिनमें दो सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी।

9. उपखण्ड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति एवं राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाये।

उपरोक्त प्रावधानों से सफल क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2006 पारित किया गया है, जिसमें

विस्तार से प्रत्येक प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। ये नियम परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–127 पर दिया गया है।

30.10.6 वन अधिकार की भूमि की उत्पादकता वृद्धि के सुझाव :–

यह सर्वमान्य तथ्य है कि वनों के आसपास की कृषि भूमि में वनों से आने वाली जैविक खाद एवं ह्यूमस से इसकी उत्पादकता प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। अतः वन अधिकार की भूमि की उत्पादकता बनाये रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए, उसके आसपास सघन वनाच्छादन होना आवश्यक है। अतः इसके लिए निम्नानुसार उपाय किये जा सकते हैं,

1. वन अधिकार की भूमि का समतलीकरण एवं मेड़ बंधान करना, जिससे भूमि का पानी एवं उर्वरता वहीं बनी रहे।
2. भूमि पर उपलब्ध वृक्ष यथावत रखे जायें ताकि भूमि कटाव से बचा जा सके एवं उसकी पत्तियों से ह्यूमस बन कर मृदा गुणवत्ता में सुधार हो।
3. कुल भूमि के 40 प्रतिशत क्षेत्र में फलदार वृक्षों यथा आंवला, सीताफल, अनार, अमरूद, नीबू, मुनगा आदि के वृक्ष लगाये जायें ताकि उससे आवश्यक फल प्राप्त होने के साथ साथ क्षेत्र की उर्वरता भी बनी रहे।
4. भूमि के आसपास के क्षेत्र में वनाच्छादन बनाये रखा जाये, ताकि लघु वनोपज की प्राप्ति के साथ साथ वन अधिकार की भूमि की उर्वरता भी बनी रहे।
5. भू–क्षरण रोकने समस्त उपाय वन अधिकार की भूमि एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाये ताकि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के साथ साथ मृदा नमी में भी वृद्धि हो।

30.10.7 अन्य विभागों की योजनाओं का समन्वय :–

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार धारक अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को विकास की मुख्य धारा में

जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं का समन्वय करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आदिवासी विकास विभाग एवं कृषि विभाग के समन्वय से वन अधिकार धारकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें, ताकि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि हो, एवं परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के बाद भी वनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

(30.11)वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद–

वन एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के अद्यतन न होने एवं उनमें आपस में सामंजस्य न होने के कारण कई बार क्षेत्र में वन एवं राजस्व भूमि के विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इन विसंगतियों के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2004 में एक परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया कि एक समय सीमा में दोनों विभाग संयुक्त परीक्षण कर सभी विवादों का समाधान कर अभिलेखों में सुधार करें एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी संयुक्त हस्ताक्षर से जारी कर शासन को भेजें।

कार्य आयोजना पुनरीक्षण में प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन में लिये निर्णय बिन्दु क्रमांक–7 के अनुसार वनमंडल के अंतर्गत जहॉ वन एवं राजस्व सीमा विवाद की स्थिति है जिसके निराकरण हेतु राजस्व विभाग से मानचित्र प्राप्त कर वनखंड सीमा पर लाईन डालने की कार्यवाही की गई उक्त संबन्ध में वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भोपाल द्वारा कार्य के पत्र क्रमांक/ माचि/ 2962 दि.20/05/2021 द्वारा अवगत कराया गया कि वनमण्डल भोपाल के अंतर्गत कोई सीमा विवाद की स्थिति नहीं है।

(30.12)कार्य आयोजना पुस्तकों का वितरण–

स्वीकृत कार्य आयोजना की पुस्तकों (आलेख एवं परिशिष्ट) का वितरण भारत सरकार द्वारा कार्य आयोजना का अनुमोदन जारी करने के उपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख (कक्ष कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/का.आ./मा.चि./40/02/481 दिनांक 28/05/2019 द्वारा जारी निर्देशानुसार निम्नानुसार किया जावेगा,

तालिका क्र. 30.8

क्र.	विवरण	प्रतियों की संख्या
1	2	3
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, मध्य प्रदेश, भोपाल	1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना आंचलिक, भोपाल	1
3	मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	1
4	वन मंडल अधिकारी, भोपाल	1
5	समस्त उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडल भोपाल	2
6	समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी	3
7	वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल	1
	योग	**10**

(30.13) अनुसंधान–

वर्तमान परिदृश्य में कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए निम्नानुसार क्षेत्र में भी विस्तृत अनुसंधान किया जाना चाहिए,

1. सागौन का स्कंध एवं स्थूण विश्लेषण
2. वन अधिकार पत्र धारकों की गतिविधियों का वनों पर प्रभाव
3. विभिन्न घास प्रजातियों की वृद्धि एवं उपज
4. वृक्षारोपण की बेहतर तकनीक
5. महत्वपूर्ण प्रजातियों के जड़ भण्डार सुधार की तकनीक
6. औषधीय एवं सगंध पौधों के संरक्षण की तकनीक
7. महत्वपूर्ण अकाष्ठ वनोपजों का विनाशविहीन विदोहन तकनीक
8. जलवायु परिवर्तन का वनों की वृद्धि एवं सस्य संरचना पर प्रभाव

उक्त अनुसंधान के लिए आवश्यकतानुसार परिरक्षण खण्डक, न्यादर्श खण्डक, पुनरुत्पादन खण्डक, अकाष्ठीय वनोपज खण्डक एवं आवश्यकतानुसार अन्य अनुसंधान एवं प्रायोगिक खण्डक स्थापित किये जाकर उनसे आंकड़े एकत्र करते हुए आवश्यक विश्लेषण किया जाना चाहिए।

30.13.1 परिरक्षण खण्डक :–

पर्याप्त संख्या में परिरक्षण खण्डक बनाए जाने चाहिए। चयनित खण्डकों को समस्त प्रकार के व्यवधानों से सरंक्षित किया जाए, ताकि वे चरम अवस्था की ओर बढते़ रहें एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ सस्य परिवर्तन आव्यूहों (Change Matrix) का अध्ययन एवं सहसंबंध का अध्ययन किया जा सके।

30.13.2 न्यादर्श खण्डक :–

वृद्धि के अध्ययन के लिए विभिन्न वन प्रकारों, समस्त आयुवर्गों, विभिन्न स्थल गुण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श खण्डकों की स्थापना, पूर्व के न्यादर्श खण्डकों के पुनरुद्धार के साथ किया जाना चाहिए। अकाष्ठ वनोपज के लिए पृथक न्यादर्श खण्डकों के एक समूह की योजना दी जाना चाहिए। साथ ही आँकड़ों के संग्रहण के लिए समयबद्ध योजना दी जाना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर वनों का सवंहनीय प्रबधंन प्रस्तावित किया जा सके।

30.13.3 पुनरुत्पादन खण्डक :–

पुनरुत्पादन की स्थिति के अध्ययन के लिए पुनरुत्पादन खण्डकों की स्थापना की जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुनरुत्पादन जैसे बीजांकुर, बाल वृक्ष, वृक्षक आदि की संख्या के आँकड़ों का संकलन किया जाना चाहिए। प्रजातियों के बहेतर पुनरुत्पादन की परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। अनुश्रवण के समय क्षति के कारक, छत्र अंतराल का प्रभाव, वृद्धि के कारक, माइकोराईजा (Mycorrhizae) एवं लिटर (Litter) प्रबंधन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

30.13.4 अकाष्ठीय वनोपज खण्डक :–

विदोहन की इष्टतम (Optimum) सीमा के मानकीकरण हेतु अकाष्ठीय वनोपज के स्थायी खण्डक बनाए जाने चाहिए। सरुक्षित विदोहन सीमा के निर्धारण हेतु निम्नांकित विदोहन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है,

1. 100 % विपणन योग्य भागों का विदोहन (कुल सख्ंया को हटाने से)
2. 75 % विपणन योग्य भागों का विदोहन (कुल संख्या का 25 % छोड़ने से)
3. 50 % विपणन योग्य भागों का विदोहन (कुल सख्ंया का 50 % छोडऩे से)
4. 25% विपणन योग्य भागों का विदोहन (कुल संख्या का 75 % छोड़ने से)

प्रत्येक उपचार के खण्डक न्यूनतम तीन की संख्या (Replicates) में स्थापित किये जाने चाहिए। उपचारित खण्डकों में निश्चित अतंराल पर प्रति वर्ष प्रेक्षण किया जाए, जिससे नई पौध की संख्या की गणना की जा सके, एवं मानक गणितीय सूत्रों की मदद से इष्टतम मात्रा की गणना की जा सके।

(30.14)वनों के बाहर वृक्ष (Tree Outside Forests)

कार्य आयोजना संहिता में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन) द्वारा प्रत्येक शहरी क्षेत्रों हेतु बनाये गये शहरी फ्रेम प्राप्त कर उनका उपयोग वृक्षों के आंकलन हेतु सैम्पल का आकार तय करने में किया जा सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा उक्त सर्वेक्षण हेतु विभिन्न स्तरों हेतु सैम्पल का आकार निम्नानुसार तय किया गया है।

30.14.1 बिखरा हुआ (Scattered) :–

वनों के बाहर बिखरे हुये वृक्षों के आंकलन हेतु एक जिले में 3 हेक्टेयर के 50 सेम्पल प्लाट (कुल 150 हेक्टेयर) डालने के नॉर्म्स निर्धारित किये गये हैं। यदि जिले में एक से अधिक वनमण्डल हैं, तो जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के समानुपातिक वनमण्डल के क्षेत्रफल के अनुसार सेम्पल का आकार निर्धारित किया जा सकता है।

30.14.2 खण्ड (Block):–

खण्डों में पाए जाने वाले वनों के बाहर के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा एक जिले मे 0.1 हे. के 35 सेम्पल प्लाट डालना निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जिले के क्षेत्रफल के अनपुात में वनमण्डल के क्षेत्रफल के आधार पर प्लाट की संख्या तय की जायेगी। इसके लिये सर्वप्रथम वन मण्डल के उपग्रह छायाचित्र से वन क्षेत्र के बाहर स्थित वृक्ष खण्डों का क्रमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् रेण्डम नम्बर टेबिल के उपयोग से वांछित संख्या में सेम्पल खण्डों का चयन किया जायेगा। चयनित सेम्पल खण्डों के भौगोलिक कन्द्रे को प्लॉट का कन्द्रे बिन्दु मानते हुए सेम्पल प्लॉट डाला जायेगा।

30.14.3 पंक्तिबद्ध खण्डों का स्तर (Linear Stratum):–

इस हेतु हर जिले मे 10 मी X 125 मी के आकार के 50 प्लॉट भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा तय किये गये हैं, जिनकी संख्या क्षेत्रफल के अनपुात में वनमण्डल हेतु निर्धारित की जा सकती है।

पंक्तिबद्ध स्तर हेतु सर्वप्रथम वन मण्डल के भौगोलिक क्षेत्र के उपग्रह छायाचित्र से वन क्षेत्र के बाहर के पंक्तिबद्ध वृक्षारोपणों का क्रमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रत्येक वृक्षारोपण पंक्ति को 125 मीटर लम्बाई के खण्डों में विभाजित करते हुए प्रत्येक खण्ड का पुनः क्रमांकन किया जायेगा। 125 मीटर से छोटे बचे आखिरी खण्ड को छोड़ दिया जायेगा। इन खण्डों का क्रमांक एक ही श्रृंखला में किया जायेगा। अर्थात् यदि प्रथम पंक्ति मे 6 खण्ड हैं तो द्वितीय पंक्ति के खण्डों का क्रमांकन 7 से प्रारम्भ होगा। तत्पश्चात रेण्डम नम्बर टेबिल से निर्धारित संख्या में खण्डों का चयन किया जायेगा तथा इन्हीं चयनित खण्डों में 10 मीटर चौड़ाई के रेखीय सेम्पल प्लॉट डाले जायेंगे। पहले प्लॉट का कन्द्रे (अक्षांश / देशांतर) निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित कन्द्रे बिन्दु पर पहुंचने के उपरांत कन्द्रे बिन्दु से दोनों दिशाओं में 62.5 मीटर की दूरी तक प्लॉट की अंतिम सीमा तय की जायेगी। अंतिम सीमा से 5–5 मी. की लम्बवत् (Perpendicular) दिशा में प्लॉट के चारों कोने निर्धारित किये जायेंगे।

यदि उपरोक्त दर्शाये तीन स्तरों में से किसी स्तर में निर्धारित संख्या में प्लॉट डाला जाना सभंव नही है तो संख्या की कमी की पूर्ति अन्य स्तर में अतिरिक्त प्लॉट डालकर की जायेगी।

30.14.4 आंकड़ों का संकलन :–

0.1 हे. एवं 3 हे. के वर्गाकार प्लॉट्स एवं 125 मी X 10 मी आकार के आयताकार प्लाट्स में 10 सेमी से अधिक वक्षोच्च गोलाई के सभी वृक्षों की छाती गोलाई को रिकार्ड किया जाएगा। इस हेतु वृक्षों की गणना उत्तर–पश्चिम दिशा से शुरू कर घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के अनुरूप की जाएगी। आंकड़ों के संकलन हेतु वन ससांधन सर्वेक्षण में उपयोग किये गये प्लॉट पहुँच प्रपत्र एवं वृक्ष गणना पत्रक प्रपत्र का उपयोग किया जायेगा। बांस की गणना हेतु, वन संसाधन सर्वेक्षण में उपयोग किये गये बाँस गणना पत्रक, प्रपत्र परिशिष्ट 7.6 (मध्य प्रदेश कार्य आयोजना निर्देशिका 2015) का उपयोग किया जायेगा।

उपरोक्त विधि से वनों के बाहर वृक्षों के सर्वेक्षण संबंधी कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा किया जाता है। प्रथम प्रांरभिक प्रतिवेदन की बैठक में लिये निर्णय अनुसार वन क्षेत्र के बाहर के वृक्षों के आंकड़े भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्राप्त किये गये जो निम्नानुसार हैं:–

तालिका क्रमांक –30.9

(ESTIMATED STEMS BY SPECIES AND CLASS WISE IN TREES OUTSIDE FORESTS)

State	Madhya pradesh
District	Bhopal
Stratum	Rural

Estimated No. of Treesaccording to Species and Diameter Class-Wise

SI.NO.	***Botanical Name***	**Dimeter Class**			**Total**
		10 &30	**30 &50**	**50+**	
1	*Acacia arabica*	148064	49662	5629	203355
2	*Acacia lenticularis*	41248	5840	0	47088
3	*Azadirachta indica*	22958	14047	2857	39862
4	*Butea Monosperma*	137318	28577	245	166140
5	*Eucalyptus hybrid*	23142	1672	1446	26260
6	*Mangifera indica*	76209	55904	20080	152193
7	*Phoenix sylvestris*	33440	13945	0	47385
8	*pongamia pinnata*	19195	3905	0	23100
9	*Syzygium cumini*	15492	2874	1446	19812
10	*Zizyphus auritiana*	30019	3321	0	33340
11	*Rest Of Species*	198541	33821	10100	242462
	Total	**745626**	**213568**	**41803**	**1000997**

Note-* The estimated results are based on the basis of Survey conducted durring 2008-09

तालिका क्रमांक –30.10

ESTIMATED VOLUME (in cum.) BY SPECIES AND DIA CLASS WISE IN TREES OUTSIDE FORESTS

State Madhya pradesh

District Bhopal

Stratum Rural

Estimated Volume (cum) according to Species and Diameter Class-Wise

SI.NO.	Botanical Name	Dimeter Class			Total
		10 &30	30 &50	50+	
1	*Acacia arabica*	20739	27297	7865	55901
2	*Acacia lenticularis*	6831	5206	0	12037
3	*Azadirachta indica*	5783	14325	14392	34500
4	*Butea Monosperma*	28461	25889	482	54832
5	*Eucalyptus hybrid*	3382	1161	3384	7927
6	*Mengifera indica*	5261	30474	42689	78424
7	*Phoenix sylvestris*	8221	5901	0	14122
8	*pongamia pinnata*	1829	2580	0	4409
9	*Syzygium cumini*	2119	2734	3009	7862
10	*Zizyphus mauritiana*	4840	1784	0	6624
11	*Rest Of Species*	25138	28273	34214	87625
	Total	112604	145624	106035	364263
Note-* The estimated results are based on the basis of Survey conducted durring 2008-09					

नोट: भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा भोपाल जिले के केवल ग्रामीण क्षेत्र के वन क्षेत्र से बाहर आच्छादित वृक्षों के आंकड़े प्रदाय किये गये हैं। शहरी क्षेत्र के वन क्षेत्र से बाहर आच्छादित वृक्षों के आंकड़े हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

निष्कर्ष: भोपाल के भौगोलिक क्षेत्रफल 277240 हेक्टेयर है, में से 240276 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, एवं शहरी क्षेत्रफल 36964 हेक्टेयर है, ग्रामीण क्षेत्र में से कार्य आयोजना क्षेत्र 45245.137हेक्टेयर विलोपित करने पर शेष ग्रामीण क्षेत्र 195031 हेक्टेयर है।

कार्यरत क्षेत्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या प्रति हे.	वृक्षोंका आयतन (घमी)	वृक्षोंका आयतन प्रति हे. (घमी)	जनसंख्या ग्रामीण घटक (वर्ष 2011)	प्रतिव्यक्ति वृक्ष संख्या	प्रतिव्यक्ति आयतन (घमी)
कार्य आयोजना क्षेत्र	45245.137	15926288	352	619858	13.700	454010	35.079	1.365
ग्रामीण क्षेत्र	195031.000	1000997	5	364263	1.868		2.205	0.802

अत: स्पष्ट है कि कार्य आयोजना क्षेत्र से भिन्न ग्रामीण क्षेत्र में आच्छादित वृक्ष संख्या प्रति व्यक्ति 2 वृक्ष है। जिनका प्रति व्यक्ति आयतन 0.802 घनमीटर है, जो कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार की निस्तार आपूर्ति के लिये पर्याप्त है। कार्य आयोजना अवधि में वन क्षेत्र के बाहर आच्छादित वृक्ष होने के कारण वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम हुई है।

अन्य रिक्त स्थानों जैसे पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर, विद्यालयों में एवं अन्य जगहों पर वृक्षारोपण का सर्वेक्षण विभिन्न संस्थाओं की मदद से कराया जाना उचित होगा।

(30.15)लोक वानिकी :–

लोक वानिकी कार्यक्रम वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोकहित में निजी एवं राजस्व वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रारम्भ किया गया कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत कृषकों के पास उनकी निजी भूमि, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्षेत्र में उपलब्ध राजस्व भूमि का वन के रूप में प्रबंधन एक सुनिश्चित कार्य आयोजना के अन्तर्गत किया जाकर भूमि स्वामी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को आर्थिक लाभ प्राप्त कराया जा सकेगा। एक तरफ जहॉ इस कार्यक्रम से कृषक, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा आत्मनिर्भर होंगे और उनकी आर्थिक आमदनी का मार्ग सुलभ होगा वहीं दूसरी तरफ इमारती, जलाऊ तथा विभिन्न बहुउपयोगी कार्यों के लिए काष्ठ की उपलब्धता आसान होगी तथा इसके साथ ही वनों पर बढ़ने वाले जैविक दबाव को कम किया जा सकेगा।

वनमण्डल के जाहिद गंज में एक 1.672 हेक्टेयर क्षेत्र में लोक वानिकी का प्रकरण स्वीकृत किया जा चुका है। स्वीकृत प्रबंध योजना की प्रगति से स्पष्ट है कि लोकवानिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में विभाग को अग्रणी भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना आवश्यक होगा,

1. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अधिकांश व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। अतः वे बार–बार न तो वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं न चार्टर फारेस्टर से, क्योंकि आने जाने में ही काफी समय एवं राशि व्यय

होती है। अतः कर्मचारियों को ही आगे बढ़कर, संपर्क कर आवश्यक सुविधाएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी।

2. वनमण्डल में चार्टड फारेस्टर का पंजीयन कराया जाना चाहिये। उपयुक्त आवश्यक योग्यताओं की कमी से चार्टड फारेस्टर की कमी हमेशा बनी रहेगी। अतः प्रबंध योजना बनाने में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को पहल करने की आवश्यकता होगी।

3. प्रारंभिक व्यय विभाग द्वारा या वन समिति के पास उपलब्ध राशि से वहन किया जाये और बाद में भुगतान की गई राशि में समायोजित की जावे इस दिशा में विचार करना होगा।

4. सीमांकन एवं विवादित नामातंरण की कार्यवाही में काफी समय लग जाता है इससे भी काफी विलंब हो रहा है। इस हेतु वनमंडल अधिकारी एवं उपवनमंडल अधिकारी को जिलाध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में समन्वय स्थापित कर इन समस्याओं का निराकरण कराना चाहिए।

5. विभिन्न स्तरों पर लगने वाले समय की समय सीमा तय होना चाहिये जिससे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा।

6. मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा भी प्रत्येक तीन माह में लोकवानिकी के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण एवं उनके निराकरण की समीक्षा की जानी चाहिए।

7. परिक्षेत्र स्तर पर लोकवानिकी नियमान्तर्गत मानीटरिंग कमेटी बनाई गई है। मॉनीटिरिंग का कार्य नियमित रूप से किया जावे।

8. वनमण्डल स्तर पर एक लोकवानिकी सेल का गठन किया जाना चाहिए। जिसकी समीक्षा प्रतिमाह वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

9. स्वीकृत प्रबंधन योजना की एक प्रति कृषकों को दी जानी चाहिए।

10. प्रबंधन योजना में काष्ठीय प्रजातियों के रोपणों के साथ–साथ चारागाह विकास एवं अकाष्ठीय वनोपज के विकास को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

11. परिक्षेत्र स्तर पर विभागीय या विकेन्द्रीकृत रोपणी भी स्थापित की जाना चाहिए एवं प्रबंध योजना में प्रस्तावित पौधे रोपणी में तैयार किए जाने चाहिए।

12. स्वीकृत प्रकरणों की वनमंडल स्तर पर वार्षिक समीक्षा होनी चाहिए जिसमें उन कृषकों को भी बुलाया जाना चाहिए जिससे कृषकों को आ रही कठिनाईयों का निराकरण तथा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हो सके।

13. यदि कोई कृषक या पंचायत सीधे स्वतः प्रबंध योजना बना कर लावे तो परिक्षेत्र स्तर पर उसे वापिस न किया जावे बल्कि ऐसे प्रकरणों का परीक्षण किया जाकर उस पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।

14. भू–राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 की अर्न्तनिहित मंशा को ध्यान में रखा जावे एवं लोकवानिकी योजना में व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दिया जावे अनावश्यक विलंब एवं अड़चनों की स्थिति में योजना का क्रियान्वयन सफलताापूर्वक नहीं हो पायेगा

(30.16)चराई नियंत्रणः–

- **वर्तमान चराई नियम :–**

भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत् म.प्र. शासन द्वारा शासकीय वनों में चराई नियमन के लिये म.प्र. चराई नियम 1986 बनाया गया है जो परिशिष्ट क्र0–58 में दिया गया है। वनमंडल के वनक्षेत्रों में चराई हेतु नियमन उपरोक्त चराई नियम एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुरूप किया जावेगा।

30.16.1चराई की वर्तमान स्थिति व वनों की धारण क्षमता :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में चराई भार अत्यधिक है। वर्षाकाल में समीपवर्ती क्षेत्रों के मवेशी वन में चराई हेतु आते हैं, हालांकि वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के गठन के उपरांत स्थिति में कुछ सुधार दिखाई देता है।

वनों पर चराई भार का आकलन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ किया गया है। कार्य आयोजना क्षेत्र में चराई अनियमित एवं अनियंत्रित है तथा चराई भार वनों की धारण क्षमता से अधिक है। अत्यधिक चराई के कारण वनों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अत्यधिक चराई के कारण वनक्षेत्र में चराई योग्य घास समाप्त प्राय है। उसका स्थान लेंटाना, चिरोटा एवं वन तुलसी जैसे खरपतवार ने ले लिया है। वर्षाकाल में उगने वाले अधिकांश नवीन पौधे चराई से नष्ट हो जाते हैं। शुष्क काल में चरवाहे खैर व करधई वृक्षों की छटाई कर चराई कराते हैं एवं बहुधा वृक्ष काट भी दिये जाते हैं। चराई के फलस्वरूप ऊपरी तल पर मृदा भी कड़ी हो जाती है एवं जलधारण क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

30.16.2चराई का वनों पर प्रभाव :–

अनियमित एवं अनियंत्रित चराई के कारण, अत्यधिक विपरीत प्रभाव पुनरुत्पादन पर पड़ता है। वनों की धारण क्षमता से अत्यधिक चराई होने के कारण वनों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव निम्नानुसार हैं :–

1. नवपादप पौधों एवं पुनरुत्पादन की अत्यधिक हानि होती है साथ ही घास को भी नुकसान पहुँचता है।
2. एक ही क्षेत्र में लगातार चराई के कारण पौष्टिक घास प्रजातियों की कमी हो जाती है और अरूचिकर घासें जैसे भुरभुसी और लपूसरी उनका स्थान ले लेती हैं। इसकी वजह से वनों की चराई क्षमता कम हो जाती है।
3. भेड़ एवं बकरी अधिकांश नये पौधों को खा जातीं हैं, जिससे पुनरुत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

4. पशुओं की एक ही क्षेत्र में बार–बार चराई से मिट्टी में कड़ापन आ जाता है। जिसकी वजह से पानी का भूमि के अंदर रिसाव कम हो जाता है एवं अधिकांश पानी सतह से बहकर बाढ़ एवं भू–क्षरण की स्थिति उत्पन्न करता है। मिट्टी के कड़ा हो जाने से बीजों का अंकुरण भी नहीं हो पाता है।
5. अत्यधिक चराई वनों की गुणवत्ता में गिरावट लाती है और इससे मरूद्भेदी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।
6. ऊँट बड़े वृक्षों की नवीन शाखाओं को चरकर उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जिसका असर पौधों की वृद्धि पर पड़ता है।
7. पशुओं की चराई के लिये झाड़ियों एवं वृक्षों की शाखाओं को काटकर चरवाहे भी वनों का नुकसान करते हैं।
8. अत्यधिक चराई के कारण बहुत सी वनस्पति प्रजातियाँ उस क्षेत्र से विलुप्त हो जाती हैं जिसका स्पष्ट प्रभाव उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं वन्य प्राणियों पर पड़ता है।

30.16.3 प्रस्तावित चराई प्रबंधन :–

वनमंडल में वनों पर चराई भार उनकी धारण क्षमता से काफी अधिक है। अतः वनक्षेत्रों में धारण क्षमता के अनुरूप चराई नियंत्रित करना वनों के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अत्यंत आवश्यक है। वनक्षेत्रों में नियंत्रित चराई हेतु यथा संभव जन सहयोग लिया जाए। विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यथा आवश्यक संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के सदस्यों के सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी से समितियों को आवंटित वनक्षेत्रों में भी आवर्ती चराई हेतु वनमंडल अधिकारी योजना तैयार करेंगे एवं इस योजना का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि वनक्षेत्रों में चराई का दबाव कम हो सके।

विभागीय प्रयासों के साथ–साथ वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समिति के सदस्यों के सहयोग से वृक्षारोपण क्षेत्रों एवं कार्योपरान्त कूपों में निर्धारित अवधि तक चराई प्रतिबंध हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये, साथ ही बाहरी

मवेशियों के पशु शिविर वनक्षेत्रों में न हों, ऐसा सुरक्षा समितियों के सदस्यों के सहयोग से सुनिश्चित किया जाना चाहिये। घास बीड़ों में चराई प्रतिबंधित रहेगी। ग्राम पंचायत का सहयोग लेते हुए चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची वनमण्डल अधिकारी द्वारा अग्रिम में अधिसूचित कराई जावेगी। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत को भी दी जावेगी। पूर्व में चराई हेतु पास जारी किये जाते थे जिसमें किन क्षेत्रों में चराई की जावेगी का उल्लेख रहता था, इस व्यवस्था को पुनर्जीवित कर नये चराई नियमों के अंतर्गत चराई पास जारी किये जाने चाहिए। चराई नियंत्रित वनक्षेत्रों से वन कर्मचारियों एवं सुरक्षा समिति की देख रेख में ग्रामीणों को निःशुल्क घास काटकर ले जाने की सुविधा दी जानी चाहिये। अनियमित चराई से वन क्षेत्रों में होने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में जागृति पैदा कर इस हेतु जन सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।

(30.17)रोपणी –

कार्य आयोजना में निर्धारित सभी प्रबंधन वृत्तों में रोपण योग्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित हैं जिनमें स्थानीय प्रजातियों का रोपण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इन प्रबंधन वृत्तों में रोपण कार्य हेतु उपयुक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु सुदृढ़ रोपणी व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है जिसकी पूर्ति वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र भोपाल द्वारा विदिशा वनमण्डल में संचालित विभिन्न रोपणियों के माध्यम से की जाएगी। पौधों की मांग बढ़ने के साथ–साथ भविष्य में अन्य रोपणियों की भी आवश्यकता होगी। रोपणी की स्थापना करने में निम्नानुसार बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए –

30.17.1 रोपणी स्थल–

रोपणी की स्थापना वर्ष भर पहुँच योग्य स्थानों पर की जानी चाहिए जहाँ से वनमण्डल के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पौधों की आसानी से आपूर्ति की जा सके। रोपणी स्थल पर स्थाई जलस्त्रोत नितान्त आवश्यक है क्योंकि रोपणी की सभी गतिविधियाँ जल उपलब्धता पर आधारित रहतीं हैं। रोपणी का क्षेत्रफल सामान्यतः आवश्यक पौध क्यारियों के कुल क्षेत्रफल का दो गुना रखा जावेगा।

स्थाई रोपणी में जल निकास मार्ग, निरीक्षण पथ, पम्पशेड, स्टोर शेड, बीज भंडार गृह, रोपणी रक्षक का आवास गृह, श्रमिक कुटीर, पौधों हेतु वर्ष भर पर्याप्त जल आदि की समुचित व्यवस्था की जावेगी। रोपणी का स्थल यथा संभव समतल एवं मृदा गहरी दोमट या कछारी होनी चाहिये। पौध क्यारियां 10 ग 1.25 मीटर माप की कन्टूर के समानान्तर बनाई जावेंगीं जिनका एक सिरा निरीक्षण पथ के मुख्य मार्ग पर होना चाहिए। क्यारियों की खुदाई, 60 से.मी. गहराई तक की जाकर प्राप्त मृदा को बाहर निकालकर एक से डेढ़ माह तक ऋतुक्षरण (weathering) के लिये रखा जावेगा। क्यारियों को मृदा से पुनः भरते समय मृदा से कंकड़ पत्थर अलग कर उसमें एक चौथाई गोबर की खाद उचित मात्रा में मिलाकर गहरी क्यारियों (Sunken Beds) के लिये भूमि सतह से 15 से. मी. नीचे तक तथा उठी क्यारियों (Raised Beds) के लिए 15 से.मी. ऊँचाई तक भरा जावेगा। यदि मृदा भारी हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में बालू मिलाई जावेगी।

30.17.2 रोपणीतकनीक –

स्वस्थ पौधों की तैयारी रोपणी में अपनाई गयी समुचित तकनीक पर निर्भर रहती है । चयनित वृक्षों से समयावधि में बीज संग्रहण एवं बीज उपचारण जहाँ एक ओर रोपणी का एक मुख्य कार्य है, वहीं दूसरी ओर रोपणी में अपनाई जाने वाली तकनीक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। रोपणी में बीज बुवाई, पौधों का स्थानान्तरण इत्यादि से लेकर पौध रोपण हेतु उपयुक्त होने तक की गतिविधियाँ रोपणी में अपनाई गई तकनीकों पर निर्भर रहती हैं। बीज बुवाई के पूर्व बीज की ग्रेडिंग, उपचारण एवं उपयुक्त मिट्टी का मिश्रण, समयावधि में खाद, पानी इत्यादि का नियन्त्रण रोपणी में अत्यन्त आवश्यक होता है। इसके साथ–साथ बीजों के अंकुरण प्रतिशत की जांच भी अलग से थोड़ी मात्रा में बीज बोकर कर लेनी चाहिए।

बीज, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन क्षेत्रों से या मान्यता प्राप्त एजेंसियों, जैसे म.प्र. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर तथा मध्यप्रदेश के विभिन्न वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों से प्राप्त कर बुआई करना चाहिये, जिससे अंकुरण

प्रतिशत में वृद्धि के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता के स्वस्थ पौधे प्राप्त हो सकेंगे। रोपणियों में पौधे तैयारी हेतु पारंपरिक तौर पर उपयोग किये जा रहे पॉलीथीन बैग्स के स्थान पर उपयुक्त प्रजातियों हेतु रूट–ट्रेनर उपयोग किये जाने चाहिये।

30.17.3 रोपणी प्रबन्ध –

वृक्षारोपणों की सफलता पौधों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। पौधों की गुणवत्ता बीज की गुणवत्ता तथा नर्सरी विधि तथा प्रबन्ध पर निर्भर होती है। रोपणी प्रबन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये–

1. छोटी–छोटी अनेक रोपणियों का प्रबंध कठिन होता है, अतः वनमण्डल में एक केन्द्रीय रोपणी बनाई जाये, जिसका प्रभारी उपवनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी से कम न हो। रोपणी में पदस्थ कर्मचारियों को रोपणी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाकर रोपणी तकनीकों से पारंगत बनाया जाना चाहिए। रोपणी प्रबन्धन में दक्ष एवं समर्पित कर्मचारियों को ही रखा जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रोपणी प्रभारी रोपणी क्षेत्र में ही निवास करे।
2. रोपणी में पदस्थ अमले को रोपणी के संबंध में समस्त जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराई जायेगी। पोलीपॉट में मिट्टी, खाद, रेत का अनुपात, बीजों की बुवाई, पौधों का प्रतिरोपण, सिंचाई इत्यादि की आधुनिक जानकारी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिये, ताकि रोपणी में अच्छे पौधे तैयार हों जिनकी जड़ तथा तना दोनों का विकास समन्वित रूप से हुआ हो।
3. परम्परागत पद्धति में पोलीपॉट द्वारा तैयार किए गए पौधों की अपेक्षा रूट ट्रेनर में उत्पन्न किये पौधे श्रेष्ठ सिद्ध हो रहे हैं, तथा इनका परिवहन भी आसान रहता है। अतः वनमण्डल द्वारा शनैः

शनैः पोलीपॉट के स्थान पर रूट ट्रेनर में पौधे उत्पन्न करने की पद्धति अपनायी जानी चाहिए।

4. रोपणी मेन्युअल एवं वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार विभिन्न रोपणी कार्य हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर दृढ़ता से पालन किया जायेगा।

5. रोपणी जर्नल अनिवार्यतः बनाया जायेगा। रोपणी में किये गये समस्त कार्यों की प्रविष्टि रोपणी जर्नल में अवश्य की जाना चाहिये एवं अधिकारियों द्वारा समय–समय पर रोपणियों के निरीक्षण के दौरान जर्नल में निरीक्षण टीप भी अंकित की जाना आवश्यक है।

6. रोपणी में पदस्थ कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये रोपणी प्रबंधन पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये जिसमें उन्हें आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने के साथ–साथ अच्छी रोपणियों का भ्रमण भी करना चाहिए।

7. रोपणी में स्वस्थ एवं अच्छी साइज के पौधे प्राप्त करने के लिये माइकोराइजा (Mycorrija), वेम फन्जाई (Vem fungi), बायो फर्टिलाईजर (Biofertilizer) एवं वर्मी कम्पोस्ट (Vermi compost) जैसी तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिये।

8. रोपणी में क्लोनल एवं टिशू कल्चर पौधे तैयार कर प्रायोगिक रोपण करना चाहिये। क्लोनल प्रोपेगेशन की सुविधा वन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र ग्वालियर की रोपणी में विकसित की गई है जिसमें यूकेलिप्टस के अच्छे क्लोन के कायिक जनन (Vegetative propagation) के माध्यम से क्लोनल पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सलई, पॉपलर, गुग्गल आदि जिन प्रजातियों के पौधे कलम द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, उनके पौधे तैयार करने हेतु इस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।

30.17.4 पौधे उगाने के विभिन्न तरीके–

सामान्यतः पौधे उगाने के लिये चार तरह के तरीकों को काम में लिया जाता हैः–

1. **क्यारी में बीज से पौधे उगाकर पॉलीथिन की थैली में पौधों का स्थानांतरण** –इस विधि में फरवरी से जून के मध्य बीज तैयार होने वाली प्रजातियों के बीज को मई–जून माह में क्यारियों में बुआई कर देते हैं। तत्पश्चात् पौधों को सितम्बर में पॉलीथिन की थैली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बांस के पौधों को फरवरी में पॉलीथीन की थैली में स्थानांतरण करते हैं। केज्यूरीना एवं नीलगिरि के बीजों को अक्टूबर माह में बुआई करके फरवरी माह में थैली में स्थानांतरित किया जाता है।

   अमरूद, अमलतास, गुलमोहर, बकेन के बीज को नवम्बर माह में क्यारियों में बुआई कर फरवरी में थैली में लगा दिया जाता है एवं जामुन के बीज को मई/जून में बुआई करके अक्टूबर में थैली में स्थानांतरित किया जाता है। सामान्यतः 12.5 x 20 या 15 x 25 सें.मी. की पॉलीथीन थैली को उपयोग में लाया जाता है।

2. **बीज को सीधे पॉलीथीन की थैली में बुआई करके पौधे तैयार करना**–इस विधि में पॉलीथीन की थैली में उपचारित बीजों की सीधे बुआई कर पौधे तैयार किए जाते हैं।शरीफा के बीज को नवम्बर में थैली में बोया जाता है। आँवला, बबूल, खैर, इमली, बेर, सहजन एवं सुबबूल के बीजों को फरवरी माह में थैली में बोया जाता है। दो वर्ष पुराने बांस के राइजोम को फरवरी माह में सीधे ही पॉलीथिन थैली में लगा दिया जाता है, ये राइजोम जून माह में रोपण योग्य हो जाते हैं।

3. **रूट ट्रेनर में पौधे तैयार करना** –विगत कुछ वर्षो से वन विभाग द्वारा स्थापित अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों में रूट ट्रेनर (Root Trainer) की सहायता से बीज से पौधे तैयार किये जा रहे हैं। रूट ट्रेनर के उपयोग से कम जगह एवं कम गोबर, मिट्टी एवं पानी से अधिक पौधे तैयार किये जा सकते हैं। रूट ट्रेनर द्वारा जो पौधे तैयार किये जाते हैं, उनकी जड़ें गुच्छे के रूप में न होकर सीधी भू–तल की ओर जाती हैं तथा जड़ों का अच्छा विकास होने से उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है जो उनके द्वारा जल एवं खनिज तत्व को भूमि से ग्रहण करने में सहायक होता है जिससे पौधा, रोपण के उपरांत जमीन में जल्दी स्थापित हो जाता है। इस प्रकार तैयार किये गये पौधों को वृक्षारोपण केन्द्रों तक परिवहन करने में भी सुविधा रहती है। ऐसी उन्नत तकनीकों द्वारा भविष्य में महत्वपूर्ण प्रजातियों के अच्छे पौधे तैयार किये जा सकते हैं। वर्तमान में इस पद्धति से आँवला एवं सागौन के पौधे तैयार किए जा रहे हैं।

4. **बीज को क्यारियों में उगाकर मूल मुण्ड (Root shoot) पौधे (Pre-sprout) तैयार करना**–इस पद्धति को सागौन के लिये उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले सागौन के बीजों का उपचार करके मई माह में जमीन से ऊँची क्यारियों में बुआई की जाती है। इन्हीं क्यारियों में पौधे को एक वर्ष तक बड़ा होने दिया जाता है।

द्वितीय वर्ष के मार्च/अप्रैल माह में सागौन के पौधों में से जड़ एवं तने के भाग को रखते हुए मूल मुण्ड (Root Shoot) तैयार किये जाते हैं। इस पद्धति से मुख्यतः खमेर, शीशम एव सागौन के पौधे तैयार किये जाते हैं। इस तरह से प्राप्त मूल मुण्ड को पॉलीथीन में प्री–स्प्राउट कराकर पौधे क्षेत्र में रोपण हेतु तैयार किये जाते हैं।

5. **वृक्षों की शाखाओं से पौधे तैयार करना–** इस पद्धति में वृक्षों की टहनियों को तिरछा काट कर उसे पॉलीथीन की थैली में तिरछा रोप देते हैं। कुछ दिनों बाद इन टहनियों में से नये पत्ते आने लगते हैं और पौधे तैयार हो जाते हैं। महारुख, शहतूत, सहजन एवं सलई के पौधे इस पद्धति से तैयार किये जा सकते हैं। मिस्ट चेम्बर में इस प्रकार से अन्य बहुत सी प्रजातियों के पौधे शाखा कलम से कम समय में तैयार किये जा सकते हैं। रूट ट्रेनर में भी इस पद्धति से यूकेलिप्टस के क्लोनल पौधों को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है।

30.17.5 बीज उपचार –

कई वृक्ष प्रजाति के बीजों का बाह्य आवरण कठोर होता है जिस कारण इनके अंकुरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के लिये बीज उपचार अति आवश्यक है, जिसकी निम्नानुसार प्रमुख विधियाँ हैं :–

1. **ठंडे पानी का उपचार :–**कुछ प्रजातियाँ जैसे–अर्जुन, आँवला, इमली, जामुन, नीम,बहेड़ा, बांस, महुआ, शीशम, के बीज को किसी प्रकार के उपचार की जरूरत नहीं है, किन्तु इनके बीज को 24 घंटों तक पानी में डुबाकर बोया जाये तो अंकुर जल्दी एवं आसानी से निकलता है। 24 घण्टे के बाद अगर कुछ बीज पानी पर तैरते रहते हैं तो उन बीजों को निकाल कर फेंक देना चाहिए जो अच्छे बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें ही बोना चाहिये। केज्यूरीना और नीलगिरि के बीजों को किसी उपचार की जरूरत नहीं होती।

2. **गर्म पानी का उपचारः–** कुछ वृक्षों जैसे–अमलतास,, खैर, गुलमोहर, बबूल, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, सिरस, सुबबूल इत्यादि के बीज का ऊपरी आवरण कठोर होता है। इसके लिए बीज की मात्रा से तीन गुना पानी लेकर उबालकर बीजों को इसी पानी में 24 या 48 घण्टों के लिए रहने देना चाहिये।

जो बीज पानी की सतह पर तैरते हैं, वे अपरिपक्व बीज होते हैं जिन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिये।

3. **बीज को फोड़ना :–** बेर के बीज का आवरण काफी मजबूत होता है, इसलिए वह देर से अंकुरित होता है। अतः इसे फोड़कर बोने से अंकुर शीघ्रता से निकलता है। इसके लिए नमक का 17 प्रतिशत घोल तैयार करते हैं एवं उस घोल में बेर के बीज डाल देते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं उन्हें बाहर निकाल कर हथौड़े से फोड़ देते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बीज के आवरण को फोड़ते समय उसके अन्दर के हिस्सों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

4. **बीज को भिगोने एवं सुखाने का उपचार :–**सागौन का बीज अत्यन्त कठोर आवरण वाला होता है जिसे लगभग डेढ़ माह तक उपचार करना पड़ता है। इस पद्धति में पहले बीज को तीन–चार दिन तक पानी में भिगो कर रख देते हैं एवं बाद में तीन–चार दिन तक सूखने देते हैं। इस क्रम को लगभग डेढ़ या दो माह तक दोहराते हैं, तब जाकर सागौन के बीज का ऊपरी आवरण टूटना शुरू होता है। सागौन के बीज का अन्य तरीके से भी उपचार कर सकते हैं। इसके लिए सागौन के बीज को गड्ढे में दबाकर उसके ऊपर देशी खाद की एक तह जमा देते हैं। इस पर प्रतिदिन पानी छींटते रहते हैं। इस प्रकार एक सप्ताह तक रखने के बाद पुनः उसे बाहर निकाल कर तीन–चार दिन तक धूप में सुखाते हैं और पुनः गड्ढे में दबा देते हैं। यह प्रक्रिया सात से आठ सप्ताह तक करने के बाद सागौन के बीज उगने लायक बन जाता है। सागौन के बीज को प्राकृतिक विधि से भी उपचारित किया जाता है जिसके तहत बीज को वर्षा के दिनों में खुले स्थान में रख देते हैं, इससे बीज पूरे बारिश के मौसम में पानी में भीगता एवं धूप में सूखता भी है। इस प्रक्रिया के दौरान

बीज को हर सप्ताह उलटते–पलटते रहना चाहिए, ताकि हरेक बीज को एक जैसा उपचार मिल सके। इस विधि के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि इससे बीज को प्राकृतिक पद्धति से उपचार के साथ–साथ पकने के उपरांत (After ripening) की प्रक्रिया हेतु भी पर्याप्त समय मिल जाता है।

5. **एसिड (तेजाब) का उपचार –**प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एवं इजरायली बबूल जैसे कठोर आवरण वाले बीजों का एसिड के द्वारा भी उपचार किया जा सकता है। इसके लिए 20 प्रतिशत सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में इन बीजों को एक घण्टे तक डूबा रहने दिया जाता है अथवा शत–प्रतिशत शुद्ध एसिड के घोल में 20 मिनट तक डुबाने के बाद बीज को एसिड से निकालकर साफ पानी से तीन–चार बार धोने के बाद बीज बोये जा सकते हैं।

6. **बीज**– संबंधित आवश्यक जानकारी तालिका क्रमांक 30.14 दर्शाई गयी है।

तालिका क्र. –30.10

बीज संबंधित आवश्यक जानकारी

वृक्ष की प्रजाति	बीज एकत्र करने का समय	एक किलो बीज की संख्या	बीज के जीने का समय	बीज अंकुरण का प्रतिशत	बीज उपचार	कितने दिनों में बीज उगते हैं	बीज को किस महीने में बोना चाहिए
अमलतास	मार्च – अप्रेल	6000. 7000	2 वर्ष या अधिक	22.60	गर्म पानी से उपचार	30.60	अक्टूबर – नवम्बर
अर्जुन	फरवरी – मई	775	6–12 माह	50.60	आवश्यकता नही	50	अप्रेल – मई
आँवला	नबम्बर – फरवरी	68000. 89000	1 माह से कम	40	आवश्यकता नही	30	बीज एकत्र करने के तुरंत बाद
इमली	मार्च – अप्रेल	1800	1–2 वर्ष	66	ठण्डे पानी का उपचार	15.20	जून – जुलाई
खैर	जनवरी – मार्च	40000	6 से 12 माह	60.80	गर्म पानी का उपचार	30	मार्च – अप्रेल
जामुन	जून	1200	एक माह से भी कम समय	90	आवश्यकता नही	30	बीज एकत्र करने के तुरंत बाद
नीम	जून – अगस्त	3330	एक माह से भी कम समय	95	आवश्यकता नही	21	जून – जुलाई
बबूल	अप्रेल – जून	7000.	2 से	88	गर्म पानी का	30	फरवरी –

वृक्ष की प्रजाति	बीज एकत्र करने का समय	एक किलो बीज की संख्या	बीज के जीने का समय	बीज अंकुरण का प्रतिशत	बीज उपचार	कितने दिनों में बीज उगते हैं	बीज को किस महीने में बोना चाहिए
		11000	अधिक वर्ष		उपचार		मार्च
बहेड़ा	नबम्बर – फरवरी	423	6–12 माह	30.60	आवश्यकता नही	60	मार्च – अप्रेल
बांस	अप्रेल – जून	32000	6–12 माह	25.80	ठण्डे पानी का उपचार	10.30	मई – जून
बेर	जनवरी – मार्च	1224. 1760	1–2 वर्ष	31.95	ठण्डे पानी का उपचार	16.87	फरवरी – मार्च
महारूख	मई –जून	9500	1–6माह	70.90	आवश्यकता नही	45	बीज एकत्र करने के तुरंत बाद
महुआ	जून – अगस्त	450	एक माह से भी कम समय	90	आवश्यकता नही	20	जून – जुलाई
शरीफा	सितम्बर – अक्टूबर	5000	एक माह से कम	80	ठण्डे पानी का उपचार	20	8–9 माह
शीशम	नबम्बर – मार्च	53000	6 से 12 माह	90	आवश्यकता नही	15	मई – जून
सफेदा	सितम्बर – अक्टूबर	367400	6 से 12 माह	90	आवश्यकता नही	5	अक्टूबर – नवम्बर
सगवान	नबम्बर – जनवरी	1850. 3100	1–2 वर्ष	10.60	बीज को भिगोने एवं सूखाने का उपचार	5 से 15	मई – जून
सिरस	जनवरी – मार्च	8000. 13000	2 वर्ष से अधिक	60.94	गर्म पानी का उपचार	60	फरवरी
सुबबूल	जनवरी	15000. 16000	6–12 माह	80.90	गर्म पानी का उपचार	20	फरवरी
सेमल	मार्च – मई	21400. 38500	6–12 माह	14.75	आवश्यकता नही	25	मई – जून

7. जमीन के प्रकार एवं उनके अनुकूल प्रजातियों की नामावली तालिका क्रमांक 30.15 में दर्शाई गई हैः–

तालिका क्र. –30.11

जमीन के प्रकार एवं उनके अनुकूल प्रजातियों की नामावली

क्र	जमीन का प्रकार	अनुकूल प्रजाति के नाम
1	कल्चर जमीन	अमलतास, आँवला, इमली, नीम, बकेन, बेर, महारूख, महुआ , शीशम, सफेदा , सिरस , सुबबूल
2	काली जमीन	अर्जुन, इमली, जामुन , बबूल ,बहेड़ा मसकट
3	सूखी , कम नमी वाली और पथरीली जमीन	अमलतास, आँवला, खैर, गुलमोहर , नीम ,बबूल, महारूख , महुआ , शरीफा , सेमल , सलई , करधई
4	पानी भरा रहता हो ऐसी जमीन	अमलतास , अर्जुन , इमली, केजुरीना , गुलमोहर, जामुन , पापड़ी , महुआ , सिरस , सुबबूल

क्र	जमीन का प्रकार	अनुकूल प्रजाति के नाम
5	खाई खंदक वाली जमीन	इमली, नीम, बबूल, बांस , शीशम, सिरस
6	पथरीली जमीन	नीम, बेर , महुआ , प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ,सिरस, खैर सलई , कुल्लू, करधई
7	रेतीली जमीन	खैर ,नीम ,बबूल , बेर ,प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा , शीशम, सिरस
8	क्षारवाली जमीन	आँवला , इमली, बबूल , महारुख , सिरस
9	गोबर भूमि	इमली, पापड़ी ,बकेन, बबूल, बेर, महारुख, शरीफा, सफेदा
10	क्षारीय जमीन (पी एच 8 से 9)	नीम ,महुआ , सिरस
11	क्षारीय जमीन (पी एच 9 से 11)	अर्जुन , सिरस

30.17.6रोपणियों में अन्य उपचार –

1. क्यारियों एवं पॉलीथिन बैग्स के पौधों में, जहाँ दीमक का प्रकोप होता है, वहाँ एल्ड्रीन, एल्ड्रेक्स, फ्योरोडॉन पावडर 5 प्रतिशत, बी. एच.सी. 10 प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है।
2. वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपणी से पौधों का परिवहन वर्षा प्रारम्भ होने के पर्याप्त पहले कर लेना चाहिए। परिवहन के पूर्व रोपणी में ही अस्वस्थ एवं कमजोर पौधे छाँटकर अलग कर देने चाहिए। रोपण क्षेत्र में रोपण के सम्भावित समय के दो माह के पूर्व से ही रोपणी के पॉलीथिन बैग में पौधों की सिंचाई की आवृत्ति (Irrigation Frequency) में कमी कर देनी चाहिए, जिससे पौधे प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकें।
3. रोपणियों में यथा संभव स्थानीय वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों के पौधों को तैयार किया जाना चाहिए। परिवहन का व्यय बचाने के लिए रोपण क्षेत्र के निकट अस्थाई रोपणियों एवं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पौधों की बढ़ती माँग की पूर्ति के लिए निजी रोपणियों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए ।

(30.18) रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन :–

रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन एक विशेष ध्यान देने योग्य गतिविधि है। प्रजातियों का चयन प्रमुखतः कार्य के उद्‌देश्य एवं रोपण स्थलों की मृदा के आधार पर किया जाता है।

कार्य आयोजना क्षेत्र हेतु जमीन के प्रकार एवं उनके अनुकूल प्रजातियों की सूची तालिका क्रमांक 16.2 के अनुसार है। यह सूची विस्तृत होने के बावजूद इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य उपयुक्त प्रजातियाँ भी शामिल की जा सकती हैं। वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन करते समय स्थानीय वन समितियों की राय पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

30.18.1 वृक्षारोपण कार्य के उद्‌देश्य के आधार पर :–

1. **वन क्षेत्रों में पूर्ण वृक्षारोपण/बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु –** खैर, बांस आँवला, नीम, सागौन, सिरस, महुआ, चिरोल, सिस्सू, करंज, बहेड़ा, कचनार, खमेर, धावड़ा आदि। वनभूमि पर वृक्षारोपण का विवरण परिशिष्ट–53 पर दर्शाया गया है।
2. **सामुदायिक भूमि पर जलाऊ/इमारती लकड़ी के उत्पादन हेतु –** प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, बबूल, सफेद सिरस, काला सिरस, सफेद खैर, लेण्डिया, सिस्सू, नीम, खमेर, करंज, सागौन आदि।
3. **सड़क/रेलवे लाइन/नहरों के किनारे रोपण हेतु –** केसिया, गुलमोहर, अमलतास, जकरण्डा, महुआ, आकाशनीम, आम, जामुन, सिरस, कदंब, अर्जुन, करंज, नीम, खैर, पुत्रनजीवा, बांस, सेमल, चिरोल, अशोक, कैथा आदि ।
4. **कृषि भूमि की मेढ़ों पर रोपण हेतु –**यूकेलिप्टस, बबूल, खमेर, सिरस, सिस्सू, सागौन, बांस आदि।
5. **कृषि भूमि की बागड़ हेतु**– केतकी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, अरण्डी, रतनजोत, सुबबूल आदि।

6. **व्यापारिक/औद्योगिक उत्पादन, निजी अथवा सामुदायिक भूमि पर रोपण हेतु**– पॉपलर, सागौन, सिस्सू, बबूल, बांस, खमेर, नीम, करंज, महारुख, आँवला, आदि।

7. **चारागाह विकास हेतु –**

   वृक्ष प्रजाति – कचनार, सुबबूल, खैर, मुनगा, महारुख आदि।

घास प्रजाति– छोटी मारबेल, सेन, शेवरी, अगस्ती, दूब, गुनेर, एवंफुलेरा आदि।

8. **फल, फूल उत्पादन हेतु :–** कचनार, महुआ, अमलतास, जामुन, आम, अमरूद, शहतूत, आँवला, मुनगा, कैथा, बेर, कुसुम, कटहल, अनार, इमली, बेल, सीताफल आदि।

9. **जल स्त्रोत, धार्मिक स्थलों के निकट रोपण हेतु :–** चम्पा, पुत्रनजीवा, बड़, पीपल, नीम, कदंब, बेल, अशोक, आँवला, आम, जामुन, अर्जुन, हरसिंगार, इमली, पारस पीपल, करंज आदि ।

10. **नगर सौंदर्यीकरण हेतु :–**मौलश्री, बॉटलब्रस, बोगनवेलिया, पेल्टाफार्म, गुलमोहर, अमलतास, केशिया सायमिया, कदंब, सिल्वर ओक, कपोक, जकरंडा, पुत्रनजीवा, करंज, अशोक आदि।

11. **मृदा एवं जल संरक्षण हेतु :–** बबूल, विलायती बबूल, सुबबूल, सीसल, खैर, बांस, सबई घास, खस घास, सीताफल, रूंझा, केस्टर, नीम, झारूल, करोंदा, रतनजोत, करील आदि।

30.18.2मृदा के आधार पर –

मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी द्वारा विभिन्न मिट्टी की किस्मों पर रोपण हेतु वृक्ष प्रजातियाँ अनुशंसित की गई थीं। यद्यपि ये प्रजातियाँ सामुदायिक भूमि या अन्य पड़त भूमि पर रोपण के उद्देश्य से अनुशंसित की गई थीं, लेकिन वन भूमि पर रोपण हेतु भी आवश्यकतानुसार इस अनुशंसा का उपयोग किया जा सकता है।

30.18.3 प्रजातियों के चयन में सावधानी –

वृक्षारोपण के लिये प्रजातियों का चयन वनमण्डलाधिकारी द्वारा ग्राम वन समितियों के सहयोग से वृक्षारोपण के उद्देश्यों, प्रजाति का उपयोग, मृदा की स्थिति, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय प्रभावों पर पूर्ण विचार के बाद करना चाहिये। वृक्षारोपण में सामान्यतः स्थानीय रूप में उपयुक्त एवं उपयोगी मिश्रित प्रजातियों का रोपण करना चाहिये। प्रजातियों के चयन के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. के पत्र क्रमांक/नि.स./340 दिनांक 16–4–98 के अनुसार सावधानियाँ अमल में लाई जानी चाहिये।

(30.19) वृक्षारोपण :–

30.19.1वृक्षारोपण तकनीक :–

कार्य आयोजना क्षेत्र में वर्तमान संनिधि में वृद्धि तथा वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये रोपण किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः गहरी मृदा एवं भली–भांति जल निकास वाले क्षेत्रों को ही वृक्षारोपण हेतु लिया जाना चाहिए।

30.19.2क्षेत्र चयन एवं क्षेत्र सुरक्षा –

30.19.2.1 क्षेत्र चयन :–

रोपण हेतु ऐसे क्षेत्र का चयन किया जावेगा जो प्राकृतिक रूप से वन विहीन (Natural Blanks) न हो। चट्टानी पथरीले क्षेत्र में रोपण नहीं किया जावेगा।

30.19.2.2क्षेत्र सुरक्षा :–

क्षेत्र तैयारी के अंतर्गत क्षेत्र का संरक्षण किया जाना सर्वाधिक आवश्यक है। यह कार्य क्षेत्र के चारों ओर पशु अवरोधक दीवार/सी.पी.टी. (पशु अवरोध खन्ती) का निर्माण कर या कांटेदार तार/बागड़/चेनलिंक फेंसिंग लगाकर किया जाता है। जहाँ पत्थर उपलब्ध हों वहाँ पत्थरों की पशु अवरोधक दीवार ही निर्मित की जानी चाहिए। केवल उन स्थानों पर जो समतल या समतल प्रायः हो वहीं पशु अवरोधक खन्ती का निर्माण किया जाना चाहिए। पशु अवरोधक खन्ती हमेशा कंटूर के समानांतर ही खोदी जावेगी। जिन स्थलों पर

पशु अवरोधक दीवार/खन्ती निर्मित किया जाना संभव नहीं है या निर्माण करने पर पूर्णतः नष्ट/क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना है वहाँ खम्भे गाड़कर कांटेदार तार की चार पंक्तियाँ चैन लिंक फेंसिग इन खम्भों के मध्य लगाई जाकर क्षेत्र अवरोधित किया जावेगा। तार की पंक्तियां जमीन सतह से क्रमशः 20 से.मी. से 20 से 30 से.मी. एवं 45 से.मी. के अंतराल पर होंगीं। तार की पंक्तियों के मध्य कांटेदार झाड़ियाँ लगाई जावेगी। नाला क्रॉसिंग स्थल पर कांटेदार तार अवश्य लगाये जावें क्योंकि इन स्थलों पर पानी के बहाव के कारण पशु अवरोधक दीवार/खंती पूर्णतः नष्ट हो जाती है। पशु अवरोधक खंती खोदते समय खोदी गई मिट्टी खंती के अंदर की ओर मेढ़ बनाकर रखी जानी चाहिए ताकि मवेशियों के प्रवेश पर प्रभावी रोक लगा सके। खोदी गई मिट्टी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उस पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, बबूल, खैर के बीज अथवा ग्रामीणों की सहमति के अनुसार बांस या सीसल लगायी जानी चाहिए।

यह अत्यंत आवश्यक है कि हर तरह की बागड़ की मरम्मत समय–समय पर की जाती रहे ताकि रोपण का प्रभावी संरक्षण हो सके। पूर्व के अनुभव से यह स्पष्ट हो चुका है कि बिना ग्रामीणों की भागीदारी के वृक्षारोपण की सुरक्षा संभव नहीं है। अतः ग्राम वन समितियों का गठन कर वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु ग्रामीणों का सहयोग लेना आवश्यक है। उन वृक्षारोपण क्षेत्रों में जहाँ पुरानी चालू पगडंडियाँ क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। वहाँ ग्रामीणों की सुविधा के लिए पशु अवरोधक दीवार/खन्ती को पार करने के लिये सीढ़ी का निर्माण किया जावे अन्यथा इन स्थलों पर पशु अवरोधक खंती के भरे जाने एवं दीवार को तोड़े जाने की संभावनायें अधिक हैं। पशु अवरोधक दीवार/खंती का निर्माण वनक्षेत्र की अंतिम बाहरी सीमा पर किया जावे इस तरह पशु अवरोधक दीवार/खंती के भीतर वन खण्ड की सीमा रेखा पर वृक्षारोपण नहीं किया जावेगा। इन सीमा रेखाओं का रख रखाव क्षेत्र की बाहरी अग्नि सीमा के रूप में किया जावेगा।

जहाँ कहीं भी पुरानी पशु अवरोधक दीवार/खंती मिलती है उसकी मरम्मत कराकर उसका उपयोग यदि वर्तमान वृक्षारोपण क्षेत्रों के संरक्षण हेतु

किया जा सकता है, तो अवश्य किया जावे। यह अधिक उपयोगी होगा कि रोपण क्षेत्र को क्षेत्र तैयारी के दौरान चार भागों में 4 मीटर चौड़ी पट्टी छोड़कर बाँटा जावे। यह चार मीटर चौड़ी पट्टी निरीक्षण पथ एवं आंतरिक अग्नि रोधी रेखा का भी कार्य करेगी।

30.19.3 वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट :–

क्षेत्र चयन करने के उपरान्त वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जावे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी वृक्षारोपण क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कर एकत्रित की जावे।

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रधान मुख्य वन सरंक्षक म.प्र. द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 14.11.2000 का विवरण परिशिष्ट–128 पर संलग्न है। वृक्षारोपण कार्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट वृक्षारोपण मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बनाई जाएगी।

30.19.4 मृदा मानचित्र :–

वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण क्षेत्र का 1:12500 के स्केल पर मृदा मानचित्र तैयार किया जावे। मृदा मानचित्र में मुख्यतः पाँच प्रकार के क्षेत्र दर्शाये जायेंगे।

1. पथरीला एवं चट्टानी क्षेत्र।
2. गहरी मिट्टी का क्षेत्र।
3. मध्यम मिट्टी का क्षेत्र।
4. उथली मिट्टी का क्षेत्र।
5. अत्यधिक भूक्षरण से प्रभावित क्षेत्र ।

(मिट्टी के प्रकार का विवरण मानचित्र के Index में दिया जा सकता है।)

30.19.5 वन संनिधि मानचित्रः–

वृक्षारोपण क्षेत्र का 1:12500 स्केल पर वन संनिधि मानचित्र बनाया जायेगा। इसमें निम्नानुसार वनक्षेत्र दर्शाया जायेगा :–

1. **रिक्त वनक्षेत्र :–**

    ए. जड़ भण्डार युक्त वनक्षेत्र।

    बी. जड़ भण्डार रहित वृक्षारोपण योग्य वनक्षेत्र।

    सी. चारागाह विकास योग्य वनक्षेत्र।

    डी. वृक्षारोपण अयोग्य वनक्षेत्र।

2. **विरला वनक्षेत्र :–**

    ए. जड़ भण्डार युक्त वनक्षेत्र।

    बी. जड़ भण्डार रहित वृक्षारोपण योग्य वनक्षेत्र।

    सी. वृक्षारोपण अयोग्य वनक्षेत्र।

3. **सघन वनक्षेत्र :–**

    ए. जड़ भण्डार युक्त वनक्षेत्र।

    बी. जड़ भण्डार रहित वनक्षेत्र।

संनिधि मानचित्रों में प्रयुक्त होने वाले संकेतों का विस्तृत विवरण भाग – 1 के अध्याय क्रमांक –2 में दिया गया है।

30.19.6 उपचार मानचित्र :–मृदा एवं वन संनिधि मानचित्र के समन्वित उपयोग से वृक्षारोपण क्षेत्र का उपचार मानचित्र 1:12500 के स्केल पर तैयार किया जावेगा। उपचार मानचित्र में विभिन्न प्रकार दर्शाये जायेंगे। उपचार मानचित्र में वृक्षारोपण की सीमा के घेराव हेतु पशु अवरोधक खंती/दीवार, कांटेदार बागड़/चैन लिंक फेंसिंग, पुरानी पशु अवरोधक खंती/दीवार विभिन्न संकेतों से दर्शाये जायेंगे। वृक्षारोपण क्षेत्र में उपचार मानचित्र को मौके पर खूंटियों से सीमांकित किया जावेगा एवं उपचार मानचित्र के अनुसार उपचार कार्य कराये जावेंगे।

30.19.7 क्षेत्र सफाई :–क्षेत्र सफाई के अंतर्गत क्षेत्र की केवल अनुपयोगी झाड़ियाँ काटी जावेंगीं, परन्तु वृक्ष प्रजातियों के पुनरुत्पादन, वृक्ष को एवं पौध को किसी

प्रकार क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी। ठूँठों की ड्रेसिंग की जावेगी तथा विकृत पौध/पोलार्ड वृक्षों का प्रतिकर्तन किया जावेगा। एक ठूँठ पर कॉपिस प्ररोह होने पर दो स्वस्थ प्ररोह को रखकर बाकी को काटना आवश्यक होगा।

30.19.8 पर्याप्त जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों का उपचार :–पर्याप्त जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों में ग्राम वन समिति गठित कर उनके सहयोग से प्रथम वर्ष में केवल जड़ भण्डार विकास एवं सुरक्षा कार्य करवाया जायेगा। द्वितीय वर्ष में यह देखा जायेगा कि जड़ भण्डार तथा बीजों से प्राकृतिक रूप से कितने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। द्वितीय वर्ष में वर्षा ऋतु के पश्चात् इसके आकलन के उपरांत ही आवश्यक रोपण कार्य के परिणाम का आकलन किया जाकर उसके अनुसार ही रोपण हेतु पोधों की तैयारी की जायेगी। इस विधि से ग्रामीणों का सुरक्षा में अधिक सहयोग प्राप्त होगा एवं प्रकृति को अपना कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्राकृतिक रूप से क्षेत्र में वनस्पति आने से रोपण पर व्यय न्यूनतम होगा।

30.19.9 अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों का उपचार :–यदि क्षेत्र में जड़ भण्डार पर्याप्त नहीं है एवं क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु भी उपयुक्त नहीं है तो ऐसे क्षेत्रों को चारागाह विकास के लिये विकसित किया जायेगा। जिससे ग्रामीणों की चारे की आवश्यकता की पूर्ति होगी एवं वनक्षेत्र की सुरक्षा में उनका अधिक सहयोग प्राप्त होगा। क्षेत्र की सुरक्षा होने के कारण धीरे धीरे क्षेत्र में सुधार होगा जिससे भविष्य में इन क्षेत्रों में वृक्ष प्रजातियाँ के आने की संभावना बढ़ेगी।

बीजारोपण कार्य हेतु निम्न प्रजातियों को प्राथमिकता दी जावेगी– खैर, बबूल, सुबबूल, रेमझा, अमलतास, उपचारित सागौन, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, अकेसिया, खमेर, महुआ, नीम, सीताफल एवं बहेड़ा।

30.19.10 भूमि तैयारीः–वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त जड़ भण्डार नहीं हो लेकिन क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो वहाँ भूमि तैयारी का कार्य रोपण से तीन माह पूर्व पूर्ण कर लिया जावेगा जिससे मिट्टी का ऋतुक्षरण (Weathering)ठीक से हो सके। रोपण हेतु गड्ढे/ट्रेन्च ऐसे स्थलों पर नहीं

खोदे जावेगे जहाँ क्षेत्र चट्टानी हो। वृक्षों के नीचे स्थापित पुनरुत्पादन एवं ड्रेसिंग किये गये ठूँठों के दो मीटर घेरे में भी गड्ढे नहीं खोदे जावेंगे।

मिश्रित प्रजातियों का रोपण साधारण ढलान वाले क्षेत्रों से लेकर मध्यम ढलान वाले क्षेत्रों में सतत् कंटूर ट्रेन्च में किया जाना श्रेयस्कर होगा। इससे जहाँ भूमि एवं जल संरक्षण होगा वही पौधों को सिल्टेशन से एकत्र अच्छी मिट्टी भी मिल सकेगी। शीतकाल में थोड़ी सी हुई वर्षा का पानी ट्रेन्चों में एकत्र होने से पौधों को बहुत फायदा मिलता है। अतः क्षेत्र की उपयुक्ता के अनुसार रोपण हेतु कन्टूर ट्रेन्च या गड्ढे खोदे जावेंगे। वनक्षेत्रों में कन्टूर ट्रेंचों के निर्माण के निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–129 में दिये गये हैं।

विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु पौध अंतराल एवं गड्ढों का आकार तालिका क्रमांक 30.16 के अनुसार रखा जावेगा।

तालिका क्र. –30.12

विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु अंतराल

प्रजाति	अंतराल (मीटर)	पौधे है0 रोपित पौधों की संख्या	गड्ढों का आकार (से.मी.)
सागौन	2x2या3x2	2500	30x30x30
मिश्रित प्रजातियाँ	2x2या3x3	1667	30x30x30
बांस (खुले क्षेत्र में)	4x4	625	45x45x45
बांस (कम घनत्व वाले क्षेत्र में)	5x5	400	45x45x45
फलदार वृक्ष (बड़े छत्र वाली वृक्ष प्रजातियाँ)	5x5	100	45x45x45
फलदार वृक्ष (छोटे छत्र वाली प्रजातियाँ)	4x4	400	30x30x30

30.19.11 गड्ढा खुदाई :–बांस एवं बड़े छत्र वाली फलदार प्रजातियों के लिए 45x45x45 से.मी. एवं अन्य प्रजातियों के लिए 30x30x30 से.मी. साइज के गड्ढे खोदे जावेंगे। खोदे गये गड्ढों में दीमक एवं अन्य क्षति पहुँचाने वाले कीटों से बचाव हेतु क्लोरोडोन पावडर या एलड्रीन 30 ई सी. का घोल कीटनाशक के रूप में डाला जावेगा। 100 मि.ली. एलड्रीन 30 ई.सी. 30 लीटर पानी में घोलकर 5 मिली लीटर प्रत्येक गड्ढा में डाला जावे। जहाँ आवश्यक हो वहाँ गड्ढे की मिट्टी का बदलाव किया जावेगा। मृदा बदलाव के साथ मृदा में गोबर खाद भी गड्ढे की मापानुसार मिलाई जावेगी। 45x45x45 से.मी. माप के गड्ढों

में 3 किलो गोबर खाद एवं 30x30x30 से.मी.के गड्ढ़ों हेतु 1 किलो गोबर की खाद पर्याप्त होगी। रासायनिक उर्वरक का उपयोग रोपण के पश्चात् एवं निंदाई के साथ 20 ग्राम प्रति पौधे की दर से दो खुराक में किया जावेगा। रासायनिक उर्वरक में नाईट्रोजन एवं फास्फोरस मुख्य घटक होने चाहिए। इस हेतु N:P:K::3:3:1 का मिश्रण भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो म्यूरेट ऑफ पोटाश सल्फर एवं जिंक को भी उक्त मिश्रण में सम्मिलित किया जा सकता है। यह अधिक उचित होगा कि रासायनिक उर्वरक के मिश्रण का निर्धारण मृदा विश्लेषण पश्चात् किया जावे।

30.19.12 समोच्च खंती (Contour Trench) **का निर्माण :–**ढलानी क्षेत्रों में 2 मीटर की दूरी पर 3 मीटर लम्बी 45 से.मी. गहरी तथा 45–30 से.मी. चौड़ी स्टैगर्ड कन्टूर ट्रेन्च (Staggered Contour Trench)बनायी जावेगी। कन्टूर अंतराल का चयन इस प्रकार किया जावेगा कि कन्टूर ट्रेन्च की एक लाइन दूसरी लाइन से लगभग 6 मीटर की दूरी पर रहे, इन दोनों लाइनों के बीच में एक लाइन 3–3 मीटर की दूरी पर 30x30x30 से.मी. के गड्ढों की बनाई जावेगी। गड्ढे इस प्रकार खोदे जावेंगे कि दो ट्रेन्चों के बीच छूटी जगह के सामने एक गड्ढा अवश्य आवे। कन्टूर ट्रेन्च से निकली मिट्टी से ट्रेन्च के किनारे निचली ढलान की ओर एक मेड़ सी बना दी जावेगी। गड्ढों में तथा कन्टूर ट्रेन्च के दोनों किनारों से 30 से.मी. की दूरी पर पौधे लगाने से पौधों का अंतराल 3X2 मीटर होगा। आमतौर पर कन्टूर ट्रेन्च ले–आउट भूमि सतह का नजरिया निरीक्षण कर किया जाता है परन्तु इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही से लाइन कन्टूर से इधर उधर हो जाती है। सही कन्टूर लाइन डालने के लिए 2 मीटर लम्बाई के बांस के टुकड़े लिए जावेंगे।

दोनों बांसों पर 5–5 से.मी. की दूरी पर निशान लगा दिये जावेंगे। लगभग 25 मी. लम्बी पतली पारदर्शी प्लास्टिक की नली दोनों बांसों के साथ पूरी लम्बाई में रबर के छल्लों की सहायता से बाँध दी जावेगी। दोनों बांसों को एक स्थल पर सीधा खड़ा रखकर नली में लाल रंग का पानी डेढ़ मीटर की ऊँचाई तक भरा जावेगा। कन्टूर की रेखा खींचने के लिए एक बांस को किसी

स्थल पर खड़ा किया जावेगा तथा दूसरे बांस को इस प्रकार आगे खिसकाया जावेगा कि दोनों बांसों पर लगी नलियों में पानी की ऊँचाई बराबर रहे। 20 मीटर का कन्टूर बनने के बाद पहले बांस को दूसरे बांस के स्थान पर खड़ा करके आगे का कन्टूर पूरा किया जावेगा।

A Frame द्वारा : अंग्रेजी के अक्षर "A" के आकार की लकड़ी या लोहे की फ्रेम जिसकी दो टांगों के मध्य की दूरी 3 मीटर होती है तथा इसकी दोनों टांगों को जोड़ने के लिए बीच में एक क्षैतिज पट्टी लगी होती है जिस पर टांगों की दूरी का मध्य बिन्दु चिन्हित होता है। इस फ्रेम के शीर्ष बिन्दु पर पतली डोरी से एक साहुल सूत्र (Plumb Bob) लटकता रहता है। जब यह डोरी टांगों को जोड़ने वाली लकड़ी के मध्य बिन्दु से गुजरती है, तब टाँगें समोच्च रेखा पर होती हैं। कन्टूर ट्रेन्च की भराई का कार्य मई से जून के द्वितीय सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जावेगा। ट्रेन्च की निचली ढलान के ऊपरी सिरे से नीचे तक कर्ण ;कपंहवदंसद्ध की दिशा में आधा भरा जावेगा। भराई हेतु मेढ़ की मिट्टी का उपयोग न कर आस पास की मिट्टी लेकर भरी जावेगी।

30.19.13 रोपण कार्य :–विभिन्न प्रजातियों के रोपण के लिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा मानकीकृत तकनीक अपनाई जावेगी। सफल रोपण के लिए उपयुक्त पौध भण्डार (Planting Stock) का होना अति आवश्यक है। रोपित की जाने वाले पौधे की लम्बाई 50से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। वर्षा प्रारम्भ होने पर रोपण उचित समय पर किया जाना चाहिए ,जिससे पौधों को स्थापित होने तथा वृद्धि का अधिकतम समय मिल सके। रोपण का समय मानसून पर निर्भर करेगा। रोपण के विभिन्न कार्यों की समय सारणी भाग–1 के अध्याय क्रमांक 5 ''वृक्षारोपण कार्यवृत्त'' में दी गई है। पौधारोपण के साथ उपयुक्त स्थलों पर उपचारित बीज भी बोए जावेंगे। ट्रेन्च प्लांटिंग में ट्रेन्च की मेढ़ों पर स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण एवं क्षेत्र की मृदा के अनुसार उपचारित सागौन, अमलतास, बबूल, खैर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, नीम तथा अन्य उपयुक्त स्थानीय प्रजातियों के बीज बोए जावेंगे।

30.19.14 अखिल भारतीय स्थल गुणश्रेणी तालिका –

तालिका क्र. –30.13
सागौन वृक्षारोपण (स्थल गुण श्रेणी II/III)

वृ. की आयु वर्षों में	औसत गोलाई (से.मी. में)	औसत ऊँचाई (मी.में)	सी ग्रेड विरलन में वृक्षों की संख्या/है.	सी/डी ग्रेड विरलन	
				अन्तराल (मी.में)	वृक्षों की संख्या/है.
10	34	11	969	3.38	872
20	54	16	440	5.03	396
30	72	20	284	6.25	256
45	96	23	193	7.59	174

तालिका क्र. –30.14
(स्थल गुण श्रेणी III)

वृ. की आयु वर्षों में	औसत गोलाई (से.मी. में)	औसत ऊँचाई (मी.में)	सी ग्रेड विरलन में वृक्षों की संख्या/है	सी/डी ग्रेड विरलन में	
				अन्तराल (मी. में)	वृक्षों की संख्या/है.
10	30	9	1176	3.07	1058
20	46	14	551	4.49	496
30	60	17	353	5.61	318
45	77	20	250	6.67	225

तालिका क्र. –30.15
(स्थल गुण श्रेणी III/IV)

वृ. की आयु वर्षों में	औसत गोलाई (से.मी. में)	औसत ऊँचाई (मी.में)	सी ग्रेड विरलन में वृक्षों की संख्या/है	सी/डी ग्रेड विरलन में	
				अन्तराल (मी. में)	वृक्षों की संख्या/है.
10	27	7	1332	2.89	1199
20	40	11	670	4.07	603
30	50	14	457	4.93	411
45	64	17	319	5.03	287

तालिका क्र. –30.16
(स्थल गुण श्रेणी IV)

वृ. की आयु वर्षों में	औसत गोलाई (से. मी. में)	औसत ऊँचाई (मी.में)	सी ग्रेड विरलन में वृक्षों की संख्या/है	सी/डी ग्रेड विरलन	
				अन्तराल (मी.में)	वृक्षों की संख्या/है.
10	24	6	1364	2.85	1228
20	34	9	857	3.60	771
30	41	11	603	4.29	543
45	50	14	440	5.03	396

(30.20) मानक बांस कटाई नियम :–

निम्न लिखित बांस कटाई नियम प्रत्येक उपचार वर्ग के लिये कड़ाई से लागू किये जावेंगे :–

30.20.1 समस्त उपचार प्रकारों हेतु लागू बांस कटाई नियम

1. करला तथा मोहिला बांस पातन नहीं किया जावेगा। भिर्रों में आरक्षित मोहिला एवं पकिया बांसों की योग संख्या करला बांसों से कम नहीं होना चाहिये।
2. अगर किसी भिर्रे में करला एवं मोहिला बांसों की संख्या आरक्षित किये जाने वाले बांसों की बिन्दु क्रं. 15 में निर्धारित न्यूनतम संख्या के बराबर या ज्यादा हो जाती है तो कुछ पकिया बांस उन बांसों को सहारा देने के लिये रोके जावेंगे।
3. बांस भिर्रे से मूल स्तम्भ (Rhizome) नहीं खोदे जावेंगे।
4. जमीन से ऊपर दिखने वाले प्रथम गठान के नीचे किसी भी स्थिति में बांस काटा नहीं जावेगा। सामान्यतः जमीन से 15 से.मी. से कम तथा 45 से.मी. से अधिक ऊँचाई से बांस नहीं काटा जाना चाहिये।
5. बांस के ठूँठ को फटने से बचाने के लिये, कटाई हेतु तेज धार वाले उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिये।
6. कार्योपरांत भिर्रों के चारों तरफ एक मीटर तक परिधि में सफाई कार्य किया जावेगा।
7. बांस गठ्ठा बाँधने के लिये रस्सी का ही उपयोग किया जावेगा, बांस पट्टों का नहीं।
8. बांस वृद्धि की अवधि 15 जून से 15 अक्टूबर तक बांस कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
9. छितराये पुष्पन (Sporadic flowering) की दशा में पातनांश के अन्तर्गत समस्त पुष्पित बांस भिर्रों जिनके बीज झड़ चुके हों, का

निःशेष पातन किया जावेगा एवं तत्काल निवर्तन की व्यवस्था की जावेगी।

10. सामूहिक पुष्पन (Gregarious flowering) की स्थिति में समस्त पुष्पित बांस भिर्रों का निःशेष पातन, इन भिर्रों से बीज झड़ने के उपरान्त किया जावेगा। इस प्रकार प्राप्त बांसों के तत्काल निवर्तन की व्यवस्था की जावेगी, जिससे इनकी गुणवत्ता में कमी न हो तथा अग्नि के खतरे को कम किया जा सके।

11. पशुओं को खिलाने अथवा अन्य उपयोग हेतु बांस की अवैध कटाई/छंटाई पर कठोरता से प्रतिबंध लागू किया जावेगा।

12. यथासंभव बांस कटाई का कार्य माह मार्च के अन्त तक पूर्ण किया जाना चाहिये। बांस वनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन कर बांस वनों में आग नहीं लगने देनी चाहिए। कार्योपरांत वर्षाकाल में बांस वनों में चराई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

13. बिन्दु क्रं. 15 में निर्धारित संख्या से कम बांस वाले भिर्रों में व्यापारिक पातन नहीं किया जावेगा। लेकिन मृत, सूखे, टूटे एवं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बांस इन भिर्रों से आवश्यक रूप से निकाले जावेंगे।

14. दो भिर्रों के बीच की सीमा जहाँ आसानी से विभेदित की जा सके, वहाँ दूरी का ध्यान किये बिना इन्हें स्वतंत्र भिर्रा माना जावेगा। भ्रम की स्थिति में एक मीटर के अंदर वाले दो संभावित भिर्रों को एक भिर्रा माना जावेगा।

15. भिर्रों में पातन से रोके जाने वाले बांसों की न्यूनतम संख्या श्रेणी वर्ग के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

प्रथम श्रेणी	–	20 बांस
द्वितीय श्रेणी	–	15 बांस
तृतीय श्रेणी	–	10 बांस

16. भिर्रे में पातन के समय रोके जाने वाले बांस यथासंभव परिधि पर तथा समुचित अंतराल पर होने चाहिये। रोके गये दो बांसों के मध्य अधिकतम दूरी 25 से.मी. होगी। बांस वृन्द की संरचना की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जावेगी :–

(क) करला बांस

(ख) महिला बांस

(ग) तरूण हरे बांस

(घ) पुराने जीवित बांस

(ङ) अन्य उपलब्धतानुसार

17. औद्योगिक बांस एक तथा दो मीटर के टुकड़े में तैयार किया जावेगा। इनके पतले सिरे की गोलाई 5 से.मी. से कम नहीं होना चाहिये। एक गठ्ठे में 20 बांस के टुकड़े रखे जावेंगे। व्यापारिक बांस हेतु 3.70 मीटर, 4.10 मीटर, 4.60 मीटर, 5.50 मीटर, 6.50 मीटर तथा 7.30 मीटर के टुकड़े काटे जावेंगे। व्यापारिक बांस के पतले सिरे की गोलाई 7 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिये।

18. पहाड़ी क्षेत्रों में बांस कटाई शिखर से प्रारंभ कर, कार्य प्रगति के साथ धीरे–धीरे नीचे की ओर आनी चाहिये ताकि बांस कटाई से कोई क्षेत्र छूट न जावे। बांस भिर्रों में कार्य केवल सघन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, बल्कि कक्ष में फैले इक्का–दुक्का विरल भिर्रों में भी बांस कटाई का कार्य किया जावेगा।

विरल भिर्रों, संकुल भिर्रों, पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में बांस कटाई दर युक्ति संगत होनी चाहिये। मितव्ययता की आड़ में बांस वनों को क्षतिग्रस्त नहीं होने देना चाहिये।

30.20.2 अन्य विशेष नियमन :–

1. **कटाई अवधि** :– 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच बांस कटाई कार्य नहीं किया जावेगा।
2. पुष्पित भिर्रे :– बीज बनने वाले वर्ष में पुष्पित भिर्रों की कटाई नहीं की जावेगी। ऐसे भिर्रों में बीजों के झड़ने के उपरांत अगले वर्ष निःशेष पातन किया जावेगा।
3. सामूहिक पुष्पन (Gregarious Flowering) :– पुष्पित बांस क्षेत्र का निरीक्षण राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की निःशेष पातन वास्तविक पुष्पित क्षेत्र में ही किया जावे। सामूहिक पुष्पन की स्थिति में इन क्षेत्रों में निम्न प्रावधानानुसार प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त कर कार्य किया जावेगा। इस प्रकार के वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान निलम्बित रहेंगे।
4. वनमण्डल में पुनरुत्पादन सर्वेक्षण हेतु निर्देश परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–130 में दिये गये है।
5. मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुसार सामूहिक बांस पुष्पन क्षेत्रों में पुष्पन के बाद वाले वर्षों में बांस पुनर्स्थापन संबंधी ऐसे कार्य किये जावेंगे जो बांस नवपादपों को स्थापित होने एवं भिर्रा निर्माण में सहायक हों। यदि सामूहिक पुष्पन का क्षेत्र बहुत अधिक हो तथा भावी वार्षिक उत्पादन को अत्यधिक प्रभावित करे तो वन संरक्षक की लिखित अनुमति से कार्य किया जायेगा। पुष्पित बांस क्षेत्र का उपचार :– जैसे ही सामूहिक पुष्पन दिखाई दे निम्न निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक आंकड़े एकत्र किये जावेंगे एवं पुष्पन पूर्ण होने तक हर छः माह के अन्तराल में प्रतिवर्ष अक्टूबर एवं अप्रैल में यह कार्य किया जावेगा।

बांस वनों में सामूहिक पुष्पन का अभिलेख रखने वाला प्रपत्र

वनमण्डल का नाम ––––   बांस प्रजाति ––––

माह का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्ष में बांस का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	वास्तविक पुष्पित क्षेत्र (हेक्ट. में) एवं कक्ष में उसकी स्थिति
1	2	3	4	5

पुष्पन की तीव्रता				क्या पुष्पित भिर्रों में गत वर्षा ऋतु में कोई नये बांस नाल उत्पन्न हुये	रिमार्क क्या बांस पहाड़ी शीर्ष/ढलानों पर नदी नालों के किनारे या घाटी में सागौन या मिश्रित वन के अधोवितान में हैं अथवा बिगड़े वनों में एवं विगत प्रबंधन पर रिमार्क अच्छा प्रबंधन/कुप्रबंधन
2 हेक्ट. प्लाट का अनुक्रमांक	प्लाट में कुल भिर्रों की संख्या	पुष्पित भिर्रों की संख्या	पुष्पित भिर्रों का प्रतिशत		
6	7	8	9	10	11

नोट :–

1. प्रत्येक सामूहिक पुष्पन वाले कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र में 2 हेक्ट. के न्यूनतम 5 प्लाट डाले जाकर विवरण कालम 6 में दर्शाया जावेगा।
2. 1:50000 मापमान के मानचित्र पर सामूहिक पुष्पित बांस क्षेत्र दर्शाया जावेगा।

(30.21)भू–क्षरण एवं भू–संरक्षण :–

30.21.1 वर्तमान स्थिति :–

विदिशा कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत भू–संरक्षण एवं जल संरक्षण का कार्य अत्यंत आवश्यक है। भू–क्षरण के कारण ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह जाने से वनों की उत्पादकता कम हो जाती है। भू–क्षरण से कहीं–कहीं जड़ें मिट्टी से अलग हो जाती हैं तथा वृक्षों के हवा से गिरने की संभावना बढ़ जाती है।

30.21.2भू–संक्षरण के प्रस्तावित मॉडल :–

भू–क्षरण संभावित क्षेत्रों के उपचार हेतु, भू–क्षरण रोकने एवं जल संरक्षण किये जाने के लिए एक विस्तृत परियोजना बनाई जाकर वनमण्डलाधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेगी। गंभीर रूप से भू–क्षरण अथवा संभावित भू–क्षरण के क्षेत्रों की उपयुक्तता के आधार पर निम्नानुसार भू–जल संरक्षण विधियां अपनाई जावेंगी। भू–जल संरक्षण हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रत्येक

परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बनाकर अनुमोदन के लिये वनमंडल अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

30.21.3 भू–जल संरक्षण परियोजना –

प्रत्येक वर्ष उपचारांश सीमांकन एवं उपचार मानचित्र तैयार करते समय क्षेत्र में आवश्यकतानुसार उपचार हेतु अग्रिम में **भू–जल संरक्षण परियोजना** बनाई जावेगी। इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्य के वास्तविक मापन के आधार पर भौतिक एवं आर्थिक प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। प्रत्येक कार्य हेतु मिट्टी कटाई, अभियांत्रिकी कार्य, रोपण कार्य, सामग्री क्रय, संभावित मानव दिवस का आकलन तथा रखरखाव का प्रावधान इसमें सम्मिलित किये जावेंगे। यह प्राक्कलन मौके के वास्तविक नाप–जोख के आधार पर तैयार किया जायेगा।परियोजना का परीक्षण आवश्यक रूप से राजपत्रित अधिकारी/वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जावेगा। वनमण्डल अधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजना के अनुसार ही भू–जल संरक्षण कार्य किये जावेंगे।

भू–जल संरक्षण परियोजना बनाने हेतु एवं इसको क्षेत्र में लागू करने के दौरान वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेन्ट इंन्स्टीट्यूट (WALMI) भोपाल द्वारा इस विषय पर तैयार किये गये मैन्युअल/पुस्तिका का अध्ययन किया जावे। इसी तरह क्षेत्रीय कार्यपालक अमले को इस संस्था में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से मातहत कर्मचारियों एवं श्रमिकों को भी प्रशिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है। वनस्पतिक अवरोधों में यथासंभव स्थानीय प्रजातियों का ही उपयोग किया जावे। सामान्य वन मण्डल का कुछ क्षेत्र पहाड़ी एवं तीव्र ढलानी है। अतः अगर जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों को क्षेत्र में बहुत ध्यान पूर्वक लागू नहीं किया गया तो संरक्षण के स्थान पर क्षरण की परिस्थितियां निर्मित होने का पूर्ण खतरा है, अतः अतिरिक्त सावधानी बरती जाना आवश्यक है।

1. **समोच्च खन्ती एवं बाँध बनाना–** पहाड़ियों एवं असमतल क्षेत्रों में समोच्च खन्ती एवं बाँध बनाने का कार्य निम्नानुसार किया जावेगाः–

अ. **समोच्च लाइनों का अंकन**– समोच्च खाईयाँ एवं बाँध बनाने के लिये भूमि पर समोच्च लाइनों का निर्धारण ढलान की तीव्रता के आधार पर किया जावेगा।

25 प्रतिशत से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में मृदा को यथा स्थिति में रखा जावेगा क्योंकि खंती एवं बॉध ऐसे क्षेत्रों में प्रभावहीन होते हैं। अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक समोच्च लाइन में 3–3 मीटर दूरी पर 3 मीटर लंबी 50 से.मी. गहरी तथा ऊपर 50 से.मी. एवं आधार पर 40 से.मी. चौड़ी खंती स्टेगर्ड रूप में बनाई जावेंगीं। खंती खोदे जाने वाले स्थान पर यदि कोई वृक्ष या झाड़ी उपस्थित है तो वहाँपर खंती नहीं खोदी जावेगी। खंती की खुदाई से प्राप्त मिट्टी से ढलान की निचली दिशा में 25–30 से.मी. ऊँचा बाँध बनाया जावेगा। यदि धरातल का ढलान 5 प्रतिशत से कम है तो समोच्च खंती के स्थान पर 25 मीटर के अंतराल पर समोच्च लाइन अंकित कर उस पर स्थानीय रूप से प्राप्त पत्थर अथवा मृदा से 25–30 से.मी. ऊँची मेढ़ बनाई जावेगी।

2 **जलदरी (Gulley) के मुहाने पर गोलाकार खन्ती (रिंग ट्रेन्च) एवं बाँध निर्माण** –ऐसे क्षेत्र जहां पर पर्याप्त वानस्पतिक आवरण नहीं है तथा एक ही दिशा में निरंतर जल के प्रवाह के कारण मिट्टी के कटाव से जलदरी (Gulley) के मुहानों के आकार में वृद्धि होती रहती है, जल प्रवाह की दिशा में परिवर्तन द्वारा जलदरी के मुहानों के आकार में वृद्धि रोककर उस स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। जल प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिये मुहाने से 2 मीटर ऊपर की ओर 50 से.मी. गहरी गोलाकार खंती बनाई जावेगी। अधिक जल प्रवाह की स्थिति में इसके 5 से 7 मीटर ऊपर एक और गोलाकार खंती का निर्माण किया जा सकता है। गोलाकार खंती की चौड़ाई ऊपर 60 से.मी. तथा आधार पर 50 से.मी. रखी जावेगी। खंती की मिट्टी से खंती की निचली ढलान पर 15 से 20 से.मी. चौड़ी एवं 25 से 30 से.मी. ऊँची मेड़ बनाई जावेगी। जलदरी मुहानों पर पत्थर जमाकर इसे और अधिक

प्रभावी बनाया जा सकता है। खड़ी कटानों वाले हिस्से में पत्थर एवं लट्ठों से प्रतिधारक दीवाल का निर्माण किया जावेगा। वर्षा के प्रारंभिक काल में निरगुंडी, बगई, घास, सीसल आदि की सहायता से झाड़ियों की प्रतिधारक दीवाल भी बनाई जा सकती है, इन्हें सहारा देने के लिये अच्छी स्थूणक जातियों जैसे सलई, गुंजा आदि की बल्ली का उपयोग किया जाने से अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। बड़ी जलदरी में निरंतर मिट्टी के अधिक कटान से इनके किनारे काफी अस्थिर हो जाते हैं ऐसे अस्थिर जलदरी तटों की मिट्टी के बहाव को सहज अवलम्ब (Angle of Repose) पर कटाई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा के लिये सहज अवलम्ब कोण तालिका क्रमांक 30.21 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. –30.17

मृदा प्रकार के अनुसार सहज अवलम्ब कोण

मृदा के प्रकार	सहज अवलम्ब कोण (°) (Angle of Repose)
बालू, रेत	22
शुष्क बलूही मिट्टी	38
वनस्पति युक्त मिट्टी	28
अच्छी तरह से दबी हुई मिट्टी	50
अच्छी तरह निस्तारित चिकनी मिट्टी	45
गीली चिकनी(Clay)मिट्टी	16

मिट्टी कटाई का कार्य अत्यधिक व्यय साध्य होने के कारण अत्यंत अनिवार्य परिस्थितियों में ही किया जावेगा। प्रपाती ढलान होने की दशा में यथा संभव वृक्ष/वनस्पति उगायी जाकर भूमि को स्थिर करने का प्रयास किया जावेगा।

30.21.4 जलदरी समुद्रण/अवरोधन (गली प्लगिंग) :–

छोटी जलदरी 1 से 3 मी. चौड़ी को प्राथमिक अवस्था में पत्थरों झाड़ियों मिट्टी आदि द्वारा बंद किया जावेगा। वर्षा के प्रारंभ होते ही ऐसे जलदरी में झाड़ झंखाड़ एवं सदा बहार वनस्पतियों को भरा जावेगा। इन्हें सहारा देने के

लिये सलई, गुंजा आदि की हरी बल्लियों को उपयोग में लाया जा सकेगा। पानी के साथ इनके बहाव को रोकने के लिये पत्थर के टुकड़ों का भी आवश्यकतानुसार भराव किया जा सकता है। जलदरी अवरोधन का कार्य छोटे आकार की जलदरी में ही किया जाना चाहिये, क्योंकि बड़ा आकार होने पर यह कार्य अधिक उपयोगी नहीं होगा।

30.21.5 अवरोधी बाँध (चैक डेम) का निर्माण :–

03 मीटर से अधिक चौड़ी जलदरी को नियंत्रित करने के लिये अवरोधी बाँध बनाया जावेगा। अवरोधी बाँध बनाने के फलस्वरूप इनमें पानी बहना रूक कर मिट्‌टी तथा रेत जमा होगी। यह आगे नहीं बह पावेगी। अवरोधी बाँध कई प्रकार के बन सकते हैं, जैसे लकड़ी द्वारा बालू के ढेरों से, पत्थरों को तार की जाली अंदर फंसाकर तथा सीमेंट कंक्रीट के बाँध, विशिष्ट आवश्यकता तथा स्थान, ढलान आदि का ध्यान रखकर ये उपचार अपनाये जावेंगे। जहॉ पर्याप्त मात्रा में मोटी–मोटी लकड़ी उपलब्ध हो उन्हें इकट्‌ठा कर जलदरी में बाँध का आकार दिया जा सकता है। इस प्रकार के बाँध छोटी जलदरी में ही सफल हो सकते हैं। उन स्थानों पर उनको समुचित रूप में जमाकर अवरोधी बाँध तैयार किया जा सकता है, परंतु अधिक चौड़ी एवं गहरी नालियों में केवल सीमेन्ट से

बने पत्थरों के बाँध ही सफल होते हैं, पानी के अधिक वेग से ये टूट जाते हैं। जिन स्थानों में बालू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहॉ बोरियों में उसे भरकर तथा उनको लाइन से जमाकर अवरोधी बाँध तैयार किया जा सकता है पत्थर तथा बालू आदि द्वारा बोरी फंसा देने से बाँध का जीवन काल बढ़ जावेगा। बड़े–बड़े नदी, नालों में धन की उपलब्धतानुसार सीमेंट, कंक्रीट के अवरोधी बाँध भी बनाये जा सकते हैं।

अस्थाई बाँध की योजना एवं निर्माण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक रूप से विचार किया जावेगा।

क. कुछ बड़े बाँधों की जगह कम अंतराल पर छोटे–छोटे 60 से 75 से.मी. ऊँचाई वाले अनेक अवरोधी बाँध बनाने को प्राथमिकता दी जावेगी।

ख. बाँधों की श्रेणी में ऊपरी बाँध के आधार का स्तर निचले बाँध के शीर्ष के समतुल्य रखा जावेगा।

ग. उत्प्लव मार्ग (Spill way) का आकार बाँध की लंबाई का आधा होना चाहिये।

घ. बाँध की कुल लंबाई नाले की चौड़ाई में दोनों किनारों पर 50 से. मी. जोड़कर निकाली जावेगी।

ड. 05 मीटर अथवा अधिक चौड़े नालों के लिये बाँध का आधार मजबूत बनाया जावेगा।

च. उत्प्लव मार्ग (Spill way) के नीचे उपयुक्त पट्टा (Apron) दिया जाना चाहिये।

छ. छोटे मिट्टी के बाँधों के निचली ओर वाईटेक्स, सीसल, शीशम, बांस आदि का रोपण किया जावेगा। इन बाँधों पर बबूल, प्रोसोपिस तथा खैर के बीज भी बोये जा सकते हैं।

ज. नालों के मजबूत कगारों एवं संकीर्ण तल वाले स्थान पर बाँध बनाया जावेगा। सदा सीधी धारा वाले हिस्से में ही बाँध बनाये जावेंगे न कि घुमावदार या मोड वाले क्षेत्र में। इसी प्रकार दो नालों के जोड़ या इससे नीचे वाले स्थल पर बाँध नहीं बनाया जाना चाहिये।

झ. किसी भी बाँध के उत्प्लव मार्ग के क्षेत्र से जल प्रवाह की क्षमता का विवरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकतम वर्षा की स्थिति में भी बिना किनारों को जल प्लवित (overflow) किये उत्प्लव मार्ग से ही पानी का बहाव सुनिश्चित करने के लिये एक वर्ष की अवधि में संभावित अधिकतम वर्षा की तीव्रता का विचार किया जाना चाहिये। इसके लिये वाटर शेड के आकार एवं प्रकृति के आधार पर संभावित जल अपवाह गति से वास्तविक आकलन द्वारा वांछित क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है। वर्षा तीव्रता के आंकड़ों के अभाव में छोटे जल निस्तारण क्षेत्र हेतु जल

अपवाह की गणना 5 से.मी. प्रति घण्टा वर्षा तीव्रता को आधार मानकर निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है।

$$\text{क्र} = \frac{\text{व} \times \text{क्ष} \times \text{ग}}{3.5}$$

जहाँ –

क्र. – क्रांतिक (क्रिटीकल) अपवाह दर (घन मीटर प्रति सैकेण्ड) (Critical runoff)

व – अधिकतम वर्षा तीव्रता (से.मी. प्रति घण्टा) (Maximum rain intensity)

क्ष – निस्सारण क्षेत्र का क्षेत्रफल (हैक्टेयर) (CatchmentArea in ha.)

ग – अपारगम्यता गुणांक 0.5 (Impervience Coefficient 0.5)

30.21.6–पतले एवं लम्बे (फर्न आकृति) जल निस्तारण क्षेत्र की तुलना में चौड़े (पंखावृत्ति) निस्तारण क्षेत्र में जल अपवाह अधिक होता है। इसी प्रकार उबड़–खाबड़ क्षेत्र की तुलना में समतल क्षेत्र में जल अपवाह अधिक पाया जाता है।

30.21.7–भू विन्यास एवं वर्षा के आधार पर जल निस्तारण क्षेत्र को छोटे–छोटे अनुभागों में बांटा जाकर प्रत्येक अनुभाग के लिये अलग–अलग अपवाह दर या जल बहाव की मात्रा ज्ञात की जाना चाहिए। पूरे जल निस्तारण क्षेत्र के लिये इन आंकड़ों को जोड़कर कुल अपवाह की मात्रा निकाली जा सकती है। आयताकार आकृति वाले उत्प्लव मार्ग के लिए बहाव की मात्रा का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

$$\text{क्र.} = \text{घ} \times \text{ल} \times \text{ग} \times 3/2$$

जहाँ –

क्र. – बहाव (घनमीटर प्रति सेकेण्ड)

घ – जल स्त्रोत एवं उत्प्लव मार्ग की लंबाई चौड़ाई पर आधारित व्यवहारिक प्रयोजन के लिये 1.71 लिया जा सकता है।

ल – उत्प्लव मार्ग की लंबाई (मीटर) है। एवं

ग – उत्प्लव मार्ग की गहराई (मीटर) है।

एक मीटर लंबाई वाले मार्ग हेतु बहाव बिन्दु के शीर्ष पर पानी विभिन्न गहराई की स्थिति में जल बहाव की मात्रा का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. –30.18

जल बहाव की मात्रा का विवरण

बहाव बिन्दु के शीर्ष के ऊपर जल की गहराई (मीटर में)	उत्प्लव मार्ग के एक मीटर लंम्बाई के क्षेत्र से बहाव की मात्रा (क्यूसेक्स)
0.10	0.054
0.20	0.153
0.30	0.281
0.40	0.433
0.50	0.605
0.70	1.001
0.80	1.224
0.90	1.460
1.00	1.710
1.10	1.973
1.20	2.248
1.30	2.535
1.40	2.838
1.50	3.141

30.21.8अस्थाई अवरोधी बाँध बनाने के लिए निम्नानुसार व्यवहारिक उपायों के सुझाव दिये जाते हैं:–

क. **एकल पंक्ति पोस्ट ब्रश–वुड बाँध –**

इसके अंतर्गत पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए नाले के आर–पार एक पंक्ति में लकड़ी के खम्भों को जमाया जाता है। तार की मदद से झाड़ झंखाड़ को खम्भों के साथ बाँधने से अपने स्थान पर टिके रहते हैं। बाँध बनाने से पहले नालों अथवा जलदरी के किनारों को 1:1 के ढलान में परिवर्तित कर दिया जाता है। जितनी दूरी में ब्रश बुड बिछाना हो उतने तल की मिट्टी काटकर 15 से.मी. नीचा बनाया जाता है। खोदी गई मिट्टी ऊपर तरफ (अपस्ट्रीम) 1:1 ढलान रखते हुए जमाई जाती है। जिससे पानी का बहाव सीधे बाँध पर न पड़े, कल्ले

फेंकने वाली प्रजातियों के लगभग 10 से. मी. व्यास के खम्भे नाले के आर–पार 60 से.मी. के अंतराल से एक पंक्ति में लगाना चाहिए। इन लाईनों के खम्भों को 75 से.मी. तक गाड़ा जाकर आवश्यकतानुसार ऊँचाई दी जानी चाहिए। इन लाईनों के खम्भों की ऊँचाई अलग लाईन से क्रमवार कम होनी चाहिये तथा इन खम्भों को 45 से.मी. तक गाड़ा जा सकता है। अंत में झाड़ झंखाड़ (ब्रश–वुड) के जड़ भाग को बहाव के उल्टी दिशा (अपस्ट्रीम) में रखते हुए बहाव के साथ–साथ बिछा दिया जाता है।

ख. **दोहरी पंक्ति पोस्ट ब्रश वुड बाँध –**

2 से 3 मीटर गहरी एवं लगभग 10 मीटर चौड़ी जलदरी अथवा 40 हैक्टर जल संभर (वाटर शेड) क्षेत्र वाले नालों में ऐसे बाँध बनाये जाते हैं। यद्यपि इनके बनाने से अधिक खम्भों एवं श्रम की आवश्यकता होती है लेकिन मजबूत एवं टिकाऊ होने के कारण ये अधिक उपयोगी होते हैं। इनको बनाने के लिये नालों के आर–पार 30 से. मी. गहरी एवं 90 से.मी. चौड़ी नींव खोदी जाती है। किनारे का 1:1 ढलान का आकार भी दिया जाता है। खाई के साथ–साथ दो पंक्ति में 15 से.मी. व्यास के खम्भे 90 से. मी. के अंतराल से तल में 75 से.मी. गाड़ते हुए लगाये जाते हैं। नीचे की तरफ 1.50 मीटर से 2 मीटर की दूरी पर खम्भों को पंक्ति में गाड़ा जाता है। झाड़ झंखाड़ की दोहरी सतह बिछाकर खम्भों के साथ तार द्वारा बाँध दिया जाता है। आवश्यकतानुसार ऊँचाई रखते हुये आयताकार खांचा पानी बहने हेतु बनाया जाना चाहिए।

ग. **पत्थर के अवरोधी बाँध** (Stone check dams)–

जहाँ स्थानीय तौर पर पत्थर उपलब्ध हों वहाँ पत्थर के अवरोधी बाँध बनाये जाते हैं। इस प्रकार के बाँध चाप (Arc) आकार के होते हैं, जिनका उन्नत (Obtuse) कोण या उत्तल भाग बहाव की उल्टी दिशा में होना चाहिए। चाप का व्यास नाले की चौड़ाई से दुगना रखा जाता है। पार के बीच के आधे हिस्से को छोड़कर दोनों किनारों पर 30 अंश का

कोण बनाते हुए दीवार का निर्माण किया जाता है। बाँध तथा दीवारों के लिये 120 से.मी. चौड़ी एवं 45 से.मी. गहरी नींव खोदी जानी चाहिये। नींव खोदकर बड़े पत्थरों को नीचे और छोटे पत्थरों को उसके ऊपर जमाकर बाँध एवं दीवार बनाई जाती है। प्रत्येक दीवार के साथ बहाव की दिशा में 15 से.मी. की कमी करते हुये तल से 60 से. मी. की ऊँचाई तक पत्थर जमाये जाते हैं। 60 सें.मी. की ऊँचाई पर बीच में एक खांचा (स्पिल वे) छोड़ दिया जाता है। खांचे की गहराई 30 से.मी. एवं लम्बाई पार की आधी होनी चाहिये। बाँध के ऊपर की ओर की खोदी गई मिट्टी झाड़–झंखाड़ एवं पत्थरों का 1:1 ढलान का आकार देते हुए जमा दिया जाता है।

घ. **गेबियन संरचना –**

अधिक बहाव वाले नालों पर जाली से पत्थर बाँध कर गेबियन चेक डेम निर्माण करने से पानी के बहाव में कमी होगी एवं मृदा संरक्षण एवं जल संवर्धन होगा।

30.21.8.1 गेबियन निर्माण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य :–

- गेबियन निर्माण हेतु सर्वप्रथम निर्माण स्थल पर पत्थर एकत्र किये जावें। पत्थरों का आकार जाली के छेदों से ज्यादा होना चाहिये। गोल पत्थरों से ज्यादा कोणाकार पत्थरों का उपयोग बेहतर है। पत्थर ऐसे हों जो पानी से संपर्क होने पर भी मजबूत रहें।
- अच्छी गुणवत्ता वाले 10–12 गेज के जी.आई. तार का उपयोग करें। एक मोड़ वाला तार बाजार में तैयार मिलता है। इन तारों के बीच के छेद 7.5 से.मी. ग 7.5 से.मी. से बड़े नहीं होने चाहिए वैसे तार को हाथ से भी मोड़ा जा सकता है। तार को 1–2 मीटर लंबे तथा 1 मीटर चौड़े टुकड़ों से काट कर मोड़ें।
- मुख्य दीवार के लिए 1 मीटर चौड़ी और 60 से.मी. गहरी नींव खोदें। इस प्रकार बिछौने और किनारों की दीवारों की नींव भी

खोदें। मुख्य दीवार के विस्तार के लिए नाले के किनारों की नींव भी खोदें।

- नींव/खंती भरने से पहले 3 जगह मुड़े हुये तार को खड़ा करें :–

  01. मुख्य दीवार की नींव के ऊपरी कोने पर
  02. बिछौने की शुरूआत में
  03. बिछौने के निचले कोने पर

तीनों जगह तार को संरचना की पूरी लंबाई तक बिछाएं। तार को इस तरह से बिछाएँ कि लगभग 15 से.मी. तार पत्थरों को जमाने के बाद उनके नीचे दब जाएँ। जब तार सब जगह बिछ जाए तब नींव/खंती में पत्थर जमा दें। संरचना पर दो प्रकार के दबाव पड़ते हैं– खड़े पानी का और बहते पानी का दबाव। इन दबावों के कारण छोटे पत्थरों के हिलने और फिसलने का खतरा बना रहता है। इसलिए पत्थर ऐसे बैठाएँ कि छोटे पत्थर, बड़े पत्थरों के बीच की जगह को भर दें। इससे न केवल संरचना अधिक पारगम्य बनेगी, साथ ही उसके बैठने और धंसने की संभावना भी कम होगी। तारों को भी अच्छी तरह कसें जिससे कि किसी प्रकार की लोच न रह जाए।

- जब नाले के तल तक पत्थर जमा लिए जाएं तब उनके ऊपर मुड़ी हुई तार बिछा दें और पत्थरों के नीचे वाली तार से उसे बाँध दें।
- मुख्य दीवार और किनारे की दीवार को 1–2 मीटर लंबे और 1 मीटर ऊँचे पत्थर के डब्बों के रूप में बनाएँ। सबसे पहले इन डब्बों के चारों किनारों के तार को खड़ा करें और इन्हें नीचे और किनारे की तारों से बाँध दें। फिर डब्बे में पत्थर के ऊपर भी तार बिछा दें। फिर ऊपर की तार को डब्बे के चारों किनारे वाली तार से जोड़ दें। जिस तार का उपयोग तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है वह भी उन्हीं के जैसी मजबूत होनी चाहिए। इस तरह सिलसिलेवार डब्बे जमाते जाएं।

- संरचना की अपारगम्यता बढ़ाने के लिए एक उल्टी छन्नी का निर्माण संरचना के ऊपरी मुख पर करें। चिकनी मिट्‌टी, रेत, मुरम, छोटे पत्थरों को एक–दूसरे के बाद इस तरह बैठाएं कि पत्थर मुख्य दीवार से सटे हुए हों। रेत से भरे सीमेन्ट या खाद के बोरे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
- **गेबियन निर्माण हेतु सावधानियाँ :–**

01. कमजोर किनारे और कम ऊँचाई वाले नालों पर गेबियन न बनाए।

02. ऐसे स्थान पर जहाँ नाला तेजी से गिरता हो वहाँ गेबियन न बनाएं।

03. ऐसे स्थान पर जहाँ नाले में तेज मोड़ हो, उसके बाद गेबियन बनाएं।

04. जहाँ नाले की चौड़ाई और ढलान कम हो वहाँ गेबियन बनाएं।

05. पत्थरों को जमाते समय उन्हें एक दूसरे के सहारे इस तरह कस के बैठाएं कि वह पानी के जोर से हिलें–डुलें नहीं।

06. छोटे पत्थरों को अंदर की ओर, और बड़े पत्थरों को बाहर की ओर जमाएं। बड़े पत्थरों के बीच छोटे खाली स्थानों पर छोटे पत्थर जमाएं।

07. सबसे छोटे पत्थर का आकार भी तार के छेदों से बड़ा हो।

08. तार को इस तरह कस कर बाँधें कि कोई लोच न रह जाए।

09. तारों को बाँधने वाली तार की ताकत मुख्य तारों के समान ही रखें।

10. दो मीटर से ऊँची मुख्य दीवार को सीढ़ीनुमा बनाएं।

30.21.8.2जल मार्गों में वानस्पतिक आवरण :–

जलदरी के बहाव मार्गों की मिट्टी सामान्यतः अस्थिर होती है। घास, झाड़ियों अथवा वृक्षों के रोपण अथवा बीज रोपण द्वारा इन्हें स्थिर बनाया जा सकता है। जलदरी के तल को स्थिर करने के लिये घास का सहारा लिया जा सकता है। घास का आवरण या तो सीधे बीज रोपण अथवा घास थगली जमा कर की जा सकती है। इसके लिए सामान्यतः 30 से.मी. चौड़ी, 3 मीटर लंबी घास की थगली जलदरी के तल में बिछाकर दबा दिया जाता है। यदि पानी में तेज बहाव से इसके बहने का खतरा हो तो तार की जाली से इसे ढक दिया जाता है, जिससे यह स्थिर हो सके। थगली के टुकड़े को ढलान के आर–पार निश्चित अंतराल पर पट्टियों में बिछाकर बीच में खाली क्षेत्र में घास बीज रोपण भी किया जा सकता है। घास को जड़ से उखाड़कर आवश्यकतानुसार छोटे–छोटे टुकड़ों में भी लगाया जा सकता है। घास लगाने की विधि क्षेत्र की आवश्यकता एवं आर्थिक उपलब्धता पर निर्भरकरेगी। उथली जलदरी के अपवाह क्षेत्र में घास तथा चौड़े एवं गहरे जल मार्गों में वृक्ष प्रजातियों को लगाया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति में बढ़ोत्तरी करने के लिये जुताई अथवा मिट्टी खुदाई कर बीज रोपण किया जा सकता है। भूक्षरित ढलानों पर भी समोच्च रेखाओं के साथ–साथ खैर, बांस, बबूल एवं प्रोसोपिस का बीज रोपण किया जा सकता है। बीज रोपण का कार्य समोच्च खंतियों एवं गोलाकार खंती में मेढ़ों पर भी किया जाना चाहिये। अवरोधी बाँध, समोच्च बाँध पर भी घास बीज रोपण किया जावेगा। नालों के किनारे शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों जैसे– घास, डुडोनिया, वाइटेक्स निर्गुण्डी, बांस, जेट्रोफा, गुंजा, सिस्सु, करंज इत्यादि के रोपण से किनारे की भूमि शीघ्र स्थिर करने में मदद मिलेगी।

(30.22) मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण के परिणाम (Soil Survey, Assessment & Result) :–

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड वर्ष 2014 के पैराग्राफ 79 एवं म.प्र कार्य आयोजना संहिता 1996 के पैराग्राफ 3.5 में दिये गये मृदा सर्वेक्षण के प्रावधानों के अनुसार कार्य आयोजना क्षेत्र के विभिन्न कार्य वृत्तों में मृदा/वन संसाधन सर्वेक्षण हेतु चयनित 465 ग्रिडों से नियमानुसार मिट्टी के 444 सेम्पललिये गये तथा उनSFRI जबलपुरमें परीक्षण कराया गया।

30.22.1मृदा नमूना संग्रहण की विधि :सर्वप्रथम जी.पी.एस. के माध्यम से ग्रिड पर पहुँचकर, ग्रिड के मध्य बिन्दु को केन्द्र में रखते हुए चारों दिशाओं (NE, SE, SW, NW)में 22.36 मीटर के विकर्ण डाले गये। इस प्रकार चारों दिशाओं में

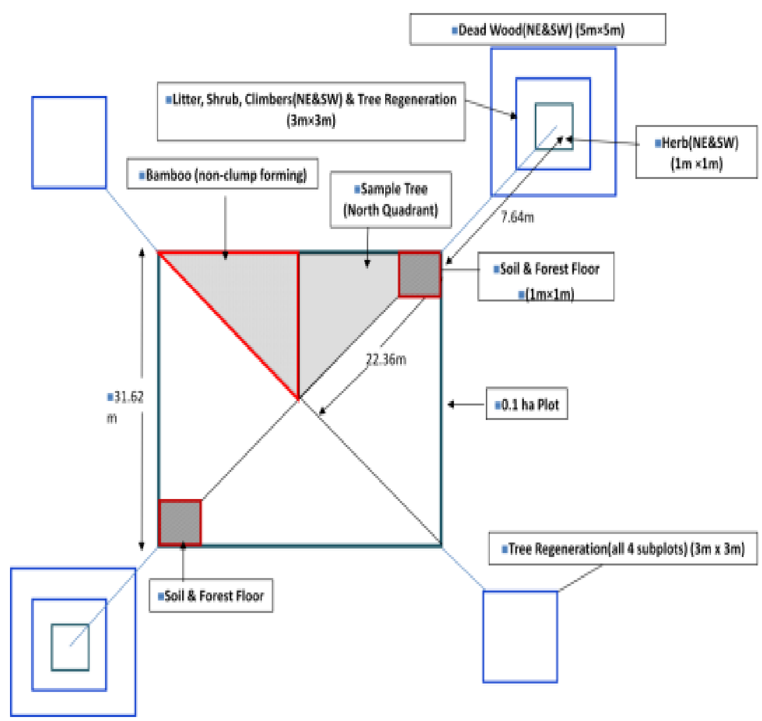

Plot configuration of main plot and attached sub-plots

प्राप्त चार बिन्दुओं पर प्लॉट के चार कोने प्राप्त हुये। इन चारों कोनों को मिलाकर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर होगा, जैसा कि चित्र–2 में दर्शाया गया है।

0.1 हे. प्लॉट साइज 31.62 X 31.62 मीटर के उत्तर–पूर्व कोने पर 30 से.मी.X 30 से.मी.X 30 से.मी. आकार का गड्ढा खोदकर, इस मृदा को चार भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग को लेकर यह प्रक्रिया दोहराते हुए जब मृदा की मात्रा 200 ग्राम के लगभग रह गई तो इस मृदा को कपड़े की थैली में भरकर, थैली के उपर मृदा स्थल, कक्ष, ग्रिड क्र., बीट एवं परिक्षेत्र का नाम लिखकर सील बन्द किया गया। इस तरह से सभी ग्रिड बिंदुओं से मृदा के नमूने एकत्रित कर नमूनों की जाँच के लिएसंचनालय किसान कल्याण तथा कृषि की मिट्टी प्रयोगशाला को भेजा गया तथा परिणाम प्राप्त किये गये। जिन कक्षों में ग्रिड बिन्दु प्राप्त हुये उन कक्षों के कक्ष इतिहास के संलग्न किया गया है।

तालिका क्र. – 30.19

मृदा का मानक मूल्य

pH(पी.एच.)	<6.5	अम्लीय	(विद्युत चालकता)	<1.0	सामान्य
	6.5-7.5	सामान्य	EC(d. s./m)	1.0 - 2.0	सीमान्त
	>7.5	क्षारीय		>2.0	क्रांतिक
(नाइट्रोजन) N(kg/ha.)	<250	निम्न	(फास्फोरस)	<10	निम्न
	250-400	मध्यम	P(kg/ha.)	10 to 20	मध्यम
	>400	उच्च		>20	उच्च
(पोटेशियम)K(kg/ha.)	<250	निम्न	(कार्बनिक कार्बन)	<0.5	निम्न
	250-400	मध्यम	C(%)	0.5-0.75	मध्यम
	>400	उच्च		>0.75	उच्च

306 बिन्दुओं पर किये गये वन संसाधन सर्वेक्षण के दौरान एकत्र मिट्टी के 283 नमूनों (शेष ग्रिड बिन्दु अतिक्रमण, पथरीले क्षे़त्र एवं डूब क्षेत्र में आने के कारण इन पर मृदा नमूने प्राप्त नहीं किये गये) का संचनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकासद्वारा परीक्षण किया गया। उनसे प्राप्त आंकड़ों काविश्लेषण किया गया है, जिसके परिणाम निम्नानुसार हैं –

तालिका क्र. –30.20

मृदा परीक्षण के परिणाम का परिक्षेत्रवार उपलब्ध तत्वों के आधार पर विवरण

अ.क्र.		परिक्षेत्र	नजीराबाद	बैरसिया	समर्धा	वनमंडल
		कक्ष संख्या जिनमें ग्रिड सर्वेक्षण किया गया –	60	52	53	**165**
		ग्रिड संख्या –	95	77	111	**283**
1	पी.एच.(PH)	इकाई	7.43	7.39	7.34	**7.38**
2	ई.सी.(EC)	इकाई मि.मो./से.मी.	0.39	0.37	0.38	**0.38**
3	जैविक कार्बन(OC)	इकाई प्रतिशत	0.78	0.72	0.69	**0.73**
4	नाईट्रोजन(N)	इकाई कि.ग्र./हे.	258.26	243.70	241.06	**247.56**
5	फास्फोरस(P)	इकाई कि.ग्र./हे.	13.93	14.96	13.82	**14.17**
6	पोटेशियम(K)	इकाई कि.ग्र./हे.	459.31	466.35	435.76	**451.99**
7	सल्फर(S)	इकाई पी.पी.एम.	16.91	18.04	17.27	**17.36**
8	जिंक (Zn)	इकाई पी.पी.एम.	0.74	0.82	0.81	**0.79**
9	आयरन (Fe)	इकाई पी.पी.एम.	6.76	5.95	6.31	**6.37**
10	मैग्नीज (Mn)	इकाई पी.पी.एम.	6.21	7.27	6.56	**6.64**
11	कॉपर(Cu)	इकाई पी.पी.एम.	1.26	0.81	0.76	**0.94**
12	बोरान (B)	इकाई पी.पी.एम.	1.44	1.31	1.38	**1.38**

30.22.2 विश्लेषण :–

मृदा परीक्षण से प्राप्त स्थलवार परिणाम तालिकाओं के विश्लेषण में पाया गया है कि–

1) कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्रों में औसत pH का मान 7.38 है, जो कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत है।
2) कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्रों में औसत औसत घुलनशील लवण का मान 0.38 है। औसत घुलनशील लवण मान अधिकतम नजीराबाद परिक्षेत्र में 39 एवं बैरसिया परिक्षेत्र में न्यूनतम 0.37 प्राप्त हुआ।
3) कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्रों में औसत जैविक कार्बनिक तत्व का मान 0.73% है, जो कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत है। औसत जैविक कार्बनिक तत्व का मान अधिकतम नजीराबादपरिक्षेत्र में 0.78% एवं न्यूनतम समर्धा परिक्षेत्र में 0.69% प्राप्त हुआ।
4) कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्रों में औसत फास्फोरस का मान14. 17 है, जो कि मध्यमश्रेणी के अंतर्गत है। औसत फास्फोरस का मान

अधिकतम बैरसिया परिक्षेत्र में 14.96 एवं न्यूनतम समर्धा परिक्षेत्र में 13.82 प्राप्त हुआ।

5) कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्रों में औसत नाइट्रोजन का मान 247.56 है, जो कि निम्नश्रेणी के अंतर्गत है। औसत नाइट्रोजन का मान अधिकतम नजीराबाद परिक्षेत्र में 258.26 एवं न्यूनतम समर्धा परिक्षेत्र में 241.06 प्राप्त हुआ।

6) कार्य आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वनक्षेत्रों में औसत पोटेशियम का मान 451.99 है, जो कि उच्चश्रेणी के अंतर्गत है। औसत पोटेशियम का मान अधिकतम बैरसिया परिक्षेत्र में 466.35 एवं न्यूनतम समर्धा परिक्षेत्र में 435.76 प्राप्त हुआ।

मृदा परीक्षण से प्राप्त परिणामों के स्थलवार एवं कार्यवृत्तवार विश्लेषण का उपयोग समस्त कार्यवृत्तों के अंतर्गत पौधा एवं बीजरोपण में वृक्ष प्रजातियों के चयन तथा वृक्षारोपण के रखरखाव में क्षेत्रीय अमले द्वारा किया जाना चाहिये।

30.22.3मृदा परीक्षण के परिणामों की कार्य आयोजना क्रियान्वयन में उपयोगिता :–

कार्य आयोजना वन क्षेत्र से प्राप्त मिट्‌टी के नमूनों के परीक्षण के परिणाम कार्य आयोजना क्रियान्वयन में निम्न रूप में प्रभावी होंगे–

- ➢ वृक्षारोपण कार्यवृत्त में रोपण हेतु पौधों की प्रजातियों के चयन में उपयोगी।
- ➢ वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्षारोपण के पूर्व तथा वृक्षारोपण के पश्चात् उर्वरक की आवश्यकता एवं मात्रा का प्रयोग किये जाने हेतु अत्यंत उपयोगी।
- ➢ सुधार पातन कार्यवृत्त तथा पुनर्स्थापना कार्यवृत्त में पुनरुत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास एवं उपचार करने हेतु आंकड़ों का उपयोग।

तालिका क्रमांक–30.21

वन मंडल क्षेत्र के मृदा नमूनों के जांच परिणाम

मृदा कारक	इकाई	मानक मूल्य	वन मंडल का औसत मान
पी.एच.	–	6.5-7.5	**7.38**
ई.सी.	डी.एस. / मी.	1-2	**0.38**
नाईट्रोजन	कि.ग्रा. / हे.	250-400	**247.56**
फास्फोरस	कि.ग्रा. / हे.	10-20	**14.17**
पोटेशियम	कि.ग्रा. / हे.	250-400	**451.99**
जैविक कार्बन	:	0.5-0.75	**0.73**

(30.23)आकस्मिक विदोहन के संबन्ध में अपनाई जाने वाली एवं नियमित कूपों को स्थगित करने की प्रक्रिया का निर्धारणः–

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ25–05 / 2016 / 10–2 दिनांक 28 / 12 / 2016 द्वारा आकस्मिक विदोहन एवं नियमित कूपों को स्थगित करने के संबन्ध में अपनाई जाने वाली की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। शासन के पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–131 पर दी गई है।

(30.24) उपयोगी परिभाषाएँ

वानिकी क्षेत्रों में वृक्ष विभिन्न स्वरूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं –

1. **वृक्ष (Tree)–**पौधा, जिसकी वृक्षोच्च गोलाई 20 सें.मी. से अधिक एवं लीडिंग शूट (Leading Shoot) क्षतिग्रस्त नहीं है। दूसरे शब्दों में जिसकी ऊँचाई बढ़ने की क्षमता अनुकूल है।
2. **पोलार्ड(Pollard) –**वृक्ष, जिसका तना काटने या टूटने से लीडिंग शूट (Leading Shoot) क्षतिग्रस्त हो गई हो एवं ऊँचाई बढ़ने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो तथा तना काटने / टूटने के स्थान में प्ररोह निकले हैं या नहीं निकले हैं। प्रतिकर्तन हेतु पोलार्डेड वृक्ष की अधिकतम ऊँचाई 2.5 मीटर रहेगी।

3. **ठूँठ** (Stump)–ऐसा वृक्ष, जिसे जमीन से 1.25 मीटर से कम ऊँचाई पर काटा गया हो एवं काटने के स्थान से प्ररोह निकले हों अथवा नहीं निकले हों।

4. **मृत** (Dead) **वृक्ष** –ऐसा वृक्ष, जिसका ऊपर से नीचे की ओर दो तिहाई हिस्सा सूख गया हो।

5. **मृत प्रायः** (Dying) **वृक्ष** – ऐसा वृक्ष, जिसका ऊपर से एक तिहाई हिस्सा सूख गया हो।

6. **अस्वस्थ**(Unhealthy) **वृक्ष** –ऐसा वृक्ष, जो इतना क्षतिग्रस्त या पोला हो, कि उसमें उसी माप के स्वस्थ वृक्ष की तुलना में 50 प्रतिशत काष्ठ प्राप्त हो।

7. **क्षतिग्रस्त** (Damaged) **वृक्ष** – ऐसा वृक्ष, जिसका मुख्य तना टूट गया हो और जिसमें आगे बढ़त की तथा सामान्य वृक्ष बन सकने की संभावना न हो।

8. **विकृत** (Malformed) **वृक्ष** – वृक्ष जिसके तने की सामान्य बनावट उसी क्षेत्र में पाये जाने वाले अन्य वृक्षों की तुलना में विकृत है। दूसरे शब्दों में ऐसा वृक्ष जिसका तना, शाखायें आदि आस–पास के अन्य वृक्षों की तुलना में टेढ़ी एवं विकृत हैं।

9. **रोगग्रस्त**(Diseased) **वृक्ष** – ऐसा वृक्ष, जिसमें कीटों या कवक का इतना आक्रमण हो चुका हो कि वृक्ष के अगले पातन चक्र तक बचने की संभावनायें कम हों।

10. **कामी**(Sound) **वृक्ष** – बिना किसी दोष वाला ऊपरी तौर पर कामी (इमारती) दिखने वाला वृक्ष।

11. **अर्धकामी** (HalfSound)**वृक्ष** –ऐसा वृक्ष, जिसमें 50 से 75 प्रतिशत तक इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है।

12. **अकामी**(Un Sound) **वृक्ष** –ऐसा वृक्ष, जिसमें से 25 से 50 प्रतिशत इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है।

13. **वनवर्धनिक दृष्टि से उपलब्ध वृक्ष** –परिपक्व गोलाई का ऐसा वृक्ष जिसके तने से 5 मीटर के घेरे में, 21 से.मी. से परिपक्व गोलाई तक की गोलाई के, कम से कम 2 स्वस्थ एवं स्वतंत्र रूप से बढ़ रहे वृक्ष उपलब्ध हों।

14. **बांस ठूँठ**– 2.5 मीटर से कम ऊँचाई से काटे गए/क्षतिग्रस्त बांस नाल(Culm)।

–––000–––

अध्याय–31
अमला एवं श्रमिक आपूर्ति
(Staff and Labour Supply)

31.1 अमला (Staff) :–

1 भोपाल वनमंडल का गठन 110/X–1/06.01.1983 दिनांक 06.01.1983 को किया गया था और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है।

2 यह वनमंडल 02 उपवनमंडलों, 6 वन परिक्षेत्रों एवं 12 परिसरों में विभाजित है। उप वनमंडलों के मुख्यालय भोपाल में है तथा परिक्षेत्रों के मुख्यालय भोपाल एवं बैरसिया है। वनमंडल में वर्तमान में उपलब्ध वनमंडल, परिक्षेत्र, उप परिक्षेत्र एवं परिसरों का विवरण निम्न तालिका में है :–

तालिका क्रमांक – 31.1
प्रशासनिक इकाईयॉ

<table>
<tr><th>प्रशासनिक इकाई</th><th>नाम एवं मुख्यालय</th><th>इकाई के गठन की अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक</th></tr>
<tr><td>1. वनमण्डल</td><td>सामान्य वनमण्डल भोपाल</td><td>110/X–1/6–1–83 दि. 06–01–1983</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. उप वनमण्डल</td><td>1. भोपाल (सामान्य)</td><td rowspan="2">एफ.25–9–2008–दस–3 भोपाल, दि. 27.06.2008</td></tr>
<tr><td>2. भोपाल (समन्वय)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3. परिक्षेत्र</td><td>1. समर्धा</td><td rowspan="2">एफ.25–9–2008–दस–3 भोपाल, दि. 27.06.2008</td></tr>
<tr><td>2. बैरसिया</td></tr>
<tr><td>3. नजीराबाद</td><td>प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का आदेश–क्रमांक/का.आ./मा.चि./पुर्न./02 दि. 06/01/2021</td></tr>
<tr><td>4. उड़नदस्ता</td><td rowspan="3">एफ.25–9–2008–दस–3 भोपाल, दि. 27.06.2008</td></tr>
<tr><td>5. भोपाल इकाई</td></tr>
<tr><td>6. ईको टूरिज्म</td></tr>
</table>

भोपाल वनमण्डल के के गठन के फलस्वरूप 5.10.1987 से 11.08.2021 तक पदस्थ रहे वनमण्डलाधिकारियों की सूची परिशिष्ट भाग–1 के परिशिष्ट क्रमांक–2 में दिया गया है।

तालिका क्रमांक–31.2
उप वनमण्डल, परिक्षेत्र, उप परिक्षेत्र एवं परिसरों की सूची

उपवनमंडल	परिक्षेत्र	उप परिक्षेत्र	परिसर
भोपाल सामान्य	समर्धा	1. समर्धा	1. दक्षिण समर्धा 2. उत्तर समर्धा 3. प्रेमपुरा
		2. पड़रिया	1. दक्षिण पड़रिया 2. उत्तर पड़रिया 3. कानासैया
		3. भोपाल	1. गोल 2. खजूरी 3. मेण्डोरा
		4. भानपुर	1. भानपुर 2. चीचली 3. समसपुरा 4. आमला
		5. बालमपुर	1. बालमपुर 2. अमोनी 3. कल्याणपुर
भोपाल सामान्य	बैरसिया	1. बैरसिया	1. बैरसिया 2. इमलिया नरेन्द्र 3. सुहाया 4. दामखेड़ा 5. कढैयाशाह 6. मूडला चट्टान
		2. बडली	1. बडली 2. सरखण्डी 3. भोजापुरा 4. कोटरा 5. बागापुरा 6. कढैययखो
		3. हर्राखेड़ा	1. हर्राखेड़ा 2. रतुआ 3. गुनगा 4. कलारा
	नजीराबाद	1. गढ़ा	1. गढ़ा 2. हरिपुरा 3. बीलखो 4. शाहपुर
		2. मजीदगढ़	1. खण्डारिया 2. चंद्रपुरा 3. गढ़ा ब्राहम्ण
		3. नजीराबाद	1. नजीराबाद 2. मंझेड़ा 3. सिंधौड़ा 4. खेरखेड़ा
		4. कोलूखेड़ी	1. कोलूखेड़ी 2. रावतपुरा

स्त्रोतः– वनमण्डल द्वारा प्राप्त मूलभूत जानकारी

भोपाल वनमंडल में स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–31.2
भोपाल वनमंडल में स्वीकृत पद

अ. क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	स्वीकृत पद					कार्यरत					रिक्त				
			UR	OBC	SC	ST	Total	UR	OBC	SC	ST	Total	UR	OBC	SC	ST	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	व.म./ व.सं.	1	0	0	0	0	**1**	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**0**
2	सहा.वन संरक्षक	2	0	0	0	0	**2**	2	0	0	0	**2**	0	0	0	0	**0**
3	वनक्षेत्रपाल	14	0	0	0	0	**14**	6	0	1	1	**8**	0	0	0	0	**-6**
4	उप–वनक्षेत्रपाल	20	0	0	0	0	**20**	6	0	3	0	**9**	0	0	0	0	**-11**
5	वनपाल	35	0	0	0	0	**35**	18	0	7	5	**30**	0	0	0	0	**-5**
6	वनरक्षक	153	106	19	22	6	**153**	85	38	21	7	**151**	-21	19	-1	1	**-2**
7	मुख्य लिपिक	2	0	0	0	0	**2**	0	0	1	1	**2**	0	0	0	0	**0**
8	लेखापाल	3	0	0	0	0	**3**	1	0	1	0	**2**	0	0	0	0	**-1**
9	सहा. ग्रेड–2	5	0	0	0	0	**5**	1	0	0	1	**2**	0	0	0	0	**-3**
10	पदोन्नत सहा. ग्रेड–3	4	0	0	0	0	**4**	2	0	1	0	**3**	0	0	0	0	**-1**
11	सहा. ग्रेड–3	15	10	2	2	1	**15**	10	1	1	2	**14**	0	-1	-1	1	**-1**
12	दफ्तरी	2	2	0	0	0	**2**	0	0	0	1	**1**	-2	0	0	1	**-1**
13	शीघ्र लेखक	1	0	0	0	0	**1**	0	0	1	0	**1**	0	0	1	0	**0**
14	मान–चित्रकार	2	0	0	0	0	**2**	1	0	0	1	**2**	0	0	0	0	**0**
15	वाहन चालक	16	11	2	2	1	**16**	8	1	1	0	**10**	-3	-1	-1	-1	**-6**
16	चतुर्थ श्रेणी	5	4	1	0	0	**5**	3	1	1	0	**5**	-1	0	1	0	**0**
	योग	**280**	**133**	**24**	**26**	**8**	**280**	**144**	**41**	**39**	19	**243**	**-27**	**17**	**-1**	**2**	**-37**

31.2 अमले का प्रशिक्षण (Staff Tranning) :–

31.2.1 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण :–

वन विभाग के वरिष्ठ स्तरीय भारतीय वन सेवा तथा राज्य सेवा के अधिकारियों को वानिकी एवं वानिकी संबंधी विषयों में प्रबंधन निपुणता के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है किन्तु विभाग के कनिष्ठ स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के पर्याप्त प्रशिक्षणों का अभाव है। अतः कनिष्ठ स्तर के वन कर्मियों के लिए भी वानिकी क्षेत्र की आधुनिकतम

तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही वनकर्मियों को अन्य वनवृत्तों एवं प्रदेशों में अध्ययन प्रवास पर ले जाना चाहिये जिससे अन्य जगहों पर किये गये वानिकी एवं अन्य विकास कार्यो की समझ प्राप्त होकर अनुभवों में बढ़ोतरी हो सके। जहां एक ओर प्राकृतिक वनों की सुरक्षा व विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है वहीं दूसरी ओर वनों के बाहर निजी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हो यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, ताकि वनों पर बढ़ती जा रही निर्भरता कम हो। इस हेतु वनाधिकारी/कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इससे आम जनता में इसकी आवश्यकता के संबंध में प्रचार/प्रसार करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा। आम जनता पर्यावरण संरक्षण एवं निजी उपयोग हेतु निजी क्षेत्रों में वनोपज के उत्पादन हेतु जागरूक हो सके इसलिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वनाधिकारी/वनकर्मियों के प्रशिक्षण से वे समर्पित भावना से बदले हुए परिपेक्ष्य में कार्य करें। प्रशिक्षण में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

31.2.2 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण :–

वनमण्डल में कार्यरत समितियों की संख्या 296 राष्ट्रीय वननीति के अनुसार मध्यप्रदेश में भी वनों की सुरक्षा व विकास कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विगत कुछ वर्षों से संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वनाधिकारी/कर्मचारियों के पारंपरिक कार्य पद्धति में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। तभी वे आम जनता के साथ कार्य करते हुए वनों की सुरक्षा व विकास कार्य में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। इस बदले हुए परिपेक्ष्य में वनाधिकारी एवं वनकर्मियों की पारंपरिक कार्य करने की पद्धति एवं मानसिकता में परिवर्तन लाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि के किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। वनों के संरक्षण एवं विकास में जन भागीदारी सुनिशिचित करने के लिये वन समितियों का भी प्रशिक्षण प्रतिवर्ष एक निश्चित अंतराल में लगातार किया जाना चाहिए। यह कार्यशालाओं के माध्यम से किया

जा सकता है। वन समिति सदस्यों को शासन का संकल्प एवं वन समितियों के अधिकार/दायित्वों से इन कार्यशालाओं के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिमाह वनमंडल के परिक्षेत्रों में से कुछ निर्धारित समितियों का प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये। इस हेतु प्रशिक्षण के लिये समितियों का रोस्टर बनाया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक समिति को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

तालिका क्रमांक–31.3
संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का विवरण

परिक्षेत्र	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
समर्धा	.	-	39	13594.79	39	13594.79
बैरसिया	.	-	50	11153.12	50	11153.12
नजीराबाद	.	-	37	10895.46	37	10895.46
योगः–	.	-	**126**	**35643.37**	**126**	**35643.37**

इनमें से कुल 17 समितियां की सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की गई – पिपलिया जहीरपीर अमोनी सूखी सेवनिया गढमुर्रा समसगढ़ भानपुर समर्धा चोरसागोन, बिलखिरिया, पडरिया, हरीपुरा, आमला, बड़झिरी, प्रेमपुरा, कालापानी, रसूलिया शेष 109 समितियों जिनकी सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जानी है । संयुक्त वन प्रबंधन समितियों कक्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट क्रमांक–52 में दिया गया है।

31.2.3 नवीन प्रणाली तकनीकी दक्षता कौशल विकास प्रशिक्षण :–

वानिकी कार्यों में लगे अमले की कार्य करने की निपुणता बढ़ाने के लिए समय–समय पर आधुनिकतम तकनीकी एवं अनुकूलन विषयों नवीन प्रणाली तकनीकी दक्षता एवं कौशल विकास, वन्यप्राणी संरक्षण, न्यायालयीन प्रक्रिया प्रशिक्षण दिया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न वानिकी कार्यों जैसे भू–जल संरक्षण, सामाजिक वानिकी, लगुण आदि के लिए विशिष्ट तकनीकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा सकते है। प्रशिक्षित अमले को कार्य सौंपते समय उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण विशेष का ध्यान रखा

जाना जरूरी है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं विभिन्न वानिकी कार्यों के सामयिक ज्ञान के अभाव में कार्य आयोजना प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन संभव नहीं है साथ ही बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में जन सहयोग के बिना वनों के संरक्षण तथा विकास के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। जन सहयोग तथा वानिकी कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ अमले को लोक व्यवहार का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। सुप्रशिक्षित क्षेत्रीय अमला कार्य आयोजना प्रावधानों के सही क्रियान्वयन, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं वानिकी को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील के पत्थर सिद्ध होंगें। बदले हुये वन प्रबंधन एवं विकास के प्रयासों में वनाधिकारी/कर्मियों के पारंपरिक कार्य पद्धति व मानसिकता में बदलाव लाये बिना संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से आम जनता को इस कार्य में जोड़ा जाना संभव नहीं है। अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण की प्रणाली अपनाई जाना चाहिए।

31.2.4 सूचना प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण :–

सूचना प्रोद्योगिकी के विकास के साथ वन विभाग में इस तकनीक का समावेश किया गया है। अभी वनमंडल स्तर तक कम्प्यूटर प्रणाली लागू की गई है। आगे इसे प्रभावी बनाने के लिये परिक्षेत्र स्तर तक लागू किया जाना आवश्यक है तभी इसका सही–सही उपयोग संभव हो सकेगा। यह देखा गया है कि कम्प्यूटर आदि की स्थापना तो प्रत्येक कार्यालय में कर दी जाती है लेकिन संचालन के लिये ऑपरेटर की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। यदि नई पदस्थिति संभव न हो सके तो उपलब्ध कर्मचारियों में से ही योग्य कर्मचारी का चयन कर उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इस कार्य मे लगाया जाना चाहिये। कार्यालय संबंधी समस्त कर्मचारियों तथा परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक एवं ऊपर के समस्त अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये। कम्प्यूटर के अलावा सर्वे, सीमांकन आदि कार्य हेतु अन्य उच्च तकनीकी उपकरण जैसे– जी.पी.एस., जी.आई.एस. मोबाईल मेपर, पी.डी.ए., वर्क

स्टेशन आदि का उपयोग वृहद रूप से किया जाना चाहिये, इस कार्य हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। कम्प्यूटर एवं अन्य आधुनिक उपकरणों के उचित रख–रखाव हेतु भी व्यवस्था की जाना चाहिये।

31.3 श्रमिक पूर्ति (Labour Supply) :–

1 वानिकी कार्यों के लिये श्रमिकों की उपलब्धता एक समस्या है हालांकि भोपाल जिले का जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है, परंतु कृषि क्षेत्र अधिक होने के कारण मार्च, अप्रैल तथा सितम्बर, अक्टूबर के महीनों में श्रमिकों की अत्याधिक कमी हो जाती है। गेहूं तथा अन्य कृषि उपजों की कटाई के लिये अधिकांश मजदूर जिले के बाहर से आता है और वानिकी कार्य के लिये भी बाहर के मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि का अधिकांश कार्य अब मशीनों के माध्यम से किया जाता है।

2 वनक्षेत्रों में श्रमिकों की हमेशा कमी बनी रहती है। विशेषकर बैरसिया परिक्षेत्र में जहां कि वनों का घनत्व अधिक है, परंतु कार्यशील जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। श्रमिकों की यह समस्या फसल कटाई और फसल बुआई के समय और अधिक विकट हो जाती हैं।

3 वनमंडल में विभिन्न वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सामान्यतः श्रमिक बल उपलब्ध होता है किंतु होली, दीपावली जैसे त्यौहारों पर, विवाह के समय पर एवं फसल बुवाई, कटाई के समय पर श्रमिक पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। गर्मी के दिनों में श्रमिकों की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। अतः वानिकी कार्यों की योजना बनाते समय एवं जॉबदर निर्धारण करते समय इन बातों का ध्यान दिये जाने से श्रमिक आपूर्ति में कठिनाई नहीं होगी। श्रमिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये विभिन्न वानिकी कार्यों का क्रियान्वयन की योजना बनाना भी आवश्यक है ताकि श्रमिक की आपूर्ति के कारण वानिकी कार्यों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सके।

31.4 कर्मचारी कल्याण (Staff Welfare) :–

कर्मचारी की कार्यक्षमता एवं कुशलता बढ़ाने के लिये कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों की अत्यंत आवश्यकता हैं। वन कर्मचारी दूरस्थ वनांचलों में पदस्थ होते हैं एवं कई स्थानों पर वनरक्षक एवं परिक्षेत्र सहायक हेतु आवास गृह उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों पर आवास गृह का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर किया जाना चाहिये। आवास गृह के निर्माण के समय पेयजल उपलब्धता, बिजली उपलब्धता का ध्यान रखा जायेगा। वनकर्मी दूरस्थ अंचलों में पदस्थ होते है एवं पदस्थ स्थानों पर पर्याप्त शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इसके लिये वनकर्मियों के परिवारजनों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु वनमंडल के मुख्यालय भोपाल में पृथक से छात्रावास का निर्माण किया गया है इसमें दूरस्थ आंचलो में पदस्थ वनकर्मियों को आंवटन दिया जाता है। ताकि वन कर्मियों के परिवार इस छात्रावास में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्यालय पर एवं परिक्षेत्र सहायक के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध कराया जाना चाहिये। वनकर्मियों को देय स्वत्यों के भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो इसे दूर किये जाने के प्रयास आवश्यक हैं। ईमानदार, लगनशील, परिश्रमी एवं समर्पित भावना से कार्य कर रहे वनकर्मियों को समुचित पुरूस्कार प्रशंसा पत्र प्रदाय किये जाने से जहॉ एक ओर उन कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर अन्य कर्मचारियों के लिये वह एक मार्गदर्शिका बनेगा जिससे कि वे प्रेरित हो सकें।

31.5 श्रमिक कल्याण (Labour Welfare) :–

31.5.1 विधिक, तकनीकी सहायता :– वानिकी कार्यों में लगे श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। चूंकि श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। सभी प्रचलित श्रम कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सुविधाएं श्रमिकों को नियोजक द्वारा स्वतः उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि श्रमिकों का शोषण नहीं हो। श्रमिक कल्याण हेतु अन्य उपाय तथा प्रशिक्षण, सही पड़ाव व्यवस्था और सामयिक भुगतान, उन्नत वानिकी तकनीकी की

जानकारी तथा श्रम कार्य हेतु समुचित उन्नत किस्म के उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिए। कार्यस्थलों पर पेयजल तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

31.5.2 कार्य कुशलता वृद्धि :– श्रमिक कल्याण के लिए किये गये उपाय काफी कम है। विभिन्न वानिकी कार्यों जैसे चिन्हांकन, वृक्षारोपण, पातन एवं लगुण निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए उचित व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत कार्य की सही तकनीक तथा विकसित औजारों जैसे आरे आदि के उपयोग का प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ेगी तथा उतने ही श्रम में अधिक कार्य करने से उनकी आय में भी वृद्धि होगी। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत गठित वन सुरक्षा समिति/ग्राम वन समितियों के सदस्य जो कि अधिकांश श्रमिक होते हैं, उनके पारिश्रमिक भुगतान में कुछ सीमित हिस्सा श्रमिकों की स्वेच्छानुसार सेल्फ ग्रुप के माध्यम से बचत करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि श्रमिक कर्जे से मुक्त हो सकें एवं उनकी आवश्यकताओं हेतु धनराशि उपलब्ध हो सके। समितियों के बैंक खाते में समिति सदस्यों द्वारा वन सुरक्षा एवं रख–रखाव की राशि जमा की जाती है। इस राशि से सामुदायिक उपयोग के संसाधन निर्मित किये जाने चाहिये। इससे समिति सदस्यों का एवं उनके ग्रामों का विकास होगा। इस हेतु वन संसाधन विकास योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए एवं समिति खाते में जमा राशि का इन कार्यों के लिये उपयोग किया जाना चाहिए।

31.6 मजदूरी (Wages) :–

जिले में श्रमिकों की मजदूरी दर समय–समय पर जिलाध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। वानिकी कार्य श्रम साध्य एवं तकनीकी होने के कारण इन कार्यो के लिये अधिक दर अथवा विशेष दर निर्धारित करना आवश्यक है।

31.7 वर्तमान दैनिक मजदूरी की दरें (Current Wages Rate) :–

दिनांक 19.10.2020 भोपाल जिले में श्रमिकों की निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं

तालिका क्रमांक – 31.4
भोपाल जिले में श्रमिकों की निर्धारित दरें

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपयें में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	216.66	1900.00	63.33	8400.00	280.00	280.00
अर्द्ध कुशल	7057.00	235.23	2200.00	73.33	9257.00	308.56	309.00
कुशल	8435.00	281.16	2200.00	73.33	10635.00	354.56	354.00
उच्च कुशल	9735.00	324.50	2200.00	73.33	11935.00	397.83	398.00

*****

अध्याय–32
नियंत्रण हेतु संधारणीय अभिलेख
(Maintenance Of Records For Control)

32.1 प्रस्तावना (INTRODUCTION) :–

कार्य आयोजना अवधि में विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में अभिलेखन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि कार्य आयोजना के प्रावधानों का क्रियान्वयन के परिणामों से अवगत हो सके एवं आयोजना अवधि में तथा भावी कार्य आयोजना बनाने हेतु यह अभिलेखित जानकारी उपयोगी सिद्ध हो सके।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड– 2014 एवं कार्य आयोजना मार्गदर्शिका 2015 म0प्र0 शासन भोपाल के अनुसार कार्य आयोजना प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन पर नियंत्रण एवं मूल्यांकन के लिए तत्कालीन सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एवं बरार के मुख्य वन संरक्षक के परिपत्र क्रमांक/1923/एच–326, दिनांक 28 मार्च, 1947 एवं तदुपरांत समय–समय पर जारी स्थायी मानक आदेशों के अधीन निर्धारित अभिलेख रखे जावेंगे। नियंत्रण हेतु वानिकी वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का रहेगा। निम्नानुसार अभिलेखों का संधारण आवश्यक रूप से क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा (अंतिम वित्तीय वर्ष तक के) किया जाना चाहियें:–

1. क्षेत्रफल पंजी
2. उपचारांश का नियंत्रण प्रपत्र
3. कक्ष इतिहास एवं वनखण्ड इतिहास
4. वनमण्डल पुस्तिका
5. रोपणी एवं वृक्षारोपण पुस्तिका
6. चराई नियंत्रण पत्रक
7. वर्षा एवं तापमान के अभिलेख
8. जल स्तर का अभिलेख
9. परिक्षेत्र आदेश पुस्तिका
10. कार्य आयोजना संशोधन पत्रक
11. विचलन पत्रक

12. परिसर पुस्तिका व मानचित्र
13. वन्यप्राणी गणना पंजी
14. संयुक्त वन प्रबंधन पंजी
15. भवन एवं मार्ग पुस्तिका
16. अग्नि पुस्तिका
17. सीमा मुनारों की पंजी।
18. वर्षवार किए गए वृक्षारोपणों की सूची (भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, तथा रोपण योजना की जानकारी सहित)
19. अधिकारों एवं रियायतों की पंजी।
20. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत अधिकार पत्रों की पंजी।
21. वनभूमि में दिए गए पट्टों की पंजी।
22. वनोपज विदोहन के अभिलेख।
23. निःशुल्क सुविधाएँ।
24. वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अन्य विभागों एवं वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के हस्तांतरण की पंजी।
25. चराई/घास बीड़ पंजी।
26. पशु/जन/फसल हानि एवं मुआवजा पंजी।
27. शासकीय भवनों की पंजी।
28. अनुज्ञापित बन्दूकधारियों की पंजी।
29. वनमण्डल के अंतर्गत पंजीकृत आरा मशीनों की पंजी।
30. वन अपराध प्रकरण पंजी।
31. न्यायालयीन प्रकरण पंजी।

32.2 क्षेत्रफल पंजी (AREA REGISTER):–

वनमण्डल के आरक्षित तथा संरक्षित वनों के लिए मानक शीर्षकों के अनुसार क्षेत्रफल पंजी (Form No.1) आवश्यक रूप से संधारित की जावेंगी। किसी भी

वन क्षेत्र के हस्तांतरण अथवा स्थिति परिवर्तन की दशा में इसका उल्लेख मय अधिसूचना के क्षेत्रफल पंजी में आवश्यक रूप से किया जावेगा। क्षेत्रफल पंजी की सभी प्रविष्टियां वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी। कार्यालय निरीक्षण के दौरान वनसंरक्षक द्वारा पंजी की सही रख–रखाव सुनिश्चित किया जावेगा। वर्तमान में लागू वनमण्डल एवं परिक्षेत्र की क्षेत्रफल पंजी का नमूना परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्र0–132 में दिया गया है। विगत वर्षों में कई आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्डों के भागों को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अन्य विभागों को हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त वन व्यवस्थापन के अन्तर्गत भी कुछ वन क्षेत्र निर्वनीकृत किया गया है। अतः क्षेत्रफल पंजी को संशोधित कर आज की स्थिति में लाने की आवश्यकता है। साथ ही संरक्षित वनखण्डों हेतु क्षेत्रफल पंजी संधारित किए जाने की आवश्यकता है। उक्त दोनों पंजी अद्यतन स्थिति में रखना वनमंडलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। कक्ष इतिहास नस्तियों में आवश्यक प्रविष्टि करने हेतु निर्देश एवं मार्गदर्शिका परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–133 पर दी गई है।

32.3 उपचारांश का नियंत्रण पत्रक :–

यह प्रपत्र माह सितंबर में गत 30 जून को समाप्त हुये वन वर्ष के लिये लिखा जावेगा। यह प्रपत्र दो प्रतियों में परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–134 में दिये गये मानक प्रारूप में सभी उपचार श्रेणियों के लिए अनुरक्षित किया जावेगा। प्रत्येक उपचार श्रेणी में नियत प्रत्येक संकार्य तथा मुख्य पातन और सहायक वनवर्धनिक कार्य के लिए एक फार्म उपयोग किया जायेगा। नियंत्रण फार्म की एक प्रति वनमण्डल कार्यालय में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति प्रतिवर्ष जांच के लिए क्षेत्रीय वनसंरक्षक के माध्यम से संबधित वनसंरक्षक कार्य आयोजना वृत्त को भेजी जायेगी। प्रत्येक कार्य सीजन के अंत में इस महत्वपूर्ण अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां कर इसे अद्यतन किया जाना चाहिए। उपचाराशों में कार्य नहीं करने अथवा अपलेखन करने के कारण टिप्पणी के कॉलम में दिये जाने चाहिए। प्रविष्टियां वनमण्डल अधिकारी अथवा उनके

राजपत्रित सहायक द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिये। मुख्य वनसंरक्षक द्वारा कार्यालय निरीक्षण के समय इस अभिलेख का निरीक्षण किया जाना चाहिये।

32.4 कक्ष इतिहास एवं वनखण्ड इतिहासः–

वनमण्डल के समस्त परिक्षेत्रों के समस्त कक्षों के कक्ष इतिहास उपलब्ध हैं। प्रत्येक कक्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में कक्ष इतिहास की दो प्रतियाँ संधारित की गईं हैं। जिनकी एक प्रति वनमण्डल कार्यालय में तथा दूसरी प्रति संबंधित परिक्षेत्र कार्यालय में रखी जावेगी। प्रत्येक कक्ष में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर संपादित समस्त कार्य, आय–व्यय, परिवर्तन इत्यादि की नियमित जानकारी के लिए निर्धारित मानक प्रारूपों में कक्ष इतिहास का रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। कक्ष इतिहास नवीन प्रपत्र में बनाये गये हैं।

कक्ष इतिहास का मानक प्रारूप परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–135 एवं वनखण्ड इतिहास के संधारण हेतु मानक प्रारूप परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–136 में दिया गया है। प्रत्येक कक्ष इतिहास की प्रपत्र का लेखन कार्य आयोजना के पुनरीक्षण के दौरान किया गया है। भविष्य में जब भी कक्ष में कोई कार्य किया जावेगा उससे संबंधित भौतिक एवं आर्थिक विवरण, उपचार मानचित्र आदि की प्रति कक्ष इतिहास पत्रावली में लगाई जावेगी। कोई भी प्रेक्षण या सूचना राजपत्रित अधिकारी द्वारा संपादित टंकण के उपरान्त कक्ष इतिहास में सम्मिलित की जावेगी। वनमण्डल कार्यालय निरीक्षण एवं परिक्षेत्र कार्यालय निरीक्षण के दौरान वनसंरक्षक तथा वनमण्डलाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से कक्ष इतिहास प्रपत्रों का समुचित रखरखाव एवं संगत जानकारियों की सामयिक प्रविष्टि सुनिश्चित् की जावेगी। कक्ष इतिहास के प्रपत्र की उपरोक्तानुसार जानकारी तीन प्रतियों में बनाई गई है, जिनमें से एक प्रति वनमण्डल कार्यालय, दूसरी प्रति परिक्षेत्र कार्यालय एवं तीसरी प्रति वनसंरक्षक कार्य आयोजना के कार्यालय में रखी जावेगी।

कक्ष इतिहास पुस्तिकाऐं में आवश्यक वार्षिक प्रविष्टि करने बावद् प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक का.आ. / मा.चि / 2007 / 357 दिनॉक

13.04.2007 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये है। इसका पालन सुनिश्चित करना वनमण्डल अधिकारी का दायित्व रहेगा।

सामान्यतः यह देखा गया है कि कक्ष इतिहास में सिर्फ उस कक्ष में किये गये कूप विदोहन की जानकारी ही प्रविष्टि की जाती है। कक्ष में किये गये समस्त वन–वर्धनिक कार्यो एवं सस्य में परिवर्तन की जानकारी, स्थानीय घटनायें जैसे आग, वन्य जीवों के प्रकट होने की सूचना आदि भी दर्ज करना चाहिये।

वनमण्डल के कक्षों के इतिहास की एक सी.डी. वनमण्डल अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है, इसमें प्रतिवर्ष अद्यतन जानकारियां भरवाना सुनिश्चित् करेंगे।

तालिका क्रमांक – 32.1

क्रमांक	प्रपत्र क्र.	विवरण	प्रपत्र जिसके द्वारा भरा जावेगा।
क.	प्रपत्र 1	कक्ष विवरण	कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
ख.	प्रपत्र 2	कक्ष में खड़े वृक्षों की परिगणना	कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
ग.	प्रपत्र 3	जैव विविधता आंकलन	कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
घ.	प्रपत्र 4	प्रबंधन का विवरण	कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
ड.	प्रपत्र 5	अकाष्ठ वनोपज का विवरण मानचित्र सहित	वन मंडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
च.	प्रपत्र 6	पातन हेतु चिन्हांकित वृक्षों का विवरण	वन मंडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
छ.	प्रपत्र 7	कक्ष से प्राप्त वनोपज का विवरण	वन मंडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
ज.	प्रपत्र 8	अकाष्ठ वनोपज की प्राप्ति	वन मंडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।
झ.	प्रपत्र 9	विगत एवं प्रचलित कार्य आयोजनाओं की महत्वपूर्ण घटनायें	वन मंडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

वनखण्ड वैधानिक रूप से अधिसूचित सतत वनक्षेत्र है, जिसकी सुपरिभाषित सीमाएं होती है। वनखण्डों के नाम सामान्यतः स्थानीय गांव अथवा स्थल के नाम से जाने जाते हैं। वनमण्डल में आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्डों के लिए पृथक–पृथक वनखण्ड इतिहास की पंजी संधारित की जायेगी जिसमें प्रत्येक वनखण्ड के गठन की अधिसूचना, वनखण्ड की सीमाओं का विवरण एवं अधिसूचित क्षेत्रफल, वनखण्ड को 1:250000 के स्केल पर मानचित्र, सम्मिलित कक्षों के क्रमांक रहेंगे और वनखण्ड के सीमा, वनक्षेत्रफल के परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी अधिसूचना क्रमांक सहित रहेंगे।

समय–समय पर वन विभाग से प्राप्त होने वाले गैर वनक्षेत्र आदि वह पूर्व स्थिति किसी भी वनखण्डों की सीमा से जुड़ी नहीं है तो उसे नये वनखण्ड के रूप में अधिसूचित कराया जायेगा परन्तु यदि वह क्षेत्र किसी भी वन खण्ड की सीमा से जुड़ा है तो उसे भी वनखण्ड में जोड़ते हुये उस वनखण्ड की सीमाओं को नये सिरे से अधिसूचित किया जावेगा।

किसी वनखण्ड के आंशिक क्षेत्र के निर्वनीकरण की अधिसूचना एवं बचे हुये क्षेत्र की परिवर्तित सीमाओं की अधिसूचना एक–दो आदेशों में अधिसूचित कराई जाये।

32.5 वनमण्डल पुस्तिका :–

वनमण्डल पुस्तिका मुख्यतः वनमण्डलाधिकारी के उपयोग हेतु वनमंडल के विभिन्न पर्यवेक्षणों तथा जानकारी दर्शाने वाला मुख्य संधारित अभिलेख है। इसमें वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रेक्षित या एकत्रित सामान्य रूचि की सूचना अथवा जानकारी सम्मिलित की जावेगी। इसे तीन प्रतियों में टंकण किया जाकर एक प्रति वनमण्डल पुस्तिका, दूसरी प्रति संबंधित कक्ष इतिहास एवं तीसरी प्रति वन संरक्षक कार्य आयोजना की नस्ती में नस्तीबद्ध की जावेगी।

एकरूपता के लिये वनमण्डल पुस्तिका के लिए वन संरक्षक कार्य आयोजना के परिपत्र क्रमांक डब्ल्यू.पी. / 714, दिनांक 04–05–1963 में दिये गये मानक शीर्षकों के अनुसार इस अभिलेख को खुले पृष्ठों वाली फाईल में रखा जावेगा। वनमण्डल पुस्तिका हेतु निर्धारित नमूना परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्र0–137 में दिया गया है।

32.6 रोपणी एवं वृक्षारोपण पुस्तिकाः–

प्रत्येक रोपणी एवं वृक्षारोपण हेतु रोपणी / वृक्षारोपण पुस्तिका संधारित की जावेगी। इन पंजियों में रोपणी / वृक्षारोपण से संबंधित विभिन्न कार्यों का तथा उन पर हुए व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों के लिए निर्धारित प्रपत्र का नमूना क्रमशः परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट परिशिष्ट क्रमांक–138 में दिया गया है। रोपणी / वृक्षारोपण पुस्तिका स्थायी एवं महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका रख–रखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। ताकि इसमें

आवश्यकतानुसार जानकारी उपलब्ध हो सके। वृक्षारोपण के सर्वेक्षण उपरांत उपचार मानचित्र 1:12,500 मापमान के मानचित्र पर अंकित कर वृक्षारोपण पुस्तिका एवं कक्ष इतिहास दोनों में लगाया जावेगा।

32.7 चराई नियंत्रण पत्रक :–

परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–139 में दिये गये नमूना के अनुसार मानक प्रपत्र में चराई नियंत्रण पत्रक संधारित किया जावेगा। यह दो प्रतियों में रखा जावेगा। एक प्रति वनमण्डल में रखी जावेगी। दूसरी प्रति, क्षेत्रीय वन संरक्षक को प्रेषित की जावेगी।

32.8 वर्षा एवं तापमान के अभिलेख :–

स्थानीय जलवायु (Micro-Climate) विभिन्नताओं को ज्ञात करने एवं वृक्षारोपण आदि परियोजनाओं में इसके उपयोग के लिए वर्षा तथा तापमान के स्थानीय आंकड़ों का अभिलेख रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्यालय पर वर्षा मापक यंत्र रखा जावेगा तथा वर्षा के आंकड़ों का वनमण्डल कार्यालय में विश्लेषण कर अभिलेख संधारित किया जावेगा। वर्षा एवं तापमान के अभिलेख रखने हेतु प्रपत्र परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–140 में दिये गये है।

32.9 जल स्तर का अभिलेख :–

कुओं के जल स्तर से पौधों की वृद्वि के लिये उपलब्ध भू–जल के बारे में संकेत मिलता है। इस संबध में मुख्य वन संरक्षक के परिपत्र क्रमांक 9727 दिनांक 4–3–1962 एवं वन संरक्षक कार्य आयोजना वृत्त, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 428 दिनांक 23–12–1984 के निर्देशानुसार विभाग द्वारा संधारित समस्त कुओं में 31 मई की स्थिति में जल स्तर की गहराई वास्तविक मापन कर अभिलेख रखा जायेगा। इसके लिये निर्धारित नमूना प्रपत्र परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–141 में दिया गया है।

32.10 परिक्षेत्र आदेश पुस्तिका :–

निरीक्षण करने वाले उच्च अधिकारियों के द्वारा स्थल पर आदेशों को अभिलेखन करने हेतु सभी परिक्षेत्र कार्यालयों में परिक्षेत्र आदेश पुस्तिका

अनुरक्षित की जायेगी। इसमें दिये गये आदेशों का पालन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जाकर वनमंडलाधिकारी को सूचित किया जावेगा। इसके लिये निर्धारित नमूना प्रपत्र परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–142 में दिया गया है।

32.11 कार्य आयोजना संशोधन पत्रक :–

इस कार्य आयोजना के लागू होने के पश्चात् जारी किये गये सभी संशोधनों की प्रविष्टि कार्य आयोजना की पुस्तक में उचित स्थान पर चिपकाए जावेंगे। कार्य आयोजना संशोधन पत्रक का विवरण परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–143 पर दिया गया है।

32.12 कार्य आयोजना से विचलन पत्रक :–

बड़े पैमाने पर किये जाने वाले ऐसे कार्यो, जिनका उल्लेख कार्य आयोजना में नहीं है, को कार्य आयोजना से विचलन माना जावेगा। ऐसे कुछ कार्य निम्न हैः–

i. किसी विशेष परियोजना के लिये कटाई।

ii. किसी क्षेत्र में हुई अत्यधिक कटाई।

iii. किसी विशेष कारण से कार्य आयोजना क्षेत्र या उसके किसी भाग में पातन या कार्य आयोजना में प्रस्तावित किसी अन्य उपचार को बंद या स्थगित करना। यह कार्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किये जायेंगे।

कार्य आयोजना से विचलन दर्शाने वाले पत्रक का नमूना परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–144 में दिया गया है।

32.13 परिसर पुस्तिका एवं परिसर मानचित्र :–

प्रत्येक परिसर रक्षक को एक परिसर पुस्तिका दी जायेगी, जिसमें वह वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाले मौखिक निर्देश दर्ज करेगा और संबधित अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। दिये गये आदेशों के अनुसार निश्चित अवधि में कार्यवाही पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्रत्येक परिसर का मानचित्र वनमंडलाधिकारी द्वारा बनवाया जाकर संबंधित परिसर रक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे परिसर रक्षक द्वारा परिसर पुस्तिका में चस्पा किया जायेगा। यह मानचित्र 1:12,500 के स्केल पर होगा। इसी प्रकार प्रत्येक परिक्षेत्र सहायक को उसके क्षेत्र का 1:12,500 के स्केल पर मानचित्र उपलब्ध कराया जायेगा।

परिक्षेत्र सहायक व परिसर रक्षक को दिये जाने वाले मानचित्र संनिधि मानचित्रों की सत्यप्रति होगी जिसमें संबधित कर्मचारी का कार्य क्षेत्र दर्शाया जायेगा। परिक्षेत्र सहायक के मानचित्र में परिसरों की सीमायें भी दर्शायी जायेंगी। मानचित्र प्रदाय पंजी का प्रारूप परिशिष्ट भाग–2 के परिशिष्ट क्रमांक–145 में दिया गया है।

32.14 वन्यप्राणी गणना पुस्तिका :–

प्रत्येक वर्ष होने वाली वन्यप्राणी गणना का अभिलेख प्राणीवार परिक्षेत्र स्तर पर संधारित किया जावेगा, जिसकी प्रति वनमण्डल में भी रखी जावेगी। वन्यप्राणी गणना के आंकड़ों के विश्लेषण उपरांत जो परिणाम प्राप्त होंगे उनका विवरण परिक्षेत्र कार्यालय एवं वनमण्डल कार्यालय में रखा जावेगा।

32.15 संयुक्त वन प्रबंधन अभिलेख :–

समितियों का पंजीयन, आबंटित क्षेत्र, समय–समय पर प्रदाय राशि, समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य, समिति के वित्तीय अभिलेख, अंकेक्षण, परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं अन्य विभिन्न जानकारियों का अभिलेखन मूलतः परिक्षेत्र स्तर पर रखा जायेगा तथा इसकी प्रति वनमण्डल स्तर पर भी संधारित की जायेगी।

32.16 भवन एवं मार्ग पुस्तिका:–

वनमंडल में भवनों एवं वन मार्गो के संबंध में पंजी संधारित की जायेगी जिसमें समस्त प्रकार के भवन निर्माण वर्ष, लागत एवं प्रतिवर्ष रख–रखाव के व्यय का उल्लेख किया जायेगा।

32.17 अग्नि पुस्तिका :–

वनक्षेत्रों में अग्नि की घटनाओं से संबंधित पंजी संधारित की जायेगी जिसमें अग्नि घटना की तिथि, स्थान, क्षेत्रफल एवं वनोपज क्षति की मूल्य आदि का विवरण रखा जायेगा।

32.18 मध्यावधि समीक्षा :–

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म0प्र0 भोपाल द्वारा राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड–2014 के तहत कार्य आयोजना मार्गदर्शिका 2014 में जारी निर्देशों के अनुसार मध्यावधि समीक्षा के प्रपत्र आलेख भाग–2 अध्याय–35 मध्यावधि समीक्षा में दर्शाये अनुसार संधारित किये जावेंगे।

अध्याय –33
सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान एवं कार्य आयोजना पुनरीक्षण पर व्यय
(General Financial Forecasting and Working Plan Expenditure on Revision)

33.1 सामान्य :–

वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति एवं वर्ष 2005 की राज्य वन नीति में वनों को राजस्व अर्जित करने का श्रोत नहीं माना गया है। जैसा कि कार्य आयोजना के भाग II के अध्याय एक में लेख है, राष्ट्रीय वन नीति एवं राज्य वन नीति का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वनों का संरक्षण, परिरक्षण, निस्तार आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है अतः संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कार्य आयोजना में सीमित विदोहन के प्रावधान किये गये हैं। वित्तीय अनुमान लगाने में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाना होगा।

व्यय की गणना करने के लिये वार्षिक उपचार इकाई (कूप coupe) को आधार माना गया है। विभिन्न कार्य वृत्तों में विभिन्न प्रबंध/उपचार श्रेणियों में आने वाले वन क्षेत्र को कार्य वृत्त के उपचार चक्र के अनुसार वार्षिक उपचार ईकाइयों में विभाजित किया गया है।

विभिन्न कार्य वृत्तों में निर्धारित उपचारों के क्रियान्वयन हेतु व्यय की गणना अलग–अलग की गई है। सुधार कार्यवृत्त, बिगड़े वनों का पुनर्स्थापन कार्य वृत्तों में भी रिक्त एवं विरल क्षेत्रों (Us1,BL1) में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है एवं व्यय का आकलन किया गया है।

33.2 वित्त को प्रभावित करने वाले कारक :–

1 वनों में एकरूपता नहीं है जिससे समान वार्षिक उपज वाले पातनांशों का निर्धारण कठिन है।

2 वार्षिक राजस्व पर, वार्षिक विदोहन की मात्रा, मांग, विदोहन तकनीक, उपयोग, इमारती लकड़ी के वैकल्पिक साधनों, आयात, निर्यात, औद्योगिकीकरण आदि कई अप्रत्याशित कारकों का प्रभाव पड़ता है।

3 इस क्षेत्र की सभी वनोपज बिक्री योग्य है। सागौन, साजा, धावड़ा, लेण्डिया आदि प्रजातियों की सभी आकार की इमारती लकड़ी आसानी से विक्रय होती है। मुख्य प्रजातियों की लकड़ी की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य कम महत्व की प्रजातियों का बाजार तैयार हो रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में और अधिक मिश्रित प्रजातियों की मांग बढ़ेगी तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

4 मिश्रित प्रजातियों की बल्लियों की क्षेत्र में अच्छी मांग है यद्यपि जलाऊ लकड़ी का राज्य के बाहर निर्यात खोल दिया गया है लेकिन स्थानीय मांग काफी होने से उत्पादित समस्त जलाऊ लकड़ी की खपत स्थानीय रूप से होने की संभावना है।

5 तेन्दूपत्ता आदि लघुवनोपज के मूल्यों में भी कुछ वृद्धि संभावित है जिससे आय में वृद्धि होगी।

33.3 वनमंडल के व्यय में भी निम्न कारणों से वृद्धि संभावित है :–

1 कार्य आयोजना में भूमि संरक्षण कार्यो, बड़े पैमाने पर बिगड़े वनों के सुधार तथा वृक्षारोपणों का प्रावधान किया गया है। इन सभी कार्यो के क्रियान्वयन से व्यय में वृद्धि होगी।

2 रोपण क्षेत्रों, पुनरूत्पादित क्षेत्रों एवं विदोहित पातनांशों में आगामी वर्षो तक रखरखाव कार्य एवं प्रभावी अग्नि सुरक्षा तथा चरण बंदी के उपाय किये जाने होंगें। इसमें अतिरिक्त व्यय आयेगा।

3 कुछ आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण, कुंओं, तालाबों के निर्माण, वन सुरक्षा हेतु अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव कार्य आयोजना में किये गये हैं जिनसे व्यय बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त जैव विविधता संरक्षण कार्यो, अकाष्ठ वनोपज प्रबंधन कार्यो एवं वन्य प्राणी संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन में भी अतिरिक्त व्यय आयेगा।

4 कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की दरों में प्रतिवर्ष वृद्धि के कारण आयोजनेत्तर व्यय तेजी से बढ़ रहा है। श्रमिकों की दैनिक दरों में वृद्धि होती जा रही है।

33.4 आगामी 10 वर्षो में प्रतिवर्ष व्यय का अनुमान :–

वर्तमान आर्थिक स्थिति मे आने वाले उतार चढ़ाव तथा बजट आवंटन की नीति में समय–समय पर होने वाले बदलाव के कारण व्यय का अनुमान लगाया जाना अत्यंत दुष्कर है तथापि कार्य आयोजना में निर्धारित उपचारों के सामयिक एवं सफल क्रियान्वयन के लिये व्यय का प्रत्येक कार्य वृत्त में कुछ assumption किये गये है।

33.4.1 सुधार कार्य वृत्त :–

इस कार्य वृत्त में कूपों में विदोहन के उपरांत पांच वर्षीय रखरखाव एवं पांच प्रतिशत रोपण योग्य क्षेत्र को मानते हुए व्यय की गणना की गई है।

वर्तमान कार्य आयोजना अवधि में सुधार कार्य वृत्त हेतु कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में व्यय का आकलन वन संरक्षक द्वारा निर्धारित जॉब दर के आधार पर व वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर रू. 280.0 एवं यथा आवश्यक सामग्री के मान से निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका क्रमांक–33.1

सुधार कार्यवृत्तः– क्षेत्रफल 16584.94 हे0 उपचार चक्र 20 वर्ष उपचार श्रेणी–15, औसत वार्षिक क्षेत्रफल–829.247 हे

क्र	वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.) में	मानव दिवस	दर	राशि (लाख रू में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	प्रथम, वर्ष (सीमांकन, चिन्हांकन, वन वर्धनिक कार्य, भू–जल संरक्षण एवं सुरक्षा आदि)	829.247	30	280	69.66
		द्वितीय वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, एवं सुरक्षा आदि)	829.247	10	280	23.22
		तृतीय वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	829.247	9	280	20.90
		चतुर्थ वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	829.247	10	280	23.22
		पचंम वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	829.247	9	280	20.90
		षष्ठम वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	829.247	10	280	23.22
				योग :–		**181.11**
2	2022-23	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	294	190.16
3	2023-24	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	309	199.87
4	2024-25	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर	829.247	78	324	209.57

क्र	वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.) में	मानव दिवस	दर	राशि (लाख रू में)
1	2	3	4	5	6	7
		रखरखाव के कार्य तक				
5	2025-26	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	340	219.92
6	2026-27	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	357	230.91
7	2027-28	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	375	242.55
8	2028-29	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	394	254.84
9	2029-30	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	414	267.78
10	2030-31	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	829.247	78	434	280.72
			कुल 10 वर्षों का योग			**2277.43**
			औसत वार्षिक राशि (लाख में)			**227.74**

33.4.2 बिगड़े वनों का पुनर्स्थापन कार्य वृत्त :– वर्तमान कार्य आयोजना अवधि में बिगड़े वनों का पुनर्स्थापन कार्य वृत्त हेतु, कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में व्यय का आकलन वन संरक्षक द्वारा निर्धारित जाब दर के आधार पर व वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर रू. 280 एवं यथा आवश्यक सामग्री के मान से निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका क्रमांक–33.2

बिगड़े वनो का पुनर्स्थापन कार्यवृत्त :– क्षेत्रफल 18218.67 हे0 उपचार चक्र 10 वर्ष उपचार श्रेणी–43, औसत वार्षिक क्षेत्रफल–1821.87 हे0

क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.) में	मानव दिवस	दर	राशि(लाख रू में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	प्रथम, वर्ष (सीमांकन, चिन्हांकन , वन वर्धनिक कार्य, भू–जल संरक्षण एवं सुरक्षा आदि)	1821.87	34	280	173.44
		द्वितीय वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, एवं सुरक्षा आदि)	1821.87	14	280	71.42
		तृतीय वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	1821.87	9	280	45.91
		चतुर्थ वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	1821.87	10	280	51.01
		पचंम वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	1821.87	10	280	51.01
		षष्ठम वर्ष (सहायक वन वर्धनिक कार्य, रखरखाव, भू–जल संरक्षण, सुरक्षा आदि)	1821.87	15	280	76.52
				योग :–		**469.31**

क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.) में	मानव दिवस	दर	राशि(लाख रू में)
1	2	3	4	5	6	7
2	2022-23	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	294	492.78
3	2023-24	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	309	517.92
4	2024-25	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	324	543.06
5	2025-26	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	340	569.88
6	2026-27	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	357	598.37
7	2027-28	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	375	628.55
8	2028-29	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	394	660.39
9	2029-30	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	414	693.91
10	2030-31	प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष तक उपचार से लेकर रखरखाव के कार्य तक	1821.87	92	434	727.44
			कुल 10 वर्षो का योग			**5901.62**
			औसत वार्षिक राशि (लाख में)			**590.16**

33.4.3 वृक्षारोपण कार्य वृत्त :– इस कार्य वृत्त में रोपण के उपरांत दस वर्षीय रखरखाव एवं सुरक्षा के कार्य किए जाएंगे। वर्तमान कार्य आयोजना अवधि में वृक्षारोपण कार्य वृत्त हेतु, कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में व्यय का आकलन वन संरक्षक द्वारा निर्धारित जाब दर के आधार पर व वर्तमान में प्रचलित मजदूरी दर रू. 280.00 एवं यथा आवश्यक सामग्री के मान से निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका क्रमांक–33.3
वृक्षारोपण कार्यवृत्त :– क्षेत्रफल 6139.23 हे0 उपचार चक्र 10 वर्ष, श्रेणी–20 औसत वार्षिक क्षेत्रफल–613.92 हे0

क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.) में	मानव दिवस	दर	राशि (लाख रू में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	प्रथम वर्ष (सीमांकन, चिन्हांकन, क्षेत्र तैयारी वृक्षारोपण मूलक गतिविधियां)	613.92	150	280	257.85
		प्रथम वर्ष (चेनलिंग फेसिंग आर.सी. सी. पोल्स के साथ	613.92	360	280	618.83
		द्वितीय वर्ष (रोपण कार्य)	613.92	90	280	154.71
		तृतीय वर्ष (रख रखाव का प्रथम वर्ष)	613.92	55	280	94.54

क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.) में	मानव दिवस	दर	राशि (लाख रू में)
		चतुर्थ वर्ष (रख रखाव का द्वितीय वर्ष)	613.92	26	280	44.69
		पंचम वर्ष (रख रखाव का प्रथम वर्ष वर्ष)	613.92	16	280	27.50
		षष्ठम वर्ष (रख रखाव का प्रथम वर्ष)	613.92	15	280	25.78
		सप्तम वर्ष (रख रखाव का प्रथम वर्ष)	613.92	15	280	25.78
				योग :–		**1249.70**
2	2022-23	प्रथम वर्ष (सीमांकन, चिन्हांकन, क्षेत्र तैयारी वृक्षारोपण मूलक गतिविधियां)	613.92	727	294	1312.18
3	2023-24	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	309	1379.13
4	2024-25	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	324	1446.08
5	2025-26	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	340	1517.49
6	2026-27	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	357	1593.36
7	2027-28	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	375	1673.70
8	2028-29	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	394	1758.50
9	2029-30	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	414	1847.76
10	2030-31	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी से सप्तम वर्ष रख–रखाव तक)	613.92	727	434	1937.03
			कुल 10 वर्षों का योग			**15714.93**
			औसत वार्षिक राशि (लाख में)			**1571.49**

33.4.4 वन्य प्राणी एवं जैव विविधता (परस्परव्यापी) कार्य वृत्त :–

वन्य प्राणी एवं जैव विविधता (परस्परव्यापी) कार्य वृत्त मे कार्य आयोजना अवधि में किये जाने वाले कार्य एवं अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्नानुसार है।

तालिका क्रमांक–33.4

वन्य प्राणी एवं जैव विविधता (परस्परव्यापी) कार्यवृत्त		
क्रमांक	**कार्य का विवरण**	**राशि(रू.में)**
1	प्रचार प्रसार	2,00,000
2	प्रशिक्षण, गणना एवं आंकलन	4,00,000
3	जल स्त्रोतों का विकास	15,00,000
4	वन्य प्राणी प्राकृतावास एवं वासस्थलों का संरक्षण	10,00,000
5	रेस्क्यू स्क्वॉड हेतु आवश्यक उपकरण	4,00,000
6	वाच टावर का निर्माण	10,00,000
	योग	**45,00,000**

33.4.5 अकाष्ठ वनोपज (परस्परव्यापी) प्रबंधनः–

अकाष्ठ वनोपज (परस्परव्यापी) प्रबंधन कार्य वृत्त मे कार्य आयोजना अवधि में अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.5

क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा (हे./ कि.मी.)	मानव दिवस	दर	राशि (रू.में)
1	प्रचार प्रसार	-	-	-	2,00,000
2	प्रशिक्षण, एवं अनुसंधान	-	-	-	2,00,000
3	अधोसंरचना का विकास	-	-	-	5,00,000
4	अन्तःस्थलीय संरक्षण एवं संवर्धन (प्रथम से षष्टम वर्ष तक पुनरूत्पादन समूह के समान)	2558	78	280	5,58,66,720
योग					**5,67,66,720**

33.4.6 वन सुरक्षा प्रबंधन :–

वन सुरक्षा प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना अवधि में अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.6

वन सुरक्षा प्रबंधन		
क्रमांक	**कार्य का विवरण**	**राशि(रू.में)**
1	अधोसंरचना का विकास/कर्मचारियों के लिए आवास इत्यादि	35,00,000
2	उपकरण	15,00,000
3	वाहन/पी.ओ.एल.	8,00,000
4	सुरक्षा दल	10,00,000
	योग	**68,00,000**

33.4.7 संयुक्त वन प्रबंधनः–

संयुक्त वन प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना अवधि में अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.7

क्रमांक	कार्य का विवरण	राशि(रू.में)
1	प्रचार प्रसार	10,00,000
2	प्रशिक्षण	5,00,000
	योग	**15,00,000**

33.4.8 पारिस्थितकीय वन पर्यटनः–

पारिस्थितकीय वन पर्यटन हेतु कार्य आयोजना अवधि में अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.8

क्रमांक	कार्य का विवरण	राशि(रू.में)
1	महत्वपूर्ण स्थालों पर अधोसरंचनाओं एवं सुविधाओं का विकास, प्रचार–प्रसार	10,00,000
	योग	**10,00,000**

33.4.9 पंचवर्षीय सीमांकन :–

कार्य आयोजना अवधि में पंचवर्षीय सीमांकन हेतु अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.9

पंचवर्षीय सीमांकन कुल मुनारे 4825 निर्मित मुनारे 3607				
क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा (हे./ कि.मी.)	दर	राशि (रू.में)
1	पक्के मुनारों का निर्माण	1218	6500	79,17,000
2	मुनारों की मरम्मत	678	2000	13,56,000
			योग	**92,73,000**

33.4.10 अग्नि सुरक्षाः–

कार्य आयोजना अवधि में वनों को अग्नि सुरक्षा हेतु अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.10

क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा (हे./ कि.मी.)	मानव दिवस	दर	राशि (रू.में)
1	सीमारेखा की सफाई	948.74	3	280	7,96,942
2	वनमार्ग आदि की सफाई	226.77	3	280	1,90,487
3	अग्नि रक्षक	122	30	280	11,19,960
4	अन्य कार्य	100	60	280	18,36,000
योग					**39,43,389**

33.4.11 वनमार्गों का रखरखावः–

कार्य आयोजना अवधि में वनमार्गों का रखरखाव हेतु अनुमानित औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.11

क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा (हे./ कि.मी.)	मानव दिवस	दर	राशि (रू.में)
1	मार्गो का रखाव	226.77	25	280	15,87,390
योग					**15,87,390**

33.4.12 वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु जल स्त्रोतों एवं चारागाह क्षेत्रों का विकासः–

कार्य आयोजना अवधि में निर्मित किये जाने वाले जल छिद्रों के औसत व्यय के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं।

तालिका क्रमांक–33.12
प्रस्तावित जलश्रोत

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	जल छिद्रों की संख्या	अनुमानित लागत रूपयों मे (लाख में)
1.	बैरसिया / नजीराबाद	नजीराबाद	आर.एफ. 21 ए	01	1.25
2.		खेरखेड़ा	पी.एफ. 55	01	1.25
3.		मूड्डला चट्टान	आर.एफ. 75	01	1.25
4.		सोहाया	आर.एफ. 78, 77	02	2.5
5.		सरखण्डी	आर.एफ. 106	01	1.25
6.		कोटरा	आर.एफ. 110,112ए	02	2.5
7.		बडली	पी.एफ. 97, पी.एफ. 158 पी.एफ. 100	03	3.75
8.		शाहपुरा	पी.एफ. 71	01	1.25
9.		इमलिया नरेंद्र	आर.एफ. 128	01	1.25
10.		मझेरा	आर.एफ. 63 ए	01	1.25
11.	समर्धा	प्रेमपुरा	पी.एफ. 195	01	1.25
12		दक्षिण समर्धा	आर.एफ. 178, 179	02	2.5
13.		उत्तर समर्धा	आर.एफ. 177, 170	02	2.5
14.		अमला	आर.एफ. 206	01	1.25
15.		चीचली	आर.एफ. 219	01	1.25
16.		गोल	पी.एफ. 224	01	1.25
17.		समसपुरा	आर.एफ. 212	01	1.25
18.		अमोनी	आर.एफ. 172	01	1.25
19.		दक्षिण पड़रिया	पी.एफ. 198	01	1.25
20.		बालमपुर	पी.एफ. 160	01	1.25
				योग	**32.50**

33.5 अन्य विविध व्यय अनुमान :–

33.5.1 स्थापना व्यय :– भोपाल वनमण्डल में कर्मचारियों के वेतन एवं वेतन भत्तों पर वर्ष 2021–22 हेतु लगभग 1657.36 लाख़ रूपए का वार्षिक व्यय अनुमानित है।

तालिका क्रमांक–33.13

कार्य का विवरण	वार्षिक संभावित व्यय (लाख रूपये में)
भोपाल (सामान्य) व. म. कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि	1657.360
अन्य व्यय	-
योग	**1657.360**

33.5.1.1 भोपाल वनमंडल का विगत 10 वर्षो का मदवार स्थापना व्यय की जानकारी :–

तालिका क्रमांक–33.14

स्थापना व्यय की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	स्थापना व्यय (लाख में)
1	2009-10	335.582
2	2010-11	438.434
3	2011-12	587.947
4	2012-13	640.862
5	2013-14	589.946
6	2014-15	913.062
7	2015-16	1012.583
8	2016-17	935.988
9	2017-18	1090.640
10	2018-19	1120.596
11	2019-20	1381.150
12	2020-21	1553.289
13	2021-22	1657.360
	कुल योग	**12257.439**

33.5.2 विविध व्यय :–

वनमण्डल में विविध मदों पर निम्न तालिकानुसार वार्षिक व्यय अनुमानित है:–

तालिका क्रमांक–33.15

वनमण्डल में विभिन्न मदों पर होने वाला अनुमानित व्यय

क्र.	विवरण	राशि (लाख रूपये में)
1	पांच वर्षीय सीमाकंन पक्के मुनारे निर्माण सहित	**92,73,000**
2	वन मार्गो का रख–रखाव एवं उन्नयन	**15,87,390**
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	**39,43,389**
4	वन सुरक्षा (वाहन रख–रखाव एवं पी.ओ.एल. / भवनों का रख–रखाव)	**68,00,000**
5	संयुक्त वन प्रबंधन	**15,00,000**
6	पारिस्थितकीय वन पर्यटन	**10,00,000**
7	कार्यालयीन व्यय	**16,57,36,038**
	योग	**18,98,39,817**

33.6 कुल वार्षिक व्यय अनुमान :–

उपरोक्तानुसार कार्य आयोजना क्रियान्वयन एवं स्थापना व्यय की गणना की गई है। कार्य आयोजना क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का आंकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 280 के मान से की गई है। अतः पहले वर्ष (2021–22) के पश्चात् आगामी वर्षों के लिये गणना हेतु वृद्धि के लिये **5 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि दर** (Escalation cost calculated) मानकर गणना की गई है। संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है : –

तालिका क्रमांक–33.16

कार्य आयोजना के विभिन्न कार्यवृत्तों में 10 वर्षो के उपचार हेतु प्रस्तावित राशि(अनुमानित)

वर्ष	सुधार कार्य वृत्त (राशि लाख में)	बिगड़े वनों का सुधार कार्य वृत्त (राशि लाख में)	वृक्षारोपण कार्य वृत्त (राशि लाख में)	योग (राशि लाख में)	औसत रकबा प्रतिवर्ष (हे0में)	उपचार हेतु प्रस्तावित राशि प्रति हेक्टर (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	181.11	469.31	1249.7	1900.12	3265.04	0.58
2022-23	190.16	492.78	1312.18	1995.12	3265.04	0.61
2023-24	199.87	517.92	1379.13	2096.92	3265.04	0.64
2024-25	209.57	543.06	1446.08	2198.71	3265.04	0.67
2025-26	219.92	569.88	1517.49	2307.29	3265.04	0.71
2026-27	230.91	598.37	1593.36	2422.64	3265.04	0.74
2027-28	242.55	628.55	1673.7	2544.8	3265.04	0.78
2028-29	254.84	660.39	1758.5	2673.73	3265.04	0.82
2029-30	267.78	693.91	1847.76	2809.45	3265.04	0.86
2030-31	280.72	727.44	1937.03	2945.19	3265.04	0.90
योग	**2277.43**	**5901.62**	**15714.93**	**23893.97**	**32650.4**	**7.32**

तालिका क्रमांक–33.17

कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में 10 वर्षो के उपचार हेतु वार्षिक व्यय (अनुमानित)

क्र.	विवरण	उपचार हेतु प्रस्तावित राशि (लाख में)
1	सुधार कार्य वृत्त	2277.43
2	बिगड़े वनों का सुधार कार्य वृत्त	5901.62
3	वृक्षारोपण कार्य वृत्त	15714.93
4	वन्य प्राणी एवं जैव विविधता (परस्परव्यापी) कार्य वृत्त	45.00
5	अकाष्ठ वनोपज (परस्परव्यापी) प्रबंधन	567.67
6	वन सुरक्षा प्रबंधन	68.00
7	संयुक्त वन प्रबंधन	15.00
8	पारिस्थितकीय वन पर्यटन	10.00
9	पंचवर्षीय सीमांकन	46.19
10	अग्नि सुरक्षा	39.43
11	वनमार्गों का रखरखाव	15.87
12	वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु जल स्त्रोतों एवं चारागाह क्षेत्रों का	32.50

क्र.	विवरण	उपचार हेतु प्रस्तावित राशि (लाख में)
	विकास	
	योग	**24733.64**
13	अन्य विविध व्यय	1657.36
	महायोग	**26391.00**

33.7 कार्य आयोजना को तैयार करने में हुये व्यय का विवरण :–

कार्य आयोजना पुनरीक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख, म.प्र. के पत्र क्रमांक/का.आ./मा.चि./12/2/1021 दि. 09.11.2018 से आवंटित हुआ। माह नबंवर 2018 से माह अक्टूबर 2021 तक कार्य आयोजना भोपाल में हुए व्यय का गोशवारा तालिका क्रमांक 33.18 में दर्शित है इस कार्य आयोजना वृत्त द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आंचलिक) कार्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारियों एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय के दो कर्मचारियों का भुगतान एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आंचलिक) कार्यालय के कार्यालयीन व्यय एवं पी.ओ.एल का भुगतान किया गया है। उक्त अवधि में भोपाल वनमंडल की कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य में स्थापना एवं कार्य आयोजना निर्माण पर व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं –

तालिका क्रमांक–33.18
स्थापना पर व्यय

क्र.	विवरण	भोपाल वनमण्डल की कार्य आयोजना में व्यय राशि	व्यय राशि (लाख रूपये)
1	अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता	8730986	87
2	कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	35062134	351
3	यात्रा भत्ता	1341952	13
4	कार्यालय व्यय पी.ओ.एल.एवं अनुरक्षण	510100.5	5
5	अन्य व्यय (मजदूरी)	5875298.5	59
	योग (लगभग 3 वर्ष)	**51520471**	**515**
	अनुमानित वार्षिक व्यय	**17173490.5**	**172**

भोपाल वनमण्डल की कार्य आयोजना का कुल क्षेत्रफल **45245.13** हेक्टेयर. है। अतः कार्य आयोजना निर्माण में **1138.70** रूपये प्रति हेक्टयर व्यय हुआ है। कोविड–19 लॉकडाऊन के कारण व्यय में वृद्धि हुई।

33.8 कार्य आयोजना क्षेत्र अनुमानित औसत वार्षिक व्ययः– (Annual Expenditure)

वनमंडल में प्रतिवर्ष कार्य आयोजना के प्रावधानों को क्रियान्वित करने पर होने वाला अनुमानित व्यय निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–33.19

कार्य आयोजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर अनुमानित व्यय

क्र.	कार्य विवरण	राशि (लाख में)
1	सुधार पातन कार्यवृत्त, बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त, वृक्षारोपण कार्यवृत्त, अतिक्रमण पुनर्स्थापना कार्यवृत्त, पंचवर्षीय सीमांकन, मुनारे निर्माण, वनमार्ग, रख–रखाव, अग्नि सुरक्षा, वन सुरक्षा, संयुक्त वन प्रबंधन, वनग्राम विकास, भवनों का रख–रखाव, वाहनों का रख–रखाव आदि), अन्य विविध व्यय (वन्यप्राणी प्रबंधन, जलस्त्रोंतों का विकास, डबरी, स्टॉप डेम इत्यादि),	24733.64
	कार्य आयोजना क्षेत्र का कुल अनुमानित वार्षिक व्यय	2473.36
	प्रस्तावित उपचारों का औसत वार्षिक क्षेत्रफल	3265.04
	प्रस्तावित उपचारों पर होने वाला वार्षिक व्यय	0.76 (लाख प्रति हे0)

33.9 राजस्व आय का अनुमान (Revenue Estimate) :–

वर्तमान की परिवर्तनीय आर्थिक स्थितियों एवं बजट आवंटन की नीति में समय–समय पर बदलाव के कारण वित्तीय अनुमान की भविष्य वाणी किसी भी परिशुद्धता तक लगभग असंभव है, परंतु फिर भी वर्तमान बाजार मूल्य पर अनुमानित प्रस्तावित कार्य आयोजना अवधि (10 वर्ष) हेतु औसत वार्षिक राजस्व के आंकड़े निम्न तालिका में दिया गया है। इमारती एवं जलाऊ चट्टे का आंकलन वन संसाधन सर्वेक्षण के आंकड़े के आधार पर लिया गया है।

तालिका क्रमांक–33.20

अनुमानित औसत वार्षिक राजस्व के आंकड़े

क्रमांक	विवरण	वार्षिक राशि लाख रूपयों में
	उत्पादन वनमंडल	
01	इमारती काष्ठ का विवरण (1,19,000 घ.मी. /40000/-	4760.0
02	जलाऊ चट्टे (1554000 चट्टे (5,18,000 घ.मी.) /500/-विविध राजस्व (पंजीकरण शुल्क विक्रय कर इत्यादि सहित)	777.0
03	तेंदू पत्ता विक्रय से प्राप्त राजस्व	23.812
	योग	**5560.812**

33.9.1 भोपाल वनमंडल की विगत कार्य आयोजना के अनुसार 10 वर्षों की राजस्व एवं व्यय का विवरणः–

तालिका क्रमांक–33.21

वित्तीय वर्ष	राजस्व (रू. लाख)	व्यय (रू. लाख)			
		आयोजना	आयोजनेत्तर	अन्य योजनाएं	योग
2009-10	1044361	34824907	115881948	0	150706855
2010-11	12120471	41207170	174102674	0	215309844
2011-12	15006422	38364479	139748798	0	178113277
2012-13	19791744	58147189	219220612	0	277367801
2013-14	17747202	71826174	221116158	0	292942332
2014-15	29744023	109853128	274983876	0	384837004
2015-16	11070328	223505999	248129369	0	471635368
2016-17	6846059	95188005	236670757	0	331858762
2017-18	8108598	111519463	205623391	0	317142854
2018-19	NA	NA	NA	NA	NA
2019-20	NA	NA	NA	NA	NA
2020-21	NA	NA	NA	NA	NA
योग	**121479208**	**784436514**	**1835477583**	**0**	**2619914097**

33.9.2 प्रत्यक्ष लाभ :–

वनों एवं वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ उन्हें कहते हैं, जिन्हें हम भौतिक रूप से माप सकते हैं, तथा जिसकी गणना एवं मूल्यांकन हम सीधे

उसके भौतिक स्वरूप से कर सकते है। वनों से प्राप्त होने वाले ऐसे प्रत्यक्ष लाभ निम्नानुसार हैं,

1. ईमारती लकड़ी
2. जलाऊ
3. बांस
4. चारा
5. तेन्दूपत्ता
6. अन्य लघु वनोपज फल, फूल, कन्द, गोंद/राल, लाख, मोम, शहद, औषधियां, मसाले आदि

- **ईमारती लकड़ी :–** वनों में खड़े वृक्षों से प्राप्त होने वाली ईमारती लकड़ी का मूल्यांकन वन संसाधन सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वनों में उपलब्ध कुल लकड़ी 6.37 लाख घनमीटर आंकी गई है, जिसमें से 18.75 प्रतिशत ईमारती एवं 81.25 प्रतिशत जलाऊ मानने पर ईमारती काष्ठ का आयतन 1.19 लाख घनमीटर (1,19,000 घनमीटर) होता है।

- **जलाऊ लकड़ी :–** वनों में उपलब्ध कुल लकड़ी 6.37 लाख घनमीटर आंकी गई है, जिसमें से 18.75 प्रतिशत ईमारती एवं 81.25 प्रतिशत जलाऊ मानने पर जलाऊ काष्ठ का आयतन 5.18 लाख घनमीटर (5,18,000 घनमीटर) होता है।

- **बांस :–** वर्तमान में वन क्षेत्र में बांस की उपलब्धता नगण्य होने के कारण बांस का मूल्यांकन शून्य माना गया है।

- **चारा :–** भोपाल वनमंडल में चारे की उपलब्धता योजनाबद्ध तरीके से नहीं होने के कारण उसका मूल्यांकन संभव नहीं है।

- **तेन्दूपत्ता :–** वन मण्डल के अन्तर्गत संग्रहित तेन्दूपत्ता अधिकांश वनक्षेत्रों से ही आता है, अतः विगत 10 वर्षों में संग्रहित तेन्दूपत्ता का औसत 23931.86 मानक बोरा का मूल्यांकन 995 रुपये प्रति मानक बोरा की औसत दर से 238.12 लाख रुपये होता है।

- **अन्य लघु वनोपज :–** कार्य आयोजना क्षेत्र मे अन्य लघु वनोपज का विदोहन एवं व्यापार योजनाबद्ध तरीके से नहीं होने के कारण उसका मूल्यांकन संभव नहीं है।

33.9.3 अप्रत्यक्ष लाभ (Intangible Benefit)

वनों एवं वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ उन्हें कहते हैं, जिन्हें हम भौतिक रूप से माप नहीं सकते हैं, किन्तु जिसकी अनुपस्थिति से होने वाली हानि, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने में होन वाले व्यय या अन्य संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करके उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। वनों से प्राप्त होने वाले ऐसे अप्रत्यक्ष लाभ निम्नानुसार सूचीबद्ध किये जा सकते है।

1. प्राणवायु–आक्सीजन का निर्माण
2. कार्बन संचयन
3. सिरबोझ जलाऊ उपलब्धता
4. वातावरण का तापमान नियंत्रण
5. मृदा एवं जल संरक्षण
6. विषैले रसायनों का अवशोषण
7. भू–जल स्तर सुधार
8. भूमि की उर्वरता में वृद्धि
9. वातावरण में आर्द्रता नियंत्रण
10. विस्तृत वन्यप्राणी रहवास
11. आजीविका सृजन
12. इको पर्यटन

उपरोक्त अप्रत्यक्ष लाभों में से कुछ अप्रत्यक्ष लाभों का आंकलन निम्नानुसार है।

1. यह एक सूस्थापित तथ्य है कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र से अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों तरह के लाभ है। मानव सभ्यता में वनों का अप्रत्यक्ष योगदान प्रत्यक्ष योगदान की तुलना में ज्यादा है। हालाकि इसका अनुमान लगाना कठिन कार्य है। प्रो. टी.एम. दास (1980) द्वारा मध्यम माप के वृक्ष से (जो लगभग 50 टन का हो) पचास वर्षों में पर्यावरणीय दृष्टि से प्रदत्त लाभ, मान्य मापदण्डों एवं

प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर परिगणना की है, जो निम्न तालिका में संकलित है। (प्रोसीडिंग्स ऑफ इण्डियन साईन्स कांग्रेस 1980)

तालिका क्रमांक–33.22

पर्यावरणीय दृष्टि से प्रदत्त लाभ, मान्य मापदण्डों एवं प्रचलित बाजार कीमत के आधार पर परिगणना

पर्यावरणीय लाभ	एक वृक्ष लाभ (रू.में)	वन प्रकार	
		उष्ण कटिबंधीय लाखों में /प्रति हे0	समशीतोष्ण कटिबंधीय लाखों में/प्रति हे0
1	2	3	4
आक्सीजन उत्पादन (Oxygen Production)	2.50	22.50	20.50
प्राणीय प्रोटीन में परिवर्तन (Conversion to annimal protein)	0.20	1.80	0.64
भू–क्षरण पर नियंत्रण (Control of soil erosion)	2.50	22.50	20.50
जल का पुनः चक्रीयकरण एवं आर्द्रता का नियंत्रण (Recycling of Water & Control of humidity)	3.00	27.00	24.60
पक्षियों, गिलहरियों, कीटों, पौधों को शरण (Shelter for bird, squirrel, Insects & plants)	2.50	22.50	20.50
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण (Air Polution control)	5.00	45.00	41.00
कुल योग	**15.70**	**141.30**	**128.74**

श्री टी.एम.दास द्वारा एक हे0 उष्णकटीबंधीय वन से होने वाले पर्यावरणीय लाभ की परिगणना 50 वर्षों की अवधि में 141.30 लाख रूपये की है, जो कि प्रतिवर्ष लगभग 2.83 लाख प्रति हे0 है। जो कि वर्ष 2020–21 में लगभग रूपये 28.30 लाख के समतुल्य है। इस प्रकार कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों से होने वाला लाभ 45207.91 हे0 (अधिसूचित क्षेत्रफल) x 28.30 लाख प्रति हे0 के मान से प्रतिवर्ष रूपये 1279383.853 लाख है।

- **कार्बन संचयन :–** कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों में वर्तमान मे संचयित कार्बन की कुल मात्रा 30.74 लाख टन आंकी गई है, जिसकी कीमत 1500 रुपये प्रति टन से 46110 लाख रुपये होती है।

33.10 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ एवं व्यय का अनुपात :–

कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका क्रमांक–33.23

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ एवं व्यय का अनुपात

प्रस्तावित उपचारों पर होने वाला वार्षिक व्यय	2512.868 (लाख में)
वनों से अनुमानित वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	5560.812 (लाख में)
वार्षिक अप्रत्यक्ष लाभ	1279383.853 (लाख में)
कार्य आयोजना क्षेत्र के वनों से होने वाला वार्षिक लाभ	1284945(लाख में)
लागत–लाभ विश्लेषण (रू 1284945 / 2512.868)	1:511

इस प्रकार लागत एवं लाभ का अनुपात 1:511 है। जो कार्य आयोजना के अनुरूप वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का समर्थन करता है, जो कि कार्य आयोजना में प्रस्तावित किये गये हैं।

अध्याय–34
कार्य आयोजना अवधि

भोपाल वनमंडल की कार्य आयोजना क्षेत्र के कार्यवृत्तों में निम्नानुसार उपचार/पातन चक्र रखते हुये कूप डाले गये है–

क्रमांक	कार्यवृत्त का नाम	उपचार/पातन चक्र	कूपों का क्रम
1	सुधार कार्यवृत्त	20 वर्ष	I से XX कूप
2	बिगडे वनों का सुधार कार्यवृत्त	10 वर्ष	I से X कूप
3	वृक्षारोपण कार्यवृत्त	10 वर्ष	I से X कूप

यह कार्य आयोजना अवधि 10 वर्ष, 2021–22 से 2030–31 तक लागू रहेगी। कार्य आयोजना प्रबंधन के अंतर्गत सुधार कार्यवृत्त में 20 वर्ष के उपचार चक्र के अनुसार प्रत्येक उपचार श्रेणी में 20–20 उपचारांश निर्धारित किये गये है, किंतु कार्य आयोजना अवधि के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत, नवीन कार्य आयोजना बनाकर या पृथक से एक वर्षीय कार्यकरण योजना बनाकर, स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त करनें के उपरांत ही कोई कार्य किया जा सकेगा।

----000----

अध्याय–35
कार्य आयोजना की मध्यावधि समीक्षा
(Mid Term Review)

35.1 कार्य आयोजना की मध्यावधि समीक्षाः–

कार्य आयोजना की मध्यावधि समीक्षा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म.प्र. भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक / प्रमुवसं / का.आ / माचि / 847 भोपाल, दिनांक 28–9–2013 के अनुसार कार्य आयोजना लागू होने के पांच वर्ष पश्चात की जावेगी। मध्यावधि समीक्षा की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट क्रमांक–146 है।